दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अगस्त, 2019

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 13

- वेतन संहिता विधेयक, 2019 13
- कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित 14
- सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ेगी न्यायाधीशों की संख्या 15
- सभी जल विवाद समाधानों के लिये एक स्थायी ट्रिब्यूनल का प्रस्ताव 15
- 2021 में एकत्रित नहीं किये जाएंगे 'जातिगत' आँकड़े 17
- अभियुक्त को आवाज का नमूना देने का आदेश दिया जा सकता है 17
- UAPA विधेयक 2019 19
- साहित्यिक चोरी रोकने के लिये 'उरकुंड' का प्रयोग 20
- वेतन संहिता विधेयक, 2019 21
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 23
- मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के विरुद्ध विधेयक 24
- मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 25
- 12 मिलियन परिवारों के गरीबी उन्मूलन का प्रयास 27
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दूसरा चरण 28
- कश्मीर पर UNSC प्रस्ताव 47 29
- आंध्र प्रदेश के निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिये कोटा तय 30
- सरदार सरोवर बांध 31
- RACE: राजस्थान का नया उच्चतर शिक्षा मॉडल 32
- सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 33
- SBM 2.0 34
- प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना 34
- पश्चिमी आंचलिक परिषद 35
- बांध सुरक्षा विधेयक और उसका विरोध 37
- सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर 38
- दूसरे राज्यों के लिये विशेष उपबंध 39
- CBI को अधिक स्वायत्तता मिले: मुख्य न्यायाधीश 41
- जम्मू और कश्मीर का परिसीमन 42

नोट :

- राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (NEDL) 42
- ई- कोर्ट 43
- स्वच्छ नगर एप 44
- केंद्रीय बलों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि 45
- निकोटीन जहर के रूप में वर्गीकृत 46
- ई-शासन पर शिलांग घोषणा पत्र 48
- NRC की अंतिम सूची 49
- शासन निष्ठा: शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 52
- सबका विश्वास योजना 53
- नगालैंड में अलग ध्वज और अलग संविधान की मांग 54
- पुलिस व्यवस्था पर सर्वेक्षण 55
- स्कूल एजुकेशन 'शगुन' 56
- गिरमिटिया मज़दूरी 56
- टीबी के विरुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान 58
- पश्चिम बंगाल का लिंचिंग विरोधी विधेयक 59

आर्थिक घटनाक्रम 60

- भारतीय अर्थव्यवस्था सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 60
- पोषक तत्त्वों पर आधारित उर्वरक सब्सिडी 61
- खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड 61
- भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्रिसिल का पूर्वानुमान 62
- PSB में निर्वाचित निदेशकों की नियुक्ति 63
- बहुफसली पद्धति का महत्त्व 64
- US फेडरल रिज़र्व दर में कटौती 64
- प्रथम राष्ट्रीय समय सारणी अध्ययन 65
- अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन हेतु प्रयास 66
- श्रम संहिता: इसमें निहित समस्याएँ 68
- ई-कॉमर्स नीति का ड्राफ्ट 69
- बीमा मार्केटिंग के लिये नए मानदंड 69
- मौद्रिक नीति समीक्षा अगस्त 2019 70
- कृषि क्षेत्रक के NPA में वृद्धि 72
- पशु आधार 72
- PMLA Act में संशोधन 74
- भारत में वायदा बाज़ार 75
- घर खरीददारों को वित्तीय लेनदार का दर्ज़ा 76

नोट :

- अपतटीय रुपया बाज़ार पर टास्क फोर्स 77
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मूल्यांकन की योजना 78
- सिंचाई प्रतिरूप और मानसून 79
- बीजों के एकरूप प्रमाणन की आवश्यकता 80
- आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिये प्रोत्साहन पैकेज 80
- कर और भारत का पूंजी बाज़ार 81
- बुनियादी ढाँचे पर निवेश की घोषणा 82
- नकारात्मक दर नीति 83
- CSR पर गठित इंजेती श्रीनिवास समिति की रिपोर्ट 84
- स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में बदलाव 85
- NBFC हेतु नए दिशा-निर्देश 86
- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि 87
- किसान क्रेडिट कार्ड 87
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत सुधार 88
- ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी 89
- विलय और अधिग्रहण हेतु ग्रीन चैनल 90
- गैर-कृषि जिंस गोदाम 92
- डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व 92
- प्रत्यक्ष कर संहिता समिति के सुझाव 93
- FPI हेतु नए मापदंड 94
- रुपए की कीमत में गिरावट 95
- बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये वित्तीय संस्थान 96
- ऑटो ट्रिगर तंत्र 97
- रेपो रेट और ब्याज़ दर को जोड़ने का प्रस्ताव 98
- आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क 99
- फार्म इन एक्स्पेंसेस 99
- माइक्रोक्रेडिट मॉडल 100
- सिटी गैस वितरण नेटवर्क 101
- वायु कनेक्टिविटी: संभावनाएँ एवं विकास 102
- आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क और जालान समिति 103
- FDI हेतु संशोधित मापदंड 105
- चीनी निर्यात सब्सिडी को सहमति 106
- 10 बैंकों के विलय की घोषणा 107
- अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि 109
- INF मिसाइल संधि 109

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 109

- ब्राज़ील के नए कीटनाशक नियम 110
- चीन और अमेरिका के मध्य करेंसी युद्ध 112
- भारत के लिये वीज़ा नियमों को आसान करेगा न्यूज़ीलैंड 113
- विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक 113
- भारत और चीन 114
- वियतनाम-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता 115
- भारत-भूटान संबंध 116
- अमेरिका की ग्रीन कार्ड नीति में परिवर्तन 117
- सूडान में नई संप्रभु परिषद 118
- भारत-बाल्टिक देश 119
- रोम में संकट 119
- न्यू डेवलपमेंट बैंक 120
- भारत और फ्राँस 121
- UNSC बैठक और चीन एवं पाकिस्तान 123
- अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और विश्व व्यापार संगठन 124
- ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 125
- अमेरिका की नई आव्रजन नीति 128
- जापान में मानव अंग विकसित करने की अनुमति 129

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी 129

- IIT दिल्ली में हुई 'TechEx' की शुरुआत 130
- जीनोम इंडिया इनिशिएटिव 131
- भारत का डीप ओशन मिशन 133
- अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता नियंत्रण केंद्र 135
- सौर तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी 136
- SPIT SEQ 137
- NSIL के लिये पहला अनुबंध 138
- आयरन आयन बैटरी 139
- कृषि क्षेत्र स्टार्टअप्स में वृद्धि 139
- SUPRA योजना 140
- पार्कर सोलर प्रोब 141
- भारत के एंटी-सैटेलाइट परीक्षण का मलबा 142
- ग्रामनेट के ज़रिये वाई-फाई से जुड़ेंगे सभी गाँव 143
- मार्स सोलर कंजंक्शन 144

नोट :

- विश्व का पहला बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज़ 145
- पर्सेइड उल्कापिंडों की बौछार 145
- उल्कापात 146
- कैनाइन डिस्टेंपर वायरस 147

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **147**

- भूमि व जल योजनाओं का एकीकरण 148
- मुंबई के समुद्री तटों पर मिल रहे हैं टारबॉल्स 149
- ब्राज़ील में वनों की कटाई में वृद्धि 150
- CITES में भारत का प्रस्ताव 151
- सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क (SDN) 152
- मछलियों में मरकरी/पारे का संचय 153
- काजिन सारा झील 154
- एक्वापोनिक्स: भविष्य का एक विकल्प 154
- 'समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा' अभियान 156
- IPCC रिपोर्ट 156
- अपशिष्ट की डंपिंग और दहन- सर्वाधिक प्रदूषणकारी गतिविधियाँ 158
- गोगाबील सामुदायिक रिज़र्व 159
- कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य 160
- आर्कटिक हिम में माइक्रोप्लास्टिक 161
- PET बोतलों में कोई हानिकारक रसायन नहीं 161
- सुंदरबन के संरक्षण हेतु डिस्कवरी और WWF के बीच समझौता 162
- जलवायु परिवर्तन पर 28वीं मंत्रिमंडलीय बैठक 164
- भारत सल्फर-डाईऑक्साइड (SO_2) का सबसे बड़ा उत्सर्जक 165
- टार्डिग्रेड 166
- राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 167
- भारत में घरेलू वायु प्रदूषण की समस्या 168
- जल प्रदूषण है आर्थिक वृद्धि में बाधक 168
- अवैध बाघ व्यापार 169
- माइक्रोप्लास्टिक पर WHO की रिपोर्ट 170
- अमेज़न वन और संबंधित चिंताएँ 171
- दीपोर बील 172
- तैरता परमाणु रिएक्टर 173
- वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण 174
- एंटीमाइक्रोबियल बैक्टीरिया 175

नोट :

- ई-वेस्ट 176
- क्लाउडेड लेपर्ड 177
- पेरियार एवं परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व 179
- भूमि क्षरण को रोकने के लिये भारत की प्रतिबद्धता 180
- गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी 180
- वनीकरण: कैम्पा कोष 181
- पर्यावरण संरक्षण: विभिन्न आयाम 182
- ईल की नई प्रजातियाँ 183
- 'ओकजोकुल' ग्लेशियर का अस्तित्व समाप्त 184
- मछली की नई प्रजातियाँ 185
- वज्राकुलम अनन्नास 185
- ओडिशा के झीलों का संरक्षण 185
- स्टार कछुआ और ऊदबिलाव 186
- कोसी-मेची लिंकिंग परियोजना 187
- जल संकट का सामना कर रहे देशों में भारत 13वें स्थान पर 187

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 187

- पश्चिमी घाट 188
- जनसंख्या विस्फोट और प्रजनन दर 190
- शेल गैस की खोज तथा जल की समस्या 191
- महासागरीय ऊर्जा 193
- आपदा राहत में बिग डेटा का प्रयोग 194
- प्रकृति और शहरीकरण 195
- तापीय ऊर्जा संयंत्र और जल संसाधन 196
- आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन 197
- अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत 199
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 199

सामाजिक मुद्दे 199

- सरोगेसी विधेयक: संभावनाएँ और चुनौतियाँ 201
- प्रजनन दर पर राज्य संस्कृति का प्रभाव 202
- स्तनपान पर स्वास्थ्य मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड 203
- भारत में विदेशी कैदी 203
- 57.3% एलोपैथिक चिकित्सक अयोग्य 204
- खसरे पर WHO की रिपोर्ट 205
- डॉक्टरों के लिये अनिवार्य ग्रामीण सेवा 207

नोट :

- विवाह की एक समान आयु 208
- सुपर 50 209
- सन-साधन हैकथॉन 210
- मुख्यमंत्री-नि:शुल्क-दवा-योजना 210
- संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक-2.0 211
- भारत में कुष्ठ रोग की वापसी 213
- खनन क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिक 214
- कुष्ठ रोग एवं टीबी के लिये सरकारी योजना 214
- आदर्श स्मारक योजना 215

कला एवं संस्कृति **216**

- ओडिशा में प्राचीन बस्ती की खोज 216
- चित्र शब्द विधि 217
- पट्टामादई रेशमी चटाई 218
- विश्व की 6% भाषाओं का वक्ता है भारत 219
- भारत छोड़ो आंदोलन की 77 वीं वर्षगांठ 220
- बकरीद क्या है ? 221
- 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी 221
- पश्मीना उत्पादों को मिला BIS प्रमाणपत्र 222
- ललित कला अकादमी ने मनाया 65वाँ स्थापना दिवस 222
- कोंडापल्ली खिलौने 223
- कोलम (रंगोली) Kolams help women map business potential 223
- 4 उत्पादों को GI टैग देने की घोषणा 224
- आदि महोत्सव 224
- गीत गोविंद 225
- त्रिपुरा के साथ शांति समझौता 227

आंतरिक सुरक्षा **227**

- रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' 228
- सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र 229
- वामपंथी अतिवाद - एक चुनौती 229
- नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर 231
- कोमालिका बारी 233
- एलंगबाम वैलेंटिना 233
- ऐश्वर्या पिस्से 233
- विराट कोहली 233

नोट :

विविध 233

- मदन बी. लोकुर 234
- राजीव गौबा 234
- पी.वी. सिंधु 234
- कंचन चौधरी भट्टाचार्य 234
- मानसी जोशी 234
- आतिश दाभोलकर 235
- टोनी मॉरिसन 235
- विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती 235
- चंद्रिमा शाह 236
- चंपा कुमारी 236
- भाषा मुखर्जी 237
- मकराना के मार्बल 237
- फूपगांव 237
- एरिया 51 237
- सीरिया का अलेप्पो शहर 238
- विरासत-ए-खालसा संग्रहालय 238
- बिधाननगर नगर निगम (साल्ट लेक सिटी) 238
- बावली का पुनरुद्धार 239
- ग्रीन रेटिंग 239
- रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 239
- नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट 240
- वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (WTI) 240
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान 240
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों 241
- सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला और अनुभव पुरस्कार, 2019 241
- पोषण अभियान पुरस्कार 241
- होमलैंड सिक्योरिटी 2019 सम्मेलन में स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार 242
- राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 242
- वी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज़ 243
- रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड 2019 243
- विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार 243
- राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार, 2019 244
- भारत रत्न 2019 244
- वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 245

नोट :

- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 245
- महर्षि बादरायण व्यास सम्मान 246
- ऑर्डर ऑफ ज़ायद 247
- 100 ईयर्स ऑफ क्राइसोस्टम 247
- बेविन पुरस्कार 247
- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2018 247
- गवर्नेंस गोल्ड अवॉर्ड SKOCH 248
- अगस्त क्रांति दिवस 248
- विश्व मूल निवासी दिवस 249
- विश्व फोटोग्राफी दिवस 249
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 249
- अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 249
- विश्व मानवतावादी दिवस 250
- विश्व मच्छर दिवस 250
- विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 250
- राष्ट्रीय खेल दिवस 251
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 251
- विश्व जैव ईंधन दिवस 251
- विश्व हाथी दिवस 252
- एशेज़ टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ 252
- डूरंड कप 252
- (QR-SAM) 253
- स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड 253
- ओडिशा रसगुल्ला 253
- विश्व स्तनपान सप्ताह (जननी पूर्ण स्नेह कार्यक्रम) 253
- द डायरी ऑफ मनु गांधी 254
- अध्यापक शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 254
- आल वेदर रोड परियोजना 255
- नए भौगोलिक संकेतक 255
- ई-शासन पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन 255
- मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना 256
- मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 256
- 2D सोना 256
- Indian Air Force: A Cut Above 257
- एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस 257

नोट :

- Resource Assistance for Colleges with Excellence (RACE) 257
- ई-रोज़गार समाचार 258
- बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड 258
- भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-कोर्स 258
- 'समर्थ' 259
- जापानी ई-नीलामी प्रणाली 259
- वर्ल्डस्किल्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2019 260
- होप प्रोब 260
- ई-कार 261
- वर्किंग हॉलिडे मेकर' वीज़ा कार्यक्रम 261
- 'क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग' 261
- संकल्प योजना 262
- रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य 262
- सुपर-अर्थ': GJ 357d 262
- कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये हैकथॉन 263
- मेघदूत मोबाइल एप 263
- हेराक्लेस इनएक्सपेक्टेटस 264
- अर्का सुप्रबाथ 264
- जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार 264
- भारत का पहला इकोटॉक्सिकोलॉजी क्लिनिक 265
- भारत का सबसे लंबा रोपवे 265
- किसानों की सहायता के लिये मोबाइल एप 265
- अंडमान का प्रायद्वीपीय भारत से संबंध 266
- अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम, 2021 266
- ऑपरेशन नंबर प्लेट 267
- दिल्ली ड्रैगनफ्लाई उत्सव 267
- बया वीवर बर्ड 268
- सरल सूचकांक (स्टेट रूफटॉप सोलर एट्रैक्टिवनेस इंडेक्स) 268
- 137 पर्वतीय चोटियों पर पर्वतारोहण और ट्रेकिंग की अनुमति 268
- कच्छ का रेगिस्तान 269
- फ्लोक्सिनॉसिनिहिलिपिलिफिकेशन' 269
- केरल में महिलाएँ चला सकेंगी सरकारी वाहन 269
- फेडर 270
- नेपाल में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध 270
- पल्लीकरनई आर्द्रभूमि 271

नोट :

- दयालुता पर पहला विश्व युवा सम्मेलन 271
- लाइम स्वॉलोटेल 271
- बहरीन टेम्पल प्रोजेक्ट 272
- गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग 272
- पानी में चलने वाले कीड़ों की 7 नई प्रजातियाँ 273
- SURE' परियोजना 273
- एड्राटिक्लिट बोउल्फा 274
- पीकॉक पैराशूट स्पाइडर 274
- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की क्लीयरिंग प्रणाली 274
- जनऔषधि सुगम 275
- कोप्रोलाइट (खुदी हुई गोबर) 275
- 'अंगीकार' अभियान और ई-कोर्स की शुरुआत 276
- पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना North-East Rural Livelihood Project (NERLP) 276
- डिंडीगुल लॉक एवं कंडांगी साड़ी को GI टैग 277
- माउंट कुन अभियान 277
- ग्रेटा थनबर्ग 278
- स्टार्ट-अप सेल 278
- नीला गुंबद 279
- एक्वा एक्वारिया इंडिया 2019 279

The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

वेतन संहिता विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

पुराने एवं अप्रचलित श्रम कानूनों को विश्वसनीय तथा भरोसेमंद कानूनों में बदलने के लिये वेतन विधेयक, 2019 लोकसभा ने पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में 17 श्रम कानून 50 से वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा इनमें से कुछ तो स्वतंत्रता से पहले के दौर के हैं।
- वेतन विधेयक में शामिल किये गए चार अधिनियमों में से वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 स्वतंत्रता से पहले का है तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 भी 71 साल पुराना है। इसके अलावा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 भी इसमें शामिल किया जा रहा है।

- वेतन विधेयक को 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था और वहाँ से इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था, जिसने 18 दिसंबर, 2018 को अपनी सिफारिशें दे दी थीं।
- स्थायी समिति की 24 सिफारिशों में 17 को सरकार ने स्वीकार कर लिया था।
- संहिता सभी कर्मचारियों और कामगारों के लिये वेतन के समयबद्ध भुगतान के साथ ही न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करती है।
- कृषि मज़दूर, पेंटर, रेस्टोरेंट और ढाबों पर काम करने वाले, चौकीदार आदि असंगठित क्षेत्र के कामगार जो अभी तक न्यूनतम वेतन की सीमा से बाहर थे, उन्हें न्यूनतम वेतन कानून बनने के बाद कानूनी सुरक्षा हासिल होगी।
- विधेयक में सुनिश्चित किया गया है कि मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अगले महीने की 7 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिये, वहीं जो लोग साप्ताहिक आधार पर काम करते हैं उन्हें सप्ताह के आखिरी दिन और दैनिक कामगारों को उसी दिन पारिश्रमिक मिलना चाहिये।

संहिता की मुख्य विशेषताएँ

- वेतन संहिता सभी कर्मचारियों के लिये क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिये बिना न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाती है।
  - वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम और वेतन का भुगतान अधिनियम दोनों को एक विशेष वेतन सीमा से कम और अनुसूचित रोज़गारों में नियोजित कामगारों पर ही लागू करने के प्रावधान हैं।
  - इस विधेयक से हर कामगार के लिये भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित होगा और मौजूदा लगभग 40 से 100 प्रतिशत कार्यबल को न्यूनतम मज़दूरी के विधायी संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
  - इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिले, जिससे कामगार की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
  - न्यूनतम जीवन यापन की स्थितियों के आधार पर वेतन मिलने से देश में गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 50 करोड़ कामगार इससे लाभान्वित होंगे।
  - इस विधेयक में राज्यों द्वारा कामगारों को वेतन का भुगतान डिजिटल तरीकों से करने की परिकल्पना की गई है।
- विभिन्न श्रम कानूनों में वेतन की 12 परिभाषाएं हैं, जिन्हें लागू करने में कठिनाइयों के अलावा मुकदमेबाजी को भी बढ़ावा मिलता है।
  - परिभाषा को सरल बनाया गया है, जिससे मुकदमेबाजी कम होने और नियोक्ता के लिये इसका अनुपालन सरलता करने की उम्मीद है।

नोट :

- इससे प्रतिष्ठान भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि रजिस्टरों की संख्या, रिटर्न और फॉर्म आदि न केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे जा सकेंगे और उनका रख-रखाव किया जा सकेगा, बल्कि यह भी कल्पना की गई है कि कानूनों के माध्यम से एक से अधिक नमूना (Specimen) निर्धारित नहीं किया जाएगा।

- वर्तमान में अधिकांश राज्यों मेंअलग-अलग न्यूनतम वेतन हैं। वेतन संहिता के माध्यम से न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है।
  - ज़गार के विभिन्न प्रकारों को अलग करके न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिये एक ही मानदंड बनाया गया है।
  - न्यूनतम वेतन निर्धारण मुख्य रूप से स्थान और कौशल पर आधारित होगा।
  - इससे देश में मौजूद 2000 न्यूनतम वेतन दरों में कटौती होगी और न्यूनतम वेतन की दरों की संख्या कम होगी।
- निरीक्षण प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन किये गए हैं। इनमें वेब आधारित रेंडम कम्प्यूटरीकृत निरीक्षण योजना, अधिकार क्षेत्र मुक्त निरीक्षण, निरीक्षण के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी मांगना और जुर्मानों का संयोजन आदि शामिल हैं।
  - सभी परिवर्तनों से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ श्रम कानूनों को लागू करने में सहायता मिलेगी।
- ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि कम समयावधि के कारण कामगारों के दावों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब सीमा अवधि को बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया है और न्यूनतम वेतन, बोनस, समान वेतन आदि के दावे दाखिल करने को एक समान बनाया गया है। फिलहाल दावों की अवधि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच है।
- इसलिये यह कहा जा सकता है कि न्यूनतम वेतन के वैधानिक संरक्षण करने को सुनिश्चित करने तथा देश के 50 करोड़ कामगारों को समय पर वेतन भुगतान होने के लिये यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह कदम जीवन सरल बनाने और व्यापार को ज्यादा आसान बनाने के लिये भी वेतन संहिता के माध्यम से उठाया गया है।

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में में राज्यसभा ने कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया। यह विधेयक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility-CSR) के मानदंडों को कठोर बनाने और कंपनी कानून के नियमों का पालन न करने वालों के लिये सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि लोकसभा ने इस विधेयक को 26 जुलाई, 2019 को ही पारित कर दिया था।
- इस विधेयक में वर्ष 2018 के अध्यादेश के सभी प्रावधानों के साथ ही नए संशोधन भी शामिल किये गए हैं।
- इस विधेयक में मुख्य परिवर्तन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के व्यय से संबंधित प्रावधान में किया गया है जिसके अनुसार, कंपनी को CSR का बचा हुआ पैसा एक विशेष खाते में रखना अनिवार्य होगा।
- यह विधयेक कंपनी रजिस्ट्रार को अधिकार देता है कि वह कंपनियों के रजिस्टर से उस कंपनी का नाम हटाने के लिये कार्रवाई शुरू करे, जो कंपनी कानून के अनुसार किसी भी व्यवसाय या कार्य को नहीं कर रही है।
- यह विधेयक 16 छोटे अपराधों को फिर से सिविल डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में रखने और केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष बदलने के लिये प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु कार्यों के हस्तांतरण का भी प्रावधान करता है।
- यह प्रावधान विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों को एकाउंटिंग सुविधा के लिये अपने वित्तीय वर्ष को भारत के वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त उक्त विदेशी कंपनी के अनुसार किसी अन्य देश के वित्तीय वर्ष को अपनाने की अनुमति प्रदान करेगा।
- यह विधेयक सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक शक्तियों को NCLT से केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) की कुछ शक्तियों के संबंध में अधिक स्पष्टता प्रदान करता है।

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ेगी न्यायाधीशों की संख्या

चर्चा में क्यों ?

लगातार बढ़ते मुकदमों की संख्या और उनके बोझ को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु :

- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 (मुख्य न्यायाधीश सहित) है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद बढ़ाकर 34 (मुख्य न्यायाधीश सहित) कर दिया जाएगा।
- क्यों लिया गया निर्णय ?
- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 59,331 मामले लंबित हैं ।
- मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India-CJI) रंजन गोगोई के अनुसार, भारत में न्यायाधीशों की कमी के कारण कई महत्त्वपूर्ण मामलों का फैसला करने के लिये उचित संवैधानिक पीठों की संख्या भी पूरी नहीं हो पा रही है।
- न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिये CJI ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का इतिहास :

- वर्ष 1950 में स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुल संख्या 8 थी, परन्तु बाद में वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 के माध्यम से इसे 10 कर दिया गया।
- तब से भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 के तहत ही निर्धारित की जाती है।
- इस संख्या को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1960 के तहत बढ़ाकर 13 कर दिया गया था।
- इसके बाद वर्ष 1977 में एक अन्य संशोधन के द्वारा यह संख्या 17 कर दी गई और बाद में वर्ष 1986 में इसे 25 कर दिया गया।
- अंत में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2009 के माध्यम से इस संख्या को बढ़ाकर 25 से 30 किया गया था, जिसे अब पुन: बढ़ाया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय

- सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर है।
- इसके गठन, न्याय-क्षेत्र, शक्तियों और स्वतंत्रता आदि का वर्णन संविधान के भाग 5 (अनुच्छेद 124 से 147) में किया गया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु अर्हताएँ :
  - वह भारत का नागरिक होना चाहिये।
  - कम-से-कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो।
  - उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कम-से-कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता (Advocate) के रूप में कार्य कर चुका हो।

सभी जल विवाद समाधानों के लिये एक स्थायी ट्रिब्यूनल का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

लोकसभा ने एक ऐसे स्थायी न्यायाधिकरण (Tribunal) का गठन करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, जो पानी के बँटवारे से संबंधित सभी अंतर्राज्यीय विवादों की सुनवाई करेगा।

- इस प्रस्ताव के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाएगा, जिसमें जल संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर हर बार एक अलग अस्थायी ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है।
- कानून का रूप लेने के बाद यह विधेयक नए स्थायी ट्रिब्यूनल में सभी पुराने मामलों के हस्तांतरण को भी सुनिश्चित करेगा और वर्तमान में सभी अस्थायी ट्रिब्यूनल समाप्त हो जाएंगे।

नोट :

इस परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है ?

- इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राज्यीय जल विवादों की निपटान प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है, क्योंकि अब तक 1956 के अधिनियम के तहत कुल 9 ट्रिब्यूनल गठित किये जा चुके हैं, जिनमें से मात्र 4 ही अब तक किसी नतीजे पर पहुँचे हैं।
- वर्ष 1990 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल विवाद का निपटारा करने के लिये एक ऐसे ही ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। इस ट्रिब्यूनल को अपना अंतिम निर्णय देने में तकरीबन 17 वर्ष लगे थे और इस विवाद को सुलझाने में कुल 28 वर्ष लगे थे।
- इसके अलावा रावी और ब्यास नदी के जल विवाद में ट्रिब्यूनल की स्थापना अप्रैल 1986 में की गई थी और अभी तक उसका अंतिम निर्णय नहीं आया है।
- अभी तक किसी भी ट्रिब्यूनल ने अपने विवाद को सुलझाने में जो समय लिया है वह न्यूनतम 7 वर्ष है।

क्या-क्या परिवर्तन किये जाएंगे ?

- राज्यों से संबंधित जल विवाद के लिये एक स्थायी ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी।
- वर्तमान में कार्य कर रहे सभी अस्थायी ट्रिब्यूनलों को समाप्त कर दिया जाएगा और उनके मुकदमे स्थायी ट्रिब्यूनल को हस्तांतरित कर दिये जाएंगे।
- संशोधन में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सभी विवादों को अधिकतम साढ़े चार वर्ष में सुलझा लिया जाए।
- वर्तमान पाँच ट्रिब्यूनलों को एक साथ स्थायी ट्रिब्यूनल में मिलाने से कर्मचारियों की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत की कमी होगी तथा इससे 4.27 करोड़ की बचत का भी अनुमान है।

कैसे काम करेगा नया ट्रिब्यूनल ?

- मौजूदा व्यवस्था में जब राज्य जल संबंधी कोई विवाद उठाते हैं तो केंद्र सरकार उस विवाद को सुलझाने के लिये एक अस्थायी ट्रिब्यूनल का गठन कर देती है।
- वर्तमान नियमों के अनुसार, केंद्र द्वारा गठित किसी भी ट्रिब्यूनल को अपना अंतिम निर्णय 3 वर्षों में देना होता है और इस अवधि को अतिरिक्त 2 वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है, परन्तु यदि व्यवहार में देखें तो लगभग सभी ट्रिब्यूनलों ने अपने निर्णय देने में काफी अधिक समय लगाया है।
- नई व्यवस्था के तहत यदि कोई भी राज्य जल संबंधी कोई विवाद उठता है तो केंद्र सरकार सर्वप्रथम उसके लिये एक विवाद समाधान समिति (Disputes Resolution Committee-DRC) का गठन करेगी।
- केंद्र द्वारा जो DRC गठित की जाएगी उसकी अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करेगा जिसके पास जल क्षेत्र में काम करने का अनुभव होगा और जो सेवारत या सेवानिवृत्त सचिव रैंक का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य विशेषज्ञ और संबंधित राज्य के प्रतिनिधि भी होंगे।
- केंद्र द्वारा गठित DRC एक साल के भीतर बातचीत के माध्यम से विवाद को हल करने का प्रयास करेगी। इस अवधि को अधिकतम 6 महीनों तक बढ़ाया जा सकेगा।
- यदि DRC विवाद को सुलझाने में असफल रहती है तो उस विवाद को स्थायी ट्रिब्यूनल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- इस ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य (तीन न्यायिक सदस्य और तीन विशेषज्ञ सदस्य) होंगे।
- ट्रिब्यूनल में विवाद आने पर अध्यक्ष तीन सदस्यीय पीठ का गठन करेगा और वह पीठ जाँच करने से पूर्व DRC की रिपोर्ट पर विचार करेगी।
- उस पीठ को अपना अंतिम फैसला 2 वर्ष के भीतर देना होगा, जिसे एक और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
- ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समान होगा और उसके विरुद्ध अपील करने का भी कोई प्रावधान नहीं होगा।

नोट :

2021 में एकत्रित नहीं किये जाएंगे 'जातिगत' आँकड़े

चर्चा में क्यों ?

द हिंदू समाचार-पत्र द्वारा प्रकाशित एक खबर में यह संभावना व्यक्त की गई है कि वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में 'जातिगत' आँकड़ों को एकत्रित नहीं किया जाएगा।

जातिगत आँकड़े एकत्रित न करने के पीछे तर्क

- भारत में जाति के संदर्भ में अभी तक कोई मानकीकरण नहीं है और इसलिये आँकड़े एकत्र करना काफी मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति यादव जाति से है तो जाति में मानकीकरण न होने के कारण वह फॉर्म में यदु, यदुवंशी या कुछ और भी लिख सकता है, परंतु इससे जातिगत आँकड़ों में अंतर पैदा होता है। कई बार लोग अपनी जाति और अपने गोत्र में भी भ्रमित हो जाते हैं।
- अधिकारियों के अनुसार, जाति के आँकड़ों की गणना करना काफी कठिन होता है, जैसा कि पिछली बार जब ये आँकड़े एकत्रित किये गए थे तो लगभग 40 लाख जातियों के नाम सामने आए थे।
- ऐसे में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्ष 2021 की जनगणना मात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आँकड़ों तक ही सीमित रहेगी।
- गौरतलब है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (Socio Economic Caste Census-SECC) के तहत वर्ष 2011 में एकत्रित किये गए 'जातिगत आँकड़ों' को अभी तक केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है।

मोबाइल एप से होगी वर्ष 2021 की जनगणना:

- भारतीय जनगणना का इतिहास लगभग 140 वर्ष पुराना है, परंतु इस अवधि में यह पहली बार होगा जब जनगणना के आँकड़ों का संग्रहण मोबाईल एप के ज़रिये किया जाएगा।
- इस कार्य के लिये लगभग 33 लाख प्रशिक्षित जनगणना कर्मियों की मदद ली जाएगी।
- आँकड़ों का संग्रहण कागज़ों पर भी किया जा सकता है लेकिन सभी जनगणना कर्मियों के लिये इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना अनिवार्य होगा।
- जनगणना कर्मी वर्ष 2020 में आवासों की सूची बनाने (House Listing) का कार्य शुरू करेंगे और जनगणना का कार्य फरवरी 2021 से शुरू होगा।
- इस जनगणना को वेबसाइट पर तालिकाओं के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

लाभ

- एकत्रित किये गए आँकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में संग्रहीत कर हमेशा के लिये सुरक्षित रखा जा सकता है।
- इसके अलावा जनगणना का डिजिटलीकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने में भी ज़्यादा समय न लगे। ऐसे में यह संभव हो सकता है अधिकांश आँकड़ें वर्ष 2024-2025 तक सामने आ जाएँ।

पृष्ठभूमि

- जनगणना में केवल व्यक्तियों की ही गिनती नहीं होती, बल्कि इससे सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों का भी संग्रह होता है। इसके आधार पर नीतियों का निर्माण होता है और संसाधनों का आवंटन किया जाता है। इसके अलावा जनगणना के आँकड़ों के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों को आरक्षण किया जाता है। अत: यह आवश्यक है कि आँकड़ों के संग्रह में सावधानी बरती जाए और गोपनीयता बनाए रखी जाए।

अभियुक्त को आवाज का नमूना देने का आदेश दिया जा सकता है

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम फैसले में कहा कि एक व्यक्ति को अपराध जाँच के लिये आवाज़ का नमूना देने के लिये मज़बूर (compelled) किया जा सकता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता में एक सदी से अधिक पुराने शून्य को भरने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि एक व्यक्ति को अपराध जाँच के लिये आवाज़ का नमूना देने के लिये विवश किया जा सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत आत्म-दोषारोपण संबंधी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
  - न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 20 (3) पर कोई प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं दिया, जो एक अभियुक्त को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिये मज़बूर होने से बचाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जारी किया है।
- न्यायालय ने संसद से आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अपेक्षित परिवर्तन करने का आह्वान किया है, ऐसा होने तक मजिस्ट्रेट के पास आदेश देने की शक्ति होगी।
- न्यायालय के अनुसार निजता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) को निरपेक्ष नहीं माना जा सकता है और इसे सार्वजनिक हित के लिये सहज होना चाहिये।

अनुच्छेद 142

- जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि।
- अपने न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिये आवश्यक हों और इसके द्वारा दिये गए आदेश सम्पूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होंगे जब तक इससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है।
- संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सम्पूर्ण भारत के लिये ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज़ अथवा स्वयं की अवमानना की जाँच और दंड को सुरक्षित करते हैं।

यह अनुच्छेद इतना महत्त्वपूर्ण क्यों है ?

- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय का वह साधन है जिसके माध्यम से वह ऐसी महत्त्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती हैं।
- दरअसल, जब अनुछेद 142 को संविधान में शामिल किया गया था तो इसे इसलिये वरीयता दी गई थी क्योंकि सभी का यह मानना था कि इससे देश के विभिन्न वंचित वर्गों अथवा पर्यावरण का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड मामले को भी अनुच्छेद 142 से संबंधित बताया था।
  - यह मामला भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में न्यायालय ने यह महसूस किया कि गैस के रिसाव से पीड़ित हज़ारों लोगों के लिये मौज़ूदा कानून से अलग निर्णय देना होगा।
  - इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीड़ितों को 470 मिलियन डॉलर का मुआवज़ा दिलाए जाने के साथ न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि अभी पूर्ण न्याय नहीं हुआ है।
- न्यायालय के अनुसार, सामान्य कानूनों में शामिल की गई सीमाएँ अथवा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों के प्रतिबंध और सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। अपने इस कथन से सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को संसद अथवा विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से सर्वोपरि माना था।
- संयोग से इसी तथ्य को बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' मामले में भी दोहराया गया।
  - इस मामले में यह कहा गया कि इस अनुच्छेद का उपयोग मौज़ूदा कानून को प्रतिस्थापित करने के लिये नहीं, बल्कि एक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है।
- हालाँकि हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे निर्णय दिये हैं जिनमें यह अनुच्छेद उन क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करता है जिन्हें न्यायालय द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से भुला दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 'शक्तियों के पृथक्करण' का सिद्धांत भारतीय संविधान के मूल ढाँचे का एक भाग है।

नोट :

- वस्तुत: इन सभी न्यायिक निर्णयों ने अनुच्छेद 142 के विषय में एक अलग ही विचार दिया। इन मामलों में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को नजरअंदाज किया गया था।
  - दरअसल, यह पाया गया है कि न्यायालय किसी निश्चित मामले में केवल अपना निर्णय सुनाता है परंतु वह उस निर्णय के दीर्घावधिक परिणामों से अनजान रहता है जिनके चलते उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन हो जाता है जो उस वक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है।

यह सत्य है कि अनुच्छेद 142 को संविधान में इस उद्देश्य से शामिल किया गया था कि इससे जनसंख्या के एक बड़े हिस्से तथा वास्तव में राष्ट्र को लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना था कि इससे सभी वंचित वर्गों के दु:ख दूर हो जाएंगे; परंतु यह उचित समय है कि इस अनुच्छेद के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों पर भी गौर किया जाए।

UAPA विधेयक 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्य सभा ने गैर-क़ानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 [Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019] को पारित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह विधेयक गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में संशोधन करता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत जाँच अधिकारी को उन संपत्तियों को जब्त करने से पहले पुलिस महानिदेशालय से मंज़ूरी लेनी होती है, जो आतंकवाद से संबंधित हो सकती हैं। विधेयक के अनुसार, अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है तो ऐसी संपत्ति की जब्ती से पहले NIA के महानिदेशक से पूर्व मंज़ूरी लेनी होगी।
- अधिनियम अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है, अगर वह:
  (i) आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है,
  (ii) आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है,
  (iii) आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या
  (iv) अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल है।

  यह विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि वह समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी निर्दिष्ट कर सकती है।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 [Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967]

- यह कानून भारत की संप्रभुता और एकता को खतरें में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- गैर-कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन कार्यवाहियों से है जो किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
- यह कानून संविधान के अनुछेद-19 द्वारा प्रदत वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्रों के बिना एकत्र होने के अधिकार और संघ बनाने के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करता है।
- राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रवाद पर समिति ने उपरोक्त मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अनुमोदन किया।
- इस कानून में पूर्व में भी वर्ष 2004, 2008 और 2012 में संशोधन किया जा चुका है।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 [Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019] :

- विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जाँच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना तथा आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान करना है।

नोट :

- इस विधेयक का किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन शहरी माओवादियों सहित भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- यह संशोधन उचित प्रक्रिया तथा पर्याप्त सबूत के आधार पर ही किसी को आतंकवादी ठहराने की अनुमति देता है। गिरफ्तारी या ज़मानत प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- यह संशोधन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार देता है जो उसके द्वारा की जा रही जाँच में आतंकवाद से होने वाली आय से बनी हो।
- इस संशोधन में परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (2005) को सेकेंड शिड्यूल में शामिल किया गया है।

संशोधन की आवश्यकता

- वर्तमान में किसी भी कानून में किसी को व्यक्तिगत आतंकवादी कहने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते हैं।
- जब कोई व्यक्ति आतंकी कार्य करता है या आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आतंकवाद को पोषित करता है। वह आतंकवाद को बल देने के लिये धन मुहैया कराता है अथवा आतंकवाद के सिद्धांत को युवाओं के मन में स्थापित करने का काम करता है। ऐसे दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना आवश्यक है।

संशोधन से संबंधित चिंताएँ:

- यह संशोधन सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये बिना आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है जिससे भविष्य में राजनैतिक द्वेष अथवा किसी अन्य दुर्भावना के आधार पर दुरूपयोग की आशंका बनी रहेगी।
- इस संशोधन में आतंकवाद की निश्चित परिभाषा नहीं है, इसका नकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है कि सरकार व कार्यान्वयन एजेंसी आतंकवाद की मनमानी व्याख्या द्वारा किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं।
- इस संशोधन का अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा सकता है।
- यह संशोधन किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने की शक्ति देता है जो किसी आतंकी घटना की निष्पक्ष जाँच को प्रभावित कर सकता है।
- पुलिस राज्य का विषय है परंतु यह संशोधन NIA को संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जो कि राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कमी करता है।

साहित्यिक चोरी रोकने के लिये 'उरकुंड' का प्रयोग

चर्चा में क्यों ?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत के सभी विश्वविद्यालयों को 1 सितंबर, 2019 से स्वीडिश साहित्यिक चोरी रोधी (Anti-Plagiarism) सॉफ्टवेयर 'उरकुंड' (Urkund) की सदस्यता मिलेगी।

प्रमुख बिंदु:

- इस सॉफ्टवेयर का चुनाव वैश्विक टेंडर प्रक्रिया (Global Tender Process) के माध्यम से किया गया है।
- हालाँकि वैश्विक संस्थानों द्वारा 'टर्नटिन' (अमेरिकी साहित्यिक चोरी रोधी सॉफ़्टवेयर) का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसे बिना किसी अतिरिक्त सुविधा के भी 10 गुना महँगा पाया गया।
- साहित्यिक चोरी को रोकने के लिये केंद्र सरकार दोहरा रुख अख्तियार कर रही है:
  - इस प्रक्रिया के पहले हिस्से के रूप में आने वाले वर्षों में यह सॉफ्टवेयर सभी 900 विश्वविद्यालयों में मुफ्त उपलब्ध होगा, जिसमें शिक्षक, छात्र और शोधकर्त्ता आदि शामिल हैं।

नोट :

- दूसरे चरण में केंद्र ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता और साहित्यिक चोरी के रोकथाम) अधिनियम, 2018 को साहित्यिक चोरी के लिये वर्गीकृत सज़ा को निर्धारित करने के लिये अधिसूचित किया है।

नोट: साहित्यिक चोरी का आशय किसी और के साहित्यिक विचारों को खुद के साहित्यिक कार्य के रूप में प्रस्तुत करने से है।

शोध संस्कृति में सुधार के लिये गठित यूजीसी पैनल:

- पी. बालाराम की अध्यक्षता में शोध संस्कृति में सुधार के लिये गठित यूजीसी पैनल ने उल्लेख किया था कि भारतीय शिक्षाविदों ने वर्ष 2010 और वर्ष 2014 के बीच लगभग 11,000 फर्जी पत्रिकाओं में प्रकाशित सभी लेखों में 35% का योगदान दिया था।
- पैनल ने अपने शोध में यह पाया कि उपरोक्त अधिकांश लेख फर्जी इंजीनियरिंग पत्रिकाओं में थे, इसके बाद जैव-चिकित्सा/बायोमेडिसिन और सामाजिक विज्ञान की फर्जी पत्रिकाओं का स्थान था।
- पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, शैक्षिक अनुसंधान के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिये प्राथमिक ज़िम्मेदारी स्वयं संस्थानों को लेनी होगी।
- केंद्र के नियम और कानून मात्र संस्थाओं के नियमों में इज़ाफा कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC)

- 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त, आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है।
- इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलूरू में हैं।

वेतन संहिता विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्य सभा में विचार-विमर्श और बहस के पश्चात् वेतन संहिता विधेयक, 2019 को पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में यह विधेयक कुछ दिन पहले ही पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् यह विधेयक कानून बन जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- चार संहिताओं में यह पहली संहिता है, जो अधिनियम बनने जा रही है। ये चार संहिताएँ हैं :
  - वेतन संहिता,
  - औद्योगिक संबंध संहिता
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा पेशागत सुरक्षा
  - स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता
- इन संहिताओं को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने तैयार किया है। श्रम पर गठित दूसरे राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मंत्रालय ने विभिन्न श्रम कानूनों का इन चार श्रम संहिताओं में समावेश किया है।
- पेशागत सुरक्षा स्वास्थ्य व कार्य-शर्त संहिता को लोकसभा में पेश किया जा चुका है।
- वेतन संहिता एक ऐतिहासिक विधेयक है जो संगठित व असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम वेतन तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की वैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
- वेतन संहिता एक मील का पत्थर है जो देश के प्रत्येक श्रमिक को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगा।

नोट :

- वेतन के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति समान वेतन का निर्धारण करेगी।
- इस समिति में मज़दूर यूनियनों, रोज़गार प्रदान करने वाले संगठनों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति द्वारा एक तकनीकी समिति का भी गठन किया जा सकता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

वर्तमान में 17 श्रम कानून 50 से वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा इनमें से कुछ तो स्वतंत्रता से पहले के दौर के हैं।

- वेतन विधेयक में शामिल किये गए चार अधिनियमों में से वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 स्वतंत्रता से पहले का है तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 भी 71 साल पुराना है। इसके अलावा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 भी इसमें शामिल किया जा रहा है।

- वेतन विधेयक को 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था और वहां से इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था, जिसने 18 दिसंबर, 2018 को अपनी सिफारिशें दे दी थीं।
- स्थायी समिति की 24 सिफारिशों में 17 को सरकार ने स्वीकार कर लिया था।
- संहिता की मुख्य विशेषताएँ
- वेतन संहिता सभी कर्मचारियों के लिये क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिये बिना न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाती है।
  - वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम और वेतन का भुगतान अधिनियम दोनों को एक विशेष वेतन सीमा से कम और अनुसूचित रोज़गारों में नियोजित कामगारों पर ही लागू करने के प्रावधान हैं।
  - इस विधेयक से हर कामगार के लिये भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित होगा और मौजूदा लगभग 40 से 100 प्रतिशत कार्यबल को न्यूनतम मजदूरी के विधायी संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
  - इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिले, जिससे कामगार की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
  - न्यूनतम जीवन यापन की स्थितियों के आधार पर वेतन मिलने से देश में गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 50 करोड़ कामगार इससे लाभान्वित होंगे।
  - इस विधेयक में राज्यों द्वारा कामगारों को वेतन का भुगतान डिजिटल तरीकों से करने की परिकल्पना की गई है।
- विभिन्न श्रम कानूनों में वेतन की 12 परिभाषाएँ हैं, जिन्हें लागू करने में कठिनाइयों के अलावा मुकदमेबाजी को भी बढ़ावा मिलता है।
  - इस परिभाषा को सरल बनाया गया है, जिससे मुकदमेबाजी कम होने और नियोक्ता के लिये इसका अनुपालन सरलता से किये जाने की उम्मीद है।
  - इससे प्रतिष्ठान भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि रजिस्टरों की संख्या, रिटर्न और फॉर्म आदि न केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे जा सकेंगे और उनका रख-रखाव किया जा सकेगा, बल्कि यह भी कल्पना की गई है कि कानूनों के माध्यम से एक से अधिक नमूना (Specimen) निर्धारित नहीं किया जाएगा।
- वर्तमान में अधिकांश राज्यों मेंअलग-अलग न्यूनतम वेतन हैं। वेतन संहिता के माध्यम से न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है।
  - रोज़गार के विभिन्न प्रकारों को अलग करके न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिये एक ही मानदंड बनाया गया है।
  - न्यूनतम वेतन निर्धारण मुख्य रूप से स्थान और कौशल पर आधारित होगा।
  - इससे देश में मौजूद 2000 न्यूनतम वेतन दरों में कटौती होगी और न्यूनतम वेतन की दरों की संख्या कम होगी।
- निरीक्षण प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन किये गए हैं। इनमें वेब आधारित रेंडम कम्प्यूटरीकृत निरीक्षण योजना, अधिकार क्षेत्र मुक्त निरीक्षण, निरीक्षण के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी मांगना और जुर्मानों का संयोजन आदि शामिल हैं।
  - इन सभी परिवर्तनों से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ श्रम कानूनों को लागू करने में सहायता मिलेगी।

नोट :

ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि कम समयावधि के कारण कामगारों के दावों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब सीमा अवधि को बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया है और न्यूनतम वेतन, बोनस, समान वेतन आदि के दावे दाखिल करने को एक समान बनाया गया है। फिलहाल दावों की अवधि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच है।

- इसलिये यह कहा जा सकता है कि न्यूनतम वेतन के वैधानिक संरक्षण करने को सुनिश्चित करने तथा देश के 50 करोड़ कामगारों को समय पर वेतन भुगतान होने के लिये यह एक ऐतिहासिक कदम है।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोक सभा में चर्चा के उपरांत उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 (Consumer Protection Bill, 2019) पारित हो गया।

प्रमुख बिंदु

- इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने के लिये उपभोक्ता प्राधिकरणों की स्थापना करना है जिससे उपभोक्ता के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- केंद्रीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस विधेयक में नियमों को सरल बनाया है।
- विधेयक के पारित होने से उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्राप्त होगा।
- इस विधेयक के माध्यम से सरकार उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के पक्ष में है।
- विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority-CCPA) के गठन का प्रस्ताव है।
  - प्राधिकरण का उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना एवं कार्यान्वयन करना है।
  - प्राधिकरण को शिकायत की जाँच करने और आर्थिक दंड लगाने का अधिकार होगा।
  - यह गलत सूचना देने वाले विज्ञापनों, व्यापार के गलत तरीकों तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का नियमन करेगा।
  - प्राधिकरण को गलतफहमी पैदा करने वाले या झूठे विज्ञापनों के निर्माताओं या उनका समर्थन करने वालों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा दो वर्ष के कारावास का दंड लगाने का अधिकार होगा।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के अधिकार:
  - उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों की जाँच करना।
  - असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना।
  - अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना।
  - भ्रामक विज्ञापनों के निर्माता / समर्थक/ प्रकाशक पर जुर्माना लगाना।
- सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया
  - आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है:
    - जिला आयोग -1 करोड़ रुपए तक।
    - राज्य आयोग- 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक।
    - राष्ट्रीय आयोग -10 करोड़ रुपए से अधिक।
  - दाखिल करने के 21 दिनों के बाद शिकायत की स्वत: स्वीकार्यता।
  - उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने आदेशों को लागू कराने का अधिकार।
  - दूसरे चरण के बाद केवल कानून के सवालों पर अपील का अधिकार।

नोट :

- उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी:
  - निवास स्थान से फाइलिंग की सुविधा।
  - ई- फाइलिंग।
  - सुनवाई के लिये वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा।
- मध्यस्थता
  - एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र।
  - उपभोक्ता फोरम द्वारा मध्यस्थता, जहाँ भी शुरु में ही समाधान की गुंजाइश हो और दोनों पक्ष इसके लिये सहमत हों।
  - मध्यस्थता केंद्रों को उपभोक्ता फोरम से जोड़ा जाएगा।
  - मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले समाधान में अपील की सुविधा नहीं।
- उत्पाद की ज़िम्मेदारी
  - यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता/विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिये ज़िम्मेदार माना जाएगा।
  - दोषपूर्ण उत्पाद का आधार:
    - निर्माण में खराबी।
    - डिज़ाइन में दोष।
    - वास्तविक उत्पाद का उत्पाद की घोषित विशेषताओं से अलग होना।
    - प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना।

विधेयक से उपभोक्ताओं को लाभ

- वर्तमान में न्याय पाने के लिये उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है, जिसमें काफी समय लगता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है।
- भ्रामक विज्ञापनों तथा उत्पादों में मिलावट की रोकथाम के लिये कठोर सज़ा का प्रावधान।
- दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिये निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं पर ज़िम्मेदारी का प्रावधान:
  - उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण।
  - मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के शीघ्र निपटान की गुंजाइश।
  - नए युग के उपभोक्ता मुद्दों- ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिये नियमों का प्रावधान।

मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के विरुद्ध विधेयक

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान विधानसभा ने मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) और ऑनर किलिंग (Honour Killing) के विरुद्ध विधेयक पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस विधेयक के पारित होने से अब राजस्थान में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग, संज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध बन गए हैं।
- राजस्थान में इस अपराध के लिये अब आजीवन कारावास तथा 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है।
- ऑनर किलिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से विधेयक में दोषी के लिये मौत की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है।

क्या होती है मॉब लिंचिंग ?

- जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किये अपराध के लिये या कभी-कभी अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किये भी तत्काल सज़ा दी जाए अथवा उसे पीट-पीट कर मार डाला जाए तो इसे भीड़ द्वारा की गई हिंसा या मॉब लिंचिंग कहते हैं। इस तरह की हिंसा में किसी कानूनी प्रक्रिया या सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता और यह पूर्णत: गैर-कानूनी होती है।

नोट :

क्यों लाया गया विधेयक ?

- देश के वर्तमान परिदृश को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह विधेयक राजस्थान सरकार का एक साहसी कदम है। पहलू खान हत्याकांड राजस्थान में मॉब लिंचिंग का एक बहुचर्चित उदाहरण है, जिसमे कुछ तथाकथित गौ रक्षकों की भीड़ द्वारा गौ तस्करी के झूठे आरोप में पहलू खान की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। यह तो सिर्फ राजस्थान का ही उदाहरण है इसके अतिरिक्त देश के कई अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही घटनाएँ सामने आई थीं। इसके अलावा राजस्थान में ऑनर किलिंग भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और वहाँ आए दिन कोई-न-कोई मामला सामने आता ही रहता हैं जब सम्मान और परंपरा के नाम पर तमाम लोगों की मृत्यु कर दी जाती है।

क्या कहता है राजस्थान का लिंचिंग रोधी विधेयक ?

नए कानून के तहत इस संदर्भ में दर्ज किये गए सभी मामलों की जाँच इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।

- इसके अलावा राज्य का DGP लिंचिंग को रोकने के लिये राज्य समन्वयक (State Coordinator) के रूप में एक IG या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी की नियुक्ति भी करेगा।
- यदि लिंचिंग का शिकार हुए पीड़ित व्यक्ति को 'सामान्य चोटें' या फिर 'गंभीर चोटें' आती हैं तो अभियुक्त को क्रमशः सात दिन या फिर दस साल तक की सज़ा हो सकती है।
- यदि इस हमले के कारण पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो अभियुक्त को उम्रकैद की सज़ा हो सकती है।
- यह विधेयक षड्यंत्रकारियों को भी जवाबदेह बनता है।

इस संदर्भ में अन्य भारतीय कानून:

- भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) में लिंचिंग जैसी घटनाओं के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर किसी तरह का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इन्हें धारा- 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 323 (जान-बूझकर घायल करना), 147-148 (दंगा-फसाद), 149 (आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होना) तथा धारा- 34 (सामान्य आशय) के तहत ही निपटाया जाता है।
- भीड़ द्वारा किसी की हत्या किये जाने पर IPC की धारा 302 और 149 को मिलाकर पढ़ा जाता है और इसी तरह भीड़ द्वारा किसी की हत्या का प्रयास करने पर धारा 307 और 149 को मिलाकर पढ़ा जाता है तथा इसी के तहत कार्यवाही की जाती है।
- IPC की धारा 223A में भी इस तरह के अपराध के लिये उपयुक्त क़ानून के इस्तेमाल की बात कही गई है, सीआरपीसी में भी स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
- भीड़ द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति और उत्प्रेरण सामान्य हत्या से अलग होते हैं, इसके बावजूद भारत में इसके लिये अलग से कोई कानून मौजूद नहीं है।

निष्कर्ष

उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग का हमारे सामाजिक सद्भाव पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिये राजस्थान सरकार की तरह सभी राज्य सरकारों तथा देश की केंद्र सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिये और सामाजिक संतुलन तथा सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने हेतु कुछ कड़े कदम उठाने चाहिये।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 (Motor Vehicles (Amendment) Bill 2019) पारित कर दिया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही इस विधेयक को लोकसभा में भी पारित किया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करके इस विधेयक को पारित किया गया है।

नोट :

- केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह संशोधन विधेयक निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेगा:
- सड़क सुरक्षा में सुधार करना;
  - आम नागरिकों को परिवहन विभाग में कार्य करने हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना;
  - ग्रामीण परिवहन और सार्वजनिक परिवहन को मज़बूत बनाना;
  - देश के प्रत्येक कोने तक आटोमेशन, कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन सेवाओं द्वारा संपर्क व्यवस्था को स्थापित करना।
  - यह विधेयक किसी भी रूप में राज्य सरकार की शक्तियों एवं प्राधिकरणों में हस्तक्षेप नहीं करता है।
- इस विधेयक से देश में प्रभावी, सुरक्षित एवं भष्ट्राचार मुक्त परिवहन प्रणाली स्थापित की जा सकेगी।

विधेयक में किये गए महत्त्वपूर्ण संशोधन

- इस विधेयक को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया गया है:
- सड़क सुरक्षा
  - सड़क सुरक्षा के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को दण्डित करने के लिये जुर्माने में बढोत्तरी का प्रस्ताव किया गया है।
  - नाबालिकों के वाहन चलाने, बिना लाइसेंस के, नशे में वाहन चलाने, गति-सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने, सीमा से अधिक माल ले जाने के संबंध में कठोर प्रावधान किये गए हैं।
  - इससे साथ ही हेलमेट के प्रयोग के संबंध में जारी किये गए नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिये भी कठोर प्रावधान किया गया है।
  - मोटर वाहनों से संबंधित दंड शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- वाहनों की फिटनेस
  - विधेयक में वाहनों के लिये स्वचालित फिटनेस का प्रावधान किया गया है। इससे परिवहन विभाग में भष्ट्राचार कम करने के साथ-साथ वाहनों की सड़क पर चलने की क्षमता में बढोत्तरी होगी।
  - विधेयक में दोषयुक्त वाहनों को अनिवार्य रूप से वापस मंगाने एवं वाहन कंपनियों की अनियमितता की जाँच करने संबंधी शक्तियों का भी प्रावधान किया गया है।
- वाहनों को वापस कंपनी द्वारा मंगाना
  - इस विधेयक में वाहनों में किसी कमी के कारण पर्यावरण, चालक या सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों को होने वाले नुकसान के चलते केंद्र सरकार द्वारा ऐसे वाहनों को कंपनी को वापस भेजने का आदेश देने की अनुमति दी गई है।
- सड़क सुरक्षा बोर्ड
  - विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय रोड सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
  - बोर्ड केंद्र एवं राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा के सभी प्रावधानों और मोटर वाहनों के मानकों, वाहनों के पंजीकरण एवं लाइसेंस, सड़क सुरक्षा के मानकों तथा नई वाहन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के सतह-साथ यातायात प्रबंधन संबंधी विषयों पर सुझाव देगा।
  - दुर्घटना में मदद करने वाले लोगों का संरक्षण
  - सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने के लिये विधेयक में दिशा-निर्देश शामिल किये गए हैं। विधेयक में दुर्घटना के बाद के संवेदनशील समय में नकदी रहित उपचार की योजना का प्रावधान किया गया है।
- तृतीय पक्षीय बीमा
  - विधेयक में चालक के परिचालन को तृतीय पक्ष बीमा में शामिल किया गया है। बीमा राहत राशि में दस गुना बढोत्तरी कर इसे 50 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है।
  - दावा प्रकिया को सरल बनाया गया है।
  - यदि पीड़ित का परिवार 5 लाख रुपए की राहत राशि स्वीकार करने को तैयार हो जाता है तो बीमा फर्म को 1 माह के भीतर दावे का भुगतान करना होगा।

नोट :

- मोटर वाहन दुर्घटना निधि
  - सभी लोगों के लिये अनिवार्य बीमा कवर सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि का गठन किया जाना चाहिये।
- ई-सुशासन द्वारा सेवाओं में सुधार: ई-सुशासन द्वारा सेवाओं में सुधार करना इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य है
  - ऑनलाइन वाहन लाइसेंस का प्रावधान
    - विधेयक में फर्जी वाहन लाइसेंस से बचने के लिये ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस केस के साथ आवश्यक ऑनलाइन पहचान चालक परीक्षण का प्रावधान किया गया है।
  - वाहनों के पंजीकरण की प्रकिया
    - नए वाहनों के पंजीकरण में सुधार करने के लिये डीलर द्वारा पंजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और अस्थायी पंजीकरण पर रोक लगाई जाएगी।

12 मिलियन परिवारों के गरीबी उन्मूलन का प्रयास

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित कौशल आधारित मनरेगा (Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act-MGNREGA) योजना के माध्यम से लगभग 12 मिलियन परिवारों के गरीबी उन्मूलन का प्रयास कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- सरकार मनरेगा के तहत कार्य करने वाले 10 से 12 मिलियन परिवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही टिकाऊ संपति (Durable Assets) के सृजन को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है।

उप-कुशल श्रमिक (semi-skilled)

- उप-कुशल श्रमिक वह श्रमिक होता है जो नियमित प्रकृति (Routine Nature) वाले कार्य करता है परंतु जिसमें वह स्वंय निर्णय लेने के स्थान पर किसी अन्य द्वारा लिये गए निर्णय को लागू करता है।
- जबकि एक कुशल श्रमिक वह होता है जो स्वतंत्र निर्णय लेने और ज़िम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ ही कुशलता से काम करने में सक्षम होता है।
- नियमित प्रकृति (Routine Nature) के कार्यों के अंतर्गत सिक्यूरिटी गार्ड, ड्राईवर, फुटकर विक्रेता आदि कार्य आते है।
- इस पहल के अंतर्गत प्रतिवर्ष मनरेगा के तहत काम करने वाले 50 मिलियन परिवारों में से .4 से .5 मिलियन परिवारों के एक सदस्य को 35-40 दिन का कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें उप -कुशल श्रमिक बनाया जाएगा जिससे वे भविष्य में अकुशल श्रमिक न बने रहें।
- यह प्रशिक्षण मनरेगा के 100 कार्य दिवसों के अधीन ही दिया जाएगा, साथ ही मज़दूरी के नुकसान की भरपाई के लिये वज़ीफा (stipend) भी दिया जाएगा।
- यह प्रशिक्षण दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NLRM), बैंकों द्वारा चलाए जाने वाले स्वरोज़गार कार्यक्रमों, आदि के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- कामगारों को कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) से सलंग्न कर फल वाली फसलों को उगाने, कलम बाँधने (Grafting) और बागवानी करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे मनरेगा के अतिरिक्त भी जीविकोपार्जन कर सकें।
- इस पहल का उद्देश्य अगले 5 से 6 वर्ष में मनरेगा के तहत रोज़गार प्राप्त करने वाले 2 मिलियन परिवारों के कम-से-कम 1 सदस्य को उप-कुशल श्रमिक (semi skilled) बनाना और साथ ही टिकाऊ संपति के सृजन द्वारा 25 लाख परिवारों की आजीविका में सुधार कर गरीबी उन्मूलन करना है।
- यह पहल मनरेगा पर पड़ने वाले कार्य बोझ को कम करने में सहायक साबित होगी।

नोट :

- अभी तक कौशल विकास के लिये मनरेगा के तहत संचालित प्रोजेक्ट लाइफ (LIFE) द्वारा 1.5 से 1.6 मिलियन परिवार लाभान्वित हो चुके है।
- इस पहल के लिये सरकार प्रतिवर्ष 500-1000 करोड़ रुपए कौशल विकास पर खर्च करने की योजना बना रही है। यह केवल उन कामगारों तक सीमित नहीं है जो मनरेगा के तहत 100 दिवस का कार्य पूरा कर चुके हैं।

प्रोजेक्ट लाइफ-मनरेगा Project-Livelihoods In Full Employment (LIFE)-MGNREGA

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2015-16 में मनरेगा के तहत शुरू किया गया।
- इसके तहत 15 से 35 आयु वर्ग के मज़दूरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- यह उन मनरेगा मज़दूरों तक ही सीमित है जो 100 दिवस का काम पूरा कर चुके है।
- इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मनरेगा श्रमिकों के कौशल में सुधार करते हुए आजीविका में सुधार करना है जिससे वे आंशिक रोज़गार के स्थान पर पूर्ण रोज़गार प्राप्त कर सकें।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दूसरा चरण

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana-PMKVY) का अगला चरण वर्ष 2020 से वर्ष 2025 के मध्य पूरा किया जाएगा और केंद्र सरकार ने योजना के इस चरण को राज्य सरकारों की बेहतर भागीदारी और अन्य मंत्रालयों में चल रहे समान कार्यक्रमों के साथ मिलाकर और अधिक व्यापक तथा संगठित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु :

- भारत में लगभग सभी मंत्रालयों द्वारा कौशल विकास के अलग-अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परंतु ये सभी कार्यक्रम किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में ही प्रशिक्षित करने का काम करते हैं।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-MSDE) की स्थापना के पश्चात् केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों की ऐसी योजनाओं को एक छत के नीचे लाने का प्रयास कर रही है।
- अनेक मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रहीं कौशल विकास परियोजनाएँ संरचना, प्रशिक्षण के घंटे और रोज़गार प्रदान करने की भूमिका जैसे कारकों की दृष्टि से कमोबेश समान ही हैं और इतनी समानताओं के कारण यह प्रश्न उठना अनिवार्य है कि इन्हें एक साथ क्यों न रखा जाए?
- इसी के साथ PMKVY के अगले चरण में भिन्न-भिन्न मंत्रालयों को भी महत्त्वपूर्ण भूमिका देने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि अलग-अलग योजनाओं के कार्यान्वन से सभी मंत्रालयों ने काफी अनुभव प्राप्त किया है और यह अनुभव एक बड़ी योजना (PMKVY) के कार्यान्वयन में काफी लाभदायक साबित हो सकता है।
- ज्ञातव्य है कि यह योजना अभी अपने पहले चरण (2016-2020 के बीच) में है और इसके माध्यम से तक़रीबन 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- **क्या है PMKVY?**
  - युवाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था।
  - यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का प्रमुख कार्यक्रम है तथा इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - इस योजना ने पिछली मानक प्रशिक्षण आकलन एवं पारितोषिक (Standard Training Assessment and Reward-STAR) योजना का स्थान लिया था।

नोट :

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के उद्देश्य**
  - बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, रोज़गार प्राप्त करने योग्य बनाकर जीविकोपार्जन के लिये सक्षम बनाना और इसके लिये प्रेरित करना।
  - प्रमाणन प्रक्रिया में मानकीकरण को प्रोत्साहन देना और कौशल पंजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करना।
  - वर्तमान में मौजूद श्रमबल को बढ़ाना और आवश्यकतानुसार लोगों को प्रशिक्षित करना।
- **PMKVY के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ**
  - निजी क्षेत्र की भागीदारी का अभाव : वर्ल्ड बैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में केवल 36 प्रतिशत कंपनियाँ ही अपने कर्मचारियों को औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराती हैं।
  - इस योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिये कौशल विकास के साथ संबंधित क्षेत्र में रोज़गार का सृजन होना भी आवश्यक है।
  - जुलाई 2015 के बाद से नियोजन के निराशाजनक आँकड़े इस योजना की सफलता पर संदेह उत्पन्न करते हैं।

कश्मीर पर UNSC प्रस्ताव 47

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को भंग किये जाने के फैसले के संबंध में पाकिस्तान में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जहाँ एक ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस फैसले को अवैध करार दे रहे है वहीं दूसरी ओर ऐसा कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी एकतरफा कदम विवादित स्थिति को बदल नहीं सकता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) के प्रस्तावों में निहित है। इस समस्त प्रकरण में UNSC प्रस्ताव 47 भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

परिषद प्रस्ताव 47 UNSC Resolution 47

- भारत के इस फैसले के संबंध में पाकिस्तान ने अपनी दलीलों में UNSC के प्रस्ताव 47 का उल्लेख किया है जो जम्मू-कश्मीर राज्य के विवाद के संबंध में भारत सरकार की शिकायत पर केंद्रित है, भारत ने जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद के समक्ष यह प्रस्ताव पेश किया था।
- अक्तूबर 1947 में पाकिस्तानी कबीलाईयों द्वारा आक्रमण किये जाने के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता माँगी तथा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किये।
- कश्मीर में प्रथम युद्ध (1947-1948) के बाद भारत ने कश्मीर विवाद को सुरक्षा परिषद के सदस्यों के मद्देनज़र लाने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपर्क किया।

UNSC के किन सदस्यों ने इस मुद्दे का निरीक्षण किया ?

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने UNSC के स्थायी सदस्यों के साथ छह सदस्यों को शामिल कर जाँच परिषद में विस्तार किया।
- इसमें पाँच स्थाई सदस्यों जिनमें चीन, फ्राँस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस शामिल थे तथा अस्थाई सदस्यों में अर्जेंटीना, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, सीरिया एवं यूक्रेनी सोवियत संघ गणराज्य शामिल थे।

सुरक्षा परिषद में क्या हुआ ?

- भारत जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा जानने हेतु विशिष्ट प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराने तथा उसके परिणामों को स्वीकार करने के लिये तैयार था।
- पाकिस्तान ने इस विवाद में अपनी भागीदारी से इनकार कर दिया तथा भारत को ही इसके लिये ज़िम्मेदार ठहराया।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संघर्ष को रोकने एवं स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जनमत हेतु परिस्थितियाँ तैयार करने का आदेश दिया ताकि यह तय किया जा सके कि जम्मू- कश्मीर का भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ विलय किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को क्या आदेश दिया ?

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को आदिवसियों और अन्य पाकिस्तानी नागरिक, जिन्होंने युद्ध के उद्देश्य से कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया, को वापस बुलाने का आदेश दिया।

नोट :

- इसने पाकिस्तान को भविष्य में घुसपैठ रोकने एवं राज्य में युद्ध करने वाले लोगों को भौतिक सहायता प्रदान नहीं करने का आदेश दिया।
- UNSC ने राज्य के सभी विषयों को पूर्ण स्वतंत्रता दी। पंथ, जाति या राजनितिक दल की परवाह किये बिना अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये भी स्वतंत्रता प्रदान की गई और राज्य को विलय के मुद्दे पर मतदान करने की स्वतंत्रता दी गई।
- पाकिस्तान को शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का भी आदेश दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत को क्या आदेश दिये ?

- इसमें कहा गया कि राज्य से पाकिस्तानी लोगों की वापसी और युद्ध बंद हो जाने के बाद जम्मू-कश्मीर से अपनी सेना वापस बुलाने के लिये UNSC आयोग को एक योजना प्रस्तुत करनी होगी तथा सैन्य शक्ति को उस सीमा तक कम करना होगा जितना कानून और व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक था।
- भारत को आदेश दिया गया कि वह आयोग को उन चरणों से अवगत कराए जो सैन्य बल को कम करने तथा आयोग के परामर्श के बाद शेष सैनिकों की व्यवस्था करने के लिये भारत को अनुपालित करने थे।
- अन्य निर्देशों के साथ भारत को इस बात पर सहमत होने का आदेश दिया गया कि जब तक जनमत संग्रह प्रशासक (Plebiscite Administrator) आवश्यक समझे राज्य के सैन्य बलों और पुलिस को दिशा निर्देश दे सके एवं उनका पर्यवेक्षण करें।
- इन सैन्य बलों को उन क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा जिन पर जनमत प्रशासक की सहमति हो।
- इसने भारत को कानून और व्यवस्था हेतु स्थानीय कर्मियों की भर्ती करने एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का भी निर्देश दिया।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने प्रस्ताव 47 को नकार दिया।
- भारत का तर्क था कि प्रस्ताव में पाकिस्तान द्वारा किये गए सैन्य आक्रमण को नज़रअंदाज़ किया गया, साथ ही दोनों देशों को एक समान राजनयिक आधार पर रखना पाकिस्तान के आक्रामक रवैये को खारिज करता है।
- कश्मीर के महाराजा हरी सिंह द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर किये गए थे, स्पष्ट रूप से इस संदर्भ में भारत के पास वैध अधिकार थे।
- भारत ने इस प्रस्ताव के उस खंड पर भी आपत्ति जताई जिसमें भारत को कश्मीर में सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति न होने की बात कही गई, जबकि भारत अपनी रक्षा रणनीति के दृष्टिकोण इसे आवश्यक मानता था।
- भारत का यह भी मानना था कि जनमत संग्रह के आधार पर सत्ता का निर्धारण राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करेगा।

पाकिस्तान का पक्ष

- भारत का पक्ष यह था कि पाकिस्तान को जनमत संग्रह के संचालन से बाहर रखा जाए।
- दूसरी ओर पाकिस्तान को कश्मीर में न्यूनतम भारतीय सैन्य बलों की उपस्थिति (प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर) पर भी आपत्ति थी।
- पाकिस्तान कश्मीर की राज्य सरकार में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का समान प्रतिनिधित्व चाहता था, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की प्रमुख पार्टी थी।
- प्रस्ताव 47 के प्रावधानों में मतभेदों के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों ने संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्वागत किया और इसके साथ काम करने हेतु सहमति व्यक्त की।

आंध्र प्रदेश के निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिये कोटा तय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बाद वहाँ के निजी उद्योग से जुड़े कई उद्यमियों ने चिंता ज़ाहिर की हैं।

प्रमुख बिंदु :

- निजी उद्यमियों के अनुसार, आंध्र प्रदेश एक नया द्विभाजित राज्य है और यहाँ के स्थानीय लोगों में रोज़गार के लिये आवश्यक कौशल की कमी है।

नोट :

- विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार के इस फैसले से सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा के वे श्रमिक प्रभावित होंगे जो बिजली संयंत्रों, आंध्र प्रदेश के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और पोलावरम जैसी बड़ी परियोजना में कार्यरत हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, राज्य के निजी उद्योगों में 5 लाख से अधिक श्रमिक प्रवासी हैं और आजीविका के उद्देश्य से वहाँ रह रहे हैं।

क्या हैं निर्णय के विपक्ष में तर्क ?

- आंध्र प्रदेश सरकार के इस निर्णय की आलोचना में यह कहा जा रहा है कि "हाल ही में विभाजित हुआ आंध्र प्रदेश, पूर्णत: एक कृषि प्रधान राज्य है और इस प्रकार की किसी भी नीति का बोझ वहन नहीं कर सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार का यह निर्णय भावनात्मक दृष्टिकोण से ज़रूर सही लग सकता है, परंतु यदि व्यवसाय और उद्योग की दृष्टि से देखें तो यह निर्णय राज्य के विकास में बड़ी बाधा है। इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश को बंगलूरू के मॉडल का अनुसरण करना चाहिये, जहाँ राज्य श्रमिक कार्यबल का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा प्रवासियों का है।"

क्या कहते हैं निर्णय के समर्थक ?

- इस निर्णय के समर्थकों का मानना है कि इसके फलस्वरूप राज्य में स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- उनका मानना यह भी है कि इसका प्रभाव बहुत ही कम प्रवासियों पर पड़ेगा, क्योंकि इस प्रस्ताव में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और बाकी 25 प्रतिशत रोज़गार प्रवासियों लिये है।

आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष चुनौतियाँ ?

- निजी उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों का कहना है कि स्थानीय लोग कई उद्योगों जैसे- हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन उद्योग आदि में काम करने के इच्छुक नहीं होते और ऐसे उद्योगों में प्रवासियों का काफी ज़्यादा योगदान (75 से 90 प्रतिशत) है। इस प्रकार इन उद्योगों में कार्य करने के लिये स्थानीय लोगों को प्रेरित करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी।
- इसके अलावा राज्य के सभी लोगों को अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिये प्रशिक्षित करना भी एक चुनौती होगी। सरकार ने उद्योगों को 3 वर्ष का समय दिया है और इस अवधि में सरकार का लक्ष्य राज्य में कार्य करने योग्य लगभग सभी लोगों को आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देना है।

आंध्र प्रदेश का उद्योग/कारखाना अधिनियम, 2019

- इस विधेयक के पारित होने से आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहाँ निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- विधेयक के अनुसार, निजी औद्योगिक नौकरियों में आंध्र प्रदेश के स्थानीय युवाओं के लिये 75% कोटा निर्धारित किया गया है।
- विधेयक में कहा गया है कि यदि किसी औद्योगिक इकाई को कुशल स्थानीय श्रमिक नहीं मिल पाते हैं तो उस औद्योगिक इकाई को राज्य सरकार के सहयोग से स्थानीय लोगों को कार्य के लिये प्रशिक्षित करना होगा।
- सभी उद्योगों को इस कार्य को पूरा करने के लिये 3 वर्ष का समय दिया गया है।

सरदार सरोवर बांध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध में पानी छोड़ने को लेकर विवाद सामने आया है। मध्य प्रदेश ने गुजरात के साथ अपने अधिशेष पानी को साझा करने से इनकार कर दिया है।

सरदार सरोवर बांध:

- सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध चार राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करते है।
- यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्त्वाकांक्षी परियोजना थी जिसकी संकल्पना को वर्ष 1960 के आसपास जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूर्त रूप देने का प्रयास किया, लेकिन इस परियोजना हेतु कोई ठोस कदम नही उठाया जा सका।

नोट :

- वर्ष 1980 के आसपास विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना पर ज़मीनी कार्यवाही प्रारंभ की गई।
- नर्मदा नदी दक्षिण-पश्चिम मालवा पठार के बाद एक लंबे गार्ज का निर्माण करती है। इस गार्ज का विस्तार गुजरात तक है जहाँ सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है।
- बांध के लिये भूमि अधिग्रहण के बाद लोगों के विस्थापन की चिंता को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी शुरुआत हुई।

सरदार सरोवर बांध का महत्त्व:

- बांध से निकली गई नर्मदा नहर के माध्यम से गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल हेतु पानी की की आपूर्ति की जाती है।
- राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के शुष्क क्षेत्रों में भी सिंचाई और पेयजल के लिये नर्मदा नहर से पानी की आपूर्ति की जाती है।
- इस बांध के निर्माण से भरूच आदि ज़िलों में बाढ़ की स्थिति में भी सुधार हुआ है।
- गुजरात सरकार ने नहर के ऊपर सौर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना की घोषणा की है।

वर्तमान परिदृश्य:

- सरदार सरोवर परियोजना में रिवर बेड पावर हाउस (1,200 MW) और कैनाल हेड पावर हाउस (250 MW) नामक दो पावर हाउस शामिल हैं। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को क्रमश: 57:27:16 के अनुपात में बिजली साझा की जाती है।
- रिवर बेड पावर हाउस वर्ष 2017 से ही पानी की कमी के कारण बंद है, इस जलाशय की ऊँचाई 138.63 मीटर है।

गुजरात का पक्ष:

- गुजरात में वर्ष 2017 और 2018 में कम वर्षा हुई इसलिये वह ज़्यादा पानी की मांग कर रहा है।
- गुजरात की मांग है कि जब तक पानी पूर्ण जलाशय स्तर तक नहीं पहुँचता, तब तक उत्पादन नहीं शुरू किया जाएगा; क्योंकि गुजरात के लिये बिजली से ज़्यादा पेयजल और सिंचाई प्राथमिक हैं।
- रिवर बेड पावर हाउस बंद होने पर ही जलाशय भरना संभव है क्योंकि बिजली के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले पानी का पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता तथा इसे समुद्र में बहा दिया जाता है।

मध्य प्रदेश का पक्ष:

- मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वह प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का पालन करने को तैयार है, लेकिन उसने एकतरफा करार पर आपत्ति जताई है।
- मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि पानी का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन करना था साथ ही गुजरात पानी का भंडारण भी कर सकता था।
- मध्य प्रदेश सरकार ने अधूरे नियमों और विनियमों का हवाला देते हुए कहा कि यदि जलाशय का स्तर बढ़ता है, तो पुनर्वासित लोग और भी प्रभावित होंगे।

RACE: राजस्थान का नया उच्चतर शिक्षा मॉडल

चर्चा में क्यों ?

ज़िला स्तर पर सरकारी कॉलेजों के बीच संसाधनों की उपलब्धता को तर्कसंगत बनाने (प्राध्यापकों और चल संपत्ति का उचित वितरण) के उद्देश्य से राजस्थान में एक नया उच्च शिक्षा मॉडल 'उत्कृष्टता के साथ कॉलेजों के लिये संसाधन सहायता' (Resource Assistance for Colleges with Excellence- RACE) शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह मॉडल सुविधाओं के वितरण के लिये एक पूल का निर्माण करेगा जिससे बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले कॉलेज लाभान्वित होंगे।
- नए मॉडल को अपनाने से सभी कॉलेजों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के समान अवसर प्राप्त होंगे।

नोट :

- यह मॉडल छोटे शहरों में स्थित उन कॉलेजों की मदद करेगा जो प्राध्यापकों और बुनियादी ढाँचे की कमी का सामना कर रहे हैं।
- नया मॉडल कॉलेजों की निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावी रूप से विकेंद्रीकृत करेगा और उन्हें ज़िले के भीतर भौतिक एवं मानव संसाधनों को साझा करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- RACE छोटे कॉलेजों को स्वायत्तता देगा और स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करेगा।

प्रक्रिया

- ज़रूरतमंद कॉलेज अपने ज़िले के नोडल कॉलेज को अपनी आवश्यकता के बारे में सूचित करेंगे करेंगे, इसके बाद नोडल कॉलेज आवश्यकतानुसार शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजेगा साथ ही आवेदन करने वाले कॉलेज को प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइब्रेरी, उपकरण और तकनीशियन जैसी सुविधाएँ प्रदान करेगा।

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 (The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2019) पारित किया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ही यह विधेयक लोकसभा द्वारा भी पारित हो चुका है।

प्रमुख बिंदु

- यह नया संशोधन विधेयक सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यवसायों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करता है।
- यह अधिनियम कुछ मामलों में सार्वजनिक परिसरों में अनधिकृत रूप से रहने वालों को बेदखल करने का प्रावधान करता है।

विधेयक के प्रावधान:

- आवासीय व्यवस्था: इसके अंतर्गत 'आवासीय सुविधा/आवास पर कब्ज़ा' को परिभाषित किया गया है।
  - लाइसेंस निश्चित कार्यकाल या अवधि के लिये दिया जाना चाहिये विशेषकर तब तक जब तक व्यक्ति के पास कार्यालय है।
  - केंद्र, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकार या एक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कब्ज़े की अनुमति दी जानी चाहिये (जैसे संसद, सचिवालय, या केंद्र सरकार की कंपनी, या राज्य सरकार से संबंधित परिसर)।
- बेदखली के लिये नोटिस: इस विधेयक में आवासीय सुविधा से बेदखल करने की प्रक्रिया का प्रावधान है।
  - आवासीय संपत्ति पर अनधिकृत कब्ज़े की स्थिति में किसी व्यक्ति को लिखित नोटिस जारी करने के लिये एक संपत्ति अधिकारी (केंद्र सरकार के एक अधिकारी) की आवश्यकता होती है।
  - नोटिस के जवाब में व्यक्ति को तीन कार्य दिवसों के भीतर उसके खिलाफ बेदखली आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिये, इसका कारण बताना अनिवार्य होगा।
- बेदखली का आदेश: नोटिस में दिये गए कारण पर विचार करने और किसी भी अन्य पूछताछ के बाद ही संपत्ति अधिकारी निष्कासन का आदेश देगा।
  - यदि व्यक्ति आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो संपत्ति अधिकारी ऐसे व्यक्ति को आवासीय सुविधा से बेदखल कर सकता है और आवास पर अधिकार कर सकता है।
  - इस प्रयोजन के लिये संपत्ति अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जा सकता है।
- नुकसान का भुगतान: यदि आवासीय व्यवस्था के तहत अनधिकृत कब्ज़े को लेकर व्यक्ति अदालत में संपत्ति अधिकारी द्वारा पारित निष्कासन आदेश को चुनौती देता है, तो उसे हर महीने उचित हर्जाना देना होगा।

नोट :

SBM 2.0

चर्चा में क्यों ?

SBM 2.0 के तहत राज्यों को राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन:

- स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था इसका उद्देश्य अक्तूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना था।
- सरकार इस कार्यक्रम में IEC (Information, Education and Communication) रणनीति के माध्यम से बड़े स्तर पर सार्वजनिक वित्त का प्रयोग कर रही है साथ ही राजगीर प्रशिक्षण इत्यादि पहलों के माध्यम से खुले में शौच मुक्त हेतु संकल्पित है।
- ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट ने सरकार को IEC से BCC (Behaviour Change Communication) दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है।
- जहाँ IEC शौचालयों के उपयोग करने की जानकारी एकत्र करता है वहीं BCC शौचालयों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है जैसे अंतर्निहित कारकों की समीक्षा भी करता है।
- SBM 2.0 के तहत खुले में शौच मुक्त (Open defecation free-ODF) कार्यक्रम की स्थिरता के लिये चार स्तंभों पर प्रकाश डाला गया है-
  - ODF पर सतत् निवेश।
  - मल कीचड़ उपचार संयंत्र (Faecal Sludge Treatment Plant) की प्रत्येक ज़िले में स्थापना जिससे मल कीचड़ को ठीक से प्रबंधित किया जा सके।
  - प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन।
  - गाँवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बुनियादी सुविधा।

राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण: (NARSS)

- राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण शौचालयों तक पहुँच और उपयोग को ट्रैक करता है जिससे स्वच्छ भारत मिशन की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018-19 तक लगभग 93.1% ग्रामीण परिवारों की शौचालयों तक पहुँच है जिनके द्वारा 96.5% शौचालयों का निरंतर उपयोग किया जा रहा है।
- NARSS एक तृतीय पक्षीय सर्वेक्षण है जो विश्व बैंक की सहायता से स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी द्वारा किया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिये पेंशन योजना अर्थात् प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना [Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY)] के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित है।
- पति और पत्नी इस योजना का लाभ अलग-अलग भी उठा सकते हैं।
- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

पात्रता

- 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

नोट :

निश्चित पेंशन राशि

- 60 साल की आयु के पश्चात् किसानों को प्रति माह 3000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान है।

अभिदाता/योगदानकर्त्ता का अंशदान

- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसानों को 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह का योगदान देना होगा। उनके द्वारा किये जाने वाले योगदान की धनराशि का निर्धारण योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर किया जाएगा
  - किसान द्वारा जितनी राशि का योगदान किया जाएगा केंद्र सरकार भी उसके बराबर धनराशि का योगदान करेगी।
  - पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का किसान सीधे पेंशन योजना की योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि लघु और सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers- SMF) की आय में वृद्धि करने के लिये, सरकार ने हाल ही में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना 'प्रधानमंत्री किसान निधि' [Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)] की शुरुआत की है।

पारिवारिक पेंशन: योगदानकर्त्ता की मृत्यु होने पर उसका/उसकी पति/पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

- यदि पति/पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
- यदि पति या पत्नी नहीं है तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
- यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्चात् लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

पेंशन कोष का प्रबंधक

- भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India-LIC) को पेंशन कोष का फंड प्रबंधक नियुक्त किया गया है। निगम पेंशन भुगतान के लिये जवाबदेह होगा।

योजना से बाहर निकलना तथा वापसी

- यदि लाभार्थी कम-से-कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी।
- यदि नियमित भुगतान में विलंब होता है या अल्प समय के लिये भुगतान रूक जाता है तो किसान ब्याज के साथ संपूर्ण पिछले बकाए का भुगतान कर सकते हैं।

साझा सेवा केंद्र

- इस योजना का पंजीकरण साझा सेवा केंद्रों के ज़रिये किया जा रहा है। पंजीयन नि:शुल्क है। सरकार साझा सेवा केंद्रों को प्रति पंजीयन 30 रुपए का भुगतान करेगी।

शिकायत निवारण प्रणाली

- इस योजना के तहत शिकायतों के निवारण हेतु एक शिकायत निवारण व्यवस्था भी बनाई जाएगी जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

पश्चिमी आंचलिक परिषद

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली पश्चिमी आंचलिक परिषद (Western Zonal Council) की 24वीं बैठक 22 अगस्त, 2019 को पंजिम (गोवा) में आयोजित होगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक के एजेंडे में यौन उत्पीड़न के मामलों में तीव्र जाँच, एक व्यापक सुरक्षा योजना और रेलवे स्टेशनों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के तत्त्वावधान में कार्य करने वाली अंतर-राज्य परिषद के सचिवालय में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।
- परिषद की पिछली बैठक अप्रैल, 2018 में गांधीनगर (गुजरात) में तत्कालीन गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी।
- पश्चिमी आंचलिक परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया था।

आंचलिक परिषद

- राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन कानून (States Reorganisation Act), 1956 के अंतर्गत आंचलिक परिषदों का गठन किया गया था।
- आंचलिक परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी मसले पर विचार-विमर्श करें और सिफारिशें दें।
- ये परिषदें आर्थिक और सामाजिक आयोजना, भाषायी अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्य परिवहन जैसे साझा हित के मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दे सकती है।

पाँच आंचलिक परिषदें

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-।।। के तहत पाँच आंचलिक परिषदें स्थापित की गई। इन आंचलिक परिषदों का वर्तमान गठन निम्नवत है:

- उत्तरी आंचलिक परिषद: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ शामिल हैं।
- मध्य आंचलिक परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य हैं।
- पूर्वी आंचलिक परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य हैं।
- पश्चिमी आंचलिक परिषद: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली है।
- दक्षिणी आंचलिक परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी शामिल हैं।

पूर्वोत्तर राज्य अर्थात् (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिज़ोरम (vi) मेघालय और (vii) नगालैंड को आंचलिक परिषदों में शामिल नहीं किया गया है और उनकी विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम (North Eastern Council Act), 1972 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है।

- सिक्किम राज्य को दिनांक 23 दिसंबर, 2002 में अधिसूचित पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत पूर्वोत्तर परिषद में भी शामिल किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सिक्किम को पूर्वी आंचलिक परिषद के सदस्य के रूप में हटाए जाने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरु की गई है।

आंचलिक परिषदों का संगठनात्मक ढाँचा

- अध्यक्ष- केंद्रीय गृह मंत्री।
- उपाध्यक्ष– प्रत्येक आंचलिक परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिये उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- सदस्य– मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित दो अन्य मंत्री और अंचल में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य।
- सलाहकार- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिये योजना आयोग द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया गया, क्षेत्र में शामिल किये गए प्रत्येक राज्यों द्वारा मुख्य सचिवों एवं अन्य अधिकारी/विकास आयुक्त को नामित किया गया।
- आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में भाग लेने के लिये केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है।

नोट :

क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का उद्देश्य

- राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना।
- तीव्र राज्यक संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना।
- केंद्र एवं राज्यों को विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिये सक्षम बनाना।
- विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिये राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना।

परिषदों के कार्य

- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की एक सलाहकारी निकाय होती है और यह किसी भी मामले पर विचार कर सकती है जिसमें उस परिषद में भागीदारी करने वाले कुछेक अथवा समस्त राज्यों या केंद्र एवं उस परिषद में भागीदारी करने वाले एक अथवा अधिक राज्यों का सामान्य हित होता है।
- यह केंद्र सरकार तथा प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार को सलाह देती है कि ऐसे प्रत्येक मामले पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिये।
- विशेष रूप से एक क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित के संबंध में विचार कर सकती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती है:
- आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई मामला।
- सीमा विवादों, भाषायी अल्पसंख्यकों अथवा अंतर-राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई मामला।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अथवा उसके संबंध में उठने वाला कोई मामला।

बांध सुरक्षा विधेयक और उसका विरोध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा में पारित हुए बांध सुरक्षा विधेयक का उद्देश्य देश भर के सभी बांधों के लिये एक समान सुरक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करना है। इस विधेयक के पारित होने से यह उम्मीद की जा रही है कि इसके माध्यम से देश में बांध संबंधी आपदाओं को रोकने के लिये बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

क्या कहता है यह विधेयक ?

- यह विधेयक आपदाओं को रोकने के उद्देश्य से बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन, रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
- यह देश भर के उन सभी बांधों पर लागू होता है जिनकी ऊँचाई 10 मीटर से अधिक है या जिनके पास एक विशेष डिज़ाइन तथा संरचनात्मक स्थिति है।
- यह विधेयक बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (National Committee on Dam Safety-NCDS) के गठन की भी सिफारिश करता है। समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :
  - बांध सुरक्षा मानकों और बांधों में होने वाली घटनाओं की रोकथाम के संबंध में नीतियाँ और नियम तैयार करना।
  - बांधों की विफलता के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करना और बांध सुरक्षा के संदर्भ में अपनाई जा रही प्रक्रिया में परिवर्तन का सुझाव देना।
- इसके अलावा NCDS द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिये राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority) के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
- राज्य स्तर पर बांधों के रखरखाव और उनकी सुरक्षा के लिये राज्य बांध सुरक्षा संगठन के निर्माण का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके काम की समीक्षा के लिये बांध सुरक्षा पर एक राज्य समिति का भी गठन किया जाएगा।

क्यों जरूरी है विधेयक ?

- केंद्र द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश में कुल 5,344 बड़े बांध मौजूद हैं जिसमें से 293 से अधिक बांध 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और 1,041 बांध 50-100 पुराने हैं।
- इन बांधों में से लगभग 92 प्रतिशत बांध अंतर-राज्यीय नदियों पर बने हैं और इनमें से कई पर दुर्घटनाओं के चलते उनके रखरखाव की चिंता पैदा हुई है। उदाहरण के लिये कुछ ही दिनों पहले कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी (महाराष्ट्र) में एक बांध के टूटने के बाद 23 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई।

नोट :

बांध सुरक्षा विधेयक का इतिहास ?

इस विधेयक को पहली बार वर्ष 2010 में संसद में पेश किया गया था, उस समय इस विधेयक को समीक्षा के लिये स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2011 में सौंपी, जिसके बाद यह विधेयक दो बार- 15वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा में विपक्ष के विरोध के चलते पारित नहीं हो पाया।

क्यों हो रहा है इस विधेयक का विरोध ?

- इस संबंध में कई राज्यों का तर्क है कि 'पानी' राज्य सूची का विषय है और केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय एक असंवैधानिक कदम है जिसे किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों जैसे- कर्नाटक, केरल और ओडिशा इस विधेयक का पुरज़ोर विरोध कर रहे हैं। इन राज्यों का कहना है कि यह विधेयक राज्यों की संप्रभुता का अतिक्रमण करता है और संविधान में लिखित संघवाद के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, NCDS के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission-CWC) का भी एक प्रतिनिधि होगा, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि CWC सलाहकार और विनियामक दोनों की भूमिका में होगा और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह अनुचित है।
- तमिलनाडु की मुख्य चिंता विधेयक की धारा 23(1) से जुड़ी है, जिसके अनुसार यदि किसी राज्य के बांध दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो इस स्थिति में राज्य बांध सुरक्षा संगठन का स्थान राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा ले लिया जाएगा ताकि अंतर-राज्य संघर्ष को समाप्त किया जा सके।
- तमिलनाडु को मुख्यत: अपने चार बांधों- मुल्लापेरियार, परम्बिकुलम, थुनक्कडवु और पेरुवरिपल्लम की चिंता है, इन चारों का मालिकाना हक़ तो तमिलनाडु के पास है परंतु ये उसके पड़ोसी राज्य केरल में स्थित हैं।
- गौरतलब है कि वर्तमान में तमिलनाडु के इन बांधों का प्रशासन पहले से मौजूद दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से किया जा रहा है।

सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने ऐसे छह शहरों - भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद की पहचान की है जिन्हें सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर (City Knowledge and Innovation Clusters) के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु :

इस परियोजना का उद्देश्य देश में स्थित तमाम संस्थाओं और शहर या राज्य में स्थित विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत अनुसंधान और ज्ञान के लिये संपर्क स्थापित करना है।

- इसका नेतृत्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार (Principal Scientific Advisor-PSA) द्वारा किया जाएगा।
- इस कार्य के लिये सभी शहरों से संबंधित रूपरेखा तैयार कर ली गई है और कुछ राज्यों में इसकी बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं।
- परियोजना के लिये अब तक भुवनेश्वर में लगभग 20 राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं को और पुणे में 30 अलग-अलग व्यावसायिक उद्यमों को जोड़ा गया है।

महत्त्व :

- भारत के शहरों और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और राजकोषीय संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और यदि इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं को एक मंच प्रदान किया जाए तो हम संसाधनों का कुशल प्रयोग करने में सक्षम हो जाएंगे और साथ ही सभी क्षेत्र एक साझेदार के रूप में कार्य कर पाएंगे।
- उदाहरण के लिये यदि किसी एक विशेष उद्योग में कोई समस्या है जिसे वैज्ञानिकों या किसी प्रयोगशाला में रखे उपकरण के माध्यम से हल किया जा सकता है तो यह परियोजना उस समस्या के निवारण हेतु एक सरल मंच प्रदान करेगी।
- इसके अतिरिक्त यह परियोजना मौजूदा प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्राप्त करने में उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों की सहायता करेगी।

नोट :

- इस कार्य के लिये सभी शहरों में एक नोडल कार्यालय स्थापित किया जाएगा और इस कार्यालय का मुखिया एक सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जिसका चुनाव सभी हितधारकों द्वारा मिलकर किया जाएगा।
- इस संदर्भ में सरकार I-Stemm के नाम से एक वेब पोर्टल की शुरुआत करने की योजना बना रही है। इस पोर्टल में उद्योगों को सभी सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थानों की राष्ट्रव्यापी सूची प्राप्त हो सकेगी। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक कुल 350 संस्थानों ने पंजीकरण किया है।

दूसरे राज्यों के लिये विशेष उपबंध

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने संविधान के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्ज़े को समाप्त कर दिया है। हालाँकि 11 अन्य राज्यों के लिये 'विशेष उपबंधों' की एक शृंखला संविधान का हिस्सा बनी हुई है।

संविधान का भाग XXI

- यह भाग 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध' वाले अनुच्छेद 370 (जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान) के अलावा, अनुच्छेद 371, 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H, 371J को शामिल करता है।
- यह भारतीय संघ के अन्य राज्यों के संबंध में विशेष उपबंधों को परिभाषित करता है।

विशेष उपबंध लेकिन विशेष उपचार नहीं

- ये सभी उपबंध अलग-अलग राज्यों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं तथा विशिष्ट सुरक्षा उपायों की एक विस्तृत शृंखला पर आधारित हैं जिन्हें इन राज्यों के लिये महत्त्वपूर्ण समझा जाता है।
- 371 से 371J अनुच्छेदों की इस शृंखला में अनुच्छेद 371I जो गोवा से संबंधित है, इसका आधार यह है कि इसमें ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसे 'विशेष' कहा जा सके।
- अनुच्छेद 371E, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, भी 'विशेष' नहीं है।
- अनुच्छेद 370 में संशोधन से पूर्व जो विशेष उपबंध थे, स्पष्टतया वे अनुच्छेद 371, 371A से 371H तथा 371J में वर्णित अन्य राज्यों के विशेष उपबंधों की तुलना में बहुत अधिक थे।

जम्मू और कश्मीर के अलावा संविधान द्वारा अन्य राज्यों को निम्नलिखित विशेष प्रावधानों की गारंटी दी गई है:

महाराष्ट्र और गुजरात (Article 371)

राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है-

- विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र तथा गुजरात में सौराष्ट्र एवं कच्छ के लिये 'पृथक् विकास बोर्ड' स्थापित करना।
- उक्त क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय के लिये धन का समान आवंटन और राज्य सरकार के तहत तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाएँ एवं रोज़गार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से समान व्यवस्था सुनिश्चित करना।

नगालैंड (Article 371B, 13th Amendment Act, 1962)

- नगा धर्म या सामाजिक प्रथाओं, नगा प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया, नगा प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णयों के मामलों में संसद कानून नहीं बना सकती है।
- संसद राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
- वर्ष 1960 में केंद्र और नगा पीपुल्स कन्वेंशन के मध्य 16 बिंदुओं के समझौते के बाद संविधान में यह प्रावधान किया गया था जिसके फलस्वरूप वर्ष 1963 में नगालैंड का निर्माण हुआ।
- इसमें त्वेनसांग (Tuensang) ज़िले के लिये 35 सदस्यीय एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान था जो विधानसभा में त्वेनसांग सदस्यों का चयन करेगी।
- त्वेनसांग ज़िले का एक सदस्य त्वेंनसांग मामलों का मंत्री होता है। त्वेनसांग ज़िले के संबंध में अंतिम निर्णय राज्यपाल अपने विवेकानुसार ही लेगा।

नोट :

असम (Article 371B, 22nd Amendment Act, 1969)

- इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से या ऐसे सदस्यों से जिन्हें वह उचित समझता है, एक समिति का गठन कर सकता है।

मणिपुर (Article 371C, 27th Amendment Act, 1971)

- राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधानसभा के लिये चुने गए सदस्यों से एक समिति का गठन कर सकता है एवं इस समिति का उचित संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंप सकता है।
- राज्यपाल, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (अनुच्छेद 371-D, 32वाँ संशोधन अधिनियम, 1973 के स्थान पर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014)।

- राष्ट्रपति को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिये शिक्षा एवं रोज़गार के समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे।
- राष्ट्रपति को राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय काडर के लिये लोक सेवाओं को संगठित किया जा सके तथा किसी भी स्थानीय काडर में आवश्यकतानुसार सीधी भर्ती की जा सके।
- किसी भी शैक्षिक संस्थान में राज्य के किस भाग के छात्रों को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी, यह निर्धारित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है।
- राष्ट्रपति, राज्य में सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की शिकायतों एवं विवादों के निपटान हेतु विशेष प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है। यह अधिकरण लोक सेवाओं में भर्ती, आवंटन, पदोन्नति आदि से संबंधित शिकायतों एवं विवादों की सुनवाई करेगा।
- अनुच्छेद 371E संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है लेकिन वास्तव में यह संविधान के इस भाग में अन्य उपबंधों के अर्थ में एक 'विशेष उपबंध' नहीं है।

सिक्किम (Article 371F, 36th Amendment Act, 1975)

- सिक्किम विधानसभा के सदस्य लोकसभा में सिक्किम के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे।
- सिक्किम की जनसंख्या के विभिन्न अनुभागों के अधिकार एवं हितों की रक्षा के लिये संसद को यह अधिकार दिया गया है कि सिक्किम विधानसभा में कुछ सीटें इन्हीं अनुभागों से आने वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जाएँ, ऐसा प्रावधान कर सके।
- राज्य के राज्यपाल का विशेष दायित्व है कि वह सिक्किम में शांति स्थापित करने की व्यवस्था करे तथा राज्य की जनसंख्या के समान सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये संसाधनों एवं अवसरों का उचित आवंटन सुनिश्चित करे।
- पूर्व के सभी कानून जिनसे सिक्किम का गठन हुआ, जारी रहेंगे और किसी भी अदालत में किसी भी रूपांतरण या संशोधन के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।

मिज़ोरम (Article 371G, 53rd Amendment Act, 1986)

- इस प्रावधान के अनुसार, संसद 'मिज़ो', मिज़ो प्रथागत कानून और प्रक्रिया, धार्मिक एवं सामाजिक न्याय के कानून, मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णयों के मामलों में, भूमि के स्वामित्व एवं हस्तांतरण संबंधी मुद्दों पर कानून नहीं बना सकती जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा करने हेतु प्रस्ताव न दे।

अरुणाचल प्रदेश (Article 371H, 55th Amendment Act, 1986)

- अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पर राज्य में कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है। अपने इस दायित्व का निर्वहन करने में राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद से परामर्श कर व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है तथा उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा और इसके प्रति वह जवाबदेह नहीं होगा।

कर्नाटक (Article 371J, 98th Amendment Act, 2012)

- हैदरबाद-कर्नाटक क्षेत्र हेतु पृथक् विकास बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसकी कार्यप्रणाली से संबंधित रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

नोट :

- उक्त क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय हेतु समान मात्रा में धन आवंटित किया जाएगा और सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में इस क्षेत्र के लोगों को समान अवसर तथा सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में नौकरियों और शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राज्य सरकार के संगठनों में संबंधित व्यक्तियों के लिये जो जन्म या मूल-निवास के संदर्भ में उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, आनुपातिक आधार पर सीटें आरक्षित करने हेतु एक आदेश दिया जा सकता है।

CBI को अधिक स्वायत्तता मिले: मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने CBI को एक कुशल और निष्पक्ष जाँच एजेंसी के रूप में कार्यात्मक बनाने के लिये एक व्यापक कानून के निर्माण के प्रयास किये जाने पर जोर दिया।

मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor General) के समतुल्य कानून के माध्यम से CBI को भी वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिये।
- संगठनात्मक संरचना, कार्यों का चार्टर, शक्तियों की सीमा, संचालन और निरीक्षण से संबंधित कमियों को दूर करने के लिये एक व्यापक कानून के माध्यम से CBI के कानूनी जनादेश को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- इसके अलावा अंतर-राज्यीय अपराधों की बढ़ती घटनाओं का पता लगाने के लिये 'सार्वजनिक व्यवस्था' को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव अपने संवैधानिक अधिकारों के उपयोग से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि CBI बिना किसी भय या पक्षपात के जनहित में कार्य करे।
- फिर भी कई हाई-प्रोफाइल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में एजेंसी न्यायिक जाँच के मानकों को पूरा नहीं कर पाती है।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अनुसार, CBI को जाँच करने के लिये संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, परंतु कभी-कभी निहित स्वार्थ और नौकरशाही की सुस्ती के कारण इस तरह की सहमति को या तो नकार दिया जाता है या फिर काफी देर कर दी जाती है जिसके कारण जाँच नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI):

- CBI, कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख अन्वेषण पुलिस एजेंसी है।
- यह नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल के सदस्य-राष्ट्रों के अन्वेषण का समन्वयन करती है।
- एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी से हटकर CBI एक बहुआयामी, बहु-अनुशासनात्मक केंद्रीय पुलिस, क्षमता, विश्वसनीयता और विधि के शासनादेश का पालन करते हुए जाँच करने वाली एक विधि प्रवर्तन एजेंसी है।

CBI का अधिकार क्षेत्र क्या है ?

- 1946 के अधिनियम की धारा (2) के तहत केवल केंद्रशासित प्रदेशों में अपराधों की जाँच के लिये CBI को शक्ति प्राप्त है। हालाँकि केंद्र द्वारा रेलवे तथा राज्यों जैसे अन्य क्षेत्रों में उनके अनुरोध पर इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। वैसे CBI केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मामलों की जाँच के लिये अधिकृत है।
- कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत CBI से कर सकता है।
- इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों में CBI स्वयं कार्रवाई कर सकती है। जब कोई राज्य केंद्र से CBI की मदद के लिये अनुरोध करता है तो यह आपराधिक मामलों की जाँच करती है या तब जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इसे किसी अपराध या मामले की जाँच करने का निर्देश देते हैं।

नोट :

जम्मू और कश्मीर का परिसीमन

चर्चा में क्यों ?

चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर के नया केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद चुनाव से पहले इसके निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर आंतरिक चर्चा की।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 7 अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही गई थी।
- चुनाव आयोग ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि का मुद्दा एक राजनीतिक निर्णय है लेकिन इसकी प्रक्रिया को परिसीमन आयोग विधि के अनुसार ही पूरा करेगा।
- प्रति निर्वाचन क्षेत्र की औसत निर्वाचक संख्या प्राप्त करने के लिये कुल जनसंख्या को 114 सीटों से विभाजित किया जाएगा। प्रशासनिक इकाइयों के विभाजन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की भी सीमा सुनिश्चित की जाएगी।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया जाएगा।
- अधिनियम यह भी निर्दिष्ट करता है कि परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगा।
- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India):
- भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
- यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
- भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है जिसमें चुनावों के संचालन के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है।
- चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी, 1950 में की गई थी।
- संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं।
- निर्वाचन आयोग में मूलत: केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के ज़रिये 16 अक्तूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया।
- इसके बाद कुछ समय के लिये इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्तूबर, 1993 को इसका तीन सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
- इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है।
- इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और उसके समान ही वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है।
- निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (NEDL)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Medical Research-ICMR) ने देश की पहली राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (National Essential Diagnostics List -NEDL) जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- भारत विश्व का पहला देश है जिसने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार नैदानिक परीक्षणों की सूची जारी की है।

नोट :

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) ने मई 2018 में आवश्यक नैदानिक सूची (EDL) का पहला संस्करण जारी किया। WHO की इस सूची ने NEDL के लिये संदर्भ के रूप में कार्य किया। NEDL को भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता की प्राथमिकताओं के आधार तैयार किया गया है।
- भारत में नैदानिकी को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 (Medical Device Rules, 2017) के नियामक प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।
- नैदानिकी (चिकित्सा उपकरणों व इन विट्रो नैदानिकी), ड्रग और कास्मेटिक अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) तथा ड्रग और कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 (Drugs and Cosmetics Rules 1945) के अधीन ड्रग विनियमन के फ्रेमवर्क द्वारा नियमित होता है।
  - NEDL को ग्रामीण स्तर के साथ ही प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिये भी तैयार किया गया है।
  - यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अलग-अलग स्तरों पर परीक्षणों की विस्तृत रेंज प्रदान करने के लिए नि: शुल्क नैदानिक सेवा पहल (Free Diagnostics Service Initiative-FDI) और स्वास्थ्य मंत्रालय की अन्य नैदानिक पहलों का निर्माण करता है।
  - वर्ष 2015 में FDI को शुरू किया गया।
  - इस पहल के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission-NHM) के माध्यम से सभी राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये नि:शुल्क आवश्यक नैदानिक प्रयोगशाला और रेडियोलोजी उपलब्ध करवाई जा रही है।
  - NEDL में नियमित रोगी देखभाल के परीक्षण करते हुये और संचारी (communicable) और गैर-संचारी (non-communicable) रोगों के निदान के लिए सामान्य प्रयोगशालाओं का एक समूह शामिल है।
  - NEDL विशिष्ट रोगों को उनके रोग बोझ (disease burden) के आधार पर नैदानिक परीक्षणों को शामिल करता है। इन रोगों में वेक्टर जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफलाइटिस), लेप्टोस्पाइरोसिस (Leptospirosis), तपेदिक, हेपेटाइटिस ए, बी सी और ई, एचआईवी, सिफलिस (Syphilis) आदि शामिल है।
- यह प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan mantri janarogya yojna) के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs) जैसे नए कार्यक्रमों के लिये प्रासंगिक परीक्षण को शामिल करता है।
- परीक्षणों के अलावा इन विट्रो नैदानिक उत्पादों (In Vitro Diagnostics-IVD) के लिए भी सिफारिश की गई है।
- नैदानिकी, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ICMR के आकलन के अनुसार राज्यों द्वारा अपनाये जाना, स्थानीय मानक नैदानिक प्रोटोकॉल और उपचार दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्य, अपेक्षित अवसंरचना का प्रावधान, प्रक्रिया और मानव संसाधन, External Quality Control System (EQAS) सहित गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करना आदि NEDL के कार्यान्वयन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ है।

ई- कोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरीदाबाद में अपना पहला आभासी न्यायालय/वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) यानी ई-कोर्ट लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह वर्चुअल कोर्ट पूरे हरियाणा राज्य के ट्रैफिक चालान मामलों को निपटाएगा।
- यह परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के मार्गदर्शन में शुरू की जाएगी।
- आभासी अदालतों के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए बिना ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) के उपयोग से मुकदमे को ऑनलाइन ही निपटा लिया जाएगा।

नोट :

ई-कोर्ट परियोजना

- ई-कोर्ट परियोजना की परिकल्पना 'भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना-2005' के आधार पर की गई थी।
- ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (e-Courts Mission Mode Project), एक पैन-इंडिया प्रोजेक्ट (Pan-India Project) है, जिसकी निगरानी और वित्त पोषण देश भर में ज़िला न्यायालयों के लिये न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

परियोजना की परिकल्पना

- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट लिटिगेंट चार्टर (e-Court Project Litigant's Charter) में विस्तृत रूप में कुशल और समयबद्ध नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करना।
- न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित, स्थापित एवं कार्यान्वित करना।
- अपने हितधारकों तक सूचना की पारदर्शी पहुँच प्रदान करने के लिये प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
- गुणात्मक एवं मात्रात्मक न्यायिक परिणामों में वृद्धि के लिये न्याय प्रणाली को सस्ता, सुलभ, लागत प्रभावी, पूर्वानुमेय, विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाना।

ई- समिति

- ई-समिति एक निकाय है जो तकनीकी संचार एवं प्रबंधन संबंधी परिवर्तनों के लिये सलाह देता है।
- यह भारतीय न्यायपालिका का कम्प्यूटरीकरण कर राष्ट्रीय नीति तैयार करने में सहायता के लिये भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त एक प्रस्ताव के अनुसरण में बनाया गया है।
- ई-समिति की स्थापना वर्ष 2004 में न्यायपालिका में IT के उपयोग तथा प्रशासनिक सुधारों के लिये एक गाइड मैप प्रदान करने के लिये की गई थी।
- ई-समिति के कामकाज से संबंधित सभी व्यय जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों और सहायक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि शामिल हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत बजट से प्रदान किये जाते हैं।

स्वच्छ नगर एप

चर्चा में क्यों ?

कुछ समय पहले केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत की थी जिसकी थीम है 'स्वच्छता हमारा अधिकार है'। मंत्रालय ने अपशिष्ट जल के उपचार हेतु 'स्वच्छ नगर एप' (Swachh Nagar App) और वाटर प्लस (Water+) प्रोटोकॉल भी शुरू किया है जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग का हिस्सा बन जाएंगे।

परिचय

- इस एप की कई विशेषताएँ हैं जैसे- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कचरा संग्रहण कार्य को मार्ग व वाहन की निगरानी के ज़रिये ट्रैक करना, नागरिकों को सूचना देना, उपयोगकर्त्ता शुल्क को ऑनलाइन जमा करना और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का होना।
- इस प्रकार यह एप निगरानी के अभाव में पृथक कचरे के संग्रहण और कचरा वाहनों व कचरा बीनने वालों को ट्रैक करने जैसे प्रभावी कचरा प्रबंधन के रास्ते में आने वाले कई प्रश्नों का समाधान करेगा।
  - यह एप आगरा, पलवल और पोर्ट ब्लेयर में पहले से ही कार्य कर रहा है और अब इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।

वाटर प्लस (Water+) प्रोटोकॉल

- वाटर प्लस प्रोटोकॉल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी करना है कि शहरों और कस्बों के अनुपचारित अपशिष्ट जल को पर्यावरण में निष्काषित नहीं किया जाएगा, ताकि स्वच्छता मूल्य श्रृंखला की स्थिरता को सक्षम बनाया जा सके।
  - यदि कोई शहर 100% अपशिष्ट जल उपचारित करता है और उपचारित अपशिष्ट जल के 10% का उपयोग सुनिश्चित करता है, तो उसे Water+ का टैग दिया जा सकता है।

नोट :

mSBM एप

- इस कार्यक्रम में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त mSBM एप को भी प्रारंभ किया गया, यह एक मोबाइल एप है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने विकसित किया है। यह बैकएंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रारूप का उपयोग करते हुए अपलोड की गई फोटो में लाभार्थी का चेहरा और टॉयलट सीट को पहचानने में मदद करता है।
- यह एप व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिये आवेदकों को फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद SBM-U के तहत उनके आवेदन की स्थिति को रियल टाइम यानी उसी समय जानने की सुविधा देगा।
- यह एप संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के नोडल अधिकारी को आवेदन के सत्यापन और मंज़ूरी में भी मदद करेगा जिससे आवेदकों के लिये प्रक्रिया समय को बहुत अधिक कम किया जा सकेगा।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

- घर, समाज और देश में स्वच्छता को जीवनशैली का अंग बनाने के लिय सार्वभौमिक साफ-सफाई का यह अभियान 2 अक्तूबर, 2014 में शुरू किया गया।
- इस अभियान में दो उप-अभियान शामिल हैं- स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)। इस अभियान में जहाँ ग्रामीण इलाकों के लिये 'पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय' व 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' जुड़े हुए हैं, वहीं शहरों के लिये शहरी विकास मंत्रालय ज़िम्मेदार है।

मिशन का उद्देश्य:

- भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना अर्थात् संपूर्ण देश को खुले में शौच करने से मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित करना, हर घर में शौचालय का निर्माण, जल की आपूर्ति और ठोस व तरल कचरे का उचित तरीके से प्रबंधन करना है।
- इस अभियान में सड़कों और फुटपाथों की सफाई, अनधिकृत क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करना तथा स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के बारे में लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना शामिल हैं।

इस मिशन के 6 प्रमुख घटक हैं:

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
- सामुदायिक शौचालय
- सार्वजनिक शौचालय
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- सूचना और शिक्षित संचार (IEC) तथा सार्वजनिक जागरूकता
- क्षमता निर्माण
  - अगस्त 2019 तक 24 राज्यों और 3,800 से अधिक शहरों को खुले में शौच मुक्त (Open Defecation-Free:ODF) प्रमाणित किया गया है।
  - 98% से अधिक शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है।

केंद्रीय बलों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force-CAPF) के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित कर दी है।

प्रमुख बिंदु:

- मंत्रालय का यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद आया है जिसमें न्यायालय ने सरकार को सभी CAPF कर्मियों के लिये एक निश्चित सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करने को कहा था।

नोट :

- गौरतलब है कि इससे पूर्व सिर्फ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force-CISF) और असम राइफल्स (Assam Rifles) में ही सभी रैंक के अधिकारी एक निश्चित आयु यानी 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति होते थे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त शेष चार बलों यानी केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF), सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force-BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo Tibetan Border Police-ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal) में सेवानिवृत्ति आयु दो श्रेणियों में होती थी।
  - कमांडेंट और उससे नीचे की रैंक पर सेवानिवृत्ति आयु 57 वर्ष थी।
  - वहीं डीआईजी (DIG) और उससे ऊपर के रैंक पर सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी।

आर्थिक सर्वेक्षण और सेवानिवृत्ति आयु:

- आर्थिक सर्वे के मुताबिक, भारत में जीवन प्रत्याशा औसतन 60 वर्ष होने वाली है।
- वहीं बीते कुछ सालों में महिलाओं की उम्र 13.3 और पुरुषों की उम्र 12.5 वर्ष बढ़ गई है।
- सर्वेक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि देश पर बढ़ती हुई जनसंख्या और पेंशन के दबाव को कम करने के लिये रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा देनी चाहिये।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force-CAPF):

- CAPF के अंतर्गत मुख्यत: 5 पुलिस सशस्त्र बल आते हैं।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका रक्षा मंत्रालय से कोई भी संबंध नहीं है।
- राज्य में दंगा फसाद, सीमा पर हुई छोटी-मोटी झड़प और उग्रवाद जैसी समस्याओं से निपटना इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं।
- CAPF का नेतृत्व आर्मी कमांडर के बजाय एक आईपीएस (IPS) अधिकारी करता है।
- CAPF के अंतर्गत मुख्य पुलिस सशस्त्र बल:
  - सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force-BSF)
  - केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF)
  - केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force-CISF)
  - भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo Tibetan Border Police-ITBP)
  - सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal)

निकोटीन जहर के रूप में वर्गीकृत

चर्चा में क्यों ?

कर्नाटक राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के प्रवर्तन को मज़बूत करने के लिये निकोटीन (Nicotine) को कर्नाटक जहर (पॉजिशन एंड सेल) नियम, 2015 [Karnataka Poisons (Possession and Sale) Rules, 2015] के तहत एक जहरीले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है।

- अत्यधिक जहरीले रसायन जो हवा में गैस या वाष्प के रूप में बहुत कम मात्रा में भी उपस्थित होने से जीवन के लिये खतरनाक हो सकते हैं, उन्हें वर्ग A के तहत अधिसूचित किया जाता है।
  - इसके अंतर्गत साइनोजेन (Cyanogen), हाइड्रोसाइनिक एसिड (Hydrocyanic Acid), नाइट्रोजन परॉक्साइड (Nitrogen Peroxide), फॉसजीन (Phosgene) आदि आते हैं।
  - इस संबंध में एक गजट अधिसूचना पिछले महीने प्रकाशित हुई थी तथा नए नियमों को अब कर्नाटक जहर (पॉजिशन एंड सेल) नियम, 2019 [Karnataka Poisons (Possession and Sale) Rules, 2019] कहा जाता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, निकोटीन एक अत्यधिक विषैला और लिपोफिलिक कोलीनर्जिक एल्कालॉइड (Lipophilic Cholinergic Alkaloid) है जो पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र (Parasympathetic Nervous System) को प्रभावित करता है।
- वर्तमान में निकोटीन में कोई पोषक गुण नहीं पाया जाता है तथा इसके गंभीर स्वास्थ्य खतरों और संभावित रूप से जहरीली/विषैली प्रकृति के कारण यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 2,3 एवं 4 के तहत भोजन में उपयोग के लिये निषिद्ध है।
- उल्लेखनीय है कि निकोटीन विषाक्तता के लिये अभी तक कोई भी ज्ञात एंटीडोट (Antidote) नहीं है।
- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट छोटी सी बैटरी से चलने वाले उपकरण हैं जो धूम्रपान करने वालों को तंबाकू के समान अनुभव प्रदान करने के लिये तरल निकोटीन (Liquid Nicotine) को वाष्पित करते हैं।

निकोटीन

- निकोटीन एक प्लांट एल्कलॉइड (Alkaloid) है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है।
- यह तंबाकू के पौधे सहित कई अन्य पौधों में भी पाया जाता है साथ ही इसे कृत्रिम रूप से भी उत्पादित किया जा सकता है।
- निकोटीन में शामक (Sedative) एवं उत्तेजक (Stimulant) दोनों गुण पाए जाते हैं।
- निकोटीन का उपयोग ई-सिगरेट में एक प्रत्यक्ष पदार्थ के रूप में किया जाता है इसमें निकोटीन की मात्रा लगभग 36 मिलीग्राम तक होती है। हालाँकि सिगरेट में भी 1.2 से 1.4 मिलीग्राम तक निकोटीन होता है।
- तंबाकू उत्पादों को चबाने या सूंघने से आमतौर पर धूम्रपान की तुलना में शरीर में अधिक निकोटीन प्रवेश करता है।
- हालाँकि कर्नाटक राज्य सरकार ने जून 2016 में ई-सिगरेट की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर निकोटीन कार्ट्रिज तथा ई-सिगरेट की अवैध बिक्री एवं तस्करी बड़े पैमाने पर जारी है।
- ई-सिगरेट को अक्सर सिगरेट पीने में कटौती करने या पूरी तरह से धूम्रपान करने के तरीके के रूप में विपणन किया जाता है, इसे धूम्रपान छोड़ने के लिये सहायक के रूप में भी बेचा जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट/ई-सिगरेट

- ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम (Electronic Nicotine Delivery System- ENDS) एक बैटरी संचालित डिवाइस है, जो तरल निकोटीन, प्रोपलीन, ग्लाइकॉल, पानी, ग्लिसरीन के मिश्रण को गर्म करके एक एयरोसोल बनाता है, जो एक असली सिगरेट जैसा अनुभव प्रदान करता है।
- यह डिवाइस पहली बार वर्ष 2004 में चीनी बाज़ारों में 'तंबाकू के स्वस्थ विकल्प' के रूप में बेची गई थी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वर्ष 2005 से ही ई-सिगरेट उद्योग एक वैश्विक व्यवसाय बन चुका है। वर्तमान में इसका बाज़ार लगभग 3 अरब डॉलर का है।
- ई-सिगरेट ने अधिक लोगों को धूम्रपान शुरू करने के लिये प्रेरित किया है, क्योंकि इसका प्रचार-प्रसार 'हानिरहित उत्पाद' के रूप में किया जा रहा है। किशोरों के लिये ई-सिगरेट धूम्रपान शुरू करने का एक प्रमुख साधन बन गया है।
- भारत में 30-50% ई-सिगरेट्स ऑनलाइन बिकती हैं और चीन इसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता देश है। भारत में ई-सिगरेट की बिक्री को अभी तक उचित तरीके से विनियमित नहीं किया जा सका है। यही कारण है कि बच्चे और किशोर इसे आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- पंजाब राज्य ने ई-सिगरेट को अवैध घोषित किया है। राज्य का कहना है कि इसमें तरल निकोटीन का प्रयोग किया जाता है, जो वर्तमान में भारत में अपंजीकृत ड्रग के रूप में वर्गीकृत है।
- रिपोर्ट के अनुसार, ई-सिगरेट पीने वाले लोगों में श्वसन और जठरांत्र संबंधी रोग हो जाते हैं।
- स्वास्थ्य विभाग के एक अध्ययन के अनुसार, ई-सिगरेट युवा पीढ़ी को पारंपरिक सिगरेट का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- ऐसे चॉकलेट जिसमें निकोटीन की दो मिलीग्राम मात्रा पाई जाती है, को नशामुक्ति में मदद करने की अनुमति दी गई है। ई-सिगरेट निर्माता अपनी बिक्री के लिये इस क्लॉज का दुरुपयोग करते हैं।

नोट :

ई-शासन पर शिलांग घोषणा पत्र

चर्चा में क्यों ?

8-9 अगस्त, 2019 को शिलांग (मेघालय) में ई-शासन पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान ई-शासन पर शिलांग घोषणा-पत्र (Shillong Declaration) को अंगीकार किया गया।

ई-शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- ई-शासन पर राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & Information Technology- MeitY), भारत सरकार (Government of India) तथा मेघालय सरकार (State Government of Meghalaya) के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms & Public Grievances-DARPG) ने किया।
- ई-शासन पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था– 'डिजिटल इंडिया: सफलता से उत्कृष्टता' (Digital India: Success to Excellence)।

सम्मेलन के दौरान यह संकल्प लिया गया कि-

भारत सरकार और राज्य सरकारें सरकारी सेवाओं के साथ नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिये निम्नलिखित विषयों पर सहयोग करेंगी:

1. भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा भारत एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर (India Enterprise Architecture-IndEA) का समय पर कार्यान्वयन कर सरकारी सेवाओं के साथ नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाना और देश भर में ई-गवर्नमेंट एप्लीकेशनों के बीच अंत:सक्रियता (Interoperability) और एकीकरण (Integration) के लिये एकल साइन-ऑन को बढ़ावा देकर सरकारी सेवाओं के साथ नागरिकों के अनुभव में सुधार करना।
2. उत्तर पूर्वी (पूर्वोत्तर) राज्यों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिये कदम उठाते हुए, ज़मीनी स्तर पर दूरसंचार कनेक्टिविटी के मुद्दों को संबोधित करके और व्यापक दूरसंचार विकास योजना तैयार करना और उसे लागू करना।
3. सफल राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और डोमेन-आधारित परियोजनाओं (Domain-Based Projects) के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामान्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (Common Application Software) के साथ स्थानांतरित करना।
4. सेवा प्रदाता से सेवा सक्षमता के लिये सरकार की भूमिका में एक बड़ा बदलाव करके जीवन सुगमता (Ease of Living) और कारोबार में सुगमता (Ease of Doing Business) सुनिश्चित करना।
5. पूर्वोत्तर राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल की गतिविधियों को बढ़ाने के लिये कदम उठाना और शिलांग में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कौशल केंद्र (Electronics Skill Center) खोलने की संभावना का पता लगाना।
6. ई-ऑफिस के उपयोग को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य सचिवालयों और ज़िला स्तर के कार्यालयों में पेपर के कम प्रयोग को बढ़ावा देना।
7. पूर्वोत्तर भारत में नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिये ई-सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में सुधार करना।
8. भारत को वैश्विक क्लाउड हब के रूप में विकसित करना और डिफ़ॉल्ट रूप से क्लाउड पर सरकारी अनुप्रयोगों एवं डेटाबेस के विकास की सुविधा प्रदान करना।
9. ई-गवर्नेंस का समाधान खोजने के लिये उभरती हुई तकनीकों को अपनाना।
10. स्टार्टअप और स्मार्ट उद्यमिता (Smart Entrepreneurship) के माध्यम से स्मार्ट गाँवों एवं स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ डिजिटल इंडिया परियोजनाओं (Digital India Projects) को बढ़ावा देना।

ई-शासन

ई-शासन में 'ई' का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक से लगाया जाता है। सामान्य रूप से ई-शासन का अर्थ है सरकारी क्रियाकलापों एवं परियोजनाओं आदि में सूचना संचार तकनीकी (ICT) का प्रयोग करते हुए लोक-कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना।

नोट :

ई-शासन के क्षेत्र में भारत सरकार की पहल

- ई-कार्यालय (e-office)
- वीज़ा एवं विदेशी रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग (VFRT)
- UID, पेंशन
- बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस आदि का कंप्यूटरीकरण
- अपराध एवं अपराधियों से संबंधित नेटवर्क की मॉनीटरिंग
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ICT का प्रयोग
- प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना (DBT) का प्रयोग
- 'डिजिटल इंडिया' नामक कार्यक्रम से लोग की ई-साक्षरता को बढ़ावा
- एशिया के देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार भारत को ई-तकनीक के क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है।

ई-गवर्नेंस को लागू करने संबंधी तकनीकी अवसंरचना, महत्त्वपूर्ण मुद्दों की पहचान, कुशल मानव संसाधन एवं ई-साक्षर नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये आवश्यक है कि डिजिटल असमानता को दूर करते हुए सभी को समान सूचना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएं।

NRC की अंतिम सूची

चर्चा में क्यों ?

31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित होने वाला अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) देश में चर्चा का महत्त्वपूर्ण विषय बना हुआ है।

अंतिम NRC संबंधी प्रमुख बिंदु:

- इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि असम में NRC की अंतिम सूची में शामिल नहीं होने वाले लोगों को विदेशी अधिकरण (Foreigners' Tribunal) में उनके बहिष्कार के खिलाफ अपील करने के लिये 120 दिन का समय दिया जाएगा।
  - इस संदर्भ में NRC नियमों के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करने के लिये सिर्फ 60 ही दिन का समय दिया गया है, परंतु अब गृह मंत्रालय इन नियमों में संशोधन पर विचार कर रहा है।
- विदेशी अधिनियम 1946 (Foreigners Act 1946) और विदेशी (ट्रिब्यूनल) के आदेश 1964 (Foreigners (Tribunals) Order 1964) के प्रावधानों के तहत केवल विदेशी ट्रिब्यूनल को ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है।
- अत: सिर्फ NRC में किसी व्यक्ति का नाम शामिल न होने से यह आवश्यक नहीं हो जाता कि वह व्यक्ति विदेशी है।
- हालाँकि NRC का अंतिम प्रकाशन भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) के लिये एक बड़ी कानूनी चुनौती होगी।
- वर्ष 1997 में ECI ने राज्य की मतदाता सूची को संशोधित करते हुए असम के मतदाताओं की एक नई श्रेणी 'डी वोटर' (D Voter) का निर्माण किया था।
  - डी वोटर असम में मतदाताओं की वह श्रेणी है जिनकी नागरिकता या तो संदिग्ध है या विवादास्पद स्थिति में है।
- असम के मतदाताओं की डी वोटर श्रेणी में मौजूद लोग तब तक वहाँ के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते जब तक कि इस संदर्भ में विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश न सुना दिया जाए।

विदेशी अधिकरण (Foreigners' Tribunal):

- विदेशी अधिकरण एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जिसका निर्माण इस विषय पर अपनी राय प्रस्तुत करना है कि क्या कोई व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विदेशी है या नहीं है।

नोट :

- विदेशी अधिकरण का निर्माण उपरोक्त प्रश्न पर विचार करने हेतु आवश्यकतानुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा किया जाता है।
- विदेशी अधिकरण से संपर्क स्थापित करने के लिये एक व्यक्ति को सक्षम बनाने हेतु विदेशी (ट्रिब्यूनल) के आदेश 1964 को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। इससे पूर्व केवल राज्य प्रशासन ही किसी संदिग्ध के विरुद्ध विदेशी अधिकरण में याचिका दायर कर सकता था।

कैसे निर्धारित की जाती है नागरिकता ?

- नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है। किसी भी राज्य की सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था के तहत केवल उन्ही लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो उस राज्य के नागरिक होते हैं।
- विश्व में नागरिकता प्रदान करने के प्रमुखत: दो सिद्धांत होते हैं - 1) जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता और 2) रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता। भारतीय नेतृत्व सदैव ही जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता देने के पक्ष में रहा है, वहीं रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता देने के विचार को भारतीय संविधान सभा ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह भारतीय लोकनीति (Indian Ethos) के विरुद्ध है।
- नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची का विषय है और संसद के विशिष्ट क्षेत्राधिकार के तहत आता है।
- भारतीय संविधान 'नागरिकता' शब्द को परिभाषित नहीं करता, परंतु संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने योग्य लोगों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि संविधान के अन्य प्रावधानों (जो कि 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए) के विपरीत उपरोक्त अनुच्छेदों (5 से 11) को संविधान निर्माण के साथ यानी 26 नवंबर, 1949 को ही लागू कर दिया गया था।

- संविधान लागू होने के पश्चात् दिसंबर 1955 में नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया गया जो सरकार को उन व्यक्तियों की नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार देता है जिनके विषय में कोई संदेह है।
- नागरिकता अधिनियम में अब तक कुल चार बार (वर्ष 1986, 2003, 2005 और 2015) संशोधन किया जा चुका है।

भारतीय नागरिक का निर्धारण

- अनुच्छेद 5 - यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करने हेतु बनाया गया था। इसके तहत भारत में पैदा हुए सभी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी, यहाँ तक कि जो लोग भारत में बसे थे परंतु यहाँ पैदा नहीं हुए थे, उन्हें भी भारत का नागरिक माना गया, क्योंकि उनके माता-पिता भारत में पैदा हुए थे। इसके अलावा वे लोग जो कम-से-कम पाँच वर्षों से भारत में रह रहे थे उन्हें भी भारतीय नागरिकता का हकदार बनाया गया था।
- अनुच्छेद 6 - आज़ादी के पश्चात् हुए विभाजन के कारण कई लोग पाकिस्तान से आकर भारत में बस गए थे। संविधान का अनुच्छेद 6 इस बात की व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके माता-पिता या फिर दादा-दादी भारत में पैदा हुए थे, 19 जुलाई, 1949 से पहले पाकिस्तान से आकर भारत में बसा है तो उसे स्वत: ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।
- अनुच्छेद 7 - यह अनुच्छेद इस बात की व्यवस्था करता है कि जो लोग 1 मार्च, 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, परंतु बाद में पुनर्वास परमिट पर वापस आ गए उन्हें भारतीय नागरिकता मिल सके। यह अधिनियम उन लोगों के लिये अधिक सहानुभूतिपूर्ण था जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान तो चले गए, परंतु उन्होंने जल्द ही लौटने का निर्णय कर लिया था।
- अनुच्छेद 8 - भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, जिसके माता-पिता या दादा-दादी भारत में पैदा हुए थे, खुद को भारतीय भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता देने के लिये पंजीकृत कर सकता है।
- अनुच्छेद 9 - यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उपरोक्त अनुच्छेदों के आधार पर मिली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी।

क्या कहता है नागरिकता अधिनियम 1955 ?

- यह अधिनियम मुख्यत: एक ऐसे अवैध प्रवासी को परिभाषित करता है, जिसने एक वैध पासपोर्ट के बिना भारत में प्रवेश किया हो या वीज़ा परमिट की समाप्ति के बाद देश में रह रहा हो।
- यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है।

नोट :

- इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के भारत का नागरिक बनने के लिये योग्यता संबंधी कुछ मानदंड निर्धारित किये गए हैं: -
  - नागरिकता के आवेदन से पहले व्यक्ति ने लगातार कम-से-कम 12 महीनों तक भारत में निवास किया हो।
  - 12 महीने की अवधि से पहले भी बीते 14 सालों में से 11 साल तक व्यक्ति भारत में रहा हो।

नागरिकता अधिनियम के प्रमुख संशोधन

- 1986 का संशोधन - नागरिकता अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि जो भी लोग भारत में जन्मे हैं वे भारतीय नागरिक होंगे, परंतु 1986 के संशोधन में यह निर्धारित किया गया कि भारतीय नागरिक वे होंगे जो 26 जनवरी, 1950 के बाद तथा 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में पैदा हुए हैं।
- 2003 का संशोधन - बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने उपरोक्त नियमों को और अधिक कठोर बना दिया था। संशोधन के तहत इस बात की व्यवस्था की गई थी कि 4 दिसंबर, 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिये उनके स्वयं के जन्म के अलावा, उनके माता-पिता दोनों या किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इस प्रतिबंधात्मक संशोधन के साथ भारत लगभग रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता देने के सिद्धांत की ओर अग्रसर हो गया था।

क्या है नागरिकता (संशोधन) विधेयक ?

- नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने वाले इस नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 में पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान) से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई अल्पसंख्यकों (मुस्लिम शामिल नहीं) को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है, चाहे उनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ हों या नहीं।
- प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया गया है ताकि वे 11 वर्षों के बजाय 6 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता के पात्र हो सकें। इससे वे 'अवैध प्रवासी' की परिभाषा से बाहर हो जाएंगे।
- यह संशोधन पड़ोसी देशों से आने वाले मुस्लिम लोगों को ही 'अवैध प्रवासी' मानता है, जबकि लगभग अन्य सभी लोगों को इस परिभाषा के दायरे से बाहर कर देता है।

असम के विवाद की जड़ क्या है ?

- 80 के दशक में अखिल असम छात्र संघ (All Assam Students Union-AASU) ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिये एक आंदोलन शुरू किया। AASU के 6 साल के संघर्ष के बाद वर्ष 1985 में असम समझौते (Assam Accord) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- तदनुसार, असम समझौते के तहत 1986 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर उसमें एक नई धारा (6A) जोड़ी गई।
- इस समझौते के तहत 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट का अधिकार देने का फैसला हुआ।
- 1961 से 1971 के बीच आने वाले लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिये गए, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।
- इस समझौते का पैरा 5.8 कहता है: 25 मार्च, 1971 या उसके बाद असम में आने वाले विदेशियों को कानून के अनुसार निष्कासित किया जाएगा।
- असम विवाद पुन: चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है ताकि 1971 के बाद बांग्लादेश से आए सभी लोगों को वापस भेजा जा सके।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC)

- NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
- इसमें केवल उन भारतीयों के नामों को शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। उसके बाद राज्य में पहुँचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।
- NRC उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। NRC की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।

नोट :

शासन निष्ठा: शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिये एक राष्ट्रीय मिशन 'नेशनल इनीसिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलीस्टिक एडवांसमेंट' अर्थात् निष्ठा (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement-NISHTHA) पहल शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ-साथ निष्ठा की वेबसाइट, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्राइमर बुकलेट और एक मोबाइल एप भी लॉन्च की गई है।

उद्देश्य:

- छात्रों में महत्त्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना।

निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा:

- सिखने का परिणाम
- योग्यता-आधारित शिक्षा और परीक्षण
- शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षाशास्त्र
- स्कूली सुरक्षा
- व्यक्तिगत-सामाजिक गुण
- समावेशी शिक्षा
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित शिक्षण-प्रशिक्षण में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग
- योग सहित स्वास्थ्य और कल्याण
- पुस्तकालय, इको-क्लब, युवा क्लब, किचन गार्डन सहित स्कूली शिक्षा में अन्य पहल
- स्कूल नेतृत्व के गुण
- पर्यावरणीय मुद्दे
- प्री-स्कूल, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा (Pre-vocational Education) और स्कूल-आधारित मूल्यांकन
- उद्देश्य: लगभग 42 लाख प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करने के लिये सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों को शामिल करना

लक्ष्य:

- लगभग 42 लाख प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना।
- सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को शामिल करना।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (State Councils of Educational Research and Training-SCERTs) और ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (District Institutes of Education and Training-DIETs) के संकाय सदस्य।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक संसाधन समन्वयक (Block Resource Coordinators) और क्लस्टर संसाधन समन्वयक (Cluster Resource Coordinators) की व्यवस्था करना।

कार्यान्वयन:

- प्रशिक्षण राज्य और संघ शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित किये गए 33120 की रिसोर्स पर्सन्स (Resource Persons-KRPs) और स्टेट रिसोर्स पर्सन्स (State Resource Persons-SRP) द्वारा सीधे तौर आयोजित किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training-NCERT) राष्ट्रीय

नोट :

प्रशिक्षण शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (National Institute of Educational Planning and Administration-NIEPA), केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), नवोदय विद्यालय समिति (NVS), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और गैर-सरकारी संगठन द्वारा चिन्हित किये गए 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन्सद्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

- कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ गतिविधि आधारित मॉड्यूल हैं जिनमें अंतर्निहित निरंतर प्रतिक्रिया तंत्र, ऑनलाइन निगरानी और समर्थन प्रणाली, प्रशिक्षण की आवश्यकता और प्रभाव का विश्लेषण (प्री और पोस्ट प्रशिक्षण) शामिल हैं।
- निष्ठा के लिये प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा CBSE, KVS, NVS, स्कूलों के प्रधानाचार्यों और कैवल्य फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अरबिन्दो सोसाइटी जैसे गैर-सरकारी संगठनों के सुझावों को शामिल करते हुए एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) पर आधारित एक मोबाइल एप और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (Learning Management System-LMS) NCERT द्वारा विकसित किया गया है।

- LMS का उपयोग रिसोर्स पर्सन्स और टीचर्स के पंजीकरण, संसाधनों के प्रसार, ट्रेनिंग गैप और प्रभाव विश्लेषण, निगरानी, सलाह और प्रगति का ऑनलाइन आकलन करने के लिये किया जाएगा।
- सुचारू सुगमता, शिक्षकों की सहायता के लिये डिजिटल सामग्री और प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये इस विशाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम को प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया गया है।

यह विश्व का अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। क्लासरूम ट्रांसजेक्शन्स पर टिकाऊ प्रभाव सुनिश्चित करने के लिये यह एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम में परामर्शदाता के प्रावधान सहित प्रशिक्षण पश्चात हस्तक्षेप सन्निहित है।

सबका विश्वास योजना

चर्चा में क्यों ?

बजट 2019 में वित्त मंत्री ने सबका विश्वास योजना (Sabka Vishwas Scheme) 2019 की घोषणा की थी। केंद्र की इस योजना का उद्देश्य बकाया कर राशि वाले लोगों को आंशिक छूट देना और कर विवाद मामलों का जल्द-से-जल्द निपटारा करना है।

योजना से जुड़ी मुख्य बातें:

- यह योजना 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक कार्यान्वित होगी।
- सरकार को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में करदाता सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर से संबंधित अपने बकाया मामलो के समाधान के लिये इस योजना का लाभ उठाएंगे। गौरतलब है कि ये सभी मामले अब वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) अर्थात् GST के अंतर्गत सम्मिलित हो चुके हैं और इनके समाधान के परिणामस्वरूप करदाता GST पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
- इस योजना के दो प्रमुख भाग है:
  - विवाद समाधान
  - बकाया कर में माफी
- विवाद समाधान का लक्ष्य अब GST में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के बकाया मामलों का समाधान करना है।
- बकाया कर में माफी के तहत करदाता को कुछ निश्चित छूट के साथ बकाया कर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा और करदाता कानून के अंतर्गत किसी भी अन्य प्रभाव से मुक्त रखा जाएगा।
  - योजना का सबसे आकर्षक प्रस्ताव सभी प्रकार के मामलो में बकाया कर से बड़ी राहत के साथ-साथ ब्याज़, जुर्माना और अर्थ दंड में भी पूर्ण राहत देना है।
  - इन सभी मामलो में किसी भी प्रकार का अन्य ब्याज़, जुर्माना और अर्थ दंड नहीं लगाया जाएगा और इसके साथ ही अभियोजन (Prosecution) से भी पूरी छूट मिलेगी।
- योजना के अंतर्गत न्यायिक या अपील में लंबित सभी मामलो में 50 लाख रुपए या इससे कम के मामले में 70 प्रतिशत और 50 लाख रुपए से अधिक के मामलो में 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी।

नोट :

नगालैंड में अलग ध्वज और अलग संविधान की मांग

चर्चा में क्यों ?

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (National Socialist Council of Nagaland) के महासचिव ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि जब तक 'अलग ध्वज और अलग संविधान' जैसे मुख्य मुद्दों को नहीं सुलझाया जाएगा तब तक नगा राजनीतिक मुद्दे का कोई हल निकाल पाना संभव नहीं होगा।

प्रमुख बिंदु:

- हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था, 370 की समाप्ति के साथ ही जम्मू-कश्मीर को अलग ध्वज और संविधान रखने का प्रावधान भी समाप्त हो गया है।
- 370 की समाप्ति के पश्चात् पहली बार नगा चरमपंथी समूह ने यह कहा है कि 22 वर्षों से नगा क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु जो प्रक्रिया चली आ रही है उसके 'सम्मानजनक समाधान' के लिये 'अलग झंडा और संविधान' आवश्यक है।
- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड द्वारा लिखे गए पत्र में वर्ष 2015 में हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (Framework Agreement) के तहत अलग झंडे और संविधान की मांग की गई है।
- पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को लगभग चार साल हो गए हैं, परंतु अभी तक भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है।
- ज्ञातव्य है कि नगा ध्वज और संविधान पर नगा समूहों और केंद्र के बीच सहमति होनी अभी बाकी है। नगा लोग अपने प्रतीकों के प्रति काफी संवेदनशील हैं और इन प्रतीकों को अपनी पहचान तथा गौरव से जुड़ा हुआ मानते हैं।

क्या है नगालैंड की समस्या ?

- पूर्वोत्तर में स्थित नगा समुदाय और नगा संगठन ऐतिहासिक तौर पर नगा बहुल इलाकों को मिलाकर एक ग्रेटर नगालिम राज्य बनाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं।
- 'नगालिम' या ग्रेटर नगा राज्य का उद्देश्य मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के नगा बहुल इलाकों का नगालिम में विलय करना है।
- यह देश की पुरानी समस्याओं में से एक है।
- प्रस्तावित ग्रेटर नगालिम राज्य के गठन की मांग के अनुसार मणिपुर की 60% ज़मीन नगालैंड में जा सकती है।
- मैतेई और कुकी दोनों समुदाय मणिपुर के इलाकों का नगालिम में विलय का विरोध करते हैं।
- अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत सरकार और नगाओं के प्रतिनिधियों के बीच एक नए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे।

फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लागू होने में बाधाएँ

- नगा संगठनों को सरकार बता चुकी है कि उनकी मांगों का समाधान नगालैंड की सीमा के भीतर ही होगा और इसके लिये पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।
- असम सरकार का भी कहना है कि किसी भी कीमत पर राज्य का नक्शा नहीं बदलने दिया जाएगा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा हर हाल में की जाएगी।
- मणिपुर की सरकार का यह मत रहा है कि नगा समस्या के समाधान से राज्य की शांति भंग नहीं होनी चाहिये।
- साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उसे ऐसा कोई समझौता मंज़ूर नहीं होगा जिससे राज्य की सीमा प्रभावित हो।
- दूसरी ओर क्षेत्रीय एकीकरण अर्थात् नगा इलाकों का एकीकरण नहीं होने की स्थिति में नगा विद्रोही गुट किसी प्रकार का समझौता करने के इच्छुक नहीं हैं।
- विभिन्न नगा समूहों में गहरे मतभेद भी रहे हैं, इसलिये किसी समझौते को आगे बढ़ाने में कठिनाई आती है, अतीत में बार-बार ऐसा देखने को मिला है।
- इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में नगा-बहुल क्षेत्रों के एकीकरण की मांग को दूसरे समुदायों से भी चुनौती मिल सकती है।

नोट :

पुलिस व्यवस्था पर सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

कॉमन कॉज़ (Common Cause) और लोकनीति (Lokniti) नामक गैर-सरकारी संगठनों द्वारा देश के 21 राज्यों में किये गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि देश के अधिकतर पुलिस अफसर अत्यधिक कार्यभार, कार्य एवं निजी जीवन के बीच असंतुलन और संसाधनों की कमी के कारण भारी तनाव में हैं।

सर्वेक्षण की मुख्य बातें:

- एक तिहाई पुलिस अफसरों ने यह माना है कि यदि उन्हें समान वेतन और सुविधाओं वाली कोई अन्य नौकरी दी जाए तो वे अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे।
- चार में से तीन पुलिसकर्मियों ने कहा कि कार्यभार के कारण उनके लिये अपने काम को अच्छी तरह से करना मुश्किल हो जाता है और इससे उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।
  - आँकड़ों के अनुसार, एक औसत पुलिस अधिकारी एक दिन में लगभग 14 घंटे कार्य करता है, जबकि मॉडल पुलिस अधिनियम (Model Police Act) सिर्फ 8 घंटों की ड्यूटी की सिफारिश करता है।
  - हर दूसरे पुलिसकर्मी ने सप्ताह में एक भी अवकाश न मिलने की बात कही है।
- कार्य तथा निजी जीवन के बीच असंतुलन के अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को संसाधनों की कमी की समस्या से भी जूझना पड़ता है।
  - कुछ पुलिस स्टेशनों में पीने के पानी, स्वच्छ शौचालय, परिवहन, कर्मचारियों और नियमित खरीद के लिये धन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
  - पुलिसकर्मियों ने बुनियादी तकनीकी सुविधाओं जैसे- कंप्यूटर और भंडारण सुविधा की अनुपस्थिति की भी बात कही है।
- सर्वेक्षण में न्यायिक प्रक्रियाओं के प्रति पुलिस बल में कई लोगों के आकस्मिक (Casual) रवैये पर प्रकाश डाला गया है।
  - लगभग पाँच में से तीन पुलिसकर्मियों का मानना है कि प्राथमिक जाँच रिपोर्ट (First Investigation Report-FIR) दर्ज होने से पहले प्राथमिक जाँच होनी चाहिये, चाहे वह कितना भी गंभीर अपराध क्यों न हो।
    - यह 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के विपरीत है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी पीड़ित द्वारा संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाता है तो पुलिस द्वारा FIR दर्ज करना अनिवार्य है।
  - सर्वेक्षण में शामिल हर तीसरे पुलिस कर्मियों ने सहमति व्यक्त की है कि मामूली अपराधों के लिये पुलिस द्वारा अभियुक्तों को सौंपी गई मामूली सज़ा कानूनी परीक्षण से बेहतर है।
  - सर्वेक्षण में भाग लेने वाले तीन-चौथाई लोगों का मानना है कि पुलिस का अपराधियों के प्रति हिंसक रवैया अपनाना ठीक है।
- सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि पुलिसकर्मियों को शारीरिक मापदंडों, हथियारों और भीड़ नियंत्रण के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है, तथापि अभी तक उन्हें साइबर अपराध या फोरेंसिक तकनीक के मॉड्यूल का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।
- उपरोक्त तथ्यों के कारण ही वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (World Justice Project) द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स (Rule of Law Index) में भारत की रैंकिंग 126 देशों में से 68वीं हैं।

आगे की राह

भारत में पुलिस और न्याय व्यवस्था दिनों-दिन खराब होती जा रही है जिसके कारण इसे जल्द-से-जल्द नए सुधारों की आवश्यकता है। चूँकि पुलिस, कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, इसलिये केंद्र सरकार प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने के लिये सभी राज्यों से आग्रह कर सकती है।

नोट :

स्कूल एजुकेशन 'शगुन'

चर्चा में क्यों ?

28 अगस्त, 2019 को मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में शामिल एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन 'स्कूल एजुकेशन शगुन' (SE ShaGun) की शुरुआत की। इस ऑनलाइन जंक्शन के ज़रिये स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी ऑनलाइन पोर्टल्स और वेबसाइट को जोड़ने की पहल की गई है।

'शगुन' का अर्थ

- 'स्कूल एजुकेशन शगुन' एक ऐसा ही प्लेटफार्म है, जिसके ज़रिये शिक्षा की नींव को मज़बूती मिलेगी। 'शगुन' में 'श' शब्द का आशय 'शाला' से है, जिसका अर्थ स्कूल से है और 'गुन' का तात्पर्य गुणवत्ता से है।

प्रमुख बिंदु

- 1200 केंद्रीय विद्यालयों, 600 नवोदय विद्यालयों, CBSE से जुड़े 18000 स्कूलों, 30 SCERTs और NTCE से जुड़े 19000 संस्थानों की वेबसाइट्स को 'स्कूल एजुकेशन शगुन' पोर्टल से जोड़ा गया है।
- इस ऑनलाइन प्लेटफार्म के ज़रिये 15 लाख स्कूलों, 92 लाख शिक्षकों और करीब 26 करोड़ विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके ज़रिये योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही लोगों को स्कूलों से जुड़ी नई सूचनाएँ भी प्राप्त होंगी।
- इसके साथ ही स्कूल शिक्षा से जुड़े समस्त आँकड़े एक जगह से प्राप्त कर सकेंगे।
- 'स्कूल एजुकेशन शगुन' के ज़रिये विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने के लिये सामग्री मिलेगी, साथ ही उन्हें वीडियो आधारित शिक्षा का अवसर भी मिलेगा। वेबसाइट के ज़रिये यह भी जाना जा सकता है कि आपके क्षेत्र में कौन-कौन से स्कूल हैं और वे क्या-क्या सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं।

'एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि'

- इसके अलावा मंत्रालय द्वारा 'एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि' (Integrated National School Education Treasury-INSET) बनाने की भी घोषणा की गई, जिसके ज़रिये विद्यार्थियों, शिक्षकों ओर स्कूलों से जुड़ी तमाम सूचनाएँ एक मंच से मिल सकेंगी।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

- हितधारकों के फीडबैक के माध्यम से इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन (Integrated Online Junction) के डेटा को सुदृढ़ बनाना।
- ऐसी वेबसाइटों, पोर्टल्स और एप्लीकेशनों के मध्य पूर्ण अंतर-संचालन सुनिश्चित करना जिन्हें पहले से ही जंक्शन में होस्ट किया जा चुका हैं।
- उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री तैयार करना, जिसमें सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिये क्विज़ और पहेलियाँ भी शामिल हो।

गिरमिटिया मज़दूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition) का आयोजन किया गया।

- ज्ञातव्य है कि वर्ष 1998 में यूनेस्को (UNESCO) ने 23 अगस्त को इस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

संदर्भ

- गिरमिटिया मज़दूरों और बंधुआ मज़दूरों का प्रवासन भारतीय इतिहास का सबसे कम चर्चित विषय रहा है।
- महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के दबाव के बाद ब्रिटिश भारत की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (Imperial Legislative Council) द्वारा 1917 में आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित किये जाने के बावजूद भी भारत में बंधुआ मज़दूरी (जो 1834 में शुरू हुई थी) वर्ष 1922 तक चलती रही।

नोट :

गिरमिटिया मज़दूरी - ऐतिहासिक नज़र से

- 1820 के दशक में यूरोप में एक नए तरह के उदार मानवतावाद ने जन्म लिया जिसमें दास प्रथा को अमानवीय माना जाने लगा। इसके पश्चात् 1830-1860 के बीच ब्रिटिश, फ्राँसीसी और पुर्तगालियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में गुलामी पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया।
- परंतु कुछ विचारकों का मानना है कि उपनिवेशवादियों ने गुलामी को सिर्फ इस कारण प्रतिबंधित किया ताकि वे एक नई प्रथा 'गिरमिटिया मज़दूरी' के साथ इसे प्रतिस्थापित कर सकें।
- ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तक हो रहा था और उन्हें नए श्रमिकों की आवश्यकता थी, लेकिन दासता या दास प्रथा को अमानवीय करार दे दिया गया था, जिसके कारण अनुबंध श्रम की एक नई अवधारणा का विकास हुआ।
- भारत से गिरमिटिया मज़दूरों के प्रवासन की शुरुआत दास या गुलाम प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् कैरेबियाई क्षेत्र में ब्रिटिशों द्वारा स्थापित चीनी और रबड़ के बागानों को चलाने के लिये की गई थी।
- गिरमिटिया मज़दूरी के प्रचलन ने कैरेबियाई क्षेत्र सहित फिजी, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में भारतीय प्रवासियों की विशाल विरासत का विकास किया।
- गिरमिटिया मज़दूरों को मासिक आधार पर मज़दूरी का भुगतान किया जाता था और वे उन्हीं बागानों में रहते थे जहाँ वे कार्य करते थे।
- गिरमिटिया मज़दूरी की शर्तों में यह लिखा होता था, कि कोई भी पुरुष अपनी मज़दूरी की 10 वर्षीय अवधि को पूरा करने के बाद अपने देश वापस लौट सकता है, परंतु ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि कोई भी मज़दूर वापस लौटे क्योंकि इससे उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता था और इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने पारिवारिक प्रवासन को प्रोत्साहित किया जिसका परिणाम यह हुआ कि कई गिरमिटिया मज़दूर उसी देश में बस गए जहाँ उन्हें काम के लिये ले जाया गया था।

गुलामी थी गिरमिटिया मज़दूरी

- ब्रिटिश इतिहासकार ह्यूग टिंकर (Hugh Tinker) जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान गुलामी जैसे विषय पर काफी शोध किया, ने गिरमिटिया मज़दूरी को "एक नए प्रकार की गुलामी" के रूप में परिभाषित किया था।
- हालाँकि ब्रिटिश साम्राज्य ने गिरमिटिया मज़दूरी को गुलामी से अलग करने के काफी प्रयास किये और इसे 'समझौते' के रूप में प्रदर्शित किया।
- ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया मज़दूरी के लिये मुख्यत: उन युवाओं और पुरुषों को भर्ती किया जो क्षेत्रीय स्तर पर कृषि के पतन से प्रभावित थे या किसी अन्य आपदा के शिकार हुए थे, क्योंकि खराब आर्थिक स्थिति के कारण ये लोग अफसरों की बातों में आसानी से आ जाते थे।
- आमतौर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरमिटिया मज़दूरों को उनके कार्य की प्रकृति, वेतन, रहने का स्थान और स्थिति आदि के बारे में गुमराह किया जाता था।
- इसके अलावा प्रवासियों को कार्यस्थल पर काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा की कमी थी।

गिरमिटिया मज़दूरों का अन्य उपनिवेशों पर प्रभाव

- भारत से जो भी मज़दूर अन्य देशों में भेजे गए वे अपने साथ अपनी संस्कृति को भी भाषा, भोजन और संगीत के माध्यम से वहाँ ले गए।
- जब वे इन उपनिवेशों में पहुँचे तो उन्होंने एक अनूठे सामाजिक-सांस्कृतिक पारिस्थितिक तंत्र (Socio-Cultural Ecosystems) का निर्माण किया, जबकि उन्हें अपने कार्य स्थलों से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी।
- मॉरीशस, सूरीनाम और फिजी में स्थानीय लोगों ने इन भारतीय प्रवासियों का काफी विरोध किया क्योंकि गिरमिटिया मज़दूर बहुत मेहनती थे जिसके कारण बागान के मालिक भी उन्हीं को प्राथमिकता देते थे।
- अपनी मज़दूरी की शर्तों को पूरा करने के बाद कुछ गिरमिटिया मज़दूर वापस भारत लौट आए, जबकि अधिकतर लोग वहीं रह गए।
- इन लोगों के वापस न आने का प्रमुख कारण यह था कि उन्होंने अपने जीवन और परिवार को इन उपनिवेशों में दोबारा बसा लिया था और गरीबी के कारण पुन: किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना उनके लिये काफी मुश्किल था।
- मॉरीशस में कई प्रवासियों, जिन्होंने अपनी मासिक मज़दूरी बचाई थी, ने अपनी कार्य संबंधी शर्तों को समाप्त करने के बाद ज़मीन के छोटे भूखंड खरीदे और स्वयं भूस्वामी बन गए।

नोट :

टीबी के विरुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान

चर्चा में क्यों ?

तपेदिक (टीबी) के खिलाफ लड़ाई में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) प्रौद्योगिकी के प्रयोग के तरीके खोजने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय टीबी विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Wadhwani Institute for Artificial Intelligence) के साथ समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding-MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस सहभागिता में वाधवानी AI राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये तैयार करेगा, जिसमें इसे विकसित करना, मार्गदर्शन करना और AI आधारित समाधान को विस्तार देना शामिल है।
- यह इस कार्यक्रम को अतिसंवेदनशीलता और हॉट-स्पॉट मैपिंग में मदद देगा।
- स्क्रीनिंग एवं डायग्नोस्टिक्स के नए तरीकों के प्रतिरूपण और ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने में RNTCP (Revised National Tuberculosis Control Program) का साथ देने के साथ-साथ देखभाल करने वालों को फैसला लेने में सहायता उपलब्ध कराएगा।

तपेदिक (TB) क्या है ?

- इस रोग को 'क्षय रोग' या 'राजयक्ष्मा' के नाम से भी जाना जाता है। यह 'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस' नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला संक्रामक एवं घातक रोग है। सामान्य तौर पर यह केवल फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी है, परंतु यह मानव-शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती है।

भारत की प्रतिबद्धता

- भारत में तपेदिक उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के 4 स्तंभ हैं, जो तपेदिक नियंत्रण के लिये प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिन्हें "पता लगाना, इलाज, रचना और रोकथाम" नाम दिया गया है।

संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)

- 26 मार्च, 1997 को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) को डॉट्स प्रणाली के साथ शुरू किया गया।
- यह कार्यक्रम देश के लिये बहुत अच्छा रहा, इसमें इलाज का औसत 85 प्रतिशत रहा और मृत्युदर घटकर पाँच प्रतिशत से भी कम हो गई। 90 प्रतिशत नए स्मीयर रोगियों को डॉट्स (DOTS) के तहत निगरानी में रखा गया।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रतिमाह 1 लाख से भी अधिक रोगियों का इलाज कर, अब तक करीब 15.75 लाख से अधिक लोगों को इस रोग से बचाया जा सका है। वर्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सप्ताह में तीन दिन दी जाने वाली खुराक के स्थान पर इसे प्रतिदिन देना निर्धारित किया गया है जिसका लक्ष्य टीबी रोगियों को इथैन ब्यूटॉल की प्रतिदिन एक निश्चित खुराक देकर इस रोग पर नियंत्रण पाना है।
- परंतु, इस कार्यक्रम की भी कुछ सीमाएँ हैं, जिनमें पहली, चूँकि खाँसी कई रोगों का एक बेहद सामान्य लक्षण है इसलिये चिकित्सक तब तक इसकी पहचान टीबी के रूप में नहीं करते जब तक अन्य उपचार विफल नहीं हो जाते हैं।
- जब तक मरीज़ का परीक्षण होता है और वह उपचार लेता है तब तक रोग का संचरण और अधिक व्यक्तियों तक हो चुका होता है।
- दूसरी, लोगों द्वारा इलाज में लापरवाही बरतना, जिस कारण रोगों के रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं और यह सामान्य टीबी से MDR और XDR तक बढ़ जाती है। इसी कारण अभी तक इस रोग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं किया जा सका है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई तकनीक को अपनाने में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम आगे आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हेल्थकेयर क्षेत्र को एक अलग अवसर प्रदान कर रहा है, इसमें दक्षता ला रहा है। इससे संसाधनों की बचत हो रही है और गुणवत्ता वाली सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाने एवं जाँच में सटीकता लाने में मदद मिल रही है। इस क्षेत्र में इसके उपयोग से काफी अच्छे नतीजे आने की संभावना है, खासकर ऐसे परिस्थिति में, जहाँ संसाधन सीमित हैं। भारत वैश्विक सतत् विकास लक्ष्य से पाँच साल पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिये प्रतिबद्ध है।

नोट :

पश्चिम बंगाल का लिंचिंग विरोधी विधेयक

चर्चा में क्यों ?

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने भीड़ के हमले और हिंसा को रोकने तथा इस संदर्भ में दंड का प्रावधान करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल (लिंचिंग रोकथाम) विधेयक, 2019 [The West Bengal (Prevention of Lynching) Bill, 2019] विधेयक पारित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- पश्चिम बंगाल (लिंचिंग रोकथाम) विधेयक, 2019 में किसी व्यक्ति को घायल करने वालों को तीन साल से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है और यदि लिंचिंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड या कठोर आजीवन कारावास का प्रावधान भी है।
- हाल ही में राजस्थान ने भी लिंचिंग को रोकने के विरुद्ध एक विधेयक पारित किया था।
- भारत में लिंचिंग के विरुद्ध पहला विधेयक मणिपुर ने पास किया था।
- 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिंचिंग पर अंकुश लगाने के लिये दिशा-निर्देश जारी किए थे।

लिंचिंग रोकथाम हेतु सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

- DSP स्तर का अधिकारी भीड़ द्वारा की गई हिंसा की जाँच करेगा और लिंचिंग को रोकने में सहयोग करेगा।
- एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जो ऐसे लोगों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करेगा जो इस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं या फेक न्यूज़ फैला रहे हैं।
- राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ लिंचिंग की घटनाएँ हुई हैं और इस संदर्भ में पाँच साल के आँकड़े एकत्रित करे। केंद्र और राज्य आपस में समन्वय स्थापित करें। साथ ही सरकार भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ जागरूकता का प्रसार करे।
- ऐसे मामलों में IPC की धारा 153A या अन्य धाराओं में तुरंत केस दर्ज हो तथा चार्जशीट दाखिल हो एवं नोडल अधिकारी इसकी निगरानी करे।
- राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत भीड़ हिंसा से पीड़ितों के लिये मुआवज़े की योजना बनाए और चोट की गंभीरता के अनुसार मुआवज़ा राशि तय करे।
- ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और संबंधित धारा में ट्रायल कोर्ट अधिकतम सज़ा दे।
- लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए।

क्या होती है मॉब लिंचिंग ?

- जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किये अपराध के लिये या कभी-कभी अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किये भी तत्काल सज़ा दी जाए अथवा उसे पीट-पीट कर मार डाला जाए तो इसे भीड़ द्वारा की गई हिंसा या मॉब लिंचिंग कहते हैं। इस तरह की हिंसा में किसी कानूनी प्रक्रिया या सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता और यह पूर्णत: गैर-कानूनी होती है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

विश्व बैंक के वर्ष 2018 के आँकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2.73 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विदित हो कि वर्ष 2017 के आँकड़ों के अनुसार भारत का स्थान छठा था।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2017 के आँकड़ों में भारत को छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया था, लेकिन नवीनतम आँकड़ों के अनुसार उस वर्ष भारत वास्तव में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था।
- वर्ष 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2.65 ट्रिलियन डॉलर था, वहीं ब्रिटेन और फ्राँस की अर्थव्यवस्था का आकार क्रमश: 2.64 ट्रिलियन डॉलर और 2.59 ट्रिलियन डॉलर था।
- भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2017 में 15.72% की तुलना में वर्ष 2018 में डॉलर के संदर्भ मंर मात्र 3.01% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
- दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 0.75% के संकुचन के साथ 6.81% बढ़ी और फ्राँस की अर्थव्यवस्था 4.85% की तुलना में 7.33% बढ़ी।
- अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार की स्थिति के लिये डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की अस्थिरता को ज़िम्मेदार ठहराया।
- भारत की अर्थव्यवस्था रुपए के संदर्भ में वर्ष 2017-18 की 11.3% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2018-19 में 11.2% रह गई।
- IHS मार्किट (Markit) की हालिया रिपोर्ट ने भारत की अर्थव्यवस्था के इस वर्ष विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना व्यक्त की है। इस प्रकार भारत, ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा।
- इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की क्षमता के साथ जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
- वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिये आर्थिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि भारत को एक वर्ष में चालू कीमतों (Current Prices) पर 12% की वृद्धि करनी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक की मुद्रास्फीति की वृद्धि दर के अनुमानों को 4% मानते हुए सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिर कीमतों (Constant Prices) में 8% की वृद्धि की आवश्यकता होगी।
- स्थिर कीमतों (Constant Prices) पर भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2018-19 के दौरान 6.8% की वृद्धि देखी गई है। चालू वित्त वर्ष में स्थिर कीमतों में 7% तक की वृद्धि का अनुमान है।

विकास दर

- भारत की विकास दर वर्ष 2018-19 में 6.8% रही। वर्ष 2017-2018 के दौरान भारत की विकास दर 7.2%थी।
- वैश्विक स्तर पर विकास दर वर्ष 2017-18 के दौरान 3.8% थी, जो 2018-19 के दौरान घटकर 3.6% हो गई।
- यह वैश्विक गिरावट उभरते बाज़ार और विकासशील देशों में मंदी, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार, चीन की कठोर ऋण नीति और अधिकांश उन्नत देशों में मौद्रिक नीति सामान्य होने के पश्चात् आई है।

भारत की विकास दर कम होने के कारण

- भारत की विकास दर में कमी कृषि, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, लोक प्रशासन और रक्षा के क्षेत्रों में कम वृद्धि के कारण हुई।
- रबी फसल के दौरान कम फसल क्षेत्र का उपयोग हुआ, साथ ही खाद्यान्नों कीमतों में कमी आने के कारण किसानों ने कम फसल उपजाई।

नोट :

- चुनाव प्रक्रिया ने भी भारत की विकास दर को प्रभावित किया।
- कृषि और उद्योग क्षेत्रों में शुरुआती तिमाहियों के बाद अंतिम तिमाहियों में वृद्धि दर कम हो गई।
- विनिर्माण क्षेत्र ऑटो क्षेत्र की मंदी के कारण प्रभावित हुआ और अंतत: विनिर्माण क्षेत्र ने उद्योग क्षेत्रों को भी प्रभावित किया।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्षेत्र में दबाव ने भी उपभोग वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उपभोग की कमी ने विकास दर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।
- भारत का चालू खाता घाटा वर्ष 2017-18 में GDP के 1.9% से बढ़कर दिसंबर 2018 में 2.6% पर आ गया। चालू खाता घाटा बढ़ने का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि थी।
- भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2017-18 में 162.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 184 बिलियन डॉलर हो गया।
- बैंकिंग क्षेत्र में दोहरी बैलेंस शीट समस्या ने भी कॉर्पोरेट क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

उपरोक्त कारणों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी रही; लेकिन भारत की विकास दर को प्रभावित करने वाले ये कारण अस्थायी प्रकृति के हैं। इसलिये जल्द ही इन समस्याओं के निदान के बाद भारत वर्ष 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा।

पोषक तत्त्वों पर आधारित उर्वरक सब्सिडी

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2019-20 के लिए फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों के लिये पोषण आधारित सब्सिडी (NBS) दरों के निर्धारण हेतु उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- NBS में अनुमोदित दरें नाइट्रोजन के लिये 18.90 रुपए प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस के लिये 15.21 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश के लिये 11.12 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर के लिये 3.56 रुपये प्रति किलोग्राम होंगी।
- इससे विनिर्माता और आयातक उर्वरकों और उर्वरक सामग्रियों के लिये आपूर्ति अनुबंध देने में और वर्ष 2019-20 के दौरान किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में समर्थ होंगे।
- पोटाश और फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों पर वर्ष 2019-20 के दौरान सब्सिडी जारी करने के लिये अनुमानित व्यय 22875.50 करोड़ रुपए होगा।
- सरकार उर्वरक विनिर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक, यूरिया और 21 ग्रेड के पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरक उपलब्ध कराती है।
- पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों पर सब्सिडी 4 अप्रैल, 2010 से प्रभावी NBS योजना द्वारा नियंत्रित की गई हैं।

पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी (NBS) योजना

- यह योजना उर्वरक और रसायन मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से लागू की जा रही है।
- NBS के तहत वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि सब्सिडी वाले फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसके पोषक तत्त्व के आधार पर प्रदान की जाती है।

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड

चर्चा में क्यों ?

भारत के घरेलू बाज़ार को महत्त्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के तीन केंद्रीय प्रतिष्ठान- राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (NALCO), हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड (MECL) की भागीदारी से खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (Khanij Bidesh India Ltd.-KABIL) की स्थापना की जाएगी।

नोट :

'KABIL' के कार्य

- 'KABIL' वाणिज्यिक उपयोग और घरेलू आवश्यकताओं के लिये विदेशों में महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, खोज, विकास, खनन और प्रसंस्करण का कार्य करेगी।
- यह नई कम्पनी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे खनिज सम्पन्न देशों के साथ साझेदारी बनाने का भी कार्य करेगी, जिससे नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे।

'KABIL' की स्थापना के लाभ

- इसकी सहायता से भारत के घरेलू बाजार में महत्त्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
- यह खनिजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।
- इसके अतिरिक्त यह आयात विकल्प के समग्र उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होगी।

'KABIL' की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य

- भारत में परिवहन और विनिर्माण के लिए खनिज और धातु सामग्रियों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी पूर्ति के लिये निरंतर स्रोत आवश्यक हैं।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पेरिस, 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने और परिवहन के हरित उपाय अपनाने के बारे में भारत की वचनबद्धता है और इसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी पर अधिक बल दिया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त विमानन, रक्षा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी कम भार की और उच्च मैकेनिकल शक्ति के खनिजों की आवश्यकता होती है।

NALCO, HCL तथा MECLके बीच इक्विटी भागीदारी 40:30:30 अनुपात में होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्रिसिल का पूर्वानुमान

चर्चा में क्यों ?

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (Crisil) ने वित्तीय वर्ष चालू वित्त वर्ष के लिये भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर के अनुमान में 20 आधार अंकों की कमी है। क्रिसिल द्वारा भारत की GDP विकास दर के 6.9 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- GDP के पूर्वानुमान में यह कटौती कमज़ोर मानसून, धीमी वैश्विक वृद्धि और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा (High-Frequency Data) की खराब गुणवत्ता के कारण की गई है।
- क्रिसिल के पूर्वानुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) में मंदी के प्रभाव अधिक स्पष्ट परिलक्षित होंगे जबकि दूसरी छमाही में अपेक्षित मौद्रिक छूट (Monetary Easing), उपभोग में वृद्धि और सांख्यिकीय आधार प्रभाव में कमी (Statistical Low-Base Effect) के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार होने का अनुमान है।
- इसके अनुसार कॉर्पोरेट क्षेत्र की वृद्धि दर में धीमापन आने का (8%) तक कम होने का अनुमान है जो पिछले दो वर्षों की तुलना में कम है। इसके अनुसार कॉर्पोरेट लाभ (Corporate Profits) में वृद्धि होने जबकि राजस्व वृद्धि में कमी का अनुमान है।
- क्रिसिल जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2 प्रतिशत की शानदार वृद्धि की थी।
- रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र के NPA में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अंत तक 8% तक की कमी आने का अनुमान है जिसका आधार पुनर्प्राप्तियों में वृद्धि और अतिरिक्त NPA में कमी होना है। क्रेडिट वृद्धि दर के 14% तक रहने की उम्मीद है जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक है।
- इसके अनुसार पूंजी निवेश सामान्यत: मध्यमावधि में सार्वजनिक व्यय (सरकार और सार्वजनिक उद्यमों द्वारा व्यय) द्वारा संचालित किया जाएगा जबकि समग्र निवेश में निजी निवेश की हिस्सेदारी में कमी रहने की उम्मीद है।

नोट :

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार

- गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी जून माह में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया था। घरेलू गतिविधियों में सुस्ती और वैश्विक व्यापार युद्ध को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया था।
- इससे पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत की GDP वृद्धि पाँच साल के न्यूनतम स्तर पर रही और जनवरी-मार्च तिमाही में यह 5.8 प्रतिशत तक पहुँच गई थी।

हाई फ्रीक्वेंसी डेटा

- हाई फ्रीक्वेंसी डेटा अत्यंत शुद्ध पैमाने पर एकत्रित समयबद्ध डेटा को संदर्भित करता है।
- हाल के दशकों में उन्नत कम्प्यूटेशनल तकनीक के परिणामस्वरूप इस डेटा को विश्लेषण के लिये एक कुशल दर पर सटीक रूप से एकत्र किया जा सकता है।
- इस डेटा का प्रयोग वित्तीय विश्लेषण और बाज़ार के व्यवहार को समझने में किया जाता है।

PSB में निर्वाचित निदेशकों की नियुक्ति

चर्चा में क्यों ?

रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों (Public Sector Bank-PSB) में निर्वाचित निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों (PSB) के निर्वाचित निदेशकों को संबंधित बैंकों के बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (Nomination and Remuneration Committee) द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- रिज़र्व बैंक ने निर्वाचित निदेशकों के लिये 'उपयुक्त और योग्य' (Fit and Proper) मानदंड के आधार पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं और साथ ही सभी PSB के लिये नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन को भी अनिवार्य किया है।
- इस समिति में कम-से-कम 3 सदस्य बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिये जिनमें से स्वतंत्र निदेशकों की संख्या आधे से कम नहीं होनी चाहिये। साथ ही कम-से-कम एक सदस्य बोर्ड की जोख़िम प्रबंधन समिति से भी शामिल किया जाना चाहिये।
- बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (Non-Executive Chairperson) को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है परंतु वह ऐसी समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और उसे पुन: निर्वाचित किया जा सकता है परंतु वह 6 वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता है।
- कोई संसद सदस्य, विधान मंडल सदस्य, नगरपालिका परिषद् या किसी स्थानीय निकाय का कोई सदस्य निदेशक पद का उम्मीदवार नहीं होना चाहिये।
- स्टॉक ब्रोकिंग या किसी अन्य बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के बोर्ड का कोई सदस्य किराया क्रय (Hire Purchase), साहूकारी (Money Lending), निवेश, लीजिंग व अन्य सह-बैंकिंग (Para Banking) गतिविधियों से संबंधित व्यक्ति नियुक्ति का पात्र नहीं हो सकता है।
- RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म में भागीदार के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिये, जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक (Statutory Central Auditor) के रूप में संलिप्त है।

नोट :

बहुफसली पद्धति का महत्त्व

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र (Centre for Economic and Social Studies-CESS) द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन में बहुफसली पद्धति (Multi-Cropping System) के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

प्रमुख बिंदु

- एकल फसली व्यवस्था (Mono-Cropping) के विपरीत बहुफसली पद्धति (Multi Cropping) के अंतर्गत किसान भूमि के एक ही हिस्से में दो या दो से अधिक फसलें उगाते हैं। बहुफसली पद्धति मुख्यत: तीन प्रकार की होती हैं:
  - अंतर फसली (Intercropping): इसका अभिप्राय एक निश्चित फसल पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को उगाने से है।
  - रिले क्रॉपिंग (Relay cropping): रिले क्रॉपिंग के तहत भूमि के एक ही हिस्से में दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, परंतु इस पद्यति में पहली फसल की कटाई से ठीक पहले दूसरी फसल की बुवाई उसी भूमि पर की जाती है।
  - मिश्रित अंतर फसली (Mixed intercropping): इस व्यवस्था में किसी निश्चित पंक्ति पैटर्न के बिना सभी फसलें एक साथ एक ही भूमि पर उगाई जाती हैं।

बहुफसली पद्धति के आर्थिक लाभ

- अधिकतम उत्पादकता: बहुफसली पद्धति की सहायता से छोटे आकार की भूमि से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है।
- पशुओं के लिये चारा संग्रहण: बहुफसली पद्धति पशुओं के लिये भी अधिकतम चारा सुनिश्चित करती है।
- खाद्य सुरक्षा: यदि बहुफसली पद्धति में एक या दो फसलें ख़राब भी हो जाए तो भी किसान बची हुई फसलों के सहारे अपनी और अपने परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
- एकाधिक उपयोग: इस व्यवस्था में फसलें सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि चारा और ईंधन भी प्रदान करती हैं।

सस्यविज्ञान (Agronomy) संबंधी लाभ

- कीट प्रबंधन: एक साथ कई प्रकार की फसलें उगाने से कीट की समस्याएँ कम होती हैं और मिट्टी के पोषक तत्त्वों, पानी और भूमि का कुशल उपयोग होता है।
- खरपतवार का प्रबंधन: बहुफसली पद्धति खरपतवार के रोकथाम में भी काफी सहायक होती है, क्योंकि खरपतवार को कुछ फसलों के साथ उगने में मुश्किल होती हैं।
- एक सतत् कृषि पद्यति: बहुफसली पद्धति के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम किया जा सकता है।

आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र

- आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र (Centre for Economic and Social Studies-CESS) की स्थापना वर्ष 1980 में एक स्वायत्त अनुसंधान केंद्र के रूप में की गई थी।
- 1986 में इसे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Social Science Research-ICSSR) द्वारा एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में मान्यता दी गई।
- इस केंद्र को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 (1) (a) के तहत पंजीकृत किया गया था।

US फेडरल रिज़र्व दर में कटौती

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राज्य फेडरल रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद पहली बार अपनी ब्याज दरों में एक चौथाई कटौती की घोषणा की है। इस कटौती के संबंध में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि US फेडरल बैंक की हॉकिश (Hawkish) (ब्याज दर में वृद्धि की स्थिति) मौद्रिक नीति के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकास की दिशा में आगे बढ़ रही थी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- फेडरल बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की साथ ही अमेरिकी मुद्रास्फीति को कम करने और लागत को कम करने जैसे प्रमुख कारणों की वजह से ब्याज दरों में कटौती का निर्णय लिया है।]
- बैंक ने यह भी रेखांकित किया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस वर्ष के पहले छह महीनों में बेहतर गति से आगे बढ़ी है।
- बैंक के अनुसार, ब्याज दर में कटौती वैश्विक विकास के निहितार्थ और मुद्रास्फीति को कम करने के मद्देनज़र किया गया है।
- केंद्रीय बैंक ने यह भी इंगित किया कि इस प्रकार की नीतियों से अमेरिकी आर्थिक विस्तार को बरकरार रखा जाएगा।

क्या यह कटौती, नीति में बदलाव का संकेत है ?

- केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव के कारण हुई। राष्ट्रपति अर्थव्यवस्था की विकास गति को बढ़ाने के लिये दरों में कटौती की माँग कर रहे थे। इसके विपरीत केंद्रीय बैक आर्थिक आँकड़ों का पालन करते हुए राष्ट्रपति के दबावों का विरोध कर रहा था।
- फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (The Federal Open Market Committee-FOMC) बैंक के अंतर्गत एक 10 सदस्यीय पैनल है जो नीतिगत दरों को निर्धारित करता है। ब्याज दरों के निर्धारण के दौरान केवल 2 सदस्यों ने कटौती का विरोध किया।

भारत जैसी उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव

- सैद्धांतिक रूप से, अमेरिका में दर में कटौती का प्रभाव विशेष रूप से ऋण बाज़ार के नज़रिये से उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के लिये सकारात्मक होना चाहिये। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति होती है इसलिये ब्याज दर अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों की तुलना में अधिक होती है।
- अमेरिका में ब्याज दर कम होने के कारण निवेशक वहाँ से उधार लेकर उस पैसे को उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत में निवेश करेंगे ताकि उन्हें अधिक ब्याज प्राप्त हो सके।
- ब्याज दरों में कटौती से अमेरिका में विकास को गति मिलेगी, साथ ही वैश्विक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रथम राष्ट्रीय समय सारणी अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग वैश्विक व्यापार बढ़ाने की अपनी रणनीतिक प्रतिबद्धता के तहत 1 से 7 अगस्त के बीच भारत का प्रथम राष्ट्रीय 'टाइम रिलीज स्टडी' अथवा समय सारणी अध्ययन [India's first national Time Release Study (TRS)] कराएगा।

टाइम रिलीज स्टडी क्या है ?

- TRS दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक साधन (टूल) है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह की दक्षता एवं प्रभावकारिता मापने के लिये किया जाता है और इसकी वकालत विश्व सीमा शुल्क संगठन ने की है।
- उत्तरदायी गवर्नेंस से जुड़ी इस पहल के ज़रिये कार्गो यानी माल के आगमन से लेकर इसे भौतिक रूप से जारी करने तक वस्तुओं की मंज़ूरी के मार्ग में मौजूद नियम आधारित और प्रक्रियागत बाधाओं (विभिन्न टच प्वाइंट सहित) को मापा जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार प्रवाह के मार्ग में मौजूद बाधाओं की पहचान करना एवं उन्हें दूर करना है।
- इसके साथ ही प्रभावशाली व्यापार नियंत्रण से कोई भी समझौता किये बगैर सीमा संबंधी प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिये आवश्यक संबंधित नीतिगत एवं क्रियाशील उपाय करना है।

TRS के लाभ

- इस पहल से भारत को 'कारोबार में सुगमता' विशेषकर सीमा पार व्यापार संकेतक के मामले में अपनी बढत को बरकरार रखने में मदद मिलेगी जो सीमा पार व्यापार की व्यवस्था की दक्षता को मापता है।

नोट :

- पिछले वर्ष इस संकेतक से जुड़ी भारत की रैंकिंग 146वीं से सुधरकर 80वीं हो गई।
- इस पहल के अपेक्षित लाभार्थी निर्यात उन्मुख उद्योग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) होंगे जो तुलनीय अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ भारतीय प्रक्रियाओं के और अधिक मानकीकरण से लाभ उठाएंगे।
- राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले TRS ने इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया है तथा एकसमान एवं बहुआयामी क्रिया विधि विकसित की है जो कार्गो मंज़ूरी प्रक्रिया के नियामकीय एवं लॉजिस्टिक्स पहलुओं को मापती है और वस्तुओं के लिये औसत रिलीज़ टाइम को प्रमाणित करती है।

अन्य प्रमुख बिंदु

- यह अध्ययन एक ही समय में 15 बंदरगाहों पर कराया जाएगा जिनमें समुद्री, हवाई, भूमि एवं शुष्क बंदरगाह शामिल हैं और जिनका आयात संबंधी कुल प्रवेश बिलों (बिल ऑफ एंट्री) में 81 प्रतिशत और भारत के अंदर दाखिल किये जाने वाले निर्यात संबंधी शिपिंग बिलों में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है।
- राष्ट्रीय स्तर वाला TRS आधारभूत प्रदर्शन माप को स्थापित स्थापित करेगा और इसके तहत सभी बंदरगाहों पर मानकीकृत परिचालन एवं प्रक्रियाएँ होंगी।
- TRS के निष्कर्षों के आधार पर सीमा पार व्यापार से जुड़ी सरकारी एजेंसियाँ उन मौजूदा एवं संभावित बाधाओं को पहचानने में समर्थ हो जाएंगी जो व्यापार के मुक्त प्रवाह के मार्ग में अवरोध साबित होती हैं।
- इसके साथ ही ये सरकारी एजेंसियाँ माल या कार्गो जारी करने के समय को घटाने के लिये आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाएंगी। यह पहल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अगुवाई में हो रही है।

अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन हेतु प्रयास

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून में मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को घटाकर 5.75% कर दिया, ताकि विकास दर को प्रोत्साहित किया जा सके।

वर्तमान परिदृश्य:

- जून में रेपो रेट पिछले नौ वर्षों में सबसे निचले स्तर पर रहा।
- फरवरी माह से अब तक तीन दरों के माध्यम से समग्र रूप से 75 आधार अंकों की कटौती के बावजूद आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं किया जा सका है।
- इसके बावजूद वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों में कोई विशेष तेज़ी नहीं आ सकी है। इसलिये आगामी मौद्रिक नीति की घोषणा में RBI से एक और बड़ी कटौती की उम्मीद की जा रही है।
- RBI द्वारा की गई कटौती का लाभ बैंकों के कर्ज़दारों को नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी नहीं आ पा रही है।
- RBI के आकलन के अनुसार, 75 अंकों की कटौती के लाभ में से बैंकों द्वारा इस वर्ष केवल 21 आधार अंकों की कटौती का लाभ ही उधारकर्त्ताओं को दिया जा सका है।

रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या हैं ?

- RBI अर्थव्यवस्था में ब्याज दर संरचना को प्रभावित करने और मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने के लिये रेपो दर का उपयोग करता है।
- तकनीकी रूप से, रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं, और रिवर्स रेपो ब्याज की दर वह दर होती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक में धन जमा करते हैं।

ब्याज दरों में कटौती पर वैश्विक रुख:

- पारंपरिक दृष्टिकोण के हिसाब से कम ब्याज दर के माध्यम से निवेश लागत कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप निवेश अधिक आकर्षक होता है, जो व्यवसायों के लिये बेहतर है।

नोट :

- सरकार इस स्थिति के लिये प्रयासरत रहती है क्योंकि इससे उच्च विकास और अधिक रोज़गार सृजन के लिये उच्च निवेश आकर्षित होता है। इसके विपरीत केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता और वृद्धि के लिये कई बार ब्याज की उच्च दर का निर्धारण करता है।
- केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच इस प्रकार की असमंजस्य की स्थिति को कई बारगी देखा गया है; जैसे- 1992 के चुनावों के हार के बाद जार्ज बुश ने फेडरल बैंक की नीतियों को ज़िम्मेदार बताया। इसी प्रकार वर्तमान में भी अमेरिकी फेडरल बैंक अपने ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के दबावों की बात कर रहा है।
- भारत में भी इस प्रकार के मामले वित्त मंत्री चिदंबरम और RBI गवर्नर सुब्बाराव के बीच विवादों के रूप में संज्ञान में आए है।
- सरकारें आमतौर उच्च ब्याज दरों से बचने का प्रयास करती हैं, क्योंकि इससे परियोजना लागत बढ़ती हैं जो निवेशक को हतोत्साहित करती है।
- विकास दर और नाममात्र ब्याज दर (Nominal Interest Rates) सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होती हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स पत्रिका में प्रकाशित पुनर्विचारित मौद्रिक नीति: ब्याज दर और नाममात्र GDP विकास के USA, UK, जर्मनी और जापान की अनुभवजन्य परीक्षण 2018 (Reconsidering Monetary Policy: An Empirical Examination of the Relationship Between Interest Rates and Nominal GDP Growth) नामक शोध द्वारा समर्थित है।
- केंद्रीय बैंक सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे पर नज़र रखता है। उच्च राजकोषीय घाटे के समय केंद्रीय बैंक के लिये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना कठिन कार्य हो जाता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये ब्याज दरों को बढ़ा देता हैं।

RBI के प्रयासों की कम प्रभावशीलता के कारण:

- जनता द्वारा जमा धन के एक हिस्से का प्रयोग वाणिज्यिक बैंक उधारकर्त्ताओं को उधार देने के लिये करते हैं।
- हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने तरलता संबंधी सुधारों का हवाला देते हुए अपनी जमा दरों को कम कर दिया है। बैंक में जमाकर्त्ताओं के जमा पर उच्च ब्याज दिये जाने के चलते बैंक की लागत बढ़ जाती है।
- लघु बचत योजनाओं की प्रतिस्पर्द्धात्मक उच्च ब्याज दर तथा सार्वजनिक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की उच्च ब्याज जमा दर के कारण वाणिज्यिक बैंकों को जमा दरें उच्च रखनी पड़ रही है।
- गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी IL&FS द्वारा ऋण भुगतान की असमर्थता से उत्पन्न तरलता की कमी के कारण जमा दरें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं । RBI ने तरलता को नियंत्रित करने के लिये हस्तक्षेप किया लेकिन ये हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं थे।
- RBI नए गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के माध्यम से पिछले दो महीनों में चलनिधि की स्थिति में सुधार के प्रयास किये हैं। इस प्रकार ओपन मार्केट ऑपरेशन का सहारा लेना सरकारी प्रतिभूतियों की गिरती यील्ड (Yield) को प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार, बैंकों द्वारा उधारकर्त्ताओं को कम ब्याज दरों के लाभ वितरित करने के लिये परिस्थितियाँ अनुकूल हैं।

आर्थिक विकास दर को प्रोत्साहित करने की रणनीति:

- उत्पादन के तीन मुख्य कारकों में पूंजी, भूमि और श्रम शामिल हैं; सभी कारक बराबर रूप से एक वाणिज्यिक इकाई के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं।
- पूंजी के साथ ही भूमि उपलब्धता और लागत भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
- इसी तरह पर्याप्त श्रम बल की उपलब्धता के बाद भी श्रम बल की दक्षता एक स्तर पर अर्थव्यवस्था के लिये चिंता की बात है।
- इसके अलावा बाजार के माहौल और मांग को ध्यान में रखा जाना चाहिये। यदि उपयोगकर्त्ताओं के पास कम मुद्रा हो तो वह निश्चित रूप से मांग को भी प्रभावित करेगी।
- इसलिये, ऐसे वातावरण में जहाँ उत्पादन के अन्य कारक एक निवेशक के लिये अनुकूल नहीं होते हैं, वहाँ केवल कम ब्याज दरें ही निवेशकों को पर्याप्त रूप से आकर्षित नही करेंगी।

सरकार की राजकोषीय नीतियों और RBI ब्याज दरों को कम रखने जैसे समन्वित प्रयासों के माध्यम से ही मांग को प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था में विकास दर को तीव्र किया जा सकता है।

नोट :

श्रम संहिता: इसमें निहित समस्याएँ

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने 44 श्रमिक नियमों को 4 संहिताओं से प्रतिस्थापित करने की पेशकश की। ये चार संहिताएँ हैं: वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता।

- इस संबंध में ऐसे बहुत से प्रश्न है जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उदाहरण के तौर पर क्या ये संहिताएँ श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती हैं? क्या ये श्रमिकों के गरिमापूर्ण जीवन स्तर को बनाए रख सकती है?
- यहाँ यह निर्देशित करने की ज़रुरत है कि वास्तविक श्रमिक नियमों को दशकों के संघर्ष के बाद बनाया गया था ताकि श्रमिकों की गरिमा को सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में ये नए बदलाव कितने सार्थक और प्रभावी साबित होंगे यह विचारणीय है।

संहिताओं की उपयोगिता एवं लाभ

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिये उद्योगों का विकास होना आवश्यक है विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में, जो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक श्रमिक गहन होता है। यदि श्रम कानूनों में बाज़ार और श्रमिकों के ज़रुरी हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो ऐसे उद्योगों का सीमित विकास ही हो पाता है। यदि कानून अधिक श्रमिकोन्मुख होते हैं तो जहाँ एक ओर उद्योगों के कार्यकरण एवं उत्पादन के प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है वहीं दूसरी ओर यदि श्रम कानूनों को निजी क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया जाता है तो श्रमिकों का शोषण होने की संभावना बनी रहती है। इसी विचार को आधार बनाकर प्राय: श्रम कानूनों का निर्माण किया जाता है।

संहिताओं के साथ समस्याएँ

- ये संहिताएँ श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनके गरिमापूर्ण जीवन स्तर की विरोधी हैं।
- वास्तविक श्रम कानून को दशकों के संघर्ष के बाद बनाया गया था ताकि श्रम करने वाले लोगों की गरिमा सुनिश्चित की जा सके।
- श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम वेतन स्तर 178 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है जो कि किसी प्रस्तावित मानदंड या अनुमान की विधि से विहीन है।
  - यह पूँजी और निवेश को भी आकर्षित करने हेतु राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा को बढावा दे सकता है।
  - इसे 'भुखमरी वेतन' कहा जा रहा है, जबकि मंत्रालय की स्वयं की समिति ने न्यूनतम वेतन 375 रुपए करने का सुझाव दिया था।
- श्रमबल का 95 प्रतिशत हिस्सा जो कि असंगठित है, इन संहिताओं द्वारा उपेक्षित है जबकि इन्हें कानूनी सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
- इनमें यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि एक नियोक्ता, कर्मचारी या उद्यम से संबंधित निर्णयों हेतु प्रावधान कौन करेगा?
- न्यूनतम वेतन अधिनियम प्रावधान करता है कि प्रशिक्षुओं को कर्मचारी नहीं माना जाएगा।
  - साक्ष्यों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि प्रशिक्षु अनुबंध के तहत कार्य करते हैं तथा वे स्थाई कर्मचारी भी होते है।
- संहिता में '15 वर्ष से कम उम्र कर्मचारी' के बारे में एक प्रावधान है जिसका तात्पर्य बाल श्रम को वैध करने से संबंधित हो सकता है। अर्थात् स्पष्टता का अभाव है।
- वेतन संहिता श्रम के संविदात्मक रूप को खत्म करने की जगह उसे वैध और प्रोत्साहित करती है।
- वेतन संहिता ने 'वसूली योग्य अग्रिम राशि' के प्रावधान को पुन: शामिल किया है जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित बलपूर्वक और बंधुआ मज़दूरी से जुडा हुआ है। अत: अग्रिम भुगतान द्वारा पीड़ित एवं संवेदनशील प्रवासी श्रमिक कार्य से बंध जाएंगे।
- संहिता में 8 घंटे के कार्यदिवस को समाप्त कर दिया गया है तथा ओवरटाइम बढ़ाने से संबंधित कई प्रावधान जोड़े गए है।
- यह नियोक्ताओं को बोनस भुगतान में टाल मटोल का अवसर भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष

सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और कार्यस्थलों में कामकाज की बेहतर स्थितियाँ श्रमिकों के कल्याण के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिये भी पहली शर्त होती है। देश का स्वस्थ कार्यबल अधिक उत्पादक होगा और कार्यस्थलों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी जो कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के लिये भी फायदेमंद रहेगा। हालाँकि यहाँ इस बात पर भी गौर किये जाने की आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से श्रमिक अधिकारों में वृद्धि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन आर्थिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि

नोट :

यदि श्रमिक अधिकार एवं उनकी समस्याओं को एक उचित मंच प्रदान नहीं किया जाएगा तो धीरे-धीरे यह नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर औद्योगिक संस्थान भी इसके दायरे में आते हैं। इसी विचार के आधार पर श्रमिक संगठनों एवं हड़ताल को वैधानिक मान्यता दी जाती रही है।

ई-कॉमर्स नीति का ड्राफ्ट

चर्चा में क्यों ?

ऑनलाइन खरीद करने वालों के हितों की रक्षा हेतु उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) ने ई कॉमर्स से संबंधित दिशा-निर्देशों हेतु एक ड्राफ्ट/मसौदा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एक ई-कॉमर्स इकाई (e-commerce entity) किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकती है।

उपभोक्ता संरक्षण हेतु ई-कॉमर्स से संबंधित दिशा-निर्देश 2019

- ई-कॉमर्स व्यापार में धोखाधड़ी को रोकने, अनुचित व्यापार प्रयासों की रोकथाम करने और उपभोक्ताओं के वैध अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिये इन दिशा-निर्देशों को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में जारी किया गया हैं।
- ये दिशा-निर्देश बिज़नेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स (Business-to-Consumer E-Commerce) पर लागू होंगे, इसमें वस्तुओं और सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा।
- इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपनी वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का नाम और उससे संपर्क संबंधी जानकारी को सार्वजनिक किया जाना चाहिये।
- साथ ही उपयोगकर्त्ता शिकायत कैसे कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी भी देनी चाहिये।
- ड्राफ्ट के अनुसार, एक ई-कॉमर्स फर्म स्वयं को गलत तरीके से पेश नहीं कर सकती है। अर्थात् कई बार यह देखने को मिलता है कि कंपनियाँ ऑनलाइन ग्राहक बनकर अपने उत्पादों पर सकारात्मक टिप्पणी लिखने, रेटिंग देने, आदि जैसी गतिविधियों में लिप्त होती है; ऐसी स्थिति में अक्सर भ्रामकता उत्पन्न हो जाती है, ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स फर्म को ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिये।
- ड्राफ्ट के अनुसार ई-कॉमर्स फर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित है।

अनिवार्य प्रावधान

- ग्राहकों के जानकारी पूर्ण निर्णय हेतु किसी भी फर्म के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह विक्रेता के साथ किये गए समझौते से संबंधित रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी/गारंटी, भुगतान के तरीकों, शिकायत निवारण तंत्र की पूर्ण जानकारी प्रदर्शित करे।
- ड्राफ्ट में यह भी मांग की गई है कि यदि ई-कॉमर्स फर्म को किसी नकली उत्पाद के बारे में पता चलता है और यदि विक्रेता वह उस उत्पाद को सही सिद्ध करने में असफल रहता है तो फर्म को इसकी सूची तैयार करनी चाहिये तथा इस सूची को ग्राहकों के साथ साझा किया जाना चाहिये।

बीमा मार्केटिंग के लिये नए मानदंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authourity Of India-IRDAI) ने बीमा मार्केटिंग फर्मों (Insurance Marketing Firms-IMF) को संचालित करने वाले नियमों में बदलावों को अधिसूचित किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2015 में अधिसूचित विनियमों में संशोधन का उद्देश्य बढ़ती बीमा पैठ (Insurance Penetration) को एक सक्षम वातावरण प्रदान करना है।

नोट :

- नए नियमों के अनुसार नीति आयोग द्वारा परिभाषित आकांक्षी ज़िला या आर्थिक रूप से पिछड़े ज़िलों में संचालन के लिये आवेदन करने वाली बीमा मार्केटिंग फर्मों के लिये निवल मूल्य (Net Worth) 5 लाख रुपए होगा। जबकि अन्य मामलों में यह निवल मूल्य (Net Worth) न्यूनतम 10 लाख रुपए होगा।
- IMF को एक राज्य में तीन ज़िलों के लिये पंजीकरण करने की अनुमति होगी तथा इन तीन ज़िलों में से कम-से-कम एक आकांक्षी ज़िला होना आवश्यक है।
- नए नियम IMF को एग्रीकल्चर इंश्योरंस कंपनी ऑफ इंडिया (Agriculture Insurance Company of India) और निर्यात ऋण गारंटी निगम (Export Credit Guarantee Corporation) के साथ जुड़ने की अनुमति देते हैं।
- ये नियम मौजूदा मानदंडों के अतिरिक्त उन्हें दो जीवन बीमा, दो सामान्य बीमा और दो स्वास्थ्य बीमाकर्त्ताओं के साथ व्यापार करने की अनुमति देते हैं।
- IMF के उत्पादों में गैर-ऋणी किसानों के लिये फसल बीमा और संयुक्त उत्पादों के साथ सभी प्रकार के व्यक्तिगत अथवा रिटेल उत्पाद शामिल होंगे।
- संपत्ति, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना, समूह स्वास्थ्य, GSLI (Group Savings-Linked Insurance Scheme) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम के लिये बीमा पॉलिसी इस सूची का हिस्सा हैं।
- IMF के उपयोग के लिये बीमाकर्त्ताओं को IRDAI के साथ अपनी नीतियों को दर्ज करने के लिये एक नया उपबंध भी शामिल किया गया है।

बीमा मार्केटिंग फर्म (Insurance Marketing Firms-IMF)

- IRDAI द्वारा वर्ष 2015 में बीमा मार्केटिंग फर्मों का नया वितरण चैनल शुरू किया गया।
- IMF का उद्देश्य क्षेत्र-वार पंजीकरण के माध्यम से देश में बीमा की पैठ (Insurance Penetration) को बढ़ाना है।
- वर्ष 2007 में गठित एन.एम. गोवर्धन समिति ने बीमा मार्केटिंग फर्मों को शुरू करने की अनुशंसा की थी।
- हाल के सुधार
- वर्तमान सुधार वर्ष 2018 में सुरेश माथुर की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किये गए हैं।
- इस समिति ने निवल मूल्य में कमी, IMF संचालन क्षेत्र के विस्तार और उत्पाद बास्केट (Basket Of Products) आदि के आधार पर सिफारिशें की हैं।

मौद्रिक नीति समीक्षा अगस्त 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने रेपो दर (Repo Rate) में 35 आधार अंकों अर्थात् 0.35% की कटौती की है। यह लगातार चौथी बार है जब भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर को कम किया है।

प्रमुख निर्णय:

रेपो दर में कमी

- रेपो दर को 5.75% से कम कर 5.40 % कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह पिछले नौ वर्षों के दौरान सबसे कम रेपो दर है।
- RBI ने वर्ष 2019-20 के लिये अर्थव्यवस्था की विकास दर यानी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर का अनुमान 7% से घटाकर 6.9% कर दिया है।

24 घंटे NEFT की सुविधा

- मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम (National Electronic Fund Transfer System- NEFT) बारे में यह घोषणा की गई है कि दिसंबर 2019 से NEFT की सुविधा सप्ताह के सभी दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

नोट :

- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) धन प्रेषण या हस्तांतरण का एक लोकप्रिय माध्यम है। इसकी विशेषता यह है कि, इसमें न्यूनतम और अधिकतम राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- इस प्रणाली का दोष यह है कि इसके द्वारा धन राशि का हस्तांतरण सभी कार्यदिवसों (माह के दूसरे तथा चौथे शनिवार को छोड़कर) के दौरान एक निर्धारित समय (8 A.M. से 7 P.M. तक) पर ही होता है।

NBFCs के लिये ऋण की उपलब्धता

- RBI ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि बैंक कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को कर्ज़ उपलब्ध कराने हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies-NBFCs) को ऋण दें।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक ने NBFCs में बैंकों के निवेश की सीमा को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर शेयर पूंजी (टियर-1) का 20 प्रतिशत करने की अनुमति दी है।
  - इसके तहत बैंक NBFC को 10 लाख रुपए तक कृषि (निवेश ऋण), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तथा आवास के लिये प्रति कर्जदार 20 लाख रुपए तक (फिलहाल 10 लाख रुपए) के कर्ज़ दे सकेंगे। इस श्रेणी के कर्ज़ को प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज़ के अंतर्गत माना जाएगा।

सभी पुनरावृत्तीय बिलों BBPS के तहत कवर करने का निर्णय

- RBI ने सभी पुनरावृत्तीय बिल भुगतानों को भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System- BBPS) के तहत कवर करने का निर्णय लिया है तथा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे।
  - वर्तमान में BBPS के तहत केवल पाँच क्षेत्रों- डायरेक्ट-टू-होम, बिजली, गैस, टेलिकॉम और पानी के पुनरावृत्तीय बिल भुगतान को कवर किया जाता है।
  - भारत बिल भुगतान प्रणाली की संकल्पना भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा की गई थी और यह राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित है। यह लेन-देन की निश्चितता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ पूरे भारत में सभी ग्राहकों को एक अंतर-सुलभ और अंतर-प्रचालनीय (interoperable) "किसी भी समय किसी भी स्थान से" बिल भुगतान की सेवा प्रदान करने वाली वन-स्टॉप प्रणाली है।
  - इसके द्वारा भुगतान के कई तरीके हैं और SMS या रसीद के माध्यम से भुगतान की तत्काल पुष्टि होती है।

मौद्रिक नीति समिति

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को नवगठित मौद्रिक नीति समिति (MPC) को सौंप दिया गया है।

- वित्त अधिनियम 2016 द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 (RBI अधिनियम) में संशोधन किया गया, ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य RBI से होते हैं और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है।
- रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं।

रेपो दर क्या है?

रेपो दर वह दर है, जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण लेते हैं। रेपो दर में कटौती कर RBI बैंकों को यह संदेश देता है कि उन्हें आम लोगों और कंपनियों के लिये ऋण को सस्ता करना चाहिये।

नोट :

प्रभाव

- भारतीय के इस निर्णय का प्रभाव यह होगा कि अब बैंकों के पास आसान शर्तों पर कर्ज़ देने के लिये अधिक पैसा होगा। गौरतलब है कि कर्ज़ दरें सस्ती होने से अर्थव्यवस्था कुछ इस तरह से लाभान्वित होती है:
  - मकान, कार या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिये कम ब्याज दर पर कर्ज़ उपलब्ध होता है।
  - जब ब्याज की दर कम होती है तो लोग खरीदारी के लिये उत्साहित होते हैं।
  - जब लोग खरीदारी के लिये उत्साहित होते हैं तो बाज़ार में मांग बढ़ती है।
  - जब बाज़ार में माँग बढ़ती है तो अधिक उत्पादन की स्थितियाँ बनती हैं।
  - जब अधिक उत्पादन की परिस्थितियाँ बनती हैं, तब निवेशक नए निवेश के लिये प्रेरित होते हैं।
  - जब निवेश बढ़ता है तो आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होती हैं।
  - जब आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होती हैं तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं।

निष्कर्ष

एक ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की धीमी हो रही रफ्तार के चलते व्यापार युद्ध की संभावनाएँ बढ़ रही हों; घरेलू स्तर पर भी महंगाई की दर काफी नीचे हो; शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही बाज़ारों में मांग में कमी हो रही हो; निर्यात तथा आयात दोनों में कमी हो रही हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में सहायक हो सकते है बशर्ते बैंकों द्वारा रेपो दर में इस कटौती का लाभ ग्राहकों और उद्योगों को उपलब्ध कराया जाए।

कृषि क्षेत्रक के NPA में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ समय से कृषि क्षेत्रक ऋण, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets-NPA) में परिवर्तित हो रहा है। NPA में यह वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ ही निजी क्षेत्र के बैंकों में भी परिलक्षित हो रही है।

प्रमुख बिंदु:

- पिछले एक वर्ष के दौरान कृषि ऋण में वृद्धि नहीं हुई परंतु इस पोर्टफोलियों के बैड लोन में वृद्धि हो रही है।
- प्रथम तिमाही में साल-दर-साल आधार पर इस पोर्टफोलियो के तहत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी जा रही है।
- इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के NPA में 13.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 11.60 प्रतिशत थी। SBI के अलावा अन्य कई सार्वजनिक तथा निजी बैंकों के NPA में भी वृद्धि दर्ज की गई है।
- NPA में यह वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी।
- NPA में यह वृद्धि तब है जब कृषि क्षेत्र के ऋण में पिछले एक वर्ष में कोई वृद्धि नही हुई है।
- इसका कारण राजनीतिक पार्टियों द्वारा कृषि ऋण माफ़ी की घोषणा है।

पशु आधार

चर्चा में क्यों ?

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है और विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी है। वर्तमान में भारत में पशुधन की जानकारी से संबंधित एक विशाल डेटाबेस बनाया जा रहा है। यह पशुओं के लिये एक UID या पशु आधार (Pashu Aadhaar) जारी करता है। अभी तक लगभग 22.3 मिलियन गायों और भैंसों के लिये UIDs जारी किये जा चुके हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिये सूचना नेटवर्क (Information Network for Animal Productivity and Health-INAPH) के लिये नोडल एजेंसी 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' (National Dairy Development Board-NDDB) है।
- आधार के साथ समानताएँ हैं:
  1. INAPH भी प्रत्येक पशु को एक विशिष्ट यादृच्छिक पहचान संख्या प्रदान करता है।
  2. यह भारत के पशुधन संसाधनों के प्रभावी और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये उपयोगी डेटा एवं सूचनाओं का संकलन करता है।
  3. पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह पशुओं का सबसे बड़ा वैश्विक डेटाबेस होगा।
  4. इसमें निहित डेटा में पशुओं की नस्ल और वंशावली, दूध उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination-AI), टीकाकरण और पोषण इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी शामिल होगी।
- INAPH परियोजना के पहले चरण में देश की 94 मिलियन 'दूध देने वाली' मादा गायों (अर्थात् ऐसी गाय, जो वर्तमान में दूध उत्पादित करने की अवस्था में नहीं है) और भैंसों की आबादी को शामिल किया जाएगा।
- इसमें सभी स्वदेशी, क्रॉसब्रीड के साथ-साथ विदेशी दुधारू पशुओं को भी शामिल किया गया है।
- कुछ समय बाद इसे सभी गोजातीय पशुओं तक विस्तारित किया जाएगा जिनमें नर, बछड़े और बछिया, बूढ़े और आवारा पशु भी शामिल हैं।
- प्रत्येक पशु के कान पर एक 12-अंकीय UID वाला थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (Thermoplastic Polyurethane) टैग लगाया जाएगा।

चुनौतियाँ

कम उत्पादकता, खराब पशु स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाने वाली बीमारियों की व्यापकता और गैर-वैज्ञानिक और उपाख्यान (Anecdotal) प्रणाली के आधार पर जीनोम चयन इसकी प्रमुख चुनौतियाँ है।

उद्देश्य

- पशुओं की उचित पहचान तथा उनके उत्पादों चाहे वह दूध हो या मांस के बारे में, जानकारी प्राप्त करने की क्षमता को सक्षम बनाना।
- यदि भारतीय डेयरी और पशुधन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत स्वास्थ्यकर एवं फाइटोसैनेटरी मानकों का अनुपालन करना है, तो इसके लिये एक मज़बूत तथा व्यापक पशु सूचना प्रणाली, जो उत्पादों को उनके स्रोत के विषय में जानने की अनुमति देती है, का होना अनिवार्य है।
- स्वस्थ या प्रीमियम पशुओं से प्राप्त उत्पादों को रोगग्रस्त या गैर-विशिष्ट पशुओं से प्राप्त उत्पादों से अलग किया जा सकता है।
- रोग-मुक्त, उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैलों और दूध उत्पादक गायों की स्वदेशी नस्लों के प्रजनन के लिये इस डेटा का उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में स्वदेशी नस्लों की दूध उत्पादकता बहुत कम हैं।

आगे की राह

- अभी तक समग्र पशु उत्पादकता को बढ़ाने के मामले में कृत्रिम गर्भाधान से सीमित सफलता ही मिली है। इसका एक प्रमुख कारण कृत्रिम गर्भाधान के लिये निम्न-आनुवांशिक गुणों वाले वीर्य का उपयोग किया जाना है।
- अधिकांश गायों या दाता बैल की AI स्थिति का खराब रिकॉर्ड एक अन्य कारण है, जिसके चलते कृत्रिम गर्भाधान में समस्या आती है।
- प्रत्येक पशु के गर्भाधान के इतिहास पर अधिक विश्वसनीय डेटा उपलब्ध होने से AI कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकेगा। प्रत्येक पशु की पोषण संबंधी जानकारी मिलने से पशुओं के लिये प्रभावी पोषण प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- इस डेटाबेस को अगली श्वेत क्रांति को प्रोत्साहित करने और पशुधन को ग्रामीण समृद्धि का माध्यम बनाने के एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाना चाहिये।

नोट :

PMLA Act में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन धन शोधन के मामलों से निपटने के लिये प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को सशक्त करेगा।

प्रमुख बिंदु

- यह संशोधन धन शोधन (Money Laundering) को स्वयमेव अपराध की श्रेणी में रखता है।
- अभी तक धन शोधन एक स्वतंत्र अपराध की श्रेणी में नहीं आता था अपितु यह किसी अन्य अपराध पर निर्भर करता है जिसे 'पूर्वगामी अपराध' या 'अनुसूचित अपराध' के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के अपराधों में आय को धन शोधन के अपराध का विषय बनाया जाता है।
- यह उन संपत्तियों को भी आपराधिक प्रक्रिया के क्षेत्र के अंतर्गत मानता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित अपराध (Scheduled Offence) से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त की गयी हैं।
- सबसे महत्त्वपूर्ण संशोधन धारा 17 (तलाशी और गिरफ़्तारी) और धारा 18 (व्यक्तियों की तलाश) की उप-धारा (1) के प्रावधानों को हटाना है। इन प्रावधानों के अनुसार, PMLA Act के अंतर्गत अधिसूचित अपराधों में से किसी भी अपराध में जाँच करने में सक्षम एजेंसी द्वारा दर्ज़ प्राथमिक रिपोर्ट या चार्जशीट का होना आवश्यक था।
- धारा 45 में एक स्पष्टीकरण को जोड़ा गया है जिसके अनुसार, PMLA के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे जिससे ED को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ़्तार करने का अधिकार होगा।
- अन्य महतत्त्वपूर्ण संशोधनों में अपराध से प्राप्त आय के छिपाव, कब्ज़ा, अधिग्रहण, उपयोग, निष्कलंकित धन के रूप में पेश करना या निष्कलंकित धन के रूप में दावा करना इस अधिनियम के तहत स्वतंत्र और पूर्ण अपराध हैं।
- इस संशोधन के तहत धारा 72 केंद्र में एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति (Inter-Ministerial Coordination Committee) के गठन का प्रावधान करती है जो धन शोधन और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण की पहल पर परामर्श हेतु संचालनगत और नीतिगत स्तर पर सहयोग के लिये विभागीय और अंतर-एजेंसी समन्वय हेतु उत्तरदायी होगी।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)

- प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है।
- यह दो विशेष राजकोषीय कानूनों - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) और धन की रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। सीधी भर्ती द्वारा कर्मियों की नियुक्ति के अलावा निदेशालय प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न जाँच एजेंसियों, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि विभागों से भी अधिकारियों को नियुक्त करता है।

अधिकार एवं शक्तियाँ

एक बहुआयामी संगठन की भूमिका में निदेशालय दो कानूनों को लागू करता है, जो निम्नलिखित हैं:

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-FEMA)– यह एक नागरिक कानून है, जो निदेशालय को अर्द्ध न्यायिक शक्तियाँ देता है।
  - यह निदेशालय को विनिमय नियंत्रण कानून के संदिग्ध उल्लंघनों की जाँच करने के साथ दोषी पर जुर्माना लगाने की भी शक्ति देता है।
- धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention Of Money Laundering Act-PMLA)– यह एक आपराधिक कानून है, जो निदेशालय के अधिकारियों को अनंतिम रूप से जाँच पड़ताल करने, पूछताछ करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।
  - यह कानून अधिकारियों को कालेधन के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने के अलावा अपराधिक कृत्यों से प्राप्त संपत्ति को संलग्न/ज़ब्त करने का अधिकार भी देता है।

नोट :

भारत में वायदा बाज़ार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (Indian Council for Research on International Economic Relations-ICRIER) द्वारा किये गए अध्ययन से सामने आया है कि वायदा बाज़ारों (Future Markets) में व्यापार करने के लिये किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations-FPOs) को सशक्त बनाने की ज़रूरत है।

क्या होते हैं किसान उत्पादक संगठन ?

- 'किसान उत्पादक संगठनों' का अभिप्राय किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के समूह से होता है। इस प्रकार के संगठनों का प्रमुख उद्देश्य कृषि से संबंधित चुनौतियों के प्रभावी समाधान की खोज करना होता है।
- FPO प्राथमिक उत्पादकों जैसे- किसानों, दूध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों और कारीगरों आदि द्वारा गठित क़ानूनी इकाई होती है।
- FPO को भारत सरकार तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों से भी सहायता प्राप्त होती है।

वायदा बाज़ार (Future Market)

- वायदा बाज़ार का अभिप्राय उस स्थान से होता है जहाँ वायदा/भविष्य के अनुबंधों को ख़रीदा और बेचा जाता है।
- वायदा/भविष्य के अनुबंध वे वित्तीय अनुबंध होते हैं जिनमें खरीदार किसी व्यक्ति को भविष्य में पूर्व निश्चित मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने का वचन देता है।

भारत में वायदा व्यापार :

- भारत का पहला वायदा व्यापार वर्ष 2014 में राम रहीम प्रगति निर्माता कंपनी (यह एक उद्यम है जिसे मध्य प्रदेश के एक आदिवासी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3,000 महिलाओं ने शुरू किया था) द्वारा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (National Commodity and Derivatives Exchange-NCDEX) के माध्यम से किया गया था।
- भारत में छोटे किसान अक्सर अपनी सीमित क्षमता के कारण वायदा बाज़ार में व्यापार करने से संकोच करते हैं। भविष्य के बाज़ार को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और कहीं-कहीं इसे सट्टेबाज़ी के रूप में भी लिया जाता है।
  - वायदा व्यापार के स्थान पर छोटे किसान विपणन की पारंपरिक प्रणालियों पर अधिक निर्भर रहते हैं। ये लोग उच्च कमीशन लेते हैं, परंतु क्रेडिट और बाज़ार तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं।

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (National Commodity and Derivatives Exchange-NCDEX)

- NCDEX एक ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज है जो मुख्य रूप से कृषि संबंधी उत्पादों में व्यवहार करता है।
- यह सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company) है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 23, अप्रैल 2003 को स्थापित किया गया था।
- इस एक्सचेंज की स्थापना भारत के कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थानों जैसे- ICICI बैंक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि द्वारा की गई थी।
- NCDEX का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, लेकिन व्यापार की सुविधा के लिये देश के कई अन्य हिस्सों में भी इसके कार्यालय हैं।

वायदा बाज़ार के लाभ :

- **वस्तुओं के उचित मूल्य की खोज :** जब किसानों को वायदा बाज़ार से जोड़ा जाएगा, तो उन्हें वस्तुओं के उचित मूल्य की खोज करने में सहायता मिलेगी।
- **बाज़ार में अधिक तरलता :** बाज़ार में किसानों की अधिक भागीदारी बाज़ार को अधिक तरलता प्रदान करेगी। इसके कारण मूल्य की खोज में भी सहायता होगी।

नोट :

- **मध्यस्थों की समाप्ति :** वायदा बाज़ार में कारोबार करने से किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उनको पिछले साल की कीमतों के बजाय अगले साल की कीमतों के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, साथ ही वे बिचौलियों और व्यापारियों के चंगुल से भी बाहर आ जाएंगे और अंतत: कृषक परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी।

आगे की राह :

- चीन के उदाहरण से सीख लेते हुए भारत सरकार को भी वस्तुओं की कीमतों और खरीद में सीमित हस्तक्षेप करना चाहिये।
- वायदा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिये जहाँ उत्पादन सबसे अधिक होता है और उनके आसपास गोदामों एवं वितरण केंद्रों का निर्माण करना चाहिये।

घर खरीददारों को वित्तीय लेनदार का दर्ज़ा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) में किये गए संशोधन के अंतर्गत घर खरीदने वालों को वित्तीय लेनदार (Financial Creditor) का दर्ज़ा दिये जाने को वैध करार दिया है।

क्या था मामला ?

- वर्ष 2018 में एक अध्यादेश पारित कर घर खरीदार को दिवालिया घोषित कंपनी के संदर्भ में ऋणदाता (Creditor) माना गया। जिसके बाद कुछ रियल स्टेट कंपनियों ने इस संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- न्यायालय ने संशोधनों को वैध करार देते हुए फ्लैट खरीदारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा बरकरार रखा है।
- गत वर्ष IBC में धारा 5 (8) (f) जोड़ने को न्यायालय ने सही ठहराया है।
- न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के अनुसार, रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन हेतु बने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 [The Real Estate (Regulation and Development) Act-RERA] को IBC के संशोधनों के साथ पढ़ा जाना चाहिये। यदि किसी मामले में दोनों कानूनों के प्रावधानों में कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो IBC के संशोधित प्रावधान ही लागू होंगे।
- निर्णय देने वाली पीठ ने घर खरीदारों को डिफ़ॉल्टर होने वाले बिल्डरों के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने और रिफंड के लिये NCLT में आवेदन दायर करने की अनुमति दी।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, वास्तविक फ्लैट खरीदार बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर सकते हैं। न्यायालय ने केंद्र को इसके संबंध में आवश्यक कदम उठाकर न्यायालय में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
- न्यायालय के निर्णय के अनुसार, घर खरीदारों को रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ आवश्यकतानुसार RERA प्राधिकरण, NCLT और NCDRC के समक्ष कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को NCLT और उसके अपीलीय न्यायाधिकरण में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है ताकि रियल एस्टेट क्षेत्र में दिवालियेपन के बढ़ते मुकदमों का निपटन किया जा सके।
- अब दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के आवेदन के समय ही उसके पूरे करने की समय सीमा तय होगी। साथ ही वित्तीय लेनदारों के संकट का भी निवारण किया जाएगा।
- न्यायालय ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिन्होंने अभी तक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की है, को इनकी स्थापना के लिये तीन महीने का समय दिया गया है।

वित्तीय लेनदार (Financial creditors)

- वित्तीय लेनदारों में बड़े पैमाने पर बैंक तथा वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं, जिनके पास प्रक्रिया में भाग लेने के लिये तथा प्रतिलाभ प्राप्त करने हेतु योगदान के लिये अपेक्षित अधिकार क्षेत्र उपलब्ध हैं जिसमें कंपनी को फिर से ऊपर उठाने के लिये समाधान योजना जैसा एक महत्त्वपूर्ण कार्य शामिल है।

नोट :

संशोधन की आवश्यकता

- देश में लाखों लोगों द्वारा निर्माता के पास उनके पैसे फँसे होने की शिकायत के बाद इस प्रकार का संशोधन आवश्यक है क्योंकि मकान न मिलने की स्थिति में भी निर्माताओं द्वारा उनकी जमा राशि नहीं लौटाई जाती। आम लोगों को इस फैसले से काफी राहत मिलेगी क्योंकि इससे पूर्व कानून के अंतर्गत केवल बैंक और अन्य उधारदाताओं को ही अपना बकाया वापस ले सकने का अधिकार था लेकिन आम लोगों के पास इस संबंध में कोई अधिकार नहीं था।
- वर्ष 2018 के संशोधन अधिनियम के अस्तित्व में आने से पहले, दिवालिया घोषित बिल्डर की संपत्ति को उसके कर्मचारियों, लेनदार बैंकों और अन्य परिचालन लेनदारों के बीच विभाजित किया गया था। घर खरीदारों को शायद ही इसके बारे में पता चल पाता था भले ही उनकी मेहनत की कमाई ने उस आवास परियोजना का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया हो।

अपतटीय रुपया बाज़ार पर टास्क फोर्स

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऊषा थोराट (पूर्व डिप्टी गवर्नर) की अध्यक्षता में फरवरी 2019 में एक समिति (आठ सदस्यीय समिति) का गठन किया था, जिसका कार्य अपतटीय (ऑफशोर) रुपए बाज़ार (Task Force on Offshore Rupee Markets) में भारतीय मुद्रा की स्थिरता हेतु आवश्यक नीतियाँ बनाने के लिये सुझाव देना था। हाल ही में RBI द्वारा सरकार को इस समिति की रिपोर्ट सौंपी गई।

प्रमुख सुझाव

- मौजूदा समय में भारतीय बैंकों को ऑफशोर रुपए के डेरीवेटिव बाज़ार या गैर-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (Non-Deliverable Forward-NDF) बाज़ारों में सौदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- वर्तमान में ऑनशोर रुपया बाज़ार, ऑफशोर रुपया बाज़ार की तुलना में अधिक फायदेमंद और तरल है। अत: भारतीय बैंकों की ऑफशोर रुपया बाज़ार में भागीदारी समय के साथ इस लाभ को कम कर सकती है।

NDF एक विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंध है, जिसके तहत दो पक्ष भविष्य की तारीख में किसी दिये गए स्पॉट दर पर नकदी का आदान-प्रदान करने के लिये सहमत होते हैं। मूल मुद्रा के बजाय अनुबंध को व्यापक रूप से कारोबार वाली मुद्रा, जैसे अमेरिकी डॉलर में देने पर सहमति की जाती है।

- विदेशी उपयोगकर्त्ताओं की पहुँच को बढाने और भारतीय बैंकों को वैश्विक ग्राहकों को उनके समय के अनुरूप स्वतंत्र रूप से कीमतों की पेशकश करने की अनुमति देने के लिये ऑनशोर बाज़ार की कार्यअवधि का विस्तार किया जाना चाहिये।
- बैंकों को या तो घरेलू बिक्री टीम या विदेशी शाखाओं में स्थित कर्मचारियों के माध्यम से हर समय गैर-निवासियों को स्वतंत्र रूप से कीमतों की पेशकश करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- इसके अलावा गैर-निवासियों की विदेशी मुद्रा-खुदरा व्यापार मंच (forex-retail trading platform) तक व्यापक पहुँच उन्हें ऑनशोर बाज़ार का उपयोग करने के लिये बड़ा प्रोत्साहन देगी।
  - भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (International Financial Services Centers-IFSC) में कारोबार करने के लिये रुपये के डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में रूपांतरण) को सक्षम करना।
- उपयोगकर्त्ताओं को अंतर्निहित जोखिम को स्थापित करने की आवश्यकता के बिना ओवर द काउंटर (Over The Counter-OTC) करेंसी डेरीवेटिव बाज़ार में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी विनिमय की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये।

गैर-निवासियों को अपने विदेशी मुद्रा विनिमय को जोखिम मुक्त और सुविधाजनक बनाने के लिये सुझाव:

- ऑनशोर बाज़ार में अनिवासी लेनदेन के लिये एक केंद्रीय समाशोधन और निपटान तंत्र (Central Clearing and Settlement Mechanism) स्थापित करना।
- गैर-केंद्रीय रूप से बेचे गए OTC डेरिवेटिव के लिये मार्जिन आवश्यकताओं को लागू करना और भारतीय बैंकों को विदेशों में मार्जिन पोस्ट करने की अनुमति देना।

नोट :

- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स के कर उपचार को संरेखित करना।
- वित्तीय बाज़ार से संबंधित KYC मांगों का एक सामान दस्तावेज़ीकरण (documentation) मांगों के साथ केन्द्रीकरण करना।
- ऑनशोर करेंसी का अर्थ है स्थानीय रूप से खरीदी जाने वाली मुद्रा जबकि ऑफशोर करेंसी का अर्थ है राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर मुद्रा/करेंसी को खरीदना।

करेंसी डेरिवेटिव क्या हैं ?

- मुद्रा विनिमय दरों के आधार पर डेरिवेटिव भविष्य का एक अनुबंध है जो उस दर को निर्धारित करता है जिस पर किसी मुद्रा को किसी अन्य मुद्रा के लिये भविष्य की तारीख में आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- भारत में कोई भी व्यक्ति डॉलर, यूरो, यूके पाउंड और येन जैसी मुद्राओं के खिलाफ बचाव के लिये ऐसे डेरिवेटिव अनुबंधों का उपयोग कर सकता है।
- विशेष रूप से आयात या निर्यात करने वाले कॉर्पोरेट इन अनुबंधों का उपयोग किसी निश्चित मुद्रा के जोखिम के खिलाफ बचाव के लिये करते हैं।
- हालाँकि, इस तरह के सभी मुद्रा अनुबंधों का रुपए में नकद के रूप में निपटारा (cash-settled) किया जाता है, इस साल की शुरुआत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने क्रॉस मुद्रा अनुबंध के साथ-साथ यूरो-डॉलर, पाउंड-डॉलर और डॉलर- येन के साथ व्यापार में आगे बढ़ने को कहा है।

करेंसी डेरिवेटिव के साथ कोई व्यापार कैसे कर सकता है ?

- दो राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज, BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट हैं। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MSEI) में भी ऐसा ही सेगमेंट है लेकिन BSE या NSE पर इसका अधिक विस्तार देखा गया है।
- कोई भी ब्रोकर के माध्यम से मुद्रा डेरिवेटिव में व्यापार कर सकता है। संयोग से सभी प्रमुख स्टॉक ब्रोकर भी मुद्रा व्यापार सेवाएँ प्रदान करते हैं।

ओवर द काउंटर बाज़ार [Over the Counter (OTC) Market]

- लेन-देन पर मुद्रा डेरिवेटिव्स के आने से पहले मुद्रा जोखिमों को दूर करने के लिये सिर्फ ओवर द काउंटर बाज़ार ही था जहाँ भविष्य के अनुबंधों पर बातचीत की जाती थी और फिर उसे स्वीकार किया जाता था।
- यह एक अपारदर्शी और बंद बाज़ार की तरह था जहाँ ज्यादातर बैंक और वित्तीय संस्थान कारोबार करते थे।
- विनिमय/एक्सचेंज आधारित करेंसी डेरीवेटिव सेगमेंट एक विनियमित और पारदर्शी बाज़ार है जिसे छोटे व्यापारी, यहाँ तक की आम आदमी भी अपने मुद्रा जोखिम को कम करने के लिये उपयोग कर सकते है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मूल्यांकन की योजना

चर्चा में क्यों ?

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks-PSBs) की हिस्सेदारी में जारी गिरावट को दूर करने के लिये वित्त मंत्रालय ने एक विस्तृत कार्रवाई की योजना तैयार की है जिसके तहत वित्त मंत्रालय शाखा, क्षेत्र, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कुल 16 प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से PSBs की निगरानी करेगा।

PSBs का बाज़ार हिस्सा घट रहा है जबकि निजी क्षेत्र के बैंक बढ़ रहे हैं:

- दिसंबर 2018 के अंत तक PSBs अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बकाया ऋण के 63 प्रतिशत हिस्से के लिये उत्तरदाई थे।
- इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (Non-Banking Financial Companies-NBFCs) उच्च ब्याज़ दरों के बावजूद बैंकों से उधार लेकर ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम हैं।

नोट :

16 प्रदर्शन संकेतक:

आधारभूत संरचना के लिये ऋण	कृषि क्षेत्र
नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकॉनमी	हाउसिंग सेक्टर
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	स्टैंड-अप इंडिया योजना
शिक्षा	निर्यात
ग्रीन इकॉनमी	स्वच्छता गतिविधियाँ
वित्तीय समावेशन	महिला सशक्तीकरण
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	डिजिटल अर्थव्यवस्था
ATM का उपयोग और प्रदर्शन	कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी

- इसके बाद बैंकों का 18 सार्वजनिक बैंकों के औसत के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और यदि उन्हें इसमें सुस्त पाया गया तो उनके प्रदर्शन में सुधारने करने के लिये विभिन्न स्तरों पर परामर्श के बाद विशिष्ट कार्रवाई की जाएगी।

सिंचाई प्रतिरूप और मानसून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने पता लगाया है, कि सिंचाई प्रतिरूप मानसूनी वर्षा को प्रभावित कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के शोधकर्त्ताओं ने बताया है कि बेहतर सिंचाई नीति के माध्यम से वायुमंडलीय प्रतिक्रिया के साथ ही भारत में मानसूनी वर्षा को तीव्र किया जा सकता है।
- शोधकर्त्ताओं ने बताया कि, उत्तर-पश्चिमी भारत में गर्मियों में मानसूनी वर्षा में परिवर्तन और सितंबर महीने में मध्य भारत में अत्यधिक वर्षा को सिंचाई प्रतिरूप प्रभावित कर रहा है।
- सितंबर के महीने में कृषि भूमि अत्यधिक सिंचित होती है और फसलें परिपक्व होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडल में अधिक नमी विद्यमान रहती है।
- इससे पहले भी कई अध्ययनों से पता चला था कि सिंचाई भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावित करती है।
- लेकिन IIT मुंबई, नॉर्थवेस्ट पैसिफिक नेशनल लेबोरेटरी (Pacific Northwest National Laboratory) और ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी (Oak Ridge National Laboratory) के शोधकर्त्ताओं ने पहली बार स्पष्ट किया कि सिंचाई प्रबंधन में किसी बदलाव से वातावरण में नमी की मात्र में भी बदलाव होता है।

भूमि-सतह मॉडल:

- सिंचाई की मानसूनी वर्षा की भूमिका के रूप में शोधकर्त्ताओं ने भूमि-सतह मॉडल का एक मॉड्यूल विकसित किया है। यह भारत की स्थानीय मिट्टी, सिंचाई और कृषि पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
- सामान्यत: मिट्टी में नमी कम होने के कारण सिंचाई की जाती है लेकिन भारत में अनियंत्रित सिंचाई होती है।
- भारत का लगभग 50% फसल क्षेत्र धान से आच्छादित है, जहाँ खेतों को जलमग्न स्थिति में रखा जाता है। इसलिये धान के फसल क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा का प्रतिरूप अन्य जगहों से भिन्न होता है।
- सिंचाई प्रतिरूप के साथ-साथ तापमान और वाष्पीकरण भी मानसून को प्रभावित करता है।

वातावरण की प्रतिक्रिया के अध्ययन में मिट्टी की नमी को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिये। भारत में उपयोग किये जाने वाले किसी भी भूमि-सतह मॉडल हेतु भारत की स्थानीय सिंचाई और कृषि प्रणाली को ध्यान में अवश्य रखना चाहिये।

नोट :

बीजों के एकरूप प्रमाणन की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में यह उम्मीद की जा रही है कि बीज अधिनियम, 1966 को प्रतिस्थापित कर बीजों के एकरूप प्रमाणन (Uniform Certification) को अनिवार्य किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु :

- गौरतलब है कि भारत में बिकने वाले सभी बीजों में से आधे से अधिक बीज किसी भी उचित परीक्षण संस्था द्वारा प्रमाणित नहीं किये गए हैं और अक्सर वे खराब गुणवत्ता के होते हैं।
- कृषि मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, यदि ऐसा होता है तो भारत में कृषि उत्पादकता में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

क्या इस परिवर्तन की आवश्यकता है ?

अधिनियम को लागू हुए लगभग 53 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है और इस अवधि में कृषि तकनीक तथा प्रौद्योगिकी में भी काफी परिवर्तन आया है, इसी के साथ किसानों की अपेक्षाओं में भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं। इन्हीं कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधी सदी पहले लागू किये गए कानूनों को तत्काल संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

क्या परिवर्तन किया जाएगा ?

- इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता विनियमन की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करना है। वर्ष 1966 का बीज अधिनियम अग्रलिखित वाक्य से शुरू होता है- "बिक्री के उद्देश्य से कुछ बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिये एक अधिनियम" - और इस नए विधेयक का उद्देश्य इस वाक्य से "कुछ" शब्द को हटाकर इसके स्थान पर देश में बेचे जाने वाले तथा आयात व निर्यात किये जाने वाले सभी बीजों को शामिल करना है।
- आँकड़ों के अनुसार, देश में आवश्यक बीजों में से 30 प्रतिशत बीज किसानों द्वारा खुद ही अपनी फसलों से बचाए जाते हैं, परंतु बाकी बचे हुए बीजों, जो संभवत: बाज़ार से खरीदे जाते हैं, में से मात्र 45 प्रतिशत बीज ही ऐसे हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) द्वारा प्रमाणित होते हैं।
- अन्य 55 प्रतिशत बीज, जो कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा बेचे जाते हैं, अधिकतर प्रमाणित नहीं होते हैं। सरकार का उद्देश्य इसी श्रेणी को समाप्त करना है और सभी बीजों की प्रमाणिकता को अनिवार्य बनाना है।
- इस नए विधेयक में कानून का पालन न करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह राशि 500 रुपए (न्यूनतम) से 5000 रुपए (अधिकतम) तक थी, परंतु अब इसे बढ़ाकर अधिकतम 5 लाख रुपए करने पर विचार किया जा रहा है।
- इसके अलावा केंद्र सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीजों को बारकोड करने के लिये एक सॉफ्टवेयर की शुरुआत करने पर भी विचार कर रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को की गई थी।
- स्थापना के समय इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था जिसे पूर्व में परिवर्तित कर दिया गया।
- कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- देश भर में फैले 101 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों सहित यह विश्व में सर्वाधिक विस्तृत राष्ट्रीय कृषि पद्धति है।

आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिये प्रोत्साहन पैकेज

चर्चा में क्यों ?

हाल के दिनों में कई आर्थिक संकेतकों ने यह स्पष्ट किया है कि भारत आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है, और देश की शहरी तथा ग्रामीण मांग में लगातार कमी आ रही है।

नोट :

- उदाहरणस्वरूप देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर लंबे समय से मांग में गिरावट का सामना कर रहा है और इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियों के जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यदि देश की आर्थिक स्थिति लगातार ऐसी ही बनी रहती है तो इस सेक्टर में तक़रीबन 10 लाख नौकरियों के जाने का खतरा है।
- इस आर्थिक मंदी से निपटने तथा देश की वृद्धि दर को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अब प्रोत्साहन पैकेज (Stimulus Package) लाने पर विचार कर रही है।

इस आर्थिक सुस्ती के क्या कारण हैं ?

- इक्विटी बाज़ारों और बैंकिंग क्षेत्र में नीति संबंधी अनिश्चिताओं तथा गलत धारणाओं के कारण निवेश पूर्णत: रुक गया है और पहले से निवेशित राशि बाज़ार से बाहर निकाली जा रही है।
- वैश्विक स्तर पर व्यापार तनाव (अमेरिका-चीन का व्यापार युद्ध) बढ़ने के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधियों में और अधिक कमी आने तथा मंदी के तेज़ होने की संभावनाएँ हैं।
- इस कमज़ोर आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए उद्योग क्षेत्र ने वैश्विक और घरेलू मंदी के बीच निवेश चक्र शुरू करने के लिये 1 ट्रिलियन रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है।
- सरकार ने भी इस बात को महसूस किया है कि कठोर राजकोषीय नीति देश के आर्थिक विकास के लिये चिंता का विषय बनी हुई है और अकेले मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिये पर्याप्त नहीं है।
  - इसलिये सरकार ने कर में कटौती सहित कई अन्य ऐसे कदम उठाए हैं जो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार हो सकते हैं।

आर्थिक सुस्ती से निपटने हेतु प्रयास :

- इस संदर्भ में सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहा है :
  - उद्योगों को दिये जा रहे प्रोत्साहन पैकेज में अगले पाँच वर्षों में 100 ट्रिलियन का इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश शामिल होगा।
  - ऑटोमोबाइल सेक्टर सहित कई विशिष्ट क्षेत्रों को GST में राहत प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में मांग को और अधिक बढ़ाया जा सके।
  - सीमा पार से होने वाले व्यापार पर लालफीताशाही की प्रवृत्ति को दूर करने और कारोबार के लिये उचित माहौल तैयार करने के प्रयास लगातार जारी हैं।

महत्त्व :

- इससे पहले राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (Fiscal Responsibility and Budget Management Act-FRBM Act) ने सरकार को राजकोषीय नीति को आगे बढ़ाने से रोक रखा था।
- परंतु अब सरकार इस अधिनियम के बचाव खंड (Escape Clause) का सहारा लेते हुए राजकोषीय घाटे को 50 बेसिस पॉइंट तक विचलित करने पर विचार कर रही है।
  - यह सरकार को एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 1.15 ट्रिलियन खर्च करने का अधिकार दे सकता है।
- बचाव खंड (Escape Clause) : एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित FRBM Act की समीक्षा समिति ने बचाव खंड (Escape Clause) का सुझाव दिया था, यह खंड सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है।

कर और भारत का पूंजी बाज़ार

चर्चा में क्यों ?

व्यापार लागत को कम करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय एक्सचेंज सदस्यों के संघ (Association of National Exchanges Members of India-ANMI) ने भारत सरकार से दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर (Long Term Capital Gains Tax) और प्रतिभूति लेन-देन कर (Securities Transaction Tax-STT) को वापस लेने का आग्रह किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि भारत एकमात्र देश है जो STT के रूप में इक्विटी ट्रेडिंग पर कर लगाता है।
- इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत के अंतर्गत कंपनियों द्वारा कमाए गए लाभांश (Dividends) पर तीन बार कर लगाया जाता है। सर्वप्रथम निगम कर (Corporate Tax) के रूप में फिर लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax) के रूप में और अंत में निवेशक स्तर (जैसे- STT) पर।
- ANMI के अनुसार, भारतीय कर व्यवस्था के उपरोक्त तथ्य भारतीय पूंजी बाजार को वैश्विक स्तर पर अनाकर्षक बनाते हैं।

पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax)

- किसी 'पूंजीगत परिसंपत्ति' की बिक्री से हमें जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे 'पूंजीगत लाभ' कहा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, इस लाभ को 'आय' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- इसीलिये संपत्ति हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा कमाए गए लाभ पर आय के रूप में कर देना होता है जिसे 'पूंजीगत लाभ कर' कहा जाता है।
- 'पूंजीगत लाभ कर' अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों प्रकार का हो सकता है।
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर: यह कर उन परिसंपत्तियों पर लगाया जाता जिन्हें एक साल या उससे अधिक समयावधि के लिये रखा गया हो। इसके लिये दरें 0%, 15% और 20% हैं।
- अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर: यह कर उन परिसंपत्तियों पर लगाया जाता जिन्हें एक साल से कम समयावधि के लिये रखा गया हो। इस पर सामान्य आयकर की दरें ही लागू होती हैं।

निगम कर (Corporate Tax)

- यह कर सरकार द्वारा एक फर्म के लाभ पर लगाया जाता है।
- आय में से खर्चों को घटाने के बाद शेष बची आय पर यह कर लगाया जाता है।
- भारत में निगम कर की दर किसी कंपनी के स्वरूप के आधार पर निर्धारित की जाती है यानी घरेलू निगम और विदेशी निगम अलग-अलग दरों पर कर का भुगतान करते हैं।

प्रतिभूति लेन-देन कर (Securities Transaction Tax-STT)

यह कर भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के समय लगाया जाता है।

- क्रेता और विक्रेता दोनों को STT के रूप में शेयर मूल्य का 0.1% भुगतान करना होता है।

लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax)

- लाभांश वितरण कर वह कर है जो कॉर्पोरेट द्वारा अपने शेयरधारकों को दिये गए लाभांश पर देय होता है।
- एक कॉर्पोरेट इकाई के लिये उच्च लाभांश का मतलब होता है कर का अधिक बोझ।
- वर्तमान में यह सकल लाभांश के रूप में वितरित राशि का 15% है।

बुनियादी ढाँचे पर निवेश की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार देश में आधुनिक बुनियादी ढाँचे (Modern Infrastructure) के विकास के लिये 100 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगी।

प्रधानमंत्री के अनुसार,

- केंद्र सरकार का यह कदम अगले पाँच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने में सहायता करेगा।

नोट :

- भारत को 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' की रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों की सूची में पहुँचाने के लिये हमें इसी प्रकार के बड़े निवेश और सुधारों (Reforms) की आवश्यकता है।
- साथ ही कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिये सुगम वातावरण प्रदान करने हेतु भी प्रयास किये जाएंगे।
- सरकार द्वारा इस राशि का प्रयोग आधुनिक बंदरगाह, राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान आदि के निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- गौरतलब है कि वर्ष 2014 में विश्व बैंक द्वारा जारी 'डूइंग बिज़नेस' रिपोर्ट में भारत 190 देशों में 142वें स्थान पर था। वहीं वर्ष 2019 में जारी 'डूइंग बिज़नेस' रिपोर्ट में भारत का स्थान 77वाँ था।
- वर्ष 2019 की रिपोर्ट में भारत के अतिरिक्त पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की रैंकिंग क्रमश: 46वीं और 136वीं थी।
- विश्व बैंक 10 मापदंडों के आधार पर 190 देशों को रैंक प्रदान करता है।
- रैंकिंग के मापदंड:
  - किसी व्यवसाय को शुरू करना
  - निर्माण परमिट
  - बिजली प्राप्त करना
  - संपत्ति पंजीकृत करना
  - ऋण प्राप्त करना
  - लघु निवेशकों की रक्षा करना
  - करों का भुगतान करना
  - सीमा पार व्यापार
  - अनुबंधों को लागू करना
  - दिवालियापन की समस्या को हल करना

नकारात्मक दर नीति

चर्चा में क्यों ?

विश्व के कुछ प्रमुख केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से नकारात्मक दर नीति (Negative Rate Policy) सहित कई अन्य गैर-परंपरागत नीतिगत उपायों का सहारा ले रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2008 में लेहमेन ब्रदर्स (Lehman Brothers) के बंद हो जाने के पश्चात् विश्व की आर्थिक मंदी से लड़ने के लिये कई केंद्रीय बैंकों ने अपनी दरों को घटाकर 0 के आसपास कर दिया था।
- एक दशक के बाद भी सुस्त आर्थिक विकास दर के कारण कई देशों में ब्याज दर अभी भी कम बनी हुई है।
- यूरोपीय क्षेत्र सहित स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और जापान ने दरों को शून्य से थोड़ा नीचे गिरने दिया है।

नकारात्मक दर नीति कैसे कार्य करती है ?

- नकारात्मक दर नीति के तहत सभी वित्तीय संस्थाओं को केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा का अतिरिक्त भंडार रखने के लिये ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।
- इस प्रकार केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को अधिक-से-अधिक ऋण बाँटने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से नकदी रखने पर दंडित करता है।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक (European Central Bank-ECB) ने जून 2014 में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से नकारात्मक दरों की शुरुआत की थी, जिसमें ब्याज दर को -0.1% तक कम कर दिया गया था।

नोट :

नकारात्मक नीति के फायदे और नुकसान ?

- इस प्रकार की नीति के समर्थकों का मानना है कि देश में ऋण की लागत को कम करने का यह सबसे अच्छा उपाय है।
- इसके अलावा यह देश में निवेश को कम आकर्षक बनाकर वहाँ की मुद्रा दर को कमज़ोर करने में मदद करता है जिसके कारण उस देश को वैश्विक स्तर पर निर्यात लाभ प्राप्त होता है।
- इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इसके कारण ऋण देने से होने वाली वित्तीय संस्थाओं कमाई में कमी आती है।
- यदि लंबे समय तक इसकी दरें बनी रहती हैं तो वित्तीय संस्थाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और वे ऋण देने पर रोक लगा सकती हैं जिसके कारण अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुँच सकता है।
- इसके अतिरिक्त जमाकर्त्ता बैंक में पैसे रखने के बजाय नकदी का विकल्प भी चुन सकते हैं।

इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिये क्या कर रहे हैं केंद्रीय बैंक ?

- बैंक ऑफ जापान (The Bank of Japan-BOJ) ने इस संदर्भ में स्तर आधारित व्यवस्था को अपनाया है, जिसके तहत वितीय संस्थाओं द्वारा जमा की गई राशि के कुछ हिस्से पर -0.1% की दर तय की गई है और बाकी बचे हिस्से पर 0-0.1% की दर तय की गई है।

CSR पर गठित इंजेती श्रीनिवास समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsiblity-CSR) पर गठित इंजेती श्रीनिवासन समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की है।

प्रमुख बिंदु

- इस समिति ने CSR के अनुपालन के उल्लंघन को सिविल अपराध की श्रेणी में रखकर जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। हाल ही में सरकार ने अनुपालन के उल्लंघन की दशा में तीन साल की जेल का प्रावधान किया था।
- समिति ने CSR पर खर्च को कर कटौती योग्य (Tax Deductible) करने की सिफारिश की है।
- CSR की खर्च न की जा सकी राशि को अगले 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिये आगे बढ़ाने (Carry Forward) की सिफारिश की गई है।
- समिति ने कंपनी अधिनियम के खंड-7 (SCHEDULE VII) को संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाने की सिफारिश की है। कंपनी अधिनियम के खंड-7 में CSR की राशि को खर्च करने हेतु मान्य गतिविधियाँ शामिल हैं।
- CSR में आपदा प्रबंधन, विकलांग कल्याण, विरासत संरक्षण, खेल संवर्द्धन, बुजुर्ग कल्याण आदि से संबंधित कोष को शामिल किया जाना चाहिये।
- CSR को एक व्यापक प्रक्रिया बनाकर इसमें सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिये नवीन प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाई जानी चाहिये।
- CSR को सरकारी योजनाओं में धनराशि की कमी को पूरा करने के संसाधन के रूप प्रयोग नही किया जाना चाहिये।
- समिति ने यह भी सिफारिश की है कि 50 लाख रुपए से कम CSR-निर्धारित राशि (CSR-Prescribed Amount) वाली कंपनियों को CSR समिति के गठन से छूट दी जा सकती है।
- CSR गतिविधियों के अंतर्गत आने वाली स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकताओं (स्थानीय पर्यावरण पेयजल, शिक्षा आदि) को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करने की भी सिफारिश की गई है।
- 5 करोड़ रूपए या इससे अधिक राशि वाले CSR के लिये प्रभाव आकलन अध्ययन (Impact Assessment Studies) भी शुरू करने की सिफारिश की गई है।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के पोर्टल पर CSR-कार्यान्वयन एजेंसियों के पंजीकरण की भी सिफारिश की गई है।

नोट :

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsiblity-CSR)

- CSR से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों, जैसे- संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है।
- CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है, जिनका निवल मूल्य (Net Worth) ₹ 500 करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार (Turnover) ₹1000 करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ (Net Profit) ₹5 करोड़ से अधिक हो।
- CSR के तहत उपरोक्त कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2% निम्नलिखित गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता है:
  - गरीबी व भूख का उन्मूलन।
  - शिक्षा का प्रचार-प्रसार।
  - लिंग समानता व नारी सशक्तीकरण।
  - पर्यावरण संरक्षण।
  - शिशु-मृत्यु दर व मातृ-मृत्यु दर में सुधार।
  - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिये केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी कोष में योगदान आदि।

प्रभाव आकलन अध्ययन (Impact Assessment Studies)

- CSR परियोजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तथा उनके आस-पास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का मूल्यांकन प्रभाव आकलन अध्ययन (Impact Assessment Studies) कहलाता है।
- यह परियोजना से संबंधित हितधारकों को परियोजना के संपूर्ण प्रभावों व परिणामों को समझने में सहायक होता है।
- प्रभाव आकलन अध्ययन परियोजना से संबंधित निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाता है।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में बदलाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme-GMS) को अधिक उदार बनाते हुए जमाकर्त्ताओं को अपने सोने (Gold) को सीधे बैंकों और रिफाइनरों (Refiners) के पास जमा करने की अनुमति दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि इससे पूर्व किसी भी जमाकर्त्ता को सर्वप्रथम उन संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्रों (Collection and Purity Testing Centres-CPTCs) के पास अपना सोना जमा करवाना होता था जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- इसके बाद CPTCs जमाकर्त्ताओं को जमा किये गए सोने के लिये प्रमाणपत्र देते थे और उस प्रमाणपत्र के आधार पर बैंक उस व्यक्ति का खाता खोल देते थे।
- आँकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक केवल 16 टन सोना ही एकत्रित किया जा सका है और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह योजना भारतीय जमाकर्त्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रही है।
- **असफलता का कारण:**
  - इस योजना की असफलता का मुख्य कारण योजना के प्रति बैंकों की उदासीनता को माना जा रहा है, साथ ही बैंकों को CPTCs के साथ व्यवहार करने में आने वाली चुनौतियाँ भी इस संदर्भ में बड़ी बाधाएँ हैं।
- वार्ताओं की एक लंबी श्रृंखला के बाद RBI ने यह निर्णय लिया है कि अब जमाकर्त्ता सीधे बैंकों के पास भी जा सकता है।

नोट :

- रिज़र्व बैंक के इस कदम से मंदिरों, फंड हाउस, ट्रस्टों और यहाँ तक कि सरकारी संस्थाओं को भी CPTCs के स्थान पर बैंकों के साथ व्यवहार करने में सहजता महसूस होगी।
- RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे जल्द-से-जल्द सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपनी ब्रांचों का निर्धारण करें जहाँ वे लोगों द्वारा जमा किये जाने वाले सोने को स्वीकार करेंगे।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme-GMS):

- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।
- इसके तहत कोई भी व्यक्ति, चैरिटेबल संस्था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थान आदि अपना सोना बैंक में जमा कर सकता है।
- इस पर उन्हें 2.25% से 2.50% तक ब्याज मिलता है एवं परिपक्वता अवधि के पश्चात् वे इसे सोना अथवा रुपए के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना की खास बात यह है कि पहले लोग सोने को लॉकर में रखते थे और इसके लिये कुछ राशि भी देनी होती थी, लेकिन अब लॉकर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस पर कुछ निश्चित ब्याज भी मिलता है।
- 'स्वर्ण मुद्रीकरण योजना' भारत द्वारा बड़े पैमाने पर किये जाने वाले स्वर्ण आयात को कम करने के लिये प्रारंभ की गई थी क्योंकि स्वर्ण आयात भारत के व्यापार घाटे (Trade Deficit) की एक बड़ी वज़ह है।
- इस योजना के तहत लोग अपने बेकार पड़े सोने को 'सावधि जमा' के रूप में बैंक में जमा कर सकते हैं।
- सरकार को आशा थी कि इस पहल से घरों एवं मंदिरों में बेकार पड़ा सोना बड़ी मात्रा में बैंकों में जमा होगा जिसे पिघलाकर जौहरियों एवं अन्य प्रयोक्ताओं को प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रकार सोने के पुनर्चक्रण के माध्यम से सोने के आयात को घटाया जा सकेगा।

NBFC हेतु नए दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

RBI द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFC) को कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा प्राथमिक क्षेत्र के तहत आवास श्रेणियों को ऋण में प्राथमिकता देने संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- बैंकों को अपने कुल प्राथमिक ऋण क्षेत्र (Priority Sector Lending- PSL) में से 5% इन क्षेत्रों को ऋण देने की अनुमति होगी।
- इस कदम से बैंकों द्वारा NBFC विशेषकर आवासीय वित्त कंपनियों (Housing Finance Companies- HFCs) के क्षेत्रक में ऋण की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में यह क्षेत्र अत्यधिक तरलता संकट का सामना कर रहा है।
- RBI ने कहा है कि नवीनतम दिशा-निर्देश चालू वित्त वर्ष तक मान्य होंगे, इसके बाद उनकी फिर से समीक्षा की जाएगी।
- ऑन-लेंडिंग मॉडल (On-lending Model) के तहत दिये गए ऋण को परिपक्वता की अवधि तक PSL के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- वर्तमान ऑन-लेंडिंग दिशा-निर्देशों के तहत बैंकों द्वारा HFC क्षेत्र को दिये गए ऋण को PSL के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

जब कोई संगठन किसी दूसरे संगठन से ऋण लेकर किसी तीसरे क्षेत्र को ऋण देता है तो इसे ऑन-लेंडिंग मॉडल (On-lending Model) कहते हैं। उदाहरण के तौर पर; बैंकिंग क्षेत्र की कोई इकाई केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर उसे किसी गैर-बैंकिंग क्षेत्र जैसे- आवासीय क्षेत्र को ऋण प्रदान करें।

- इस व्यवस्था के तहत कृषि क्षेत्र को 10 लाख रुपए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और HFC को 20 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किये जाएँगे।

प्राथमिक ऋण क्षेत्र (Priority Sector Lending- PSL)

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिन्हें भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक देश की मूलभूत ज़रूरतों के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण मानते हैं और इन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाती है।

नोट :

- सामान्यत: इन क्षेत्रों को समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिये केंद्रीय बैंकों द्वारा संपूर्ण ऋण में से इन क्षेत्रों का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार की कोटा व्यवस्था को ही प्राथमिक ऋण क्षेत्र (Priority Sector Lending कहा जाता है।
- वर्ष 2016 में RBI द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, PSL की आठ व्यापक श्रेणियों में कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा कुछ अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वृद्धि के फलस्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.620 बिलियन डॉलर बढ़कर 430.572 बिलियन डॉलर हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

- एक निश्चित समय पर किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी 'विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति' होती है।
- किसी देश के 'विदेशी मुद्रा भंडार' (Foreign Exchange Reserves) से आशय उस देश की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDRs), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिज़र्व ट्रेन्च (Reserve Tranche) आदि से है।
- विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है।
- आधिकारिक तौर पर RBI न तो किसी विशेष विनिमय दर और न ही विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित करता है, लेकिन विदेशी मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता को कम करने के लिये RBI विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखता है।
  - विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग RBI द्वारा उस स्थिति में किया जाता है जब रुपया डॉलर के मुकाबले अस्थिर हो जाता है।
- गौरतलब है कि वर्तमान में चीन के पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार (लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर) है। भारत इस श्रेणी में छठे स्थान पर है।

रिज़र्व ट्रेन्च (Reserve Tranche)

रिज़र्व ट्रेन्च वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिये कर सकते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यत: आपातकाल की स्थिति में किया जाता है।

विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDRs)

- SDR को IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था।
- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है।
- आरंभ में SDR को 0.888671 ग्राम सोने के बराबर परिभाषित किया गया था, जो उस समय एक डॉलर के बराबर था, परंतु ब्रेटन वुड्स प्रणाली (Bretton Woods System) के पतन के बाद SDR को मुद्राओं की एक टोकरी के रूप में फिर से परिभाषित किया गया था।

इस टोकरी में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर (Dollar), यूरोप का यूरो (Euro), चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी (Renminbi), जापानी येन (Yen), ब्रिटेन का पाउंड (Pound)।

किसान क्रेडिट कार्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card-KCC) सेचुरेशन कैंपेन (Saturation campaign) शुरू किया है, इसका उद्देश्य ऐसे किसानों जिन्हें अभी तक ऋण प्रदान नहीं किया जा सका है, को उनकी ऋण की आवश्यकताओं (कृषि संबंधी खर्चों) की पूर्ति के लिये पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare) के अनुसार, वर्तमान में 14.5 करोड़ परिचालन भूमि जोत (Operational Landholdings) के मुकाबले 6.92 करोड़ KCCs हैं।
- KCC के तहत उधारकर्त्ता को एक ATM सह-डेबिट कार्ड जारी किया जाता है (स्टेट बैंक किसान डेबिट कार्ड) ताकि वे ATMs एवं POS टर्मिनलों से आहरण कर सकें। KCC एक विविध खाते का स्वरूप है। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस राशि पर बचत खाते के समान ब्याज मिलता है। KCC में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है।
- सेचुरेशन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ, बैंक आधार कार्ड को बैंक खातों से तत्काल लिंक करने के लिये भी कदम उठा रहे हैं क्योंकि KCC खातों के साथ आधार संख्या के लिंक न होने पर कोई ब्याज सबवेंशन नहीं दिया जाएगा।
- इसके अलावा सरकार ने KCC के सेचुरेशन के लिये कई पहलें की हैं जिसमें पशुपालन और मत्स्यपालन के कार्य में लगे किसानों को जोड़ना, KCC के तहत ऋण का कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं देना और संपार्श्विक मुक्त (Collateral Free) कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए करना शामिल है।

पृष्ठभूमि

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी।
- किसानों की ऋण आवश्यकताओं (कृषि संबंधी खर्चों) की पूर्ति के लिये पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना, साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक कार्यकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करना। यह ऋण सुविधा एक सरली कार्यविधि के माध्यम से यथा- आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाती है।
- KCC में फसल कटाई के बाद के खर्चों, विपणन हेतु ऋण, किसान परिवारों की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं, कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिये कार्यशील पूंजी और कृषि से संबद्ध गतिविधियों, कृषि क्षेत्र में निवेश ऋण की आवश्यकता को शामिल किया गया है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) को वाणिज्यिक बैंकों, RRBs, लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks) और सहकारी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना Interest Subvention Scheme

- इसका लक्ष्य किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करना है।
- ऋणदाता (उधार देने वाले) संस्थान जैसे- PSBs और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन (छूट) प्रदान करते हैं।
- यह नीति वर्ष 2006-07 से लागू हुई।
- ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना (Interest Subvention Scheme) का क्रियान्वयन नाबार्ड और RBI द्वारा किया जा रहा है।

स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत सुधार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने भारत के स्टार्टअप वातावरण को बढ़ावा देने हेतु कुछ नीतिगत सुधारों को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु:

- इस कदम से स्टार्टअप को फंड जुटाने में मदद मिलेगी, जबकि कंपनी पर प्रमोटरों (Promoters) का नियंत्रण भी बरकरार रहेगा।
- कौन होता है प्रमोटर या प्रवर्तक ?
- प्रमोटर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो कंपनी के प्रवर्तन का कार्य करता है। सामान्यत: व्यापार/कंपनी शुरू करने वाले व्यक्ति को ही प्रमोटर कहते हैं।

नोट :

- इससे पूर्व यह नियम था कि यदि किसी स्टार्टअप को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स (Differential Voting Rights-DVR) वाले शेयर जारी करने हों तो उसे कम-से-कम तीन साल तक वितरण योग्य लाभ कमाना ज़रूरी होता था, परंतु अब इस नियम को समाप्त कर दिया गया है।
- इसके अलावा भारतीय कंपनियों को अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले अधिक शेयर जारी करने की भी अनुमति दे दी गई है।
  - इस नियम के लागू होने से पूर्व एक कंपनी केवल 26 प्रतिशत DVR ही जारी कर सकती थी, परंतु अब इसे परिवर्तित कर 74 प्रतिशत कर दिया गया है।

डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स (Differential Voting Rights-DVR):

- किसी भी स्टार्टअप के संस्थापक या प्रमोटर कंपनी पर तब अपना नियंत्रण खो देते हैं जब वे अधिक-से-अधिक फंड जुटाने के चक्कर में ज़्यादा-से-ज़्यादा समता अंश (Equity Shares) जारी कर देते हैं। संस्थापकों की इस समस्या को DVR के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है।
- DVR शेयर एक सामान्य समता अंश की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी स्थिति में एक-शेयर, एक-वोट के सामान्य नियम का पालन नहीं किया जाता है।
- यह कई नए निवेशकों के आने के बाद भी प्रमोटरों को कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है।

मंत्रालय के इस कदम का महत्त्व:

- इससे पूर्व अधिक-से-अधिक फंड की चाह में स्टार्टअप के संस्थापक या प्रमोटर विदेशी निवेशकों को कंपनी के समता अंश जारी करते थे जिससे कारण वे कंपनी पर अपना अधिकार खो देते थे।
  - परंतु इस परिवर्तन के पश्चात् सभी संस्थापक कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम होंगे।
- उपरोक्त दो बदलावों से स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- इससे उन भारतीय कंपनियों को भी मज़बूती मिलेगी जिनका अतिक्रमण बड़े निवेशकों द्वारा उनके बाज़ार का फायदा उठाने के उद्देश्य से कर लिया गया है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2018 में वालमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी

चर्चा में क्यों ?

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चररस (Society of Indian Automobile Manufacturers-SIAM) द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबिक बीते जुलाई माह में देश भर में सभी प्रकार के वाहनों की बिक्री में 18.71 प्रतिशत की गिरावट आई है। जुलाई में बेचे गए कुल वाहनों की संख्या जून के मुकाबले 22.45 लाख से घटकर 18.25 लाख इकाई तक आ गई। वाहनों की बिक्री में आई यह गिरावट विगत 19 वर्षों में सबसे अधिक है।

- ऑटो सेक्टर में सबसे खराब प्रदर्शन दैनिक आधार पर उपयोग किये जाने वाले वाहनों के खंड (Segments) का रहा है। इस खंड में लगभग 31 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) लगभग एक साल पहले शुरू हुई इस मंदी को रोकने में असफल रहा है और हालत इस हद तक खराब हो चुके हैं कि इस सेक्टर की कई दिग्गज कंपनियों को अपने उत्पादन कार्य तक को रोकना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक, उत्पादन कार्य के रुकने से इस सेक्टर में लगभग 2.15 लाख लोगों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ा हैं।

क्या हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर को ?

इस सेक्टर के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 की शुरुआत काफी अच्छी रही थी और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2018) में वाहनों की बिक्री 18 प्रतिशत बढ़कर लगभग 70 लाख इकाईयों तक पहुँच गई थी, परंतु जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया ऑटो सेक्टर मंदी की

नोट :

गिरफ्त में आता गया और इस सेक्टर की वर्तमान परिस्थितियाँ काफी चिंताजनक हो गई हैं। ऑटो सेक्टर की मंदी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सेक्टर में सबसे आगे रहने वाली कंपनी मारुती (Maruti) को जुलाई 2018 की तुलना में जुलाई 2019 में 36.7 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

बिक्री न बढ़ने का कारण

बीते कई महीनों में ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों, अधिक ब्याज़ दरों और वाहन बीमा लागत में वृद्धि के कारण वाहनों की कुल लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे वातावरण में त्योहारों का सीज़न भी मांग में वृद्धि करने में विफल रहा जिसके कारण वाहन कंपनियों के पास वाहनों का बड़ा स्टॉक जमा हो गया।

इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies-NBFC) का वित्तीय संकट भी इस गिरावट का प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि ग्रामीण बाज़ार में बिकने वाले आधे से अधिक वाहन NBFC द्वारा ही वित्तपोषित किये जाते हैं और यदि NBFC सेक्टर वित्त प्रदान नहीं करेगा तो इसका सीधा असर वाहनों की बिक्री पर भी देखने को मिलेगा।

इसके अतिरिक्त ऑटो सेक्टर में मंदी का एक बड़ा कारण प्रत्यक्ष रूप से GST को भी माना जा रहा है। वर्तमान में सभी वाहनों पर GST की दर 28 प्रतिशत है जिसके कारण वाहनों की कुल लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे व्यापार युद्ध के प्रभाव को भी भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की मंदी का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।

उपरोक्त कारणों के परिणामस्वरूप ही वाणिज्यिक वाहनों और दुपहिया वाहनों सहित सभी वाहन श्रेणियों में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की जा रही है। इससे पहले यह आशा व्यक्त की गई थी कि यह गिरावट चुनाव की वजह से सामने आ रही है और चुनाव खत्म होते ही वाहनों की मांग में फिर वृद्धि होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ।

लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं वाहन?

यह अनुमान है कि कुछ उपभोक्ता नए भारत स्टेज (BS)-VI उत्सर्जन मानक वाले वाहन खरीदने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसे 1 अप्रैल, 2020 से लागू करने का फैसला लिया गया है। उद्योग से जुड़े कुछ लोगों ने यह भी चिंता ज़ाहिर की है कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना भी खरीदारों को पेट्रोल और डीज़ल वाहनों की खरीद को स्थगित करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोज़गार की स्थिति?

भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रदान करने वाले उद्योगों में से एक है जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 37 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है। देश की GDP में इसका 7 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान है, परंतु लंबे समय तक मांग में कमी के कारण उद्योग के उत्पादन में काफी गिरावट आई है और इस क्षेत्र में नौकरियाँ भी काफी कम हो गई हैं। आँकड़ों के मुताबिक इस सेक्टर में मांग में कमी के कारण देशभर में तकरीबन 300 डीलरशिप बंद हो गई हैं। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Automotive Component Manufacturers Association of India) द्वारा चेतावनी दी गई थी कि यदि लंबे समय तक इस सेक्टर की यही स्थिति बनी रहती है तो लगभग 10 लाख नौकरियों के समाप्त होने का खतरा बना हुआ है और यदि ऐसा होता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये बड़े रोज़गार संकट को जन्म देगा।

ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग

ऑटोमोबाइल सेक्टर नए लॉन्च और ऑफर के बावजूद भी बिक्री में आई गिरावट को काबू करने में असफल रहा है और ऐसे में इस सेक्टर की मांग यह है कि इस संबंध में तत्काल सरकारी हस्तक्षेप किया जाए। उद्योग की मांग है कि 28 प्रतिशत की मौजूदा GST दर को 18 प्रतिशत किया जाए ताकि वाहनों के मूल्य में तत्काल गिरावट हो सके। इसके अलावा यह भी मांग की जा रही है कि NBFC संकट से निपटने के लिये सरकार द्वारा तत्काल कुछ उपाय किये जाए और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये नीति को स्पष्ट किया जाए। हाल ही में उद्योग प्रतिनिधियों और वित्त मंत्री के बीच हुई बैठक में भी पूर्वलिखित मांगों को दोहराया गया है।

विलय और अधिग्रहण हेतु ग्रीन चैनल

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) ने कुछ निश्चित प्रकार के विलय और अधिग्रहण (Mergers and Acquisitions-M&A) को मंज़ूरी देने के लिये एक ग्रीन चैनल (Green Channel) की शुरुआत की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- प्रतिस्पर्द्धा कानून समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिवालिया समाधान प्रक्रिया में सुधार के उपायों का सुझाव दिया।
  - समिति द्वारा की गई सिफारिशों में सबसे प्रमुख है कुछ निश्चित विलय और अधिग्रहण सौदों की स्वत: मंज़ूरी के लिये एक 'ग्रीन चैनल' का निर्माण। इसमें मुख्यत: वे सौदे शामिल हैं जो दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) के तहत आते हैं।

क्या मतलब है 'ग्रीन चैनल' का ?

- ग्रीन चैनल के निर्माण की सिफारिश प्रतियोगिता कानूनों की समीक्षा करने वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है।
- ग्रीन चैनल कुछ शर्तों के आधार पर निश्चित प्रकार के विलय और अधिग्रहण को शीघ्र मंज़ूरी देने के लिये एक स्वचालित प्रणाली की अनुमति देता है।
- ग्रीन चैनल यह कार्य कुछ पूर्व लिखित मापदंडों के आधार पर करेगा।
- इसकी शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य भारत में व्यापार को आसान बनाने की ओर एक कदम बढ़ाना है।
- ग्रीन चैनल की अवधारणा पहले से ही सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में मौजूद है।

विलय का अर्थ:

विलय का अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपनियाँ एक नई कंपनी के निर्माण हेतु एक साथ आती हैं। विलय का प्रमुख उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धा को कम करना और एक निश्चित क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाना होता है।

अधिग्रहण का अर्थ:

जब कोई एक व्यावसायिक इकाई किसी दूसरी व्यावसायिक इकाई को खरीदती है तो उसे अधिग्रहण कहा जाता है। सबसे मुख्य बात यह है कि इसके अंतर्गत किसी भी नई कंपनी का गठन नहीं किया जाता है।

विलय और अधिग्रहण में अंतर:

- विलय और अधिग्रहण में सबसे बड़ा अंतर यही है कि विलय के अंतर्गत एक नई कंपनी का निर्माण किया जाता है, जबकि अधिग्रहण के अंतर्गत किसी भी नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है।
- विलय का उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धा को कम करना होता है, जबकि अधिग्रहण का उद्देश्य तात्कालिक विकास करना होता है।
- विलय में कानूनी औपचारिकताएँ अधिक होती हैं, जबकि अधिग्रहण में विलय की अपेक्षा कम कानूनी औपचारिकताएँ होती हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI):

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की स्थापना 14 अक्तूबर, 2003 को की गई थी।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं छ: सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या 2 से कम तथा 6 से अधिक नहीं होनी चाहिये लेकिन अप्रैल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग में CCI का आकार एक अध्यक्ष और छह सदस्य (कुल सात) से घटाकर एक अध्यक्ष और तीन सदस्य (कुल चार) करने को मंज़ूरी दे दी है।
- सभी सदस्यों को सरकार द्वारा 'नियुक्त' (Appoint) किया जाता है।
- इस आयोग के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - प्रतिस्पर्द्धा को दुष्प्रभावित करने वाले चलन (Practices) को समाप्त करना एवं टिकाऊ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना।
  - उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।
  - भारतीय बाज़ार में 'व्यापार की स्वतंत्रता' सुनिश्चित करना।
  - किसी प्राधिकरण द्वारा संदर्भित मुद्दों पर प्रतियोगिता से संबंधित राय प्रदान करना।
  - जन जागरूकता का प्रसार करना।
  - प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

नोट :

गैर-कृषि जिंस गोदाम

चर्चा में क्यों ?

WDRA और SEBI गैर-कृषि जिंस गोदामों के विनियमन हेतु मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (Warehousing Development and Regulatory Authority-WDRA) कृषि वस्तुओं के भंडारण हेतु गोदामों का नियमन करता है।

गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (Warehousing Development and Regulatory Authority-WDRA):

- WDRA का गठन 26 अक्तूबर, 2010 को गोदाम (विकास और विनियामक) अधिनियम 2007, के तहत किया गया था।
- WDRA को गोदामों के विकास और विनियमन के लिये नियम बनाने संबंधी कार्य सौंपा गया है।
- इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- WDRA भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- इस प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- कृषि और गैर-कृषि जिंसों के गोदामों के मानदंडों की आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। इसलिये अब गैर-कृषि गोदामों हेतु अलग मानक बनाए जा रहे हैं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (The Securities and Exchange Board of India- SEBI) नेपोर्टफोलियो निवेशकों को म्यूचुअल फंड और हेज फंड के अतिरिक्त वस्तुओं में भी निवेश करने की अनुमति दी है।
- इसके साथ ही SEBI ने डेरिवेटिव (Derivatives) एक्सचेंजों को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं के डेरिवेटिव (Derivatives) का निपटान करना अनिवार्य कर दिया है।
- कृषि गोदामों को विनियमित किये जाने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रसीदें भी दी जाती हैं, साथ ही डेरिवेटिव एक्सचेंजों ने व्यापारियों के लिये ऐसी रसीदें देना अनिवार्य कर दिया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI)

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- इसके मुख्य कार्य हैं -
  - प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
  - प्रतिभूति बाज़ार (Securities Market) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और सूचीबद्ध फर्मों द्वारा डिबेंचर जारी करने के लिये डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व (Debenture Redemption Reserve- DRR) के नियमों में परिवर्तन किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- कंपनी कानूनों के तहत धन जुटाने वाली संस्थाओं को डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व का निर्माण करना होता है।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सूचीबद्ध कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की 25% DRR आवश्यकता को हटा दिया है।
- ये नियम सरकारी संस्थानों के साथ निजी संस्थानों पर भी लागू होगें।
- गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में DRR आवश्यकता को बकाया डिबेंचर के 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
- सरकार इस प्रकार के प्रावधानों के माध्यम से कंपनियों द्वारा जुटाई जा रही पूंजी की लागत को कम करने का प्रयास कर रही है।

डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व (Debenture Redemption Reserve- DRR):

- डिबेंचर जारी करने वाले निगम को कंपनी के डिफॉल्ट होने की संभावना से निवेशकों को बचाने हेतु DRR को बनाए रखना पड़ता है।
- यह प्रावधान भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में एक संशोधन के माध्यम से वर्ष 2000 से शुरू किया गया था।
- यह प्रावधान निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि डिबेंचर किसी परिसंपत्ति या संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं होते हैं।
- वर्तमान में यदि कोई कंपनी 10 मिलियन डॉलर के डिबेंचर जारी करती है तो उसे उन डिबेंचर की परिपक्वता अवधि तक कुल जारी डिबेंचर यानी 10 मिलियन डॉलर के 25% का DRR बनाए रखना होता था।
- यदि कंपनी इस प्रकार का रिज़र्व नहीं बनाए रख पाती है तो उसे डिबेंचर धारकों को 2% की पेनाल्टी देनी होती थी।
- इस प्रकार के प्रावधान की वजह से कंपनी की लागत बढ़ जाती थी, साथ ही इससे भारत में व्यापार करने की सुगमता भी प्रभावित हो रही थी।
- इस प्रकार की नीतियों के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करना है।

प्रत्यक्ष कर संहिता समिति के सुझाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रत्यक्ष कर कानून (Direct Tax Legislation) के नए प्रस्तावित संस्करण के प्रारूप पर सुझाव देने के लिये गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है।

प्रमुख बिंदु

- प्रत्यक्ष कर कानून (DTC) पर गठित इस पैनल ने व्यक्तिगत आयकर स्लैब (slab) में बदलाव, प्रक्रियाओं और विधिक कार्यवाहियों के सरलीकरण द्वारा अनुपालन बोझ को कम करने के प्रावधान आदि के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किये है।
- पैनल ने लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax) और न्यूतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) में कुछ बदलावों का भी सुझाव दिया है।
- इस पैनल का गठन वर्ष 2017 में आयकर अधिनियम (Income-tax Act) की समीक्षा करने व प्रत्यक्ष कर कानून के प्रारूप पर सरकार को सुझाव देने हेतु किया गया।
- संहिता में प्रस्तावों का उद्देश्य व्यक्तिगत, कॉर्पोरेट आय और पूंजीगत लाभ के कराधान में निश्चितता लाना है।
- कर कानून में सुधार का उद्देश्य 'व्यापार सुगमता' (Ease of Doing Business) को प्रोत्साहित करना, अनुपालन बोझ (Compliance Burden) और कर विवादों (Tax Disputes) को कम करना है।

पैनल के सुझाव

- इस पैनल ने क़ानूनी विवादों के प्रबंधन के लिये आयकर कानून की धारा 147 और 148 में संशोधन का सुझाव दिया है। इन धाराओं में संशोधन से अधिकारियों को पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर कर निर्धारण के मामलों को फिर से शुरू करने के लिये सशक्त किया जा सकेगा। वर्तमान में 40% मुकदमें करदाता (Assessee) द्वारा कर अधिकारी के कर निर्धारण के मामले को फिर से शुरू करने के निर्णय को चुनौती देने से संबंधित हैं। कर अधिकारी 6 वर्ष तक करदाता (Assessee) के खातों की जाँच कर सकेगा।

नोट :

- पैनल ने कर संबंधी मामलों को मज़बूत कारणों के आधार पर ही पुन: शुरू करने की सिफारिश की है। सामान्यत: कर संबंधी मामलों की जाँच बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य स्रोतों के आधार पर शुरू कर दी जाती है।
- पैनल ने कर संबंधी मामलों को पुन: शुरू करने के लिये कर राशि की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है। वर्तमान में यह राशि एक लाख रुपए है।
- पैनल ने Central Board of Direct Taxes-CBDT को करदाताओं के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने की सिफारिश की है।
- पैनल ने कर अनुपालन के बोझ (Reduced Burden of Tax Compliance) को कम करने की सिफारिश की है। साथ ही कर अनुपालन को सर्वोत्तम प्रक्रियायुक्त, वैश्विक रुझानों के संगत और करदाताओं के अनुकूल बनाते हुए कर आधार (Tax Base) में वृद्धि की सिफारिश की है।
- पैनल ने कर अनुपालन व प्रशासनिक उद्देश्यों के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के प्रयोग की सिफारिश की है।
- पैनल ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन में सहयोगी अनुपालन (introducing collaborative compliance in direct tax administration) को शुरू करने की सिफारिश की है इसके तहत बैंकों, वित्तीय संस्थानों व GST नेटवर्क के डेटा को एकीकृत कर इसका उपयोग 'कर योग्य आय' का पता लगाने में किया जा सकेगा।

कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax)

- सरकार 400 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष टर्नओवर वाली कंपनियों पर भी कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 25% करेगी। अभी तक यह छूट 250 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष टर्नओवर वाली कंपनियों तक सीमित थी।
- सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में 99.3% कंपनियों के लिये चरणबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स की दर में 30% से 25% की कमी की है।
- हालाँकि केवल 0.7% बड़ी कंपनियां जो इस छूट से लाभान्वित नहीं होती हैं परंतु वे कुल कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह का लगभग 80% योगदान करती हैं।
- प्रस्तावित कॉरपोरेट कर में कमी भारतीय कंपनियों व विदेशी कंपनियों पर सामान रूप से लागू होगी।

FPI हेतु नए मापदंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors-FPIs) के लिये नियामकीय व्यवस्था को सरल बनाने के लक्ष्य से नए मानदंडों को जारी किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इन मापदंडों को जारी करने का एक उद्देश्य FPI के बहिर्गमन (Outflows) की जाँच करना भी है, क्योंकि आँकड़ों के अनुसार, जुलाई 2019 से अगस्त 2019 के बीच 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे गए थे।
- ज्ञातव्य है कि बजट 2019 में सरकार द्वारा सुपर-रिच (Super-Rich) पर उच्च कर लगाने के बाद FPI भारतीय बाज़ार से अपना पैसा वापस ले रहे हैं।
- उपरोक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए एच. आर. खान समिति (H. R. Khan committee) की सिफारिश के आधार पर FPI नियमों को फिर से तैयार किया गया है।

FPI हेतु संशोधित नियम:

- पुराने नियमों के अनुसार, यह आवश्यक था कि सभी FPIs में कम-से-कम 20 प्रतिशत निवेशक हों, परंतु अब इस नियम को समाप्त कर दिया गया है।
- विदेशी निवेशकों के लिये KYC (Know Your Customer-KYC) दस्तावेज़ की आवश्यकता का भी सरलीकरण किया गया है।

नोट :

- इसी के साथ अब अन्य देशों के वे केंद्रीय बैंक भी स्वयं को (भारत में) FPI के रूप में पंजीकृत करा पाएंगे जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटेलमेंट (Bank for International Settlement-BIS) के सदस्य नहीं हैं।
  - SEBI के अनुसार, इस तरह की इकाइयाँ अपेक्षाकृत दीर्घकालिक और कम जोखिम वाली होती हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं।
- FPI को घरेलू या विदेशी निवेशक को प्रतिभूतियों के ऑफ-मार्केट हस्तांतरण की अनुमति दी गई है।
- SEBI ने फैसला किया है कि अब FPI को तीन श्रेणियों की बजाय दो श्रेणियों- श्रेणी I और II में ही वर्गीकृत किया जाएगा।
  - SEBI ने FPI की श्रेणी- III की अवधारणा को हटा दिया है।

  उपरोक्त परिवर्तन नियामक ढाँचे को अधिक निवेशक-अनुकूल बनाएंगे।
- FPI नियमों में बदलाव के अलावा, SEBI ने इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) को रोकने के लिये व्हिसल-ब्लोअर (Whistle-Blowers) को पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया है।

इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading)

- इसका तात्पर्य सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों की अंदरूनी जानकारी, जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, का उपयोग कर उन्हें खरीदने या बेचने से है।
- आंतरिक जानकारी किसी भी ऐसी जानकारी को संदर्भित करती है जिसके परिणामस्वरूप एक निवेशक का निर्णय पर्याप्त प्रभावित हो सकता है।
- उदाहरण के लिये- एक सरकारी कर्मचारी नए पारित होने वाले विनियमन के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर काम करता है और विनियमन की जानकारी सार्वजनिक होने से कंपनी के शेयरों को खरीदकर और किसी अन्य कंपनी या फर्म को लाभान्वित कर सकता है।

रुपए की कीमत में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

वैश्विक व घरेलू कारकों के परिणामस्वरूप रुपया 72 के स्तर को पार करते हुए विगत आठ महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है।

प्रमुख बिंदु:

- ज्ञातव्य है कि बीते वर्ष 2018 में भी रुपया 74 को पार कर अपने सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया था।
- हालाँकि, 2019 की शुरुआत में रुपए के मज़बूत होने के संकेत मिले थे, लेकिन रुपए की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर रुपया अपने रिकॉर्ड स्तर तक पहुँच सकता है।
- रुपए के अलावा भारत के लिये एक बुरी खबर यह भी है कि भारतीय शेयर बाज़ार भी काफी गिरावट का सामना कर रहा है।

रुपए में गिरावट के कारण

- रुपए में गिरावट का सबसे प्रमुख कारण चीन की मुद्रा युआन (Yuan) में हुए अचानक मूल्यह्रास को माना जा रहा है। गौरतलब है कि चीनी मुद्रा युआन अमेरिका और चीन के मध्य चल रहे व्यापार युद्ध के कारण विगत 11 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है।
  - चीन की मुद्रा में मूल्यह्रास के कारण वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग बढ़ गई है और परिणामस्वरूप डॉलर अधिक मज़बूत हो गया है।
- बीते दो महीनों में भारतीय बाज़ार से भारी मात्रा में निवेश का बहिर्गमन (Outflow) हुआ है, जिसका प्रभाव भारतीय रुपए पर स्पष्ट देखा जा सकता है।
  - बजट 2019 में सरकार द्वारा सुपर रिच (Super-Rich) पर अधिक कर लगाने के बाद बीते 2 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाज़ार से लगभग 3 बिलियन डॉलर वापस निकाल लिये हैं। लगातार बढ़ रहा बहिर्गमन भारतीय बाज़ार के लिये चिंता का बड़ा विषय बन गया है। विदेशी निवेश से संबंधी इस चिंता से निपटने हेतु हाल ही में SEBI ने कुछ नए मापदंड व नियम भी जारी किये हैं।
- तेल की ऊँची कीमतों का असर भी रुपए पर देखने को मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें 60 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर पहुँच गई हैं। ज्ञातव्य है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के नेतृत्व वाली आपूर्ति कटौती के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें काफी ऊपर पहुँच गई हैं।

नोट :

रुपया कमज़ोर या मज़बूत क्यों होता है ?

- विदेशी मुद्रा भंडार के घटने या बढ़ने का असर किसी भी देश की मुद्रा पर पड़ता है। चूँकि अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा माना गया है जिसका अर्थ यह है कि निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं की कीमत डॉलर में अदा की जाती है। अत: भारत की विदेशी मुद्रा में कमी का तात्पर्य यह है कि भारत द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के आयात-मूल्य में वृद्धि तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्यात-मूल्य में कमी।
- उदाहरण के लिये भारत को कच्चा तेल आदि खरीदने हेतु मूल्य डॉलर के रूप में चुकाना होता है, इस प्रकार भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से जितने डॉलर खर्च कर तेल का आयात किया उतना उसका विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ, इसके लिये भारत उतने ही डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करे तो उसके विदेशी मुद्रा भंडार में हुई कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन यदि भारत से किये जाने वाले निर्यात के मूल्य में कमी हो तथा आयात कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो तो ऐसी स्थिति में डॉलर खरीदने की ज़रूरत होती है तथा एक डॉलर खरीदने के लिये जितना अधिक रुपया खर्च होगा वह उतना ही कमज़ोर होगा।

विदेशी मुद्रा भंडार क्या है ?

प्रत्येक देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडार होता है, जिसका प्रयोग वस्तुओं के आयात-निर्यात में किया जाता है, इसे ही विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। भारत में समय-समय पर इसके आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं।

बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये वित्तीय संस्थान

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण की ज़रूरतों को हल करने के लिये एक विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institute-DFI) स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस तरह की संस्था की स्थापना को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है क्योंकि बैंकों के पास ऐसी परियोजनाओं को वित्त देने के लिये दीर्घकालिक धन नहीं होता है।
- बैंक ऐसी परियोजनाओं के लिये ऋण नहीं दे सकते हैं क्योंकि इससे उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है।

अवसंरचना संबंधित वित्त हेतु भारत को DFI की ज़रूरत क्यों है ?

- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये इससे पूंजी प्रवाह में वृद्धि होगी और पूंजी बाज़ार सक्रिय होंगे।
- दीर्घकालिक वित्त में सुधार करने के लिये।
- अवसंरचना और आवास परियोजनाओं के लिये ऋणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये।
- जैसा कि भारत में विकास बैंक नहीं है, DFI देश के लिये एक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता को पूरा करेगा।
- बुनियादी ढाँचे से संबंधित परियोजनाओं हेतु ऋण प्रवाह में सुधार किया जा सकेगा।

RBI ने वर्ष 2017 में यह भी निर्दिष्ट किया था कि विशिष्ट बैंक न केवल तेज़ी से विकसित होती भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं बल्कि दीर्घकालिक वित्तपोषण में विद्यमान अंतर को भी भर सकते हैं।

इस प्रकार यदि सरकार देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण और पर्यावरणीय चिंताओं को हल करना चाहती है तो DFI की अवधारणा को पुनर्जीवित करना बुद्धिमानी होगी।

विकास वित्त संस्थान क्या है ?

- ये विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिये विशेष रूप से स्थापित संस्थान हैं।
- इन बैंकों की पूंजी का स्रोत राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विकास निधि है।
- यह विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रतिस्पर्द्धी दर पर वित्त प्रदान करने की क्षमता रखता है।

नोट :

यह वाणिज्यिक बैंकों से किस प्रकार भिन्न है ?

- यह वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन मानदंडों के बीच एक संतुलन बनाता है, जिसमें एक ओर वाणिज्यिक बैंक और दूसरी ओर विकास संबंधी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं।
- DFI केवल वाणिज्यिक बैंकों की तरह सादे ऋणदाता नहीं हैं, बल्कि ये अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में सहायक के रूप में भी कार्य करते हैं।

भारत में DFI का विकास:

- भारत का पहला DFI भारतीय औद्योगिक निगम (IFC) था जिसे वर्ष 1948 में लॉन्च किया गया था।
- IDBI, UTI, NABARD, EXIM बैंक, SIDBI, NHB, IIFCL आदि अन्य प्रमुख DFIs हैं।
- बाद में इनमें से कई को ICICI बैंक, IDBI बैंक, आदि जैसे बैंकों में परिवर्तित कर दिया गया।

विकास वित्तीय संस्थान का वर्गीकरण:

- सेक्टर विशिष्ट वित्तीय संस्थान: ये वित्तीय संस्थान एक विशेष क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित होते हैं।
  - उदाहरण के तौर पर: NHB पूरी तरह से आवास परियोजनाओं से संबंधित है, EXIM बैंक आयात निर्यात कार्यों की ओर उन्मुख है।
- निवेश संस्थान: ये व्यवसाय संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिये डिज़ाइन की गई सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करते हैं।
  - जैसे कि पूंजीगत व्यय वित्तपोषण (Capital Expenditure Financing) और इक्विटी ऑफरिंग्स (Equity Offerings), जिसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) जैसे: LIC, GIC और UTI भी शामिल हैं।

ऑटो ट्रिगर तंत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने कहा है कि वह जकार्ता में शुरू हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) की वार्ता में आयात में तीव्र बढ़ोतरी के विरुद्ध अस्थायी सुरक्षा उपाय के रूप में ऑटो ट्रिगर (Auto Trigger) पर अपने प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने पर बल देगा।

प्रमुख बिंदु

- भारत घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिये आयात वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु 'ऑटो-ट्रिगर' तंत्र पर बल दे रहा है।
- Auto Trigger तंत्र के अनुसार, यह RCEP के सदस्य देशों के लिये आयात शुल्क में कमी या उसे पूर्णतया समाप्ति की दशा में आयात में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिये एक व्यवस्था है। इसके तहत RCEP देशों के बीच होने वाले आयात की मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक पहुँचने पर इस पर संरक्षण शुल्क (Safeguard Duties) स्वत: लागू हो जाएगा।
- भारत प्रस्तावित Investor-State Dispute Settlement (ISDS) निकाय को RCEP समझौते में समावेशित करने का विरोध कर रहा है क्योंकि यह निकाय सदस्य देशों के घरेलू कानूनों को देश के बाहर चुनौती देने का प्रावधान करता है।
- भारत 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) के नियमों को और भी कठोर करने पर बल दे रहा है। इससे कम आयात शुल्क वाले देशों के माध्यम से वस्तुओं के आयात को रोका जा सकेगा।

रूल्स ऑफ ओरिजिन

- ये ऐसे मापदंड हैं जो किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिये आवश्यक होते हैं।
- इसके तहत कई मामलों में शुल्क और प्रतिबंध 'आयात के स्रोत' पर निर्भर करते हैं।
- भारत को आशंका है कि RCEP समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय बाज़ार ऐसे तीसरे देश से आयातित सस्ती वस्तुओं से भर जाएगा जो RCEP का सदस्य नहीं है लेकिन इसने अन्य RCEP सदस्यों के साथ FTA (Free Trade Agreement) पर हस्ताक्षर कर रखे है।

नोट :

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) एक प्रस्तावित मेगा मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) है, जो आसियान के दस सदस्य देशों तथा छह अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) के बीच किया जाना है।
- ज्ञातव्य है कि इन देशों का पहले से ही आसियान से मुक्त व्यापार समझौता है।
- वस्तुत: RCEP वार्ता की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में हुई थी।
- RCEP को ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप (Trans Pacific Partnership- TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- सदस्य देश: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड सहभागी (Partner) देश हैं।

रेपो रेट और ब्याज़ दर को जोड़ने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लगभग एक दर्जन बैंकों ने घोषणा की थी कि वे अपनी ऋण दरों को रेपो रेट (Repo Rate) से जोड़ेंगे और अब भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने कहा है कि देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को इस विषय पर विचार करना चाहिये तथा रेपो रेट को ऋण दरों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिये।

प्रमुख बिंदु:

- ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व ब्याज़ दरों को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट (Marginal Cost of Funds based Lending Rate-MCLR) के साथ जोड़ने की नीति अपनाई जाती थी।
  - मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट (MCLR) न्यूनतम ब्याज़ दर है और इससे नीचे एक बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं होती है, हालाँकि RBI कुछ विशेष मामलों में इस प्रकार की अनुमति दे सकता है।

क्यों किया जा रहा है ऐसा ?

- RBI रेपो रेट में कटौती का लाभ अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिये बैंकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि फरवरी 2019 से जून 2019 के बीच RBI ने रेपो रेट में लगभग 75 आधार अंकों की कटौती की थी परंतु ऋण लेने वाले लोगों को उसमें से सिर्फ 29 आधार अंकों का ही फायदा मिला था।
- यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार की प्रणाली अपनाकर ब्याज़ दरों को तय करने में अधिक पारदर्शिता आएगी।

रेपो रेट का आशय उस ब्याज़ दर से है जिस पर RBI बैंकों को धनराशि उधार देता है।

रिज़र्व बैंक का प्रस्ताव

- अपनी दिसंबर 2018 की मौद्रिक नीति की बैठक में रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल, 2019 से रेपो दर तथा ट्रेज़री बिल (Treasury Bill) जैसे बाहरी बेंचमार्क और सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिये मिलने वाले खुदरा ऋण को जोड़ने का प्रस्ताव किया था।
  - ट्रेज़री बिल एक मुद्रा बाज़ार प्रपत्र है जिसका प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा अल्पकालिक अवधि के ऋण एकत्रित करने हेतु किया जाता है। इसकी अधिकतम परिपक्वता अवधि 1 वर्ष की होती है।
  - ट्रेज़री बिल को भारत में पहली बार 1917 में जारी किया गया था।
- हालाँकि अप्रैल 2019 को RBI ने घोषणा की थी कि उसने उपरोक्त प्रस्ताव को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

नोट :

आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों ?

RBI ने संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (Economic Capital Framework- ECF) के तहत 1.76 लाख करोड़ रूपए केंद्र सरकार को दिया गया है।

जालान पैनल (Jalan panel):

- RBI ने आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिये पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल ने फ्रेमवर्क के तहत RBI के पास उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया है।
- केंद्र सरकार द्वारा अधिक धन की मांग के बाद इस पैनल का गठन किया गया था। RBI बोर्ड ने जालान पैनल की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।
- पैनल ने आर्थिक पूंजी के दो घटकों- वसूल की गई इक्विटी (Realized Equity) और पुनर्मूल्यन शेष (Revaluation Balances) के बीच एक स्पष्ट अंतर करने की सिफारिश की।
- पैनल ने यह भी अनुशंसा की थी कि वसूल की गई इक्विटी (Realized Equity) का उपयोग प्राथमिक जोखिमों को पूरा किया करने के लिये किया जाएगा क्योंकि यह आय का मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त पुनर्मूल्यन शेष (Revaluation Balances) को केवल बाज़ार जोखिमों के लिये जोखिम बफर के रूप में रखा जाए क्योंकि वे सत्यापित मूल्यांकन लाभ नहीं होते हैं।
- RBI द्वारा मौद्रिक, वित्तीय और बाह्य स्थिरता जोखिमों से सुरक्षा के लिये बनाई गई रिस्क प्रोविज़निंग (Risk Provisioning) राशि देश को मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है।
- रिस्क प्रोविज़निंग (Risk Provisioning) राशि को कॉटिंजेंट रिस्क बफ़र (Contingent Risk Buffer- CRB) भी कहा जाता है और इसे RBI की बैलेंस शीट के 6.5% से 5.5% के बीच बनाए रखना होता है।
- CRB 6.5% से 5.5% के मानक में से मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम 5.5% से 4.5% और क्रेडिट तथा परिचालन जोखिम 1.0% शामिल होता है।
- सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी (Surplus Distribution Policy) के अनुसार वसूल की गई इक्विटी (Realized Equity) के आवश्यकता से अधिक होने पर पूरी शुद्ध आय सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

फार्म इन एक्स्पेंसेस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes-CBDT) ने स्पष्ट किया है कि तेल अन्वेषण और उत्पादन (E&P) कंपनियों द्वारा किये गए 'फार्म इन' (Farm in) एक्स्पेंसेस को अमूर्त संपत्ति (Intangible Asset) माना जाएगा और इस तरह यह मूल्यह्रास (Depreciation) के तहत दावे के योग्य होगा।

प्रमुख बिंदु

- इसके बाद 'फार्म इन' एक्स्पेंसेस परिशोधन व्यय (Unamortised Expenditure) में परिवर्तित हो जाएगा।
- परिशोधन व्यय वह व्यय हैं जो किसी कंपनी के लाभ व हानि के विवरण में से समय-समय पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता हैं।
- परिशोधन व्यय को मूल्यह्रास के रूप में अनुमति दी जाती है और अधिशेष पर कर लगाया जाता है।
- यह घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने तथा तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन को बढाने में सहायक होगा।
- 'फार्म इन' एक्स्पेंसेस तब आरोपित किया जाता है जब तेल और गैस व्यवसाय की कोई कंपनी तेल/गैस ब्लॉक में किसी अन्य कंपनी से पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट (PI) प्राप्त कर लेती है और उत्पादन साझा समझौता (Production Sharing Agreement -PSC) का हिस्सा बन जाती है।

नोट :

- पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट (PI) कंपनी के शेयर को खरीदने के समान ही होता है।
- किसी उपक्रम के 20% या अधिक शेयरों की होल्डिंग को एक PI माना जाता है।
- CBDT ने यह भी स्वीकार किया है कि E&P कंपनियों की खरीद (Farm-in) और बिक्री (Farm-out) की प्रक्रिया PSC के अंतर्गत PI को जोखिम साझा करने, नई और विशेषज्ञता वाली प्रौद्योगिकी लाने के लिये प्रयोग किये जाने वाली आम अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि है।

उत्पादन साझाकरण अनुबंध

- यह हाइड्रोकार्बन उद्योग में कांट्रेक्टर और सरकार के मध्य होने वाले अनुबंध के लिये प्रयोग किये जाना वाला पद है। इस अनुबंध के तहत कांट्रेक्टर अन्वेषण जोखिम, उत्पादन और विकास व्यय को वहन करता है और बदले में उत्पादन से प्राप्त लाभ में हिस्सेदारी प्राप्त करता है।
- उत्पादन साझाकारण अनुबंध को देश में तेल और गैस संसाधनों की वृद्धि के लिये वर्ष 1997 में सरकार द्वारा शुरू की गई नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (New Exploration and Licensing Policy-NELP) के अंतर्गत अपनाया गया।
- यह अनुबंध कांट्रेक्टर को सरकार के राजस्व में अपनी हिस्सेदारी देने से पूर्व लागत व्यय वसूलने की अनुमति देता है।

'फार्म इन' एक्स्पेंसेस

- यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत एक ऑपरेटर के स्वामित्व वाले पट्टे (तेल या गैस की खोज या उत्पादन के लिये) में अन्य ऑपरेटर हिस्सेदारी खरीदता है।
- फार्म-इन के तहत मूल मालिक को विकास लागतों में मदद करने और खरीदार के लिये कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के स्रोत को सुरक्षित करने हेतु बातचीत की जाती है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxation)

- वर्ष 1963 में 'केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963' (Central Board of Revenue Act, 1963) के माध्यम से CBDT का गठन किया गया।
- CBDT केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है।
- यह देश में प्रत्यक्ष करों की नीति और नियोजन के लिये इनपुट प्रदान करता है और साथ ही आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन हेतु भी ज़िम्मेदार है।

माइक्रोक्रेडिट मॉडल

चर्चा में क्यों ?

माइक्रोक्रेडिट (Microcredit) ने समाज में गरीबों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये एक उपकरण के रूप में बहुत अधिक ख्याति प्राप्त की है, परंतु विशेषज्ञों के अनुसार इस मॉडल की कुछ खामियाँ भी हैं, जिन्हें दूर कर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है।

माइक्रोक्रेडिट का अर्थ

- माइक्रोक्रेडिट का तात्पर्य छोटे उधारकर्त्ताओं को कम मात्रा में ऋण उपलब्ध कराना है ताकि वे उस पूँजी का उपयोग स्व-रोज़गार करने तथा अपने व्यवसाय को और अधिक मज़बूत करने के लिये कर सकें।
- माइक्रोक्रेडिट के रूप में दिया जाने वाला ऋण अक्सर ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास या तो गिरवी रखने के लिये कुछ नहीं होता है या आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं होता है।
- माइक्रोक्रेडिट का मुख्य विचार यह है कि एक छोटा ऋण उन लोगों को बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुँच प्रदान करेगा जो आम तौर पर उन संस्थानों के दायरे से बाहर रहते हैं जिन पर मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।
- छोटे उत्पादकों को उत्पादन गतिविधियों को शुरू करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से ऐसा ऋण दिया जाता है, जिसके बाद उत्पादक स्वयं को स्थापित करने में सक्षम होगा और धीरे-धीरे ऋण को चुका देगा।
- कभी-कभी माइक्रोक्रेडिट लेते समय लिखित समझौता भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार का ऋण लेने वाले अधिकतर लोग निरक्षर होते हैं।

नोट :

माइक्रोफाइनेंस का ही है हिस्सा

- माइक्रोक्रेडिट, माइक्रोफाइनेंस का ही हिस्सा है। माइक्रोफाइनेंस का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाना, जिनके पास पारंपरिक रूप से वित्त तक पहुँच नहीं है।
- माइक्रोफाइनेंस गतिविधियाँ आमतौर पर कम आय वाले व्यक्तियों को लक्षित करती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं। इस तरह माइक्रोफाइनेंस गतिविधियों का एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन भी है।
- माइक्रोक्रेडिट संस्था का एक उदाहरण बांग्लादेश स्थित ग्रामीण बैंक (Grameen Bank) है, जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में मोहम्मद यूनुस ने की थी। इस बांग्लादेशी बैंक ने अब तक 8.4 मिलियन लोगों को माइक्रोक्रेडिट उपलब्ध कराया है और इनमें से 97 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

भारत में क्यों असफल हो रही हैं माइक्रोक्रेडिट संस्थाएँ?

- एक अध्ययन में 6 संकेतकों (घरेलू व्यापार लाभ, व्यापार व्यय, व्यापार राजस्व, उपभोग, उपभोक्ता द्वारा किये जाने वाला खर्चा और प्रलोभन के सामान पर खर्च) के आधार पर यह कहा गया था कि माइक्रोक्रेडिट तक पहुँच के बाद भी उधारकर्त्ताओं के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि माइक्रोक्रेडिट का भारत में असफल होने का मुख्य कारण भारतीय माइक्रोक्रेडिट संस्थाओं द्वारा बनाए गए कड़े पुनर्भुगतान नियम हैं।
- चूँकि माइक्रोक्रेडिट संस्थाएँ जिन लोगों को ऋण देती हैं उनमें से अधिकतर के पास न तो कोई ऋण भुगतान संबंधी इतिहास होता है और न ही आय का कोई स्थिर स्रोत होता है, इसीलिये माइक्रोक्रेडिट संस्थाओं के समक्ष जोखिम को पहचानने की बड़ी चुनौती होती है।
- डिफॉल्ट के जोखिम से बचने के लिये माइक्रोक्रेडिट संस्थाओं ने ऐसी नीति का निर्माण किया है, जिसके तहत भुगतान की कुछ राशि की तत्काल मांग की जाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि उधारकर्त्ता पूर्ण रूप से अपनी राशि का निवेश नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी आय में भी अल्प वृद्धि होती है।

निष्कर्ष

- माइक्रोक्रेडिट गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख साधन है और इसकी सहायता से आर्थिक विकास की रफ्तार को काफी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु मौजूदा प्रणाली में कई खामियाँ हैं जिनकी वजह से अब तक इस मॉडल का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। अत: हमें इस प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता है ताकि इस मॉडल का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सके।

सिटी गैस वितरण नेटवर्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री ने 10वें सिटी गैस वितरण (City Gas Distribution-CGD) के बोली राउंड के कार्य की शुरुआत की जिसमें 124 ज़िलों के 50 भौगालिक क्षेत्र (Geographical Areas-GAs) शामिल होंगे।

प्रमुख बिंदु

- 10वें राउंड के पूरा होने के बाद देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या और 52.73 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र CGD के तहत आ जाएगा।
- CGD नेटवर्क के विकास से उपभोक्ताओं के लिये स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन या पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और परिवहन ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas-CNG) की उपलब्धता बढ़ जाएगी।
- CGD को 'सार्वजनिक उपयोगिता' (Public Utility) का दर्जा दिया गया है।

भारत में स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण India's Clean Energy Mix

- भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक दशक में यह ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा।
- देश में ऊर्जा मिश्रण में गैस की वर्तमान हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत है।

नोट :

- वर्ष 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2018-19 में घरेलू गैस उत्पादन 32.87 बिलियन क्यूबिक मीटर था, जिसके वर्ष 2020-21 तक बढ़कर 39.3 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाने का अनुमान है।
- अगले तीन-चार वर्षों में LNG टर्मिनल क्षमता मौजूदा 38.8 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (Million Metric Tonne Per Annum-MMTPA) से बढ़कर 52.5 MMTPA हो जाने की उम्मीद है।
- वर्तमान में नेशनल गैस ग्रिड की लंबाई 16788 किलोमीटर है तथा अतिरिक्त 14788 किलोमीटर जोड़ने का काम प्रगति पर है।

वायु कनेक्टिविटी: संभावनाएँ एवं विकास

संदर्भ

भारत के बहुत कम राज्यों में नागरिक उड्डयन विभाग (Civil Aviation Departments) सक्रिय हैं। वर्तमान में भारत में विमानन बाज़ार की पहुँच केवल 7% है। जबकि भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की अधिकता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय विमानन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन देशों में शामिल होने की क्षमता है।

राज्यों की निष्क्रिय भूमिका

1. नागरिक उड्डयन केंद्रीय क्षेत्र का विषय है और राज्य इसके प्रति उदासात्मक रवैया अपनाते हैं।
2. जब केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों का विकास जारी रखा और हवाई संपर्क को बढ़ाया उसमें भी राज्यों की भूमिका निष्क्रिय थी।

राज्यों की बढ़ती हुई भूमिका

1. राज्यों के सहयोग को नागरिक उड्डयन क्षेत्र की वृद्धि में एक प्रमुख कारक के रूप में देखा जाता है।
2. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक (Ude Desh ka Aam Naagrik- UDAN) इस क्षेत्र के विकास में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी को विकसित करने के लिये एक अंतर्निहित तंत्र है।
3. केंद्र सरकार के साथ 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पहले ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
4. 'उड़ान' को सुलभ और सस्ता बनाने के लिये अब राज्यों और केंद्र की नीतियों को आपस में जोड़ा जा रहा है।

ईंधन का मूल्य निर्धारण

1. भारत में किसी भी एयरलाइन के लिये विमानन टरबाइन ईंधन (Aviation Turbine Fuel-ATF) की लागत कुल परिचालन लागत की लगभग 40% है।
2. पेट्रोलियम उत्पादों को GST से बाहर रखना राज्य सरकारों के लिये अनिवार्य हो सकता है।
3. राज्यों द्वारा ATF पर लगाए जाने वाले मूल्य वर्द्धित कर (VAT) की दर 25% है जो कि बहुत अधिक है तथा यह नागरिक उड्डयन की विकास दर को कम कर देती है।
4. इस क्षेत्र में हवाई संपर्क के विस्तार के परिणामस्वरूप बढ़ी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है, जिसके द्वारा किसी भी उल्लेखनीय राजस्व हानि की भरपाई की जा सकती है।
5. एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organization- ICAO) के अध्ययन से पता चला है कि नागरिक उड्डयन के आउटपुट गुणक और रोज़गार गुणक क्रमशः 3.25 और 6.10 हैं।
6. UDAN ने राज्य सरकारों को इस योजना के तहत संचालित उड़ानों के लिये ATF पर VAT को 1% तक कम करने के लिये प्रेरित किया है।
7. झारसुगुड़ा (ओडिशा) और कोल्हापुर (महाराष्ट्र) जैसे हवाई अड्डों ने इन दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने के लिये एयरलाइनों को सफलतापूर्वक आकर्षित किया है।

नोट :

एयरपोर्ट विकास (Airport development)

1. कई क्षेत्रीय हवाई अड्डे ऐसे हैं जो राज्यों द्वारा अपने दम पर या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India-AAI) के सहयोग से विकसित किये जा सकते हैं।
2. अवसंरचना विकास के लिये सार्वजनिक-निजी साझेदारी के विभिन्न मॉडलों का लाभ उठाया जा सकता है।
3. 'नो-फ्रिल एयरपोर्ट्स' (No-Frill Airports) बनाने के लिये नवाचारी मॉडलों को खोजा जा सकता है।
4. भारत में आज़ादी के बाद से अब तक लगभग 70 हवाई अड्डे थे। UDAN के तहत केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में 24 Unserved Airports का संचालन किया है तथा अगले 5 वर्षों में 100 और विकसित किये जाने की योजना हैं।

आंतरिक भाग (Hinterland) को जोड़ना

1. राज्य और केंद्र सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई सेवा विकसित करने के लिये एयरलाइंस का समर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
2. एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों की परिचालन लागत को कम करने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये; उदाहरण के लिये, वैट में कमी करने जैसे वित्तीय समर्थन; एयरलाइनों के साथ व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण तथा गैर-वित्तीय प्रोत्साहन जैसे हवाई अड्डे के संचालकों को मुफ्त में सुरक्षा प्रदान करना, आदि कार्य किये जा सकते हैं।
3. केंद्र सरकार ने ATF पर उत्पाद शुल्क में रियायतों को घोषणा की हैं और हवाई अड्डों के विकास के लिये बजटीय आवंटन भी सुनिश्चित किया हैं। इसने एयरलाइंस ट्रंक मार्गों के बजाय क्षेत्रीय असंबद्ध मार्गों पर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने का काम किया है।

आगे की राह

क्षेत्रीय से लेकर सुदूर क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिये एयरलाइंस को आकर्षित करने हेतु निम्न हस्तक्षेप आवश्यक हैं:

1. अवसंरचनात्मक बाधाओं और दुर्गम भू-भाग को ध्यान में रखते हुए छोटे विमान ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करना।
2. ऐसे क्षेत्र जिन्हें सड़क या रेल द्वारा सार्थक रूप से नहीं जोड़ा जा सकता हैं उन्हें हवाई मार्ग से जोड़ा जाना चाहिये।
3. हवाई संपर्क न केवल यात्रा के समय को कम करेगा बल्कि आपात स्थिति में भी एक वरदान साबित होगा।
4. यह पूर्वोत्तर भारत, द्वीपों और पहाड़ी राज्यों के लिये भी उपयोगी साबित होगा।
5. राज्यों को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये हवाई संपर्क का समर्थन करना चाहिये तथा पर्यटन, स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित अपनी प्रासंगिक योजनाओं को अधिक सफल बनाने के प्रयास करने चाहिये।
6. राज्यों को विमानन क्षेत्र की सुविधा के लिये एक अनुकूल व्यापार वातावरण बनाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के सहयोग से हवाई अड्डों के विकास, विमान सेवाओं के विकास में तेज़ी आ सकती है।

आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क और जालान समिति

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिये गठित बिमल जालान समिति के सुझाव पर केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए दिये, साथ ही इस समिति ने प्रत्येक पाँच वर्षों में आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा करने की सिफारिश भी की है।

संबंधित मुद्दे:

- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी, स्थापना के समय इस बैंक में निजी भागीदारी की अनुमति थी। वर्ष 1949 में भारतीय रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद यह पूर्णत: सरकार के अंतर्गत कार्य करने लगा था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत सरकार RBI के अधिशेष वित्त (Surplus Fund) का उपयोग कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस अधिशेष का किसी तात्कालिक और भविष्य के जोखिमों के लिये प्रयोग करता है।

नोट :

- भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पिछले तीन वर्षों के दौरान 8.2% से घटकर 6.8% हो गई, साथ ही RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2019 की पहली तिमाही में पिछले 5 वर्षों की तुलना में सबसे कम (5.8%) दर्ज की गई है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के लिये जहाँ एक ओर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता का मामला भी अत्यंत गंभीर है।

सरकार का पक्ष:

- केंद्र सरकार बैंकिंग व्यवस्था में रिकैपिटलाइज़ेशन के माध्यम से वित्त की आपूर्ति बढ़ाना चाहती है जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके।
- भारत में मंदी के कारण आर्थिक गतिविधियाँ धीमी हुई हैं, साथ ही रोज़गार के अवसरों में भी कमी आई है।
- भारत में रियल एस्टेट सेक्टर और विनिर्माण सेक्टर वित्त की कमी की समस्या से जूझ रहा है, वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग की कमी के कारण हज़ारों की संख्या में लोग बेरोज़गार हो गए हैं।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहाँ वित्त की कमी के कारण विनिर्माण गतिविधियाँ ठीक से संचालित नहीं हो पा रही हैं, वहीं दूसरी ओर बाज़ार में मुद्रा की तरलता कम होने के कारण लोगों के पास पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से लोग इन उत्पादों को कम खरीद पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के दुष्चक्र के कारण आर्थिक गतिविधियाँ बुरी तरह प्रभावित हुई हैं जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं।
- मार्केट रिसर्च कंपनी नील्सन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या खर्च में कमी है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक स्थान छठे से सातवाँ हो गया है।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) के नए अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2019 में 6.8% रहेगी।

उपरोक्त कारणों के परिप्रेक्ष्य में सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता बढ़ाकर मंदी की स्थिति को खत्म करके रोज़गार और आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करना चाहती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का पक्ष:

- पिछले कुछ समय में RBI की स्वायत्तता के मुद्दे पर इसके कई अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं। इस स्वायत्तता को लेकर डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि केंद्रीय बैंक के नीतिगत निर्णयों में सरकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है।
- केंद्रीय बैंक द्वारा अपने अधिशेष वित्त को सरकार को देना ठीक नहीं हैं क्योंकि बेसल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था के जोखिमों की प्रतिपूर्ति करना उसका दायित्व है, वित्त के अभाव में उसकी कार्य निष्पादन क्षमता प्रभावित होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की प्रभावशीलता को कम करना केंद्रीय बैंक का ही दायित्व है। वर्तमान में संरक्षणवादी नीतियों और करेंसी वार जैसी स्थितियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पर्याप्त वित्त होना अतिआवश्यक है। भारत के विपरीत चीन जैसे देशों द्वारा केंद्रीय बैंकों के पास पर्याप्त वित्त संरक्षित किया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के सापेक्ष भारतीय रूपए की परिवर्तनीयता भी महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान में एक अमेरिकी डॉलर 72 भारतीय रुपए के सापेक्ष है। मुद्रा परिवर्तनीयता से आयात-निर्यात भी प्रभावित होता रहता है, इसलिये केंद्रीय बैंक के पास इन परिस्थितियों से निपटने हेतु पर्याप्त वित्त और स्वायत्तता का होना आवश्यक है। इस प्रकार की घटनाओं से निपटने हेतु चीन आदि देशों के केंद्रीय बैंकों के पास डॉलर की पर्याप्त आपूर्ति है।

उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय बैंक ने बिमल जालान समिति का गठन किया था। बिमल जालान समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- समिति ने आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा बाद इस फ्रेमवर्क के तहत RBI के पास उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया है।

नोट :

आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (Economic Capital Framework):

- आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क का तात्पर्य केंद्रीय बैंक के पास रखी गई आवश्यक जोखिम पूंजी से है।
- केंद्रीय बैंक इस पूंजी के माध्यम से भविष्य के अप्रत्याशित जोखिम, घटना या नुकसान के खिलाफ स्वयं को संरक्षित करता है।
- समिति ने आर्थिक पूंजी के दो घटकों- वसूल की गई इक्विटी (Realized Equity) और पुनर्मूल्यन शेष (Revaluation Balances) के बीच एक स्पष्ट अंतर किये जाने की सिफारिश की।
- समिति ने यह भी अनुशंसा की थी कि वसूल की गई इक्विटी (Realized Equity) का उपयोग प्राथमिक जोखिमों को पूरा करने के लिये किया जाए क्योंकि यह आय का मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त पुनर्मूल्यन शेष (Revaluation Balances) को केवल बाज़ार जोखिमों के लिये जोखिम बफर के रूप में रखा जाए क्योंकि वे सत्यापित मूल्यांकन लाभ नहीं होते हैं।
- रिस्क प्रोविज़निंग (Risk Provisioning) राशि जिसे कॉटिंजेंट रिस्क बफ़र (Contingent Risk Buffer- CRB) भी कहा जाता है, को RBI की बैलेंस शीट के 6.5%- 5.5% के बीच बनाए रखा जाए।
- CRB 6.5% से 5.5% के मानक में से मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता जोखिम 5.5%-4.5% और क्रेडिट तथा परिचालन जोखिम 1.0% शामिल होता है।
- सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी (Surplus Distribution Policy) के अनुसार, वसूल की गई इक्विटी (Realized Equity) के आवश्यकता से अधिक होने पर पूरी शुद्ध आय सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

आगे की राह:

- जालान समिति ने अधिशेष वित्त को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। इसलिये केंद्र सरकार को रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता कम किये बिना इस वित्त का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिये।
- इस प्रकार के वित्त के प्रयोग से संबंधित नीतियों के निर्माण में केंद्रीय बैंक को शामिल करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
- भारत सरकार आर्थिक विकास हेतु बचत रणनीति के बजाय खर्च रणनीति पर ज़ोर दे रही है।

इसलिये इस रणनीति हेतु पर्याप्त वित्त की आपूर्ति की जानी चाहिये।

भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति और वर्तमान आर्थिक मंदी तथा बेरोज़गारी के दुष्चक्र से निकलने हेतु अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता बढ़ाया जाना आवश्यक है लेकिन साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता भी आवश्यक है, इसलिये दोनों स्थितियों के सामंजस्य से ही बेहतर परिणाम हासिल किये जा सकते हैं।

FDI हेतु संशोधित मापदंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment-FDI) की समीक्षा के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

- इसके परिणामस्वरूप भारत FDI के लिये अधिक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा, जिससे भारत के निवेश, रोज़गार और विकास में वृद्धि होगी।
- ज्ञातव्य है कि अब तक (मार्च 2019) सिंगापुर भारत का शीर्ष FDI स्रोत बना हुआ है।

संशोधित मानदंड

- कोयले की बिक्री के लिये स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है।
- साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग (Contract Manufacturing) में भी स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दे दी गई है।
- यह मेक इन इंडिया (Make in India) पहल हो बढ़ावा देगा और भारत में विनिर्माण केंद्रों की स्थापना हेतु वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करेगा।

नोट :

कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग (Contract Manufacturing)

- यह एक प्रकार का बिज़नेस मॉडल है जिसमें एक फर्म किसी अन्य फर्म के साथ उत्पादन के लिये अनुबंध करती है। यह आउटसोर्सिंग (Outsourcing) का ही एक प्रकार है।
- **कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लाभ:**
  - लागत में कमी: इस बिज़नेस मॉडल के माध्यम से कंपनियों की पूंजीगत लागत और श्रम लागत में काफी कमी आती है, क्योंकि उन्हें उत्पादन के लिये आवश्यक उपकरणों पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ता।
    - कई कंपनियाँ श्रम की लागत में कमी करने के लिये भारत जैसे देशों में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं।
  - उन्नत कौशल: कंपनियाँ अनुबंध करने वाली कंपनी के कौशलों का लाभ उठा सकती हैं।
    - इसके कारण कंपनियाँ अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं जिससे उनके उत्पादन की गुणवता में वृद्धि होती है।
- प्रिंट मीडिया की ही तरह डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी समाचार और करेंट अफेयर्स की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग (Uploading/Streaming) के लिये सरकारी मार्ग (Government Route) के तहत 26 प्रतिशत FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
- भारत को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के उद्देश्य से FDI संबंधी प्रावधानों को हाल के वर्षों में रक्षा सहित व्यापार तथा वित्त जैसे अन्य क्षेत्रों में काफी उदार बनाया गया है।
  - इन्ही प्रयासों के परिणामस्वरूप अवसर: 2018-19 में भारत का कुल FDI 286 बिलियन डॉलर हो गया था।
  - वैश्विक स्तर पर मंदी के बावजूद भी भारत वैश्विक FDI प्रवाह के लिये एक पसंदीदा और आकर्षक गंतव्य बना हुआ है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI)

- यह एक समूह द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश होता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक और देश में आर्थिक विकास के लिये गैर-ऋण वित्त का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोज़गार के मौके बढ़ते हैं।

चीनी निर्यात सब्सिडी को सहमति

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गन्ना सीज़न 2019-20 के दौरान चीनी मिलों के लिये 10,448 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्यात सब्सिडी प्रदान करने के लिये मंज़ूरी दे दी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कुल अनुमानित व्यय लगभग 6,268 करोड़ रुपए होगा।

प्रमुख बिंदु

- गन्ना सीज़न 2019-20 के लिये एकमुश्त निर्यात सब्सिडी आवाजाही, उन्नयन तथा प्रक्रिया संबंधी अन्य लागतों, अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागतों और निर्यात पर ढुलाई शुल्कों सहित लागत व्यय को पूरा करने के लिये अधिकतम 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात पर अधिकतम मान्य निर्यात मात्रा के लिये चीनी मिलों को आवंटित की जाएगी।
- चीनी मिलों द्वारा गन्ने की बकाया राशि किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि सीधे तौर पर जमा कराई जाएगी और यदि कोई शेष बकाया राशि होगी तो चीनी मिल के खाते में जमा कराई जाएगी।
- कृषि समझौते की धारा 9.1 (D) और (E) के प्रावधानों तथा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।
- गन्ना सीज़न 2017-18 (अक्तूबर-सितंबर) और गन्ना सीज़न 2018-19 के दौरान चीनी के अतिरिक्त उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से भिन्न, मौजूदा गन्ना सीज़न 2019-20 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन चीनी का खुला भंडार होगा और सीज़न के अंत में लगभग 162 लाख मीट्रिक टन भंडार होने का अनुमान है।

नोट :

- चीनी के 162 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त भंडार से गन्ने के मूल्यों पर पूरे सीज़न में प्रतिकूल दबाव पैदा होगा जिससे किसानों के गन्ने की बकाया धनराशि के भुगतान में चीनी मिलों को कठिनाई होगी।
- इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने हाल में 1 अगस्त, 2019 से एक वर्ष के लिये चीनी का 40 लाख मीट्रिक टन बफर भंडार तैयार किया है।
- हालाँकि 31 जुलाई, 2020 तक इस बफर भंडार और गन्ना सीज़न 2019-20 के दौरान बी-हेवी मोलेस/गन्ना रस से इथानॉल के उत्पादन द्वारा चीनी पर संभावित प्रभाव तथा दो महीने के लिये मानक भंडार की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, चीनी का लगभग 60 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडार होगा, जिसका निपटारा निर्यात के माध्यम से करना होगा।

लाभ:

- चीनी मिलों की तरलता में सुधार होगा।
- चीनी इंवेन्ट्री में कमी आएगी।
- घरेलू चीनी बाज़ार में मूल्य भावना बढ़ाकर चीनी की कीमतें स्थिर की जा सकेंगी और परिणामस्वरूप किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान समय से किया जा सकेगा।
- चीनी मिलों के गन्ना मूल्य बकायों की मंज़ूरी से सभी गन्ना उत्पादक राज्यों में चीनी मिलों को लाभ होगा।

पृष्ठभूमि:

- गौरतलब है कि भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
- देश की वार्षिक चीनी खपत का लगभग 90% हिस्सा वाणिज्यिक कार्यों जैसे कि पैकेज खाद्य पदार्थ आदि के लिये उपयोग किया जाता है।
- चीनी मिलें जिस मूल्य पर किसानों से गन्ना खरीदती हैं उसे उचित और लाभप्रद मूल्य (Fair and Remunerative Price-FRP) कहा जाता है। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission on Agricultural Costs and Prices-CACP) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

10 बैंकों के विलय की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय करने की घोषणा की है।

- केंद्र सरकार के इस कदम के परिणामस्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks-PSBs) की कुल संख्या 18 से घटकर 12 हो जाएगी।

किन बैंकों का होगा विलय ?

1. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) का विलय पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में।
   - विलय के पश्चात् पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक बन जाएगा।
   - इसके अतिरिक्त बैंक शाखाओं के मामले में भी यह बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक होगा, जिसकी 11,437 शाखाएँ होंगी।
   - तीनों बैंकों के विलय के पश्चात् पंजाब नेशनल बैंक का कुल कारोबार 17.95 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा।
2. सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank) का विलय केनरा बैंक (Canara Bank) में।
   - इस विलय के पश्चात् केनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।
   - इस बैंक का कुल कारोबार 15.20 लाख करोड़ रुपए का होगा एवं इसकी कुल शाखाओं की संख्या 10,342 हो जाएगी।
3. आंध्रा बैंक (Andhra Bank) तथा कॉर्पोरेशन बैंक (Corporation Bank) का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) में।

नोट :

- विलय के पश्चात् यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश का पाँचवां सबसे बड़ा बैंक होगा।
- इसका कुल कारोबार 14.59 लाख करोड़ रुपए का होगा एवं इसकी कुल शाखाओं की संख्या 9,609 होगी।

4. इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) का विलय इंडियन बैंक (Indian Bank) में।
   - विलय के पश्चात् यह देश का सातवाँ सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।
   - इसका कुल कारोबार 8.08 लाख करोड़ रुपए का होगा एवं इसकी शाखाओं की कुल संख्या 6,104 होगी।

विलय के कारण

- केंद्र सरकार के अनुसार, देश के 10 बैंकों का विलय करने से बैंकों के कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी और उनका तुलन-पत्र (Balance sheet) भी मज़बूत होगी।
- इस फैसले के परिणामस्वरूप देश के बड़े सार्वजनिक बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम हो जाएंगे।
- देश की बैंकिंग प्रणाली भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में योगदान दे सकेगी।

इसके पहले भी हुए हैं विलय

- सरकार ने बैंकों के विलय की प्रक्रिया को वर्ष 2017 में शुरू किया था। वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों– स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक के साथ एकीकरण किया गया था।
- बैंकों के विलय के दूसरे चरण में सरकार ने जनवरी 2019 में देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में करने को स्वीकृति दी गई थी जोकि 1 अप्रैल, 2019 से प्रभाव में आया। यह वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है।

वित्त मंत्री द्वारा की गई अन्य घोषणाएँ

- बैंक प्रबंधन को निदेशक मंडल (Board of Directors) के प्रति जवाबदेह बनाने हेतु एक बोर्ड समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रबंध निदेशक सहित महाप्रबंधक और उससे उच्च रैंक वाले अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।
- साथ ही बैंकों को एक मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया गया है। मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति बाज़ार के अनुकूल पारितोषिक पर की जाएगी।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (United Nations Convention on International Settlement Agreements-UNISA) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

क्या है UNISA?

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को अपनाया था।
- महासभा ने यह अधिकृत किया था कि यह कन्वेंशन 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में होने वाले एक समारोह तक हस्ताक्षर के लिये खुला रहेगा और इसे 'सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मिडिएशन' (Singapore Convention on Mediation) के रूप में जाना जाएगा।
- यह संधि मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों को लागू करने के लिये एक समान और कुशल तंत्र उपलब्ध कराती है।

संधि पर हस्ताक्षर करने के लाभ

इस संधि पर हस्ताक्षर से निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और विदेशी निवेशकों में वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution-ADR) पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के पालन में भारत की प्रतिबद्धता को लेकर विश्वास पैदा होगा।

भारत में ADR तंत्र को मजबूत करने के लिये उठाए जा रहे कदम

- अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (International Commercial Arbitration) को प्रोत्साहन देने और मध्यस्थता के लिये एक व्यापक तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से सरकार एक वैधानिक संस्था के रूप में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (New Delhi International Arbitration Centre-NDIAC) स्थापित करने जा रही है।
- इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन कर दिया गया है और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन के लिये वैधानिक प्रक्रिया फिलहाल जारी है।
- कुछ चुनिंदा श्रेणी के मामलों में पूर्व-संस्थान स्तर पर मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में एक नया अध्याय (3A) भी शामिल किया गया है।
- उपरोक्त सभी पहलों का उद्देश्य भारत में मध्यस्थता के ADR तंत्र के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान को प्रोत्साहन देना है।

क्या होता है वैकल्पिक विवाद समाधान या ADR?

वैकल्पिक विवाद समाधान से अभिप्राय ऐसे तंत्र से है जिसमें सुलह या मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निपटारा किया जा सकता है।

INF मिसाइल संधि

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से शीत युद्ध के दौरान की गई इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (Intermediate-Range Nuclear Forces-INF) संधि से हटने की घोषणा की है।

नोट :

INF मिसाइल संधि क्या है ?

- यह संधि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव के बीच वर्ष 1987 में शीतयुद्ध के दौरान पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार की मध्यम दूरी की मिसाइलों की शक्तियों को सीमित करने के लिये हुई थी।
- इस संधि से हटने के लिये 6 महीने पहले सम्मिलित पक्षों को जानकारी देना अनिवार्य था, इसीलिये अमेरिका ने 1 फरवरी, 2019 से ही संधि से हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
- इसके तहत 500 से 5500 किमी. रेंज की सभी प्रकार की बैलेस्टिक और क्रूज़ मिसाइल के विकास, उत्पादन और तैनाती पर प्रतिबंध लगाए गए थे।
- यह संधि अमेरिका और रूस के बीच एक द्विपक्षीय समझौता था, यह किसी भी अन्य परमाणु संपन्न देशों पर कोई प्रतिबंध नही लगाती है।
- अमेरिका ने रूस पर संधि के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि रूस ने इस प्रकार के आरोपों को निराधार बताया ।
- नाटो ने अमेरिका के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि रूस की 9M729 मिसाइल ने INF समझौते का उल्लंघन किया है।
- INF समझौते के तहत 500 से 5500 किमी. की दूरी तक की मिसाइलों को समाप्त करने का वादा किया गया था। इस संधि से यूरोप में रूसी SS-20 मिसाइलों और अमेरिका के M26 पर्शिंग टैंकों की तैनाती पर रोक लगाई गई थी।

रूस की RSD-10 पायनियर मिसाइलों को यूरोप में SS-20 मिसाइल कहा जाता था। रूस के द्वारा इनका प्रयोग शीतयुद्ध के दौरान किया गया था। वही अमेरिका के M26 पर्शिंग टैंकों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर आक्रमण के लिये किया गया था।

अमेरिका के संधि से हटने के प्रभाव

- एशिया में चीन के बढ़ते सैन्य वर्चस्व का मुकाबला अमेरिका हथियारों के आधुनिकीकरण के माध्यम से करने में सक्षम होगा क्योंकि चीन के पास इन्वेंट्री इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल की क्षमता है। अमेरिका द्वारा इस प्रकार की क्षमता विकसित करने में INF संधि बाधा बन रही थी।
- इस तरह के कदम से दक्षिण चीन सागर में चीन का मुकाबला करने में अमेरिका को मदद मिलेगी, विशेष रूप से जहाँ चीन की सेना ने कई विवादित द्वीपों को अपने नियंत्रण में ले लिया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप में नई परमाणु-सशस्त्र मिसाइलों को तैनात नहीं करने का वादा किया है। लेकिन इसने पारंपरिक हथियारों की तैनाती पर ऐसा कोई वादा नहीं किया है।
- अमेरिका अब अपने और अपने सहयोगियों द्वारा नियंत्रित प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों के द्वीपों पर मध्यम दूरी के पारंपरिक हथियारों को तैनात कर सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संधि से अमेरिका के हटने के कदम को अत्यंत विनाशकारी कहा है, क्योंकि अब परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की वैश्विक होड़ बढ़ जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना आसान नहीं होगा।

ब्राज़ील के नए कीटनाशक नियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्राज़ील की स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी एनविसा (Anvisa) ने कीटनाशकों से संबंधित नए नियमों को मंज़ूरी दी है जिनके अनुसार यदि कीटनाशकों से 'मृत्यु का जोखिम' उत्पन्न होता है तो ब्राज़ील में कीटनाशकों को 'अत्यंत विषैले' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

नियमों में ढील देना

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) कीटनाशकों को विषाक्तता के आधार पर चार वर्गों में वर्गीकृत करता है: बेहद खतरनाक, अत्यधिक खतरनाक, मध्यम रूप से खतरनाक और कम खतरनाक।
- नए नियमों के अनुसार, 'बेहद खतरनाक और ज़हरीले कीटनाशकों' को अब निचली श्रेणियों में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।
- इस प्रकार नए नियम मौजूदा वर्गीकरण मॉडल के विपरीत हैं जो त्वचा और आँखों में जलन जैसे अन्य प्रभावों के साथ-साथ मृत्यु के जोखिम पर भी विचार करते हैं।

नोट :

ब्राज़ील, बीन्स और ग्लाइफोसेट (शाकनाशक)

- दो साल पहले ब्राज़ील दुनिया में सोयाबीन का शीर्ष निर्यातक था और विश्व के आधे सोयाबीन बाज़ार पर इसी का कब्ज़ा था, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान था।
- ब्राज़ील के सोयाबीन निर्यात ने पिछले साल 83.6 मिलियन टन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस वर्ष भी, यह चीन की बढ़ती मांग के कारण विश्व स्तर पर सोयाबीन का प्रमुख निर्यातक होने के मार्ग पर है।
- लेकिन इसमें कीटनाशक एक बड़ी अड़चन है।
- ब्राज़ील के किसान देश की प्रमुख निर्यात फसलों- सोयाबीन, मक्का, गन्ना, कॉफी, चावल, बीन्स, और कपास को उगाने में कीटनाशकों का उपयोग करते हैं।

ब्राज़ीलियाई सोयाबीन हानिकारक क्यों है ?

- सोयाबीन एक प्रमुख फसल है जिस पर कीटनाशकों का प्रयोग बहुत अधिक होता है।
- ब्राज़ील में कीटनाशक का उपयोग प्रति हेक्टेयर उत्पादन की तुलना में तीन गुना तेज़ी से बढ़ा है, सोयाबीन के उत्पादन में प्रति एक प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही कीटनाशक के उपयोग में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ध्यातव्य है कि ब्राज़ील में लगभग 95 प्रतिशत सोयाबीन, मक्का और कपास की फसल पर ग्लाइफोसेट का उपयोग किया जाता है और वास्तव में इसका कोई विकल्प भी उपलब्ध नहीं है।

ग्लाइफोसेट से होने वाले नुकसान

- व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाने वाला यह कीटनाशक कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा है।
- WHO के तहत एक अंतर-सरकारी एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (International Agency for Research on Cancer) द्वारा इस कीटनाशक को एक संभावित मानव कार्सिनोजेन (Human Carcinogen) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- जनवरी 2019 में सबसे पहले रूसी संघ के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ब्राज़ील के कृषि मंत्रालय को बताया था कि यदि रूस के बाज़ारों में भेजी जाने वाली फसलों में ग्लाइफोसेट कीटनाशक का प्रयोग होगा तो यह ब्राज़ीलियाई सोयाबीन को खरीदना बंद कर देगा।
- रूस के बाद स्वीडन की सुपर मार्केट श्रृंखला Paradiset ने भी ब्राज़ील के सभी उत्पादों को हटाने के आदेश दिये थे और तब तक ब्राज़ील का बहिष्कार करने की घोषणा की थी जब तक कि ब्राज़ील की सरकार कीटनाशकों से संबंधित नीति में परिवर्तन नहीं करती।

ब्राज़ील तथा भारत

- वर्ष 2017 में म्याँमार (60 प्रतिशत) और चीन (10 प्रतिशत) के बाद ब्राज़ील भारत में बीन्स का तीसरा सबसे बड़ा विक्रेता था तथा बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी 6% प्रतिशत थी।
- ब्राज़ील से भारत ने 34 मिलियन बीन्स का आयात किया और ब्राज़ील बीन इंस्टीट्यूट (Ibrafe) का उद्देश्य ब्राज़ील की व्यापार और निवेश संवर्द्धन एजेंसी (Apex-Brasil) तथा ब्राज़ील के कृषि, पशुधन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्रालय (Brazilian Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply-MAPA) के समर्थन से वर्ष 2020 तक ब्राज़ील के निर्यात को दोगुना करना है।
- पिछले साल आयातित दालों में ग्लाइफोसेट की मौजूदगी चिंता का विषय रही है और इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, कोडेक्स मानकों में निर्दिष्ट दालों में 'ग्लाइफोसेट' के लिये MRL को आयात के लिये मंज़ूरी के रूप में अंतिम माना जाएगा।

आगे की राह

- चूँकि भारत के पास ग्लाइफोसेट की अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं के संबंध में कोई निर्धारित मानक नहीं हैं, इसलिये FSSAI ने WHO और FAO द्वारा गठित एक संयुक्त समिति कोडेक्स एलिमेंट्रिस (Codex Alimentarius) द्वारा निर्धारित मानकों का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
- समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुपालन के लिये उत्पादों के आयातित शिपमेंट के परीक्षण का सुझाव भी दिया गया है।
- ऐसी संभावनाएँ भी व्यक्त की जा रही हैं कि ब्राज़ील भविष्य में अपने कीटनाशक नियमों में संशोधन कर सकता है तथा कीटनाशकों के प्रयोग के संबंध में नियमों में और अधिक ढील दे सकता है। ऐसे में वैश्विक उपभोक्ताओं या आयातक देशों को ब्राज़ील से फसलों को आयात करने की मंज़ूरी देते समय सतर्क रहने की ज़रूरत है।

नोट :

चीन और अमेरिका के मध्य करेंसी युद्ध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी कोष विभाग (US Treasury Department) ने चीन को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश या फिर 'करेंसी मैनीपुलेटर' (Currency Manipulator) घोषित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- अमेरिकी कोष विभाग द्वारा यह निर्णय तब लिया गया जब चीन के केंद्रीय बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (People's Bank of China) ने चीन की मुद्रा युआन का अमेरिकी डॉलर की अपेक्षा 1.9 प्रतिशत मूल्यह्रास करने की घोषणा की।
- यह पहला मौका था जब इस निर्णय के परिणामस्वरूप चीन की मुद्रा 7 युआन प्रति डॉलर से भी नीचे आ गई थी।
- चीन के इस निर्णय के बाद अमेरिका ने घोषणा की थी कि वह चीन की इस नई कार्यवाही द्वारा प्राप्त अनुचित प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ को समाप्त करने के लिये 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (IMF) से संपर्क करेगा।
- यह इस बात का संकेत है कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य चल रहा व्यापार युद्ध अब मुद्रा युद्ध में भी बदल सकता है।

क्या होती है मुद्रा की विनिमय दर ?

- आमतौर पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की विनिमय दर का आशय अर्थव्यवस्था के मौलिक मूल्य से होता है।
- यह कहा जा सकता है कि विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की घरेलू मुद्रा में कीमत, मुद्रा की विनिमय दर कहलाती है। कुछ अर्थशास्त्री इसे घरेलू करेंसी का बाहरी मूल्य भी कहते हैं।
- उदाहरण के लिये आप अमेरिका में बेची जा रही किसी वस्तु का भारत में आयात करना चाहते हैं और उस वस्तु का अमेरिकी मूल्य 500 डॉलर है तो इस हिसाब से आपको कुल 35,000 रुपए (यदि एक डॉलर 70 रुपए का है) चुकाने होंगे।
- इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि 1 डॉलर का मूल्य भारतीय रुपए में कम है (यानी एक डॉलर 70 रुपए का है) तो हम किसी विदेशी वस्तु को आसानी से खरीदने की स्थिति में होंगे और यदि 1 डॉलर का मूल्य भारतीय रुपए में अधिक (यानी एक डॉलर 100 रुपए का है) है तो वही वस्तु हमारे लिये काफी महंगी हो जाएगी।
- परंतु यदि आप एक उत्पादक हैं और वैश्विक स्तर पर निर्यात करते हैं तो डॉलर के मजबूत होने से आपको काफी लाभ होगा, यह उपरोक्त सिद्धांत का एक अन्य पहलू है।
- वैश्वीकरण के युग में मुद्रा की विनिमय दर वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होती है।

कैसे निर्धारित होती है किसी देश की मुद्रा विनिमय दर ?

- सैद्धांतिक आधार पर किसी मुद्रा की विनिमय दर उस मुद्रा की मांग और पूर्ति की अंतर-क्रिया पर निर्भर करती है।
- यदि भारतीय अधिक मात्रा में अमेरिकी सामान खरीदेंगे तो रुपए के सापेक्ष डॉलर की मांग बढ़ जाएगी जिसके प्रभावस्वरूप रुपए की अपेक्षा डॉलर मज़बूत हो जाएगा।
- यदि इसके विपरीत भारतीय रुपए की मांग में वृद्धि होती है तो रुपए की अपेक्षा डॉलर कमज़ोर हो जाएगा

मुद्रा के साथ छेड़छाड़ या मैनीपुलेशन का क्या मतलब है ?

- इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि व्यावहारिक दुनिया सैद्धांतिक दुनिया से काफी अलग होती है।
- कई बार देश की सरकारें और केंद्रीय बैंक देश की विकास दर को बढ़ाने के उद्देश्य से मुद्रा विनिमय दर की निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
- मुद्रा के साथ छेड़छाड़ वह स्थिति होती है जब सरकारें व्यापार में "अनुचित" लाभ हासिल करने के लिये विनिमय दर को कृत्रिम रूप से मोड़ने की कोशिश करती हैं।
- उदाहरणत: यदि चीन का केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाज़ार से अधिक मात्रा में डॉलर खरीदता है तो उसकी मुद्रा कृत्रिम रूप से कमज़ोर हो जाएगी और चीनी वस्तुएँ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में काफी सस्ती हो जाएंगी जिसके कारण चीन को "अनुचित" लाभ प्राप्त होगा।

नोट :

- अब एक अमेरिकी फ़ोन का उदाहरण लेते हैं जिसकी मांग भारत में काफी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी है, परंतु यदि कोई चीनी कंपनी भारत में वैसा ही फ़ोन निर्यात करती है तो चीनी मुद्रा की कीमत कम होने के कारण वह फ़ोन भारत में काफी सस्ता होगा और विवेकशील भारतीय उपभोक्ता चीनी मोबाइल फ़ोन को ही वरीयता देगा।

भारत के लिये वीज़ा नियमों को आसान करेगा न्यूज़ीलैंड

चर्चा में क्यों ?

न्यूज़ीलैंड ने भारत के लिये कार्य-वीजा नियमों को आसान करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बदले वह अपने डेयरी, शराब और सेब जैसे उत्पादों की भारतीय बाज़ारों तक पहुँच चाहता है।

प्रमुख बिंदु:

- न्यूजीलैंड क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) संधि के हिस्से के रूप में भारत में अपने डेयरी उत्पादों, सेब, कीवी और शराब के लिये अधिक से अधिक बाजार पहुँच चाहता है।
- भारतीय कृषि मंत्रालय अधिकांश RCEP सदस्यों के लिये डेयरी क्षेत्र के उदारीकरण के पक्ष में नहीं है, लेकिन वह न्यूज़ीलैंड की मांग पर गंभीरता से विचार कर रहा है क्योंकि न्यूज़ीलैंड ज़्यादातर प्रीमियम उत्पादों का निर्यात करता है जो कि भारत में उत्पादित नहीं होते हैं।
- भारत में स्किम्ड मिल्क पाउडर (Skimmed Milk Powder) और मिल्क पाउडर का उत्पादन बहुतायत में होता है इसलिये मंत्रालय आयात शुल्क पर टैरिफ हेतु विचार कर सकता है।
- सेब और शराब जैसी वस्तुओं को भारत में अधिक बाजार पहुँच की उपलब्धता में परेशानी हो सकती है क्योंकि इन वस्तुओं को अर्थव्यवस्था के लिये संवेदनशील माना जाता है।
- भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच डिजिटल व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार से व्यापार बातचीत (Bilateral Business to Business Interaction), वित्त, बुनियादी ढाँचे और लघु और मध्यम उद्योग जैसे फोकस के क्षेत्र हैं।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) एक प्रस्तावित मेगा मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) है, जो आसियान के 10 सदस्य देशों तथा 6 अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) के बीच किया जाना है।
- ज्ञातव्य है कि इन देशों का पहले से ही आसियान से मुक्त व्यापार समझौता है।
- वस्तुत: RCEP वार्ता की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में हुई थी।
- RCEP को ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप (Trans Pacific Partnership- TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- RCEP के सदस्य देशों की कुल जीडीपी लगभग 21.3 ट्रिलियन डॉलर और जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 45 प्रतिशत है।
- सदस्य देश: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड सहभागी (Partner) देश हैं।

विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक

चर्चा में क्यों ?

दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप (Scrap) आयातक बन गया है।

प्रमुख बिंदु :

- भारत में स्क्रैप आयात वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 35% से बढ़कर 3.87 मिलियन टन तक पहुँच गया है।

नोट :

- यह दर्शाता है कि भारत में कुशल धातु रीसाइक्लिंग सुविधाओं और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण इस्पात के आंतरिक स्क्रैप (भारत में ही मौजूद स्क्रैप, जो पुराने वाहनों और मशीनों से उत्पन्न होता है) का उपयोग नहीं हो रहा है।
- भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग में मंदी और आयातित स्क्रैप धातुओं की सस्ती कीमत के कारण भारत दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक बन गया।
- हालाँकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के आंतरिक स्क्रैप बाज़ार में भी अपार संभावनाएँ हैं। उदाहरण के लिये एक अनुमान के मुताबिक, भारत में वर्ष 2025 तक लगभग 22 मिलियन अप्रचलित वाहन होंगे (वर्तमान में यह संख्या 8.7 मिलियन है)।
- लेकिन अभी तक भारत में स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग के संदर्भ में नियमों का अभाव है, जो इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।
- इस प्रकार भारत को एक व्यापक धातु रीसाइक्लिंग और स्क्रैपिंग नीति की आवश्यकता है ताकि भारत के आंतरिक स्क्रैप बाज़ार का सुव्यवस्थित विकास हो सके।
- सरकार ऑटोमोबाइल उद्योग में आंतरिक स्क्रैप जुटाने को प्रोत्साहित कर सकती है। उदाहरण के लिये यदि कार का खरीदार अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करने के लिये दे देता है तो सरकार उसे नई कार के पंजीकरण शुल्क में छूट दे सकती है।

आंतरिक स्क्रैप का उपयोग करने के लाभ :

- यह भारत के व्यापार संतुलन में सुधार करेगा।
- आंतरिक स्क्रैप को जुटाने से प्लास्टिक, रबर, कांच, कपड़े, धातु उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे वर्चस्व वाले उद्योगों में रीसाइक्लिंग से लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा।

तुर्की अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकिलर और स्क्रैप आयातक बना हुआ है।

भारत और चीन

चर्चा में क्यों ?

भारत और चीन ने सांस्कृतिक तथा पीपल-टू-पीपल (People-to-People) संबंधों को मज़बूत बनाने के लिये चार समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

4 समझौते इस प्रकार हैं:

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों के संगठन और पुरातात्विक विरासत स्थलों के प्रबंधन के लिये सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिये।
- **स्वास्थ्य:** पारंपरिक चिकित्सा, जिसमें भारत और चीन के बीच सदियों से संचित ज्ञान शामिल है, के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये।
- **खेल:** अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के मामले में सहयोग को मज़बूत करने के लिये राष्ट्रीय खेल संघों, खिलाड़ियों और युवाओं के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिये।
- **संग्रहालय प्रबंधन में सहयोग:** वुहान स्थित हुबेई प्रांतीय संग्रहालय और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शनियों, संग्रहणों/संकलनों एवं पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के संरक्षण तथा पुनर्स्थापन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये।
  - हुबेई प्रांतीय संग्रहालय (Hubei Provincial Museum) चीन के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है, जहाँ बड़ी मात्रा में राज्य-स्तरीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवशेष मौजूद हैं।
  - राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। वर्ष 1949 में स्थापित इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक युग से लेकर कला के आधुनिक कार्यों तक के विभिन्न लेख उपलब्ध हैं।

कैलाश मानसरोवर (Kailash Mansarovar) में चीन की पहल

- कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये चीन की सरकार ने तीर्थयात्रा के विभिन्न पड़ावों पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई है अर्थात् स्वागत केंद्र बनाए गए हैं।
- चीन की सरकार ने इन केंद्रों के निर्माण में 5.21 मिलियन डॉलर खर्च किये हैं।

नोट :

लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा Ladakh and Line of Actual Control

- भारतीय विदेश मंत्री ने चीन को आश्वासन दिया है कि भारत के लद्दाख पर अधिक-से-अधिक प्रशासनिक नियंत्रण करने के निर्णय का भारत की बाहरी सीमाओं या चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control-LAC) पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- LAC एक 4,057 किलोमीटर लंबी सरंध्र सीमा है जो ग्लेशियरों, बर्फ के रेगिस्तानों, पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरती है तथा भारत और चीन को अलग करती है।
- LAC के तीन क्षेत्र हैं- पश्चिमी (लद्दाख, कश्मीर), मध्य (उत्तराखंड, हिमाचल) और पूर्वी (सिक्किम, अरुणाचल)।
- वर्ष 1993 में भारत और चीन ने अपनी सीमा पर तनाव को कम करने और LAC का पालन करने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- अक्तूबर 2013 में दोनों पक्षों ने सीमा रक्षा सहयोग समझौते (Border Defence Cooperation Agreement) पर हस्ताक्षर किये, जो कि सीमांकित सीमा के साथ किसी भी विवाद को रोकने के लिये था। इसमें सैन्य और राजनयिक स्तर के संवाद तंत्र को शामिल किया गया।

वियतनाम-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वियतनाम और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर करार किया गया है। इस समझौते के बाद भारत द्वारा यूरोपीय संघ को निर्यात किये जाने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

प्रमुख बिंदु:

- भारत प्रति वर्ष लगभग 50,000 करोड़ रुपए के समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात करता है। साथ ही भारत के शीर्ष दस निर्यातक देशों में से चार यूरोपीय संघ से संबंधित हैं।
- भारत द्वारा यूरोपीय संघ को निर्यात किये जाने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ में इस वर्ष गिरावट आने की संभावना है क्योंकि इस निर्यात में भारत के सबसे बड़े प्रतियोगी वियतनाम और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) हो गया है।
- वियतनाम झींगे की खेती में अग्रणी हुआ करता था, लेकिन भारत ने विस्तृत पैमाने झींगा उत्पादन करके इसको पछाड़ दिया।
- भारत पर यूरोपीय संघ द्वारा झींगा निर्यात पर 6% की दर से सीमा शुल्क लगाया गया है। इसके विपरीत वियतनाम पर शून्य शुल्क है। इस कारण वियतनाम को झींगें के निर्यात में ज़्यादा लाभ होगा।
- भारत सरकार के मंत्रालय ने इस संबंध में यूरोपीय संघ से बात करने में असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि यूरोपीय संघ भारत में अपने डेयरी उत्पादों के लिये बाज़ार चाहता है।
- इसके विपरीत वियतनाम ने FTA पर हस्ताक्षर करके डेयरी उत्पादों को वियतनाम में आने की अनुमति दी हैं।
- यूरोपीय संघ भारत द्वारा निर्यात किये गए समुद्री खाद्य में से 50% का नमूना परीक्षण करता है, वहीं दूसरी अन्य देशों के निर्यात का मात्र 10% नमूना परीक्षण किया जाता है। जितना अधिक नमूना परीक्षण किया जाता है, उतनी ही अधिक कमियों की संभावना रहती है।
- भारत के निर्यात पर मुख्य विवाद समुद्री खाद्य में पाया जाने वाला एंटी-बायोटिक अवशेष (Antibiotic Residue) है।

मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement- FTA)

- मुक्त व्यापार समझौते का प्रयोग व्यापार को सरल बनाने के लिये किया जाता है। FTA के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है।
- इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच में यह समझौता किया जाता है, उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इसके लाभ को देखते हुए दुनिया भर के बहुत से देश आपस में मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हैं।
- इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलती रही है। हालाँकि कुछ कारणों के चलते मुक्त व्यापार समझौते का विरोध भी किया जाता रहा है।

नोट :

भारत-भूटान संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और भूटान के बीच सहयोग के संदर्भ में एक नया खाका प्रस्तुत किया, प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार अब जल विद्युत क्षेत्र (Hydel Power Sector) के अतिरिक्त अंतरिक्ष, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे नए क्षेत्रों में भूटान के साथ सहयोग किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री ने भूटान के अधिक-से-अधिक छात्रों को बौद्ध धर्म जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिये भारत आने का निमंत्रण दिया है।
- इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 720 मेगावाट की मांगदेछु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया।
- भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से ग्राउंड अर्थ स्टेशन (Ground Earth Station) और SATCOM नेटवर्क का उद्घाटन किया, जिसे भूटान में दक्षिण एशिया उपग्रह के उपयोग के लिये इसरो की सहायता से विकसित किया गया है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भूटान के विकास को सुविधाजनक बनाने संबंधी भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
- भारत, भूटान के साथ ई-स्कूलों (e-schools), अंतरिक्ष (space) और डिजिटल भुगतान (Digital Payment) से लेकर आपदा प्रबंधन तक बड़े पैमाने पर सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। इस समय भूटान के चार हज़ार से अधिक छात्र भारत में अध्ययनरत हैं तथा इस संख्या में और अधिक वृद्धि की जा सकती है।
- भारत के प्रमुख IIT और भूटान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के बीच कनेक्टिविटी से शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक सहयोग संभव होगा, किंतु भारत में भूटानी छात्रों की गिरती हुई संख्या चिंता का विषय है।
- कुछ विद्वानों ने भूटान से भारत के आर्थिक संबंधों को फिर से परिभाषित करने की मांग की थी, जिससे भूटान में अधिक निवेश संभव हो सके। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है।

1949 की भारत-भूटान संधि

भारत की आज़ादी के बाद 8 अगस्त, 1949 को भारत और भूटान के बीच दार्जिलिंग में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें अनेक प्रावधान शामिल थे। काफी लंबे समय तक इस संधि के जारी रहने के बाद भूटान के आग्रह पर 8 फरवरी, 2007 को इसमें बदलाव कर इसे अद्यतन बनाया गया। अद्यतन संधि में यह उल्लेख है कि भारत और भूटान के बीच स्थायी शांति एवं मैत्री होगी।

दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर चुनौतियाँ

- आज का लोकतांत्रिक भूटान अपनी संप्रभुता के एक महत्त्वपूर्ण आयाम के रूप में स्वतंत्र विदेश नीति के लिये प्रयास कर रहा है ताकि भारत के साथ उसके प्रगाढ़ संबंध बने रहें और चीन सहित अन्य शक्तियों से भी संतुलन सधा रहे। निवेश की आकांक्षा से अपने उत्तर-पूर्व पड़ोसी चीन के प्रति आकर्षण से भूटान इसलिये भी स्वयं को बचाता है, क्योंकि भारत से उसके संबंध बेहद विश्वासपूर्ण रहे हैं।
- लेकिन डोकलाम की घटना के बाद चीन की विस्तारवादी नीति ने दोनों देशों के सामने सीमा सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। चीन भूटान के साथ औपचारिक राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने का इच्छुक है तथा कुछ हद तक भूटान के लोग भी चीन के साथ व्यापार और राजनयिक संबंधों का समर्थन कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में भारत के सामने कुछ अन्य चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं।
- भारत को भूटान की चिंताओं को दूर करने के लिये मज़बूती से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भूटान में चीनी हस्तक्षेप बढ़ने से भारत-भूटान के मज़बूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव कमज़ोर पड़ने का खतरा है। भूटान का राजनीतिक रूप से स्थिर होना भारत की सामरिक और कूटनीतिक रणनीति के लिहाज़ से बेहद महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

विदित हो कि पिछले कई दशकों से भूटान के साथ संबंध भारत की विदेश नीति का एक स्थायी कारक रहा है। साझा हितों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग पर आधारित अच्छे पड़ोसी के संबंधों का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इस बात का प्रतीक है कि दक्षिण एशिया की साझा नियति है। यही वजह है कि आज परिपक्वता, विश्वास, सम्मान और समझ-बूझ तथा निरंतर विस्तृत होते कार्यक्षेत्र में संयुक्त प्रयास भारत-भूटान संबंधों की विशेषता है।

नोट :

अमेरिका की ग्रीन कार्ड नीति में परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने अपनी ग्रीन कार्ड नीति (Green Card Policy) में बड़ा बदलाव करते हुए 'पब्लिक चार्ज' (Public Charge) के अर्थ को विस्तृत करने का फैसला लिया है।

- अमेरिका के नए नियम 15 अक्तूबर, 2019 को आधिकारिक रूप से लागू हो जाएंगे, जिसके बाद यह आशा की जा रही है कि अमेरिका का कानूनी आप्रवासन (Legal Immigration) काफी हद तक कम हो जाएगा।

क्या कहती है मौजूदा परिभाषा ?

- यूनाइटेड स्टेट सिटीज़नशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज़ (United States Citizenship and Immigration Services-USCIS) की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई परिभाषा के अनुसार, "अयोग्यता निर्धारण के उद्देश्य से 'पब्लिक चार्ज' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्वाह के लिये मुख्य रूप से सरकार पर निर्भर रहने की संभावना रखता है"।
- उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में शामिल हैं - पूरक सुरक्षा आय (Supplemental Security Income-SSI), ज़रूरतमंद परिवारों के लिये अस्थायी सहायता (Temporary Assistance for Needy Families-TANF), नकद सहायता, राज्य और स्थानीय सहायता कार्यक्रम और लंबे अवधि के देखभाल कार्यक्रम।
- सामान्यत: पब्लिक चार्ज की परिभाषा में 'गैर-नकद लाभ' (Non Cash Benefits) जैसे - सार्वजनिक विद्यालय, बाल-संरक्षण सेवाएँ, टीकाकरण के लिये सार्वजनिक सहायता, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ, बच्चों के लिये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि को शामिल नहीं किया जाता है।

क्या होता है यदि एक आप्रवासी पब्लिक चार्ज की परिभाषा में आता है ?

- यदि USCIS के अधिकारियों को लगता है कि कोई व्यक्ति इस परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है और यह संभावना है कि वह व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिये मुख्य रूप से सरकार पर निर्भर रहेगा तो USCIS के अधिकारी उसे ग्रीन कार्ड देने से इनकार कर सकते हैं।
- ज्ञातव्य है कि इस आधार पर इनकार करने के लिये आयु, स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति, शिक्षा और कौशल जैसे कारकों पर ध्यान दिया जाता है।
- पब्लिक चार्ज की अवधारणा सिर्फ ग्रीन कार्ड के संदर्भ में लागू होती है, न कि नागरिकता देने के संदर्भ में, क्योंकि नागरिकता देने के मामले में ग्रीन कार्ड पहले से ही मौजूद होता है।

क्या परिवर्तन किया गया है परिभाषा में ?

- नए नियम के तहत पब्लिक चार्ज की परिभाषा को और अधिक विस्तृत किया गया है तथा इसमें कई अन्य शर्तों को भी जोड़ा गया है।
- प्रमुख परिवर्तन:
  - पब्लिक चार्ज की परिभाषा में और अधिक कल्याण योजनाओं को जोड़ा गया है।
  - आवेदक द्वारा पहले से लिये गए लाभों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
  - इसके अलावा परिवार और व्यक्तिगत आय के मापदंडों को भी परिवर्तित किया गया है।

अमेरिका के इस कदम का प्रभाव

- इस कदम के आलोचकों ने अमेरिकी सरकार पर आर्थिक और सामाजिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आलोचकों का कहना है कि इस परिवर्तन से अमेरिकी सरकार विकासशील और पिछड़े देशों के नागरिकों को रोकने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस नीति से विकसित देशों के नागरिकों को फायदा पहुँचाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
- इस नियम के संयुक्त राज्य अमेरिका पर संभावित दीर्घकालिक प्रभाव के कारण भी इसकी आलोचना की जा रही है, क्योंकि देश में पहले से रह रहे कानूनी आप्रवासी अब आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने से डरेंगे।

नोट :

सूडान में नई संप्रभु परिषद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सूडान में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक (Abdalla Hamdok) की नई सरकार सत्ता में आई है।

प्रमुख बिंदु

- ऐसा पहली बार है कि सूडान के राष्ट्रपति उमर अल-बशीर जो कि वर्ष 1989 से सत्तासीन है, का तख्तापलट करते हुए सूडान पूर्ण सैन्य शासन के अधीन नहीं है।
- नए संप्रभु परिषद ने ट्रांज़िशनल मिलिट्री काउंसिल (Transitional Military Council-TMC) का स्थान लिया है जो कि उमर अल-बशीर को हटाए जाने के बाद बनाई गई थी।
- 11 सदस्यों वाला यह नई संप्रभु परिषद (New sovereign council) नागरिकों के प्रभुत्त्व वाली एक शाषी परिषद है, लेकिन इसका नेतृत्व जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान (Omar al-Bashir) करेंगे, जो पहले TMC (Transitional Military Council) का नेतृत्व कर रहे थे।
- 39 महीने की संक्रमण अवधि के दौरान पहले 21 महीनों के लिये जनरल बुरहान सूडान का नेतृत्व करेंगे, जब तक कि सूडान में एक पूर्ण नागरिक सरकार का गठन नहीं होता।

उमर अल-बशीर

- पिछले कुछ माह से बशीर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे थे।
- पूर्व में सेना अधिकारी रहे ओमर अल बशीर वर्ष 1989 में सेना के तख़्तापलट के बाद सत्ता पर काबिज हुए थे।
- उनके शासन काल में सूडान को भयंकर गृहयुद्ध का सामना करना पड़ा। वर्ष 2005 में साउथ सूडान में गृहयुद्ध समाप्त हुआ और वर्ष 2011 में यह एक नया देश बना।
- लेकिन देश के पश्चिमी हिस्से दारफ़ुर में एक और गृहयुद्ध छिड़ गया और बशीर पर युद्ध अपराध कराने के आरोप लगे।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से जारी गिरफ़्तारी वारंट के बावजूद बशीर ने वर्ष 2010 और 2015 का चुनाव जीता। हालाँकि उनके पिछले चुनाव के दौरान विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया था।
- गिरफ्तारी वारंट के कारण बशीर की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बावजूद उन्होंने मिस्र, सउदी अरब और दक्षिण अफ्रीका की यात्राएँ कीं।
- वर्ष 2015 में दक्षिण अफ्रीका के एक न्यायालय में उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई शुरू हुई तो वह अपना दौरा ख़त्म कर सूडान वापस लौट गए।

कौन हैं अब्दुल्ला हमदोक ?

- इनका जन्म वर्ष 1956 में सूडान के मध्य कोर्डोफन (Kordofan) प्रांत में हुआ।
- मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से इन्होंने आर्थिक अध्ययन में PhD की उपाधि प्राप्त की।
- 1990 के दशक में जिम्बाब्वे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) के मुख्य तकनीकी सलाहकार और बाद में आइवरी कोस्ट में अफ्रीकी विकास बैंक (African Development Bank) में प्रमुख नीति अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया।
- नवंबर 2011 से अफ्रीका के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (Economic Commission for Africa-ECA) के उप-कार्यकारी सचिव के रूप में सेवा की।

नोट :

भारत-बाल्टिक देश

चर्चा में क्यों ?

भारत के उपराष्ट्रपति 17-21 अगस्त तक लिथुआनिया (Lithuania), लातविया (Latvia) और एस्टोनिया (Estonia) की यात्रा पर रहे जो भारत की ओर से इन तीन बाल्टिक देशों की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है।

प्रमुख बिंदु

- उपराष्ट्रपति की इन तीन बाल्टिक राष्ट्रों की यात्रा से भारत के संबंध इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण देशों के साथ मज़बूत होंगे।
- उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nationas Security Council-UNSC) की सदस्यता के विस्तार एवं सुधारों के साथ ही भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिये लातविया और लिथुआनिया का आभार व्यक्त किया।
- उपराष्ट्रपति ने भारत-लातविया बिजनेस फोरम (India-Latvia Business Forum) को संबोधित किया और द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाये जाने का आह्वान किया।
- उपराष्ट्रपति ने लातविया के राष्ट्रीय पुस्तकालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया।
- उपराष्ट्रपति की एस्टोनिया यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों (Bilateral Relations) के विकास के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (International Organisations) में संभावित सहयोग पर बातचीत शामिल रही।

बाल्टिक देश

- बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं।
- बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर से घिरे हुए हैं जिसके नाम पर क्षेत्र का नाम रखा गया है।
- वर्ष 1991 में इन देशों की चुनी हुई तत्कालीन सरकारों ने जनता के भारी समर्थन के साथ सोवियत संघ सोशलिस्ट रिपब्लिक (Union of Soviet Socialist Republics-USSR) से स्वतंत्रता की घोषणा की।
- बाल्टिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नहीं है। हालाँकि एस्टोनिया खनिज तेल उत्पादक है लेकिन इस क्षेत्र में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है।
- बाल्टिक अर्थव्यवस्था के लिये कृषि बहुत महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है। आलू, अनाज और चारे की फसलों का उत्पादन, डेयरी और पशुपालन आदि यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ हैं।
- भारत और बाल्टिक देशों के बीच ऐतिहासिक संपर्क और भाषायी मूल की समानता (Common linguistic Roots) विद्यमान हैं।
- बाल्टिक देशों की अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार परिवेश भारत के विशाल बाज़ार और इन तकनीकी आवश्यकता के पूरक हैं।

रोम में संकट

चर्चा में क्यों ?

इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप कोंटे (Giuseppe Conte) के इस्तीफे के बाद इटली में राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप कोंटे के साथ ही उनकी सहयोगी पार्टी से उनकी कैबिनेट में मंत्री माटेओ साल्विनी (Matteo Salvini) ने भी इस्तीफा दे दिया है।
- इस प्रकार के राजनीतिक संकट हेतु विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के गठबंधन को जिम्मेदार माना जा रहा है।

नोट :

- 5-स्टार मूवमेंट पार्टी को नेतृत्व प्रदान करने वाले कॉमेडियन बेप्पे ग्रिलो (Beppe Grillo) और माटेओ साल्विनी की पार्टियों के बीच गठबंधन पिछले वर्ष के चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने की स्थिति में हुआ था। इस गठबंधन का उद्देश्य देश की राजनीति में नए राजनीतिक विकल्प उपलब्ध कराना था।
- प्रधानमंत्री गिउसेप कोंटे किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं थे, इसलिये उनके लिये गठबंधन शासन को संभालना ज़्यादा कठिन था।
- जहाँ पर 5-स्टार मूवमेंट पार्टी किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं है वहीं इसकी सहयोगी माटेओ साल्विनी की पार्टी इटली पहले (Italy First) की नीति के साथ प्रवासी और यूरोपीय संघ का विरोध करती है।
- माटेओ साल्विनी ने मंत्री पद पर रहते हुए प्रवासी जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाए, साथ ही यूरोपीय संघ की राजकोषीय नीतियों, जैसे- कर कटौती और खर्च में बढ़ोतरी की आलोचना भी की।
- वर्तमान राजनीतिक संकट माटेओ साल्विनी के गठबंधन से समर्थन वापस लेने के निर्णय के बाद से शुरू हुआ था। माटेओ साल्विनी की पार्टी को उस समय के चुनाव में 34% वोट मिले थे, वर्तमान में कराए गए एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार अब उनको देश में 38% वोट मिल सकता है इसलिये वे नए चुनाव के माध्यम से प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं।
- 5-स्टार मूवमेंट पार्टी ने संकेत दिया है कि वह डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिये तैयार है। अगर ऐसा गठबंधन होता है तो यह माटेओ साल्विनी को कम से कम तीन वर्ष तक सत्ता से बाहर रखेगा।
- 5-स्टार मूवमेंट पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी का गठबंधन भी विरोधी विचारधारा वाला गठबंधन होगा इसलिये इसके भी सफल होने की संभावना कम ही है।
- माटेओ साल्विनी का उदय क्षेत्रीय नेता से एक लोकप्रिय कट्टर राष्ट्रवादी राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हुआ है। वे संरचनात्मक आर्थिक मुद्दों पर मौन रहते हैं इसलिये उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इटली के आर्थिक संकट के किसी स्थायी समाधान की संभावना कम ही है।
- वामदलों की कमज़ोरी, 5-स्टार मूवमेंट पार्टी में वैचारिक कार्यक्रम का अभाव और माटेओ साल्विनी के कठोर राष्ट्रवादी विचार, यूरोपीय संघ विरोधी राजनीति इटली के राजनीतिक संकट को और भी गंभीर कर देते हैं।

न्यू डेवलपमेंट बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank- NDB) को पहली बार जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड (Japan Credit Rating Agency Ltd- JCR) द्वारा AAA रेटिंग प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड (Japan Credit Rating Agency Ltd- JCR) ने NDB को स्थायित्व के दृष्टिकोण के साथ AAA रेटिंग प्रदान की है।

जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड (Japan Credit Rating Agency Ltd- JCR):

- जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी।
- यह एजेंसी जापानी कंपनियों, स्थानीय सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिये क्रेडिट रेटिंग जारी करती है।
- इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है।
- AAA रेटिंग किसी संस्थान के डिफॉल्ट होने की 'न्यूनतम संभावना' को व्यक्त करती है। इस प्रकार की रेटिंग से NDB में निवेश को लेकर निवेशकों में सकारात्मक माहौल पैदा होगा।
- ब्रिक्स देशों जैसे; भारत BBB-, रूस BBB+ और चीन A+ की रेटिंग की अपेक्षा NDB को AAA जैसी उच्च रेटिंग दिया जाना इसके स्थायित्व को प्रदर्शित करता है।
- NDB भारतीय अपतटीय बाज़ार के माध्यम से मसाला बॉण्ड बाज़ार के धीमे होने के बाद संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहा है।
- NDB वर्तमान में भारतीय बाज़ार की परिस्थितियों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहा है क्योंकि निवेशक बाज़ार में ब्याज दर को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं।
- NDB वर्तमान में पाँच ब्रिक्स देशों में 37 परियोजनाएँ संचालित कर रहा है।

नोट :

न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank- NDB):

- वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचा एवं सतत् विकास परियोजनाओं के लिये न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया।
- वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- फोर्टालेजा घोषणा में कहा गया कि NDB ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मज़बूत करेगा और वैश्विक विकास के लिये बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करके स्थायी एवं संतुलित विकास में योगदान देगा।
- NDB के संचालन के प्रमुख क्षेत्र हैं- स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग।
- NDB सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र पर काम करता है।
- NDB का मुख्यालय शंघाई (चीन) में है।

भारत और फ्राँस

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्राँस के दौरे पर हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा के साथ ही अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया पर भी चर्चा की। भारत और फ्राँस के बीच आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राफेल विमान, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिये चिकित्सा प्रशिक्षण सहायता, साइबर सुरक्षा और अफगानिस्तान सहित कई मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई।

समझौते के प्रमुख बिंदु:

आतंकवाद:

- फ्राँस ने आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया साथ ही दोनों देशों ने मेलबर्न में आतंकवाद के वित्तपोषण पर "नो मनी फॉर टेरर" के आयोजन हेतु संयुक्त राष्ट्र के देशों से समर्थन करने को भी कहा।
- भारत और फ्राँस ने दोनों देशों की नोडल एजेंसियों और जाँच एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ ही परिचालन सहयोग बढ़ाने और कट्टरपंथ की ऑनलाइन घटनाओं से निपटने के लिये प्रयासों हेतु सहमति व्यक्त की। वर्ष 2018 में ही दोनों पक्ष ऑनलाइन कट्टरता पर सहयोग करने के लिये सहमत हुए थे।
- भारत और फ्राँस ने क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन (Christchurch Call to Action) के कार्यान्वयन की पुष्टि की है।

क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन (Christchurch Call to Action):

- इस समझौते के तहत फ्राँस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न द्वारा वैश्विक दस्तावेज़ पर पेरिस में हस्ताक्षर किये गए।
- इस समझौते का उद्देश्य सोशल मीडिया पर चरमपंथी और हिंसक सामग्रियों को हटाना है।
- इस सम्मलेन में ब्रिटेन, फ्राँस, कनाडा,आयरलैंड, सेनेगल, इंडोनेशिया,जोर्डन एवं यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ ही बड़ी तकनीकी कंपनियाँ जैसे- ट्विटर . गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि शामिल हुए थे। \
- भारत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने इसमें भाग लिया था।
- इस दस्तावेज़ का मुख्य उद्देश्य क्राइस्टचर्च में हमलों के बाद सरकारों और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं की सामूहिक एवं स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर बल देते हुए इंटरनेट पर आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी सामग्री के प्रसार को रोकना है।
- भारत और फ्राँस ने आतंकवाद के सभी रूपों, अभिव्यक्तियों और "सीमा पार से आतंकवाद" की निंदा की। दोनों देशों ने वर्ष 2018 की तरह ही सभी देशों से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों और बुनियादी ढाँचे को खत्म करने, आतंकवादी नेटवर्क और उनके वित्तपोषण चैनलों को बाधित करने की सिफारिश भी की।

नोट :

- अलकायदा, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयब्बा जैसे आतंकवादी संगठनों के सीमा पार प्रसार को रोकने हेतु दोनों देशों ने मिलकर काम करने का आह्वान किया है।
- उपरोक्त आंतकवादी संगठनों के सहयोगियों द्वारा प्रभावित दक्षिण एशिया और साहिल क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई।

रक्षा:

- भारत और फ्राँस के बीच राफेल लड़ाकू विमान के समझौते तहत सितंबर में भारत को राफेल लड़ाकू विमान मिलने की संभावना है।
- भारत और फ्राँस ने रक्षा क्षेत्र में दोनों के बीच संबंधों पर संतोष व्यक्त किया, साथ ही मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों में परस्पर सहयोग की भी बात कही।

परमाणु:

- भारत में फ्राँस के सहयोग से जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- दोनों देशों ने इस संयंत्र की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। महाराष्ट्र के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण के लिये दोनों देशों के बीच वर्ष 2018 में औद्योगिक मार्ग वायदा समझौता (Industrial Way Forward Agreement) हुआ था।

अंतरिक्ष:

- फ्राँस के राष्ट्रपति मैक्रोन के वर्ष 2018 के भारत के दौरे के दौरान अंतरिक्ष सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रहों की खोज और मानव अंतरिक्ष यान संबंधी समझौता किया गया था।
- फ्राँस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चिकित्सा प्रशिक्षण सहायता हेतु सहमति व्यक्त की है जो वर्ष 2022 में भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा होगा ।
- भारत और फ्राँस ने संयुक्त समुद्री डोमेन जागरूकता मिशन की प्राप्ति के लिये एक रूपरेखा की स्थापना हेतु कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये। यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीति पर नज़र रखेगा।

साइबर:

- वर्ष 2018 के समझौते में साइबर क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं था लेकिन इस दौरे में दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी रोडमैप पर द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार की बात कही।
- दोनों देशों ने विशेष रूप से उच्च क्षमता की कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावना पर बल दिया।

समुद्री समझौता:

- भारत और फ्राँस ने विशेष रूप से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिये एक साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- भारत और फ्राँस द्वारा वर्ष 2018 में मैक्रॉन की यात्रा के दौरान अपनाए गए संयुक्त रणनीतिक विज़न के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्राँस के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है।
- भारत और फ्राँस ने गुरुग्राम में सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (Information Fusion Centre – Indian Ocean Region- IFC-IOR) में व्हाइट शिपिंग समझौते के कार्यान्वयन के लिये एक फ्राँसीसी संपर्क अधिकारी की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की है।

आर्थिक पक्ष:

- भारत और फ्राँस ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा आर्थिक संचालकों के लाभ के लिये बाजार पहुँच जैसे मुद्दों के समाधान को गति देने हेतु एक उपयुक्त रूपरेखा तय की।
- फ्राँस और भारतीय कंपनियों के लिये व्यापार और निवेश "चिंता के मुद्दों" को सुलझाने हेतु संयुक्त रूप से काम करने का निर्णय लिया गया है।
- भारत और फ्राँस ने संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त की कि वे उच्च-स्तरीय आर्थिक और वित्तीय वार्ता को फिर से सक्रिय करेंगे।

नोट :

अफगानिस्तान:

- वर्ष 2018 के समझौते में अफगानिस्तान शांति पर कोई बातचीत नहीं की गई थी लेकिन इस बार के समझौते के तहत दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये सक्रिय रूप से सहयोग करने का फैसला किया है, जिसमें क्षेत्रीय संकट भी शामिल हैं।
- दोनों देशों ने अफगानिस्तान में एक समावेशी शांति और सुलह प्रक्रिया का समर्थन किया, जिसका नेतृत्व, स्वामित्व और नियंत्रण अफगानिस्तान द्वारा किया जाए।
- अफगानिस्तान में संवैधानिक व्यवस्था, मानवाधिकार, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और एक स्थायी राजनीतिक समाधान की बात कही गई।
- राष्ट्रपति के चुनाव को समय पर आयोजित करने का आह्वान किया गया, साथ ही आतंकवादी हिंसा की समाप्ति, अफगानिस्तान में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिये आतंकवादी संगठनो की समाप्ति की बात कही गई।

जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370:

- भारत और फ्राँस के बीच जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निलंबित करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के कदम पर चर्चा की गई।
- फ्राँस ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि फ्राँस ऐसी ही नीतियों का समर्थन करेगा जो इस क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करे, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि इस क्षेत्र में किसी को भी हिंसा की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये।
- फ्राँस ने कहा कि यह भारत का एक संप्रभु मुद्दा है। कश्मीर के मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच ही सुलझाया जाना चाहिये, साथ ही इसमें किसी अन्य पक्ष को शामिल नहीं किया जाना चाहिये।
- भारत और फ्राँस के संबंध सर्वकालिक एवं सदाबहार रहे हैं, दोनों देशों के बीच संबंध के क्षेत्र में पर्याप्त विविधता और गहराई है। पहले के मधुर सामरिक संबंधों के साथ ही वर्तमान में भी दोनों देश जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुद्दे पर एक-दूसरे को समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

UNSC बैठक और चीन एवं पाकिस्तान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में UNSC (UN Security Council) ने 'सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कुशलता के प्रोत्साहन' (Advancing the Safety and Security of Persons Belonging to Religious Minorities in Armed Conflict) पर एक बैठक का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में चीन और पाकिस्तान में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने के लिये इन देशों की आलोचना की गई।
- इस बैठक में धार्मिक स्वतंत्रता को देशों के भीतर और देशों के मध्य शांति व स्थिरता के लिये आवश्यक माना गया।
- दोनों देशों में ईसाई, अहमदी, उइगर और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित किये जाने के कारण इन्हें अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा बैठक में बुलाया गया था।
- इस बैठक में विश्व से यहूदी विरोधी (Anti-Semitism), मुस्लिम विरोधी, ईसाइयों और अन्य धार्मिक समूहों के उत्पीड़न तथा सभी प्रकार के नस्लवाद (Racism), ज़ेनोफ़ोबिया (Xenophobia), भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।
- प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस (22 अगस्त 2019) के अवसर पर धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा पीड़ितों का स्मरण करने के लिये इस बैठक का आयोजन किया गया।
- अरिया-फार्मूला (Arria-Formula) पर आधारित इस बैठक का आयोजन पोलैंड द्वारा किया गया।

नोट :

चीन के संदर्भ में

- चीन में उइगर (Uighur), कज़ाख (Kazakhs) और मुस्लिम (Muslims), तिब्बती बौद्ध (Tibetan Buddhists), कैथोलिक (Catholics), प्रोटेस्टेंट (Protestants) तथा फालुन गोंग (Falun Gong) सहित कई धार्मिक समूहों के सदस्यों को गंभीर उत्पीड़न एवं दमन का सामना करना पड़ रहा है।
- चीन की तरह धार्मिक अभिव्यक्ति और सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म की भूमिका को प्रतिबंधित करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा का उपयोग करने वाले देशों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।

पाकिस्तान के संदर्भ में

- पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अराजक तत्त्वों एवं भेदभावपूर्ण कानून और प्रथाओं के आधार पर उत्पीड़न किया जाता है।
- अरिया-फार्मूला (Arria-Formula)
- अरिया फॉर्मूला एक अनौपचारिक व्यवस्था है जो UNSC को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों के बारे में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
- मार्च 1992 में इसे पहली बार लागू किया गया।
- यह बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाती है।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और विश्व व्यापार संगठन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) की आलोचना करते हुए कहा था कि वह भारत और चीन जैसे देशों, जो अमेरिका के आर्थिक हितों को प्रभावित करते हैं, को अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने की अनुमति दे रहा है।

- अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, भारत और चीन जैसे देश 'विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ' नहीं हैं, बल्कि ये तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाएँ हैं। अत: इन्हें WTO की ओर से किसी भी प्रकार का विशेष उपचार नहीं मिलना चाहिये।

विकासशील देश होने के मायने

- विकासशील देशों का आशय उन देशों से है जो अपने आर्थिक विकास के पहले चरण से गुज़र रहे हैं तथा जहाँ लोगों की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की अपेक्षा काफी कम है। इन देशों में जनसंख्या काफी अधिक होती है जिसके कारण इन देशों को गरीबी और बेरोज़गारी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।
- WTO के विकासशील सदस्य देशों को WTO द्वारा मंज़ूर विभिन्न बहुपक्षीय व्यापार समझौतों की प्रतिबद्धताओं (Commitments) से अस्थायी अपवाद या छूट प्राप्त करने की अनुमति होती है।
- WTO ने इसकी शुरुआत अपने प्रारंभिक दौर में इस उद्देश्य से की थी कि इसके माध्यम से गरीब सदस्य देशों को कुछ राहत दी जा सके ताकि वे नए वैश्विक व्यापार परिदृश्य में स्वयं को आसानी से समायोजित कर सकें।
- हालाँकि WTO औपचारिक रूप से अपने किसी भी सदस्य देश को विकासशील देश या किसी अन्य प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करता है, बल्कि इसके स्थान पर सभी सदस्य देशों को इस बात की स्वयं घोषणा करने की अनुमति दी गई है।
- WTO से मिली इस स्वतंत्रता के कारण ही उसके 164 सदस्य देशों में से दो तिहाई ने स्वयं को विकासशील देशों के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है।

विकासशील अर्थव्यवस्था: भारत और चीन

- विकासशील देश जैसे भारत और चीन को कुछ समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन को लेकर छूट प्राप्त है किंतु यह छूट इन्हें आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण दी गई है।

नोट :

- विकसित देश लंबे समय से आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं जिससे इनके निर्यात कुशल होते हैं तथा विकासशील देशों की तुलना में सस्ते होते हैं। यदि विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बल प्रदान करना है एवं विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करना है तो इसके लिये आवश्यक है कि उनको संरक्षण दिया जाए। इसी विचार के आधार पर भारत जैसे विकासशील देशों को छूट प्रदान की गई है हालाँकि चीन जैसे देश जो अपेक्षित रूप से कुशल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित हो चुके ,हैं इस प्रकार की छूट का दुरुपयोग करते नज़र आते हैं।
- विकासशील देशों को दी गई छूट के संदर्भ में ही भारत की कृषि सब्सिडी पर भी अमेरिका द्वारा प्रश्न खड़े किये जाते रहे हैं किंतु भारत में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे निर्णय आवश्यक हैं। साथ ही अमेरिका जैसे देश जो अति विकसित हैं, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी की भेदभावपूर्ण गणना का भी लाभ उठाते हैं, जिसे रोके जाने की आवश्यकता है।

कितनी तर्कसंगत है WTO की आलोचना

- कई लोगों का मानना है कि 'विकासशील देशों' को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों से छूट देने का उद्देश्य गरीब देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना था, परंतु इस कदम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- चूँकि WTO ने सदस्य देशों को स्वैच्छिक आधार पर स्वयं को 'विकासशील देश' घोषित करने की अनुमति दे रखी है इसीलिये कई देशों ने इस कदम का अनुचित उपयोग किया है।
- उदाहरण के लिये सिंगापुर और हाँगकॉग जैसे देशों ने स्वयं को 'विकासशील देश' के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है और ये देश गरीब देशों को मिलने वाले फायदे का लाभ भी उठाते हैं, परंतु यदि इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये किसी विकसित देश से कम नहीं है और इन देशों की प्रति व्यक्ति आय का स्तर अमेरिका जैसे देशों से भी अधिक है।
- हालाँकि सिंगापुर और हाँगकॉग की तुलना में भारत जैसे देशों की स्थिति काफी अलग है जिनका आर्थिक ढाँचा उपरोक्त देशों के समान सक्षम नहीं है। अत: इस संदर्भ में विकासशील देशों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की छूट उनके आर्थिक विकास में सहायता देने के लिये आवश्यक है।
- यहाँ पर इस बात पर भी गौर किये जाने की आवश्यकता है कि WTO के नियम सदैव विकसित देशों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं।
- अमेरिका जैसे विकसित देशों ने कई बार WTO के माध्यम से पश्चिम में व्यापक रूप से प्रचलित कड़े श्रम सुरक्षा और अन्य नियमों को लागू करने के लिये गरीब देशों को मजबूर करने की कोशिश की है।
- ये नियम विकासशील देशों में उत्पादन की लागत को बढ़ा सकते हैं और उन्हें वैश्विक स्तर पर व्यापार प्रतिस्पर्द्धा से बाहर कर सकते हैं।

निष्कर्ष

- अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई आलोचना को अमेरिका-चीन के व्यापार युद्ध की एक कार्यवाही के रूप में भी देखा जा सकता है।
- कुछ समय पूर्व भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहते हुए चीन को 'करेंसी मैनीपुलेटर' (Currency Manipulator) की संज्ञा दी थी कि वह अपनी मुद्रा युआन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है।
- चीन और अमेरिका ने पिछले साल से ही एक दूसरे पर काफी ज़्यादा आयात शुल्क लगाने की शुरुआत कर दी थी।
- WTO में चीन का विकासशील देश होना अमेरिका को एक अन्य अवसर देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की आलोचना कर सके।

ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्लादिवोस्तोक (Vladivostok) में 5 सितंबर को आयोजित होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (Eastern Economic Forum- EEF) की बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान ही भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।

ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (Eastern Economic Forum- EEF):

- ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी।
- इस फोरम की बैठक प्रत्येक वर्ष रूस के शहर व्लादिवोस्तोक (Vladivostok) में आयोजित की जाती है।

नोट :

- यह फोरम विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों, क्षेत्रीय एकीकरण, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ रूस और अन्य देशों के सामने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह रूस और एशिया प्रशांत के देशों बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने की रणनीति पर चर्चा करने के लिये एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है।
- इस फोरम का मुख्यालय व्लादिवोस्तोक (Vladivostok) में स्थित है।

भारत-रूस बैठक के मुख्य बिंदु:

- भारत और रूस एक दीर्घकालिक, विश्वसनीय साझेदार रहे हैं इसलिये दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच व्लादिवोस्तोक के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद संबंधों के नए आयाम स्थापित होने की संभावना है।
- व्लादिवोस्तोक (Vladivostok) में शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष और ऊर्जा के पारंपरिक क्षेत्रों के साथ ही अंतर-क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर रहेगा।
- इस सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट (Military Logistics Support Agreement), एग्रीमेंट ऑन रिसिप्रकल लॉजिस्टिक सपोर्ट (Agreement on Reciprocal Logistics Support-ARLS) जैसे समझौते होने की संभावना है। विदित है कि भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (Logistics Exchange Memorandum of Understanding- LEMOA) समझौता हुआ था।
- भारत और रूस के बीच सैन्य सामानों के साथ ही दोनों देशों द्वारा भारतीय सेना के प्रयोग हेतु बना बनाए जाने वाले Ka-226T हेलीकॉप्टर के निर्माण में भी तेज़ी आने की संभावना है।

रूस का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र:

- भारत रूस के बीच रूस के उत्तर-पूर्वी भाग जैसे साइबेरिया, बैकाल झील के आसपास का क्षेत्र और ओखोस्टक सागर इत्यादि में सहयोग बढ़ाने की संभावना है। यह क्षेत्र ऊर्जा संभावनाओं की दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है।
- भारत दीर्घकालिक गैस आपूर्ति के लिये इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किये हुए है।
- इस क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएँ मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को स्पर्श करती हैं।

भारत-रूस संबंध:

भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत-रूस का संबंध सदैव सौहार्द्रपूर्ण रहा हैं। दोनों देशों के संबंधों में व्यापकता के साथ ही समग्रता भी समाविष्ट है, इसलिये पिछले 70 वर्षों की भू-राजनीतिक घटनाओं में उतार-चढ़ाव के बाद भी भारत-रूस के संबंध सदैव सामंजस्यपूर्ण बने रहे। भारत-रूस के संबंधों का स्वरूप निम्नलिखित है:

- **अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीति:**
  - 1950 के दशक से ही रूस (तात्कालिक- USSR) के साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है तथा वर्ष 1971 की भारत-सोवियत मैत्री संधि द्वारा संबंधों को और अधिक मज़बूत किया गया।
  - 9 अगस्त, 1971 को भारत ने रूस के साथ 20 वर्षीय सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये थे। इनमें संप्रभुता के प्रति सम्मान, एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व कायम करना शामिल है। रूस और भारत ने वर्ष 1993 में शांति, मैत्री और सहयोग के क्षेत्र में नई संधि की, लेकिन उसका आधार भी इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को बनाया गया।
  - दिसंबर 2010 में सामरिक साझेदारी को विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया।
  - इसके अतिरिक्त रूस ने संयुक्त राष्ट्र में सदैव भारत का ही साथ दिया, वह सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी करता रहा है।
  - आतंकवाद, अफगानिस्तान और मध्य-पूर्व के संघर्षों के मुद्दे पर रूस ने सदैव भारत का समर्थन किया है।
- **रक्षा क्षेत्र:**
  - भारत की स्वतंत्रता के बाद से भारत को सबसे ज़्यादा हथियार रूस निर्यात करता था तात्कालिक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में भारत हथियारों के लिये पूर्णत: रूस पर ही निर्भर था।

नोट :

- वर्तमान समय में बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत, इज़राइल और अमेरिका से भी रक्षा उपकरण खरीद रहा है लेकिन आज भी रूस से भारी मात्रा में भारत हथियारों का आयात जारी है।
- सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों में विश्वास का परिचायक है।
- दोनों देशों के बीच वर्ष 2007 में पाँचवीं पीढ़ी के युद्धक विमान (Fifth Generation Fighter Aircraft- FGFA) बनाने के लिये अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे। इस परियोजना पर प्रगति काफी धीमी है क्योंकि यह बेहद जटिल मामला है। बहुउद्देशीय हथियारों और सैन्य उपकरणों के उत्पादन के लिये में दोनों देशों के बीच सघन सहयोग हैं।

- **अंतरिक्ष:**
  - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation) और फेडेरल स्पेस एजेंसी ऑफ रूस (Roscosmos) ने भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन परियोजना गगनयान पर सहयोग के लिये 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किये हैं।
- **रेलवे:**
  - भारतीय और रूसी रेलवे के बीच सहयोग हेतु ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे जिसके तहत रूसी रेलवे कंपनी आधुनिक रेल मार्ग बनाने में भारत की मदद कर रहा है।
- **परमाणु ऊर्जा**
  - रूस और भारत के बीच वर्ष 2014 में स्ट्रैटेजिक विज़न (Strategic Vision) पर हस्ताक्षर के बाद रूस, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर की छह इकाइयों का निर्माण कर रहा है। इस परमाणु रिएक्टर की दो इकाइयाँ पहले से ही सक्रिय हैं और चार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। भारत भविष्य में रूस द्वारा डिज़ाइन की जाने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में प्रयुक्त उपकरणों के भारत में विनिर्माण पर ज़ोर दे रहा है।
- **अन्य क्षेत्र:**
  - भारत और रूस के बीच छोटे उद्योग, उर्वरक और विदेशी मंत्रालयों के मध्य समन्वय हेतु समझौता हुआ है।
  - भारत और रूस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI), ब्लॉकचेन प्रणाली (Blockchain System), स्वास्थ्य, पर्यटन, डिजिटलीकरण, वित्तीय तकनीक और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं।

वर्तमान में रूस-भारत संबंधों हेतु चुनौतियाँ:

- नई भू-राजनीतिक परिस्थितियों में भारत का अमेरिका के करीब आना रूसी दृष्टिकोण से काफी नकारात्मक है
- रूस शीतयुद्ध के बाद चीन को अपने लिये खतरे के रूप में नही देखता है इसलिये वह चीन के साथ सीमा विवादों का निपटारा और आर्थिक तथा कारोबारी संबंधों का विस्तार कर रहा है।
- चीन रूसी हथियारों और रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रमुख आयातक हो गया है जिससे चीन आसानी से भारतीय सैन्य शक्ति को संतुलित कर रहा है।
- भारत और रूस के बीच मुख्यत: रक्षा व्यापार ही होता है इसलिये अन्य क्षेत्र उपेक्षित है इससे संबंधों में भी असंतुलन पैदा हो रहा है।
- रूस का पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध बनाना भी भारत के लिये चिंता का विषय है क्योंकि रूस ने पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का सदैव समर्थन किया है।

उपरोक्त चुनौतियों के बाद भी भारत और रूस के संबंध लगातार सौहार्द्र बने हुए हैं इसका सबसे प्रमुख उदाहरण ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि बनाना है। भारत अमेरिका के साथ विभिन्न समझौते करने के बाद भी रूस के साथ कहीं भी तुष्टिकरण का भाव नही दिखा रहा है।

भारत ने अमेरिका के साथ काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सेंक्शन एक्ट (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act- CAATSA) समझौते के बाद भी रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद कर रहा है।

नोट :

अमेरिका की नई आव्रजन नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने प्रवासी परिवारों को अनुमति देने संबंधित एक नया विनियमन प्रस्तुत किया है। यह विनियमन दशकों पुराने न्यायालय के एक आदेश का स्थान लेगा जो प्रवासी बच्चों की देखभाल को अनिवार्य करता है, साथ ही सरकार द्वारा उन्हें हिरासत में रखने की सीमा का भी निर्धारण करता है।

प्रवास: मानव प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से बसने के इरादे से लोगों की आवाजाही है। यह सामान्यत: एक देश से दूसरे देश के बीच होता है, इसके अतिरिक्त देश में आंतरिक प्रवास भी संभव है।

प्रवास का कारण:

- अमेरिका में ज़्यादातर प्रवास मेक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों से होता है। अमेरिका की दक्षिणी सीमाएँ मेक्सिको से स्पर्श करती हैं।
- अवैध प्रवासियों का प्रवेश इसी सीमा से होता है इसलिये डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही सरकार इस क्षेत्र की सीमा को बंद करने हेतु एक दीवार बनाने का प्रयास कर रही है।
- ऐतिहासिक काल से मेक्सिको और अमेरिका के बीच मज़दूरों का आदान प्रदान होता रहा है क्योंकि अमेरिका में उद्योग और कृषि हेतु मज़दूरों की सदैव आवश्यकता रही।
- मध्य अमेरिकी और मेक्सिको की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति अमेरिका की तुलना में काफी पिछड़ी हुई है, इसलिये लोग बेहतर सामाजिक अवसंरचना के लिये अमेरिका में पलायन करते हैं।
- आसपास के क्षेत्र होने के बावजूद भी दोनों देशों की मज़दूरी में काफी अंतर होता है, इसलिये मेक्सिको के मज़दूर वीज़ा इत्यादि न मिलने की स्थिति में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने का प्रयास करते हैं।
- अमेरिका और मेक्सिको के सीमावर्ती क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और खानपान की समानता भी प्रवास को बढ़ावा दे रही है।

प्रवास का प्रभाव:

- अमेरिकी सरकार के अनुसार आर्थिक मंदी के कारण रोज़गार के कम अवसरों के मद्देनज़र प्रवासियों को प्रवेश की अनुमति देना स्थानीय नागरिकों के अधिकारों के साथ अन्याय है।
- मेक्सिको की अर्थव्यवस्था के लिये यह प्रवास और भी हानिकारक है क्योंकि अमेरिका में ज़्यादा मज़दूरी के कारण मेक्सिको से प्रतिभा का पलायन हो रहा है।
- मेक्सिको से पुरुषों के पलायन के कारण वहाँ पर लिंगानुपात असंतुलित हो रहा है।
- नई सरकार बनने के बाद से ही अमेरिका में संरक्षणवाद और अमेरिका फर्स्ट (America First) जैसी नीतियों का अनुपालन हो रहा है, इसलिये अमेरिकी सरकार संसाधनों और अवसरों पर अमेरिका के लोगों को प्राथमिकता दे रही है।

प्रवासियों हेतु नई नीति

- व्हाइट हाउस के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने प्रवासियों हेतु फ्लोर्स सेटलमेंट (Flores settlement) व्यवस्था को समाप्त करने को कहा है। फ्लोर्स सेटलमेंट के तहत परिवारों को हिरासत में रखने और अन्य सुविधाओं हेतु न्यूनतम मानक स्थापित किया जाता था। विभाग का मानना है कि इसकी समाप्ति से दक्षिण-पश्चिमी सीमा से प्रवासियों के प्रवाह को रोकने में मदद मिलेगी।
- नई व्यवस्था के तहत विशेष रूप से आव्रजन जेलों में बंद परिवारों को 20 दिनों के भीतर न्यायालय में पेश करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
- नए नियम के लागू होने के पश्चात् अमेरिकी प्रशासन उन प्रवासी परिवारों को वापस भेजने के लिये स्वतंत्र होगा जो अवैध रूप से सीमा पार करते हुए पकड़े गए हैं और आवासीय केंद्रों में रह रहे हैं।
- नए नियमों के तहत बच्चों को स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की हिरासत में भेज दिया जाएगा जबकि वयस्कों को आव्रजन कानूनों के उल्लंघन पर मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए कैद कर लिया जाएगा।

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

जापान में मानव अंग विकसित करने की अनुमति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जापान सरकार ने अपने वैज्ञानिकों को जानवरों में मानव अंगों को विकसित करने की विवादस्पद तकनीक को विकसित करने की अनुमति दी है।

प्रमुख बिंदु

- जापान और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ता मानव स्टेम सेल की मदद से जीवित जानवरों के भीतर इंसान के अंगों को विकसित करने की प्रक्रिया में हैं।
- शोधकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के प्रयासों के सफल होने के बाद भविष्य में प्रत्यारोपण के लिये मानव अंगों को जानवरों के अंदर विकसित जा सकेगा।
- इस अत्याधुनिक किंतु विवादास्पद अनुसंधान में ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम (Induced Pluripotent Stem- IPS) कोशिकाओं के साथ संशोधित पशु भ्रूण का प्रत्यारोपण शामिल है, जिसे शरीर के किसी भी अंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

विवादास्पद प्रयोग

- विश्व के कई देशों में इस प्रकार के प्रयोगों पर प्रतिबंध लगाए गए है, लेकिन जापान सरकार के इस निर्णय के बाद यह मुद्दा पुन: चर्चा में आ गया है। जापान सरकार की अनुमति के बाद अब जीवित जानवरों के भीतर मानव अंग विकसित किये जाएंगे। इस प्रकार के प्रयोग सफल होने पर इसे चूहे के बाद सुअर जैसे बड़े स्तनधारी जानवरों पर भी आज़माया जाएगा।
- हालाँकि अभी इस वैज्ञानिक इस बात को लेकर आशस्वत नहीं हैं कि इस तकनीक से तैयार किये गए अंग मानव के इस्तेमाल लायक होंगे भी या नहीं। इस विषय में यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं ऐसा न हो ऐसे अनुप्रयोगों से जानवरों का मस्तिष्क मानव की भाँति विकसित न हो जाए, यदि ऐसा होता है तो यह मानव के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- नीतिगत मुद्दे
- इससे पहले भी जापानी शोधकर्त्ता हिरोमित्शु नाकाउची द्वारा यह प्रयोग किया गया, लेकिन मानव और जानवर की कोशिका से तैयार होने वाला भ्रूण अस्तित्व में नहीं आ सका। इससे पूर्व के जापान सरकार के निर्णय में इस प्रकार विकसित भ्रूण को दो सप्ताह के भीतर खत्म करने की बात की गई थी। वर्तमान नीति में परिवर्तन करने हुए मानव और जानवर की कोशिका से बने भ्रूण को 14 दिन से अधिक (परिपक्व होने तक) रखा जा सकेगा।

अन्य देशों की बात करें तो

- यदि इस संबंध में अन्य देशों की बात करें तो ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा और फ्राँस में जानवरों के भ्रूण में मानव कोशिकाओं को प्रत्यारोपित करने की अनुमति नहीं है।

आई.पी.एस. कोशिकाएँ (Induced Pluripotent Stem-IPS) Cells

- आई.पी.एस. सेल प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल होते हैं, अर्थात् ये मानव शरीर में कोई भी कोशिका बनाने में सक्षम होते हैं तथा एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल (Embryonic Stem Cell) की भाँति व्यवहार करती हैं।
- ये वयस्क सेल की पुन: प्रोग्रामिंग द्वारा उत्पन्न होती हैं।

नोट :

- स्टेम सेल में प्रारंभिक जीवन और विकास के दौरान शरीर में कई अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं के रूप में विकसित होने की उल्लेखनीय क्षमता होती है।
- जब एक स्टेम सेल विभाजित होता है, तो प्रत्येक नए सेल में या तो स्टेम सेल के रूप में बने रहने अथवा कुछ विशिष्ट गुणों (माँसपेशी सेल, लाल रक्त कोशिका अथवा सेल या फिर मस्तिष्क सेल) के साथ अन्य नए सेल के रूप में विकसित होने की संभावना होती है।
- आई.पी.एस. सेल स्वयं नवीनीकरण करने में सक्षम होते हैं तथा अतिरिक्त प्लेसेंटा जैसे भ्रूण ऊतकों में कोशिकाओं को छोड़कर शरीर के सभी सेल प्रकारों में अंतर कर सकते हैं।
- यह चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिये आवश्यक किसी भी प्रकार की मानव कोशिका के असीमित स्रोत के विकास को सक्षम बनाता है।

IIT दिल्ली में हुई 'TechEx' की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने IIT दिल्ली में 'TechEx' नामक एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

TechEx का उद्देश्य:

- इस प्रदर्शनी का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं (इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी-IMPRINT, उच्चतर आविष्कार योजना-UAY) के तहत विकसित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये किया जा रहा है।
- TechEx एक अनूठा प्रयास है जो अनुसंधानकर्त्ताओं को उनका कार्य प्रदर्शित करने के लिये एक शानदार मंच प्रदान कराता है और उन्हें उनके संबंधित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिये प्रेरित करता है।

क्या-क्या है TechEx में ?

- प्रदर्शनी के दौरान कुल 142 पोस्टरों के अतिरिक्त IMPRINT के तहत विकसित 50 उत्पादों एवं UAY के तहत विकसित 26 उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- इनमें से कई उत्पादों का वाणिज्यिक उत्पादन शीघ्र शुरू होने वाला है।

क्या है IMPRINT परियोजना ?

- तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 5 नवंबर, 2015 को 'इंप्रिंट इंडिया' का शुभारंभ किया गया था।
- 'इंप्रिंट इंडिया' भारत के लिये महत्त्वपूर्ण दस प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बड़ी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी चुनौतियों के समाधान हेतु अनुसंधान के लिये एक खाका विकसित करने से संबंधित देश भर के IIT एवं IISC की संयुक्त पहल है।
- यह पहल उच्चतर शिक्षा के भारतीय संस्थानों को उनकी क्षमता को महसूस कराने में सक्षम बनाती है एवं विश्व-स्तरीय संस्थानों के रूप में उभरने में मदद करती है।

दस मुख्य विषयों पर फोकस:

- 'इंप्रिंट इंडिया' के अंतर्गत दस विषय-वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इसके अंतर्गत शामिल दस विषय हैं- स्वास्थ्य देखभाल, कंप्यूटर साइंस एवं आईसीटी, एडवांस मैटिरियल्स, जल संसाधन एवं नदी प्रणाली, सतत् शहरी डिज़ाइन, प्रतिरक्षा, विनिर्माण, नैनो-टेक्नोलॉजी हॉर्डवेयर, पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा सुरक्षा।

नोट: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) के सहयोग से यह परियोजना, एक पृथक कार्य-योजना के रूप में संचालित की जा रही है।

क्या है UAY योजना ?

UAY योजना का उद्देश्य IIT संस्थानों में नए आविष्कारों को बढ़ावा देना है ताकि विनिर्माण उद्योगों की समस्याओं को हल किया जा सके, आविष्कार करने वाली मानसिकता को प्रोत्साहन मिले, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच समन्वय लाया जा सके तथा प्रयोगशालाओं और अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

नोट :

- इस परियोजना की शुरुआत 6 अक्तूबर, 2015 को की गई थी।
- UAY के तहत 388.86 करोड़ रुपए की कुल लागत से कुल 142 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था जिनमें 83 पहले चरण में एवं 59 दूसरे चरण में थी।
- UAY परियोजनाओं का वित्तपोषण संयुक्त रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रतिभागी मंत्रालयों एवं उद्योग द्वारा 50:25:25 के अनुपात में किया गया है।

जीनोम इंडिया इनिशिएटिव

चर्चा में क्यों ?

भारत अपनी पहली मानव जीनोम मैपिंग परियोजना (Human Genome Mapping Project) शुरू करने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना में कैंसर जैसे रोगों के उपचार के लिये नैदानिक परीक्षणों और प्रभावी उपचारों हेतु (अगले पाँच वर्षों में) 20,000 भारतीय जीनोम की स्कैनिंग (Scanning) करने का विचार है।
- इस परियोजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology-DBT) द्वारा लागू किया जाना है।

जीनोम Genome

- आणविक जीव विज्ञान और आनुवंशिकी के अनुसार जीन जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है, जिसके माध्यम से जीवों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं।
- किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम (Genome) कहलाता है।
- मानव जीनोम में अनुमानत: 80,000-1,00,000 तक जीन होते हैं।
- जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है।

जीनोम अनुक्रमण क्या होता है ?

- जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing) के तहत डीएनए अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है।
- इसके अंतर्गत डीएनए में मौजूद चारों तत्त्वों- एडानीन (A), गुआनीन (G), साइटोसीन (C) और थायामीन (T) के क्रम का पता लगाया जाता है।
- DNA अनुक्रमण विधि से लोगों की बीमारियों का पता लगाकर उनका समय पर इलाज करना और साथ ही आने वाली पीढ़ी को रोगमुक्त करना संभव है।

इस परियोजना को दो चरणों में लागू किया जाना है:

- परियोजना के पहले चरण में 10,000 स्वस्थ भारतीयों के पूर्ण जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा।
- दूसरे चरण में 10,000 रोगग्रस्त व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रमण किया जाएगा।
- जैविक डाटा संग्रहण, डेटा तक पहुँच और इसके साझाकरण की नीति में परिकल्पित राष्ट्रीय जैविक डेटा केंद्र (National Biological Data Centre) के माध्यम से मानव अनुक्रमण (Human Sequencing) पर तैयार डेटा शोधकर्त्ताओं के लिये सुलभ होगा।
- नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज (National Centre for Cell Sciences) मानव आंत (Human gut) से माइक्रोबायोम (Microbiome) के नमूने एकत्र करेगा।

नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज National Centre for Cell Science

- यह सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर (महाराष्ट्र) में स्थित एक राष्ट्रीय स्तर का जैव प्रौद्योगिकी, टिसू/ऊतक इंजीनियरिंग (Tissue Engineering) और ऊतक बैंकिंग (Tissue Banking) अनुसंधान केंद्र है।

नोट :

- यह भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में से एक है, जो सेल-कल्चर, सेल-रिपॉजिटरी (cell-repository), इम्यूनोलॉजी (immunology), क्रोमैटिन-रिमॉडलिंग (chromatin-remodelling) पर काम करता है।

जीनोम मैपिंग की आवश्यकता क्यों ?

- 2003 में मानव जीनोम को पहली बार अनुक्रमित किये जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय आनुवंशिक संरचना तथा रोग के बीच संबंध को लेकर वैज्ञानिकों को एक नई संभावना दिखाई दे रही है।
- अधिकांश गैर-संचारी रोग, जैसे- मानसिक मंदता (Mental Retardation), कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर तथा हीमोग्लोबिनोपैथी (Haemoglobinopathy) कार्यात्मक जीन में असामान्य DNA म्यूटेशन के कारण होते हैं। चूँकि जीन कुछ दवाओं के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं, ऐसे में इन रोगों को आनुवंशिकी के दृष्टिकोण से समझने में सहायता मिल सकती है।

महत्त्व

- स्वास्थ्य देखभाल: चिकित्सा विज्ञान में नई प्रगति (जैसे भविष्य कहनेवाला निदान और सटीक दवा, जीनोमिक जानकारी) और रोग प्रबंधन में जीनोम अनुक्रमण एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - जीनोम अनुक्रमण पद्धति के माध्यम से शोधकर्त्ता और चिकित्सक आनुवांशिक विकार से संबंधित बीमारी का आसानी से पता लगा सकते हैं।
- जेनेटिक स्क्रीनिंग (Genetic Screening): जीनोम परियोजना जन्म से पहले की बीमारियों के लिये जेनेटिक स्क्रीनिंग की उन्नत तकनीकों को जन्म देगी।
- विकास की पहेली: जीनोम परियोजना मानव DNA की प्राइमेट (Primate) DNA के साथ तुलना करके मानव के विकास संबंधी प्रश्नों के जवाब दे सकती है।

लाभ

- जीनोम मैपिंग के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि किसको कौन सी बीमारी हो सकती है और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं।
- इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि हमारे देश के लोग अन्य देश के लोगों से किस प्रकार भिन्न हैं और यदि उनमें कोई समानता है तो वह क्या है।
- इससे पता लगाया जा सकता है कि गुण कैसे निर्धारित होते हैं तथा बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है।
- बीमारियों का पता समय रहते लगाया जा सकता है और उनका सटीक इलाज भी खोजा जा सकता है।
- इसके माध्यम से उपचारात्मक और एहतियाती (Curative & Precautionary) चिकित्सा के स्थान पर Predictive चिकित्सा की जा सकती है।
  - इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि 20 साल बाद कौन सी बीमारी होने वाली है। वह बीमारी न होने पाए तथा इसके नुकसान से कैसे बचा जाए इसकी तैयारी पहले से ही शुरू की जा सकती है। इसे ही Predictive चिकित्सा कहा गया है।
- इसके अलावा बच्चे के जन्म लेने से पहले उसमें उत्पन्न होने वाली बीमारियों के जींस का पता भी लगाया जा सकता है और आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

भारत में कैंसर की घटनाएँ Cancer Incidence in India

- अध्ययन के अनुसार, समय बढ़ने के साथ ही भारत में कैंसर के मामलों की संख्या प्रत्येक 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी।
- अगले 10-20 वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा ओडिशा पर कैंसर का बोझ सर्वाधिक होगा।
- महामारी विज्ञान संक्रमण स्तर अवधारणा (Epidemiological Transition Level) के अनुसार, भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ने के साथ ही कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ने लगती है।
- उच्च ETL वाले राज्यों का विकास सूचकांक बेहतर है तथा यहाँ कैंसर के मामलों की दर भी उच्च है।
- ETL केरल में सर्वाधिक तथा उत्तर प्रदेश में सबसे कम है।
- सरकार को भोरे समिति और मुदलियार समिति द्वारा कैंसर पर प्रस्तुत रिपोर्ट के सुझावों पर विचार करना चाहिये जिसमें सभी मेडिकल कॉलेजों में एक बहु-विषयक कैंसर उपचार इकाई का निर्माण और एक कैंसर ऐसे अस्पताल की स्थापना शामिल है जो केवल कैंसर विशिष्ट उपचार को समर्पित हो।

नोट :

चिंताएँ

- पक्षपात: जीनोटाइप (Genotype) पर आधारित पक्षपात जीनोम अनुक्रमण का एक संभावित परिणाम है। उदाहरण के लिये, नियोक्ता कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले उनकी आनुवंशिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी अवांछनीय कार्यबल के प्रति आनुवंशिक रूप से अतिसंवेदनशील पाया जाता है तो नियोक्ता द्वारा उसके जीनप्रारूप/जीनोटाइप (Genotype) के साथ पक्षपात किया जा सकता है।
- स्वामित्व और नियंत्रण: गोपनीयता और गोपनीयता संबंधी मुद्दों के अलावा, आनुवंशिक जानकारी के स्वामित्व और नियंत्रण के प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- आनुवंशिक डेटा का उचित उपयोग: बीमा, रोज़गार, आपराधिक न्याय, शिक्षा, आदि के लिये महत्त्वपूर्ण है।

पृठभूमि

- वर्ष 1988 में अमेरिकी ऊर्जा विभाग तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मिलकर मानव जीनोम परियोजना (Human Genome Project-HGP) पर काम शुरू किया था और इसकी औपचारिक शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी।
- HGP एक बड़ा, अंतर्राष्ट्रीय और बहु-संस्थागत प्रयास है जिसमें जीन अनुक्रमण की रूपरेखा तैयार करने में 13 साल [1990-2003] लगे और इस प्रोजेक्ट पर 2.7 बिलियन डॉलर खर्च हुए।
- भारत इस परियोजना में शामिल नहीं था, लेकिन इस परियोजना की सहायता से भारत में मानव जीनोम से संबंधित कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है।
- HGP में 18 देशों की लगभग 250 प्रयोगशालाएँ सम्मिलित हैं।
- इस परियोजना के प्रमुख लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - मानव DNA के लगभग एक लाख जींस की पहचान करना।
  - मानव DNA बनाने वाले लगभग 3.20 अरब बेस पेयर्स का निर्धारण करना।
  - सूचनाओं को डेटाबेस में संचित करना।
  - अधिक तेज़ और कार्यक्षम अनुक्रमित प्रौद्योगिकी का विकास करना।
  - आँकड़ों के विश्लेषण के लिये संसाधन (Tools) विकसित करना।
  - परियोजना के नैतिक, विधिक व सामाजिक मुद्दों का निराकरण करना।

भारत का डीप ओशन मिशन

चर्चा में क्यों ?

भारत इस साल अक्तूबर में अपना महत्त्वाकांक्षी 'डीप ओशन मिशन' (Deep Ocean Mission) लॉन्च करने के लिये तैयार है।

डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission)

- उपग्रहों का डिज़ाइन तैयार करने और उन्हें लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सफल कार्यों का अनुकरण करते हुए भारत सरकार ने महासागर के गहरे कोनों का पता लगाने के लिये ₹ 8,000 करोड़ की लागत से पाँच वर्षों हेतु यह योजना तैयार की है।
- इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रमुख परिदेयों में से एक अपतटीय विलवणीकरण संयंत्र है जो ज्वारीय ऊर्जा के साथ काम करेगा, और साथ ही एक पनडुब्बी वाहन विकसित करना है जो बोर्ड पर तीन लोगों के साथ कम-से-कम 6,000 मीटर की गहराई तक जा सकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, यह मिशन 35 साल पहले इसरो द्वारा शुरू किये गए अंतरिक्ष अन्वेषण के समान गहरे महासागर का पता लगाने का प्रस्ताव करता है।
- केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।

नोट :

- इन तकनीकी विकासों को सरकार की एक अम्ब्रेला (यानी समग्र); योजना महासागर सेवा, प्रौद्योगिकी, अवलोकन, संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान (Ocean Services, Technology, Observations, Resources Modelling and Science-O-SMART) के तहत वित्तपोषित किया जाएगा।

समुद्र में खनन के निहितार्थ:

- मिशन का एक मुख्य उद्देश्य समुद्र के नितल पर पॉलीमेटॉलिक नोड्यूल्स को खोजना और उनको बाहर निकालना है।
- इनका आकार छोटे गोल आलू की तरह होता है जो मैंगनीज़, निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लोहे के हाइड्रॉक्साइड जैसे खनिजों से बने हैं।
- ये लगभग 6,000 मीटर की गहराई पर हिंद महासागर की सतह पर बिखरे हुए हैं, जिनका आकार कुछ मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक के बीच हो सकता है।
- इन धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्मार्टफोन, बैटरी और सौर पैनलों में भी किया जा सकता है।

समुद्री खनन के नियामक और विनियमन:

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (International Seabed Authority-ISA) एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो गहरे समुद्र में खनन के लिये क्षेत्र आवंटित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea) के तहत हुई थी।
- भारत वर्ष 1987 में पायनियर इन्वेस्टर (Pioneer Investor) का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश था। भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में नोड्यूल अन्वेषण के लिये लगभग 1.5 लाख वर्ग किमी. का क्षेत्र दिया गया था।
- भारत ने वर्ष 2002 में ISA के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जिसमें समुद्री सतह के पूर्ण संसाधन में से 50% भाग को छोड़ दिया और शेष 75,000 वर्ग किमी के क्षेत्र को बरकरार रखा गया।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस क्षेत्र में अनुमानित पॉलिमेटॉलिक नोड्यूल संसाधन क्षमता 380 मिलियन टन (MT) है, जिसमें 4.7 मीट्रिक टन निकेल, 4.29 मीट्रिक टन तांबा, 0.55 मीट्रिक टन कोबाल्ट और 92.99 मीट्रिक टन मैंगनीज़ है।
- आगे के अध्ययनों ने खनन क्षेत्र को 18,000 वर्ग किमी. तक सीमित करने में मदद की है जो प्रथम पीढ़ी का खनन स्थल होगा।

अन्य देशों की स्थिति:

- मध्य हिंद महासागर बेसिन के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशांत महासागर में भी पॉलीमेटॉलिक नोड्यूल क्षेत्र की पहचान की गई है। इसे क्लेरियन-क्लिपर्टन ज़ोन (Clarion-Clipperton Zone) के रूप में जाना जाता है।
- 29 ठेकेदारों (Contractors) के साथ गहरे समुद्र में पॉलीमेटॉलिक नोड्यूल, पॉलीमेटॉलिक सल्फाइड और कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमैंगनी क्रस्ट्स की खोज के लिये 15 साल का एक अनुबंध किया। बाद में इस अनुबंध को वर्ष 2022 तक पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया था।
- चीन, फ्राँस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और कुछ छोटे द्वीप जैसे कुक आइलैंड्स, किरिबाती भी गहरे समुद्र में खनन की दौड़ में शामिल हो गए हैं। अभी तक अधिकांश देशों ने उथले पानी में अपनी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया है और वे गहरे समुद्र में निकासी शुरू नहीं कर पा रहे हैं।

भारत में खनन की स्थिति:

- भारत की खनन साइट लगभग 5,500 मीटर की गहराई पर है, जहाँ पर उच्च दबाव और बेहद कम तापमान है।
- भारत द्वारा रिमोट से संचालित वाहन और इन-सीटू सॉइल टेस्टर को 6,000 मीटर की गहराई में तैनात कर मध्य हिंद महासागर बेसिन में खनन क्षेत्र की पूरी समझ विकसित की जा रही है।
- भारत द्वारा 6000 मीटर की गहराई के लिये विकसित की गई खनन मशीन अभी तक लगभग 900 मीटर तक चलने में सक्षम है, जल्द ही इस खनन मशीन की क्षमता को 5,500 मीटर तक विकसित करना है।
- खनन में मौसम की स्थिति और जहाजों की उपलब्धता भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- नोड्यूल्स को सतह पर कैसे लाया जाए, यह समझने के लिये और भी परीक्षण किये जा रहे हैं।

नोट :

खनन का पर्यावरणीय प्रभाव ?

- प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) के अनुसार, ये गहरे दूरस्थ स्थान अद्वितीय प्रजातियों के आवास हो सकते हैं, जिन्होंने स्वयं को कम ऑक्सीजन, कम प्रकाश, उच्च दबाव और बेहद कम तापमान जैसी स्थितियों के लिये अनुकूलित किया है।
- इस तरह के खनन अभियान उनकी खोज के पहले ही उन्हें विलुप्त कर सकते हैं।
- गहरे समुद्र की जैव-विविधता और पारिस्थितिकी की अभी तक काफी कम समझ है, इसलिये इनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना और पर्याप्त दिशा-निर्देशों को तैयार करना मुश्किल हो जाता है।
- समुद्री सतह के अवसादी प्लम (Sediment Plumes) को लेकर भी पर्यावरणविद् चिंतित हैं क्योंकि खनन के दौरान उत्पन्न निलंबित कण ऊपरी महासागर की परतों में फिल्टर फीडर को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- खनन वाहनों से ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और तेल के फैलाव जैसी अतिरिक्त चिंताएँ भी व्यक्त की जा रही हैं।

समुद्र में खनन की आर्थिक व्यवहार्यता:

- ISA के नवीनतम अनुमान में कहा गया है कि यह वाणिज्यिक रूप से तब व्यावहारिक होगा जब प्रतिवर्ष लगभग तीन मिलियन टन खनन किया जाएगा।
- प्रौद्योगिकी दक्षता और कुशलता को बढ़ाने के लिये अभी और भी अध्ययन किये जा रहे हैं।

अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता नियंत्रण केंद्र

चर्चा में क्यों ?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization- ISRO) अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों को अंतरिक्ष के कचरे (Space Debris) से सुरक्षा प्रदान करने के लिये दूरबीनों और रडार का एक नेटवर्क स्थापित कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- यह नेटवर्क अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और प्रबंधन निदेशालय (Directorate of Space Situational Awareness and Management) के तहत स्थापित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि वर्तमान में ISRO के पास अंतरिक्ष में संचार, नेवीगेशन और निगरानी उपग्रहों सहित 50 कार्यात्मक उपग्रह हैं।

अभी तक ISRO को अंतरिक्ष के कचरे से अंतरिक्ष संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये आवश्यक डेटा हेतु उत्तरी अमेरिका एयरोस्पेस रक्षा कमान (North America Aerospace Defense Command-NORAD) पर निर्भर रहना पड़ता था। NORAD को अंतरिक्ष मलबे पर नज़र रखने और सक्रिय एवं निष्क्रिय (मृत) उपग्रहों की निगरानी के लिये स्थापित किया गया है, इसरो NORAD के डेटा पर निर्भर रहता है।

- इसरो ने अंतरिक्ष मलबे के साथ अपने उपग्रहों के टकराव को रोकने और अंतरिक्ष मलबे के संचालन के बारे में सटीक डेटा प्राप्त करने के उद्देश्य से देश के चार कोनों में दूरबीन एवं रडार स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- इसरो द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार नेल्लोर (श्रीहरिकोटा से 90 किमी. दूर) में स्थापित अत्याधुनिक मल्टी-ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार (Multi-Object Tracking Radar) इस परियोजना का ही हिस्सा होगी। पोंमुडी (तिरुवनंतपुरम) और माउंट आबू (राजस्थान) में भी एक-एक दूरबीन स्थापित की जाएगी, इसके अतिरिक्त तीसरा रडार उत्तर भारत में किया जाएगा।
- इस नेटवर्क के कार्यान्वित होने के पश्चात् ISRO अंतरिक्ष मलबे पर सटीक डेटा प्राप्त करने में सक्षम होगा और उस वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा भी बन जाएगा, जहाँ से उसे इस संदर्भ में सटीक जानकारी प्राप्त होगी।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization-ISRO)

- वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) की स्थापना हुई। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है।
- इसे भारत सरकार के 'स्पेस डिपार्टमेंट' द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।

नोट :

- वर्तमान में डॉ. के. सिवान ISRO के चेयरमैन हैं।
- ISRO का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।

उत्तरी अमेरिका एयरोस्पेस रक्षा कमान (North America Aerospace Defense Command-NORAD)

- NORAD संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का एक संयुक्त संगठन है जो उत्तरी अमेरिका के लिये एयरोस्पेस चेतावनी, वायु संप्रभुता और सुरक्षा प्रदान करता है।
- NORAD की स्थापना 12 मई, 1958 को की गई थी।
- इसका मुख्यालय कोलोराडो (एक अमेरिकी राज्य) के निकट स्थित है।

सौर तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (National Institute of Solar Energy- NISE) और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization- UNIDO) ने सौर तापीय ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न स्तरों के लाभार्थियों के लिये कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- यह समझौता पहले से क्रियान्वित MNRE-GEF-UNIDO परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य CST (Concentrated Solar Thermal Energy Technologies) में तकनीकी जनशक्ति के क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इसका उपयोग पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जैसे-कोयला, डीज़ल, भट्टी का तेल आदि को स्थानांतरित करने के लिये किया जा रहा है।
- GEF-UNIDO परियोजना को MNRE के सहायता कार्यक्रम के पूरक के तौर पर तैयार किया गया है ताकि CST प्रौद्योगिकी से जुड़े अवरोधों, क्षमता निर्माण, बाज़ार और वित्तीय बाधाओं को दूर किया जा सके तथा इसके विषय में जागरूकता फैलाई जा सके।
- परियोजना की अवधि जनवरी 2015 से दिसंबर 2019 तक है।
- वर्तमान में वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये विभिन्न केंद्रित तकनीकों का या तो विकास किया गया है या वे विकास के अधीन हैं।
- ऐसी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिये जहाँ 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, सौर कलेक्टरों (Solar Collectors) जैसे कि परवलयिक गर्त (Parabolic Trough) या डिश कलेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करना, गैर-इमेजिंग सांद्रता (Non-Imaging Concentrators) या एक रैखिक फ्रेसेल सिस्टम (Linear Fresnel System) का उपयोग करना आवश्यक है।
- सौर सांद्रता के कार्यान्वयन के लिये अच्छी संभावनाएँ प्रकट करने वाले उद्योग खाद्य प्रसंस्करण, कागज़ एवं लुगदी, उर्वरक, ब्रुअरीज़, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरीज, रबर और अलवणीकरण क्षेत्र हैं।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization)

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने वर्ष 1966 में UNIDO की स्थापना के लिये प्रस्ताव पारित किया।
- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो गरीबी में कमी लाने, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिये औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है।
- 1 अप्रैल 2019 तक 170 देश UNIDO के सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है।

नोट :

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (National Institute of Solar Energy- NISE)

- NISE नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable-MNRE) की एक स्वायत्त संस्था है, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्था है।
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन को लागू करने में मंत्रालय की सहायता करने और अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं अन्य संबंधित कार्यों के समन्वय के लिये सितंबर 2013 में MNRE के तहत 25 साल पुराने सौर ऊर्जा केंद्र (Solar Energy Centre-SEC) को एक स्वायत्त संस्थान में परिवर्तित किया।
- यह गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।

SPIT SEQ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मेडिटेनोम लैब्स द्वारा SPIT SEQ नामक परीक्षण प्रणाली विकसित की गई है जो तपेदिक के बैक्टीरिया में मौजूद हर उत्परिवर्तन का विस्तृत विश्लेषण करेगी।

प्रमुख बिंदु:

- भारत में तपेदिक की मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंस (Multi-Drug Resistant) की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है।
- इस परीक्षण के माध्यम से डॉक्टरों को तपेदिक के रोगी के लिये सटीक दवा चुनने में कम समय लगेगा जबकि आमतौर पर इस प्रक्रिया में एक महीने का समय लगता है।
- यह परीक्षण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium Tuberculosis) के पूरे जीनोम अनुक्रमण पर आधारित है, यह अनुक्रमण बैक्टीरिया के कारण जारी रहता है।

माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium Tuberculosis)

- माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रोग पैदा करने वाला एक बैक्टीरिया है, इससे तपेदिक या क्षय रोग (T.B.) होता है।
- वर्ष 1882 में इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने की थी।
- यह एक खतरनाक बैक्टीरिया है, जो स्तनधारी जीवों के फेफड़ों को प्रभावित करता है।
- जीनोम परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1998 में इसके जीनोम अनुक्रम का पता लगा था।
- यह परीक्षण बैक्टीरिया के जीनोम उत्परिवर्तन का आकलन करने में डॉक्टर की सहायता करता है जिससे तपेदिक के रोगियों को ज़्यादा सटीक दवाएँ उपलब्ध कराई जा सकती है।
- प्रत्यक्ष संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (Whole Genome Sequencing) 10 दिनों में सभी तपेदिक प्रतिरोधी दवाओं के उत्परिवर्तन की समीक्षा करता है।

जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing)

- जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing) के तहत DNA अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है।
- इसके अंतर्गत DNA में मौजूद चारों तत्त्वों- एडनीन (A), ग्वानीन (G), साइटोसीन (C) और थायमीन (T) के क्रम का पता लगाया जाता है।
- DNA अनुक्रमण विधि से लोगों की बीमारियों का पता लगाकर उनका समय पर इलाज करना और साथ ही आने वाली पीढ़ी को रोगमुक्त करना संभव है।
- WHO की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में 2.7 मिलियन तपेदिक के मामले ज्ञात थे।
- सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि कुल वैश्विक स्तर में से भारत में तपेदिक से 27% मौतें होती हैं।

माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस धीमी गति से बढ़ता है, इससे इसके स्पष्टीकरण में 6-8 सप्ताह का समय लग जाता है और टीबी निदान के साथ ही दवा प्रतिरोध परीक्षण में भी देरी हो जाती है। SPIT SEQ परीक्षण के माध्यम से 10 दिनों के अंदर परीक्षण करके तपेदिक रोगियों का बेहतर इलाज किया जा सकेगा।

नोट :

NSIL के लिये पहला अनुबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) की नव निर्मित दूसरी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited-NSIL) ने अपना पहला अनुबंध प्राप्त किया है।

एक निजी अमेरिकी अंतरिक्ष सेवा प्रदाता 'स्पेसफ्लाइट' ने इसरो के लघु उपग्रह लॉन्च वाहन (Small Satellite Launch Vehicle-SSLV) के साथ यह अनुबंध किया है।

लघु उपग्रह प्रमोचन वाहन (Small Satellite Launch Vehicle-SSLV)

- SSLV सबसे छोटा वाहन है जिसका वज़न केवल 110 टन है।
- PSLV या GSLV जैसे प्रमोचन/लॉन्च वाहनों के लिये आवश्यक 70 दिनों के विपरीत इसे एकीकृत (Integrate) करने में केवल 72 घंटे का समय लगेगा।
- लागत प्रभावी: इसकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपए होगी।
- यह ऑन-डिमांड वाहन होगा।
- SSLV एक बार में कई सूक्ष्म उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है और यह मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप-ऑफ (Multiple Orbital Drop-Offs) को भी समर्थन देता है।
- SSLV 500 किलोग्राम तक के वज़न वाले उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी Low Earth Orbit-LEO में ले जा सकता है, जबकि PSLV 1,000 किलोग्राम तक के वज़न वाले उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है।

लो अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit) क्या है ?

- पृथ्वी की सतह के 160 किमी. से 2000 किमी. की परिधि को लो अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit) कहते हैं। इस कक्षा में मौसम, निगरानी करने वाले उपग्रह और जासूसी उपग्रहों को स्थापित किया जाता है।
- पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक होने की वजह से इस कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिये कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- इस कक्षा की खास बातविशेषता यह भी है कि इसमें अधिक शक्तिशाली संचार प्रणाली को भी स्थापित किया जा सकता है। ये उपग्रह जिस गति से अपनी कक्षा में घूमते हैं उनका व्यवहार भू-स्थिर (जिओ-स्टेशनरी) की तरह ही होता है।
- लो अर्थ ऑर्बिट के बाद मीडियम अर्थ (इंटरमीडिएट सर्कुलर) ऑर्बिट और उसके बाद पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर पर हाई अर्थ (जिओसिंक्रोनस) ऑर्बिट है।
- इसरो का SSLV मूल रूप से जुलाई 2019 में अपनी पहली विकास उड़ान भरने वाला था, लेकिन इसे वर्ष 2019 के अंत तक दाल दिया गया है।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड

- हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited-NSIL) का आधिकारिक रूप से बंगलूरु में उद्घाटन किया गया है। गौरतलब है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) की एक वाणिज्यिक शाखा है।
- अंतरिक्ष के क्षेत्र में ISRO द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियों के व्यावसायिक उपयोग हेतु न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी (पेड-अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए) के साथ 6 मार्च, 2019 को शामिल किया गया था।
- यह 'एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन' के बाद इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को मुख्य रूप से वर्ष 1992 में इसरो के विदेशी उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण की सुविधा हेतु स्थापित किया गया था।

उद्देश्य

- NSIL का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है।
- NSIL अंतरिक्ष से संबंधित सभी गतिविधियों को एक साथ लाएगा और संबंधित प्रौद्योगिकियों में निजी उद्यमशीलता का विकास करेगा।

नोट :

NSIL का उत्तरदायित्व

- टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज़्म के माध्यम से लघु उपग्रह प्रमोचन वाहन (Small Satellite Launch Vehicle-SSLV) और ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन (Polar Satellite Launch Vehicle-PSLV) का निर्माण और उत्पादन।
- यह उभरती हुई वैश्विक वाणिज्यिक SSLV बाज़ार की मांग को भी पूरा करेगा, जिसमें उपग्रह निर्माण और उपग्रह-आधारित सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।

आयरन आयन बैटरी

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्त्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी का निर्माण किया है।

प्रमुख बिंदु:

- वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए सस्ती बैटरी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- भारत और विश्व में लिथियम भंडार की कमी के कारण अन्य सामग्रियों के प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है जो लिथियम की तरह कार्य कर सके।
- जहाँ लिथियम आयन बैटरी में लिथियम आयन आवेश वाहक होते हैं, वहीं आयरन आयन बैटरी में लौह आयन (Ferrous Ion-Fe^{2+}) आवेश वाहक का कार्य करते हैं।
- आयरन आयन बैटरी का सामान्य परिस्थितियों में ऊर्जा घनत्व 350 वॉट घंटे/किलोग्राम रहा, वहीं लिथियम आयन बैटरी का ऊर्जा घनत्व 220 वॉट घंटे/किलोग्राम होता है।
- आयरन धातु में लिथियम जैसे भौतिक-रासायनिक गुण होते है, साथ ही आयरन आयन की रेडॉक्स क्षमता लिथियम आयन से अधिक होती है और आयरन आयन की त्रिज्या लिथियम आयन के लगभग समान होती है। लोहे के इन दो अनुकूल गुणों के माध्यम से रिचार्जेबल बैटरी बनाई जा सकती है।

  रेडॉक्स क्षमता किसी रसायन की इलेक्ट्रॉनों की पकड़ने या छोड़ने की क्षमता है, इसे वोल्ट या मिलिवोल्ट्स में मापा जाता है।
- शुद्ध लोहे में एनोड हेतु लौह आयनों का निष्कासन आसान नही है, इसलिये इसके लिये स्टील में मौजूद कार्बन की कम मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है।
- आयरन में अधिक स्थिरता के गुण के कारण चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान शॉर्ट-सर्किट की बहुत कम संभावना होती है।
- आयरन आयन बैटरी में परतों के बीच बड़े अंतर के साथ ही स्तरित संरचना के कारण वैनेडियम पेंटोक्साइड (Vanadium Pentoxide) का प्रयोग कैथोड के रूप में किया जा रहा है।
- वैनेडियम पेंटोक्साइड में स्तरित संरचना के कारण आयरन आयन आसानी से अंदर जाते हैं और कैथोड के साथ अंत:क्रिया कर पाते हैं।
- ईथर आधारित इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाएगा जिसमें विघटित आयरन पेरोक्लोरेट शामिल होंगे। आयरन पेरोक्लोरेट, एनोड और कैथोड के बीच आयन माध्यम का कार्य करेगा।

आयरन आयन बैटरी की ऊर्जा संग्रहण क्षमता अधिक है लेकिन यह लागत प्रभावी है। आयरन आयन बैटरी के प्रदर्शन को और बेहतर करने पर ध्यान दिया जा रहा है, चूँकि इलेक्ट्रोलाइट को बदला नहीं जा सकता है, इसलिये शोधकर्त्ता कैथोड हेतु अलग-अलग सामग्री की खोज कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र स्टार्टअप्स में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

NASSCOM के अनुसार कृषि क्षेत्र से संबंधित स्टार्ट-अप्स में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा वित्तपोषण में 2014 से लेकर अब तक 10 गुना वृद्धि हुई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- फसल की कटाई के बाद प्राय: भारतीय किसानों को लगभग 93000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक समूह अब मांग को संचालित करने वाले कोल्ड चेन (Cold Chain), वेयरहाउस मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस (Warehouse Monitoring Solution) और मार्केट लिंकेज प्रणाली (Market Linkage Process) पर कार्य कर उस अंतर को पाटने की कोशिश कर रहा है जो किसानों की आय को काफी बढ़ा सकता है।
- हाल ही में जारी "एग्रीटेक इन इंडिया: इमर्जिंग ट्रेंड्स इन 2019" (Agritech in India: Emerging Trends in 2019) की अपनी रिपोर्ट में NASSCOM ने उल्लेख किया कि वैश्विक स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुल 3100 स्टार्टअप हैं, जिनमें से 450 से अधिक भारत में हैं। इस क्षेत्र में भारत ने साल-दर-साल 25% की दर से विकास किया है।
- वित्तपोषण के संबंध में स्टार्टअप को वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2017-18 में 10 गुना अधिक धन प्राप्त हुआ।

उत्पादन का नष्ट होना एक गंभीर समस्या

- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, फसल के उत्पादन के पश्चात् फल और सब्जी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जहाँ 16% उत्पाद बेकार हो जाते हैं। इस मुद्दे को संबोधित करते हुए कुछ सबसे बड़े एग्रीटेक सौदों को लक्षित किया गया है जो निन्ज़ाकार्ट (Ninzacart) और क्रॉफार्म (Crofarm) जैसे डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सीधे बाज़ार में संपर्क बनाएंगे।
- ये प्लेटफार्म खेत से लेकर बाज़ार तक के व्यावसायिक क्षेत्रों को विकसित करने या किसानों के उत्पादन को होटल, रेस्तराँ और कैफे तक सीधे पहुँचाने में समर्थन कर सकते हैं।
- अन्य नवाचारों में गुणवत्ता ग्रेडिंग के लिये इमेज सेंसिंग(image sensing), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (internet of things) पर आधारित भंडारण की निगरानी और मंडियों के डिजिटलीकरण के साथ-साथ किसान उत्पादक संगठनों (FAOs) को शामिल किया गया है।

प्रौद्योगिकी समाधान

- अन्य स्टार्टअप्स फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स (big data analytics), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (arificial intelligence) और रिमोट सेंसिंग (rimote sensing) का उपयोग करते हुए भूमि प्रबंधन (land management), फसल चक्र की निगरानी (crop cycle monitoring) और कटाई की ट्रेसिंग (harvest traceability) की जा सकती है।
- एक अन्य समूह का उद्देश्य किसानों के क्रेडिट मुद्दों को हल करना, कम लागत और कृषि उपकरणों के लिये समय पर वित्तपोषण प्रदान करना और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कम लागत वाले डिजिटल ऋण तक पहुँच प्रदान करना है।

निष्कर्ष

NASSCOM के अनुसार, भारत का कृषि क्षेत्र अपने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और स्टार्टअप परिवेश न केवल इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि नित नए नवाचार भी कर रहा है। कृषि में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिये हमेशा एक संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता होती है और प्रौद्योगिकी कंपनियाँ नए व्यवसाय मॉडल के साथ कृषि परिदृश्य में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं।

SUPRA योजना

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुसंधान को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board-SERB) एक नई योजना की घोषणा करने पर विचार कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिक और उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नति (Scientific and Useful Profound Research Advancement-SUPRA) नाम से इस योजना की शुरुआत उन अनुसंधानों को आकर्षित करने के लिये की गई है जो किसी समस्या के लिये लीक से हटकर समाधान खोज रहे हैं।

नोट :

- इसके अतिरिक्त इस योजना का कार्य उन विचारों को वित्तपोषित करना है जो अध्ययन के नए क्षेत्रों, नई वैज्ञानिक अवधारणाओं, नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को जन्म दे सकते है।

क्या है SUPRA योजना में ?

- इस योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये SERB के समक्ष एक प्रस्ताव रखना होगा।
- इस प्रस्ताव की प्रारंभिक जाँच SERB द्वारा गठित शीर्ष वैज्ञानिकों के एक पैनल द्वारा की जाएगी।
- उपरोक्त चरण को पार करने के पश्चात् प्रस्ताव का मूल्यांकन प्रत्येक विषय के लिये विशेष रूप से गठित विशेषज्ञ समीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।
- SERB के अनुसार, इस समिति को पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि यदि उसे लगता है कि किसी विशेष प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिये विशेषज्ञता भारत में मौजूद नहीं है, तो वह उस विशेषज्ञता को विदेशों से भी प्राप्त कर सकती है।
- इस योजना के तहत पहले वर्ष में 15 से 30 प्रस्तावों को वित्तपोषित करने की योजना बनाई जा रही है, इस संख्या को आगे के वर्षों में और अधिक बढ़ा दिया जाएगा।
- वित्तपोषण के लिये मंज़ूरी प्राप्त होने पर एक प्रस्ताव को तीन सालों के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इस अवधि को 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board-SERB):

- यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम (द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट, 2008) द्वारा की गई थी।
- बोर्ड की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव द्वारा की जाती है। इसके अलावा देश के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और प्रसिद्ध वैज्ञानिक इस बोर्ड के सदस्य होते हैं।
- बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य:
  - विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
  - बुनियादी अनुसंधान हेतु वैज्ञानिकों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पार्कर सोलर प्रोब

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा किया। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में चुंबकीय बल, प्लाज़्मा, कोरोना और सौर पवन (Solar Wind's) आदि का अध्ययन करना है।

मिशन के बारे में:

यह मिशन नासा के लिविंग विद ए स्टार (Living With a Star) कार्यक्रम का हिस्सा है।

लिविंग विद ए स्टार (Living With a Star- LWS):

- लिविंग विद ए स्टार अंतरिक्ष पर्यावरण (Space Environment) को समझने हेतु नासा का एक कार्यक्रम है।
- सूर्य-पृथ्वी प्रणाली (Sun-Earth System) को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए आवश्यक व्यापक अनुसंधान प्रदान करता है साथ ही यह मौसम के बेहतर पूर्वानुमान में सहायक भी है।
- यह मिशन अंतरिक्ष में संपन्न होने वाली वाली विभिन्न घटनाओं जैसे सौर तूफ़ान तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष प्रणालियों के बीच के अज्ञात संबंधो की जाँच कर रहा है।
- इस मिशन को फ्लोरिडा स्थित नासा के केप केनेडी स्पेस सेंटर (Complex37- कांप्लेक्स37) से डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।

नोट :

- नासा ने पार्कर सोलर प्रोब का नाम प्रख्यात खगोल भौतिकीविद् यूज़ीन पार्कर के सम्मान में रखा है। पहले इसका नाम सोलर प्रोब प्लस था।
- यूज़ीन पार्कर ने ही सबसे पहले वर्ष 1958 में अंतरिक्ष के सौर तूफान के बारे में भी बताया था।
- पार्कर सोलर प्रोब की लंबाई 1 मीटर, ऊँचाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है।

सौर तूफान:

- सूर्य की सतह पर कभी-कभी बेहद चमकदार प्रकाश दिखने की घटना को सन फ्लेयर (Sun Flare) कहा जाता है। इस घटना में असीम ऊर्जा निकलती है।
- इस ऊर्जा के साथ सूर्य से अतिसूक्ष्म नाभिकीय कण भी निकलते हैं। यह ऊर्जा और कण ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। इससे बड़े स्तर पर नाभिकीय विकिरण की घटना होती है जिसे सौर तूफान कहा जाता है।
- सौर तूफान का सौरमंडल पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। इस प्रकार की घटना के अध्ययन से वैज्ञानिकों को सूर्य और ब्रह्माण्ड को समझने में मदद मिलने की संभावना है ।
- सूर्य से लगातार आते आवेशित (Charged) कणों से चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की रक्षा करता है। ये चुंबकीय शक्तियाँ वायुमंडल के आस-पास कवच का काम करती हैं, लेकिन सौर तूफान के दौरान कई बार आवेशित कण इस चुंबकीय कवच को भेद देते हैं।

मिशन का उद्देश्य:

- पार्कर सोलर प्रोब के ऊपर 4.5 इंच मोटा कार्बन मिश्रित कवच (Carbon Composite Heat Shield) है जो सूर्य के अत्यधिक ताप से इसकी सुरक्षा करता है, साथ ही इसका शील्ड, फाइबर और ग्रेफाइट (ठोस कार्बन) से तैयार किया गया है।
- इस मिशन के माध्यम से सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है, साथ ही यह सूर्य के सबसे समीप पहुँचने वाली मानव निर्मित वस्तु है।
- इसके साथ भेजे गए चार पेलोड सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज़्मा और ऊर्जा कणों का परीक्षण कर उनका 3-D चित्र तैयार करते हैं।
- इस मिशन के माध्यम से सौर पवन के स्रोतों और चुंबकीय क्षेत्र की बनावट तथा उनके डायनामिक्स की जाँच की जा रही है।
- यह मिशन सूर्य की सतह से इसके कोरोना के ज़्यादा तापमान होने के कारणों का भी अध्ययन करेगा।

कोरोना (Corona):

- सूर्य के वर्णमंडल के वाह्य भाग को किरीट/कोरोना (Corona) कहते हैं।
- पूर्ण सूर्यग्रहण के समय यह श्वेत वर्ण का होता है।
- सूर्य का कोरोना बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला है और इसे सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से देखा जाता है
- किरीट अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है।
- F कोरोना धूल के कणों से बनती हैं वहीं E कोरोना प्लाज्मा में मौजूद आयनों द्वारा बनती है। इस प्रकार की घटनाओं का विस्तृत अध्ययन अब तक नहीं किया जा सका है।
- इस मिशन की सहायता से सूर्य के वातावरण से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा कणों को मिलने वाली गति के विषय में भी अध्ययन किया जा रहा है।
- यह मिशन सूर्य के चारों ओर के हीलियोस्फियर का अध्ययन कर रहा है साथ ही सूर्य के चारों ओर ज़्यादा तापमान होने के कारणों की भी जाँच की जा रहा है।
- सौर वायु और आवेशित कणों को गति प्रदान करने वाले कारकों का अध्ययन हो किया जा रहा है।

भारत के एंटी-सैटेलाइट परीक्षण का मलबा

चर्चा में क्यों ?

नासा (NASA) के ऑर्बिटल डेब्रिस प्रोग्राम ऑफिस (Orbital Debris Program Office) द्वारा अंतरिक्ष मलबे के आकलन पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत द्वारा मार्च 2019 में किये गए एंटी-सैटेलाइट परीक्षण (Anti-Satellite Test) अथवा मिशन शक्ति के मलबे का कुछ हिस्सा अभी तक ऑर्बिट में मौजूद है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार मलबे के बड़े आकार के पहचान योग्य 101 में से 49 टुकड़ों की ऑर्बिट में उपस्थिति का पता चला है, जबकि छोटे टुकड़ों के भी ऑर्बिट में होने की संभावना है जिनकी पहचान संभव नहीं है।
- रिपोर्ट के आकलन के अनुसार भारत के इस परीक्षण से मलबे के लगभग 400 टुकड़े पैदा हुए। जिसमें से कुछ टुकड़ों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) के लिये खतरा उत्पन्न कर दिया।
- रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक उपग्रह सूची (Public Satellite Catalogue) में 101 मलबे के टुकड़ों को दर्ज़ किया गया था।

भारत का पक्ष

- Defence Research & Development Organisation (DRDO) के अनुमान के अनुसार यह परीक्षण लो अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit) में होने के कारण इससे पैदा हुआ मलबा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर स्वत: नष्ट हो जाना चाहिये था।
- नासा की यह रिपोर्ट भारत के एंटी-सैटेलाइट टेस्ट (Anti-Satellite Test) के कारण पैदा हुए मलबे की मात्रा का पहला विश्वसनीय अनुमान है।
- हालाँकि भारतीय एजेंसियों के पास मलबे को ट्रैक करने के लिये कोई स्वतंत्र तरीका नहीं है परंतु परीक्षण के समय मलबे के विनष्टीकरण व विखंडन से संबंधित इनके अनुमान लगभग सही साबित हुए हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिक्ष में भारत के 97 कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक लेकिन अक्षुण्ण उपग्रहों के साथ ही ट्रैक करने योग्य 157 अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े है जो की सभी देशों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए कुल 19,404 बड़ी वस्तुओं की तुलना में एक बहुत छोटा अनुपात है। इनमें से प्रयुक्त रॉकेटों के 14,432 अवशेष मलबे और कबाड़ में परिवर्तित हो चुके हैं।

ग्रामनेट के ज़रिये वाई-फाई से जुड़ेंगे सभी गाँव

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने सी-डॉट (C-Dot) के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामनेट के ज़रिये सभी गाँवों में वाई-फाई उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसकी कनेक्टिविटी स्पीड 10 Mbps से 100 Mbps के बीच होगी।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में भारतनेट 01 Gbps कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहा है, जिसे 10 Gbps तक बढ़ाया जा सकता है। सी-डॉट के. जारी होने वाले एक्सजीएसपीओएन (XGSPON) से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी तथा भारत के गांव आत्मनिर्भर बनेंगे।
- C-Dot की सी-सैट-फाई (C-Sat-Fi) प्रौद्योगिकी से भारत के लोग, खासतौर से गाँव और दूरदराज़ के इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। इसके ज़रिये उन्हें टेलीफोन और वाई-फाई सुविधाएँ मिलेंगी। इस प्रौद्योगिकी से देश के सभी भागों में यह सुविधा सभी मोबाइल फोनों पर उपलब्ध होगी।

C-DOT ने स्थापना दिवस के अवसर पर तीन नवीनतम नवाचारों की शुरुआत की, जो इस प्रकार हैं:

XGSPON (10 G सिमेट्रिकल पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क)

- यह उपयोगकर्त्ताओं को IPTV, HD वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग जैसे नए आयामों हेतु उच्च नेटवर्क गति की बढ़ती मांगों को पूरा कर सकता है।
- यह अन्य क्लाउड-आधारित सेवाओं के लिये भी सहायक हो सकता है जिसमें उच्च बैंडविड्थ की सहज उपलब्धता की आवश्यकता होती है।

C-Sat-Fi (C-DOT सैटेलाइट वाईफाई)

- यह कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिये वायरलेस और उपग्रह संचार के इष्टतम उपयोग पर आधारित है।
- यह तैनाती में आसानी प्रदान करता है, जो कि आपदा और आपात स्थिति से निपटने हेतु आदर्श रूप से अनुकूल है, जब संचार का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है।

नोट :

- इसके लिये महंगे सैटेलाइट फोन की आवश्यकता नहीं है और यह किसी भी वाईफाई-सक्षम फोन पर काम कर सकता है।
- CiSTB (C-DOT का इंटरऑपरेबल सेट-टॉप बॉक्स)
- यह एक मोबाइल सिम की तरह पोर्टेबल स्मार्ट कार्ड है जो कि केबल टीवी ऑपरेटरों को उच्च विकल्प और सुविधा प्रदान करके क्रांति लाएगा।
- उपरोक्त नवाचार दूरसंचार क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने और विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भारतीय लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी देश के सभी लोगों को एक-दूसरे से संपर्क करने में मदद करेगी।

टेलीमैटिक्स के विकास के लिये केंद्र (C-DOT)

- इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी।
- यह भारत सरकार के DoT का एक स्वायत्त दूरसंचार R & D केंद्र है।
- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है।
- यह भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के साथ एक पंजीकृत सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान है।
- वर्तमान में, सी-डॉट सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के जिसमें डिजिटल इंडिया, भारतनेट, स्मार्ट सिटी आदि शामिल हैं।

सार्वजानिक ब्रॉडबैंड पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये 'ग्रामनेट' राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का एक हिस्सा है। इसके अलावा कुछ अन्य पहलें भी इसी दिशा में कार्यरत है:

भारतनेट (BharatNet)- ग्राम पंचायतों को 1 Gbps इंटरनेट मुफ्त उपलब्ध कराना जो 10 Gbps तक सीमित हो।

नगरनेट (NagarNet)- शहरी क्षेत्रों में 1 मिलियन सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना

मार्स सोलर कंजंक्शन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने यह घोषणा की है कि आने वाले कुछ हफ्तों के लिये नासा के वैज्ञानिकों और मंगल (Mars) ग्रह पर मौजूद अंतरिक्ष यानों के बीच संपर्क रुक जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- नासा के अनुसार, संचार में होने वाली यह रूकावट मार्स सोलर कंजंक्शन (Mars Solar Conjunction) नामक घटना के कारण हो रही है।
- इस अंतरिक्ष घटना में पृथ्वी और मंगल सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं और सूर्य दोनों ग्रहों के बीच में आ जाता है।
- ज्ञातव्य है कि सूर्य अपने कोरोना (Corona) से गर्म आयनित गैस (Ionized Gas) अंतरिक्ष के वातावरण में निष्काषित करता है।

कोरोना (Corona):

- सूर्य के वर्णमंडल के बाह्य भाग को किरीट/कोरोना (Corona) कहते हैं।
- सूर्य का कोरोना बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला है और इसे सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से देखा जाता है।
- कोरोना मुख्यत: 2 प्रकार का होता है- F कोरोना तथा E कोरोना। F कोरोना धूल के कणों से बनता है वहीं E कोरोना प्लाज्मा में मौजूद आयनों द्वारा बनता है। अभी तक इस प्रकार की घटनाओं का विस्तृत अध्ययन नहीं किया जा सका है।
- मार्स सोलर कंजंक्शन के दौरान सूर्य द्वारा निष्काषित यह गैस अंतरिक्ष यानों के बीच संचार में बाधा उत्पन्न कर सकती है तथा वैज्ञानिकों द्वारा भेजे जाने वाले रेडियो संकेतों (Radio Signals) में हस्तक्षेप कर सकती है और यदि ऐसा होता है तो मंगल पर मौजूद यानों द्वारा भेजी जाने वाली सूचनाओं के स्वरूप में परिवर्तन आ सकता है जिसका अंतरिक्ष संबंधी शोधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: इसी से बचने के प्रयास में इस घटना के दौरान मंगल और पृथ्वी के मध्य संचार को रोक दिया जाता है।

नोट :

- मार्स सोलर कंजंक्शन प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार होता है।
- अनुमानत: इस वर्ष यह घटना 28 अगस्त, 2019 से 7 सितंबर, 2019 के बीच घटित होगी।

क्या होगा घटना के दौरान ?

- अंतरिक्ष यान में लगे कुछ उपकरण मुख्यत: कैमरा जो बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करता है, को निश्चित अवधि के लिये निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- साथ ही मंगल की सतह पर मौजूद शोध करने वाला रोबोट भी कार्य करना बंद कर देगा।
- यह कहा जा सकता है कि मार्स सोलर कंजंक्शन वर्तमान में मंगल ग्रह पर कार्यान्वित सभी परियोजनाओं को रोक देगा।

विश्व का पहला बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज़

चर्चा में क्यों ?

भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने नाविकों के फेशियल बायोमैट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज़ (Biometric Seafarer Identity Document-BSID) जारी किया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- नया पहचान पत्र BSID पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) के समझौता संख्या-185 के अनुरूप है। भारत ने अक्तूबर 2015 में इस समझौते पर सहमति व्यक्त की थी।
- नई फेशियल बायोमैट्रिक तकनीक दो अंगुली या आँख की पुतली आधारित बायोमैट्रिक डेटा से बेहतर है।
- इससे SID कार्ड प्राप्त नाविक की पहचान अधिक विश्वसनीय होगी साथ ही नाविक की गरीमा एवं निजता भी सुरक्षित होगी।
- BSID आधुनिक सुरक्षा उपाय है। इसमें एक बायोमैट्रिक चिप लगा होगा। BSID कार्ड की सुरक्षा विभिन्न स्तरों और विभिन्न तकनीकों द्वारा सुनिश्चित की गई है।
- डेटा संग्रह के दौरान चेहरे को पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ मिलान किया जाता है। इसके लिये फोटो मिलान सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। फेशियल बायोमैट्रिक संग्रह तथा इसके प्रमाणन के लिये एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।
- जारी किये जाने वाले प्रत्येक SID कार्ड से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय डेटाबेस में संग्रह की जाएंगी और इससे संबंधित जानकारी विश्व के किसे भी कोने से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य प्रमुख बिंदु

- भारत में BSID परियोजना सी-डैक (Centre for Development of Advanced Computing-CDAC) मुंबई के सहयोग से चलाई जा रही है।
- सरकार ने वर्ष 2016 में मर्चेंट शिपिंग (नाविक बायोमैट्रिक पहचान दस्तावेज़) नियम [Merchant Shipping (Seafarers Bio-metric Identification Document) Rules] अधिसूचित किया था।
- SID कार्ड में नाविकों के बायोमैट्रिक के साथ-साथ भौगोलिक ब्यौरा शामिल होगा। इसके सत्यापन के बाद SID कार्ड नाविकों को जारी किये जाएंगे।

BSID कार्ड जारी करने के लिये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, गोवा, मंगलौर, कोच्चि, विशाखापत्तन और कांडला में 9 डेटा संग्रह केंद्र बनाए गए है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसे भारत सरकार द्वारा जारी कन्टिन्यूअस डिस्चार्ज़ सर्टिफिकेट [Merchant Shipping (Seafarers Bio-metric Identification Document) Rules] प्राप्त है उसे BSID कार्ड के लिये योग्य माना जाएगा।

पर्सेइड उल्कापिंडों की बौछार

पर्सेइड उल्कापिंडों की बौछार (Perseid Meteor Shower) 17 जुलाई, 2019 से सक्रिय है, इसे 26 अगस्त, 2019 तक देखा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई से 24 अगस्त के दौरान हमारी पृथ्वी स्विफ़्ट टटल धूमकेतु के पास से गुज़रती है।

नोट :

- स्विफ़्ट टटल धूमकेतु ही पर्सेइड उल्कापिंडों की बौछार का प्रमुख कारण है।
- स्विफ्ट टटल धूमकेतु के छोटे अंश/भाग तेज़ी से घूमते पर्सेइड उल्का के रूप में पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में 2 लाख, 10 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमते हैं जो रात्रि के समय आकाश में तीव्र चमक के साथ बौछार करते नज़र आते हैं।
- स्विफ़्ट टटल धूमकेतु एक विकेंद्री (अव्यवस्थित केंद्रक के साथ) अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करता है जो लगभग 27 किलोमीटर चौड़ी होती है।
- जब यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो प्लूटो की कक्षा के बाहर होता है तथा जब सूर्य के बहुत नज़दीक होता है तो पृथ्वी की कक्षा के अंदर होता है।
- यह 133 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है।

उल्कापात

- आकाश में कभी-कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का (meteor) या 'टूटते हुए तारे' कहते हैं।
- उल्काओं का जो अंश/भाग वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुँचता है उसे उल्कापिंड (meteorite) कहते हैं।
- प्राय: प्रत्येक रात्रि को उल्काएँ अनगिनत संख्या में देखी जा सकती हैं, किंतु इनमें से पृथ्वी पर गिरनेवाले पिंडों की संख्या काफी कम होती है।
- हालाँकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये उल्कापिंड काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं। अति दुर्लभ होने के साथ-साथ आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन एवं संरचना के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत भी केवल ये ही पिंड हैं।
- इस प्रकार ये पिंड ब्रह्माण्ड विद्या तथा भू-विज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं।

The Vision

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा कि देश में बाघों की संख्या बढ़ी है, देश के लिये एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन आवासीय स्थान की हानि, शिकार और अवैध शिकार में वृद्धि अभी भी बाघों के अस्तित्व के लिये खतरा बनी हुई है। इसके साथ ही एक ताकतवर वायरस-कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (Canine Distemper Virus-CDV), जो कि वन्यजीव अभयारण्यों और उनके आसपास रहने वाले CDV से संक्रमित कुत्तों से प्रसारित हो सकता है, वन्यजीव जीव वैज्ञानिकों के बीच चिंता का विषय बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- पिछले वर्ष गिर के जंगल में 20 से अधिक शेर वायरल संक्रमण का शिकार हुए थे। यही कारण है कि जंगली जानवरों में इस वायरस के चलते होने वाली बीमारी को फैलने से रोकने के लिये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) द्वारा कुछ दिशा-निर्देश तैयार किये गए हैं।

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस Canine Distemper Virus-CDV

- कैनाइन डिस्टेंपर वायरस मुख्य रूप से कुत्तों में श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, श्वसन तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ-साथ आँखों में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है।
- CDV भेड़िये, लोमड़ी, रेकून, लाल पांडा, फेरेट, हाइना, बाघ और शेरों जैसे जंगली माँसाहारियों को भी प्रभावित कर सकता है।
- भारत के वन्यजीवन में इस वायरस का प्रसार तथा इसकी विविधता का पर्याप्त रूप से अध्ययन नहीं किया गया है।
- शेर एक बार में पूरे शिकार को नहीं खाते हैं। कुत्ते उस शिकार का उपभोग करते हुए उसे CDV से संक्रमित कर देते हैं। शेर अपने शिकार को खत्म करने के लिये वापस लौटता है और इस घातक बीमारी की चपेट में आ जाता है।

रोग हस्तांतरण का खतरा

- हाल ही में थ्रेटेड टैक्स (Threatened Taxa) में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि राजस्थान के रणथंभौर नेशनल उद्यान (Ranthambhore National Park) के समीप 86% कुत्तों का परीक्षण किये जाने के बाद इनके रक्तप्रवाह में CDV एंटीबॉडीज़ के होने की पुष्टि की गई है।
- इसका अर्थ है कि ये कुत्ते या तो वर्तमान में CDV से संक्रमित हैं या अपने जीवन में कभी-न-कभी संक्रमित हुए हैं और उन्होंने इस बीमारी पर काबू पा लिया है।
- इस अध्ययन में यह इंगित किया गया है कि उद्यान में रहने वाले बाघों और तेंदुओं में कुत्तों से इस बीमारी के हस्तांतरण का खतरा बढ़ रहा है।

निवारक उपाय

- सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास के क्षेत्र में मुक्त घुमने वाले और घरेलू कुत्तों का टीकाकरण किया जाना चाहिये।
- इस बीमारी को पहचानने तथा इसके संबंध में आवश्यक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। जहाँ कहीं भी मांसाहारी वन्यजीवों में CDV के लक्षणों का पता चलता है वहाँ संबंधित जानकारियों का एक आधारभूत डेटा तैयार किया जाना चाहिये ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकें।
- नियंत्रण उपायों पर विचार करने के क्रम में स्थानीय CDV अभ्यारण्यों में घरेलू पशुओं की भूमिका को विशेष महत्त्व दिया जाना चाहिये तथा इस संबंध में उपयोगी अध्ययन किये जाने चाहिये।

इस समस्या का सबसे आसान तरीका है- इस रोग की रोकथाम। वन्यजीवों की आबादी में किसी भी बीमारी का प्रबंधन करना बेहद मुश्किल होता है। सरकार को देश में वन्यजीव अभयारण्यों के समीप कुत्तों के टीकाकरण के लिये पहल शुरू करनी चाहिये।

नोट :

भूमि व जल योजनाओं का एकीकरण

चर्चा में क्यों ?

- भारत सरकार भूमि निम्नीकरण से निपटने के लिये जल व भूमि से सबंधित योजनाओं के एकीकरण पर विचार कर रही है।
- UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (COP) के 14वें सत्र का आयोजन 2-13 सितंबर तक नई दिल्ली में होगा जहाँ विभिन्न देशों की सरकारों के रणनीतिक रूप से भूमि के प्रभावी उपयोग और सतत भूमि प्रबंधन के समान लक्ष्यों पर सहमत होने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- भूमि निम्नीकरण से निपटने के लिये सरकार द्वारा मनरेगा सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिये बजट का आवंटन करने के साथ ही परिवर्तनकारी योजनाओं (Transformative Project) पर कार्य किया जा रहा है।
- सरकार भूमि निम्नीकरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality) के लक्ष्यों को निर्धारित करने के साथ जल व भूमि से संबंधित योजनाओं के अभिसरण द्वारा संसाधनों के अधिकतम प्रयोग की योजना पर विचार कर रही है।
- TERI द्वारा जारी 'भारत में सूखा, भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण का अर्थशास्त्र' रिपोर्ट के अनुसार उत्पादक भूमि का ह्रास वनों, आर्द्रभूमि, चरागाह भूमियों (Rangelands) और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों के लिये चिंता का विषय है।

आवश्यकता क्यों ?

- भारत की लगभग 30 प्रतिशत भूमि का निम्नीकरण हो चुका है।
- देश में भूमि निम्नीकरण और भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) के कारण प्रतिवर्ष 3,17,739 करोड़ रुपए की आर्थिक हानि का अनुमान है जो कि वर्ष 2014-15 में देश की GDP का 2.54 प्रतिशत तथा कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्रों से GVA का लगभग 15.9 प्रतिशत है।
- उपरोक्त अनुमानित लागत में हानि का लगभग 82 प्रतिशत भूमि निम्नीकरण के कारण और 18 प्रतिशत भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण है।
- वर्ष 2030 तक भूमि निम्नीकरण और भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) के कारण क्रमश: 94.53 मिलियन हेक्टेयर और 106.15 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के निम्नीकरण की संभावना है।
- जल क्षरण से प्रभावित क्षेत्र और खुले जंगलों के तहत क्षेत्र (मध्यम घने और बहुत घने जंगलों के साथ तुलना में) में दोनों परिदृश्यों में वृद्धि का अनुमान है। इससे निपटने के लिये भारत को इन क्षेत्रों में सुधार करने हेतु अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी।

भूमि निम्नीकरण के कारण

- जनसंख्या का दबाव
- जलवायु परिवर्तन
- मृदा प्रदूषण
- भूमि उपयोग परिवर्तन (LUC)
- निर्वनीकरण
- झूम कृषि जैसी कृषि पद्धतियों का प्रयोग
- अधिक चराई
- अधिक सिंचाई
- बाढ़ व सूखा

सरकार के प्रयास

- वर्ष 2001 में मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिये The National Action Programme for Combating Desertification (मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना) तैयार किया गया।

नोट :

- वर्तमान में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही करने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:
  - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)
  - राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP)
  - राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM)
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)
  - कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम (CADWM)
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।
- वर्ष 2016 में भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस (Desertification and Land Degradation Atlas) जारी किया गया जिसमें वर्ष 2003-05 और वर्ष 2011-2013 की स्थिति की तुलना की गयी है जो सुभेद्यता और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर कार्रवाई करने के लिये आधारभूत डेटा प्रदान करता है।

'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन' (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD)

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत तीन रियो समझौतों (Rio Conventions) में से एक है। अन्य दो समझौते हैं-

1. जैव विविधता पर समझौता (Convention on Biological Diversity- CBD)।
2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)।

- UNCCD एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।

मुंबई के समुद्री तटों पर मिल रहे हैं टारबॉल्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दक्षिण मुंबई के एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, गिरगाँव चौपाटी में रेतीले समुद्र के तट पर बड़े, काले तेल से सने हुए कुछ गोले या टारबॉल्स (Tarballs) दिखाई दिये थे।

क्या हैं ये टारबॉल्स (Tarballs)?

- टारबॉल्स गहरे काले रंग की गेंदे होती हैं, जिनका निर्माण समुद्री वातावरण में कच्चे तेल के अपक्षय (Weathering) के कारण होता है।
- एक हालिया शोध-पत्र के मुताबिक चारकोल की इन गेंदों को तटों तक लाने का काम समुद्री लहरों द्वारा किया जाता है।
- टारबॉल्स आमतौर पर सिक्के के आकार के होते हैं और समुद्र तटों पर बिखरे हुए पाए जाते हैं। हालाँकि बीते कुछ वर्षों में ये बास्केटबॉल के आकार के हो गए हैं और इनका वजन लगभग 6-7 किलोग्राम तक पहुँच गया है।

क्या टारबॉल्स तेल रिसाव को इंगित करते हैं ?

- आमतौर पर टारबॉल्स की उपस्थिति समुद्र में तेल के रिसाव का ही संकेत देती हैं, परंतु हर बार मानसून के दौरान पश्चिमी तटों पर इनकी उपस्थिति की वार्षिक घटना समुद्री जीव वैज्ञानिकों के लिये परीक्षण का एक प्रमुख विषय बन गया है।
- इस संदर्भ में विशेषज्ञों ने अधिकारियों से सतर्कता बरतने और इस बात की जाँच करने के लिये कहा है कि कहीं समुद्री जहाज़ अपने जले हुए तेल का कचरा समुद्रों में ही तो नहीं फेंक रहे हैं।
- तेल के कुओं में दरारें, जहाज़ो की तली से अचानक तथा स्वयं होने वाला रिसाव, नदियों का अपवाह, नगरपालिकाओं के सीवेज़ के ज़रिये निर्मुक्त होने वाला मल-जल तथा औद्योगिक प्रदूषक आदि भी टारबॉल्स के निर्माण का कारण हैं।

नोट :

क्या टारबॉल्स हानिकारक हैं ?

- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Maharashtra Pollution Control Board) द्वारा इसे वार्षिक घटना मानने से इनकार कर दिया गया है।
- तट की ओर बहकर जाने वाले ये टारबॉल्स समुद्र में मछली पकड़ने के लिये लगाए गए जाल में फँस सकते हैं, परिणामस्वरूप मछुआरों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
- वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिये टारबॉल्स प्रदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय है। ये टारबॉल्स अपने साथ कई प्रकार के बैक्टीरिया और कवक लेकर चलते हैं, जिसके कारण बहुत से मानव एवं पशु रोग उत्पन्न हो सकते हैं।

पूर्व में टारबॉल्स के मामले ?

- टारबॉल्स को तोड़ना मुश्किल है और इसलिये ये समुद्र में लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। वर्ष 2010 से ही गोवा, दक्षिण, मंगलुरु और लॉस एंजेल्स में समुद्र तटों पर टारबॉल्स की घटनाओं के मामले दर्ज किये गए हैं।
- भारत में अभी तक समुद्री टारबॉल्स के कारण समुद्री तट को बंद करने का मामला सामने नहीं आया है।

ब्राज़ील में वनों की कटाई में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

ब्राज़ील के अंतरिक्ष संस्थान द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार से अमेज़न वनों की कटाई में लगातार वृद्धि हो रही है।

ब्राज़ील में वन कटाई के कारण:

- ब्राज़ील सरकार की प्रो-एग्रीबिजनेस नीतियों (Pro-Agrobusiness Policies) को वनों की कटाई के लिये मुख्य रूप से ज़िम्मेदार माना जा रहा है।
- वैश्विक स्तर पर पॉम ऑयल और सोयाबीन की बढ़ती मांग के कारण ब्राज़ील में इनके कृषि क्षेत्र में तेज़ी से प्रसार हो रहा है। गिनीज बुक ऑफ़ रिकॉर्ड के अनुसार, पॉम ऑयल निर्वनीकरण के लिये सर्वाधिक ज़िम्मेदार फसल है।
- पशुपालन, निर्वनीकरण के लिये दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। वैश्विक स्तर पर गोमांस की बढ़ती मांग के कारण ब्राज़ील में इसके उत्पादन पर ज़ोर दिया जा रहा है। अमेरिका के टेक्सास के बाद ब्राज़ील वैश्विक स्तर पर गोमांस के लिये दूसरा सबसे बड़ा उभरता क्षेत्र है।
- स्थानीय निवासियों द्वारा जंगलों से लकड़ियों की अवैध तस्करी की जाती है जिसके लिये वनों की कटाई की जा रही है। इमारती लकड़ियों की मांग की वजह से भी वनों को नुकसान हो रहा है।
- ब्राज़ील से पेरू तक जाने वाले इंटरसोनिक एक्सप्रेस वे के कारण वनों की लगातार कटाई हुई है, इस एक्सप्रेस वे के आस-पास औद्योगीकरण और अवसंरचना के निर्माण से भी वनों का क्षेत्रफल कम हुआ है।
- सरकार खनन और कृषि व्यवसाय की कंपनियों को अमेज़न सहित पर्यावरण संरक्षित क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की नीति के साथ ही पर्यावरण कानूनों को भी कमजोर कर रही है।
- ब्राज़ील में बढ़ता जनसंख्या दबाव भी वनों के क्षेत्र को सीमित कर रहा है।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के ऑकड़ो के अनुसार, वर्ष 2018, 2017 और 2016 की तुलना में इस वर्ष मई और जुलाई के बीच अधिक वन काटे गए हैं। संस्थान द्वारा वर्ष 2014 से नवीन निगरानी प्रणाली अपनाए जाने के बाद से वन कटाई की दर में यह सबसे बड़ा उछाल है।

वनों की कटाई के प्रभाव:

- ब्राजील के अमेज़न वर्षा वन पृथ्वी के बड़े पारिस्थितिक नियामक हैं क्योंकि ये वन प्रत्येक वर्ष 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और पृथ्वी पर उपलब्ध कुल ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
- निर्वनीकरण के कारण कार्बन चक्र पर नकारात्मक जैसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगें साथ ही ग्रीनहाउस गैसों की प्रभावशीलता भी बढ़ जायेगी।
- ब्राज़ील वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। निर्वनीकरण से पौधों और जानवरों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप जैव विविधता का भी ह्रास होगा।

नोट :

- निर्वनीकरण वैश्विक स्तर पर वर्षण प्रतिरूप को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- बढ़ती कृषि से वनोन्मूलन के साथ ही मृदा क्षरण भी होगा जिससे दीर्घकालिक स्तर पर कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा और अंतत: खाद्यान सुरक्षा की भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
- वनों की कटाई से स्थानिक सांस्कृतिक विशेषता प्रभावित होगी क्योंकि ये समुदाय पूरी तरह से इन्ही वनों पर निर्भर होते हैं। ब्राज़ील में कमांझा समुदाय (Kamanjha Community) विशेष रूप से इससे प्रभावित हो रहा है।

सरकार की पर्यावरण नीतियों की पर्यावरण हितैषी गैर-लाभकारी संगठन (विशेष रूप से SOS माटा अटलांटिका) लगातार आलोचना कर रहे हैं।

SOS माटा अटलांटिका (SOS Mata Atlantica) एक गैर लाभकारी संगठन है। जो ब्राजील के अटलांटिक वन क्षेत्र के संरक्षण हेतु कार्यरत है।

वन क्षेत्रों के मापन की प्रणाली:

- वर्ष 2004 से उपग्रह चित्रों के आधार पर वनों की कटाई का अलर्ट डीटर (DETER) नामक निगरानी प्रणाली के माध्यम से जारी किया जा रहा है।
- डीटर (DETER) प्रणाली के पहले वर्ष 1980 के बाद से ही अमेज़न वर्षा वन, की निगरानी के लिये प्रोड्स (PRODES) नामक अन्य उपग्रह इमेजिंग प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा था।

वन संरक्षण के प्रयास:

- हाल ही में ब्राज़ील ने सोयाबीन के बीजों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये अनुसंधान कार्य हेतु वैश्विक स्तर पर वित्त के लिये ग्रीन बाण्ड जारी किया है।
- रेस्पोंसिबल कमोडिटी फैसिलिटी के तहत ब्राज़ील सरकार द्वारा प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुँचाए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
- वनसंरक्षण हेतु वनों के लिये साझेदारी (Partnership for Forest) कार्यक्रम की मदद ली जा रही है।
- सतत् मिशन प्रबंधन (Sustainable Investment Management) वनों को नुकसान पहुँचाने वाले कारको को रोकने के लिये ब्राज़ील के साथ सेराडो मैनिफेस्टो का समर्थन कर रहा है।

हाल ही में अमेज़न वनों की कटाई को रोकने वाली परियोजनाओं को धन आवंटित करने वाले सार्वजनिक अमेज़न फंड की दक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस फंड में जर्मनी और नॉर्वे दो सबसे ज़्यादा धन देने वाले देश हैं। इसलिये ब्राज़ील सरकार के साथ-साथ वैश्विक समुदाय को भी पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाले इस क्षेत्र के लिये गंभीर प्रयास करने चाहिये।

CITES में भारत का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

भारत ने अगस्त के अंत में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में होने वाली CITES सचिवालय (Secretariat) की बैठक में विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों की सूची में बदलाव संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्तुत प्रस्ताव में Smooth-Coated Otter, छोटे-पंजे वाले ओटर (Small-Clawed Otter), भारतीय स्टार कछुआ, टोके गेको (Tokay Gecko), वेजफिश (Wedgefish) और भारतीय शीशम (Indian Rosewood) की सूची में बदलाव के बारे में बात की गई हैं।
- भारत उक्त सभी पाँच वन्यजीवों की प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहता है क्योंकि ये सभी प्रजातियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं।

नोट :

- भारतीय शीशम को CITES परिशिष्ट II से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। CITES द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता के आधार पर प्रजातियों को तीन परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है।
- TRAFFIC इंडिया के अनुसार, भारत अन्य देशों द्वारा चिह्नित प्रजातियों की सुरक्षा की स्थिति को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों का भी समर्थन करेगा।

CITES

- CITES (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है।
- यह समझौता 1 जुलाई, 1975 से लागू है। लेकिन भारत इस समझौते के लागू होने के लगभग एक साल बाद 18 अक्तूबर, 1976 को इसमें शामिल हुआ और इस समझौते में शामिल होने वाला 25वाँ सदस्य बना।
- वर्तमान में CITES के पक्षकारों की संख्या 183 है।
- समझौते के तहत संकटापन्न प्रजातियों को तीन परिशिष्टों में शामिल किया जाता है:

परिशिष्ट I: इसमें शामिल प्रजातियाँ 'लुप्तप्राय' हैं, जिन्हें व्यापार से और भी अधिक खतरा हो सकता है।

परिशिष्ट II: इसमें ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं नहीं है लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये लुप्तप्राय की श्रेणी में आ सकती हैं।

परिशिष्ट III: इसमें वे प्रजातियाँ शामिल हैं जिसकी किसी एक पक्ष/देश द्वारा नियंत्रण/संरक्षण के लिये पहचान की गई है। इस परिशिष्ट में शामिल प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिये दूसरे पक्षों का सहयोग अपेक्षित है।

TRAFFIC

- ट्रैफिक WWF एवं IUCN का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में IUCN के प्रजाति उत्तरजीविता आयोग द्वारा की गई थी।
- ट्रैफिक एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जिसका मुख्यालय कैम्ब्रिज यू.के. में है।
- ट्रैफिक सक्रिय रूप से वन्यजीव व्यापार की निगरानी और जाँच करता है तथा प्रभावी संरक्षण नीतियों तथा कार्यक्रमों के रूप में दुनिया भर की विभिन्न संस्थाओं को जानकारी प्रदान कराता है।
- यह गैर-सरकारी संगठन अपनी गतिविधियाँ विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों तथा CITES मुख्यालय के सहयोग से चलाता है।
- भारत में ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1991 में WWF के एक विभाग के रूप में की गई।

सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क (SDN)

चर्चा में क्यों ?

सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क (SDN) के विकास ने पारंपरिक नेटवर्क के प्रतिमानों को विस्थापित किया है।

"SDN एक नवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो पारंपरिक नेटवर्क की सीमाओं से परे जाकर नेटवर्क को लचीला और कुशल बनाता है।"

प्रमुख बिंदु

- SDN का विकास वर्तमान नेटवर्क अनुप्रयोगों को अनुकूल व कम लागत योग्य बनाता है।
- उद्यम नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, डेटा सेंटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क सहित SDN के कई अनुप्रयोग हैं।
- यह कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप तेज़ी से प्रतिक्रिया करने और लचीलेपन हेतु सक्षम बनाता है जिससे संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होता है।
- SDN बिग डेटा अनुप्रयोगों के साथ कई प्रचलित मुद्दों को हल करने में उपयोगी है जिसमें क्लाउड डेटा केंद्रों में बिग डेटा प्रोसेसिंग और डेटा डिलीवरी भी शामिल है।
- यह नेटवर्क का प्रबंधन कुशलता से कर सकता है जिससे बिग डेटा एप्लीकेशन के निष्पादन में सुधार होगा।

नोट :

- भविष्य में SDN बिग डेटा के अधिग्रहण, संचरण, भंडारण और प्रसंस्करण की उपयुक्त सुविधा प्रदान कर सकता है।
- भविष्य में बिग डेटा, यातायात अभियंत्रण और सुरक्षा हमलों का प्रतिरोध करने में SDN के लिये उपयोगी होगा।
- SDN सक्षम नेटवर्क उन सॉफ्टवेयरों द्वारा नियंत्रित होता है जो नेटवर्किंग उपकरणों से परे रहते हैं और भौतिक कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं।

SDN से संबंधित मुद्दे

- SDN कंप्यूटर आर्किटेक्चर निर्माण कई छोटे और मध्यम श्रेणी के संगठनों के लिये एक कठिन प्रक्रिया होगी। इससे SDN प्रौद्योगिकी के दिग्गजों को लाभ प्रदान करेगा जिससे वैश्विक तकनीकी असमानता को बढ़ावा मिलेगा।
- डेटा गोपनीयता के संदर्भ में SDN भी डेटा सुरक्षा बहस में शामिल हो जाएगा।

मछलियों में मरकरी/पारे का संचय

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (Indian Institute of Technology, Hyderabad- IIT-H), हार्वर्ड विश्वविद्यालय (Harvard University) और कनाडा की सरकारी एजेंसी फिशरीज़ एंड ओशंस कनाडा (Fisheries and Oceans Canada) के एक संयुक्त शोध के अनुसार, पारे (Mercury- Hg) के प्रदूषण स्तर में कमी आई है, लेकिन इसकी मात्रा मछलियों में बढ़ गई है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध से समुद्री जल में मिथाइल मरकरी (Methyl Mercury) के कम होने के बावजूद मछलियों में जमा होने वाली विषाक्तता की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा कुछ दिन पहले जर्नल नेचर (Journal Nature) में प्रकाशित की गई थी।
- इस शोध में यह बात भी स्पष्ट हुई है कि मछलियों की अलग-अलग प्रजातियों में पारे का संचय अलग-अलग मात्रा में है।
- मछलियों की कुछ प्रजातियों में पारा पहले की तुलना में कम पाया गया, जबकि कुछ में पारे की अति वृद्धि देखी गई।
- मछलियों में पारे के संचय में भिन्नता हाल के वर्षों में समुद्र के तापमान में बदलाव और मत्स्य अतिदोहन के कारण मछलियों के आहार पैटर्न में बदलाव का परिणाम है।
- मछलियों एवं अन्य समुद्री जीवों में पारे की मात्रा को कम करने के लिये समुद्र में प्रवेश करने वाले पारे की मात्रा को कम करने के वैश्विक प्रयास किये गए हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने इस बात पर विशेष ध्यान केंद्रित किया कि क्या सभी पर्यावरणीय उपायों ने मछलियों में पारे के स्तर में वृद्धि की समस्या को कम किया है या बढ़ा दिया है।
- मछलियों में पारा संचय की प्रक्रियाओं को समझने के लिये अटलांटिक महासागर में स्थित मेन की खाड़ी (Gulf of Maine) को चुना गया।
  - इस खाड़ी में अटलांटिक कॉड मछली (Atlantic cod fish) में मिथाइल मरकरी (Methylmercury) की सांद्रता में 23% तक की वृद्धि पाई गई।
- शोधकर्त्ताओं ने पारिस्थितिकी तंत्र और पारे की सांद्रता पर तीन दशकों के डेटा का इस्तेमाल किया तथा पारा जैव संचय के लिये एक मॉडल विकसित किया।

मछली का चयापचय Fish metabolism

- मछलियों में पारा जमा होने के तीन कारक होते हैं:
  - मत्स्य अतिदोहन (Overfishing): यह समुद्री जीवों को आहार परिवर्तन की ओर प्रेरित करता है।
  - समुद्री जल के तापमान में परिवर्तन: यह मछली के चयापचय में परिवर्तन करता है तथा इनकी वृद्धि के बजाय जीवन की सुरक्षा अर्थात् अस्तित्व के संकट से बचाव को प्रेरित करता है।
  - प्रदूषण के परिणामस्वरूप समुद्री जल में पारे की मात्रा में परिवर्तन।

नोट :

पारे की सांद्रता का अध्ययन

- शोधकर्त्ताओं ने अपने मॉडलिंग अध्ययन में सभी तीनों कारकों को शामिल किया है।
- वर्ष 1970 के बाद से समुद्र में पारे की कमी के बावजूद विभिन्न प्रकार की मछलियों में पारे की सांद्रता में भिन्नता पाई गई।
- वर्ष 1990 और 2012 के बीच एक मछली की प्रजाति अटलांटिक ब्लूफिन टूना (Atlantic BlueFin Tuna- ABFT) के ऊतक में पारे के स्तर में कमी पाई गई थी जो संभवत: समुद्र के तापमान में गिरावट से प्रेरित थी। हालाँकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसमें वर्ष 2030 तक पारे का स्तर लगभग 30% तक बढ़ सकता है।
- समुद्री खाद्य श्रृंखला में पारा संचय में समुद्री तापमान का प्रभाव दिखाई देता है।
- हालाँकि यह अध्ययन अटलांटिक महासागर में किया गया था, अन्य समुद्रों एवं महासागरों में मछलियों में पारे का स्तर समुद्र के तापमान तथा मत्स्य अतिदोहन से संबंधित होने की संभावना है।

काजिन सारा झील

चर्चा में क्यों ?

नेपाल में कुछ ही महीनों पहले एक नई झील 'काजिन सारा' (Kajin Sara) की खोज की गई। ऐसी संभावनाएँ जताई जा रही हैं कि यह झील दुनिया की सबसे ऊँची झील हो सकती है।

प्रमुख बिंदु :

- ज्ञातव्य है कि इस नई झील को पर्वतारोहियों के एक समूह ने नेपाल के 'मनांग' ज़िले में खोजा था।
- अनुमानत: यह झील 5,200 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, परंतु अभी आधिकारिक रूप से इसे सत्यापित नहीं किया गया है।
- संभवत: यह झील 1,500 मीटर लंबी तथा 600 मीटर चौड़ी है।
- यदि आधिकारिक रूप में इस झील की ऊँचाई 5000 मीटर से अधिक होने की पुष्टि हो जाती है तो 'काजिन सारा' झील दुनिया की सबसे ऊँची झील बन जाएगी।
- वर्तमान में दुनिया की सबसे लंबी झील 'टिलिचो झील' है।

टिलिचो झील (Tilicho Lake)

- यह झील भी नेपाल में ही स्थित है और वर्तमान में यह दुनिया की सबसे ऊँची झील है।
- यह झील लगभग 4,919 मीटर (16,138 फुट) की ऊँचाई पर स्थित है।
- नेपाल के जल एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इस झील में कोई भी जलीय जीव नहीं पाया गया है।

एक्वापोनिक्स: भविष्य का एक विकल्प

चर्चा में क्यों ?

एक्वापोनिक्स (Aquaponics) पारिस्थितिकी रूप से एक स्थायी मॉडल है जो एक्वाकल्चर (Aquaculture) के साथ हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics) को जोड़ता है।

मुख्य बिंदु

- एक्वापोनिक्स में एक ही पारिस्थितिकी-तंत्र में मछलियाँ और पौधे साथ-साथ वृद्धि कर सकते हैं।
- मछलियों का मल पौधों को जैविक खाद्य उपलब्ध कराता है जो मछलियों के लिये जल को शुद्ध करने का कार्य करता है और इस प्रकार एक संतुलित पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण होता है।
- तीसरा प्रतिभागी यानि सूक्ष्मजीव या नाइट्राइजिंग बैक्टीरिया मछली के मल में उपस्थित अमोनिया को नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देता है जो कि पौधों की वृद्धि के लिये आवश्यक है।

नोट :

हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics)

- हाइड्रोपोनिक्स में पौधे मिट्टी के बिना वृद्धि करते हैं जहाँ मिट्टी को पानी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

एक्वाकल्चर प्रणाली (Aquaculture System)

- इस प्रणाली के तहत एक प्राकृतिक या कृत्रिम झील, ताज़े पानी वाले तालाब या समुद्र में, उपयुक्त तकनीक और उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- इस तरह की खेती में जलीय जंतुओं जैसे- मछली एवं मोलस्क का विकास, कृत्रिम प्रजनन तथा संग्रहण का कार्य किया जाता है।
- एक्वाकल्चर एक ही प्रजाति के जंतुओं की बड़ी मात्रा, उनके मांस या उप-उत्पादों के उत्पादन में सक्षम बनाता है।
- मत्स्य पालन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

एक्वापोनिक्स के लाभ और खामियाँ

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization -FAO) ने वर्ष 2014 में एक तकनीकी शोध-पत्र प्रकाशित किया जिसमें इन प्रयासों के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला गया है।

लाभ:

- उच्च पैदावार (20-25% अधिक) और गुणात्मक उत्पादन।
- गैर कृषि योग्य भूमि जैसे मरुस्थलीय, लवणीय, रेतीली, बर्फीली भूमि का उपयोग किया जा सकता है।
- पौधों और मछलियों दोनों का उपयोग उपभोग एवं आय के सृजन में किया जा सकता है।

खामियाँ:

- मृदा उत्पादन अथवा हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में आरंभिक लागत बहुत महँगी है।
- मछली, बैक्टीरिया और पौधों की जानकारी आवश्यक है।
- अनुकूलतम तापमान (17-34°C) की आवश्यकता होती है।
- छोटी-सी गलतियों और दुर्घटनाओं से सारा तंत्र नष्ट हो सकता है।
- यदि एकल रूप में (यानी एक स्थान पर केवल एक एक्वापोनिक्स) उपयोग किया जाता है तो एक्वापोनिक्स पूर्ण भोजन प्रदान नहीं करेगा।

नाइट्रोजन चक्र:

- सभी जीवों के जीवन के लिये नाइट्रोजन एक प्राथमिक पोषक तत्त्व है।
- जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुख तत्त्व है। नाइट्रोजन एमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों एवं बहुतायत विटामिनों का संघटक है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिये पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, अत: नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि पारितंत्र के लिये नियंत्रक पोषक तत्त्व है।
- नाइट्रोजन गैस का बड़ी मात्रा में रूपांतरण निम्न क्रियाविधि के अनुसार होता है:
  - नाइट्रोजन स्थिरीकरण Nitrogen fixation (nitrogen gas to ammonia),
  - नाइट्रोजनीकरण Nitrification (ammonia to nitrite and nitrate),
  - विनाइट्रीकरण Denitrification (nitrate to nitrogen gases)
- नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसहसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं, N≡N नाइट्रोजन (N_2) के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं।
- प्रकृति में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_2) में बदलने के लिये ऊर्जा प्राप्त होती है।
- औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुंआ तथा बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत हैं। मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर पुन: वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवों द्वारा निम्न अनुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती है:

नोट :

नाइट्रोजनीकरण (Nitrification)

- नाइट्रोजनीकरण वह प्रक्रिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित करती है।
- अधिकांश नाइट्रोजनीकरण वायवीय रूप से होते हैं और नाइट्रोजनीकरण के दो अलग-अलग चरण होते हैं जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा संपन्न होते हैं।
- पहला चरण अमोनिया का नाइट्राइट में ऑक्सीकरण है, जो कि अमोनिया ऑक्सीकारक माइक्रोव्स द्वारा किया जाता है।
- नाइट्रोजनीकरण में दूसरा चरण नाइट्राइट (NO_2^-) का नाइट्रेट (NO_3^-) में ऑक्सीकरण है। यह कदम प्रोकैरियोट्स (एक एककोशिकीय जीव) से पूरी तरह से अलग समूह द्वारा किया जाता है, जिसे नाइट्राइट-ऑक्सीकरण बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है।

'समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा' अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा' (Samagra Shiksha-Jal Suraksha) नामक अभियान की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

- यह अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education & Literacy) द्वारा शुरू किया गया है।
- इस अभियान की शुरुआत स्कूल विद्यार्थियों के बीच जल संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये की गई है।

लक्ष्य

एक विद्यार्थी	एक दिन	एक लीटर पानी की बचत
एक विद्यार्थी	एक साल	365 लीटर पानी की बचत
एक विद्यार्थी	10 साल	3650 लीटर पानी की बचत

अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. विद्यार्थियों को जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करना।
2. विद्यार्थियों को पानी की कमी के बारे में जागरूक करना।
3. प्राकृतिक जल संसाधनों की रक्षा करने के लिये विद्यार्थियों को सशक्त बनाना।
4. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति दिन एक लीटर पानी बचाने में सहायता करना।
5. विद्यार्थियों को अपने घर और विद्यालय में पानी की न्यूनतम बर्बादी और उचित मात्रा में प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना।

IPCC रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल द्वारा एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमे भूमि और जलवायु परिवर्तन पर समग्रता से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2016 में नैरोबी, केन्या में संपन्न हुए IPCC के 43वें सत्र में जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, स्थायी भूमि प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर ग्रीनहाउस गैस के प्रभाव को लेकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया था।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC):

- IPCC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम संगठन द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी।

नोट :

- यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके निहितार्थ और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ, अनुकूलन और शमन के विकल्प भी उपलब्ध कराता है।
- इसका मुख्यालय ज़िनेवा में स्थित है।

IPCC की रिपोर्ट:

- पिछले वर्ष IPCC ने पूर्व-औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर तापमान में वैश्विक वृद्धि को प्रतिबंधित करने की व्यवहार्यता पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की थी।
- इस वर्ष की रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग में भूमि संबंधी गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग, वानिकी, पशुपालन और शहरीकरण के योगदान के बारे में बात की गई है।
- रिपोर्ट में खाद्य उत्पादन गतिविधियों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने संबंधी योगदान को भी इंगित किया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि अगर मवेशियों के पालन-पोषण और परिवहन, ऊर्जा एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए तो ये गतिविधियाँ प्रत्येक वर्ष कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 37% का योगदान करती है।
- रिपोर्ट में बताया गया कि उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों का लगभग 25% बर्बाद हो जाता है जो कचरे के रूप में अपघटित होकर उत्सर्जन को बढ़ाता है।

भूमि उपयोग और जलवायु परिवर्तन:

- IPCC ने पहली बार जलवायु परिवर्तन संबंधी रिपोर्ट को भूमि क्षेत्र पर केंद्रित किया है।
- भूमि उपयोग और भूमि उपयोग में परिवर्तन हमेशा जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते रहे हैं क्योंकि भूमि कार्बन के स्रोत के साथ-साथ कार्बन सिंक का भी कार्य करती है।
- कृषि और पशुपालन जैसी गतिविधियाँ मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के प्रमुख स्रोत हैं, ये दोनों गैसें ग्रीनहाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक खतरनाक हैं।
- वन, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे समग्र वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है।
- यही कारण है कि बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग परिवर्तन, जैसे कि वनों की कटाई, शहरीकरण और यहाँ तक कि फसल के पैटर्न में बदलाव का ग्रीनहाउस गैसों के समग्र उत्सर्जन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

भूमि, महासागर और जलवायु परिवर्तन:

- कार्बन चक्र में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भूमि और महासागर प्रत्येक वर्ष लगभग 50% ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करते हैं।
- कार्बन सिंक के रूप में भूमि और महासागरों का जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- भारत की जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना में वन एक महत्त्वपूर्ण घटक है। भारत ने कहा है कि वह अपने वन आवरण को बढ़ाएगा और वर्ष 2032 तक 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाएगा।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- इस रिपोर्ट में ग्रीनहाउस गैसों का वार्षिक उत्सर्जन का अनुमान लगभग 49 बिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड के लगाया गया है।
- IPCC की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि और वन कटाई जैसी गतिविधियों के लिये उपयोग की जाने वाली भूमि से वर्ष 2007 और 2016 के बीच वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में काफी वृद्धि हुई।
- इस प्रकार की गतिविधियाँ आर्द्रभूमि और प्राकृतिक वनों को भी नुकसान पहुँचा रही हैं।
- अत्यधिक तापमान बढ़ोतरी से कुछ जानवरों की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है।
- अमेज़न के वर्षावनों की कटाई, आर्कटिक क्षेत्रों में पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने और दक्षिण अमेरिकी किसानों द्वारा अधिक नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग करने से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है।
- न्यूयॉर्क स्थित नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ (Goddard Institute for Space Studies) के अनुसार, रेड मीट की खपत से शाकाहारी आहारों की तुलना में ग्रीनहाउस गैस का ज़्यादा उत्सर्जन होता है।

नोट :

जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा:

- जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार कम होने से खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो सकती है, साथ ही भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएँ भी सामने आ सकती हैं।
- एशिया और अफ्रीका पहले से ही आयातित खाद्य पदार्थों पर निर्भर हैं। ये क्षेत्र तेज़ी से बढ़ते तापमान के कारण सूखे की चपेट में आ सकते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में गेहूँ और मकई जैसी फसलों की पैदावार में पहले से ही गिरावट देखी जा रही है।
- वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने से फसलों की पोषण गुणवत्ता में कमी आ रही है। उदाहरण के लिये उच्च कार्बन वातावरण के कारण गेहूँ की पौष्टिकता में प्रोटीन का 6 से 13%, जस्ते का 4 से 7% और लोहे का 5 से 8% तक की कमी आ रही है।
- यूरोप में गर्मी लहर की वजह से फसल की पैदावार गिर रही है।
- ब्लूमबर्ग एग्रीकल्चर स्पॉट इंडेक्स (Bloomberg Agriculture Spot Index) 9 फसलों का एक मूल्य मापक है जो मई में एक दशक के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। इस सूचकांक की अस्थिरता खाद्यान सुरक्षा की अस्थिरता को प्रदर्शित करती है।

अपशिष्ट की डंपिंग और दहन- सर्वाधिक प्रदूषणकारी गतिविधियाँ

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (Delhi NCR) में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत अपशिष्ट की खुले में डंपिंग (Dumping) और दहन (Burning) हैं।

प्रमुख बिंदु

- CPCB ने PWD, CPWD, DDA, DMRC, DSIIDC, NDMC, जैसी एजेंसियों से अगस्त और सितंबर के महीने के दौरान अपशिष्ट की खुले में डंपिंग और दहन के विरुद्ध मुहिम चलाने का निर्देश दिया है।
- CPCB के अनुसार, सभी एजेंसियों द्वारा वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिये उठाए गए कदमों का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा और यदि एजेंसियों द्वारा सही कदम नहीं उठाए गए हों तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
- सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, वन विभाग, दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद नगर निगम आदि ने सोशल मीडिया पर की गई शिकायतों के निपटारे हेतु अब तक किसी भी नोडल ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की है।

ठोस कचरे की वर्तमान स्थिति

- मेगासिटी के अधिकांश डंपिंग साइट्स अपनी क्षमता और 20 मीटर की अनुमेय ऊँचाई की सीमा से परे पहुँच गए हैं। अनुमानत: भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक शहरी भूमि इन डंपसाइटों में बंद हैं।
- भारतीय शहरों में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन प्रति दिन 200 ग्राम से 600 ग्राम तक होता है।
- नगरपालिका के कचरे का केवल 75-80% एकत्रित किया जाता है और केवल 22-28% कचरे का प्रसंस्करण और उपचार किया जाता है।

प्रभाव

- खुले में डंप किये गए कचरे से मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर वातावरण को गर्म करता है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है।
- लीचेट (Leachate) जो कचरे से निकलने वाला एक काले रंग का तरल है, 25 से 30 साल की अवधि में धीरे-धीरे विघटित हो जाता है और फिर मृदा और भूजल को दूषित करता है।

लीचेट

- लीचेट काले रंग का, दुर्गंध युक्त, विषैला तरल पदार्थ है जो लैंडफिल (कूड़े का ढेर) में कचरे के सड़ने से निकलता है,
- इसमें कवक और बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक रसायन भी मौजूद होते हैं।

नोट :

- यह लैंडफिल के तल पर जमा हो जाता है तथा भूजल को दूषित करने वाली मिट्टी के माध्यम से नीचे की ओर रिसकर चला जाता है।
- यह सतह के जल को भी दूषित करता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करने के साथ-साथ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।

आगे की राह

- यद्यपि ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनका इस्तेमाल करके कुछ हद तक इस समस्या को और अधिक भयावह रूप धारण से बचाया जा सकता है। यथा; घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदर्थों को अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिये। कागज़, प्लास्टिक, ग्लास जैसी वस्तुओं को एक अलग थैले में रखा जाना चाहिये जबकि दूसरे अन्य कचरों को अलग।
- उल्लेखनीय है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को सूखे कचरे (recyclable) एवं गीले कचरे (compostable) तथा आरोग्यकर कचरे (disposable diapers and sanitary napkins) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।
- वस्तुत: गीले कचरे के रूप में वर्गीकृत कचरे को जितना जल्द हो सकें, किसी खुले स्थान पर फैला दिया जाना चाहिये ताकि पर्याप्त मात्र में हवा एवं प्रकाश की मौजूदगी के द्वारा इसका भली– भाँति निस्तारण किया जा सके।
- इस प्रकार के कचरे के ढेर को दो मीटर से अधिक की ऊँचाई तक ही रखा जाता है, साथ ही इसे एक हफ्ते में कम से कम चार बार उल्टा जाता है। ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि कचरे के ढेर के लगभग प्रत्येक हिस्से को हवा एवं सूर्य का प्रकाश मिल सकें, जिससे कि यह जल्द से जल्द निस्तारित हो सकें, ठीक उसी तरह से जैसे घने वनों में गिरने वाली पत्तियों का ढेर मात्र हवा एवं प्रकाश के सम्पर्क में आने से ही अपघटित हो जाता है।
- विभिन्न जैवोपचार (Bioramidiation) विधियों का प्रयोग कर नही अपशिष्ट निपटान किया जा सकता है।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि अपशिष्ट प्रसंस्करण के माध्यम से जहाँ एक ओर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है वहीं दूसरी और निरंतर नए स्थानों की खोज संबंधी परेशानी से भी बचा जा सकता है।

गोगाबील सामुदायिक रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गोगाबील को बिहार का पहला सामुदायिक रिज़र्व घोषित किया गया है जो बिहार का 15वाँ संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) भी है।

प्रमुख बिंदु:

- गोगाबील बिहार के कटिहार ज़िलें में स्थित है जिसके उत्तर में महानंदा और कनखर तथा दक्षिण एवं पूर्व में गंगा नदी है।
- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के इंडियन बर्ड कंज़र्वेशन नेटवर्क द्वारा गोगाबील को वर्ष 1990 में एक बंद क्षेत्र (Closed Area) के रूप में अधिसूचित किया गया था।

नोट :

- इस बंद क्षेत्र (Closed Area) की स्थिति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत संरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया।
- इंडियन बर्ड कंज़र्वेशन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2004 में गोगाबील को बाघार बील और बलदिया चौर सहित भारत का महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया था।
- गोगाबील एक स्थायी जल निकाय है, हालाँकि यह गर्मियों में कुछ हद तक सिकुड़ती है लेकिन कभी पूरी तरह से सूखती नहीं है।
- इस स्थल पर 90 से अधिक पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जिनमें से लगभग 30 प्रवासी हैं। इस स्थल पर ब्लैक इबिस, एश्ली स्वॉल श्रीके, जंगल बब्बलर, बैंक मैना, रेड मुनिया, उत्तरी लापविंग और स्पॉटबिल डक जैसी अन्य प्रजातियाँ मिलती हैं।
- IUCN द्वारा लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क (Lesser Adjutant Stork) को सुभेद्य (Vulnerable) घोषित किया गया है, वहीं ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, व्हाइट इबिस और व्हाइट-आईड पोचर्ड को संकटापन्न (Near Threatened) श्रेणी में रखा गया है।

कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वन विभाग ने कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य (Krishna Wildlife Sanctuary-KWS) में शामिल करने के लिये लगभग 300 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है।

प्रमुख बिंदु :

- KWS को मिलने वाले इस नए क्षेत्र को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) द्वारा ली गई भूमि के मुआवज़े के रूप में देखा जा रहा है।
- चिह्नित गई भूमि को कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में शामिल करने की सिफारिश राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife-NBWL) द्वारा की गई थी।

कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य (Krishna Wildlife Sanctuary-KWS):

- कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश (भारत) में स्थित है।
- यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वेटलैंड का एक हिस्सा है और कृष्णा डेल्टा के तटीय मैदान में स्थित है तथा आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है।
- कृष्णा नदी का मुहाना कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरता है।
- यह माना जाता है कि इस क्षेत्र में संभवत: मछली पकड़ने वाली बिल्लियों (Fishing Cats) की सबसे ज़्यादा आबादी है।

मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ (Fishing Cats):

- मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ दक्षिण और दक्षिण पूर्व-एशिया की एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली होती है।
- इसका वैज्ञानिक नाम प्रियनैलुरस विवरिनस (Prionailurus Viverrinus) है।
- इनकी संख्या में पिछले एक दशक में काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त हो चुके जानवर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत में इन बिल्लियों को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल किया गया है, जिसके कारण भारत में इनके शिकार पर रोक है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife-NBWL):

- नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक वैधानिक बोर्ड है जिसका गठन वर्ष 2003 में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर किया गया था।
- NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निकाय है क्योंकि यह वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा आस-पास की परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिये सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की संरचना के तहत इसमें 15 अनिवार्य सदस्य और तीन गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

नोट :

आर्कटिक हिम में माइक्रोप्लास्टिक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं जो वायु संदूषण (Air Contamination) को प्रदर्शित करते हैं। वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इन कणों के दुष्प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- एक अध्ययन में वायु के माध्यम से आर्कटिक और आल्प्स क्षेत्रों की बर्फ में फैले माइक्रोप्लास्टिक कणों का पता लगाया गया है। इन माइक्रोप्लास्टिक कणों के कारण श्वसन रोग जैसे स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।
- पाँच मिलीमीटर से कम लंबाई वाले टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- प्रत्येक वर्ष नदियों के माध्यम से कई मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का महासागरों में प्रवाह होता है। महासागरों में लहरों की गति और सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश के कारण प्लास्टिक छोटे- छोटे टुकड़ों में टूट जाता हैं।
- अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट (Alfred Wegener Institute) जर्मनी और इंस्टीट्यूट फॉर स्नो एंड एवलांच रिसर्च (Institute for Snow and Avalanche Research) स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए नए अध्ययन के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक कण वायुमंडल के माध्यम से लंबी दूरी तय करते हैं।
- वर्ष 2015 से 2017 के बीच साइंस एडवांस (Science Advances) के वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड में बर्फ का इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक (Infrared Imaging Technique) के माध्यम से विश्लेषण करने के बाद बताया कि बर्फ में अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक हवा के माध्यम से ही प्रवेश कर रहे हैं।
- आर्कटिक क्षेत्र के माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता, पश्चिमोत्तर जर्मनी के सुदूर स्विस, आल्प्स और ब्रेमेन (Bremen) क्षेत्रों की तुलना में कम है।
- आर्कटिक क्षेत्र में माइक्रोप्लास्टिक कणों की सांद्रता कम होने के बाद भी ये गंभीर रूप से स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने में सक्षम हैं।
- नए अध्ययन के विपरीत विशेषज्ञ अब तक मानते थे कि हवा के माध्यम से भूमध्य रेखा के पास के पराग (Pollen) आर्कटिक क्षेत्र में समाप्त हो जाते हैं और सहारा रेगिस्तान की धूल हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय कर पूर्वोत्तर यूरोप में समाप्त हो जाती है।

माइक्रोप्लास्टिक कणों के प्रभावों पर अभी तक बहुत कम अध्ययन किया गया है। इसलिये इनके कारकों और स्वास्थ्य दुष्परिणामों पर विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिये।

माइक्रोप्लास्टिक्स (Microplastics):

- माइक्रोप्लास्टिक्स पाँच मिलीमीटर से कम लंबे प्लास्टिक के टुकड़ें होते हैं।
- जल निकायों में इनका प्रवेश अन्य प्रदूषकों के वाहक का कार्य करता है। ये खाद्य श्रृंखला में कैंसरजन्य रासायनिक यौगिकों के वाहक होते है।
- प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में उच्च स्तर के माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं।

PET बोतलों में कोई हानिकारक रसायन नहीं

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सी.एस.आई.आर.-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-Central Food Technological Research Institute-CFTRI), मैसूर द्वारा किये गए व्यापक मूल्यांकन में PET से निर्मित बोतलों व कंटेनर के उपयोग को खाद्य व पेय पदार्थों के भंडारण के लिये सुरक्षित पाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- CFTRI के विश्लेषण में एंटीमनी (Antimony), आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, लेड, मर्करी, सेलेनियम और जिंक आदि की मात्रा इनकी पहचान की सीमा से नीचे (Below Detection Limits-BDL) यानि .001 मिलीग्राम/किग्रा. पाई गई है।

नोट :

- बिस्फेनॉल-ए (Bisphenol-A) की BDL 0.02 मिलीग्राम/किग्रा. पाई गई। इसके साथ ही धातु और फ्थालेट्स (Phthalates) का भी BDL कम पाया गया।

पहचान की सीमा से नीचे (Below Detection Limits-BDL)

- BDL से तात्पर्य किसी रसायन की उस न्यूनतम मात्रा से है जिससे कम होने पर शोधकर्त्ताओं द्वारा नियोजित उपकरणों और प्रयोग की गई विधियों के प्रयोग से भी उस रसायन का पता नहीं लगाया जा सकता है।
- PET (Polyethylene Terephthalate) का प्रयोग प्लास्टिक की बोतलों और डिस्पोजल योग्य खाद्य पैकेट बनाने में होता है जो उच्च तापमान के संपर्क में आने पर हानिकारक रसायनों का रिसाव करता है।

PET क्या है ?

- PET (Polyethylene Terephthalate) पॉलिएस्टर का एक प्रकार है।
- इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों आदि की पैकेजिंग के लिये प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनर आदि बनाने में होता है।
- इसे खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिये उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह हल्का, गैर-प्रतिक्रियाशील, किफायती है।
- इस परीक्षण में धातुओं के साथ ही टेरेफ्थेलिक एसिड (Terephthalic Acid), आइसोफैथेलिक एसिड (Isophthalic Acid), एथिलीन ग्लाइकॉल (Ethylene Glycol), BPA (बिस-फिनोल ए) और फ्थालेट्स (Phthalates) को भी मापा गया।
- BPA (बिस-फिनोल ए) एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड (Synthetic Organic Compound) है जिसको कैंसर व हार्मोन अंसतुलन हेतु उत्तरदायी पाए जाने पर PET के निर्माण में प्रयोग से बाहर कर दिया गया।
- PET में एंटीमनी की कम मात्रा से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन बोतलों का प्रयोग अंत:स्रावी व्यवधान (Endocrine Disruption) के लिये उतरदायी नहीं होता है।
- इन पदार्थों की मात्रा 'विशेष स्थानांतरण सीमा' (Specific Migration Limit) [यूरोपीय संघ के विनियमन मानदंडों] से भी कम है। 'स्थानांतरण सीमा' किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा होती है जो खाद्य पैकेजिंग सामग्री या खाद्य कंटेनर से भोजन में स्थानांतरित हो सकती है।

सी.एस.आई.आर.-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-Central Food Research Institute)

- वर्ष 1950 में स्थापित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (CFRI), CSIR की एक घटक प्रयोगशाला है।
- यह संस्थान इंजीनियरिंग विज्ञान ,प्रौद्योगिकी विकास, अनुवादन संबंधी शोध ,खाद्य संरक्षण और सुरक्षा आदि क्षेत्रों में अनुसंधान करता है।
- खाद्य प्रौद्योगिकी में अनेक विषयों (Inter-Disciplinary) का अध्ययन शामिल होने के कारण इस संस्थान की परिकल्पना को विभिन्न R&D विभागों और हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में अपने संसाधन केंद्रों (Resource centers) के माध्यम से फलीभूत किया जाता है।

सुंदरबन के संरक्षण हेतु डिस्कवरी और WWF के बीच समझौता

चर्चा में क्यों ?

विश्व के एकमात्र मैंग्रोव बाघ निवास स्थान सुंदरबन को संरक्षित करने के लिये डिस्कवरी इंडिया और WWF इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है।

प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष Worldwide Fund for Nature-WWF

- WWF का गठन वर्ष 1961 में हुआ तथा यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख-रखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है।
- इससे पूर्व इसका नाम विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) था।
- इसका उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके।

नोट :

- WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report), लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (Living Planet Index) तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन (Ecological Footprint Calculation) प्रकाशित की जाती है।
- इसका मुख्यालय ग्लैंड (स्विट्ज़रलैंड) में है।

प्रमुख बिंदु:

- सुंदरबन में जलवायु-स्मार्ट गाँव स्थापित करने हेतु WWF इंडिया और डिस्कवरी इंडिया; सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसायटी के साझेदारों तथा वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं ताकि सुरक्षित आजीविका, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

सुंदरबन:

- सुंदरबन पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना ज़िले के 19 विकासखण्डों में फैला हुआ है।
- यह भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला दलदलीय वन क्षेत्र है तथा यहाँ पाए जाने वाले सुन्दरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है।
- भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन यूनेस्को (UNESCO) के विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) का हिस्सा है।
- यह 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा का हिस्सा है। इस क्षेत्र में 104 द्वीप हैं।
- यहाँ जीव-जंतुओं की लगभग 2,487 प्रजातियाँ हैं।
- सुंदरबन में पाए जाने वाले प्रसिद्ध बाघ (रॉयल बंगाल टाइगर) यहाँ की जलीय परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं और वे तैर भी सकते हैं।
- यहाँ पर एशियाई छोटे पंख वाले ऊदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, भूरे और दलदली नेवले तथा जंगली रीसस बंदर भी पाए जाते हैं।
- कुछ समय पहले ही सुंदरबन को भारत का 27वाँ रामसर स्थल घोषित किया गया है।
- परियोजना क्षेत्र में एश्चुरी पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे कई अन्य मुद्दों के समाधान हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग संबंधी परीक्षण किया जाएगा।
- इस परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल वन निदेशालय और IISER कोलकाता के साथ सहयोग से सुंदरबन में दो पारिस्थितिक वेधशालाएँ स्थापित की जाएंगी।
- WWF इंडिया इस क्षेत्र में पहले से ही स्थायी आजीविका, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच और प्रभावी मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन हेतु कार्य कर रहा है।
- WWF इंडिया और डिस्कवरी इंडिया के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सुंदरबन में बाघों के लिये शिकार और उनके निवास स्थान के प्रभावी प्रबंधन हेतु वन निदेशालय की सहायता करना और मानव-बाघ संघर्ष को कम करना है।
- इस पहल में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये कम लागत वाले उपायों के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और फसल कैलेंडर को समायोजित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- सुंदरबन हेतु यह परियोजना वैश्विक परियोजना प्रोजेक्ट कैट (Project CAT) का हिस्सा है।

बाघ संरक्षण हेतु प्रयास

- **प्रोजेक्ट कैट (Project CAT):**
  - प्रोजेक्ट CAT यानी Conserving Acres for Tigers बाघों और अन्य लुप्तप्राय वन्यजीवों के लिये बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने हेतु डिस्कवरी की एक परियोजना है।
  - बाघों के स्वस्थ्य विचरण हेतु एक बड़े क्षेत्र की जरूरत होती है, इसलिये इस पहल के माध्यम से उनके लिये पर्याप्त क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही इस परियोजना के माध्यम से वन संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
  - बाघों की सुरक्षा व्यवस्था में बेहतर संसाधनों, अतिरिक्त प्रशिक्षण और रेंजर्स के लिये उच्च-प्रौद्योगिकी का समावेश किया जाएगा।
  - सामुदायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से मनुष्य-वन्यजीव संघर्षों को कम किया जाएगा।
- **TX2:**
  - GTI (Global Tiger Initiative) के तहत वर्ष 2010 में बाघ संरक्षण हेतु सेंटपीटर्सबर्ग घोषणा को अपनाया गया था।

नोट :

- इस घोषणा का लक्ष्य बाघों की संख्या बढ़ाकर दोगुना करना है।
- यह कार्यक्रम WWF द्वारा 13 टाइगर रेंज देशों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

- **ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (Global Tiger Initiative- GTI)**
  - विश्व बैंक द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा के सहयोग से इस कार्यक्रम को वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था।
  - इस कार्यक्रम को 13 टाइगर रेंज देशों (बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, रूस और वियतनाम) में क्रियान्वित किया गया था।
- **चीता पुनर्प्रवेश प्रोजेक्ट:**
  - इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी।
  - इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है।
  - सबसे पहले इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के कुनोपालपुर अभयारण्य और राजस्थान के शाहगढ़ क्षेत्र को चुना गया है।
  - मध्य प्रदेश में स्थित नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को चीता पुनर्प्रवेश हेतु चुना गया है क्योंकि इस क्षेत्र के खुले वन चीतों के तीव्र गति से विचरण हेतु आदर्श हैं।

जलवायु परिवर्तन पर 28वीं मंत्रिमंडलीय बैठक

चर्चा में क्यों ?

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCC) की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP-25) की बैठक का आयोजन दिसंबर 2019 में सुनिश्चित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में बेसिक (BASIC) देशों- ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत एवं चीन ने 14 से 16 अगस्त तक जलवायु परिवर्तन पर अपनी 28वीं मंत्रिस्तरीय बैठक साओ पोलो (ब्राज़ील) में आयोजित की गई।
- सभी देशों द्वारा पेरिस समझौते को स्वीकार करने में BASIC समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- बैठक के अंतिम दिन BASIC समूह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास करने चाहिये, ताकि अल्पविकसित एवं विकासशील देशों पर उत्सर्जन को कम करने हेतु वित्तीय बोझ कम किया जा सके।
- BASIC देशों ने संयुक्त रूप से विकसित देशों से विकासशील देशों के लिये वर्ष 2020 तक सालाना 100 अरब डॉलर जुटाने का अपना वादा पूरा करने का आग्रह किया है।
- विकासशील देश यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) के तहत विकसित देशों द्वारा वर्ष 2020 तक विकासशील देशों को शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये विभिन्न स्रोतों से संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर प्रदान किये जाएंगे।
- ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन में दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का एक-तिहाई भाग है और दुनिया की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं देशों में निवास करता है, अत: जलवायु परिवर्तन से संबंधित खतरों से लड़ने में ये देश बहुत योगदान कर सकते हैं।

BASIC समूह

यह 4 विकासशील देशों - ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन द्वारा 28 नवंबर, 2009 को बनाया गया एक समूह है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये धारणीय उपायों पर चर्चा करना है।

हरित जलवायु कोष (GCF)

- यह UNFCCC के तहत् एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है।

नोट :

- वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रस्ताव किया गया था जिसे वर्ष 2011 में डरबन में हुए सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।
- यह कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये सहायता राशि उपलब्ध कराता है।
- कोपेनहेगेन व कॉनकुन समझौते में विकसित देश इस बात पर सहमत हुए थे कि वर्ष 2020 तक लोक व निजी वित्त के रूप में हरित जलवायु कोष के तहत विकासशील देशों को 100 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराया जाएगा।
- वहीं 19वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वर्ष 2016 तक 70 बिलियन डॉलर देने का लक्ष्य तय किया गया जिसे विकासशील राष्ट्रों ने अस्वीकार कर दिया।
- उल्लेखनीय है कि नवंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 16वें सत्र (Cop-16) में स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस के गठन का निर्णय किया गया ताकि विकासशील देशों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जा सके।

कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (Conference of Parties-COP)

- यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) के हस्ताक्षरकर्त्ता देशों (कम-से-कम 190 देशों) का एक समूह है, जो हर साल जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को हल करने के उपायों पर चर्चा करने के लिये बैठक आयोजित करता है

भारत सल्फर-डाईऑक्साइड (SO_2) का सबसे बड़ा उत्सर्जक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्रीनपीस (Greenpeace), एक पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो वैश्विक स्तर पर मानवजनित सल्फर-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन में 15% से अधिक का योगदान देता है।

प्रमुख बिंदु

- भारत के सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) का सबसे बड़ा उत्सर्जक होने का प्राथमिक कारण पिछले एक दशक में देश में कोयला आधारित बिजली उत्पादन का विस्तार है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में SO_2 का सर्वाधिक उत्सर्जन कोयला आधारित पॉवर प्लांट (Thermal Power Plants) द्वारा किया जाता है।
- भारत में प्रमुख SO_2 उत्सर्जन हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश में सिंगरौली; तमिलनाडु में नेवेली और चेन्नई; ओडिशा में तलचर एवं झारसुगुड़ा; छत्तीसगढ़ में कोरबा; गुजरात में कच्छ; तेलंगाना में रामागुंडम तथा महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं कोराडी हैं।
- देश के अधिकांश बिजली संयंत्रों में फ्लू-गैस डिसल्फराइज़ेशन तकनीक (Flue-Gas Desulphurisation-FGD) का अभाव है।

नोट: इन हॉटस्पॉट की पहचान NASA (National Aeronautics and Space Administration) के OMI (Ozone Monitoring Instrument) सैटेलाइट द्वारा की गई है।

वैश्विक संदर्भ में बात करें तो

- रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरब, भारत, मेक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और सर्बिया में सबसे अधिक SO_2 उत्सर्जन हॉटस्पॉट पाए गए हैं।
- अमेरिका व चीन नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देकर SO_2 उत्सर्जन को कम करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। चीन ने उत्सर्जन मानकों व प्रवर्तन में सुधर किया है।
- भारत, सऊदी अरब और ईरान में पॉवर प्लांट व अन्य उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। SO_2 के उत्सर्जन में वैश्विक रैंकिंग में भारत का प्रथम स्थान है क्योंकि यहाँ अधिकतम हॉटस्पॉट हैं।

नोट :

वायु प्रदूषण एवं SO_2

रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण में SO_2 उत्सर्जन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने के कारण पॉवर प्लांट और अन्य औद्योगिक गतिविधियाँ SO_2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं।

- SO_2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड (SOX) का निर्माण करता है।
- SOX अन्य यौगिक के साथ प्रतिक्रिया कर सूक्ष्म कणों का निर्माण करता है जो कि वायु मंडल में Particulate Matter (PM) की मात्रा को बढ़ाता है।

वायु प्रदूषण के प्रभाव

- वायु प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये चिंता का सबसे बड़ा कारण है।
- विश्व की 91% जनसंख्या उन क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ बाह्य वायु प्रदूषण (Outdoor Air Pollution) का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) द्वारा जारी किये गए सुरक्षित स्तर से कहीं अधिक है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 4.2 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है।

भारत द्वारा SO_2 उत्सर्जन को नियंत्रित करने के प्रयास

- वर्ष 2015 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC) ने कोयला आधारित पॉवर प्लांट द्वारा SO_2 उत्सर्जन को कम करने हेतु सभी पॉवर प्लांट में FGD तकनीक के प्रयोग को अनिवार्य किया है।
- सभी कोयला आधारित पॉवर प्लांटस को वर्ष 2022 तक FGD तकनीक से युक्त किया जाना है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में स्थित पॉवर प्लांट के लिये यह समय-सीमा वर्ष 2019 है।

Flue-Gas Desulphurisation-FGD

- FGD जीवाश्म-ईंधन आधारित पॉवर प्लांट से निष्कासित फ्लू गैसों से साथ ही अन्य प्रक्रियाओं से उत्सर्जित (जैसे कचरा क्षरण आदि) सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) को पृथक करने की तकनीक है।
- जीवाश्म-ईंधन आधारित पॉवर प्लांट से निष्कासित फ्लू गैस में उपस्थित SO_2 को एक अवशोषण प्रक्रिया (Absorption Process) के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है जिसे FGD कहा जाता है। FGD प्रणाली में आर्द्र स्क्रबिंग (Wet Scrubbing) या ड्राई स्क्रबिंग (Dry Scrubbing) शामिल होती है।
- Wet FGD प्रणाली में फ्लू गैसों को एक अवशोषक के संपर्क में लाया जाता है यह अवशोषक तरल या ठोस सामग्री का घोल होता है। SO_2 इस अवशोषक में घुल जाता है या प्रतिक्रिया करके इसमें समाहित हो जाता है।
- यही प्रक्रिया Dry FGD प्रणाली में भी प्रयोग होती है जिसमे अवशोषक के रूप में लाइमस्टोन प्रयोग किया जाता है

टार्डिग्रेड

चर्चा में क्यों ?

इज़राइल के अंतरिक्षयान बेरेशीट (Beresheet) ने चंद्रमा पर उतरने का प्रयास किया, लेकिन वह सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस अंतरिक्षयान के साथ टार्डिग्रेड (Tardigrade) नामक जीवित जीव भी भेजे गए थे।

बेरेशीट (Beresheet) अंतरिक्षयान को स्पेस IL और इज़राइल एयरोस्पेस द्वारा बनाया गया था। यह इज़राइल का पहला निजी वित्तपोषित मिशन था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर अध्ययन करना था।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- टार्डिग्रेड जीवों को पानी के भालू के रूप में भी जाना जाता है, यह जीव पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे जटिल संरचना वाले लचीले जीवों में से एक हैं।
- प्रश्न यह है कि क्या बेरेशीट यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी ये टार्डिग्रेड बच गए और चंद्रमा पर रह रहे हैं ?
- टार्डिग्रेड को केवल माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता है क्योंकि यह मात्र आधा मिलीमीटर लंबा है।
- यह एक जलीय जीव है, लेकिन यह भूमि पर भी निवास कर सकता है और वर्ष 2008 के एक अध्ययन में पाया गया कि यह बाहरी अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम में जीवित रह सकता है।
- वर्ष 2017 में किये गए एक अन्य अध्ययन में बताया गया कि क्षुद्रग्रहों के टकराने, सुपरनोवा विस्फोट और गामा-किरण के प्रभाव जैसी बड़ी घटनाओं के बाद भी पृथ्वी पर इसके जीवित रहने की संभावना है। टार्डिग्रेड अत्यधिक गर्म और ठंडे तापमान को सहन कर सकता है।
- टार्डिग्रेड अपने शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं और अपनी कोशिकाओं की रक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित करते हैं तथा बाद में पानी में रखे जाने पर फिर से जीवित हो सकते हैं।
- चंद्रमा पर तरल रूप में पानी के कोई साक्ष्य नहीं है, केवल बर्फ की ही संभावना है। तरल पानी के अभाव में यह संभव है कि टार्डिग्रेड्स अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहें।
- टार्डिग्रेड आठ पैरों वाला होता है और भालू की तरह दिखता है, इसके शरीर में चार खंड होते हैं । टार्डिग्रेड सामान्यत: तरल पदार्थ खाता है।

राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (National Resource Efficiency Policy) का प्रारूप जारी किया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत की अर्थव्यवस्था 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की खपत वर्ष 1970 में 1.18 बिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2015 में 7 बिलियन टन हो गई है।
- बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के साथ ही बढ़ती आकांक्षाओं ने भी संसाधनों की खपत को और बढ़ा दिया है ।
- इसलिये संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के साथ संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति बनाई जा रही है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रारूप नीति पर सार्वजनिक / निजी संगठनों, विशेषज्ञों और नागरिकों के सुझावों को आमंत्रित किया है।
- राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ-साथ संसाधन सुरक्षा के माध्यम सेपारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध और जैव विविधता को संरक्षित करना है।
- राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति के सिद्धांत:
  - प्राथमिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संतुलन के आधार पर सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति।
  - संसाधनों के कम प्रयोग से अधिक विकास का प्रयास।
  - संसाधनों का न्यूनतम दुरुपयोग।
  - संसाधनों के बेहतर प्रयोग के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना साथ ही ज्यादा रोजगार के व्यापार मॉडल का विकसित करना।

राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति, देश के सभी क्षेत्रों में जैविक और अजैविक संसाधनों की दक्षता के लिये एक व्यापक सहयोगात्मक ढाँचा प्रदान करेगी ताकि आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान भी प्रदान किया जा सके।

नोट :

भारत में घरेलू वायु प्रदूषण की समस्या

चर्चा में क्यों ?

कोलैबोरेटिव क्लीन एयर पॉलिसी सेंटर (Collaborative Clean Air Policy Centre) द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण घरों में ठोस ईंधन को जलाना है।

- 'आइडिया ऑफ इंडिया' (Ideas for India) नामक एक वेबसाइट पर प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, ठोस ईंधन जैसे - लकड़ी, कोयला आदि के प्रयोग से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और यह भारत में वायु प्रदूषण के लिये 22 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक ज़िम्मेदार है।

ठोस ईंधन के उपयोग से क्यों बचना चाहिये ?

- लकड़ी, पशुओं का गोबर और कृषि अपशिष्ट कुछ ऐसे ईंधन हैं जो आमतौर पर भारतीय घरों में खाना पकाने, प्रकाश और हीटिंग आदि के लिये ऊर्जा उत्पन्न करने के साधन के रूप में उपयोग किये जाते हैं।
- इस तरह के ठोस ईंधनों के जलने से पैदा होने वाले कई प्रदूषकों में से एक पार्टिकुलेट मैटर (Particulate Matter-PM) है।
- PM का आशय उन कणों या छोटी बूंदों से होता है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर (0.000001 मीटर) या उससे कम होता है और इसलिये इसे PM2.5 के नाम से भी जाना जाता है।
- इस तरह के कण श्वसन तंत्र में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और उनके संपर्क में आने से श्वसन एवं हृदय संबंधी रोग पैदा हो सकते हैं।

घरेलू वायु प्रदूषण क्या है और यह कितना खतरनाक है ?

- घरों में ठोस ईंधन के जलने से उत्पन्न PM2.5 का उत्सर्जन घरेलू वायु प्रदूषण (Household Air Pollution-HAP) कहलाता है।
- उपरोक्त अध्ययन में यह दावा किया गया है कि भारत में हर साल लगभग 800,000 लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ HAP के कारण होती है।
- कोयले के उपयोग से समय पूर्व होने वाली मृत्यु दर की तुलना में HAP के उपयोग से समय पूर्व होने वाली मृत्यु दर 58 प्रतिशत अधिक है। साथ ही परिवहन से होने वाली मृत्यु दर से यह 1056 प्रतिशत अधिक है।
- अत: उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि घरेलू वायु प्रदूषण भारत में चिंता का एक बड़ा विषय है और इस पर जल्द-से-जल्द ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि इसके इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम किया जा सके।

कितने लोग उपयोग करते हैं ठोस ईंधन ?

- आँकड़ों के अनुसार, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में लगभग 72.1 प्रतिशत आबादी रोज़ाना ठोस ईंधन का उपयोग करती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लगभग 3 बिलियन लोग खाना पकाने और सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिये पारंपरिक स्टोव अथवा चूल्हे में ठोस ईंधन (लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कोयला, गोबर, फसल अपशिष्ट) का उपयोग करते हैं।

अध्ययन में दिये गए सुझाव

- अध्ययन के अनुसार, HAP के कारण होने वाली हानि से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- इससे निपटने के लिये सरकार को घरों में उपयोग के लिए LPG को बढ़ावा देना चाहिये एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी अन्य योजनाओं को और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिये।

जल प्रदूषण है आर्थिक वृद्धि में बाधक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'क्वालिटी अननोन : द इनविज़िबल वाटर क्राइसिस' (Quality Unknown : The Invisible Water Crisis) नाम से जारी विश्व बैंक (World Bank) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रदूषित पानी कुछ देशों में आर्थिक वृद्धि की दर को एक-तिहाई तक कम कर रहा है।

नोट :

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **जल प्रदूषण से प्रभावित होती है देश की आर्थिक विकास दर:**
  - जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (Biological Oxygen Demand-BOD) एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है, तो उस क्षेत्र में जीडीपी की वृद्धि एक-तिहाई कम हो जाती है।
  - बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड - पानी के जैविक प्रदूषण और समग्र जल की गुणवत्ता मापने का एक उपाय।
  - मध्यम आय वाले देशों में जहाँ औद्योगिक विकास के कारण BOD एक बढ़ती हुई समस्या है, जीडीपी की वृद्धि दर आधे से कम रह गई है।
- **निम्न आर्थिक विकास दर के कारण:**
  - पानी में नाइट्रोजन की उपस्थिति लोगों की जीवन प्रत्याशा दर को कम कर रही है, जिसके कारण देश की मानव संसाधन उत्पादकता में कमी आ रही है।
  - इसके अतिरिक्त पानी में लवणता की उपस्थिति से कृषि पैदावार में कमी आती है।
- **पानी की गुणवत्ता के समक्ष चुनौतियाँ:**
  - कृषि की गहनता (Intensification of Agriculture) का प्रभाव
  - भूमि उपयोग में परिवर्तन
  - जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक परिवर्तनशील वर्षा पैटर्न
  - देशों के विकास के कारण बढ़ता औद्योगीकरण
- **आगे की राह:**
  - जल गुणवत्ता की चुनौती से निपटने के लिये सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उसके स्तर का निर्धारण किया जाए। दुनिया को विश्वसनीय, सटीक और व्यापक जानकारी की आवश्यकता है ताकि नई खोज की जा सके, साक्ष्य आधारित निर्णय लिये जा सकें और नागरिकों को कार्यवाही के लिये प्रेरित किया जा सके।
  - दुनिया के प्रदूषण को कम करने के लिये कानून (Legislation), कार्यान्वयन (Implementation) और प्रवर्तन (Enforcement) जैसी कुछ महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ भी हैं।
  - अपशिष्ट जल के उपचार पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रदूषण और मलबे को हटाने में मदद करके देश के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।

अवैध बाघ व्यापार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (World Wildlife Fund-WWF) और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर (International Union for Conservation of Nature) की साझेदारी में TRAFFIC द्वारा संकलित 'Skin and Bones Unresolved: An Analysis of Tiger Seizures from 2000-2018' शीर्षक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें वर्ष 2000 से वर्ष 2018 के बीच हुए बाघों और उनके अंगों के अवैध वैश्विक व्यापार की पुष्टि की गई है।

- यह वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क TRAFFIC द्वारा बाघ के व्यापार पर प्रकाशित रिपोर्ट की श्रृंखला का चौथा प्रसंस्करण है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- कुल मिलाकर वर्ष 2000 से वर्ष 2018 तक 32 देशों और क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर 2,359 बाघों के संबंध में अनुमान व्यक्त किये गए। इनमें से लगभग 95% की बरामदगी उन देशों में दर्ज की गई जिन्हें बाघों का निवास स्थान कहा जाता हैं।
- जीवित बाघों और उनके शवों (पूर्ण शरीर) के अलावा उनकी त्वचा, हड्डियों या पंजे जैसे विभिन्न रूपों में बाघ के अंगों को जब्त किया गया। जब्त किये गए सामानों में बाघों की त्वचा सबसे अधिक पाई गई।

नोट :

- इस रिपोर्ट के अनुसार जब्त किये गए सामानों के आधार पर बाघों की संख्या का अनुमान लगाया गया।
- हर साल औसतन 60 जब्ती की गई, यानी हर साल लगभग 124 बाघों को जब्त किया गया।
- जब्ती की घटनाओं की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष तीन देश भारत (कुल बरामदगी 463 या 40.5%), चीन (126 या 11.0%) तथा इंडोनेशिया (119 या 10.5%) हैं।

भारत के संदर्भ में

- हालाँकि बाघों की नवीनतम जनगणना में भारत की बाघों की आबादी 2,967 बताई गई है, तथापि ट्रैफिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के WWF के अनुमान के अनुसार भारत में कुल 2,226 हैं। वैश्विक बाघ आबादी का 56% भारत में निवास करती है।
- भारत जब्ती की घटनाओं (463, या सभी बरामदगी का 40%) के साथ-साथ बाघों की जब्ती (626 या 26.5%) की सबसे अधिक संख्या वाला देश है।
- जब्त किये गए बाघ के अंगों के संदर्भ में भारत में बाघों की खाल/त्वचा (38%), हड्डियों (28%) और पंजे एवं दांत (42%) का हिस्सा सबसे अधिक था।

निष्कर्ष

बाघ जैसे पशु पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य एवं विविधता में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, साथ ही बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। वर्ष 1973 से अब तक बाघों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है तथा मौजूदा समय में बाघ भारत में अपनी पारिस्थितिक क्षमता के करीब पहुँच चुके हैं। जीवों की संख्या में वृद्धि स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का संकेतक होता है। अत: भारत को ऐसे संघर्षों में कमी करने के लिये जीवों के आवास क्षेत्र में वृद्धि तथा बफर क्षेत्रों आदि के निर्माण जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

माइक्रोप्लास्टिक पर WHO की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने पेयजल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक (Microplastics) के कारण मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के अनुसार, पेयजल में माइक्रोप्लास्टिक का वर्तमान स्तर मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है परंतु भविष्य में इसके संभावित खतरों पर और अधिक अनुसंधान (Research) करने की आवश्यकता है।
- WHO के अनुसार, यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो पेयजल में माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति के आँकड़े काफी सीमित हैं जिनके आधार पर सटीक विश्लेषण करना मुश्किल है।

माइक्रोप्लास्टिक्स (Microplastics):

- माइक्रोप्लास्टिक्स पाँच मिलीमीटर से भी छोटे आकर के प्लास्टिक के टुकड़ें होते हैं।
- जल निकायों में इनका प्रवेश अन्य प्रदूषकों के वाहक के रूप में कार्य करता है। ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर कैंसरजन्य रासायनिक यौगिकों के वाहक बनते है।
- प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में उच्च स्तर के माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं।
- WHO ने प्लास्टिक प्रदुषण को नियंत्रित करने और माइक्रोप्लास्टिक तक मानव की पहुँच को कम करने पर बल दिया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, नीति निर्माताओं और जनसामान्य द्वारा प्लास्टिक का बेहतर प्रबंधन करने और इसके उपयोग को कम करने के लिये उपाय किये जाने चाहिये।

नोट :

- ऐसी संभावना बहुत कम है कि मानव शरीर 150 माइक्रोमीटर से बड़े आकार के माइक्रोप्लास्टिक को अवशोषित नहीं कर सकें परंतु मानव शरीर सूक्ष्म आकार के प्लास्टिक सहित अति सूक्ष्म प्लास्टिक कणों को अवश्य अवशोषित कर सकता है। हालाँकि इस संदर्भ में भी बहुत सीमित आँकड़े ही उपलब्ध है।
- स्पष्ट रूप से वर्तमान में प्लास्टिक प्रदूषण में जारी वृद्धि को रोकने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- यदि पर्यावरण में प्लास्टिक प्रसार की वर्तमान दर बनी रहती है तो अगली एक सदी में माइक्रोप्लास्टिक जलीय परितंत्र के लिये संकट उत्पन्न कर सकता है। जिस कारण मानव तक माइक्रोप्लास्टिक की पहुँच की संभावना में वृद्धि होने की संभावना है।
- रिपोर्ट में अपशिष्ट जल उपचार (Wastewater Treatment) का सुझाव दिया गया है जो निस्पंदन (Filtration) का उपयोग कर पानी में मौजूद 90% से अधिक माइक्रोप्लास्टिक्स को हटा सके।
- इन उपायों से दोहरा फायदा होगा क्योंकि यह डायरिया (Diarrhoeal Diseases) जैसे जल जनित रोगों के लिये उत्तरदायी सूक्ष्म रोगजनकों के साथ-साथ पानी से रसायनों को दूर कर दूषित पेयजल की समस्या का भी समाधान करेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में अवस्थित है।
- WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो सदस्य देशों के स्वास्थ्य के मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करता है।
- WHO का मुख्य उद्देश्य, वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देना, मानदंड और मानक निर्धारण, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करना है।
- भारत 12 जनवरी 1949 को WHO का सदस्य बन गया।
- दक्षिण पूर्व एशिया के लिये WHO का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

अमेज़न वन और संबंधित चिंताएँ

चर्चा में क्यों ?

ब्राज़ील स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च (National Institute for Space Research-INPE) के आँकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2019 से अब तक ब्राज़ील के अमेज़न वन (Amazon Forests) कुल 74,155 बार वनाग्नि का सामना कर चुके हैं।

प्रमुख बिंदु:

- अमेज़न वन में आग लगने की घटना बीते वर्ष (2018) से कुल 85 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।
- इसके अलावा इस वर्ष अमेज़न वन में वर्षा की दर भी सामान्य से थोड़ा कम रही है।

अमेज़न वन (Amazon Forests)

- ये बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं जो उत्तरी-दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन पर मौजूद हैं तथा 6,000,000 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं।
- यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 230 सेंटीमीटर से अधिक की वर्ष होती है।
- यहाँ का तापमान सामान्यत: 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।
- अमेज़न वन ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से के अलावा उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स (Guiana Highlands), पश्चिम में एंडीज़ पर्वत (Andes Mountains), दक्षिण मंय ब्राज़ीलियाई केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से भी घिरा है।

नोट :

अमेज़न वन में लगी आग के पीछे के कारण

- प्राकृतिक कारण: शुष्क मौसम आग और उसके प्रसार के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है।
- मानव निर्मित कारण: 1960 के दशक से अमेज़न वन क्षेत्र में बहुत सी बिजली परियोजनाओं एवं खनन गतिविधियों की शुरुआत हुई, खेती के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई।
  - ज्ञातव्य है कि अमेज़न के समीप सोने (Gold) और अन्य खनिजों के वृहद् भंडार मौजूद है।
- पर्यावरणविदों ने स्थानीय किसानों द्वारा जानवरों की चराई के लिये वनों को क्षति पहुँचाने का भी आरोप लगाया है।
  - ब्राजील के राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट किया है कि उनके विचार में अमेज़न वन को व्यापारिक हितों के लिये खोल दिया जाना चाहिये ताकि देश-विदेश की खनन और कृषि संबंधी कंपनियों को संसाधनों के दोहन की अनुमति मिल सके।

संबंधी चिंताएँ

- अमेज़न वर्षा वन समृद्ध जैव-विविधता का भंडार है और पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 20% ऑक्सीजन का योगदान देता है। वनों की कटाई से वनस्पतियों और वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप जैव-विविधता का भी ह्रास होगा।
- वनों की कटाई से स्थानिक सांस्कृतिक विशेषता प्रभावित होगी क्योंकि ये समुदाय पूरी तरह से इन्हीं वनों पर निर्भर होते हैं। ब्राज़ील में कमांझा समुदाय (Kamanjha Community) विशेष रूप से इससे प्रभावित हो रहा है।
- निर्वनीकरण (Deforestation) के कारण कार्बन चक्र पर नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा साथ ही ग्रीनहाउस गैसों की प्रभावशीलता भी बढ़ जाएगी।
- बढ़ती कृषि से वनोन्मूलन के साथ ही मृदा क्षरण भी होगा जिससे दीर्घकालिक स्तर पर कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा और अंतत: खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी।

दीपोर बील

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) ने असम सरकार को दीपोर बील (गुवाहाटी के पश्चिमी किनारे पर एक प्रमुख आर्द्रभूमि) के आस-पास के क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र या इको-सेंसिटिव ज़ोन (Eco-Sensitive Zone-ESZ) घोषित करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- NGT ने अपने आदेश में सरकार को आर्द्रभूमि पर मौजूदा अतिक्रमण को हटाने और भविष्य में किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिये कदम उठाने और दीपोर बील (Deepor Beel) के पारितंत्र में स्थित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट डंपिंग ग्राउंड का प्रबंधन करने का निर्देश भी दिया।
- दीपोर बील एक 'महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र' और एक रामसर साइट है, जिसके निकट एक आरक्षित वन भी है।
- दीपोर बील ताज़े पानी की एक झील है तथा अतिक्रमण के कारण लंबे समय से इसके क्षेत्र में कमी हो रही है। कभी 4,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला यह क्षेत्र अब घटकर 500 हेक्टेयर में सिमट गया है।
- दीपोर बील प्रवासी पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों का वास स्थान है।
- वर्ष 2018 में राष्ट्र स्तरीय विश्व आद्र भूमि दिवस का आयोजन दीपोर बील में ही किया गया था।

आवश्यकता

- इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि झील प्रतिकूल मानवीय गतिविधियों (जैसे कि मानव बस्तियों के लिये आर्द्र भूमि को भरना, आर्द्र भूमि के किनारों को काटना, मछली पकड़ना, प्रवासी पक्षियों को मारना आदि) का खामियाजा भुगत रही है।

नोट :

- पर्यावरणविदों द्वारा अक्सर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वेटलैंड क्षेत्र पर डंप किये गए कचरे ने झील के पानी को विषाक्त कर दिया है। हालाँकि असम सरकार का कहना है कि डंपिंग ग्राउंड वेटलैंड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह झील को प्रदूषित कर रहा है।
- जल की गुणवत्ता में गिरावट, झील की सतह में अवसादन और जल निकाय और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वनों की कटाई जैसी गतिविधियों को देखते हुए इसका संरक्षण आवश्यक है।

क्या है इको-सेंसिटिव ज़ोन या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र ?

- इको-सेंसिटिव ज़ोन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) भारत सरकार द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के अधिसूचित क्षेत्र हैं।
- इको-सेंसिटिव ज़ोन में होने वाली गतिविधियाँ 1986 के पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम) के तहत विनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है।
- सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, इको-सेंसिटिव ज़ोन का विस्तार किसी संरक्षित क्षेत्र के आस-पास 10 किमी. तक के दायरे में हो सकता है। लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किमी. से भी अधिक क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन में शामिल किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास इको-सेंसिटिव ज़ोन के लिये घोषित दिशा-निर्देशों के तहत निषिद्ध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है।
- ये दिशा-निर्देश वाणिज्यिक खनन, जलाने योग्य लकड़ी के वाणिज्यिक उपयोग और प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाओं जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं।
- कुछ गतिविधियों जैसे कि पेड़ गिराना, भूजल दोहन, होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग आदि को इन क्षेत्रों में नियंत्रित किया जाता है।
- पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित करने का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

पर्यावरण संवेदी क्षेत्र का महत्त्व

- औद्योगीकरण, शहरीकरण और विकास की अन्य पहलों के दौरान भू-परिदृश्य में बहुत से परिवर्तन होते हैं जो कभी-कभी भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकते हैं। इसलिये इन गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिये संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया जाता है।

तैरता परमाणु रिएक्टर

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरणविदों की चेतावनियों के बावजूद भी रूस ने आर्कटिक महासागर में पहला तैरता परमाणु रिएक्टर अकादमिक लोमोनोसोव (Akademik Lomonosov) लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु:

- पर्यावरणविदों ने इस रिएक्टर की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे 'बर्फ पर चेर्नोबिल' (Chernobyl on ice) और 'परमाणु टाइटैनिक' नाम दिया है।
- वर्ष 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में अकादमिक लोमोनोसोव का निर्माण कार्य शुरू हुआ था।
- अकादमिक लोमोनोसोव जो कि परमाणु ईंधन से भरा हुआ है। इसने आर्कटिक बंदरगाह मरमंस्क (Murmansk) से उत्तर-पूर्वी साइबेरिया के पेवेक (Pevek) के लिये 5,000 किमी. यात्रा प्रारंभ कर दी है।

नोट :

- साइबेरिया क्षेत्र के एक शहर पेवेक में यह संयंत्र एक बंद कोयला संयंत्र का स्थान लेगा।
- परमाणु एजेंसी रोसाटॉम के अनुसार, इस प्रकार के रिएक्टर से सदैव बर्फ से ढकें स्थानों को ऊर्जा आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी, साथ ही इस प्रकार के रिएक्टरों का निर्यात भी किया जाएगा।
- रूस इस प्रकार के संयंत्रों का प्रयोग आर्कटिक क्षेत्र में बड़ी बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं, खनिज तेल और हाइड्रोकार्बन की खोज हेतु करेगा।

इस रिएक्टर से संबंधित चिंताएँ:

- रूस के सुदूर उत्तर में एक सैन्य परीक्षण स्थल पर घातक विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी चिताएँ बढ़ गई हैं।
- ग्रीनपीस के अनुसार, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियोधर्मी कचरे का उत्पादन होता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। अकादमिक लोमोनोसोव तूफानों के लिये कमज़ोर है इसलिये इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की अधिक संभावना बनी हुई है।
- रोसाटॉम इस संयंत्र के लिये आवश्यक ईंधन को जहाज़ पर ही रखने की योजना बना रहा है। ग्रीनपीस ने चेतावनी दी है कि इस ईंधन से जुड़ी कोई भी दुर्घटना आर्कटिक क्षेत्र के संवेदनशील पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुँचा सकती है।
- ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) के कारण पिघलती बर्फ से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का रूस के उत्तरी तट के साथ जुड़ने वाला मार्ग अधिक सुलभ हो गया है।
- एक प्रकार के तैरते परमाणु संयंत्र की लागत भी बहुत अधिक होती है।

ग्रीनपीस (Greenpeace)

- ग्रीनपीस पर्यावरण चेतना हेतु विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा के वैंकूवर (Vancouver) में हुई थी।
- वर्ष 1976 के आसपास ग्रीनपीस ने स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था।
- इसकी स्थापना का तात्कालिक उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना था किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा के करना हो गया।
- यह महासागर, वन, जैव-विविधता और महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थानों जैसे- आर्कटिक तथा अंटार्कटिका के विशेष संरक्षण का प्रयास करता है।
- ग्रीनपीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय एम्सटर्डम (नीदरलैंड) में स्थित है।
- ग्रीनपीस इंटरनेशनल के 26 स्वतंत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय 55 से अधिक देशों में कार्य कर रहे हैं।
- इन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वैश्विक रणनीतियों को स्थानीय संदर्भ में संचालित किया जा सकता हैं। स्थानीय कार्यालय अपने कार्यों के लिये आवश्यक निधि के संग्रहण के लिये भी स्वतंत्र हैं।
- ग्रीनपीस इंडिया की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलूरू में स्थित है।

वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (National Physical Laboratory- NPL) को वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों को प्रमाणित करने हेतु सत्यापन एजेंसी के रूप में नामित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान की पृष्ठभूमि के तहत कम लागत वाले वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण, नाइट्रस ऑक्साइड, ओज़ोन और पार्टिकुलेट मैटर के स्तर की निगरानी करेंगे।
- CSIR और NPL वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा तथा प्रबंधन प्रणाली विकसित करेंगे।

नोट :

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR)

- CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अग्रणी समसामयिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- CSIR अंतरिक्ष भौतिकी, महासागर विज्ञान, भू-भौतिकी, रसायन, औषध, जीनोमिकी, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहा है।
- CSIR का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (National Physical Laboratory- NPL)

- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1943 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के रूप की गई थी।
- NPL का उद्देश्य औद्योगिक वृद्धि तथा विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का समावेश करना है।
- इन उद्देश्यों को साकार करने के लिये प्रयोगशाला के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम को वर्तमान में तीन मुख्य अनुसंधान केंद्रों में बाँटा गया है।
  (i) पदार्थ केंद्र (Material Center)
  (ii) रेडियो और वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र (Center for Radio and Atmospheric Sciences)
  (iii) मापिकी केंद्र (Metrology Center)
- केंद्र सरकार ने कम से कम 102 शहरों में 2024 तक 20% -30% प्रदूषण को कम करने के लिये जनवरी में एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें पहले सेंसर का एक विशाल निगरानी नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से प्रदूषकों द्वारा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जाँच की जा सके।
- राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त उपकरणों का आयात किया जाता है जिनकी लागत ज़्यादा होती है।
- प्रयुक्त उपकरणों की कार्य दक्षता भी सीमित होती थी इसलिये केंद्र सरकार ने नए उपकरणों और उनके मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का उत्तरदायित्व CSIR और NPL को सौंपा है।

एंटीमाइक्रोबियल बैक्टीरिया

चर्चा में क्यों ?

जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute- JNTBGRI) के वैज्ञानिकों ने नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य में प्राप्त एक एंटीमाइक्रोबियल बैक्टीरिया की जीनोम अनुक्रमणिका (Genome Sequencing) तैयार की है।

प्रमुख बिंदु:

- यह बैक्टीरिया कवकरोधी और कीटनाशक यौगिकों (Insecticidal Compounds) के उत्पादन में सक्षम है, जो कृषि में जैव-रासायनिक अनुप्रयोगों के लिये उत्पादों की क्षमता विकसित करता है।
- नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र की मिट्टी से एक्टिनोमाइसेट्स- Actinomycetes (एक प्रकार के बालों वाले बैक्टीरिया) बैक्टीरिया की कुछ विशेषताओं को अलग कर दिया गया, अलग किये गये बैक्टीरिया में से एक की पहचान स्ट्रेप्टोस्पोरंगियम नोंडायस्टेटिकम (Streptosporangium Nondiastaticum) के रूप में की गई जिसमे रोगाणुरोधी गुण पाए गये हैं।
- एंटीमाइक्रोबियल बैक्टीरिया के विश्लेषण के बाद इसके जीन में चिटिनास (Chitinase) नामक एक एंज़ाइम मिला जो फफूंदरोधी और कीटरोधी है।
- वैश्विक स्तर पर फाइटोपैथोजन (Phytopathogens) कवक फसल को खेतों और फसल उत्पादन के पश्चात् भंडारण दोनों, ही स्थितियों में हानि पहुँचा रहे हैं।

नोट :

- फाइटोपैथोजन कवकों और कीटों को नियंत्रित करने के लिये रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही कवक व कीट कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेते हैं।
- स्ट्रेप्टोस्पोरंगियम नोंडायस्टेटिकम (Streptosporangium Nondiastaticum) से कवकरोधी क्रीम और लोशन विकसित करने हेतु अनुसंधान चल रहा है। इसके साथ ही संस्थान ने सुगंधित पाइपर और जंगली इलायची के जीनोम अनुक्रमण के लिये एक परियोजना शुरू की है।
- इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने बाढ़ प्रभावित मणिमाला नदी तट से मिट्टी के नमूनों का अनुक्रमण कर बताया है कि केरल में बाढ़ के बाद पादप रोगजनक कवकों की संख्या बढ़ गई है।

नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य (Neyyar wildlife sanctuary):

- नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य के तिरुवंतपुरम जिले में दक्षिण-पूर्वी पश्चिमी घाट में स्थित है।
- यह अभयारण्य नेय्यार और उसकी सहायक नदियों मुलयार और कल्लर के बेसिन क्षेत्र में स्थित है।
- यह अभयारण्य अगस्त्यमलाई पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है।
- इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, स्लाथ भालू, हाथी, सांभर, भौंकने वाले हिरण, बोनट मकाक (Bonnet Macaque), नीलगिरि लंगूर और नीलगिरि तहर सहित स्तनधारियों की 39 प्रजातियाँ मिलती हैं। इस अभयारण्य में स्तनधारियों के अतिरिक्त पक्षियों की 176, सरीसृप की 30, उभयचर की 17 और मछलियों की 40 प्रजातियाँ पायी जाती हैं।
- इस अभयारण्य में मगरमच्छ फार्म भी स्थित है।

ई-वेस्ट

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट - ए न्यू सर्कुलर विज़न फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स (A New Circular Vision for Electronics) इस बात पर प्रकाश डालती है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे की मात्रा वर्ष 2021 तक वैश्विक स्तर पर 52.2 मिलियन टन अथवा प्रति व्यक्ति 6.8 किलोग्राम तक पहुँचने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर साल 50 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्ट (ई-वेस्ट) का उत्पादन होता है, जिसका वज़न अब तक के सभी वाणिज्यिक एयरलाइनरों से अधिक है और इसका केवल 20% औपचारिक रूप से पुर्नचक्रित किया जाता है।
- चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी की तुलना में भारत में सबसे अधिक ई-वेस्ट उत्पन्न होता है तथा इनमें अनुपयोगी हेडफ़ोन, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, चार्जर, मदरबोर्ड, टेलीविज़न सेट, एयरकंडीशनर, रेफ्रिज़रेटर शामिल हैं। भारत द्वारा बड़ी मात्रा में ई-वेस्ट आयात किया जाता है जो इस समस्या को और भी भयावह बनाता है।
- पुनर्चक्रण के लिये भेजे गए ई-कचरे में से केवल 20% औपचारिक रूप से पुनर्चक्रित किया जाता है, शेष 80% या तो लैंडफिल में डाला जाता है या अनौपचारिक तरीके से निस्तारित किया जाता है।
- भारत में ई-कचरे का 95% से अधिक भाग असंगठित क्षेत्र और स्क्रैप डीलरों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो कि उत्पादों को पुनर्चक्रित करने के बजाय नष्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स खुले यार्डों में संग्रहित किये जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी लीकेज़ (Electric Leakage) खतरा बढ़ जाता है।

क्या है ई-वेस्ट ?

- देश में जैसे-जैसे डिजिटलाइज़ेशन बढ़ा है, उसी अनुपात में ई-वेस्ट भी बढ़ा है। इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारकों में तकनीक तथा मनुष्य की जीवन शैली में आने वाले बदलाव शामिल हैं।
- कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण और टी.वी., वाशिंग मशीन व फ्रिज़ जैसे घरेलू उपकरण (इन्हें White Goods कहा जाता है) और कैमरे, मोबाइल फोन तथा उनसे जुड़े अन्य उत्पाद जब अनुपयोगी हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई-कचरे की संज्ञा दी जाती है।

नोट :

- ट्यूबलाइट, बल्ब, सीएफएल जैसी वस्तुएँ जिन्हें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, में भी पारे जैसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो इनके बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
- इस कचरे के साथ स्वास्थ्य और प्रदूषण संबंधी चुनौतियाँ तो जुड़ी हैं ही, लेकिन साथ ही चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसने घरेलू उद्योग का स्वरूप ले लिया है और घरों में इसके निस्तारण का काम बड़े पैमाने पर होने लगा है।
- स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ई-वेस्ट का प्रभाव
- ई-वेस्ट में शामिल विषैले तत्त्व तथा उनके निस्तारण के असुरक्षित तौर-तरीकों से मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं।
- माना जाता है कि एक कंप्यूटर के निर्माण में 51 प्रकार के ऐसे संघटक होते हैं, जिन्हें ज़हरीला माना जा सकता है और जो पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य के लिये घातक होते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बनाने में काम आने वाली सामग्रियों में ज़्यादातर कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम और पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिये घातक हैं।
- लैंडफिल में ई-वेस्ट, मिट्टी और भूजल को दूषित करता है, जिससे खाद्य आपूर्ति प्रणालियों और जल स्रोतों में प्रदूषकों का जोखिम बढ़ जाता है।
- आज न केवल ई-वेस्ट प्रबंधन के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि इससे होने वाले सोने, प्लेटिनम और कोबाल्ट जैसे मूल्यवान कच्चे माल के नुकसान पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया का 7% सोना ई-कचरे में शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष

उपभोक्ताओं के लिये 'बाई-बेक स्कीम', ई-अपशिष्ट को एकत्र करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ और अधिक समय तक चलने वाली वस्तुओं की कम कीमत रखकर, साथ ही, नगरपालिका व जनसमुदाय की भागीदारी के माध्यम से ई-कचरे का बेहतर निष्पादन किया जा सकता है। ई-अपशिष्ट के निपटान हेतु सबसे उपर्युक्त विधि में अनुपयोगी समानों का संग्रह व नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त सामानों का रीफर्बिशिंग (Refurbishing) कर उसके उपयोग बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

क्लाउडेड लेपर्ड

चर्चा में क्यों ?

भारत के मिज़ोरम में स्थित डंपा बाघ अभयारण्य (Dampa Tiger Reserve) को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- एक अध्ययन में पाया गया कि नौ देशों (भूटान, नेपाल, भारत, प्रायद्वीपीय मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार) में से केवल 9.44% क्षेत्र ही क्लाउडेड लेपर्ड (नियोफेलिस नेबुलोसा) के अध्ययन के लिये उपयुक्त है।
- जिन स्थलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें डंपा टाइगर रिज़र्व में क्लाउडेड लेपर्ड की सबसे घनी आबादी पाई गई है।

क्लाउडेड लेपर्ड

- इसकी त्वचा पर बादल की तरह पैटर्न बने होने के कारण इसका नाम क्लाउडेड लेपर्ड रखा गया है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- यह मेघालय का राजकीय पशु है।
- इसके संरक्षण हेतु किये जाने वाले प्रयासों को मज़बूत करने के लिये इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये भारत के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Recovery Program for Critically Endangered Habitats and Species) में जोड़ा गया है।

नोट :

पर्यावास:

- क्लाउडेड तेंदुआ घास के मैदान, झाड़ियों, उपोष्ण कटिबंधीय और घने उष्ण कटिबंधीय जंगलों में रहना पसंद करते हैं जो कि 7,000 फीट की ऊँचाई तक हिमालय की तलहटी से चीन की मुख्य भूमि के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला हुआ है।
- भारत में, यह सिक्किम, उत्तरी पश्चिम बंगाल, मेघालय उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।

क्लाउडेड लेपर्ड की उपस्थिति सकारात्मक रूप से संबंधित है:

- घने जंगल
- उच्च वर्षा
- दुर्गम क्षेत्र
- कम मानवीय उपस्थिति

क्लाउडेड लेपर्ड की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक:

- वनों की कटाई
- वर्षा के पैटर्न में बदलाव
- मानव-पशु संघर्ष
- विकास परियोजनाएँ

डंपा टाइगर रिज़र्व

- यह मिज़ोरम में स्थित है।
- इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ।
- हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय बाघ अनुमान अभ्यास में बताया गया कि यहाँ बाघों की संख्या शून्य है, इस कारण से यह अभयारण्य चर्चा में रहा।

वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास (IDWH)

यह वन्यजीवों के आवास की सुरक्षा के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये केंद्र प्रायोजित योजना है।

योजना के तहत शामिल गतिविधियाँ हैं-

- कर्मचारी विकास और क्षमता निर्माण।
- वन्यजीव अनुसंधान और मूल्यांकन।
- अवैध शिकार विरोधी गतिविधियाँ।
- वन्यजीव पशु चिकित्सा।
- मानव-पशु संघर्ष को हल करना।
- पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा देना।
- राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

संरक्षित क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में समुदायों के स्थानांतरण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

योजना में तीन घटक शामिल हैं:

(i) संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन

अलग-अलग राज्यों में सभी संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) (उन क्षेत्रों को छोड़कर जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं) सहायता के लिये पात्र हैं। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक भंडार शामिल हैं

नोट :

(ii) संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण

इस घटक के तहत, संबंधित राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों द्वारा तैयार जैव विविधता योजनाओं हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। संरक्षित क्षेत्रों के लिये सन्निहित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

(iii) गंभीर रूप से लुप्तप्राय आवासों और प्रजातियों के लिये रिकवरी कार्यक्रम

इस घटक के तहत रिकवरी के लिये 16 प्रजातियों की पहचान की गई है। ये प्रजातियाँ हैं- स्नो लेपर्ड (Snow Leopard), बस्टर्ड (Bastard), डॉल्फिन (Dolphin), हंगुल (Hangul), नीलगिरि तहर (Nilgiri Tahr,), समुद्री कछुए(Marine urtles), समुद्री गाय/डुगोंग (Dugongs), खाद्य घोंसला स्विफ्टलेट (Edible Nest Swiftlet), एशियाई जंगली भैंस (Asian wild Buffalo), निकोबार मेगापोड (Nicobar Megapode), गिद्ध (Vulture), मालाबार सिवेट (Malabar Civet), भारतीय गैंडे (Indian Rhino), एशियाई शेर (Asiatic Lion), बारहसिंगा (Swamp Deer), जैरडन कर्सर (Jerdon's Courser) और ब्राउन एंटीलर्ड हिरण (Brown Antlered Deer) हैं। प्रत्येक राज्य में मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा एक वैज्ञानिक पुनर्प्राप्ति योजना तैयार की जानी है।

पेरियार एवं परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (Management Effectiveness Evaluation- MEE) और बाघ स्थिति रिपोर्ट (Tiger Status Report), 2018 द्वारा पेरियार (Periyar) और परम्बिकुलम (Parambikulam) बाघ रिज़र्व के संबंध में कुछ सुझाव दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, इन टाइगर रिज़र्व की छिद्रित सीमा, अवैध अंतर-राज्यीय प्रवेश बिंदुओं और असुरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार रिज़र्व के कोर में स्थित सबरीमाला मंदिर के लिये आयोजित तीर्थ यात्रा को सबसे बड़े जैविक कारक के रूप में पहचाना गया है जो इन रिज़र्व के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हालाँकि पर्यटन और अन्य गतिविधियों से उत्पन्न जैविक दबाव काफी कम हो गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड द्वारा सबरीमाला मास्टर प्लान का पालन न करने के कारण रिज़र्व की पारिस्थितिकी को खतरा उत्पन्न हुआ है।
- रिज़र्व में स्थित घास के मैदानों और खेतों में आक्रामक प्रजाति लैंटाना कैमारा (Lantana camar) का प्रसार जैव-विविधता पर संकट उत्पन्न कर रहा है।
- मन्नान (Mannan), पलियान (Paliyan), उराली (Urali), मालमपंदरम (Malampandaram) और मलायन (Malayan) समुदायों के आदिवासी अपनी आजीविका के लिये पेरियार एवं परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व पर निर्भर करते हैं। रिपोर्ट में उनके प्राकृतिक-सांस्कृतिक जुड़ाव को जंगल के साथ बरकरार रखते हुये उन्हें वैकल्पिक आजीविका के प्रावधान हेतु सुझाव दिया गया है।
- MEE ने रिज़र्व के कोर क्षेत्र में स्थित निजी संपत्ति पर चिंता व्यक्त की है। हालाँकि इस क्षेत्र की 67.52 हेक्टेयर भूमि को हाल ही में पारिस्थितिकीय संवेदनशील भूमि (Ecological Fragile Land) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा किये गये उपाय

- राज्य सरकार द्वारा निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
- आक्रामक प्रजातियों के प्रसार की इस समस्या के समाधान के लिये एक आक्रामक और विदेशी प्रजाति निगरानी सेल का गठन किया गया है। इन प्रजातियों की पहचान और प्रबंधन संबंधी योजना तैयार करने के लिये अध्ययन किये जा रहे हैं।

नोट :

भूमि क्षरण को रोकने के लिये भारत की प्रतिबद्धता

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD) के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन (COP14) से पूर्व भारत ने एक बार फिर से मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु अपने संकल्प को दोहराया।

भारत की प्रतिबद्धता

- मरुस्थलीकरण एक विश्वव्यापी समस्या है जिससे 250 मिलियन लोग और भूमि का एक तिहाई हिस्सा प्रभावित है।
- इसका मुकाबला करने के लिये भारत अगले दस वर्षों में ऊर्वर क्षमता खो चुकी लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ऊर्वर भूमि में बदल देगा।
- भारत के पर्यावरण मंत्री द्वारा भूमि के उपयोग और उसके प्रबंधन की दिशा में निरंतर कार्य करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है।
- द हिंदू के अनुसार, 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ऊर्वर भूमि में बदलने की प्रतिबद्धता बॉन चुनौती का हिस्सा थी। उल्लेखनीय है कि पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2015 में भारत ने स्वैच्छिक रूप से बॉन चुनौती पर स्वीकृति दी थी।
- भारत ने वर्ष 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर और वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियाँ उगाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

बॉन चुनौती (Bonn Challenge) एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत वर्ष 2020 तक दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियाँ उगाई जाएंगी।

भारत में भूमि क्षरण

- भारत ने वर्ष 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर और वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियाँ उगाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme), मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना (Soil Health Management Scheme) और प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) जैसी योजनाओं को इस भूमि क्षरण से निपटने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है।

आगे की राह

कुछ ही समय पूर्व शुरुआत में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया था कि भूमि को गंभीर जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यदि ऐसे में उचित कदम नहीं उठाए गए तो इससे खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

एक हालिया अध्ययन में यह बात सामने आई है कि नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व (Nilgiris Biosphere Reserve) में गिद्धों की संख्या में वर्ष 2012 से 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2012 में नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व में गिद्धों की संख्या लगभग 152 थी। गिद्धों की संख्या में वर्ष 2014 तक वृद्धि हुई, परंतु वर्ष 2015 और 2016 में इनकी संख्या फिर से घटने लगी जिसके बाद वर्ष 2018 में यह संख्या एक बार फिर बढ़कर 192 हो गई।

नोट :

गिद्धों की संख्या में वृद्धि के कारण

- विभिन्न क्षेत्रों में गिद्धों की संख्या में कमी का सबसे प्रमुख कारण ज़हरीले मांस का सेवन है।
- चूँकि अधिकतर किसान पालतू जानवरों को बीमारी की दशा में कई प्रकार की दवाएँ देते हैं और जब उन जानवरों का मांस गिद्ध खाते हैं तो वे भी बीमार हो जाते हैं।
- इस क्षेत्र में गिद्धों की संख्या बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पशु मांस की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसके कारण पशु मालिक बीमार पशुओं को बूचड़खाने में भेज देते थे और बीमारी की दशा में पशुओं को दवाएँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
- ज्ञातव्य है कि विभिन्न दवाओं का गिद्धों पर पड़ने वाले असर की विस्तृत व्याख्या वर्ष 2008 में सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व की एक कार्यशाला में की गई थी।

वन्यजीव संरक्षण के प्रयास

- 1990 के दशक में पश्चिमी घाटों और शेष भारत में गिद्धों की आबादी में काफी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद निरंतर निगरानी और संरक्षण प्रयासों के कारण पिछले दशक में गिद्धों की संख्या में काफी सुधार हुआ।
- एक अन्य कदम के तहत यह तय किया गया है कि पशुपालन विभाग (Department of Animal Husbandry) उन विभिन्न घातक एवं ज़हरीली दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा जो पशुओं को उनकी बीमारी के समय दी जाती हैं।
- इसका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि ज़हरीले मांस का सेवन करने से गिद्धों की मृत्यु न हो।

वनीकरण: कैम्पा कोष

चर्चा में क्यों ?

29 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में वनीकरण को बढ़ावा देने और देश के हरित उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहन देने की दिशा में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैम्पा को 47,436 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- वनों के लिये राज्य का बजट अप्रभावित रहेगा और हस्तांतरित की जा रही धनराशि राज्य के बजट के अतिरिक्त होगी।
- आशा है कि सभी राज्य इस धनराशि का उपयोग वन और वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वानिकी कार्यकलापों में करेंगे, जिससे वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समान अतिरिक्त कार्बन सिंक (यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण) होगा।
- कैम्पा कोष का उपयोग वेतन के भुगतान, यात्रा भत्ते, चिकित्सा व्यय आदि के लिए नहीं किया जा सकता है।

इस धन का उपयोग निम्न गतिविधियों पर किया जाएगा:

जिन महत्त्वपूर्ण गतिविधियों पर इस धन का उपयोग किया जाएगा उनमें- क्षतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र का उपचार, वन्यजीव प्रबंधन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक सम्पोषण, वनों में लगने वाली आग की रोकथाम और उस पर नियंत्रण पाने की कार्रवाइयों, वन में मृदा एवं आद्रता संरक्षण कार्य, वन्य जीव पर्यावास में सुधार, जैव विविधता एवं जैव संसाधनों का प्रबंधन, वानिकी में अनुसंधान तथा कैम्पा कार्यों की निगरानी आदि शामिल हैं।

कैम्पा की पृष्ठभूमि

- राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये एकत्र धनराशि का राज्यों द्वारा अल्प उपयोग किये जाने संबंधी शुरूआती अनुभव के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority-CAMPA) की स्थापना का आदेश दिया।
- वर्ष 2006 में पृथक बैंक खाते खोले गए और क्षतिपूरक लेवी उनमें जमा कराई गई तथा क्षतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबंधन के लिये तदर्थ कैम्पा की स्थापना की गई।

नोट :

- वर्ष 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों/संघशासित प्रदेशों को क्षतिपूरक वनीकरण तथा अन्य गतिविधियों के लिये प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की अनुमति दी।
- प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद 28 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की मंज़ूरी से तदर्थ कैम्पा से 54,685 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार के नियंत्रण में लाई गई। अभी तक 27 राज्य/संघशासित प्रदेश केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त करने के लिये अपने खाते खुलवा चुके हैं और आज उन राज्यों को 47,436 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की गई।
- इस राशि का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम एवं प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण: विभिन्न आयाम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में IPCC ने 'जलवायु परिवर्तन (Climate Change), मरुस्थलीकरण (Desertification), भूमि अपक्षयण (Land Degradation), सतत् भूमि प्रबंधन (Sustainable Land Management), खाद्य सुरक्षा (Food Security) तथा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र (Terrestrial Ecosystems) में ग्रीनहाउस गैस का प्रवाह' पर एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भू-सतह पर वायु का तापमान बढ़कर लगभग दोगुना (1.3 डिग्री सेल्शियस) हो गया है।

पृष्ठभूमि

ग्लोबल वार्मिंग- 1.5°C पर IPCC की विशेष रिपोर्ट, 2018 में कहा गया है कि मानव गतिविधियों के कारण पूर्व-औद्योगिक समय से अभी तक वैश्विक औसत तापमान में लगभग 0.87°C की वृद्धि हुई है।

प्रभाव

- विश्व की भूमि प्रणालियों का मानव कल्याण, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- कृषि उपयोग हेतु भूमि के अधिकाधिक उपयोग से मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो रही है, यह फसल की पैदावार में कमी जैसे पहले से ही गंभीर खतरों को और बढ़ावा दे गा।

आवश्यक कदम

1. रिपोर्ट में प्रस्तावित कई सुधारात्मक उपायों जैसे कि कम जुताई, भूमि संरक्षण वाली फसलें लगाना, चराई प्रबंधन में सुधार तथा कृषि वानिकी का अधिक-से-अधिक उपयोग आदि उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।
2. वनों को बनाए रखना और बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वन प्राकृतिक रूप से निर्मित कार्बन सिंक होते हैं।

भारत के संदर्भ में चुनौतियाँ

1. भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment- EIA) का कमज़ोर होना चिंता का विषय है।
2. भारतीय कृषि क्षेत्र में देश के लगभग 86% से अधिक जल का उपयोग होता है। भारतीय धान की पैदावार में लगने वाला जल विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है।
3. ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development) की 2019 में प्रकाशित HIMAP रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्लेशियरों की कमी के चलते उत्पन्न होने वाली खाद्य सुरक्षा के संकट को दूर करने के लिये लघु और दीर्घावधि में जल का बेहतर प्रबंधन किये जाने की आवश्यकता है।
4. खाद्य क्षेत्र में उपभोग और अपशिष्ट प्रबंधन भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है।

आगे की राह

- औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिये विवेकपूर्ण रूप से योजना बनाई जा सकती है।
- वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिस्थापन के बिना औद्योगिकीकरण हेतु भूमि का मितव्ययी तरीके से उपयोग तथा उपयुक्त ज़ोनिंग द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के उपाय संभव हैं।

नोट :

- वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्टों से पता चला है कि प्रकृति के अत्यंत समीप रहने वाले आदिवासी लोगों से परामर्श करना, स्थानीय ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ एकीकृत करने का एक महत्त्वपूर्ण तरीका है।
- जल प्रबंधन की स्थिति भी संकटमय है। इस कार्य के लिये केंद्र सरकार ने "सिंचाई जल उत्पादकता" का लक्ष्य रखा है। कुछ अन्य समाधान इस प्रकार हैं-
  - ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सुसंगत सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना।
  - जल-गहन नकदी फसलों की पैदावार को कम करना।
  - धान की खेती में सिंचाई और उसे सुखाने (AWR) हेतु वैकल्पिक पद्धतियाँ अपनाना।
  - किसानों को जल के कुशल उपयोग हेतु तकनीकों और पद्धतियों के प्रति संवेदनशील बनाना।
  - जल-कुशल कृषि पद्धतियों का उपयोग करना।
  - कम वर्षा वाले क्षेत्रों में टैंकों और कृत्रिम तालाबों के निर्माण, जैसी पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धतियों को अपनाना।
  - IPCC रिपोर्ट में अधिक वनस्पति-आधारित आहार की ओर रुख को एक स्वस्थ स्थायी आहार विकल्प माना गया है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक विश्व की आबादी 9.7 बिलियन हो सकती है, इसलिये भूमि और पानी की प्रति यूनिट उपलब्धता के लिये खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में मौजूद अत्यधिक गरीब आबादी के कारण यह बदलाव भारत के लिये और भी महत्त्वपूर्ण है।

खाद्य प्रणाली में विविधता, संतुलित आहार एवं मांसाहारी आहार में कमी से सभी को स्वास्थ्य लाभ, अनुकूलन तथा शमन को सतत् विकास हेतु लाभदायक माना जाता है। अन्य लाभों के लिये फसल प्रबंधन के साथ पशुधन क्षेत्र का प्रबंधन भी आवश्यक है। मांस की खपत के प्रबंधन हेतु लोगों को शिक्षित करना महत्त्वपूर्ण हो सकता है। बाज़ार को मानव स्वास्थ्य लाभ के साथ संरेखित कर उसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। कार्बन-गहन विकास पथ से बचने के लिये तथा सतत् विकास को आगे बढाने हेतु भारत के कई अन्य विकल्प तथा सांस्कृतिक फायदे उपलब्ध हैं।

ईल की नई प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (Zoological Survey of India) के तहत आने वाले एश्चुअरी बायोलॉजी रीज़नल सेंटर (Estuarine Biology Regional Centre- EBRC) ने समुद्री ईल (EEL) की दो नई प्रजातियों का पता लगाया है।

प्रमुख बिंदु

- इनमें से एक प्रजाति छोटी भूरी पैटर्न रहित (Un-Patterned) वाला मोराय ईल (Moray EEL) है जिसे जिम्नोथोरैक्स अंडमानेसेसिस (Gymnothorax andamanensesis) वैज्ञानिक नाम दिया गया है। यह प्रजाति दक्षिण अंडमान तट पर पाई गई है।
- जिम्नोथोरैक्स अंडमानेसिस ईल के नमूनों को पोर्ट ब्लेयर स्थित ICAR- केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मत्स्य विज्ञान विभाग (Division of Fisheries Science, ICAR-Central Island Agricultural Research Institute, Port Blair) द्वारा एकत्र किया गया।
- वर्तमान में विश्व भर में छोटी भूरी बिना पैटर्न (un-patterned) वाली मोराय ईल की 10 ज्ञात प्रजातियाँ हैं जिनमें से 3 भारत में पाई गई हैं।
- इसी प्रकार एक नई श्वेत-चित्तीदार मोराय ईल (White-Spotted Moray EEl) की खोज की गई है। इसे 'जिम्नोथोरैक्स स्मिथी' (Gymnothorax Smithi) वैज्ञानिक नाम दिया गया है। यह ईल अरब सागर में पाई जाती है।

समुद्री ईल

- ईल नदियों और समुद्रों के तल में पाई जाती हैं।
- ये साँप की तरह दिखाई देने वाले जीव होते हैं। समुद्र में पाई जाने वाली ईल अक्सर काले एवं भूरे रंग की होती है।

नोट :

- समुद्री ईल अधिकांश उथले पानी में पाए जाती है लेकिन इनमें से कुछ अपतटीय रेतीले या कीचड़ युक्त तल में 500 मीटर की दूरी तक भी पाई जाती हैं।
- ये घोंघा एवं केकड़ों का शिकार करती हैं।

आगे की राह

- भारत की लंबी समुद्री तट रेखा है परंतु अधिकांश समुद्री जैव-विविधता अभी तक अनन्वेषित (Unexplored) है।
- ईल के संबंध में अन्वेषण को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा संवर्द्धित ज्ञान इसके संरक्षण और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (Zoological Survey of India-ZSI)

- भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI), पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है।
- समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अग्रणी तथा सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI) की स्थापना तत्कालीन 'ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य' में 1 जुलाई, 1916 को की गई थी।
- इसका उद्भव 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग की स्थापना के साथ ही हुआ था।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित हैं।

'ओकजोकुल' ग्लेशियर का अस्तित्व समाप्त

जलवायु परिवर्तन के कारण आइसलैंड के ग्लेशियर 'ओकजोकुल' ने अपनी पहचान खो दी है।

- यह दुनिया का संभवत: पहला स्मारक हो सकता है जो जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होने वाला ग्लेशियर बन गया है।
- हाल में आइसलैंड के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ओकजोकुल से ग्लेशियर का दर्जा वापस ले लिया गया।
- एक अनुमान के अनुसार, अगले 200 वर्षों में दुनिया के सभी ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे।

'ओकजोकुल' ग्लेशियर (Okjokull Glacier)

ओकजोकुल (Okjokull) जिसे ओके (OK) भी कहा जाता है (आइसलैंड में 'ग्लेशियर' को 'जोकुल' नाम से जाना जाता है) लांगजोकुल समूह (Langjokull Group) का हिस्सा था, जो आइसलैंड के ग्लेशियरों के आठ क्षेत्रीय समूहों में से एक है।

वतनजोकुल (Vatnajokull) समूह उनमें सबसे बड़ा है।

वतनजोकुल ग्लेशियर (Vatnajokull Glacier)

- आइसलैंड के वतनजोकुल राष्ट्रीय उद्यान (Vatnajokull National Park) को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यह यूरोप के सबसे बड़े आइस कैप अर्थात् वतनजोकुल ग्लेशियर में स्थित है।
- वतनजोकुल राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण आइसलैंड में स्थित है इसे वर्ष 2008 में जोकुलसार्गलजुफुर (Jokulsargljufur) और स्काफ्टाफेल राष्ट्रीय उद्यान (Skaftafell National Park) को एक साथ जोड़कर आधिकारिक रूप से बनाया गया था।
- यह यूरोप का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तथा लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
- यह पश्चिम मध्य आइसलैंड में ओके ज्वालामुखी (OK volcano) के ऊपर स्थित है।
- ग्लेशियोलॉजिस्ट (Glaciologists) द्वारा ने वर्ष 2014 में ओकजोकुल ग्लेशियर की स्थिति का दर्जा छीन लिया गया था।
  - ग्लेशियर/हिमानी/हिमनद (Glacier) पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फराशि को कहते हैं जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होती है।
  - यह हिमराशि सघन होती है और इसकी उत्पत्ति ऐसे इलाकों में होती है जहाँ हिमपात की मात्रा हिम के क्षय से अधिक होती है और प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिम अधिशेष के रूप में बच जाता है।

नोट :

- आइसलैंड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट (2017) के अनुसार, वर्ष 1890 में इस ग्लेशियर की माप लगभग 16 वर्ग किलोमीटर (6.2 वर्ग मील) थी जो अब सिर्फ 0.7 वर्ग किलोमीटर रह गई है।
- इस रिपोर्ट में कार्बन डाईऑक्साइड का स्तर '415 PPM' मापा गया था, जो वातावरण में मापा जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड स्तर बताता है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, यदि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मौजूदा दर से जारी रहती है तो दुनिया की लगभग आधी धरोहरें वर्ष 2100 तक अपने ग्लेशियर खो सकती हैं।

मछली की नई प्रजातियाँ New species of freshwater fish found

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Zoological Survey of India) के वैज्ञानिकों ने देश के उत्तर-पूर्वी और उत्तरी हिस्सों से ताजे पानी (Fresh Water) में पाई जाने वाली मछली की दो नई प्रजातियों की खोज की है।

- ये दो प्रजातियाँ हैं: ग्लाइपोथोरैक्स गोपी (Glyptothorax gopii) तथा गर्रा सिम्बलबैरेन्सिस (Garra simbalbaraensis)।
- ग्लाइपोथोरैक्स गोपी (Glyptothorax gopii) कैटफिश की एक नई प्रजाति मिज़ोरम की कलादान नदी में पाई गई, जबकि गर्रा सिम्बलबैरेन्सिस (Garra simbalbaraensis) हिमाचल प्रदेश की सिम्बलबारा नदी में पाई गई।
  - ग्लाइपोथोरैक्स गोपी की मानक लंबाई 63 मिमी. (दुम के बिना) है, इसकी पृष्ठीय सतह गहरे भूरे रंग की तथा उदर सतह पीले-हल्के भूरे रंग की होती है।
  - गर्रा सिम्बलबैरेन्सिस की मानक लंबाई 69 मिमी. (दुम के बिना 69 मिमी.) है, यह पीले-हल्के भूरे रंग की होती है।
- दोनों मछलियाँ जिनकी माप सात सेंटीमीटर से भी कम होती हैं, वे पहाड़ी जलधाराओं अथवा तेजी से जल प्रवाह के अनुरूप विशेष रूप से अभ्यस्त हैं।

वज़ाकुलम अनन्नास Vazhakulam Pineapple

केरल में वज़ाकुलम क्षेत्र में उत्पादित अनन्नास को वज़ाकुलम अनन्नास कहा जाता है, हाल ही में केरल में आई बाढ़ के कारण इसके उत्पादन में कमी का संकट उत्पन्न हो गया है।

- वज़ाकुलम अनन्नास (मॉरीशस ग्रेड) को वर्ष 2009 में कृषि-बागवानी उत्पाद श्रेणी में GI टैग प्रदान किया गया है।
- हालाँकि भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा अनन्नास उत्पादक देश है फिर भी वैश्विक बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी नगण्य है।
- केरल के अन्य प्रमुख GI टैग प्राप्त उत्पाद निम्नलिखित हैं:
  - वायनादन की धान की किस्में- जीराकसाला और गंधकसाला (Wayanadan rice varieties Jeerakasala and Gandhakasala)
  - पोक्कली चावल (Pokkali Rice)
  - तिरुर की सुपारी वाली वाइन (Tirur Betel Vine)
  - केले की प्रजाति- केंद्रीय त्रावणकोर की जग्गेरी तथा चेंगालिकोदन नेंद्रण (Central Travancore Jaggery and Chengalikodan Nendran

ओडिशा के झीलों का संरक्षण Odisha's Lake Conservation

ओडिशा वेटलैंड प्राधिकरण (Odisha Wetland Authority) ने देश की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून चिल्का (Chilika) तथा राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अंसुपा (Ansupa) के लिये एक एकीकृत प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी है।

- यह प्रबंधन योजना पाँच साल के लिये लाई जा रही है जिसका उद्देश्य दो जल निकायों पर निर्भर हज़ारों मछुआरों की आजीविका को मज़बूत प्रदान करना है।
- इसके तहत पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण में भी सहयोग प्राप्त होगा।

नोट :

चिल्का झील

- ओडिशा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है।
- यह एक अनूप झील है, अर्थात् यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा निक्षेपित गाद के जमाव के कारण समुद्र से छिटक कर एक छिछली झील के रूप में विकसित हो गई है।
- यह खारे पानी की एक लैगून है, जो भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम ज़िलों में विस्तारित है।
- यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है।
- यह वर्ष 1981 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की 'आर्द्रभूमि' के रूप में नामित पहली भारतीय आर्द्रभूमि है।

अंसुपा झील

- यह लगभग 2 वर्ग किमी. में फैली है।
- सर्दियों के मौसम में लगभग 32 प्रवासी प्रजातियाँ यहाँ आती हैं।
- इसकी शांति, सुंदरता और वन कवरेज आगंतुकों को आकर्षित करती हैं।
- झील के आसपास के दो गाँवों के लगभग 250 मछुआरों को यहाँ पर किये जाने वाले निवेश से लाभ होगा।
- अंसुपा अपनी मीठे पानी की मछली के लिये भी प्रसिद्ध है।

स्टार कछुआ और ऊदबिलाव

स्टार कछुआ (Star Tortoise), स्मूथ कोटेड ओटर अथवा ऊदबिलाव (Smooth-coated Otter) और छोटे पंजे वाले ऊदबिलाव (Small-clawed Otter) की सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के भारत के प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों हेतु कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) द्वारा मंज़ूरी दे दी गई है।

- इन प्रजातियों को अब CITES के परिशिष्ट I के तहत सूचीबद्ध किया गया है और सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्रदान किया गया है।
- इसके बाद इनकी संख्या को बढ़ाने के प्रयास के रूप में, इनके व्यापार पर पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- जिनेवा में आयोजित सम्मेलन ऑफ पार्टीज (COP18) में इस सुधार को मंज़ूरी दी गई।

स्टार कछुआ

- यह प्रजाति सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जब्ती के अधीन है।
- भारतीय स्टार कछुए भौगोलिक घटना के तीन व्यापक क्षेत्रों में पाए जाते हैं: उत्तर-पश्चिम भारत (गुजरात, राजस्थान) और आसपास के दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान, तमिलनाडु के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी कर्नाटक से ओडिशा तथा संपूर्ण श्रीलंका।
- 'विदेशों में पालतू जानवर' के रूप में उपयोग के लिये बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिये इन प्रजातियों का अवैध व्यापार किया जाता है।

ऊदबिलाव

- ऊदबिलाव एक अर्धजलीय स्तनधारी, मांसाहारी जानवर है। इसकी 13 ज्ञात जातियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के अलावा ऊदबिलाव शेष सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

कोसी-मेची लिंकिंग परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कोसी- मेची लिंकिंग परियोजना को केंद्र सरकार ने मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु:

- मध्य प्रदेश की केन-बेतवा रिवर लिंकेज परियोजना के बाद कोसी-मेची लिंकिंग परियोजना (Kosi-Mechi linking project-KMLP) देश की दूसरी रिवर लिंकेज परियोजना है।
- यह परियोजना 4,900 करोड़ रुपए की लागत के साथ लगभग पाँच वर्षों में पूरी होने की संभावना है।
- इस परियोजना के माध्यम से सीमांचल क्षेत्र के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार ज़िलों में सिंचाई की भी व्यवस्था की जाएगी।
- 72 किमी. नहर के माध्यम से पश्चिम में कोसी को पश्चिम में किशनगंज में मेची बेसिन के साथ जोड़ा जाएगा, साथ ही इस नहर को पूर्व में महानंदा बेसिन के साथ भी जोड़ा जाएगा।
- इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जैसे वैधानिक निकायों से मंज़ूरी मिल गई है।
- अगर यह राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो लागत का 90% भाग केंद्र और 10% भाग राज्य वहन करेंगे।
- राज्य सरकार स्वयं के संसाधनों के साथ वैकल्पिक रूप से एशियाई विकास बैंक से उधार के माध्यम से भी लागत की व्यवस्था करेगी।
- वर्तमान में बिहार की कोसी बेसिन विकास परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद बिहार में आने वाली बाढ़ को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।

जल संकट का सामना कर रहे देशों में भारत 13वें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute-WRI) द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत 13वें स्थान पर है। WRI द्वारा तैयार इस सूची में देशों की रैंकिंग एक्वेडक्ट टूल के आधार पर की गई है। WRI द्वारा प्रयुक्त एक्वेडक्ट टूल में देशों की रैंकिंग के लिये जल संकट के 13 संकेतकों का प्रयोग किया गया।

एक्वेडक्ट वाटर रिस्क एटलस (Aqueduct Water Risk Atlas)

- एक्वेडक्ट ग्लोबल वाटर रिस्क मैपिंग टूल कंपनियों, निवेशकों, सरकारों और अन्य उपयोगकर्त्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि विश्व में कहाँ और कैसे जल संकट का विस्तार हो रहा है।
- एक्वेडक्ट टूल उपयोगकर्त्ताओं को जल संकट को समझने तथा इसके प्रबंधन हेतु स्मार्ट तरीके अपनाने का अवसर प्रदान करता है।

वैश्विक निष्कर्ष

- आधारभूत जल संकट (Baseline Water Stress- BWS): विश्व की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग चरम स्तर के आधारभूत जल संकट का सामना कर रहा है।
  - इसका तात्पर्य यह है कि सिंचित कृषि, उद्योगों और नगरपालिकाओं द्वारा हर साल औसतन अपनी उपलब्ध आपूर्ति का 80% उपयोग कर लिया जाता है।
  - BWS स्तर, जिसका विकास WRI के एक्वेडक्ट वाटर रिस्क एटलस के एक भाग के रूप में किया गया है, उपयोग किये गये कुल जल (सिंचित कृषि, उद्योग और नगरपालिकाएँ) और नवीकरणीय सतही जल आपूर्ति के मध्य अनुपात को दर्शाता है।

नोट :

- जल की मांग में वृद्धि: वर्ष 1960 से लेकर अभी तक जल आपूर्ति की मांग बढ़ने से जल की निकासी दोगुनी हो गई है।
- जल संकट से ग्रसित देश: जल संकट से ग्रसित 17 में से 12 देश मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के हैं एवं इसका कारण इन देशों की भौगोलिक स्थिति (ऊष्ण तथा शुष्क) के कारण मांग और आपूर्ति में असंतुलन है।
  - विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु से संबंधित जल की कमी से इन क्षेत्रों में अधिक आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएँ हैं।
- जल संकट से ग्रसित समुदाय: यहाँ तक कि कम जल तनाव वाले देशों जैसे- दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी केप के समुदाय और न्यू मक्सिको भी उच्च स्तर के जल संकट से ग्रसित हो सकते हैं।
- जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित 17 देश इस प्रकार है-क़तर, इजराइल, लेबनान, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, इरीट्रिया, संयुक्त अरब अमीरात, सैन मरीनो, बहरीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, बोत्सवाना।

भारत के संदर्भ में

उत्तरी भारत जिसे पहली बार जल संकट की गणना में शामिल किया गया है, भू-जल संकट से अत्यधिक ग्रसित है।

- चंडीगढ़ सूची में प्रथम स्थान पर है तथा इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और जम्मू-कश्मीर का स्थान आता है।
- भारत में जल संकट की चुनौती केवल चेन्नई (जो गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है) ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों/राज्यों में भी व्याप्त है।
- भारत एक्वेडक्ट की सूची में जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित 17 देशों में से 13वें स्थान पर है।

परिणाम

- खाद्य असुरक्षा: कृषि क्षेत्र में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है तथा जल खाद्य सुरक्षा की कुंजी है।
- जल संघर्ष और प्रवासन: जल की कमी से आजीविका का संकट उत्पन्न होगा जो प्रवासन को बढ़ावा देगा।
- आर्थिक अस्थिरता: विश्व बैंक के अनुसार, जल की कमी के चलते कई देशों की GDP प्रभावित होगी और आर्थिक समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।

सुझाव

- दक्ष सिंचाई (Efficient Irrigation): आधारभूत जल संकट (उदाहरण के लिये भूजल का अत्यधिक दोहन या उपयोग) की समस्या के समाधान हेतु देशों को अधिक दक्ष सिंचाई पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है।
- जल संरक्षण (Water Conservation): भू जल स्तर को बढ़ने तथा भू जल संकट को दूर करने हेतु नहरों, तालाबों, बाढ़ के मैदानों आदि के द्वारा जल संग्रहण को बढ़ावा देना चाहिये।
- जल संबंधित डाटा: भारत वर्षा जल, सतही जल और भू-जल स्तर से संबंधित विश्वसनीय और मज़बूत डाटा द्वारा जल संकट की समस्या का समाधान कर सकता है।

पश्चिमी घाट

चर्चा में क्यों ?

नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़ (National Centre for Earth Science Studies- NCESS) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारी वर्षा और विनाशकारी बाढ़ की निरीक्षण के बाद बताया कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के संधारणीय प्रयास में शिथिलता भविष्य के लिये अत्यंत विनाशकारी हो सकती है।

पश्चिमी घाट:

- पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला है।
- पश्चिमी घाट,भारत के सबसे ज़्यादा वर्षण क्षेत्रों में से एक है साथ ही यह भारतीय प्रायद्वीप की जलवायु को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी करता है।

नोट :

- प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। इसलिए दक्षिण भारत का संपूर्ण अपवाह तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है।
- पश्चिमी घाट से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदियों का उद्गम होता है जो संपूर्ण दक्षिण भारत की सिंचाई की जीवनरेखा हैं। इन नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के साथ ही विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है।
- पश्चिमी घाट भारतीय जैव विविधता के सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट में से एक है, साथ ही यह कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों को भी समावेशित करता है।
- पश्चिमी घाट में चाय, कहवा, रबर और यूकेलिप्टिस जैसी वाणिज्यिक कृषि की जाती जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

पश्चिमी घाट से संबंधित मुद्दे:

- **भूस्खलन (Landslide):**
  - इन क्षेत्रों में भू-संचालन, भूमि उप-विभाजन, पार्श्व प्रसार (दरार) और मिट्टी की कटाई से भूस्खलन का लगातार खतरा बना रहता है। इस प्रकार की स्थितियाँ केरल के त्रिशूर और कन्नूर ज़िलों में विशेष रूप से पाई जाती हैं।
  - अत्यधिक वर्षा, अवैज्ञानिक कृषि और निर्माण गतिविधियाँ भी भूस्खलन हेतु जिम्मेदार है।
  - पश्चिमी घाट के अधिकांश ढलानों का उपयोग फसलों को उगाने हेतु किया जाता है जिससे कृषि के दौरान प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। जो भूस्खलन की प्रायिकता को बढ़ाते हैं।

निगरानी नेटवर्क (Monitoring network):

- केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने NCESS की सिफारिशों के आधार पर उच्च क्षेत्रों में भूस्खलन मॉनीटरिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।
- ध्वनिक उत्सर्जन तकनीक (Acoustic Emission Technology) के प्रयोग के माध्यम से स्थानीय समुदाय को भूस्खलन की प्रारंभिक चेतावनी दी जाती है।

जैव विविधता (Biodiversity):

- इस क्षेत्र की प्रमुख पारिस्थितिकीय समस्याओं में जनसंख्या और उद्योगों का दबाव शामिल है।
- पश्चिमी घाट में होने वाली पर्यटन गतिविधियों से भी इस क्षेत्र पर और यहाँ की वनस्पति पर दबाव बढ़ा है।
- नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत वन भूमि का डूबना और वन भूमि पर अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है।
- पश्चिमी घाट की जैव विविधता के ह्रास का बड़ा कारण खनन है।
- चाय, कॉफी, रबड़, यूकेलिप्टस की एक फसलीय कृषि व्यवस्था इस क्षेत्र की जैव विविधता को प्रभावित कर रही है।
- रेल और सड़क जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ भी इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर दबाव डालती हैं।
- भू-क्षरण और भू-स्खलन जैसे प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से भी पश्चिमी घाट की जैव विविधता प्रभावित हुई है।
- तापीय ऊर्जा संयंत्रों के प्रदूषण के कारण भी जैव विविधता प्रभावित हो रही है।

बाढ़ (Flood):

- पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियाँ खड़े ढलानों से उतरकर तीव्र गति से बहती हैं। जिसके कारण वे पुराने बांधों को आसानी से तोड़ देती हैं साथ ही वनों की कटाई के बाद कमज़ोर हुई ज़मीन को आसानी से काट भी देती हैं।
- पुराने बांधों की समय पर मरम्मत न होना सदैव बाढ़ को आमंत्रित करता है।
- पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर बनाई गई गाडगिल समिति ने भी बांधों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी।

पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति (Gadgil and Kasturirangan Committee) की अनुशंसाएँ:

- पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया था।

नोट :

- गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाट के लिये तीन पर्यावरण संवेदनशील ज़ोन (Ecologically Sensitive Zones- ESZ) का विचार रखा गया था। जिसमें ESZ-1 के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों का निषेध किया गया था।
- इसके विपरीत कस्तूरीरंगन समिति ने ESZ का श्रेणीगत विभाजन न करते हुए कुल पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र को ESZ घोषित किया।
- गाडगिल समिति ने जहाँ सभी प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों का विरोध किया वहीं कस्तूरीरंगन समिति ने हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्टों की अनुमति दी।
- दोनों समितियों द्वारा बड़े स्तर पर बांधों के निर्माण की मनाही की गई।
- इसी प्रकार दोनों समितियों द्वारा संरक्षण हेतु नीतियों के क्रियान्वयन की शुरुआत के लिये बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण की अनुशंसा की गई थी।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थिकी प्राधिकरण (Western Ghats Ecology Authority-WGEA) की स्थापना की सिफारिश की गई थी।

गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति की आलोचना:

- इन सिफारिशों को पर्यावरण हितैषी तो माना गया लेकिन इसमें किसानों, स्थानीय समुदायों को विशेष वरीयता नही दी गई।
- पश्चिमी घाट को पर्यावरण संवेदनशील ज़ोन घोषित करने संबंधी प्रावधान भी व्यावहारिकता से दूर ही प्रतीत हुए।
- ऊर्जा सुरक्षा, विकास, राजस्व जैसे मुद्दों को भी दरकिनार कर दिया गया था।

आगे की राह:

- पर्यावरण संवेदनशील ज़ोन (Ecologically Sensitive Zones- ESZ) की व्यवस्था को लागू करने से पहले पश्चिमी घाट का विस्तृत अध्ययन कराया जाना चाहिये। विस्तृत अध्ययन के बाद संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके उन क्षेत्रों को ESZ घोषित किया जाए।
- बहुफसलीय व्यवस्था पर ज़ोर दिया जाए साथ ही किसानों के बीच इसके प्रभाव और फायदों संबंधी जागरूकता का भी प्रसार किया जाए।
- भू-संचलन गतिविधियों का अध्ययन करके संवेदनशील क्षेत्रों में बांधों का निर्माण न होने दिया जाए।
- कृषि और वनों के अतिरिक्त आजीविका हेतु जैसे मत्स्यन, समुद्री कृषि जैसे विकल्पों को अपनाने के प्रयास किये जाएँ।
- तापीय ऊर्जा के अतिरिक्त सागरीय, पवन और जलीय ऊर्जा के निर्माण एवं प्रयोग पर ज़ोर दिया जाएँ।
- पर्यावरण संवेदनशील ज़ोन में जनसंख्या के प्रसार पर रोक लगाई जाए साथ ही शहरी नियोजन में नवीन वैज्ञानिक और प्रासंगिक विधियों का प्रयोग किया जाए।

जनसंख्या विस्फोट और प्रजनन दर

चर्चा में क्यों ?

73वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 'जनसंख्या विस्फोट' पर प्रकाश डाला और इस चिंता से निपटने के लिये 'सामाजिक जागरूकता' की आवश्यकता को रेखांकित किया। हालाँकि रुझानों से संकेत मिलता है कि देश में प्रजनन दर की रोकथाम के संदर्भ में लगातार सुधार आया है।

कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate)

- प्रजनन दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु (जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है) वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्में बच्चों की संख्या। लेकिन अन्य दरों (जन्म तथा मृत्यु दर) की तरह यह दर भी अशोधित दर ही होती है यानी कि यह संपूर्ण जनसंख्या के लिये मोटे तौर पर एक स्थूल औसत दर होती है और इसमें विभिन्न आयु वर्गों में पाए जाने वाले अंतर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता।
- विभिन्न आयु वर्गों के बीच पाया जाने वाला अंतर कभी-कभी संकेतकों के अर्थ को प्रभावित करने में बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिये जनसांख्यिकीविद् भी आयु विशेष की दर का हिसाब लगाते हैं।
- इस बात को कहने का एक दूसरा तरीका यह है कि सकल प्रजनन दर 'स्त्रियों के एक विशेष वर्ग द्वारा उनकी प्रजनन आयु की अवधि में पैदा किये गए बच्चों की औसत संख्या के बराबर होती है (प्रजनन आयु की अवधि का अनुमान एक निश्चित अवधि में पाई गई आयु विशेष की दरों के आधार पर लगाया जाता है)।

नोट :

नमूना पंजीकरण प्रणाली (The Sample Registration System-SRS)

- SRS एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित है और इसकी शुरुआत गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वर्ष 1964-65 में जन्म और मृत्यु के आँकड़ों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी।
- तब से SRS नियमित रूप से आँकड़े उपलब्ध करा रहा है।
- SRS के तहत एक अंशकालिक गणक (गणना करने के लिये नियुक्त व्यक्ति) द्वारा गाँवों/शहरों के जन्म और मृत्यु दर की निरंतर गणना की जाती है और एक पूर्णकालिक गणक द्वारा अर्द्धवार्षिक पूर्वव्यापी सर्वेक्षण किया जाता है।
- इन दोनों स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का मिलान किया जाता है। बेमेल और आंशिक रूप से सुमेलित आँकड़ों को फिर से सत्यापित किया जाता है ताकि सही एवं स्पष्ट गणना की जा सके और वैध आँकड़े प्राप्त हो सकें।
- हर दस साल कि अवधि में नवीनतम जनगणना के परिणामों के आधार पर SRS नमूना में संशोधन किया जाता है।

उच्च TFR वाले राज्य

सात राज्यों ने राष्ट्रीय औसत 2.2 से अधिक दर्ज किया है- उत्तर प्रदेश (3.0), बिहार (3.2), मध्य प्रदेश (2.7), राजस्थान (2.6), असम (2.3), छत्तीसगढ़ (2.4) और झारखंड (2.5) जो कि 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या का लगभग 45% है।

- गुजरात और हरियाणा में 2.2 का TFR दर्ज किया गया है, जो प्रतिस्थापन दर (Replacement Rate) से अधिक है, लेकिन राष्ट्रीय औसत (National Average) के बराबर है।

निम्न TFR वाले राज्य

- केरल (1.7), तमिलनाडु (1.6), कर्नाटक (1.7), महाराष्ट्र (1.7), आंध्र प्रदेश (1.6) और तेलंगाना (1.7) की प्रदर्शन प्रजनन दर और TFR के लिये जनसंख्या प्रतिस्थापन की आवश्यक दर से कम रही है।
- पश्चिम बंगाल (1.6), जम्मू-कश्मीर (1.6) और ओडिशा (1.9) में भी वर्ष 2017 में कम TFR होने का अनुमान लगाया गया था।

TFR में रुझान का कारण

- वर्ष 2017 की नवीनतम रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि वर्ष 1971 और वर्ष 1981 के बीच TFR 5.2 से घटकर 4.5 तथा वर्ष 1991 से वर्ष 2017 के बीच 3.6 से घटकर 2.2 हो गया है।
- ग्रामीण-शहरी विभाजन के साथ-साथ महिलाओं की साक्षरता के स्तर के प्रति रुझान में भी भिन्नता होती है।
- SRS से पता चलता है कि जहाँ एक ओर 'निरक्षर' महिला औसतन 2.9 बच्चों को जन्म देती है वहीं एक 'साक्षर' महिला कम (2.1) बच्चों को जन्म देती है।
- एक स्नातक या उससे अधिक शिक्षित महिला के लिये TFR 1.4 बच्चे हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम TFR पाया गया है।
- प्रजनन दर में यह गिरावट जनगणना में दर्ज कुल जनसंख्या वृद्धि में भी परिलक्षित होती है।
- वर्ष 2001 की जनगणना और वर्ष 2011 की जनगणना के बीच के अंतराल की अवधि (Intervening Period) में निर्णायक जनसंख्या वृद्धि में वर्ष 1971 की जनगणना के बाद गिरावट देखी गई है।

शेल गैस की खोज तथा जल की समस्या

चर्चा में क्यों ?

मई 2019 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पश्चिम बंगाल में शेल गैस (Shale Gas) भंडार की खोज के लिये एक निजी संस्था को पहली पर्यावरण मंज़ूरी प्रदान की। यह वर्ष 2018 में गुजरात और आंध्र प्रदेश को दी गई मंज़ूरी के अतिरिक्त है।

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं में शामिल 36 कुओं (पश्चिम बंगाल में 20, गुजरात में 11 और आंध्र प्रदेश में 5) में से प्रत्येक कुएँ से शेल गैस प्राप्त करने के लिये लगभग 3.5-6 मिलियन लीटर ताज़े पानी की आवश्यकता है।

नोट :

- पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment- EIA) की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि यह पर्यावरण मंज़ूरी केवल शेल गैस भंडार की प्रारंभिक खोज के लिये मांगी गई है। बहरहाल, इस संदर्भ में यह अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि शेल गैस के व्यावसायिक उत्पादन के लिये प्रत्येक कुएँ में फ्रैकिंग (fracking) गतिविधि हेतु 9 मिलियन लीटर तक पानी की आवश्यकता होगी।
- अभी तक छह राज्यों से 56 स्थलों की पहचान फ्रैकिंग के लिये की गई है। विश्व संसाधन संस्थान (World Resource Institution) के अनुसार ये सभी शेल गैस के कुएँ जल तनाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें ताज़े पानी की सीमित आपूर्ति होती है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो हम पाएंगे की शेल गैस का उत्पादन करने वाले कई देश फ्रैकिंग से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में जल संकट का सामना कर रहे हैं। बुल्गारिया, फ्राँस, जर्मनी, आयरलैंड और नीदरलैंड्स जैसे देशों ने फ्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे देश (अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्रिटेन और चीन) जो शेल गैस निष्कर्षण का अनुसरण कर रहे हैं, उन्होंने विशिष्ट जल विनियमों को लागू कर दिया है।
- EIA रिपोर्ट काफी हद तक अपर्याप्त लगती है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से फ्रैकिंग से संबंधित पानी के मुद्दों को संबोधित नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में MoEFCC द्वारा भी एक विशिष्ट EIA मैनुअल प्रस्तुत करना अभी बाकी है।

शेल गैस क्या है ?

- शेल गैस एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है जो शेल में उपलब्ध जैविक तत्त्वों से उत्पादित होती है।
- शेल गैस को उत्पादित करने के लिये कृत्रिम उत्प्रेरण (Atrificial Stimulation) जैसे 'हाइड्रॉलिक फ्रैक्चारिंग' (Hydraulic Fracturing) की आवश्यकता होती है।

शेल गैस के निष्कर्षण की विधि और चुनौती

- शेल गैस निकालने के लिये शेल चट्टानों तक क्षैतिज खनन (Horizontal Drilling) द्वारा पहुँचा जाता है अथवाहाइड्रोलिक विघटन (Hydraulic fracturing) से उनको तोड़ा जाता है क्योंकि कुछ शेल चट्टानों (Shale Rocks) में छेद कम होते हैं और उनमें डाले गए द्रव सरलता से बाहर नहीं आ पाते।
- अत: ऐसी स्थिति में उनके भण्डार (Reservoir) कुएँ जैसे न होकर चारों ओर फैले हुए होते हैं। इन चट्टानों से गैस निकालने के लिये क्षैतिज खनन (Horizontal Drilling) का सहारा लिया जाता है।
- हाइड्रोलिक विघटन के लिये संबंधित चट्टानों के भीतर छेद करके लाखों टन पानी, चट्टानों के छोटे-छोटे टुकड़े (Proppant) और रसायन (Chemical Additives) डाला जाता है।
- उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में क्षैतिज ड्रिलिंग (Horizontal Drilling) और हाइड्रॉलिक फ्रैक्चारिंग की तकनीकों ने शेल गैस के बड़े भंडारों तक पहुँच को संभव बनाया है।
- हालाँकि, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (DGH) ने शेल गैस निष्कर्षण के दौरान पर्यावरण प्रबंधन पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- इसमें कहा गया है कि फ्रैक्चर तरल पदार्थ की कुल मात्रा परंपरागत हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के 5 से 10 गुना है और फ्रैक्चरिंग गतिविधियों में पानी के स्रोतों को कम करने और फ्लोबैक पानी के निपटारे के कारण प्रदूषण का कारण बन सकता है।
- हालाँकि, पर्यावरण आकलन प्रभाव की प्रक्रिया परंपरागत और गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर नहीं करती है और DGH इस मुद्दे को स्वीकार करता है कि इस क्षेत्र में पारंपरिक एवं अपरंपरागत गैस अन्वेषण के बीच EIA की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आया है।

आगे की राह

प्राकृतिक-गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने की खोज में सरकार ने शेल गैस के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न नीतियाँ लागू की हैं। हालाँकि फ्रैकिंग को दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरी शेल गैस परियोजना से संबंधित है, लेकिन इसे EIA रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक प्रतिमान नहीं बनाना चाहिये। इसके इतर इसके विषय में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और विशिष्ट जल प्रबंधन मुद्दों के आधार पर जोखिम और लाभ का एक अनुमानित मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

नोट :

महासागरीय ऊर्जा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा महासागरीय ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) घोषित करने के एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। अब महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे- ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा आदि से उत्पादित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा माना जाएगा और ये गैर-सौर नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं (RPO) को पूरा करने के लिये पात्र होंगे।

प्रमुख बिंदु

- महासागर धरती की सतह का 70 प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं और ज्वार ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा आदि रूप ऊर्जा की एक विशाल राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे समुद्र और महासागरों की ऊर्जा क्षमता हमारी वर्तमान ऊर्जा आवश्यकताओं से कहीं अधिक है।
- वर्तमान में दुनिया भर में विभिन्न तकनीकों का विकास किया जा रहा है ताकि इस ऊर्जा को उसके सभी रूपों में विकसित किया जा सके। वर्तमान में यह सीमित है, लेकिन इस क्षेत्र में विकास से आर्थिक विकास, ईंधन की वृद्धि, कार्बन फुटप्रिंट (Carbon footprint) में कमी और रोज़गार में वृद्धि जैसे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
- वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के भारत सरकार के लक्ष्य में महासागरीय ऊर्जा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

महासागरीय ऊर्जा की क्षमता

- समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र (Ocean Thermal Energy Conversion Plant या OTEC विद्युत संयंत्र) में ऊर्जा प्राप्त करने के लिये किया जाता है। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 KM तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो।
- पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है।
- महासागरों की ऊर्जा की क्षमता (ज्वारीय-ऊर्जा, तरंग-ऊर्जा तथा महासागरीय-तापीय ऊर्जा) अति विशाल है, परंतु इसके दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में कठिनाइयाँ हैं।
- भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिससे लगभग 12455 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा, लगभग 40,000 मेगावाट तरंग ऊर्जा तथा लगभग 1,80,000 मेगावाट थर्मल ऊर्जा प्राप्त होने का अनुमान है।

ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy)

- घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force) के कारण प्रत्येक 12 घंटे में एक ज्वारीय चक्र संपन्न होता है। इस परिघटना को ज्वार-भाटा कहते हैं।
- ज्वार-भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बाँध का निर्माण करके किया जाता है।
- बाँध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है।
- पारंपरिक जल विद्युत के समान, ज्वार के पानी को उच्च ज्वार के दौरान एक बैराज में कैद किया जा सकता है तथा कम ज्वार के दौरान हाइड्रो-टरबाइन (Hydro Turbine) के माध्यम से दबाव दिया जाता है। हालाँकि ज्वारीय ऊर्जा वाले बिजली संयंत्रों की पूंजी लागत बहुत अधिक होती है। ज्वारीय ऊर्जा क्षमता से पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के लिये उच्च ज्वार की ऊँचाई निम्न ज्वार से कम-से-कम पाँच मीटर (16 फीट) अधिक होनी चाहिये। पश्चिमी तट पर कैम्बे की खाड़ी और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में यह क्षमता विद्यमान है।

नोट :

तरंग ऊर्जा (Wave Energy)

- समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिये ट्रेप किया जा सकता है। महासागरों के पृष्ठ पर आर-पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगें उत्पन्न करती है।
- तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यावहारिक उपयोग हो सकता है जहाँ तरंगें अत्यंत प्रबल हों। तरंग ऊर्जा को ट्रेप करने के लिये विविध युक्तियाँ विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिये इनका उपयोग किया जा सकें।
- तरंग ऊर्जा एक उपकरण की गति से उत्पन्न होती है जो या तो समुद्र की सतह पर बहती है या समुद्र तल तक जाती है। तरंग ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने की कई विभिन्न तकनीकों का अध्ययन किया गया है।
- तरंग रूपांतरण उपकरण जो सतह पर तैरते हैं, जोड़ों में एक साथ टिका होता है जो लहरों के साथ झुकता है। यह गतिज ऊर्जा टरबाइनों के माध्यम से द्रव को पंप करती है और विद्युत शक्ति बनाती है।

करेंट ऊर्जा (Current Energy)

- समुद्र के पानी का एक दिशा में बहना समुद्री धारा है। इस सागर की धारा को गल्फ स्ट्रीम (Guif Steam) के नाम से जाना जाता है। ज्वार दो दिशाओं में बहने वाली धाराएँ भी बनाते हैं। गतिज ऊर्जा को खाड़ी स्ट्रीम और जलमग्न टर्बाइनों के साथ अन्य ज्वारीय धाराओं से कैप्चर किया जा सकता है जो लघु पवन टर्बाइनों के समान हैं। पवन टरबाइनों के समान, समुद्री विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिये समुद्री प्रवाह की चाल रोटर ब्लेडों को स्थानांतरित करती है।

महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (Ocean Thermal Energy Conversion -OTEC)

- इस तकनीक के अंतर्गत समुद्र की सतह के गर्म जल की ऊष्मा का उपयोग कर विद्युत् उत्पादन किया जाता है। जब गर्म जल का प्रवाह OTEC गैस चेंबर में होता है तब गैस द्वारा समुद्री जल की ऊष्मा का अवशोषण किये जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे गतिज ऊर्जा के कारण टर्बाइन के चलने पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है।
- भारत में विषुवत रेखा के समीप वर्ष भर जल की सतह का तापमान अधिक होने के कारण समुद्री ऊर्जा का उपयोग किया जा सकेगा।

आपदा राहत में बिग डेटा का प्रयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एशिया-प्रशांत सामाजिक एजेंसी (UN's Asia-Pacific Social Agency-UNESCAP) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी नवाचार जैसे बिग डेटा (Big data) के प्रयोग से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपदाओं का बेहतर पूर्वानुमान लगाने और इनके प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

प्रमुख बिंदु

- बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र में बाढ़, चक्रवात और सूखे की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि की है।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आने वाली आपदाओं का इसकी GDP के कुल प्रतिशत के रूप में आकलन करने पर यह हानि विश्व के अन्य भागों की तुलना में कहीं अधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, बिग डेटा के उपयोग से जोखिम में फंसे लोगों की पहचान करने व उनका पता लगाने, आपदा से पूर्व लोगों को चेतावनी जारी करने और आपदा के तुरंत बाद राहत कार्य करने, आदि में सहायता मिलेगी।
- इस डेटा को कई स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें सैटेलाइट इमेज, ड्रोन वीडियो, सिमुलेशन (Simulations), क्राउडसोर्सिंग (Crowdsourcing), सोशल मीडिया (Social Media) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning Systems-GPS), आदि शामिल हैं।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में बिग डाटा का अनुप्रयोग:

- बिग डेटा-संचालित सेंसर नेटवर्क निम्नलिखित तरीकों से आपदा को कम करने में मदद कर सकता है:
  - बाढ़ और चक्रवात का पूर्वानुमान अब कंप्यूटर सिमुलेशन से करने के साथ ही मशीन लर्निंग (Machine Learning) से बाढ़ की स्थिति और गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है।'

नोट :

- उपग्रहों और ड्रोन के माध्यम से रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing) का प्रयोग कर आपदा क्षति एवं प्रभावित लोगों का त्वरित आकलन करना ताकि आपदा प्रतिक्रिया को प्राथमिकता दी जा सके।
- सेंसर वेब और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things) का कुशल संयोजन भूकंप से पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करने में सहायता कर सकता हैं।
- भारत के डिजिटल ID सिस्टम (आधार) जैसे सार्वजनिक डेटा सूखे व आपदा से प्रभावित छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित सहायता देने में मदद कर सकते हैं।

बिग डेटा (Big Data)

- बिग डेटा बड़े और विशेष प्रकार के डेटा का समूह होते हैं जिन्हें पारंपरिक डेटा भंडारण एवं प्रसंस्करण विधियों द्वारा संग्रहीत तथा विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।
- बिग डाटा, ऑनलाइन डेटाओं का एक संग्रहण है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझने के लिये किया जाता है। ये अपने उत्पादों एवं सेवाओं द्वारा उपयोगकर्त्ताओं के विषय में डाटा एकत्र करते हैं।
- बिग डेटा को इसकी परिमाण (Volume), गति (Velocity), विविधता (Variety) के आधार पर सामान्य डेटा से अलग किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र एशिया-प्रशांत सामाजिक एजेंसी (UN's Asia-Pacific Social Agency-UNESCAP)

- UNESCAP, संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में कार्य करता है जो समावेशी और सतत् विकास (Inclusive and Sustainable Development) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- 53 देश इसके सदस्य है जबकि 9 इसके सहयोगी देश है।
- इसका रणनीतिक उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों SDG के लिये एजेंडा 2030 का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है।

प्रकृति और शहरीकरण

चर्चा में क्यों ?

बीते साल एक रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India-CAG) ने वर्ष 2015 की चेन्नई बाढ़ को "मानव निर्मित आपदा" की संज्ञा दी थी।

प्रमुख बिंदु:

- पानी की अधिकता के बाद अब चेन्नई एक अन्य संकट से जूझ रहा है - पानी की कमी का संकट। बीते कुछ वर्षों में चेन्नई के 30 से अधिक जल स्रोत गायब हो गए हैं।
- पक्की सड़कों और सतहों (Floors) के अत्यधिक निर्माण ने वर्षा के जल को पृथ्वी की सतह तक आने से काफी हद तक रोक दिया है जिससे कारण भूजल स्तर में कमी हुई है।
- गौरतलब है कि चेन्नई की बाढ़ और वर्तमान जल संकट इस बात का संकेत हैं कि किस प्रकार झीलों एवं नदियों के अतिक्रमण ने भारत के छठे सबसे बड़े शहर को पर्यावरण असंवेदनशीलता की स्थिति में पहुँचा दिया है।

शहरीकरण और उसके प्रभाव

- प्राकृतिक संसाधनों की लागत पर शहरीकरण के विकास के उदाहरण भारत या वैश्विक स्तर पर नए नहीं हैं। बंगलूरू, हैदराबाद और यहाँ तक कि मैक्सिको जैसे शहर इस बात के प्रमुख उदाहरण हैं।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया था कि पाँच साल से भी कम समय में बंगलूरू की लगभग 15 झीलों की पारिस्थितिक विशेषताएँ नष्ट हो गई हैं।
- बंगलूरू में अतिक्रमित झीलों के क्षेत्र को बस स्टैंड, स्टेडियम और यहाँ तक कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दफ्तर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

नोट :

तेलंगाना ने किया है जल क्षेत्र में सराहनीय कार्य

- तेलंगाना के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, वहाँ काकतीय राजवंश द्वारा निर्मित तालाब और झीलें बीते कुछ वर्षों में गायब हो गई।
- उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2015 में 'मिशन काकतीय' नाम से एक आंदोलन शुरू किया जिसका मुख्य उद्देश्य काकतीय राजवंश द्वारा निर्मित तालाब और झीलों की बहाली करना है।
- वर्तमान में तेलंगाना हाइड्रोलिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है। यह मॉडल पानी के छह स्रोतों को एकीकृत करता है ताकि शहर के सबसे अविकसित क्षेत्रों की भी जल संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित हो सकें और चेन्नई जैसी स्थिति से बचने के लिये भूजल को बहाल किया जा सके।

मेक्सिको और बंगलूरू में भी हुआ है काम

- मेक्सिको ने अपने डूबते हुए शहर को बचाने के प्रयास में 'रेसिलियेंस ऑफिसर' (Resilience Officer) नाम से एक अधिकारी की नियुक्ति की है।
  - रेसिलियेंस ऑफिसर, मेक्सिको में एक उच्च स्तरीय अधिकारी है जो सीधे शहर के मेयर को रिपोर्ट करता है।
  - इस अधिकारी का कार्य यह विचार करना है कि शहर की कोई नीति या योजना शहर की आपदा से लड़ने की क्षमताओं को किस प्रकार कम कर सकती है साथ ही वह यह सुझाव भी देगा कि इस स्थिति से किस प्रकार निपटा जाए।
- इसके अलावा बंगलूरू एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) मॉडल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी फंड (Corporate Social Responsibility Funds) के माध्यम से कुंडलाहल्ली झील के पुनरुद्धार का प्रयास कर रहा है।

2050: कैसे होंगे हालात ?

- एक अनुमान के मुताबिक, आने वाले 30 वर्षों में भारत की 50 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करेगी।
- इस हिसाब से यदि हम अपने देश का बेहतर भविष्य चाहते हैं तो हम कैसे देश के 50 प्रतिशत लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं?
- यदि हम अभी नहीं जागे तो हमें प्रकृति के खतरनाक परिणामों को भुगतने के लिये तैयार रहना होगा और मानवता के विनाश हेतु हमें किसी परमाणु बम की आवश्यकता भी नहीं होगी।

आगे की राह:

- शहरीकरण किसी भी समाज के विकास हेतु काफी महत्त्वपूर्ण है और यदि इसे सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसके काफी परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं।
- शहरीकरण के दौरान बड़े स्तर पर वृक्षों की कटाई की जाती हैं, इस संदर्भ में एक नीति तैयार की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये की जितनी आवश्यकता है उतने ही वृक्ष काटे जाएं। साथ ही उतनी ही मात्रा में वृक्षारोपण का भी प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि प्रकृति में संतुलन भी बना रहे और विकास को भी सुनिश्चित किया जा सकें।
- उद्योगों को नगरीय क्षेत्रों से दूर इस प्रकार स्थापित करना चाहिये कि उनका प्रभाव शहरों पर न पड़े।

तापीय ऊर्जा संयंत्र और जल संसाधन

चर्चा में क्यों ?

तापीय ऊर्जा संयंत्र, विद्युत उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पानी की महत्त्वपूर्ण मात्रा का उपभोग करते हैं। भारत के अधिकांश तापीय ऊर्जा संयंत्र पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं इसलिये यह लगातार चिंता का विषय बना हुआ हैं।

जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति:

- मानसून की धीमी प्रगति के साथ ही उद्योगों और कृषि में जल के अत्यधिक उपभोग के कारण भारत में जल संकट की स्थिति बन गई है।
- सर्वविदित है कि भारत के पास विश्व के जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा उपलब्ध है जिसको कुल जनसंख्या का लगभग 18% उपभोग करता है।
- भारत को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये देश की स्थापित विद्युत क्षमता को दोगुना करना होगा।

नोट :

- नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि के बावजूद भी कोयला वर्ष 2030 तक विद्युत उत्पादन हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम है।
- पानी की कमी से जूझ रहे देश में विद्युत ज़रूरतों को प्रबंधित करना एक चुनौती है।

तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जल संरक्षण के प्रयास:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2015 में तापीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा पानी उपयोग की एक सीमा निर्धारित की गई थी। हालाँकि जून 2018 में संशोधित पर्यावरण संरक्षण नियमों में इस सीमा को समाप्त कर दिया गया था।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority-CEA) ने हाल ही में तापीय ऊर्जा संयंत्रों हेतु वार्षिक जल खपत के मानक के लिये प्रारूप जारी किया है।
- प्रारूप में ऊर्जा संयंत्रों के मीटर्ड और अन-मीटर्ड दोनों प्रकार के उपयोग को निर्दिष्ट करने के लिये कहा गया है साथ ही जल मानदंडों के विचलन, इसके कारणों और सुधारात्मक उपायों का भी उल्लेख करने को कहा गया है।

जल संरक्षण के प्रयासों में कमी:

- अब तक तापीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा पिछले वर्षों में प्रयुक्त पानी की मात्रा की समीक्षा नहीं की गई है। सर्वप्रथम जल उपयोग की मात्रा का अध्ययन करके इसके उपयोग की एक सीमा तय की जानी चाहिए।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority-CEA) की वेबसाइट पर पारदर्शिता को बढ़ावा नही दिया गया, पारदर्शिता को बढ़ाकर जनसहभागिता के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority-CEA) के डेटा को लोगों के लिये सुलभ नहीं बनाया गया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority- CEA):

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) तथा बाद में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत प्रतिस्थापित किया गया था।
- इसकी स्थापना वर्ष 1951 में एक अंशकालिक निकाय के रूप में की गई थी जिसको बाद में वर्ष 1975 में एक पूर्णकालिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया था।
- यह विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

आगे की राह:

- तापीय ऊर्जा संयंत्रों में होने वाले जल संसाधनों की खपत को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से कम किया जाना चाहिये।
- नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग बढ़ने से भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारत को जल संसाधनों के सीमित उपयोग के साथ अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को संतुलित करना चाहिये।

इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के साथ ही तापीय ऊर्जा संयंत्रों में पानी के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु मानकों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहायक सचिवालय कार्यालय सहित आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (International Coalition for Disaster Resilient Infrastructure-CDRI) की स्थापना को कार्योत्तर मंज़ूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त, 2019 को मंज़ूरी दी थी।

प्रमुख बिंदु

- 23 सितंबर, 2019 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (UN Climate Action Summit) के दौरान CDRI की शुरुआत किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इसके परिणामस्वरूप होने वाली आपदाओं से निपटने की दिशा में प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिये बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ लाएगा तथा CDRI के लिये आवश्यक उच्च स्तर पर ध्यान देने योग्य बनाएगा।

नोट :

अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित पहलों को मंज़ूरी दी गई:

1. नई दिल्ली में सहायक सचिवालय कार्यालय सहित आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (CDRI) की स्थापना।
2. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (Societies Registration Act), 1860 के अंतर्गत संस्था के रूप में CDRI के सचिवालय की नई दिल्ली में स्थापना 'CDRI संस्था' अथवा इससे मिलते-जुलते नाम से उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।
   - संस्था का ज्ञापन और 'CDRI संस्था' के उपनियमों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority-NDMA) द्वारा यथासमय तैयार किया जाएगा और इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।
3. CDRI को तकनीकी सहायता और अनुसंधान परियोजनाओं का निरंतर आधार पर वित्त पोषण करने, सचिवालय कार्यालय की स्थापना करने तथा बार-बार होने वाले खर्चों के लिये वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये आवश्यक राशि हेतु भारत सरकार की ओर से 480 करोड़ रुपए (लगभग 70 मिलियन डॉलर) की सहायता को सैद्धांतिक मंज़ूरी देना।
4. चार्टर दस्तावेज़ का समर्थित स्वरूप CDRI के लिये संस्थापक दस्तावेज़ का कार्य करेगा। NDMA द्वारा विदेश मंत्रालय के परामर्श से संभावित सदस्य देशों से जानकारी लेने के बाद इस चार्टर को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रमुख प्रभाव:

- CDRI एक ऐसे मंच के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा, जहाँ आपदा और जलवायु के अनुकूल अवसंरचना के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और उसका आदान-प्रदान किया जाएगा।
- यह विविध हितधारकों की तकनीकी विशेषज्ञता को एक स्थान पर एकत्र करेगा। इसी क्रम में यह एक ऐसी व्यवस्था का सृजन करेगा, जो देशों को उनके जोखिमों के संदर्भ तथा आर्थिक ज़रूरतों के अनुसार अवसंरचनात्मक विकास करने के लिये उनकी क्षमताओं और कार्यपद्धतियों को उन्नत बनाने में सहायता करेगी।
- इस पहल से समाज के सभी वर्ग लाभांवित होंगे।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, महिलाएँ और बच्चे आपदाओं के प्रभाव की दृष्टि से समाज का सबसे असुरक्षित वर्ग होते हैं तथा ऐसे में आपदा के अनुकूल अवसंरचना तैयार करने के संबंध में ज्ञान और कार्यपद्धतियों में सुधार होने से उन्हें लाभ पहुँचेगा। भारत में पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र भूकंप के खतरे, तटवर्ती क्षेत्र चक्रवाती तूफानों एवं सुनामी के खतरे तथा मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र सूखे के खतरे वाले क्षेत्र हैं।

नवाचार:

- विभिन्न प्रकार की आपदा के जोखिम तथा विकास के संदर्भों वाले विभिन्न देशों में आपदा के जोखिम में कमी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनेक तरह की पहल तथा अवसंरचना विकास से संबंधित अनेक तरह की पहल मौजूद है।
- आपदा के अनुकूल अवसंरचना के लिये वैश्विक संगठन उन चिंताओं को दूर करेगा, जो विकासशील और विकसित देशों, छोटी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, अवसंरचना विकास की आरंभिक एवं उन्नत अवस्था वाले देशों तथा मध्यम या उच्च आपदा जोखिम वाले देशों में समान रूप से विद्यमान हैं।
- अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेंदाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework), सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals-SDGs) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (Climate Change Adaptation) के मिलन-बिंदु पर ठोस पहल से संबंधित कुछ कार्य हैं।
- आपदा के अनुकूल अवसंरचना पर फोकस करने से एक ही समय पर सेंदाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत हानि में कमी लाने से संबंधित लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाएगा, अनेक SDGs पर ध्यान दिया जा सकेगा तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन में भी योगदान मिलेगा। इसलिये आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के लिये स्पष्ट अवसर है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक जोखिम के खतरे से संबंधित सूचना का प्रकाशन होने से लोगों को अपने क्षेत्रों के जोखिम के बारे में समझने का अवसर मिलेगा तथा वे स्थानीय और राज्य सरकारों से जोखिम में कमी लाने तथा उससे निपटने के उपायों की मांग कर सकेंगे।

नोट :

सामाजिक मुद्दे

अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन के तहत अटल समुदाय नवाचार केन्द्र (Atal Community Innovation Centre- ACIC) कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के कम विकसित क्षेत्रों में सामुदायिक नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
- ACIC कार्यक्रम विभिन्न समुदायों में उपलब्ध ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी पारितंत्र के बीच एक सेतु का कार्य करेगा, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए नवाचार के प्रयोग पर पर भी जोर दिया जाएगा।
- एक अनुमान के अनुसार भारत अगले 15 वर्षों में जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा, भारत कच्चे तेल के आयात के लिये प्रतिवर्ष 6 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहा है।
- अटल समुदाय नवाचार केंद्र की नवाचार प्रक्रियाओं के माध्यम से जीवाश्म ईंधन के उपयोग तथा इस पर खर्च होने वाले धन में कमी लाई जाएगी।
- वेस्ट टू वेल्थ (Waste to Wealth) विज्ञन के माध्यम से भी गैर-जीवाश्म और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से घरेलू क्षेत्र की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।
- ACIC कार्यक्रम को पंचायती राज के सभी संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि ज़मीनी स्तर की रचनात्मकता से उत्पादों/सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। इसके क्रियान्वयन के लिए CSR फंड्स का भी उपयोग किया जाएगा।
- नई पहल से आकांक्षी जिलों, स्तर-2 और स्तर-3 शहरों, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों समेत पूरे देश के प्रतिभाशाली युवाओं व अनुसंधानकर्त्ताओं को नऐ अवसर प्राप्त होगें, साथ ही यह कार्यक्रम देश के 484 अल्प विकसित जिलों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेगा।

यह कार्यक्रम देश को नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। इससे भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्थिति और बेहतर होगी।

अटल नवाचार मिशन:

- अटल नवाचार मिशन (AIM) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल है।
- AIM का उद्देश्य देश में नवाचार परितंत्र पर नज़र रखना और नवाचार परितंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिये एकछत्र या बृहद संरचना को सृजित करना है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिये समूचे नवाचार चक्र पर विशिष्ट छाप छोड़ी जा सके।
- अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज़ (ATL) अन्वेषकों और अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों का सृजन करने के साथ-साथ पहले से ही स्थापित इन्क्यूबेशन केंद्रों को आवश्यक सहायता मुहैया कराती है, ताकि नवाचारों को बाज़ार में उपलब्ध कराना और इन नवाचारों से जुड़े उद्यमों की स्थापना करना सुनिश्चित हो सके।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिये एक विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया।

नोट :

ट्रांसजेंडर Transgender

- ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति है, जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह जीवन बिताता है।
- जब किसी व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता है तब महिला यह महसूस करने लगती है कि वह पुरुष है और पुरुष यह महसूस करने लगता है कि वह महिला है।

प्रमुख बिंदु

- इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तीकरण के लिये एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है ।
- इस विधेयक से हाशिये पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा।
- इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य बन जाएंगे।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोज़गारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 एक प्रगतिशील विधेयक है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करना।
- ऐसे व्यक्ति को उस रूप में मान्यता देने के लिये अधिकार प्रदत्त करने और स्वत: अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करना।
- पहचान-पत्र जारी करना।
- यह उपबंध करना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी स्थापन में नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों के विषय में विभेद का सामना न करना पड़े।
- प्रत्येक स्थापन में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
- विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना।

भारत में ट्रांसजेंडर्स के समक्ष आने वाली परेशानियाँ

- ट्रांसजेंडर समुदाय की विभिन्न सामाजिक समस्याएँ जैसे- बहिष्कार, बेरोज़गारी, शैक्षिक तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी, शादी व बच्चा गोद लेने की समस्या,आदि।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मताधिकार वर्ष 1994 में ही मिल गया था, परंतु इन्हें मतदाता पहचान-पत्र जारी करने का कार्य पुरुष और महिला के प्रश्न पर उलझ गया।
- इन्हें संपत्ति का अधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे कुछ कानूनी अधिकार भी नहीं दिये जाते हैं।
- इन्हें समाज द्वारा अक्सर परित्यक्त कर दिया जाता है, जिससे ये मानव तस्करी का आसानी से शिकार बन जाते हैं।
- अस्पतालों और थानों में भी इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है।

सामाजिक तौर पर बहिष्कृत

- भारत में किन्नरों को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण इन्हें न तो पुरुषों की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही महिलाओं की, जो लैंगिक आधार पर विभाजन की पुरातन व्यवस्था का अंग है।

नोट :

- इसका नतीजा यह होता है कि ये शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं और बेरोज़गार ही रहते हैं। ये सामान्य लोगों के लिये उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ तक नहीं उठा पाते हैं।
- इसके अलावा ये अनेक सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं।

सरोगेसी विधेयक: संभावनाएँ और चुनौतियाँ

संदर्भ

हाल ही में लोकसभा में पारित हुए सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 के विषय में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस विधेयक में व्यावसायिक सेरोगेसी (commercial surrogacy) पर प्रतिबंध लगाने, राष्ट्रीय सेरोगेसी बोर्ड व राज्य सेरोगेसी बोर्ड के गठन तथा सरोगेसी की गतिविधियों और प्रक्रिया के विनियमन के लिये उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सेरोगेसी से संबंधित विभिन्न पक्षों पर गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यता है ताकि इस संवेदनशील मुद्दे के दुरुपयोग को प्रबंधित किया जा सकें।

सरोगेसी क्या है ?

- सरोगेसी एक महिला और एक दंपति के बीच का एक समझौता है, जो अपनी स्वयं की संतान चाहता है।
- सामान्य शब्दों में सरोगेसी का अर्थ है कि शिशु के जन्म तक एक महिला की 'किराए की कोख'। प्राय: सरोगेसी की मदद तब ली जाती है जब किसी दंपति को बच्चे को जन्म देने में कठिनाई आ रही हो।
- बार-बार गर्भपात हो रहा हो या फिर बार-बार आईवीएफ तकनीक असफल हो रही हो। जो महिला किसी और दंपति के बच्चे को अपनी कोख से जन्म देने को तैयार हो जाती है उसे 'सरोगेट मदर' कहा जाता है।
- भारत में सरोगेसी का खर्चा अन्य देशों से कई गुना कम है और साथ ही भारत में ऐसी बहुत सी महिलाएँ उपलब्ध हैं जो सरोगेट मदर बनने को आसानी से तैयार हो जाती हैं।
- गर्भवती होने से लेकर डिलीवरी तक महिलाओं की अच्छी तरह से देखभाल तो होती ही है, साथ ही उन्हें अच्छी-खासी धनराशि भी दी जाती है।
- सरोगेसी की सुविधा कुछ विशेष एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन एजेंसियों को आर्ट क्लीनिक कहा जाता है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के दिशा-निर्देशों पर अमल करती हैं।

क्यों पड़ी विनियमन की ज़रूरत ?

- भारत विभिन्न देशों की दंपतियों के लिये सरोगेसी केंद्र के तौर पर उभरा है और यहाँ अनैतिक गतिविधियों, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों को त्यागने और मानव भ्रूणों एवं युग्मकों की खरीद-बिक्री में बिचौलिये के रैकेट से संबंधित घटनाओं की सूचनाएँ मिली हैं।
- पिछले कुछ वर्षों से भारत में चल रही वाणिज्यिक सरोगेसी की व्यापक निंदा करते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभियान चलाया जा रहा है जिसमें वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक लगाने और नैतिक परोपकारी सरोगेसी को अनुमति दिये जाने की ज़रूरतों को उजागर किया गया है।
- भारत के विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट में भी उपयुक्त कानून बनाकर वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक लगाने और ज़रूरतमंद भारतीय नागरिकों के लिये नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति की सिफारिश की गई है।

इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

- यह कानून सरोगेसी का प्रभावी विनियमन, वाणिज्यिक सरोगेसी की रोकथाम और ज़रूरतमंद दंपतियों के लिये नैतिक सरोगेसी की अनुमति सुनिश्चित करेगा।
- नैतिक लाभ उठाने की चाह रखने वाले सभी भारतीय विवाहित बांझ दंपतियों को इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरोगेट माता और सरोगेसी से उत्पन्न बच्चों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे।
- यह कानून देश में सरोगेसी सेवाओं को विनियमित करेगा। हालाँकि मानव भ्रूण और युग्मकों की खरीद-बिक्री सहित वाणिज्यिक सरोगेसी पर निषेध होगा, लेकिन कुछ खास उद्देश्यों के लिये निश्चित शर्तों के साथ ज़रूरतमंद बांझ दंपतियों के लिये नैतिक सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी।
- इस प्रकार यह सरोगेसी में अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करेगा, सरोगेसी के वाणिज्यिकरण पर रोक लगेगी और सरोगेट माताओं एवं सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के संभावित शोषण पर रोक लगेगी।

नोट :

कानून की जरुरत

1. सरोगेसी का मुद्दा जैव नैतिकता से जुडा हुआ है।
2. बच्चे को गोद लेने और मानव अंगों के प्रत्यारोपण के क्षेत्र में अतीत में जो विनियम बनाए गए, उनके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक लेन-देन को नियंत्रित किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए सेरोगेसी विधेयक को प्रस्तुत किया गया है।
3. विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत विभिन्न देशों के दंपतियों के लिये सरोगेसी के केंद्र के रूप में उभरा है। इसके चलते विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों से आने वाली वंचित महिलाओं की दशा अत्यंत दयनीय हो गई विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत विभिन्न देशों के दंपतियों के लिये सरोगेसी के केंद्र के रूप में उभरा है। इस कानून से सरोगेसी में अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही सरोगेसी के कॉमर्शियल होने पर रोक लगेगी। इसके अलावा, सरोगेट मदर्स एवं सरोगेसी से जन्मी संतान के संभावित शोषण पर भी रोक लगेगी।
4. भारत में सरोगेसी के तेज़ी से बढ़ने का मुख्य कारण इसका सस्ता और सामाजिक रूप से मान्य होना है। इसके अलावा, गोद लेने की जटिल प्रक्रिया के चलते भी सरोगेसी एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरी है। आज देशभर में गली-नुक्कड़ तक में कृत्रिम गर्भाधान, IVF और सरोगेसी की सुविधा मुहैया कराने वाले क्लीनिक मौजूद हैं।

चुनौतियाँ

- **परिभाषाओं में अस्पष्टता**
  1. सरोगेट्स के लिये निकट संबंधी की कसौटी को स्पष्ट नहीं किया गया है।
  2. सरोगेसी तक पहुँच से विभिन्न समूहों को बाहर कर दिया गया है: केवल एक निश्चित उम्र के शादीशुदा जोड़े ही इसके योग्य होंगे।
  3. ART क्लिनिकों को प्रबंधित करने से पहले सरोगेसी को विनियमित करने की मांग भी उचित प्रतीत नहीं होती है।
- देश में सहायक प्रजनन तकनीक (Assisted Reproductive Technology-ART) उद्योग में लगभग 25 अरब रुपए का सालाना कारोबार होता है, जिसे विधि आयोग ने 'स्वर्ण कलश' की संज्ञा दी है। यदि ART क्लिनिकों के विनियम हेतु कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं बनाई गई तो व्यापारिक सरोगेसी को रोकने के सरकार के प्रयास विफल हो जाएंगे।

फिलहाल भारत में सरोगेसी को नियंत्रित करने के लिये कोई कानून नहीं है और कॉमर्शियल सरोगेसी को तर्कसंगत माना जाता है। किसी कानून के न होने की वजह से ही Indian Council for Medical Research (ICMR) ने भारत में ART क्लीनिकों के प्रमाणन, निरीक्षण और नियंत्रण के लिये 2005 में दिशा-निर्देश जारी किये थे। लेकिन इनके उल्लंघन और बड़े पैमाने पर सरोगेट मदर्स के शोषण और जबरन वसूली के मामलों के कारण इसके लिये कानून की ज़रूरत महसूस की गई।

प्रजनन दर पर राज्य संस्कृति का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी प्रजनन दर से संबंधित आँकड़ों में सामने आया है कि उच्च शिक्षा के साथ कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) का संबंध काफी जटिल होता है और कई बार राज्य की संस्कृति प्रजनन दर को ज़्यादा प्रभावित करती है।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक सामान्य धारणा है कि महिलाओं का शैक्षिक स्तर जितना अधिक होता है प्रजनन दर उतनी ही कम होती है।
- अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार, किसी भी राज्य की संस्कृति का असर TFR पर भी देखने को मिलता है। उदाहरणस्वरूप तमिलनाडु की कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के बीच कुल प्रजनन दर उत्तर प्रदेश की पढ़ी-लिखी महिलाओं के बीच प्रजनन दर से कम है।

  कुल प्रजनन दर का आशय अपने जीवनकाल में एक महिला से पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या से होता है।

क्या TFR पर राज्य की संस्कृति का शिक्षा से अधिक प्रभाव है ?

- विशेषज्ञों के अनुसार, यह पैटर्न उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों में ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालाँकि प्रजनन दर पर वर्ष 2017 के आँकड़ों में यह पाया गया है कि कम प्रजनन दर वाले राज्यों में भी यह पैटर्न काफी प्रबल है।

नोट :

- उदाहरण के लिये बिहार, जो कि एक अधिक प्रजनन दर वाला राज्य है, में उन महिलाओं का TFR 4.4 था जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी जबकि इसके विपरीत अनपढ़ महिलाओं में यह संख्या मात्र 3.7 ही पाई गई। इसी प्रकार ओडिशा, जो कि कम प्रजनन दर वाला राज्य है, में अनपढ़ महिलाओं का TFR 2 था जबकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त महिलाओं में यह दर 3.6-3.5 के आस-पास थी।
- यदि अखिल भारतीय स्तर की बात करें तो उन महिलाओं का TFR 3.1 था जिन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि अनपढ़ महिलाओं का TFR 2.9 था। इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं में यह दर थोड़ी कम अर्थात् 2.4 ही पाई गई।
- इस संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रभाव मात्र इसलिये दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश में निरक्षरों की संख्या में गिरावट आ रही है और उनका सैंपल आकार काफी छोटा हो गया है। इस आधार पर वे लोग इस पैटर्न या प्रभाव को प्रवृत्ति मानने से इनकार करते हैं।

स्तनपान पर स्वास्थ्य मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय(Union Health Ministry) द्वारा जारी एक रिपोर्ट-कार्ड के अनुसार, स्तनपान के मामले में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब की स्थिति काफी निराशाजनक है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रालय के अनुसार, इन राज्यों में जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने, छह महीने तक के लिये विशेष स्तनपान और छह से नौ महीने तक के पूरक स्तनपान कराने की दर अत्यंत कम है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य स्तनपान की दर के मामले में सबसे निचले स्थान पर है। राज्य के मेरठ, बिजनौर, शाहजहाँपुर, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, इटावा और महामाया नगर ऐसे ज़िले हैं जहाँ बच्चे के जन्म के बाद पहले एक घंटे के दौरान स्तनपान कराने की दर बहुत कम हैं।
- इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, मिज़ोरम, सिक्किम, ओडिशा और मणिपुर राज्य स्तनपान दर के मामले में शीर्ष पर हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (world Health Organization-WHO) के अनुसार, यदि स्तनपान में लगभग सार्वभौमिक स्तर पर वृद्धि होती है, तो हर साल लगभग 8,20,000 बच्चों की जान बचाई जा सकती है। इसमें बड़ी संख्या 6 महीने से कम आयु के बच्चे शामिल हैं।

1 से 7 अगस्त, 2019 तक विश्व स्तनपान सप्ताह (World Breastfeeding Week) का आयोजन किया गया। इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम 'माता-पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना (Empower Parents. Enable Breastfeeding) थी।

क्यों आवश्यक है स्तनपान ?

- यह माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
- यह प्रारंभिक अवस्था में दस्त और तीव्र श्वसन संक्रमण जैसे रोगों को रोकता है और इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है।
- यह माँ में स्तन कैंसर, अंडाशय के कैंसर, टाइप 2 मधुमेह (Diabities) और हृदय रोग होने के खतरे को कम करता है।
- यह नवजात को मोटापे से संबंधित रोगों, मधुमेह/डायबिटीज़ से बचाता है और IQ बढ़ाता है।

निष्कर्ष: अपर्याप्त स्तनपान मानव की स्वास्थ्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अत: सभी माताओं को घर, घर के बाहर और कार्यस्थलों पर स्तनपान कराने के लिये अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है।

भारत में विदेशी कैदी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय जेलों में बंद विदेशी कैदियों को संबंधित देशों के दूतावास के साथ संचार के लिये त्वरित माध्यम स्थापित करने का आदेश दिया है।

- हालिया आँकड़ों के अनुसार, दिल्ली की जेलों में बंद 75 प्रतिशत विदेशी कैदियों (Foreign Nationals Prisoners-FNPs) को गिरफ्तारी के बाद अपने दूतावास से संपर्क स्थापित करने के लिये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

नोट :

विदेशी कैदी (Foreign National Prisoners-FNPs):

- विदेशी कैदी (FNPs) का अभिप्राय उन कैदियों से है जिनके पास उस देश का पासपोर्ट नहीं होता जिसमें वे कैद हैं।
- भारतीय जेल संबंधी आँकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 6,185 FNPs हैं।
- हालाँकि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (Commonwealth Human Rights Initiative-CHRI) द्वारा 'स्ट्रेंजर्स टू जस्टिस' (Strangers to Justice) शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 22 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में कुल FNPs की संख्या तकरीबन 3,908 के आस-पास है।
- यद्यपि भारत की जेलों में बंद विदेशी कैदी भारतीय संविधान में निहित न्यूनतम गारंटी के हक़दार हैं, परंतु फिर भी उनको कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज़ों और धर्म में अंतर के कारण वे अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं।
  - 90 प्रतिशत FNPs ने यह माना है कि उन्हें विदेशी होने के कारण जमानत हासिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि अगर वे जमानत पर बाहर निकलते हैं तो उनका पता लगाने में मुश्किलें आ सकती हैं।
  - भारत में सिर्फ 5.7 प्रतिशत विदेशी कैदियों (3,908 में से 222) को ही कांसुलर एक्सेस (Consular Access) की सुविधा मिल पाती है।
- भारतीय कानून प्रणाली खासकर जमानत के विषय में भारतीय कैदियों और विदेशी कैदियों के बीच कोई अंतर नहीं करती है।

सुझाव:

- यदि FNPs को जमानत नहीं दी जाती है तो यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि उनके मामले की जल्द-से-जल्द सुनवाई हो।
- जैसे ही किसी विदेशी नागरिक को किसी बड़े अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से विदेश मंत्रालय को इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिये।
- विदेश मंत्रालय वियना कन्वेंशन के तहत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु ऐसे विदेशी कैदियों के साथ बातचीत करने के लिये उनके वाणिज्य दूतावासों से अनुरोध कर सकता है।

57.3% एलोपैथिक चिकित्सक अयोग्य

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आँकड़ों में कहा गया है कि वर्तमान में 57.3% एलोपैथिक चिकित्सकों (Allopathic Practitioners) के पास पर्याप्त योग्यता नहीं है।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने चिकित्सक और जनसंख्या का 1:1000 के अनुपात को मानक निर्धारित किया है। लेकिन वर्तमान में भारत का चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:1456 है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक घनत्व भी शहरों के 3.8 की अपेक्षा गाँवों में केवल 1 है।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों के वितरण में कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनसंख्या अच्छी गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल से वंचित है।
- भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अनुसार राज्य चिकित्सा रजिस्टर (State Medical Register) पर नामांकित चिकित्सक के अतिरिक्त राज्य में अन्य किसी अयोग्य व्यक्ति को चिकित्सा कार्यों हेतु प्रतिबंधित किया गया है।
- स्वास्थ्य, राज्य सूची का विषय है इसलिये ऐसे मामलों से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।
- सरकारी रिकार्ड के अनुसार 31 दिसंबर, 2018 तक कुल 11,46,044 एलोपैथिक चिकित्सक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (Medical Council of India) के साथ पंजीकृत थे।

नोट :

- भारत में 7.63 लाख आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सक हैं, जिनमें से लगभग 80% चिकित्सक चिकित्सा हेतु उपलब्ध हैं जिनकी संख्या लगभग 6.1 लाख है।
- एलोपैथिक चिकित्सकों को आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सकों के साथ सम्मिलित करने पर नया चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1: 884 का हो जाएगा।
- थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और चीन आदि देशों तथा न्यूयॉर्क जैसे शहरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की है।
- भारत में भी छत्तीसगढ़ और असम राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (Harvard School of Public Health) द्वारा कराए गए स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है।

प्राथमिक देखभाल के लिये दक्ष चिकित्सकों के प्रशिक्षण में निवेश किया जाना चाहिये लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य को सुगम बनाने के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की क्षमता को भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिये।

खसरे पर WHO की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में खसरे का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है।

वर्तमान परिदृश्य:

- वर्ष 2006 के बाद वर्ष 2019 की पहली छमाही में खसरे के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किये गए हैं। वर्ष 2016 के बाद से ही खसरे के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।
- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर और यूक्रेन में इस वर्ष खसरे के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किये गए हैं। हालाँकि मेडागास्कर के स्वास्थ्य मंत्रालय के बेहतर और प्रभावी टीकाकरण कार्यक्रम से वहाँ खसरे के मामले पिछले वर्षों की तुलना में कम दर्ज किये गए हैं।
- अंगोला, कैमरून, चाड, कज़ाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, सूडान और थाईलैंड में भी खसरे का प्रकोप देखा जा रहा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 25 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक खसरे के मामले दर्ज किये गए हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप में इस वर्ष के पहले छह महीनों में खसरे के 90,000 मामले दर्ज किये गए जो वर्ष 2018 के पूरे वर्ष के 84,462 दर्ज मामलों से ज़्यादा हैं।

खसरा (Measles)

- श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोर्बिलीवायरस (Morbillivirus) के जीन्स पैरामिक्सोवायरस (Paramicovirus) के संक्रमण से होता है।
- इसके लक्षणों में बुखार, खाँसी, नाक का बहना, लाल आँखें और सामान्यीकृत मेकुलोपापुलर एरीथेमाटस चकते शामिल हैं।
- शुरुआती दौर में मस्तिष्क की कोशिकाओं (Brain Cell) में सूजन आ जाती है और कुछ समय बाद (विशेष रूप से समस्या के गंभीर होने पर) व्यक्ति का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है।
- विश्व भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बावजूद भी लोग खसरे के कारण गंभीर बीमारी और विकलांगता से ग्रसित हैं।

खसरे के प्रसार का कारण:

- सामान्यत: यह कम खसरा टीकाकरण कवरेज वाले देशों में ही फैलता है लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह उच्च राष्ट्रीय टीकाकरण दर वाले देशों में भी फैल रहा है।
- खसरा समुदायों, भौगोलिक क्षेत्रों और आयु-समूहों के बीच टीका कवरेज की असमानताओं के परिणामस्वरूप फैलता है।
- लोग पर्याप्त प्रतिरक्षा के बगैर खसरे के संपर्क में आते हैं, तो उनमें भी खसरा बहुत तेज़ी से फैल जाता है।
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा या टीकाकरण सेवाओं तक पहुँच, संघर्ष और विस्थापन, टीकों के बारे में गलत जानकारी या टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में कम जागरूकता, इत्यादि कारकों से भी खसरा का प्रसार बढ़ रहा है।

नोट :

- WHO और यूनिसेफ के आँकड़ों के अनुसार, जुलाई 2019 में 86% बच्चों को खसरे के टीके की पहली खुराक और केवल 69% बच्चों को ही दूसरी खुराक मिल पाई। इस प्रकार की लापरवाहियों की वजह से भी खसरे का अधिक प्रसार हो रहा है। WHO के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि खसरे के जड़ से उन्मूलन हेतु दोनों ही टीके आवश्यक हैं।
- WHO के दिशा-निर्देशों के बाद भी अभी तक 23 देशों ने खसरे के टीके की दूसरी खुराक हेतु कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं शुरू किया हैं।

खसरे के प्रसार को रोकने के प्रयास:

वैश्विक स्तर पर

- WHO और यूनिसेफ, रेडक्रास सोसायटी के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चला रहे हैं।
- गावी एलायंस (Global Alliance for Vaccines and Immunisation- GAVI Alliance) के सहयोग से भी टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

गावी एलायंस (Global Alliance for Vaccines and Immunisation- GAVI Alliance)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी संस्थाओं को एक साथ लाकर टीकाकरण के प्रसार को बढ़ाना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य रोगों से प्रभावित गरीब उन देशों की सहायता करना है जहाँ वित्त की कमी की वजह से टीकाकरण की गतिविधियाँ संपन्न नहीं हो पा रही हैं।
- इसके सचिवालय जिनेवा और वाशिंगटन में स्थित हैं।
- WHO देशों में खसरे के प्रसार को रोकने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने और आवश्यक टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है।
- WHO ने यात्रियों को यात्रा से कम-से-कम 15 दिन पहले खसरे का टीका लगाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

भारत के स्तर पर:

- भारत में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme -UIP) के तहत खसरे का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- भारत में मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से भी खसरा उन्मूलन के प्रयास किये जा रहे हैं।

सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme -UIP):

- भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। यह विश्व में सबसे अधिक लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी।
- इस कार्यक्रम के तहत गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन का उपयोग करना, अधिक-से-अधिक लाभार्थियों की पहुँच सुनिश्चित करना, टीकाकरण स्तरों का आयोजन करना और भौगोलिक प्रसार एवं क्षेत्रीय विविधता को कवर करने जैसे पक्षों को शामिल किया गया है।

मिशन इंद्रधनुष:

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 2014 में मिशन इन्द्रधनुष की शुरुआत की गई थी।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2017 में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में तेज़ी लाने और निम्न टीकाकरण कवरेज वाले शहरी क्षेत्रों एवं अन्य इलाकों पर अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान देने हेतु 'तीव्र मिशन इंद्रधनुष' लॉन्च किया था।
- तीव्र मिशन इंद्रधनुष के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिन पर मिशन इंद्रधनुष के तहत ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सका था।

नोट :

डॉक्टरों के लिये अनिवार्य ग्रामीण सेवा

चर्चा में क्यों ?

उच्चतम न्यायालय (SC) ने केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद को सुझाव दिया है कि सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा (कुछ समय तक) को अनिवार्य किया जाए।

पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि कई राज्यों ने सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने की अनिवार्य शर्त (बांड के रूप में) लागू की थी। राज्य सरकारों के इन नियमों को एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स (Association of Medical Super Speciality Aspirants and Residents) और अन्य ने चुनौती दी थी।
- डॉक्टरों ने यह शिकायत की थी कि ऐसी शर्तें उनके मानवाधिकारों का हनन करती हैं और साथ ही यह बंधुआ मज़दूरी (Forced Labour) जैसा प्रतीत होता है जो कि संवैधानिक अधिकारों (Constitutional Rights) का भी उल्लंघन है।
- डॉक्टरों का यह भी तर्क था कि ये शर्तें उनके करियर में बाधा भी उत्पन्न करती हैं।

उच्चतम न्यायालय का रुख

- उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि देशभर के डॉक्टर जो परा-स्नातक और सुपर स्पेशियलिटी (Super-speciality) मेडिकल कोर्स में दाखिला लेंगे वह उनके द्वारा निष्पादित अनिवार्य बॉण्ड (प्रवेश के समय स्वीकृत) से बंधे होंगे।
- उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि परा-स्नातक और सुपर- स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के साथ मेडिकल कॉलेजों को चलाने के लिये विशाल बुनियादी ढाँचे के विकास तथा रखरखाव हेतु वित्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि छात्रों से ली जाने वाली फीस निजी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा इन डॉक्टरों को उचित वेतन भी दिया जाता है।
- अनिवार्य सेवा सार्वजनिक हित में है और समाज के वंचित वर्गों के लिये लाभकारी है, शीर्ष अदालत ने विभिन्न राज्य सरकारों की नीति के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें परा-स्नातक और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पहले डॉक्टरों द्वारा अनिवार्य बॉण्ड निष्पादित किया जाना है।
- अपीलकर्त्ताओं ने दावा किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी-कृत उनके अधिकारों का हनन है।
- उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कुछ लोगों की गरिमा को सामुदायिक गरिमा से संतुलित करते हुए, तराजू को सामुदायिक गरिमा के पक्ष में झुकना चाहिये।
- शहरी क्षेत्रों में प्रति 100,000 लोगों के लिये 176 डॉक्टर हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 लोगों के लिये आठ से भी कम डॉक्टर उपलब्ध हैं और हर साल भारत में 269 निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से लगभग 31,000 डॉक्टर स्नातक करते हैं।
- आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने इन प्रावधानों को लागू किया है।

अनिवार्य बॉण्ड (Compulsory Bonds):

- यह डॉक्टरों को निर्धारित शर्तों के साथ अपने राज्यों में एक निश्चित अवधि के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिये बाध्य करता है।
- डॉक्टरों की अंक सूची, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ भी आमतौर पर राज्य के अधिकारियों द्वारा विशेष पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद रख लिये जाते हैं।

अनिवार्य बॉण्ड की आवश्यकता

- लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है किंतु राज्यों में विशेषज्ञों की कमी के चलते सरकारी सहायता के लाभार्थी उन डॉक्टरों की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते जिनके प्रशिक्षण में सरकार ने अपना योगदान दिया है।
- राज्य सरकारों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समाज के वंचित वर्गों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये अनिवार्य सेवा बॉण्ड पेश किया है।

नोट :

विवाह की एक समान आयु

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पुरुषों और महिलाओं के लिये विवाह की एक समान आयु की मांग की गई है।

विवाह की आयु: इतिहास

- भारतीय दंड संहिता ने वर्ष 1860 में 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध को अपराध की श्रेणी में रखा था।
- उपरोक्त प्रावधान को वर्ष 1927 में आयु कानून 1927 के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसने 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ विवाह को अमान्य बना दिया। इस कानून का विरोध राष्ट्रवादी आंदोलन के रूढ़िवादी नेताओं द्वारा किया गया क्योंकि वे इस प्रकार के कानूनों को हिंदू रीति-रिवाजों में ब्रिटिश हस्तक्षेप मानते थे।
- बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमश: 16 और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस कानून को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, हरविलास शारदा न्यायाधीश और आर्य समाज की सदस्य थीं।

संविधान का दृष्टिकोण:

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु क्रमश: 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।
- कानून विवाह की न्यूनतम आयु के माध्यम से बाल विवाह और नाबालिगों के अधिकारों के दुरुपयोग को रोकते हैं। विवाह के संबंध में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के अपने मानक हैं, जो अक्सर रीति-रिवाजों को दर्शाते हैं।
- इस्लाम में यौवन प्राप्ति को नाबालिगों के विवाह के लिये व्यक्तिगत कानून के तहत वैध माना जाता है।
- हिंदू धर्म में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 (iii) के तहत दुल्हन और वर की न्यूनतम आयु क्रमश: 18 और 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह गैरकानूनी नहीं था लेकिन विवाह में नाबालिग के अनुरोध पर इस विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता था।

विवाह की आयु से संबंधित मुद्दे:

- पुरुषों और महिलाओं के लिये विवाह की अलग-अलग आयु का प्रावधान कानूनी विमर्श का विषय बनता जा रहा है। इस प्रकार के कानून रीति-रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं का एक कोडीकरण है जो पितृसत्ता में निहित हैं।
- विवाह की अलग-अलग आयु, संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार) का उल्लंघन करती है।
- विधि आयोग ने वर्ष 2018 मे परिवार कानून में सुधार के एक परामर्श पत्र में तर्क दिया कि पति और पत्नी की अलग-अलग कानूनी आयु रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है।
- विधि आयोग के अनुसार, पति और पत्नी की आयु में अंतर का कानून में कोई आधार नहीं है क्योंकि पति या पत्नी का विवाह में शामिल होने का तात्पर्य हर तरह से समान है और वैवाहिक जीवन में उनकी भागीदारी भी समान होती है।
- महिला अधिकारों हेतु कार्यरत कार्यकर्त्ताओं ने भी तर्क दिया है कि समाज के लिये यह केवल एक रूढ़ि मात्र है कि एक समान आयु में महिलाएँ, पुरुषों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं और इसलिये उन्हें कम आयु में विवाह की अनुमति दी जा सकती है।
- महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन संबंधी समिति (Committee on the Elimination of Discrimination against Women- CEDAW) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ भी ऐसे कानूनों को समाप्त करने का आह्वान करती हैं जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अलग भौतिक और बौद्धिक परिपक्वता संबंधी विचारों से घिरे हैं।

नोट :

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन संबंधी समिति (Committee on the Elimination of Discrimination against Women- CEDAW):

- यह स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक समिति है जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
- CEDAW समिति में विश्व भर से महिला अधिकारों के 23 विशेषज्ञ शामिल हैं।
- वे देश जो इस प्रकार की संधि के पक्षकार बन गए हैं, अभिसमय के क्रियान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट समिति को नियमित रूप से सौंपने के लिये बाध्य हैं।

वर्तमान दृष्टिकोण:

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के निर्णय में कहा कि तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडरों को भी अन्य सभी मनुष्यों की तरह समान कानूनों में समान अधिकार मिलना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (Joseph Shine v Union of India) मामले में व्यभिचार (Adultery) को रद्द करते हुए कहा कि इस प्रकार के कानून लैंगिक रूढ़ियों के आधार पर महिलाओं से विभेद करते हैं जो महिलाओं की गरिमा संबंधी समानता का उल्लघंन भी करते हैं।

सुपर 50

चर्चा में क्यों ?

महाराष्ट्र के जनजातीय विकास विभाग (Tribal development department) ने पेस एजुकेशनल ट्रस्ट (Pace Educational Trust) के साथ मिलकर युवा आदिवासी छात्रों, जो कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के इच्छुक हैं, के लिये सुपर 50 (Super 50) नामक एक शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्यक्रम पटना के आनंद कुमार और उनके सुपर 30 (Super 30) के कार्य से प्रेरित है, जो IIT की प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिये पिछड़े क्षेत्र के मेधावीछात्रों को तैयार करते हैं।
- सुपर 50 कार्यक्रम राज्य के 50 सबसे मेधावी आदिवासी छात्रों को परामर्श देगा और उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं के लिये तैयार करेगा।

कश्मीर सुपर 50

- प्रोजेक्ट कश्मीर सुपर 50, भारतीय सेना, सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप (CSRL) और PETRONET LNG Limited (PLL) की संयुक्त पहल है जिसकी शुरुआत मार्च 2013 में कश्मीर क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों की शैक्षिक स्थिति को मज़बूत करने के लिये की गई थी।
- यह 11 माह की अवधि वाला एक कार्यक्रम है जिसमें हर साल 50 छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें IIT-JEE, JKCET और अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रवेश परीक्षा हेतु पूरी तरह से मुफ्त आवासीय कोचिंग प्रदान की जाती है।
- छात्रों को एक समर्पित संकाय के तहत वागड़ पेस ग्लोबल स्कूल, विरार में प्रशिक्षित किया जाएगा तथा कोचिंग में सीबीएसई पाठ्यक्रम की कक्षा XI और XII शामिल होंगे और NEET और JEE जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी होगी।
- यह दो साल का आवासीय कार्यक्रम होगा, जहाँ छात्रों को हॉस्टल और मेस की सुविधा, टैबलेट, NCERT की किताबें और करियर काउंसलिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

नोट :

पृष्ठभूमि

- महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पेस अकादमी ने उन आदिवासी छात्रों के लिये परियोजना का प्रस्ताव दिया, जिन्होंने अपनी दसवीं कक्षा की परीक्षाएँ पास कर ली हैं। जनजातीय विकास विभाग ने इसके मूल्यांकन हेतु एक कार्य समिति का गठन किया और केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विभाग ने 28 जून को प्रवेश परीक्षा का पहला दौर तथा 14 जुलाई को दूसरा दौर आयोजित किया गया।
- मूल्यांकन के बाद 34 छात्रों को इंजीनियरिंग कोर्स के लिये और 16 को मेडिकल कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये चुना गया। सभी चयनित छात्र सरकार द्वारा संचालित आदिवासी आश्रम स्कूल, एकलव्य आवासीय विद्यालय आदि से हैं।

सन-साधन हैकथॉन

चर्चा में क्यों ?

जल शक्ति मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और 91 स्प्रिंगबोर्ड के सहयोग से सन-साधन हैकथॉन (San-Sadhan hackathon) का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक नए कार्यक्रम सन-साधन हैकाथॅन के लिये सरकार ने आवेदन आमंत्रित किये है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाना है।
- सन-साधन हैकथॉन के माध्यम से दिव्यांगजनों के अनुकूल, स्मार्ट, सुलभ और उपयोग में आसानी वाले शौचालय बनाएँ जाएंगे।
- इस हैकाथॉन के माध्यम से सरकार का उद्देश्य शौचालयों के लिये नवोन्मेषी समाधान उपलब्ध करना है, जिनका उपयोग शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर किया जा सके।

अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission- AIM):

- अटल नवाचार मिशन (AIM) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल है।
- AIM का उद्देश्य देश में नवाचार परिवेश पर नज़र रखना और नवाचार परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिये एकछत्र या बृहद संरचना को सृजित करना है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिये समूचे नवाचार चक्र पर विशिष्ट छाप छोड़ी जा सके।
- AIM, अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज़ अन्वेषकों और अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों का सृजन करने के साथ-साथ पहले से ही स्थापित इन्क्यूबेशन केंद्रों को आवश्यक सहायता मुहैया कराता है, ताकि नवाचारों को बाज़ार में उपलब्ध कराना और इन नवाचारों से जुड़े उद्यमों की स्थापना करना सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री-नि:शुल्क-दवा-योजना

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission-NHM) द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना (Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana) को 16 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना (Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana)

- 2 अक्तूबर, 2011 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई।
- इस योजना के मुख्यत: दो घटक हैं:
  - नि: शुल्क दवाइयाँ (Free Medicines)- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाइयों को नि:शुल्क उपलब्ध कराना।
  - नि: शुल्क परीक्षण (Free Tests)- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों का नि: शुल्क परीक्षण सुनिश्चित करना।

नोट :

- इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (Rajasthan Medical Services Corporation Limited-RMSCL) को पब्लिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company) के रूप में समाविष्ट/निगमित (Incorporated) किया गया।
- वर्ष 2011 से अभी तक इस योजना से तकरीबन 67 करोड़ रोगी लाभान्वित हुए हैं, साथ ही इस योजना में 712 दवाओं को शामिल किया गया हैं जो स्वयं में एक रिकॉर्ड संख्या है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रैंकिंग संबंधी मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अपनी नि:शुल्क दवा सेवा पहल (Free Drug Service Initiative) के तहत राज्यों को इस उद्देश्य से रैंकिंग देनी शुरू की थी कि उन्हें अपने-अपने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- NHM द्वारा राज्यों के प्रदर्शन का आकलन 10 मापदंडों के आधार पर किया गया। इनमें से दो प्रकार हैं:
  - दवाओं का भंडार
  - दवा वितरण प्रणाली
- NHM की नि:शुल्क दवा सेवा पहल का मुख्य उद्देश्य कैंसर, हृदय और गुर्दे से संबंधित बीमारियों एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के स्वास्थ्य खर्च को कम करना है।
- NHM की यह पहल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) द्वारा राज्यों को समर्थन देने के लिये लागू की गई है।

आगे की राह

- NHM द्वारा राज्यों को पुरस्कृत किये जाने की यह पहल समाज के दलित और गरीब वर्गों तक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की समावेशी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।
- इससे सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा और देश के अन्य राज्य भी इस तरह की योजना शुरू करने के लिये प्रोत्साहित होंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन National Health Mission (NHM)

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य सरकारों को वित्तपोषण उपलब्ध कराकर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र को पुर्नजीवित करने का सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में निम्नलिखित चार घटकों को शामिल किया गया है- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिये मानव संसाधन।
- इसके तहत संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के दोहरे बोझ से निपटने के साथ ही ज़िला और उप-ज़िला स्तर पर बुनियादी ढाँचा सुविधाओं में सुधार किया गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के दो विभागों को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया गया है। इस एकीकरण के परिणामस्वरूप देश की ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को पुर्नजीवित करने के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण समन्वय देखा गया है। इसी प्रकार का एकीकरण राज्य स्तर पर भी किया गया।

संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक-2.0

चर्चा में क्यों ?

जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों में वृद्धि करने के लिये, नीति आयोग ने संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index -CWMI 2.0) का दूसरा संस्करण तैयार किया है। 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 13 ने पिछले साल की तुलना में अपने जल प्रबंधन में सुधार किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- CWMI 2.0 ने आधार वर्ष 2016-17 के संदर्भ में वर्ष 2017-18 के लिये विभिन्न राज्यों को स्थान प्रदान किया है। रिपोर्ट में गुजरात ने वर्ष 2017-18 में 100 में से 75 अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। इसके बाद उत्तराखंड, त्रिपुरा और असम का स्थान है।
- संघशासित प्रदेशों ने पहली बार अपने आँकड़े दिये हैं, जिनमें पुद्दुचेरी शीर्ष स्थान पर रहा है।
- सूचकांक में वृद्धि संबंधी बदलाव के मामले में हरियाणा सामान्य राज्यों में पहले स्थान पर और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है।
- औसतन 80 प्रतिशत राज्यों ने पिछले तीन वर्षों में सूचकांक का आकलन किया और अपने जल प्रबंधन स्कोर में सुधार किया, जिसमें औसत सुधार +5.2 प्वाइंट रहा।

चार्ट -1: CWMI 2.0 वर्ष 2019 में विभिन्न राज्यों की रैंकिंग

पृष्ठभूमि

- भारत के विकास और पर्यावरण प्रणाली को बनाए रखने के लिये तेज़ी से जल के वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकार जल प्रबंधन को लेकर अति सक्रिय है और उसने जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को गति देने के लिये जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। नवगठित जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिये जल शक्ति अभियान (Jal Shakti Misson) की शुरुआत कर जल चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया है।
- नीति आयोग ने सबसे पहले राज्यों के बीच सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की भावना पैदा करने के लिये एक साधन के रूप में वर्ष 2018 में संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की।
- यह मैट्रिक्स के अखिल भारतीय सेट तैयार करने का पहला प्रयास था, जो जल प्रबंधन और जल चक्र के विभिन्न आयामों को मापता है। रिपोर्ट को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया और राज्यों को अपने जल को भविष्य हेतु सुरक्षित करने के लिये कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, इस बारे में दिशा-निर्देश दिये गए।
- CWMI जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के संदर्भ में राज्यों/संघशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनमें सुधार लाने का साधन है। यह कार्य जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों की साझेदारी से पूर्ण होता है। यह सूचकांक राज्यों को उपयोगी जानकारी प्रदान करता है ताकि वे जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार करके उसे लागू कर सके।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index -CWMI)

- नीति आयोग जल के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composition Water Management Index -CWMI) प्रकाशित करता है।
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आकलन और उनमें सुधार लाने का एक प्रमुख साधन है।
- यह सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को उपयोगी सूचना उपलब्ध करा रहा है जिससे वे उचित रणनीति बनाकर उसे जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में लागू कर सकेंगे। साथ ही एक वेब पोर्टल भी इसके लिये लॉन्च किया गया है।
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में भूजल, जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, खेती के तरीके, पेयजल, नीति और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के 28 विभिन्न संकेतकों के साथ 9 विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं।
- समीक्षा के उद्देश्य से राज्यों को दो विशेष समूहों- 'पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य' और 'अन्य राज्यों' में बाँटा गया है।

नोट :

भारत में कुष्ठ रोग की वापसी

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के मुताबिक, दुनिया के 66 प्रतिशत कुष्ठ रोग (Leprosy) से पीड़ित लोग भारत में मौजूद हैं।

प्रमुख बिंदु:

- भारत ने आधिकारिक रूप से वर्ष 2005 में कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया था और उस समय राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रसार दर 0.72 प्रति 10,000 लोगों तक पहुँच गई थी।
  - WHO के अनुसार, रोग समाप्ति का अर्थ उस स्थिति से है जब प्रसार दर 1 प्रति 10000 पर होती है।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में कुष्ठ रोग के 1,35,485 मामले सामने आए थे।
- मार्च 2017 तक देश के 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 53 जिलों में कुष्ठ रोग की प्रसार दर 2 प्रति 10,000 पाई गई थी।
  - ये राज्य थे बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा दिल्ली।

कुष्ठ रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी का कारण

- वर्ष 2005 में भारत आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग से मुक्त देश बन गया था, कुष्ठ रोग मुक्ति की घोषणा के साथ ही उन स्वास्थ्य कर्मियों के रोग उन्मूलन संबंधी प्रयास भी कम हो गए जो वर्ष 2005 तक ग्रामीण इलाकों में रोग की पहचान करने और उसके निवारण में सहायता कर रहे थे। कुष्ठ रोग की ओर अधिक ध्यान न दिये जाने के कारण इसके पीड़ितों में लगातार बढ़ोतरी होती गई।

आगे की राह

- उन क्षेत्रों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करना आवश्यक है जहाँ कुष्ठ रोग के सर्वाधिक मामले दर्ज किये जा रहे हैं।
- भारत को कुष्ठ रोग के उन्मूलन संबंधी एक स्पष्ट रणनीति और उसके कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

कुष्ठ रोग क्या है ?

- कुष्ठ रोग दीर्घकालिक संक्रामक रोग है, जो मुख्यत: माइकोबैक्टेरियम लेप्री (Mycobacterium leprae) के कारण होता है। संक्रमण के बाद औसतन पाँच साल की लंबी अवधि के पश्चात् रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि माइकोबैक्टेरियम लेप्री धीरे-धीरे बढ़ता है। यह मुख्यत: मानव त्वचा, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मिका, परिधीय तंत्रिकाओं, आँखों और शरीर के कुछ अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है।
- रोग को पॉसीबैसीलरी (PB) या मल्टीबैसीलरी (MB) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि बैसीलरी लोड पर निर्भर करता है। PB कुष्ठ रोग अपेक्षाकृत कम घातक रोग है, जिसे कुछ (अधिकतम पाँच) त्वचा के घावों (पीला या लाल) द्वारा पहचाना जाता सकता है। जबकि MB कई (अधिक-से-अधिक) त्वचा के घावों, नोड्यूल, प्लाक/प्लैक, मोटी त्वचा या त्वचा संक्रमण से जुड़ा है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन हेतु 'राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम'

- वर्ष 1955 में सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 1982 से मल्टी ड्रग थेरेपी की शुरुआत के बाद देश से कुष्ठ रोग के उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1983 में इसे राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) के रूप में बदल दिया गया।
- इस रोग के मामले की शीघ्र जानकारी और उपचार, कुष्ठ रोग उन्मूलन की कुंजी है, क्योंकि कुष्ठ रोगियों का जल्दी पता लगाने से संक्रमण के स्रोतों में कमी आएगी और रोग का संचारण भी रुकेगा। 'आशा कार्यकर्त्री', इस रोग के मामलों का पता लगाने में मदद कर रही हैं और सामुदायिक स्तर पर संपूर्ण उपचार भी सुनिश्चित कर रही हैं; इसके लिये उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है।

नोट :

खनन क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR) द्वारा किये गए सर्वे के अनुसार अभ्रक खनन क्षेत्र में 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के 5000 से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित हैं।

प्रमुख बिंदु

- सर्वे के अनुसार, झारखंड और बिहार के अभ्रक खनन क्षेत्र (Mica Mining Areas) में कार्यरत 6-14 वर्ष की आयु के 5000 से अधिक बच्चे शिक्षा का त्याग कर चुके हैं। ये बच्चे पारिवारिक आय में सहयोग करने के लिये खनन क्षेत्र में मज़दूरी का कार्य कर रहे हैं।
- यह सर्वे बिहार और झारखंड में स्थित अभ्रक खनन क्षेत्र में कार्यरत बच्चों की शिक्षा और कल्याण को आधार बना कर किया गया।
- सर्वे के अनुसार, बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने के कारणों में बच्चों को शिक्षित करने के प्रति अभिभावकों की कम रूचि और अभ्रक के स्क्रैप को इकट्ठा करने के कार्य में बच्चों की संलग्नता शामिल है।
- इस क्षेत्र में अभ्रक के कबाड़ का एकत्रीकरण और बिक्री अनेक परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है। इसलिये कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने के स्थान पर उनसे कबाड़ एकत्र करने के कार्य को प्राथमिकता देते हैं।
- NCPCR ने इन बच्चों में कुपोषण (Malnourishment) की समस्या की भी पहचान की है।

सर्वे का उद्देश्य

- सर्वे का उद्देश्य इस क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा की स्थिति, स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या, अभ्रक के स्क्रैप को एकत्र करने के कार्य में संलग्नता, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक किशोरों की पहुँच और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की भूमिका की संभावनाओं का पता लगाना था।

NCPCR द्वारा दिये गए सुझाव

- अभ्रक खनन और उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को बाल श्रम (Child Labour) से मुक्त बनाया जाना चाहिये।
- अभ्रक खनन प्रक्रिया की किसी भी गतिविधि और स्क्रैप इकट्ठा करने के कार्य में बच्चों को नियोजित नहीं किया जाना चाहिये।
- गैर-सरकारी संगठनों और विकास एजेंसियों को स्थानीय एवं ज़िला प्रशासन तथा उद्योगों के साथ मिलकर बाल श्रम से मुक्त अभ्रक खनन की आपूर्ति श्रृंखला बनाने की रणनीति तैयार करनी चाहिये।
- बच्चों द्वारा एकत्रित अभ्रक स्क्रैप के खरीदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।
- झारखंड और बिहार के अभ्रक खनन क्षेत्रों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिये प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिये।

कुष्ठ रोग एवं टीबी के लिये सरकारी योजना

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुष्ठ रोग (Leprosy) और तपेदिक या टीबी (Tuberculosis- TB) के लिये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सार्वभौमिक जाँच हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम के अनुसार, प्रतिवर्ष अनुमानित 25 करोड़ बच्चों और किशोरों में इन बीमारियों की जाँच की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram- RBSK) के तहत आँगनवाड़ियों में पंजीकृत 0-6 साल के बच्चों और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित 6-18 वर्ष के बच्चों में टीबी और कुष्ठ रोग का जल्द पता लगाने के लिये जाँच शुरू की जाएगी।
- वर्ष 2005 में भारत को कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ और दादरा और नगर हवेली को छोड़कर सभी राज्य कुष्ठ रोग मुक्त हो चुके है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार प्रति 10,000 लोगों पर एक से कम मामलों की दर को कुष्ठ उन्मूलन के रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट :

- हालाँकि अभी भी प्रतिवर्ष 1.15-1.2 लाख नए कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं।
- विश्व में भारत पर सबसे अधिक टीबी बोझ (TB Burden) है। देश में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक 'मिसिंग मामले' सामने आते हैं जिन्हें अधिसूचित नहीं किया जाता है। इस तरह के अधिकाँश मामलो में या तो टीबी की पहचान नहीं हो पाती अथवा अपर्याप्त रूप से पहचान हो पाती है। इस प्रकार के मामलों का उपचार निजी क्षेत्र में किया जाता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

- देश में अभी भी कुष्ठ रोग को सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है इसलिये सरकार रोगी के परिवार को सावधानीपूर्वक निवारक दवाएँ उपलब्ध करवाएगी।
- कुष्ठ रोगियों की समय पर पहचान कर उचित उपचार के माध्यम से रोग को ठीक करना और विकलांगता को रोकना।

आदर्श स्मारक योजना (Adarsh Smarak Scheme)

हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय (Union Ministry of Culture) ने अपना 100 दिवसीय एजेंडा जारी किया है जिसमें आदर्श स्मारक योजना के तहत शामिल 100 से अधिक प्रमुख स्मारकों के आस-पास वर्षा जल संचयन हेतु गड्ढों की खुदाई करना भी शामिल है।

- अन्य पहलों में दो दर्ज़न स्थानों, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त प्रार्थना अथवा आरती के लिये एकत्रित होते हैं, पर बड़ी स्क्रीन और ऑडियो सिस्टम स्थापित करना तथा ग्रामीण छात्रों तक पहुँच स्थापित करने के लिये के 25 चलते-फिरते विज्ञान संग्रहालयों (Science Museum on Wheels) को शुरू करना शामिल है।

योजना के बारे में

इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में ऐतिहासिक स्मारकों में आगंतुकों (मुख्यत: शारीरिक रूप से अक्षम लोग) को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने लिये की गई थी।

- यह योजना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) द्वारा संरक्षित कुल 100 स्मारकों को इस योजना के तहत आदर्श स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- इन स्थलों पर नागरिक सुविधाओं में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है।

उद्देश्य:

- स्मारकों को पर्यटक अनुकूल बनाना।
- प्रसाधन कक्ष, पेय जल, कैफेटेरिया और वाई-फाई सुविधाएँ उपलब्ध कराना और यदि ये सुविधाएँ पहले से ही मौजूद हैं तो उन्हें अपग्रेड करना।
- व्याख्यान और ऑडियो-वीडियो केंद्रों की व्यवस्था की करना।
- गंदे पानी और अपशिष्टों के निस्तारण एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था करना।
- स्मारकों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाना।
- स्वच्छ भारत अभियान को कार्यान्वनित करना।

नोट :

कला एवं संस्कृति

ओडिशा में प्राचीन बस्ती की खोज

चर्चा में क्यों ?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) को ओडिशा के कटक ज़िले के जालारपुर गाँव में लगभग 3,600 साल पहले की ग्रामीण बस्ती का पता चला।

प्रमुख बिंदु

- ASI को पिछले साल ओडिशा के कटक ज़िले के जालारपुर गाँव में भारती हुदा (Bharati Huda) में खुदाई के दौरान प्राचीन कलाकृतियों, चारकोल एवं अनाज का पता चला था।
- आयु का अनुमान लगाने के लिये नई दिल्ली में अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (Inter University Accelerator Centre-IUAC) द्वारा एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (Accelerator Mass Spectrometry-AMS) का उपयोग करके साइट पर पाए जाने वाले चारकोल के नमूनों की रेडियो-कार्बन डेटिंग (Radio Carbon Dating) की गई।
- विभिन्न स्तरों पर की गई खुदाई के दौरान पाए गए चारकोल के नमूने के तीसरे स्तर में 1072 ईसा पूर्व, चौथे स्तर में 1099 ईसा पूर्व, पाँचवें स्तर में 1269 ईसा पूर्व तथा सातवें स्तर में 1404 ईसा पूर्व के होने के प्रमाण मिले हैं।
- इस उत्खनन की पुष्टि से चाल्कोलिथिक/ताम्रपाषाण सभ्यता के परिपक्व चरण के दौरान भारती हुदा में ग्रामीण निवासियों के संपर्क में जातीय समूह का एक नया वर्ग आ सकता है।
- चॉकलेट स्लिपड पॉटरी (Chocolate-slipped Pottery) जिसमें सूर्य का चित्र उकेरा गया है, से पता चलता है कि यह प्रकृति की पूजा से संबंधित धार्मिक विश्वास था। इस साक्ष्य को 1099 ईसा पूर्व का मानते हुए प्राची घाटी (Prachi Valley) में सूर्य पूजा की प्राचीनता को भी स्पष्ट किया जा सकता है।
- खुदाई में मिले अवशेष घाटी में ताम्रपाषाण सभ्यता के अस्तित्व का संकेत देते हैं जिससे कीचड़ (Mud) में संरचनात्मक अवशेषों की उपस्थिति, मिट्टी के बर्तनों के ढेर, पॉलिश किये गए पत्थर के औज़ार, हड्डियों से बने औज़ार, अर्द्ध-कीमती पत्थरों की माला, टेराकोटा की वस्तुओं, जले हुए अनाज तथा भारी मात्रा में जीव-जंतुओं की मौजूदगी आदि का पता चलता है।
- इस खुदाई वाले स्थान से लगभग 30 किलोमीटर दूर कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है जो 13वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था।
- सूर्य पूजा की परंपरा इस क्षेत्र में मानव बस्तियों के साथ विकसित हुई है।

रेडियो कार्बन डेटिंग Radio Carbon Dating

- रेडियो कार्बन डेटिंग जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण करने की विधि है। इस कार्य के लिये कार्बन-14 का प्रयोग किया जाता है। यह तत्त्व सभी सजीवों में पाया जाता है।
- कार्बन-14, कार्बन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिसकी अर्द्ध-आयु लगभग 5,730 वर्ष मानी जाती है।
- आयु निर्धारण करने की इस तकनीक का आविष्कार वर्ष 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय (अमेरिका) के विलियर्ड लिबी ने किया था।

एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री Accelerator Mass Spectrometry- AMS

- एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (Accelerator Mass Spectrometry- AMS) परमाणुओं की गिनती की एक अत्यधिक संवेदनशील विधि है।
- इसके साथ अध्ययन करने में कार्बन-14 (C-14) को व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।
- इसका उपयोग रेडियोन्यूक्लाइड्स और स्थिर न्यूक्लाइड्स (Radionuclides and Stable Nuclides) के प्राकृतिक आइसोटोपिक बहुतायत की बहुत कम सांद्रता का पता लगाने के लिये किया जाता है।

नोट :

अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र Inter University Accelerator Centre

- अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र वर्ष 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र था।
- इसे पहले परमाणु विज्ञान केंद्र के रूप में जाना जाता था।
- केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर त्वरक आधारित अनुसंधान के लिये विश्व स्तरीय सुविधाएँ स्थापित करना है।
- इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों, आईआईटी और अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर अनुसंधान एवं विकास के आम अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करना है।
- यह नई दिल्ली में स्थित है।

साइट (जालारपुर गाँव) की विशेषता

- इस साइट की भौतिक संस्कृति सांस्कृतिक विशेषताओं की निरंतरता में बड़े बदलाव के बिना धीरे-धीरे विकसित हुई प्रतीत होती है।
- यह कृषि आधारित बस्ती से पूर्ण कृषि समाज तक संस्कृति के प्रवाह की तरह प्रदर्शित होती है।
- इस साइट में गोलबाई सासन (Golabai Sasan), सुआबरेई (Suabarei) और अन्य उत्खनित स्थानों तथा महानदी डेल्टा में खोजे गए स्थानों में सांस्कृतिक समानता पाई गई है, जबकि मध्य महानदी घाटी तथा मध्य एवं पूर्वी भारत के स्थलों के चाल्कोलिथिक साइटों के साथ इसकी आंशिक समानता है।
- पुरातत्त्वविदों के अनुसार, यहाँ के निवासियों ने कृषि और पशुपालन का अभ्यास किया होगा जो कि चावल एवं जूट की घरेलू विविधता के निष्कर्षों से प्रमाणित होता है
- यहाँ पशुपालकों के बीच पालतू मवेशियों के साक्ष्य के साथ-साथ बैल की टेराकोटा आकृति भी पाई गई है।

चित्र शब्द विधि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रकाशित एक शोध-पत्र में यह दावा किया गया है कि सिंधु सभ्यता के शिलालेखों की तुलना आधुनिक काल के टिकटों, कूपन, टोकन और मुद्रा सिक्कों पर संरचित संदेशों से की जा सकती है।

- द्विभाषी ग्रंथों की अनुपस्थिति, शिलालेखों की अत्यधिक संक्षिप्तता और सिंधु शिलालेखों की भाषा के बारे में अज्ञानता के कारण अभी तक इन शिलालेखों को पढ़ा नहीं जा सका है।

परिणाम

- हाल ही में पालग्रेव कम्युनिकेशंस (Palgrave Communications) नामक एक जर्नल में प्रकाशित शोध-पत्र में यह दावा किया गया कि सिंधु घाटी के अधिकांश शिलालेखों को रेखांकन (शब्द चिह्नों का उपयोग करके) प्रतीक चिह्नों द्वारा लिखा गया था, न कि फोनोग्राम्स (भाषण ध्वनि इकाइयों) का उपयोग करके।
- शोध पत्र मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि सिंधु शिलालेख ने किस अर्थ को व्यक्त किया, बजाय इसके कि उन्होंने क्या संदेश दिया।
- कुछ प्रशासनिक क्रियाकलापों में उत्कीर्ण मुहरों और तख्तों/पटियों (tablets) का उपयोग किया गया था जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilisation) के वाणिज्यिक लेन-देन को नियंत्रित करते थे।
- शोध पत्र के अनुसार, हालाँकि कई प्राचीन लिपियाँ नए शब्दों को उत्पन्न करने के लिये चित्र शब्द विधि का उपयोग करती हैं, सिंधु मुहरों और तख्तों/पटियों (tablets) पर पाए गए शिलालेखों में किसी शब्द के अर्थ को व्यक्त करने के लिये चित्र शब्द विधि का उपयोग नहीं किया गया है।
- शोध में उन लोकप्रिय परिकल्पना को भी खारिज कर दिया गया जिसमें कहा गया है कि मुहरों को उनके मालिकों के प्रोटो-द्रविड़ियन (Proto-Dravidian) या प्रोटो-इंडो-यूरोपीय (Proto-Indo-European) नामों के साथ अंकित किया गया था।

नोट :

चित्र शब्द विधि Rebus Method

- कुछ विद्वानों के बीच एक आम धारणा यह है कि सिंधु लिपि logo-syllabic अर्थात् प्रतीक चिन्हों पर आधारित शब्दांश है, जहाँ एक प्रतीक को एक समय में शब्द संकेत के रूप में और दूसरे समय में शब्दांश-संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इस विधि में, जहाँ एक शब्द-प्रतीक को भी कभी-कभी केवल अपने ध्वनि मूल्य के लिये उपयोग किया जाता है, को चित्र शब्द विधि सिद्धांत कहा जाता है।
  - "विश्वास" (मधुमक्खी+पत्ती) शब्द को दर्शाने के लिये एक मधुमक्खी के चित्र को एक पत्ती के साथ जोड़ा जा सकता है।

पट्टामादई रेशमी चटाई

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिक पावरलूम के उपयोग के माध्यम से पारंपरिक पट्टामादई रेशमी चटाई (Pathamadai silk mat) के निर्माण में प्रौद्योगिकी का समावेश बुनकर समुदाय के लिये उच्च उत्पादन और आय सुनिश्चित कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- हस्तनिर्मित पट्टामादई रेशमी चटाई को पट्टू पई (Pattu paai) भी कहा जाता है।
- पट्टामादई रेशमी चटाई बुनाई की पारंपरिक कला तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िले से संबंधित है।
- पट्टामादई चटाई कोराई घास (Korai Grass) से बनाई जाती है।
- पट्टामादई चटाई को भौगोलिक संकेत (Geographical indication- GI) का दर्जा प्राप्त है।
- ये चटाईयाँ विशेष रूप से शादी समारोहों के लिये बनाई जाती हैं और इसमें दुल्हन एवं दूल्हे के नाम के साथ-साथ शादी की तारीख भी होती है।

चिंताएँ:

- पट्टामादई चटाई के निर्माण के अप्रचलित तरीकों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति के असंतुलन के चलते कड़ी प्रतिस्पर्ध्दा का सामना करना पड़ रहा है। इस असंतुलन के कारण सिंथेटिक रंजक का अधिक प्रयोग हो रहा है जिससे बुनकरों का लाभ कम हो गया है।
- प्लास्टिक चटाई की कम लागत और मशीनीकरण के परिणामस्वरूप रेशमी चटाई उद्योग में गिरावट आई है।

वस्त्र उत्पादन में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये पहल / योजनाएँ:

- 'साथी' पहल (Sustainable and Accelerated Adoption of efficient Textile technologies to Help Small Industries Initiative-SAATHI): इस पहल के तहत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited- EESL) थोक में ऊर्जा कुशल पावरलूम, मोटर्स और रैपियर किट (Rapier Kits) का अधिग्रहण करेगी तथा उन्हें छोटे और मध्यम पावरलूम इकाइयों को प्रदान करेगी।
- पॉवर टेक्स इंडिया (Power Tex India): यह पावरलूम क्षेत्र के विकास के लिये एक व्यापक योजना है।
- मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (Merchandise Exports from India Scheme- MEIS): इसका उद्देश्य विभिन्न पारंपरिक और उभरते बाज़ारों में भारत से कपड़ा निर्यात की वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। वस्त्रोद्योग क्षेत्रक MEIS के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है।
- वस्त्रोद्योग के लिये संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Amended Technology Upgradation Fund Scheme for textiles industry- ATUFS): यह उद्यमियों और व्यवसाय के मालिकों को प्रौद्योगिकियों के उन्नयन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- एकीकृत कौशल विकास योजना (Integrated Skill Development Scheme- ISDS) : वर्तमान में कपड़ा बुनकरों और श्रमिकों को नवीनतम तकनीक के उपयोग जानकारी कम होने का कारण उनको औपचारिक प्रशिक्षण न मिल पाना है जिससे बेहतर नौकरी और उच्च मज़दूरी प्राप्त करने के अवसर कम हो जाते हैं। इस योजना के माध्यम से 1.5 मिलियन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क (Scheme for Integrated Textile Park-SITP): इस योजना के तहत सरकार बुनियादी सुविधाओं और इमारतों (डिज़ाइन और प्रशिक्षण केंद्र, गोदाम, कारखानों और संयंत्र) के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

नोट :

विश्व की 6% भाषाओं का वक्ता है भारत

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2019 को संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मंच पर स्थानीय मुद्दों के संदर्भ में दी गई जानकारी के अनुसार, दुनिया भर में बोली जाने वाली लगभग 6,700 भाषाओं में से 40% गायब होने के कगार पर हैं।

प्रमुख बिंदु

- प्रशांत द्वीप राष्ट्र के पापुआ न्यू गिनी में दुनिया की सबसे अधिक 'स्वदेशी भाषाएँ (840) बोली जाती है, जबकि भारत 453 भाषाओं के साथ चौथे स्थान पर है।
- कई भाषाएँ अब लुप्तप्राय (Endangered) हैं और कई भाषाएँ जैसे- तिनिगुआन (कोलम्बियाई मूल) बोलने वाला केवल एक ही मूल वक्ता बचा है।
- नृवंश-विज्ञान (Ethnologue) जो भाषाओं की एक निर्देशिका है, में दुनिया भर की 7,111 ऐसी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है जो अभी भी लोगों द्वारा बोली जाती हैं।
- चीनी, स्पेनिश, अंग्रेज़ी, हिंदी और अरबी दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएँ हैं। दुनिया भर में 40% से अधिक लोगों द्वारा इन भाषाओं को बोला जाता है।
- अमेरिका में 335 भाषाएँ और ऑस्ट्रेलिया में 319 भाषाएँ बोली जाती हैं, ये व्यापक रूप से अंग्रेज़ी बोलने वाले देश हैं।
- एशिया एवं अफ्रीका में सबसे अधिक देशी भाषाएँ (कुल का लगभग 70%) बोली जाती हैं।
- सामान्यत: एक देश में सभी की मातृभाषा एक ही होती है लेकिन देश में स्थानीय लोगों द्वारा विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, इसका तात्पर्य यह है कि देश भर में अधिक भाषाओं का प्रसार किया जाए।
- नृवंश-विज्ञान (Ethnologue) के अनुसार, 3,741 भाषाएँ ऐसी हैं, जिसे बोलने वाले 1,000 से भी कम हैं। कुछ परिवारों में ही कई भाषाएँ बोली जाती हैं, हालाँकि इनका प्रतिशत बहुत ही कम है।

भाषायी नृविज्ञान (Linguistic anthropology)

- यह मानवशास्त्र की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। इसमें ऐसी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है जो वर्तमान में लोगों द्वारा बोली जाती हैं।
- ऐसी भाषा को समझने के लिये शब्दकोश व व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। शोधकर्त्ता को भाषा का अध्ययन करके शब्दकोश व व्याकरण तैयार करना पड़ता है।
- इसमें भाषाओं की उत्पत्ति, उद्विकास व विभिन्न समकालीन भाषाओं के बीच अंतर का अध्ययन किया जाता है।
- मानवविज्ञान की शाखा के रूप में भाषायी मानवविज्ञान अपने आप में पूर्ण एवं स्वायत है।
- संस्कृति का आधार भाषा है। भाषा का अध्ययन कर हम संस्कृति को समझ सकते हैं।
- इसके अंतर्गत भाषा के निम्न पहलुओं जैसे भाषा की संरचना, शब्दावली, व्याकरण, विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करके उन्हे वर्गीकृत करने का प्रयास, भाषा की उत्पत्ति एवं समय के साथ उसमें आए बदलावों का अध्ययन आदि का अध्ययन किया जाता है।

भारत के संदर्भ में

- अधिकांश भारतीय भाषाएँ उन भाषाओं से व्युत्पन्न हैं जो एशिया के अन्य भागों में भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिये, चीनी-तिब्बती भाषाएँ पूर्वोत्तर भारत, चीन, भूटान, नेपाल और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में बोली जाती हैं।
- हालाँकि एक अंडमानी भाषा परिवार है, जो केवल भारत तक ही सीमित है।
- यूनेस्को द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में वर्ष 1950 से लगभग पाँच भाषाएँ विलुप्त हो गई हैं, जबकि 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।

भाषाओं की संख्या में गिरावट

- यूनेस्को की 'एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेज़ इन डेंजर' (Atlas of the World's Languages in Danger) के अनुसार, वर्ष 1950 से अब तक लगभग 228 भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं।

नोट :

- लगभग 10% भाषाओं को भेद्य (Vulnerable) की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि अन्य 10% 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' (Critically Endangered) हैं।

यूनेस्को द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार, कोई भाषा तब विलुप्त हो जाती है जब कोई भी व्यक्ति उस भाषा को नहीं बोलता है या याद नहीं रखता है। यूनेस्को ने लुप्तप्राय के आधार पर भाषाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:-

- सुभेद्य (Vulnerable)
- निश्चित रूप से लुप्तप्राय (Definitely Endangered)
- गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Severely Endangered)
- गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered)

भारत छोड़ो आंदोलन की 77 वीं वर्षगांठ

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त 2019 को भारत छोडो आंदोलन (Quit India Movement) की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

'क्रिप्स मिशन' (Cripps Mission) के वापस लौटने के उपरांत महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। 8 अगस्त, 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (All India Congress Committee) की गवालिया टैंक, बंबई में हुई बैठक में 'अंग्रेज़ों भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पारित किया गया तथा घोषणा की गई कि-

- भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए।
- स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फासीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा तथा अपनी अक्षुण्ता को बनाए रखेगा।
- अंग्रेज़ों की वापसी के पश्चात् कुछ समय के लिये अस्थायी सरकार बनाई जाएगी।
- ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध सविनय अवज्ञा जारी रहेगा।
- महात्मा गांधी इस संघर्ष के नेता रहेंगे।

गतिविधियाँ

- ब्रिटिश सरकार द्वारा रात को 12 बजे ऑपरेशन ज़ीरो ऑवर (Operation Zero Hour) के तहत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गए। महात्मा गांधी को पुणे की आगा खां जेल में रखा गया ।
- आरंभ में आंदोलन मुख्यत: शहरों में रहा। पटना के सचिवालय में तिरंगा झंडा लगाते समय हुई हिंसक झड़प में कई लोग मारे गए।
- अगस्त के मध्य तक आंदोलन गाँवों तक पहुँच गया और बलिया के चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार का गठन किया। इनके लावा महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के नाना पाटिल व तामलुक क्षेत्र के सतीश सावंत ने भी समानांतर सरकारों का गठन किया।
- महिलाओं ने भी आंदोलन में बढ-चढ़ कर हिस्सा लिया। उषा मेहता ने जहाँ गुप्त रूप से रेडियो का संचालन किया, वहीं अरुणा आसफ अली व सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने क्रांतिकारियों को संरक्षण प्रदान किया।
- आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी व मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं की।

महत्त्व

- यह आंदोलन स्वतंत्रता के अंतिम चरण को इंगित करता है। इसने गाँव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी।
- भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा। समानांतर सरकारों के गठन से जनता में उत्साह की लहर दौड़ी।
- जनता ने अपना नेतृत्व स्वयं संभाला जो राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्व चरण को सूचित करता है।
- इस आंदोलन के दौरान पहली बार राजाओं को जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा गया।

नोट :

बकरीद क्या है ?

संदर्भ

भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित कई देशों में 12 अगस्त को ईद-उल-अज़हा अथवा बकरीद के रूप में मनाया जा रहा है।

ईद-उल-अज़हा

- ईद-उल-अज़हा (Id–ul–Azha) अथवा ईद-उल-ज़ुहा को इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत इब्राहिम (Prophet Hazrath Ibrahim) द्वारा बलिदान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हर साल मुसलमानों द्वारा 10वें इस्लामी महीने ज़िलहज (Zilhaj) पर मनाया जाता है। ईद उल ज़ुहा को बकरीद भी कहा जाता है।
- बकरीद के पर्व का मुख्य उद्देश्य लोगों में जनसेवा और अल्लाह की सेवा के भाव को जगाना है। बकरीद का यह पर्व इस्लाम के पाँचवें सिद्धांत हज़ को भी मान्यता देता है। इस्लाम के पाँच सिद्धांतों में से एक है हज़। हज यात्रा पूरी होने की खुशी में ईद-उल-ज़ुहा का त्योहार मनाया जाता है।
- अंग्रेज़ी कैलेंडर की तुलना में इस्लामिक कैलेंडर थोड़ा छोटा होता है। इसमें 11 दिन कम माने जाते हैं।

क्या है मान्यता ?

- एक रात हज़रत इब्राहिम ने सपने में देखा कि वह अपने इकलौते पुत्र इस्माइल की बलि दे रहे हैं। यह एक सपना था और वास्तव में यह अल्लाह का एक आदेश था जिसमें पिता और पुत्र दोनों से बलिदान की मांग की गई थी।
- हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल (वह भी एक पैगंबर थे) की सलाह ली, जिन्होंने आसानी से अपनी सहमति दे दी।
- ज़िलहज के 10वीं दिन प्रकृति ने एक अद्भुत दृश्य देखा जहाँ एक पिता अपने खुदा की आज्ञाकारिता में अपने पुत्र के बलिदान की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही हज़रत इस्माइल अपने पुत्र को कुर्बान करने वाले थे अल्लाह ने उनके पुत्र की जगह एक दुंबे को रख दिया। इसका सीधा सा अर्थ यह था कि अल्लाह सिर्फ उनकी परीक्षा ले रहा था।

3.8 मिलियन वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी

चर्चा में क्यों ?

इथियोपिया (Ethiopia) में वैज्ञानिकों ने मानव की लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी (Skull) की खोज की है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एक अतिमहत्त्वपूर्ण खोज है एवं इसमें मानव विकास की समझ को एक स्तर आगे ले जाने की क्षमता है।

प्रमुख बिंदु:

- शोधकर्त्ताओं ने इसे एमआरडी-वीपी-1/1 (MRD-VP-1/1) नाम दिया है जिसे संक्षिप्त में एमआरडी (MRD) भी कहा जाता है।
- इथियोपिया में इस खोपड़ी की खोज करने वाले शोधकर्त्ताओं का कहना है कि यह खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस (Australopithecus Anamensis) नामक प्रजाति से संबंधी है।
- यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस समूह (Australopithecus Group) का सबसे पुराना ज्ञात सदस्य है।
  - ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्रारंभिक मानव के पूर्वजों की एक प्रमुख प्रजाति है जो 1.5 से 4 मिलियन साल पहले मौजूद थी।
  - यह ऐसा समय था जब हमारे पूर्वजों ने दो पैरों पर चलना सीख लिया था, परंतु अभी भी उनका चेहरा कुछ-कुछ बंदरों से मिलता था और उनका जबड़ा भी अपेक्षाकृत काफी बड़ा और मज़बूत था।
- प्रारंभ में शोधकर्त्ताओं का मानना था कि यह खोपड़ी लूसी (आधुनिक मनुष्यों के प्राचीन पूर्वज) की प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेन्सिस (Australopithecus Afarensis) से संबंधित है, परंतु नवीन शोध से यह मालूम हुआ कि आस्ट्रेलोपिथेकस एफरेन्सिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस प्रजातियाँ दोनों ही इथियोपिया में प्रागैतिहासिक काल के दौरान एक साथ कम-से-कम 100,000 सालों तक उपस्थित थीं।
- यह दर्शाता है कि शुरुआती मानव विकास की घटना जिस रूप में देखी जाती है, वह उससे भी काफी जटिल है। परंतु इस संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये सबूत पर्याप्त नहीं हैं और हमें अधिक उपयोगी सबूत खोजने होंगे।

नोट :

पहले भी हुई हैं कई महत्त्वपूर्ण खोजें

- वर्ष 2001 में पुरातत्त्वविदों ने मध्य अफ्रीका के एक देश चाड (Chad) में टूमाई (Toumai), जो कि सहेलंथ्रोपस टैक्डेन्सिस (Sahelanthropus Tchadensis) की प्रजाति से संबंधित है, के 7 मिलियन वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किये थे। यह अनुमान था कि टूमाई मानव वंश का पहला प्रतिनिधि था।
- अर्डी (Ardi) जो कि एक अन्य प्रजाति है, की खोज वर्ष 1994 में इथियोपिया में की गई थी और अनुमान है कि यह लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पुरानी है।
- लुसी (Lucy) जो कि आस्ट्रेलोपिथेकस एफरेन्सिस से संबंधित है, की खोज भी इथियोपिया मे ही वर्ष 1974 में की गई थी और इसके संदर्भ में यह माना जाता है कि यह लगभग 3.2 मिलियन वर्ष पुराना है।
- आस्ट्रेलोपिथेकस एफरेन्सिस सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रारंभिक मानव प्रजाति है।

पश्मीना उत्पादों को मिला BIS प्रमाणपत्र

भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards-BIS) ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता प्रमाणित करने के उद्देश्य से उसकी पहचान और लेबलिंग की प्रक्रिया को भारतीय मानक (Indian Standards) के दायरे में रख दिया है।

इस कदम के प्रभाव:

- इस प्रमाणीकरण से पश्मीना उत्पादों में होने वाली मिलावट पर रोक लगेगी।
- कच्चा माल तैयार करने वाले घुमंतू कारीगरों तथा स्थानीय दस्तकारों के हितों की रक्षा होगी।
- उपभोक्ताओं के लिये पश्मीना की शुद्धता भी सुनिश्चित होगी।

क्यों लिया गया निर्णय ?

- भारत में जगह-जगह असली पश्मीना के नाम पर नकली और घटिया माल की बिक्री की जाती है, इस पहल के परिणामस्वरूप उस पर रोक लगेगी और लद्दाख के बकरी पालक समुदाय तथा असली पश्मीना बनाने वाले स्थानीय हेंडलूम दस्तकारों को अपने माल की उचित कीमत प्राप्त होगी।
- उल्लेखनीय है कि घुमंतू पश्मीना बकरी पालक समुदाय छांगथांग के दुर्गम स्थानों में रहते हैं और आजीविका के लिये पश्मीना पर ही निर्भर हैं।
- इस समय 2400 परिवार ढाई लाख बकरियों का पालन कर रहे हैं। पश्मीना के BIS प्रमाणीकरण से इन परिवारों के हितों की रक्षा होगी और युवा पीढ़ी भी इस व्यवसाय की ओर आकर्षित होगी। इसके अलावा अन्य परिवार भी इस व्यवसाय को अपनाने के लिये प्रोत्साहित होंगे।

पश्मीना उत्पाद :

- लद्दाख विश्व में सर्वाधिक (लगभग 50 मीट्रिक टन) और सबसे उन्नत किस्म के पश्मीना का उत्पादन करता है।
- असली पश्मीना उत्पादों को छांगथांगी या पश्मीना बकरी के बालों से बनाया जाता है। छांगथांगी या पश्मीना बकरी लद्दाख के ऊँचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
- छांगथांगी बकरी के बाल बहुत मोटे होते हैं और इनसे विश्व का बेहतरीन पश्मीना प्राप्त होता है जिसकी मोटाई 12-15 माइक्रोन के बीच होती है।
- इन बकरियों को घर में पाला जाता है और ग्रेटर लद्दाख के छांगथांग क्षेत्र में छांगपा नामक घुमंतू समुदाय इन्हें पालता है।
- छांगथांगी बकरियों की बदौलत ही छांगथांग, लेह और लद्दाख क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बहाल हुई है।

ललित कला अकादमी ने मनाया 65वाँ स्थापना दिवस

5 अगस्त, 2019 को ललित कला अकादमी का 65वाँ स्थापना दिवस मनाया गया।

- इस अवसर पर नई दिल्ली में कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री ने देश के सांस्कृतिक अवलोकन व मूल्यांकन का कार्य शुरू किये जाने की जानकारी दी है जिसे अत्यधिक तीव्रता से पूरा करना सुनिश्चित किया गया है।

नोट :

- प्रशासनिक प्रबंधन में पारदर्शिता पर बल देने की बात भी कही गई है जिससे संस्थान की कार्य कुशलता सुधारने में भी सहयोग मिलेगा।
- इस अवसर पर संस्कार-भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेन्द्र, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पचारने और जाने-माने कलाकार वासुदेव कामथ भी उपस्थित थे।
- इस अवसर पर संस्कृति मंत्री ने कला शिविर और कला तथा पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा मिथिला की लोक चित्रकला शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन भी किया।

ललित कला अकादमी

- इसका उद्घाटन 5 अगस्त, 1954 को नई दिल्ली में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था।
- भारत सरकार द्वारा स्थापित ललित कला अकादमी एक स्वायत्त संस्था है।
- यह एक केंद्रीय संगठन है जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पहचान जैसे- मूर्तिकला, चित्रकला, गृह निर्माण कला आदि क्षेत्रों में स्थापित करने हेतु किया गया था।

कोंडापल्ली खिलौने Kondapalli toys

कोंडापल्ली खिलौने जो कि आंध्र प्रदेश के सांस्कृतिक प्रतीक हैं, भारत तथा विदेशों में ऑनलाइन, थोक एवं खुदरा प्लेटफार्मों में सबसे अधिक बिकने वाले हस्तशिल्प उत्पादों में से एक हैं।

- कोंडापल्ली खिलौने को केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेतक (GI) का टैग भी मिल चुका है।
- लेपाक्षी हस्तशिल्प एम्पोरियम (Lepakshi Handicraft Emporium) के अनुसार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन खिलौनों की गुणवत्ता से संबंधित ग्राहकों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक है।
- उल्लेखनीय है कि लेपाक्षी, अमेज़ॉन और मायस्टेटबज़ार जैसे प्लेटफॉर्म इस शिल्प को बढ़ावा देने वाले उत्पादों का समर्थन करते हैं।

चुनौतियाँ

- चीन के मशीन से बने खिलौनों से होने वाली प्रतिस्पर्द्धा कोंडापल्ली खिलौनों के लिये एक बड़ी बाधा है, क्योंकि मशीन की तुलना में इन हस्तशिल्प खिलौनों का उत्पादन बहुत कम हो पाता है।
- इतनी कड़ी प्रतिस्पर्द्धा में इन खिलौनों को बाज़ार में अपना स्थान बनाने के लिये काफी अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- सबसे बड़ी चुनौती टेल्ला पोनिकी (Tella Poniki) लकड़ी की निरंतर हो रही कमी है जिससे इन खिलौनों को बनाया जाता है, साथ ही यह लकड़ी अपने प्रारंभिक वर्षों में मीठी और अपेक्षाकृत नरम होती है, इसलिये यह विभिन्न कीटों का शिकार भी हो जाती है।

कोलम (रंगोली) Kolams help women map business potential

पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण भारत के केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में कोलम/रंगोली (Kolam) छोटे उद्यम चलाने वाली गरीब महिलाओं के लिये एक सहायक उपकरण की भूमिका निभा रही है।

- कोलम एक ज्यामितीय रेखा है, जो घुमावदार छोरों से बनी होती है तथा डॉट्स के ग्रिड पैटर्न के चारों ओर खींची जाती है।
- विगत वर्षों के दौरान कोलम की सहायता से क्षेत्रों के नक़्शे बनाए जा रहे हैं जिसमें दुकानों, चाय के स्टालों, पानी के स्पॉटों, मंदिरों एवं अन्य स्थानों की स्थिति प्रदर्शित की जा रही है।
- कोलम से प्रेरित नक्शे हज़ारों महिलाओं के लिये नए व्यवसाय शुरू करने में सहायक हो रहे हैं क्योंकि इन नक्शों से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिलाएँ यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि किस उद्यम को कहाँ शुरू किया जा सकता है या कहाँ दुकान स्थापित करनी है।
- इन नक्शों ने अब तक तमिलनाडु के छह ज़िलों में 5,000 से अधिक महिलाओं को स्थायी आय का स्रोत प्रदान कर लाभ पहुँचाया है।

कोलम (रंगोली)

- दक्षिण भारत के केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में रंगोली को कोलम कहते हैं।

नोट :

- कोलम को घरों में समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। तमिलनाडु में प्रत्येक सुबह लाखों महिलाएँ सफेद चावल के आटे से जमीन पर कोलम बनाती हैं।
- कोलम (रंगोली) शुभ अवसरों पर घर के फ़र्श को सजाने के लिये बनाई जाती है।
- कोलम बनाने के लिये सूखे चावल के आटे को अँगूठे व तर्जनी के बीच रखकर एक निश्चित आकार में गिराया जाता है। इस प्रकार धरती पर सुंदर नमूना बन जाता है।
- कभी कभी इस सजावट में फूलों का प्रयोग किया जाता है।
- फूलों की रंगोली को पुकोलम कहते हैं।

4 उत्पादों को GI टैग देने की घोषणा

हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) विभाग द्वारा 4 उत्पादों को GI टैग देने की घोषणा की गई जिनमें तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल ज़िले के पलानी शहर के पलानीपंचामिर्थम, मिज़ोरम राज्य के तल्लोहपुआन एवं मिज़ो पुआनचेई वस्त्र और केरल के तिरुर का पान का पत्ता शामिल है।

पलानीपंचामिर्थम (PalaniPanchamirtham)

- तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पलानी शहर की पलानी पहाड़ियों में अवस्थित अरुल्मिगु धान्दयुथापनी स्वामी मंदिर के पीठासीन देवता भगवान धान्दयुथापनी स्वामी के अभिषेक से जुड़े प्रसाद को पलानीपंचामिर्थम कहते हैं।
- इस अत्यंत पावन प्रसाद को एक निश्चित अनुपात में पाँच प्राकृतिक पदार्थों यथा- केला, गुड़-चीनी, गाय का घी, शहद और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है।पहली बार तमिलनाडु के किसी मंदिर के प्रसादम को जीआई टैग(GI Tag) दिया गया है।

तवलोहपुआन (Tawlhlohpuan)

- यह मिज़ोरम का एक भारी, मज़बूत एवं उत्कृष्ट वस्त्र है, जो तने हुए धागों की बुनाई और जटिल डिज़ाइन के लियेजाना जाता है। इसे हाथ से बुना जाता है।
- मिज़ो भाषा में तवलोह का मतलब एक ऐसी मज़बूत चीज़ होती है जिसे पीछे नहीं खींचा जा सकता है। मिज़ो समाज में तवलोहपुआन का विशेष महत्व है और इसे पूरे मिज़ोरम राज्य में तैयार किया जाता है। आइज़ोल और थेनज़ोल शहर इसके उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं।

मिज़ो पुआनचेई (Mizo Puanchei)

- यह मिज़ोरम का एक रंगीन मिज़ो शॉल/ वस्त्र है जिसे मिज़ो वस्त्रों में सबसे रंगीन वस्त्र माना जाता है।
- मिज़ोरम की प्रत्येक महिला का यह एक अनिवार्य वस्त्र है और यह इस राज्य में यह शादी की अत्यंत महत्त्वपूर्ण पोशाक है।
- मिज़ोरम में मनाए जाने वाले उत्सव के दौरान नृत्य और औपचारिक समारोह में आमतौर पर इस पोशाक का ही उपयोग किया जाता है।

केरल के तिरुर का पान का पत्ता (Tirur Betel leaf)

- इसकी खेती मुख्यत:तिरुर, तनूर, तिरुरांगडी, कुट्टिपुरम, मलप्पुरम और मलप्पुरम ज़िले के वेंगारा प्रखंड की पंचायतों में की जाती है।
- इसके सेवन से अच्छे स्वाद का अहसास होता है और साथ ही इसमें औषधीय गुण भी हैं। आमतौर पर इसका उपयोग पान मसाला बनाने में किया जाता है और इसके कई औषधीय, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक उपयोग भी हैं।

GI टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उनमें वहाँ की स्थानीय विशेषताएँ अंतर्निहित होती हैं। वास्तव में GI टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता एवं गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं।

आदि महोत्सव (Aadi Mahotsav)

लेह-लद्दाख में 17 से 25 अगस्त, 2019 तक आदि महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) की ओर से किया जा रहा है।

नोट :

- इस महोत्सव का विषय 'जनजातीय कला, संस्कृति और वाणिज्य की भावना का उत्सव' (A celebration of the spirit of Tribal Craft, Culture and Commerce) है। इसमें ट्राइफेड 'सेवा प्रदाता' एवं 'मार्केट डेवलपर' की भूमिका निभाएगा।
- इस महोत्सव में देश भर के 20 से ज्यादा राज्यों के लगभग 160 जनजातीय कारीगर सक्रिय रूप से भाग लेंगे और अपनी उत्कृष्ट कारीगरी का प्रदर्शन करेंगे।
- इस दौरान प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पादों में राजस्थान, महाराष्ट्र, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल के जनजातीय वस्त्र; हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के जनजातीय आभूषण; मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला जैसी जनजातीय चित्रकारी; महाराष्ट्र की वर्ली कला, छत्तीसगढ़ की धातु शिल्प, मणिपुर की ब्लैक पॉट्री और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के ऑर्गेनिक उत्पाद शामिल हैं।
- इस आयोजन के दौरान दो प्रतिष्ठत स्थानीय सांस्कृतिक समूह लद्दाखीलोक नृत्य- जाबरो नृत्य और स्पाओ नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
- इस महोत्सव के दौरान (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वन धन योजना के अंतर्गत मूल्यवर्द्धन और विपणन योग्य खाद्य एवं वन उत्पादों और (ख) ट्राइब्स इंडिया के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में पैनल में शामिल कारीगर और शिल्पकार तथा लद्दाख की महिलाओं की पहचान की जाएगी।
- इन उत्पादों को देश भर में ट्राइब्स इंडिया द्वारा संचालित 104 खुदरा दुकानों और दुनिया भर के 190 देशों में एमेजॉन के माध्यम से बेचा जाएगा, जिसके साथ ट्राइब्स इंडिया का करार है।

गीत गोविंद Geet Govind

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Centre for the Arts) द्वारा आयोजित जन्माष्टमी समारोह, जिसे 'गीत गोविंद' कहा जाता है, के अवसर पर छह शास्त्रीय कला परंपराओं का प्रदर्शन करते हुए दो दिवसीय उत्सव मनाया गया।

सभी नृत्यों में से केवल 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्ज़ा दिया गया है,जिसका वर्णन निम्नानुसार है:

शास्त्रीय नृत्य

भरतनाट्यम (तमिलनाडु)

- भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है।
- इसमें नृत्य क्रम इस प्रकार होता है- आलारिपु (कली का खिलना), जातीस्वरम् (स्वर जुड़ाव), शब्दम् (शब्द और बोल), वर्णम् (शुद्ध नृत्य और अभिनय का जुड़ाव), पदम् (वंदना एवं सरल नृत्य) तथा तिल्लाना (अंतिम अंश विचित्र भंगिमा के साथ)।
- भरतनाट्यम नृत्य के संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बाँसुरी वादक, एक मृदंगम वादक, एक वीणा वादक और एक करताल वादक होता है।

कत्थकली (केरल)

- कत्थकली अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है।
- यह एक मूकाभिनय है जिसमें हाथ के इशारों और चेहरे की भावनाओं के सहारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति देता है।

कुचीपुड़ी (आंध्र प्रदेश)

- आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में कुचीपुड़ी नामक गाँव है जहाँ के द्रष्टा तेलुगू वैष्णव कवि सिद्धेन्द्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचीपुड़ी शैली की कल्पना की।
- कुचीपुड़ी में पानी भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है।
- कुचीपुड़ी में स्त्री-पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण-लीला प्रस्तुत करते हैं।

मोहिनीअट्टम (केरल)

- यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ऐसा नृत्य है, जिसमें भरतनाट्यम तथा कत्थकली दोनों के कुछ तत्त्व शामिल हैं।
- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था।

नोट :

मणिपुरी (मणिपुर)

- यह पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य की नृत्य शैली है।
- इसका प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल है।
- इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। पैरों के संचालन में कोमलता एवं मृदुलता का परिचय मिलता है।

कत्थक (उत्तर प्रदेश)

- यह ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुडा हुआ है।
- इसमें हस्त मुद्राओं तथा पद ताल पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

सत्रिया नृत्य (असम)

- यह संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है।
- शंकरदेव ने इसे अंकीया नाट के प्रदर्शन के लिये विकसित किया।

ओडिशी नृत्य (ओडिशा)

- महारिस नामक संप्रदाय जो शिव मंदिरों में नृत्य करता था, उसी से इस नृत्य का विकास हुआ।
- इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिये गए हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

त्रिपुरा के साथ शांति समझौता

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार, त्रिपुरा और साबिर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT-SD) के बीच 10 अगस्त, 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

पृष्ठभूमि

- यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सीमापार स्थित अपने शिविरों से हिंसा फैलाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है।
- वर्ष 2005 से 2015 की अवधि के दौरान NLFT ने तकरीबन 317 उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते हुए हिंसक कार्रवाई की, जिसमें कई सुरक्षा बलों और नागरिकों की जान गई।
- वर्ष 2015 में NLFT के साथ शांति वार्ता शुरू हुई, तब कहीं जाकर वर्ष 2016 के बाद से इस संगठन ने कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की है।
- इस शांति वार्ता का परिणाम यह हुआ है कि NLFT (SD) हिंसा के मार्ग को छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने और भारत के संविधान का पालन करने के लिये सहमत हो गया है।
- संगठन ने अपने 88 सदस्यों के हथियार सहित आत्मसमर्पण करने पर भी सहमति जताई है।

आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना, 2018 Surrender-cum-Rehabilitation Scheme 2018

- आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को गृह मंत्रालय की आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना, 2018 के अनुसार आत्मसमर्पण लाभ दिया जाएगा।
- त्रिपुरा राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को आवास, भर्ती और शिक्षा जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
- राज्य में उग्रवादियों ने समर्पण-सह-पुनर्वास की एक नई विशेष योजना बनाई गई है और 1 दिसंबर, 2012 से कार्यान्वित है।
- इस योजना के तहत लाभों/प्रोत्साहनों में 2.5 लाख रुपए का तात्कालिक अनुदान, 36 महीनों के लिये 4000 रुपए प्रतिमाह की दर से मासिक वृत्ति, समर्पित हथियारों के लिये प्रोत्साहन, समर्पण करने वाले उग्रवादियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना और समर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिये पुनर्वास शिविरों का लगाया जाना शामिल है।
- इसके बाद भारत सरकार ने 'प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादियों की आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना' के लिये दिशा-निर्देशों में संशोधन भी किया जो 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हुआ।
- संशोधित नीति के पुनर्वास पैकेज में अन्य सहूलियतों के अलावा ऊँचे कैडर वाले उन LWE के लिये 2.5 लाख रुपए और मध्यम/निचले कैडर वाले उन LWE के लिये 1.5 लाख रुपए का अनुदान तत्काल दिया जाता है, जो संबंधित राज्य सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं।
- इसके अलावा, आत्मसमर्पण करने वाले LWE को व्यावसायिक प्रशिक्षण के वास्ते अगले तीन वर्षों के दौरान 4,000 रुपए की धनराशि हर महीने दी जाएगी।

नोट: NLFT पर वर्ष 1997 से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [Unlawful Activities (Prevention) Act] के तहत प्रतिबंध लगा हुआ है।

त्रिपुरा: एक नज़र में

- राजधानी- अगरतला
- मुख्य भाषा- बांग्ला और कोकबरोक
- कुल क्षेत्रफल 10,491.69 वर्ग किमी.

नोट :

- क्षेत्रफल की दृष्टि से त्रिपुरा देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, साथ ही जनसंख्या के आधार पर यह पूर्वोत्तर का दूसरा बड़ा राज्य है।
- राज्य की सीमाएँ मिज़ोरम, असम तथा बांग्लादेश से लगी हुई हैं। उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में यह बांग्लादेश से घिरा है तथा इसके कुल सीमा क्षेत्र का 84 फीसदी अर्थात् 856 किलोमीटर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में है।
- त्रिपुरा रियासत ने 15 अक्तूबर, 1949 को भारत संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये। 21 जनवरी, 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दिया गया।

रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure- DPP) 2016 और रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (Defence Procurement Manual- DPM) 2009 की समीक्षा के लिये महानिदेशक (अधिग्रहण) की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस समिति को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिये 6 महीने का समय दिया गया है।
- इस समिति का उद्देश्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण से लेकर लाइफ साइकल सपोर्ट (Life Cycle Support) तक निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियाओं को संशोधित एवं सरेखित करना है।
- रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2016 तथा रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (DPM) 2009 में संशोधन किया जाएगा।
- इन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने से सामान के अधिग्रहण से लेकर लाइफ साइकल सपोर्ट तक निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा और सरकार की मेक इन इंडिया पहल मज़बूत होगी।
- समिति के विचारणीय विषयों में शामिल हैं:
  - DPP 2016 और DPM 2009 में दी गई प्रक्रियाओं को संशोधित करना ताकि प्रक्रियात्मक अड़चनों तथा जल्दबाज़ी में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।
  - DPP 2016 और DPM 2009 के प्रावधान, जहाँ भी लागू हों उन्हें अनुकूल तथा मानकीकृत करने का प्रावधान।
  - भारतीय उद्योग की अधिक-से-अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और मज़बूत रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करने के लिये नीति एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
  - जहाँ भी लागू हो नई अवधारणाओं जैसे कि जीवन चक्र लागत, जीवन चक्र सहायता कार्य प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक्स, ICT, लीज़ अनुबंध, कोडिफिकेशन और मानकीकरण की जाँच करना तथा उन्हें शामिल करना।
  - भारतीय स्टार्टअप और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल करना।
  - कोई अन्य पहलू जो अधिग्रहण प्रक्रिया को परिष्कृत करे और 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करने में योगदान दे।
- समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये छह महीने का समय दिया गया है।

'मेक इन इंडिया' अभियान

- 'मेक इन इंडिया' के तहत सरकार ने वर्ष 2025 तक GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है।
- इसका उद्देश्य मुख्यत: देश की विनिर्माण क्षमता को मज़बूत करना है और इसके तहत वर्ष 2022 तक 100 मिलियन रोज़गारों के सृजन का लक्ष्य तय किया गया है।
- यह पहल निम्नलिखित चार स्तम्भों पर आधारित है, जिन्हें न केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये चिंहित किया गया है:
  - नई प्रक्रियाएँ: 'मेक इन इंडिया' उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये 'व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business)' के एकमात्र सबसे महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में पहचान करता है।

नोट :

- व्यवसाय के वातावरण को आसान बनाने के लिये पहले ही कई पहलें शुरू की जा चुकी हैं।
- नई अवसंरचना: सरकार औद्योगिक कॉरीडोर और स्मार्ट सिटी का विकास करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त विश्वस्तरीय अवसंरचना और उच्च गति वाली संचार व्यवस्था का निर्माण करने की इच्छुक है।
- तीव्र पंजीकरण प्रणाली और आईपीआर पंजीकरण हेतु बेहतर अवसंरचना के ज़रिये नवप्रयोग और अनुसंधान क्रियाकलापों के लिये सहायता दी जा रही है।
- उद्योग के लिये कौशल की आवश्यकता को पहचाना जाना है तथा तदनुसार कार्यबल के विकास का कार्य शुरू किया जाना है।
- नए क्षेत्र: रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण और रेलवे अवसंरचना को बड़े पैमाने पर एफडीआई के लिये खोला गया है।
- इसी प्रकार बीमा और चिकित्सा उपकरणों में एफडीआई की अनुमति दी गई है।
- नई सोच: देश के आर्थिक विकास में उद्योगों को भागीदार बनाने के लिये सरकार सहायक की भूमिका निभाएगी न कि विनियामक की।

सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुग्राम स्थित सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (Information Management and Analysis Centre- IMAC) और सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (Information Fusion Centre Indian Ocean Region- IFCIOR) का दौरा कर इनके कामकाज की समीक्षा की।

राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता (National Maritime Domain Awareness- NMDA)

- नौसेना ने रक्षा मंत्री को राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता (National Maritime Domain Awareness- NMDA) परियोजना के तहत कार्यरत दोनों केंद्रों की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी।
- NMDA परियोजना को सागर (Security And Growth for All in the Region- SAGAR) कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था।
- NMDA के तहत कार्यरत सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र हिंद महासागर से होकर गुज़रने वाले जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रखता है। इन जहाज़ों द्वारा विश्व के कुल कच्चे तेल का 66%, कंटेनर यातायात का 50% और थोक कार्गो का 33% व्यापार होता है।
- सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र जहाज़ों से संबंधी जानकारी इकट्ठा करने, ट्रैफ़िक पैटर्न का विश्लेषण करने और उपयोगकर्त्ता एजेंसियों के साथ इनपुट साझा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सागर- सुरक्षा और क्षेत्र में सभी का विकास SAGAR- Security And Growth for All in the Region

- सागर (SAGAR) कार्यक्रम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मॉरीशस यात्रा के दौरान वर्ष 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
- इस कार्यक्रम का मुख्य सिद्धांत; सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों का सम्मान, एक-दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता, समुद्री मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान और समुद्री सहयोग में वृद्धि इत्यादि है।

वामपंथी अतिवाद - एक चुनौती

चर्चा में क्यों ?

वामपंथी अतिवाद (Left Wing Extremism-LWE) पर समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने LWE को राष्ट्र के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती बताया है।

- हालाँकि आँकड़ों के अनुसार, विगत 9 वर्षों में वामपंथी अतिवाद से संबंधी हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। जहाँ एक ओर वर्ष 2009 में इस प्रकार की 2258 घटनाएँ दर्ज की गई थी वहीं दूसरी ओर वर्ष 2018 में 833 घटनाएँ दर्ज हुई थी।

नोट :

वामपंथी अतिवाद

- LWE संगठन ऐसे समूह हैं जो मानते हैं कि वे हिंसा के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं।
- वे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिये हिंसा का सहारा लेते हैं।
- ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।

वामपंथी हिंसक घटनाओं के आँकड़े

- LWE ग्रसित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम से वामपंथी अतिवाद संबंधित घटनाओं, मौतों और उनके भौगोलिक प्रसार की संख्या में पिछले एक दशक में काफी कमी आई है।

	मापदंड	2009	2018
1.	घटनाओं की संख्या	2258	833
2.	मृत लोगों की संख्या	1005	240
3.	प्रभावित जिलों की संख्या	96 (2010 में)	60

LWE को रोकने हेतु सरकारी प्रयास

- समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत वामपंथी अतिवाद को रोकने के लिये एक उपाय है। इसके अंतर्गत LWE से निपटने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई सभी अल्पकालिक व दीर्घकालिक रणनीतियाँ शामिल हैं। SAMADHAN का पूर्ण रूप निम्न प्रकार से है:
  - S - कुशल नेतृत्व (Smart Leadership)
  - A - आक्रामक रणनीति (Aggressive Strategy)
  - M - प्रेरणा और प्रशिक्षण (Motivation and Training)
  - A - क्रियाशील खुफियातंत्र (Actionable Intelligence)
  - D - डैश बोर्ड आधारित 'प्रमुख प्रदर्शन संकेतक' (Dashboard Based Key Performance Indicators : KPI)
  - H - प्रोद्योगिकी का दोहन (Harnessing Technology)
  - A - एक्शन प्लान फॉर इच थिएटर (Action plan for each Theatre)
  - N - वित्त तक पहुँच रोकना (No access to Financing)

LWE का मुकाबला करने हेतु राष्ट्रीय रणनीति (The national strategy to counter LWE) को वर्ष 2015 में LWE से लड़ने के लिये एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण के रूप में अपनाया गया था। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रशासन और स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

LWE प्रभावित क्षेत्रों का विकास

- LWE प्रभावित क्षेत्रों के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं:
  - विशेष केंद्रीय सहायता (Special Central Assistance-SCA) - सार्वजानिक संरचना और सेवाओं के बीच मौजूद बड़ी खाई को खत्म करना।
  - सड़क संपर्क परियोजना (Road Connectivity Project) - प्रभावित क्षेत्रों में 5,412 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिये।
  - कौशल विकास परियोजना (Skill Development Project) - 2018-19 तक 47 आईटीआई (ITI) और 68 कौशल विकास केंद्र के निर्माण के लिये।

नोट :

- शिक्षा संबंधी पहल (Education Initiatives) - नए केन्द्रीय विद्यालयों (KVs) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) के निर्माण हेतु मंजूरी। एकलव्य मॉडल (Eklavya model) के तहत अधिक स्कूल खोलने की भी योजना बनाई जा रही है।
- वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) - LWE प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों को 5 कि.मी. के भीतर बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है।

आगे की राह

- हालाँकि बीते कुछ वर्षों में LWE संबंधी हिंसात्मक घटनाओं में कमी आई है, परंतु इस प्रकार के समूहों को पूर्णत: समाप्त करने के लिये निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।
- कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अत: स्थानीय पुलिस बलों के क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। स्थानीय बल कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से LWE संगठनों को समाप्त करने में सहायता सकते हैं।
- राज्यों को अपनी आत्मसमर्पण नीति (Surrender Policy) को और अधिक तर्कसंगत बनाना चाहिये ताकि LWE में फँसे निर्दोष व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाया जा सके।

आत्मसमर्पण नीति - बंदूक किसी समस्या का समाधान नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए आतंकवादियों, नक्सलियों और माओवादियों को आत्मसमर्पण नीति के माध्यम से मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य आतंकवादियों, नक्सलियों और माओवादियों को आत्मसमर्पण करने के बदले प्रोत्साहन राशि या रोज़गार या दोनों प्रदान करता है। अलग-अलग राज्यों की आत्मसमर्पण नीति अलग-अलग है।

- राज्यों को LWE समूहों को पूरी तरह से समाप्त करने और प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिये एक केंद्रित समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर

चर्चा में क्यों ?

28 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में 'नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर' (Towards New National Cyber Security Strategy) विषय पर 12वें भारतीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सम्मेलन के प्रमुख विषय

- सम्मेलन के दौरान महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय आधारभूत ढाँचों की सुरक्षा, उभरते साइबर खतरों, घटनाओं, चुनौतियों एवं प्रतिक्रिया जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई।
- साथ ही इस विषय पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि 'डिजिटल संस्कृति' एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित हो रही है। हर प्रौद्योगिकी की अपनी उपयोगिता है, इसी तरह साइबर प्रौद्योगिकी में इन दिनों बड़ी तेज़ी आई है। लेकिन एक वरदान होने के साथ ही यह प्रौद्योगिकी एक बड़ा खतरा भी बन गई है।

साइबर अपराध क्या है ?

साइबर अपराध ऐसे गैर-कानूनी कार्य हैं जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है। ऐसे अपराधों में हैकिंग, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिग, सॉफ्टवेयर पाइरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग आदि को शामिल किया जाता है।

साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में भारत के प्रयास

- भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' पारित किया गया जिसके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिये पर्याप्त हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएँ 43, 43ए, 66, 66बी, 66सी, 66डी, 66ई, 66एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।

नोट :

- सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है और इसके लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- राष्ट्रीय विशिष्ट अवसंरचना और विशिष्ट क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्रकैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013' जारी की गई जिसके तहत सरकार ने अति-संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये 'राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection centre-NCIIPC) का गठन किया।
- सरकार द्वारा 'कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In)' की स्थापना की गई जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है।
- विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' (Information Security Education and Awareness: ISEA) परियोजना प्रारंभ की है।
- भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।
- अंतर-एजेंसी समन्वय के लिये 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (Indian Cyber Crime Co-ordination Centre-I4C) की स्थापना की गई है।
- देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 'साइबर स्वच्छता केंद्र' भी स्थापित किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है।

भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्त्ता है और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी अत: भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा।

नोट :

विविध

बिहार के दो मेधावी युवाओं का चयन रूस के कज़ान सिटी में 22 से 27 अगस्त तक होने वाले 'वर्ल्ड स्किल्स कम्पीटिशन-2019' के लिये किया गया है। पटना निफ्ट में फैशन टेक्नोलॉजी की छात्रा मेधा देवगन और गोपालगंज के छात्र अंकित आनंद इस छह दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंकित कर्नाटक में एक फैशन इंस्टीट्यूट के छात्र हैं और इनका चयन भी बिहार कोटे से हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रतियोगिताओं में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बीच मेधा और अंकित आनंद का चयन हुआ है। ये दोनों देश भर में चुने गए 48 प्रतिभागियों में शामिल हैं। आपको बता दें कि विश्व स्तरीय कौशल प्रतियोगिता में पहली बार बिहार को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है।

कोमालिका बारी

भारतीय तीरंदाज ने स्पेन के मेड्रिड में आयोजित हुई विश्व युवा तीरंदाज़ी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में उच्च रैंकिंग वाली जापान की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। जमशेदपुर की टाटा तीरंदाजी अकादमी की 17 वर्षीय कोमालिका अंडर-18 वर्ग में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की दूसरी तीरंदाज़ बन गई हैं। उनसे पहले दीपिका कुमारी ने वर्ष 2009 में यह खिताब जीता था। दीपिका ने अमेरिका के ऑग्डेन शहर में आयोजित कैडेट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल की थी। ज्ञातव्य है कि विश्व तीरंदाज़ी (World Archery) ने उसके दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में इस प्रतियोगिता के बाद भारत को निलंबित करने का फैसला किया है। यह निलंबन हटने तक अब कोई भी भारतीय तीरंदाज़ देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा।

एलंगबाम वैलेंटिना

मणिपुर सरकार ने 9 साल की लड़की एलंगबाम वैलेंटिना को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो पेड़ काटे जाने पर रोने लगी थी और उसके रोने का वीडियो वायरल हुआ था। पाँचवीं कक्षा में पढ़ने वाली वैलेंटिना ने चार साल पहले घर से लगी सड़क के पास नदी के किनारे दो गुलमोहर के पेड़ लगाए थे, जिनके प्रति उसे लगाव था। लेकिन नदी के किनारे की सड़क को चौड़ा करने के लिये इन पेड़ों को काट दिया गया, जिसके कारण वह रोने लगी। पेड़ों के प्रति इस लड़की के प्रेम ने कई लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह भी शामिल थे। वैलेंटिना राज्य के लोगों के लिये एक उदाहरण बन सकती है, इसलिये उन्होंने उसे ग्रीन एम्बेसडर बनाने का फैसला किया, ताकि राज्य के लोग वैलेंटिना का अनुसरण कर प्रकृति की रक्षा करें।

ऐश्वर्या पिस्से

ऐश्वर्या पिस्से मोटर स्पोर्ट्स में विश्व पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने हंगरी के वरपालोटा में फेडरेशन इंटरनेशनल द मोटरसाइकिल चैंपियनशिप के फाइनल में महिलाओं की श्रेणी में FIM विश्व कप में जीत हासिल कर इतिहास रचा। इससे पहले ऐश्वर्या ने दुबई में पहला राउंड जीता था, जबकि पुर्तगाल में तीसरे, स्पेन में पाँचवें और हंगरी में चौथे स्थान पर रही थीं। बेंगलुरु की रहने वाली 23 वर्षीय ऐश्वर्या ने 65 अंक अर्जित किये और वह पुर्तगाल की रीटा से चार अंकों से आगे रहीं। विदित हो कि इस प्रतियोगिता का आयोजन एवं संचालन इंटरनेशनल मोटर साइकलिंग फेडरेशन ने किया था।

विराट कोहली

सभी फॉरमेट्स में टीम इंडिया के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली एक दशक यानी 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हज़ार रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हालिया वन-डे सीरीज़ में अपने वन-डे करियर का 43वाँ शतक लगाकर उन्होंने यह कारनामा अंजाम दिया जो क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई बल्लेबाज़ नहीं कर सका था।

विराट कोहली ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 20,502 रन बनाए हैं, जिनमें से 20,018 रन उन्होंने वर्तमान दशक में बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट और टी-20 इंटरनैशनल में वर्ष 2010 में शुरुआत की थी, जबकि वन-डे में वर्ष 2008 में ही उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था।

नोट :

मदन बी. लोकुर

भारत में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली। वे फिजी में अप्रवासी पैनल का हिस्सा होंगे और उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। फिजी के राष्ट्रपति जिओजी कोनरोते ने कार्यकारी चीफ जस्टिस कमल कुमार की मौजूदगी में जस्टिस लोकुर को शपथ दिलाई। यह पहला मौका है जब कोई भारतीय जज किसी दूसरे देश की शीर्ष अदालत में जज बना है। जस्टिस लोकुर वर्ष 1981 में सुप्रीम कोर्ट में वकील और 1998 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश का कार्यभार भी संभाला। जुलाई 1999 में वे हाईकोर्ट के जज बनाए गए। इसके अलावा जस्टिस लोकुर गुवाहाटी और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। जून 2012 में वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने तथा 31 दिसंबर, 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे।

राजीव गौबा

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा को अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया। उनका कार्यकाल दो साल का होगा। झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी राजीव गौबा शुरू में कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी के तौर पर काम संभालेंगे और बाद में मौजूदा कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा की जगह देश के टॉप ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी लेंगे। उनका कार्यकाल 30 अगस्त से दो साल तक होगा। इसके साथ ही अजय कुमार को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है, जो 1985 बैच के केरल काडर के IAS अधिकारी हैं। वे वर्तमान रक्षा संजय मित्रा की जगह लेंगे, जो दो साल से अधिक समय से रक्षा सचिव हैं और इस साल जून में कार्यकाल के पूरा होने पर उन्हें तीन महीने का विस्तार दिया गया था। इनके अलावा सुभाष चंद्र को रक्षा उत्पादन सचिव नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के IAS अधिकारी सुभाष चंद्र कर्नाटक काडर से हैं। बृज कुमार अग्रवाल को सचिव लोकपाल नियुक्त क्या गया है। वह 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं और हिमाचल प्रदेश काडर से हैं।

पी.वी. सिंधु

भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप (BWF) में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। स्विट्जरलैंड के बासेल में खेले गए फाइनल में उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को सीधे गेमों में 21-7, 21-7 से पराजित किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह उनका पाँचवां मेडल है। सिंधु इस चैंपियनशिप में वर्ष 2017 और 2018 में रजत तथा 2013 व 2014 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। सिंधु से पहले साइना नेहवाल ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2015 में रजत पदक जीता था। वहीं वर्ष 1983 में पुरुष एकल में प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक जीतने में सफल रहे थे

कंचन चौधरी भट्टाचार्य

उत्तराखंड और देश की पहली महिला DGP कंचन चौधरी भट्टाचार्य का मुंबई में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1973 बैच की महिला IPS अधिकारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने वर्ष 2004 में उस वक्त यह उपलब्धि हासिल की थी जब वह उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक बनीं। 31 अक्टूबर 2007 को वे पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुईं। किरण बेदी के बाद कंचन चौधरी भट्टाचार्य देश की दूसरी महिला IPS अधिकारी थीं। उन्हें मेक्सिको में वर्ष 2004 में आयोजित इंटरपोल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये चुना गया था। वर्ष 1997 में प्रतिष्ठित सेवाओं के लिये उन्हें 'राष्ट्रपति पदक' तथा वर्ष 2004 में राजीव गांधी विशेष सेवा मेडल मिला था। इनके जीवन से प्रेरणा लेकर दूरदर्शन पर एक सीरियल 'उड़ान' भी प्रसारित हो चुका है।

मानसी जोशी

पी.वी. सिंधु की विश्व खिताबी सफलता के साथ-साथ मानसी जोशी ने भी भारतीय पैरा बैडमिंटन में अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। मानसी जोशी ने स्विट्ज़रलैंड के बासेल में विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल एसएल-3 फाइनल में अपने ही देश की पारुल परमार को 21-12, 21-7 से हराकर खिताब जीता। ज्ञातव्य है कि मानसी ने वर्ष 2011 में एक दुर्घटना में अपना बायां पैर गंवा दिया था। उसके आठ साल बाद फाइनल में उन्होंने तीन बार की विश्व चैंपियन पारुल परमार को को पराजित किया। मानसी पुलेला गोपीचंद अकादमी में ट्रेनिंग करती हैं।

नोट :

आतिश दाभोलकर

प्रसिद्द भारतीय वैज्ञानिक 'सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी आतिश दाभोलकर' को ट्राइस्टे, इटली में अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स (Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics- ICTP) के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- दाभोलकर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) के सहायक महानिदेशक के पद के साथ इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स (ICTP) के निदेशक का पदभार संभालेंगे।
- ये फर्नांडो क्यूवेदो की जगह लेंगे जिन्होंने वर्ष 2009 में इस केंद्र का नेतृत्व सँभाला था।
- दाभोलकर वर्तमान में ICTP की उच्च ऊर्जा, ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी अनुभाग के प्रमुख हैं।

शैक्षिक पृष्ठभूमि

- श्री दाभोलकर का जन्म वर्ष 1963 में कोल्हापुर ज़िले के गरगोती में हुआ और यहीं पर इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की।
- इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रिंसटन विश्वविद्यालय से सैद्धांतिक भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, इसके बाद रटगर्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट-डॉक्टरेट किया तथा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया।
- वर्ष 2010 तक वह मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर थे तथा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एवं सर्न में एक विज़िटिंग वैज्ञानिक रहे।

टोनी मॉरिसन

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी लेखिका टोनी मॉरिसन (Toni Morrison) का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- 11 उपन्यासों की लेखिका मॉरिसन को वर्ष 1993 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली यह पहली अफ्रीकी-अमेरिकी महिला थीं।
- उपन्यासों के साथ-साथ ये बच्चों की पुस्तकें और निबंध संग्रह की भी लेखिका थीं।
- इनका पहला उपन्यास 'द ब्लूस्ट आई' वर्ष 1970 में प्रकाशित हुआ था।
- वर्ष 1987 में प्रकाशित मॉरिसन की पुस्तक Beloved में एक भगोड़ी महिला दास की कहानी लिखी गई थी, जिस पर वर्ष 1998 में ओपराह विन्फ्रे (Oprah Winfrey) अभिनीत एक फिल्म भी बनाई गई थी।

विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती

12 अगस्त, 1919 को वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती के मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें याद किया।

- डॉ. साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, उल्लेखनीय है कि इनकी I00वीं जयंती के कुछ दिन पूर्व ही चंद्रयान -2 मिशन लॉन्च किया गया था।
- वर्ष 1919 में अहमदाबाद में जन्मे डॉ. साराभाई ने कैम्ब्रिज में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
- नवंबर 1947 में उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (Physical Research Laboratory- PRL) की स्थापना की।
- रूस के स्पुतनिक के लॉन्च होने के बाद वे भारत की आवश्यकता को देखते हुए एक विकासशील देश भारत में अपना खुद का अंतरिक्ष कार्यक्रम आयोजित करने में सफल रहे।
- इन्होंने वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (Indian National Committee for Space Research) की स्थापना की, जिसे बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization- ISRO) नाम दिया गया।

नोट :

उपलब्धियाँ

- ISRO और PRL के अलावा उन्होंने कई संस्थानों जैसे- अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान, सामुदायिक विज्ञान केंद्र तथा अपनी पत्नी मृणालिनी के साथ प्रदर्शन कला के लिये डारपॉन अकादमी की स्थापना की।
- इन्होंने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट पर काम किया था, लेकिन वर्ष 1975 में इस उपग्रह के लॉन्च होने से पहले ही इनकी मृत्यु (30 दिसंबर, 1971 को) हो गई।
- उन्हें वर्ष 1966 में पद्मभूषण प्राप्त हुआ और वर्ष 1972 में मरणोपरांत पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया।
- वर्ष 1973 में चंद्रमा पर एक गड्ढे का नाम उनके नाम पर रखा गया था।

चंद्रिमा शाह

66 वर्षीय चंद्रिमा शाहा को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (Indian National Science Academy- INSA) का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल जनवरी 2020 से शुरू होगा।

- उल्लेखनीय है कि यह पहली महिला हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है।
- इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों के बीच विज्ञान को अधिक तीव्रता से बढ़ावा देना होगा।
- सुश्री शाह पूर्व में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, दिल्ली (National Institute of Immunology, Delhi) की निदेशक थीं।
- इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1980 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी (Indian Institute of Chemical Biology) से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी Indian National Science Academy

- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहा जाता है, की स्थापना 7 जनवरी, 1935 को कलकत्ता में हुई थी।
- वर्ष 1946 तक इसका मुख्यालय एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल में था और वर्ष 1951 में इसका मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।
- इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
  - भारत में राष्ट्रीय कल्याण के लियेव्यावहारिक अनुप्रयोग सहित वैज्ञानिक ज्ञान का संवर्द्धन करना।
  - वैज्ञानिक अकादमियों, सभाओं, संस्थाओं, सरकार के वैज्ञानिक विभागों और सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।
  - भारत में वैज्ञानिकों के हितों के संवर्द्धन तथा रक्षा के लिये और देश में किये गए वैज्ञानिक कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के एक निकाय के रुप में काम करना।
  - विज्ञान और मानविकी के बीच संपर्क को बढ़ाना और बनाए रखना।
  - विज्ञान के संवर्द्धन के लिये निधियाँ जुटाना एवं उनका प्रबंधन करना।

चंपा कुमारी

झारखंड में गिरिडीह की चंपा कुमारी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड के लिये चुना गया है। उन्हें अपने गाँव में बाल हिंसा के खिलाफ संघर्ष करने के लिये यह सम्मान मिलेगा।13 वर्षीय चंपा गिरिडीह जिले के गावां प्रखंड के जमडार गाँव की रहने वाली हैं। उनका गाँव बाल मित्र ग्राम है जिसके बाल पंचायत की वह अध्यक्ष और राष्ट्रीय महा बाल पंचायत की उपाध्यक्ष हैं। बाल मजदूरी का विरोध करते हुए चंपा ने कई बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाया है और वह ज़िले में बाल मित्र के रूप में काम कर रही हैं। चंपा ने बाल पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर गाँव में दो बाल विवाह रुकवाने में कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने गांव में बच्चों के लिये शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता का प्रबंध करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटेन सरकार की ओर से वेल्स की राजकुमारी डायना की स्मृति में हर साल यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड से 9 से 25 साल की उम्र के उन बच्चों और युवाओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए सामाजिक बदलाव लाने में असाधारण योगदान दिया हो। इस साल चंपा कुमारी सहित दुनियाभर के 25 बच्चों को यह सम्मान दिया जाना है।

नोट :

भाषा मुखर्जी

भारत में जन्मी इंग्लैंड निवासी 23 वर्षीय डॉक्टर भाषा मुखर्जी को मिस इंग्लैंड 2019 के खिताब से नवाज़ा गया। डर्बी की रहने वाली भाषा मुखर्जी के पास मेडिकल की दो अलग-अलग डिग्रियाँ हैं और उनका IQ लेवल 146 है जो उन्हें आधिकारिक तौर पर जीनियस साबित करता है। उन्हें पाँच भाषाओं की जानकारी है। अब भाषा मुखर्जी दिसंबर में आयोजित होने वाली मिस वर्ल्ड स्पर्द्धा में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। कक्षा में सबसे होशियार होने पर उन्हें आइंस्टीन अवार्ड भी मिला था। वह एक सामाजिक संस्था भी चलाती हैं, वर्ष 2017 में उन्होंने जेनेरेशन ब्रिज प्रोजेक्ट शुरू किया जो अकेलेपन की समस्या का सामना कर रहे बुजुर्गों की मदद करता है। माना जाता है कि प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन का IQ लेवल 160 था।

मकराना के मार्बल

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस (IUGS) की कार्यकारी समिति ने ग्लोबल हैरिटेज स्टोन रिसोर्स के भारतीय शोध दल के प्रस्ताव को मानते हुए मकराना के मार्बल को विश्व विरासत का दर्जा दे दिया। मकराना मार्बल भूगर्भीय दृष्टि से पूर्व केम्ब्रियन काल की कायांतरित चट्टान है, जो मूलत: चूना पत्थर के कायांतरण से बनती है। इसे आम बोलचाल में संगमरमर कहते हैं। मकराना का संगमरमर विश्व की सबसे उत्कृष्ट श्रेणी में से एक माना जाता है। यह विशुद्ध रूप से केल्साइट खनिज से बना होता है। इसमें अशुद्धियाँ बिल्कुल नहीं होने के कारण यह पूर्णत: सफेद होता है और समय के साथ बदरंग नहीं होता। IUGS ने मकराना मार्बल के अलावा स्पेन के एल्पेड्रेट ग्रेनाइट और मेकिइल मार्बल, UK के बाथ स्टोन, इटली के पिएट्रा सिरेना और रोजा बीटा ग्रेनाइट को इस सूची में शामिल किया है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी को बचाने और ज़मीन के नीचे खोज के लिये वैश्विक सहयोग से वर्ष 1961 में IUGS का गठन किया गया था तथा 121 देश इसके सदस्य हैं।

फूपगांव

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को महाराष्ट्र में अमरावती ज़िले के फूपगांव में हाल ही में किये गए उत्खनन में विदर्भ क्षेत्र में लौहकालीन बस्ती होने के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल पर खुदाई दिसंबर, 2018 और मार्च, 2019 के बीच की गई थी। ASI की टीम ने फूपगांव के चंदर बाज़ार से पूर्णा बेसिन के दरियापुर के बीच के क्षेत्र में गहन सर्वेक्षण किया। यह स्थल तापी की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी के विशाल घुमावदार मार्ग में स्थित है, जो बारहमासी नदी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ऊपरी धारा में बांध का निर्माण हो जाने के कारण पूरी तरह सूख चुकी है। यह स्थल नदी के तल से लगभग 20 मीटर की दूरी पर स्थित है और पुराने ज़माने में पानी की तेज़ धार के कारण इसके एक-तिहाई हिस्से में बार-बार भूमि कटाव होता था। कुल 9 खाइयों में खुदाई की गई, जिनसे मकान और चूल्हा, पोस्ट-होल और कलाकृतियों जैसे अवशेष मिले। खुदाई के दौरान, 4 पूर्ण गोलाकार संरचनाएं मिली। उत्खनन से एगेट-कारेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज और एगेट जैसे मोतियों की भी बड़ी मात्रा का पता चला। सभी खाइयों से लोहे, तांबे की वस्तुएं भी एकत्रित की गई हैं। बर्तनों के टूटे हुए टुकड़ों पर बड़ी मात्रा में भित्तिचित्रों के निशान मिले हैं। कालक्रमानुसार इस स्थान को 7 ईसा पूर्व और 4 ईसा पूर्व के बीच रखा जा रहा है।

एरिया 51

नेवादा रेगिस्तान में स्थित अमेरिकी सेना का गुप्त ठिकाना माने जाने वाले एरिया 51 पर प्रवेश करने के लिये हज़ारों लोगों ने एक फेसबुक कार्यक्रम 'Storm Area 51' पर हस्ताक्षर किये हैं।

- 'Shitposting cause im in shambles', 'SmyleeKun' और 'The Hidden Sound' नाम के तीन फेसबुक पेज़ ने मिलकर एक इवेंट बनाया और उसका नाम दिया 'Storm Area 51' जिसका अर्थ है एरिया 51 में घुसपैठ।
- इसकी टैगलाइन Storm Area 51, They Can't Stop All of Us है।
- यह क्षेत्र (Area 51) आधिकारिक तौर पर नेवादा टेस्ट एवं प्रशिक्षण रेंज के रूप में जाना जाता है, जो नेलिस वायु सेना बेस न(Nellis Air Force Base) का हिस्सा है और इसका उपयोग अमेरिकी वायु सेना के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि यहाँ एलियन पर शोध किया जाता है तथा यहाँ पर एलियन आते हैं।
- कुछ साल पहले तक अमेरिका ऐसी किसी जगह के वज़ूद से ही इनकार किया करता था। लेकिन वर्ष 2013 में अमेरिका ने कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक कर ये मान लिया है कि 'एरिया-51' उसका स्पेशल टेस्टिंग एरिया है, जहाँ अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (Unidentified flying object- UFO) जैसी चीजों पर भी परीक्षण किया जाता है।

नोट :

सीरिया का अलेप्पो शहर

सीरिया के अल्लेपो शहर के सदियों पुराने बाज़ार जो वर्षों के निरंतर संघर्ष के कारण तबाह हो गए थे धीरे-धीरे फिर से स्थापित किये जा रहे हैं।

- अलेप्पो के केंद्र में स्थित ऐतिहासिक ओल्ड सिटी में लगभग आठ साल से गृहयुद्ध जारी था। सरकारी बलों ने दिसंबर 2016 में घेराबंदी करके इसे विद्रोहियों के नियंत्रण से हासिल कर लिया।
- अलेप्पो के पूर्वी हिस्से और ओल्ड सिटी, जो कि अब खंडहर हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं।
- यहाँ के बाज़ारों का नेटवर्क जो लगभग 1300 ईस्वी से निरंतर चला आ रहा था इस गृहयुद्ध के दौरान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया जिसके कारण इसका लगभग एक-तिहाई हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया।
- वर्तमान में इसका अधिकांश हिस्सा ब्लास्ट किये गए गुंबद, बिना दीवारों या छतों की दुकानें आदि से बना है।
- यहाँ के योजनाकारों को उम्मीद है कि बाज़ार के खंडों के पुनर्निर्माण और कुछ दुकानों को पुन: खोलने से अंतत: बाज़ार पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- कुछ ऐसी दुकानों को भी खोला जा रहा है जो मध्यकाल से बंद पड़ी थीं।
- युद्ध से पहले ऐतिहासिक स्थान सीरिया पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता था, पर्यटक यहाँ से भोजन, मसाले, कपड़ा, साबुन, तेल एवं अन्य हस्तशिल्प सामग्रियों की खरीदारी करते थे।
- आगा खान फाउंडेशन (Aga Khan Foundation) के चार लाख डॉलर फंडिंग के साथ इसके नवीनीकरण में लगभग आठ महीने लगे हैं।

पृष्ठभूमि

- सीरिया में बीते आठ सालों से गृहयुद्ध जारी है।
- इदलिब शहर के अलावा उत्तरी हमा और पश्चिमी अलेप्पो विद्रोहियों का आखिरी गढ़ बना हुआ है।
- सीरिया और तुर्की के बीच हुए समझौते से लगभग 27 लाख लोगों को हवाई हमलों से राहत मिली थी।
- वर्तमान में भी यहाँ हिंसा की वारदातें अक्सर सामने आती रहती हैं।

विरासत-ए-खालसा संग्रहालय

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने पंजाब स्थित विरासत-ए-खालसा संग्रहालय में एक दिन में अधिकतम पर्यटकों द्वारा भ्रमण करने के रिकॉर्ड की पुष्टि की है।

- इस प्रकार यह संग्रहालय एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है।
- यह संग्रहालय पंजाब के आनंदपुर साहिब शहर में स्थित है।
- पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग (पंजाब) के अनुसार, इस संग्रहालय में 20 मार्च को 20,569 आगंतुकों का रिकॉर्ड स्तर देखा गया था जो एक दिन में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाने वाला संग्रहालय बन गया है।
- विरासत-ए-खालसा को पंजाब और सिख धर्म के समृद्ध इतिहास तथा संस्कृति के स्मरण के लिये बनाया गया था जिसका उद्घाटन नवंबर 2011 में किया गया था।
- प्रतिदिन औसतन 5,000-6,000 आगंतुक इस संग्रहालय में आते हैं, जो अन्य सभी संग्रहालयों के दर्शकों के सापेक्ष सबसे अधिक संख्या है।

बिधाननगर नगर निगम (साल्ट लेक सिटी)

बिधाननगर नगर निगम (साल्ट लेक सिटी) की अध्यक्ष कृष्णा चक्रवर्ती को हाल ही में निगम के महापौर के रूप में शपथ दिलाई गई।

- उल्लेखनीय है कि विधाननगर नगर निगम वर्ष 2015 में बना था और इसके पहले महापौर सब्यसाची दत्त बने थे लेकिन पार्टी में अविश्वास के चलते इन्होंने 18 जुलाई को महापौर पद से इस्तीफा दे दिया था।

नोट :

- बिधाननगर नगर निगम (साल्ट लेक सिटी) कोलकाता शहर के केंद्र से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक उपनगरीय क़स्बा है जहाँ हाल ही में नए वाणिज्यिक विकास एवं IT केंद्रों का तेज़ी से विकास हुआ है।
- यहाँ पर एक साल्ट लेक भी है।
- साल्ट लेक सिटी में आवासीय संपत्तियों की मांग पिछले एक दशक में बहुत अधिक बढ़ी है, साथ ही निवेश में भी बहुत तीव्र वृद्धि हुई है।
- निवेश का प्रमुख कारण आईटी कंपनियों का कार्यालय जैसे- विप्रो, TCS, एक्सेंचर, IBM, टेक महिंद्रा, जेनपैक्ट, HCL टेक्नोलॉजीज़, NIIT टेक्नोलॉजीज़, सीमेंस, डेलॉयट एवं लेक्समार्क आदि यहाँ पर स्थित हैं।

बावली का पुनरुद्धार

मुगल सम्राट जहाँगीर द्वारा अरब की सराय (Arab Ki Sarai) में निर्मित बावली को विरासत एवं जल संरक्षण के दोहरे उद्देश्य से पुनर्जीवित किया जा रहा है।

- वर्तमान में देश के कई शहर पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। अत: बावली को पुनर्जीवित कर जल संरक्षण किया जा सकता है।
- 16वीं शताब्दी की दीवार से घिरी बावली जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुमायूँ के मकबरे के भीतर स्थित है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
- संभवत: इस बावली के पास स्थित कुएँ का पानी बादशाह जहाँगीर ने पिया होगा, व्यापारियों के साथ बातचीत की होगी तथा दूर- दूर से व्यापारियों ने यहाँ पर अपना सामान बेचा होगा।
- ये बावली पारंपरिक ज्ञान को उजागर करने तथा जल संरक्षण के लिये एक तरह की गाइडबुक है।
- नीति निर्माताओं एवं पर्यावरणविदों को वर्तमान परिदृश्य में इस पर काम करने की आवश्यकता है क्योंकि सिंचाई, फव्वारा या बगीचों को पानी देने के लिये पानी की आवश्यकता होती है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बावलियों के कई संरचनात्मक तत्त्व ढह गए हैं।
- बावली की मुख्य दीवारें मरम्मत किये जाने योग्य नहीं हैं तथा इनके क्षरण को रोकने के लिये तत्काल आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

ग्रीन रेटिंग

देश में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने उर्वरक क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की उनके पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन के लिये पहली बार ग्रीन रेटिंग जारी की है। देश में काम कर रही 28 उर्वरक कंपनियों में से जगदीशपुर की इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स को पर्यावरण के प्रति सबसे अच्छा प्रदर्शन के लिये चार-पत्ती अवार्ड दिया गया है। गुजरात की कृषक भारती को-ऑपरेटिव कंपनी सहित 15 कंपनियों को तीन-पत्ती अवार्ड तथा बठिंडा की नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड सहित तीन कंपनियों को दो-पत्ती और पानीपत की नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड सहित चार कंपनियों को एक-पत्ती अवार्ड दिया गया है। इन कंपनियों को छह श्रेणियों में बाँटा गया और इनके लिये 50 पैरामीटर तय किये गए। ग्रेन-बाई-ग्रेन नामक इस रिपोर्ट में भारत के उर्वरक उद्योग के पर्यावरण संबंधी परफॉरमेंस का व्यापक आकलन किया गया है। ग्रीन रेटिंग का यह सातवाँ प्रोजेक्ट है। इससे पहले पल्प एवं पेपर, ऑटोमोबाइल, क्लोरिक क्षार, सीमेंट, लौह तथा इस्पात एवं थर्मल पावर सेक्टर को ग्रीन रेटिंग जारी की गई है। आपको बता दें कि वर्ष 1997 में पहली बार ग्रीन रेटिंग जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा पर्यावरण के प्रति निभाई जा रही ज़िम्मेवारियों का स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर आकलन करना था।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (Ramon Magsaysay Award) देने का ऐलान किया गया है। एशिया का नोबेल माना जाने वाला यह पुरस्कार एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिये दिया जाता है। रवीश कुमार को यह पुरस्कार देने के पीछे रेमन मैग्सेसे संस्थान ने तर्क यह दिया है कि वह अपनी पत्रकारिता के ज़रिये उनकी आवाज़ को मुख्यअनुच्छेद में ले आए, जिनकी हमेशा उपेक्षा की जाती है; अगर आप लोगों की आवाज़ बनते हैं तो आप पत्रकार हैं। रवीश कुमार

नोट :

के अलावा वर्ष 2019 का मैग्सेसे अवॉर्ड म्यांमार के को स्वे विन, थाईलैंड के अंगखाना नीलापाइजित, फिलिपीन्स के रेमुन्डो पुजांते और दक्षिण कोरिया के किम जोंग-की को भी मिला है। इससे पहले बेहतरीन पत्रकारिता के लिये भारत के अमिताभ चौधरी (1961), बी.जी. वर्गीज़ (1975), अरुण शौरी (1982), आर.के. लक्ष्मण (1984) तथा पी. साईनाथ (2007) को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। यह पुरस्कार फिलिपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था।

नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिनी की सरकार ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी के हालिया दौरे में राष्ट्रपति कोविंद को 'नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट' पुरस्कार से नवाज़ा गया। उन्हें यह सम्मान भारत-गिनी के समग्र संबंधों की प्रगति तथा दोनों देशों में मित्रता को बढ़ावा देने में योगदान के लिये दिया गया है। इस यात्रा के दौरान भारत ने गिनी को जल आपूर्ति परियोजना के विकास के लिये 17 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की पेशकश की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, ई-विद्या भारती, ई-आरोग्य भारती, ई-वीबीएबी नेटवर्क परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में भारतीय राष्ट्रपति गांबिया से गिनी पहुँचे तथा पश्चिम अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं।

वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (WTI)

भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (WTI) पुरस्कारों का चौथा संस्करण आरंभ किया है। भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजीडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा लोक-डेसालियन ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के साथ मिलकर WTI पुरस्कार 2019 के लिये नामांकन प्रक्रिया आरंभ की। यह नामांकन व्यक्ति विशेषों की तरफ से या स्वयं व्यक्ति विशेष द्वारा किये जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में शुरू हुए WTI पुरस्कार का उद्देश्य पूरे भारत की अनुकरणीय महिलाओं के कार्यों को सम्मानित करना है। WTI पुरस्कार 2019 की थीम महिला एवं उद्यमशीलता रखी गई है जो पिछले संस्करण की थीम की निरंतरता में है। WTI के तहत ऐसी महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाता है जो व्यवसायों और उद्यमों के माध्यम से रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ती रही हैं और एक गतिशील नवीन भारत के निर्माण में नवोन्मेषी विकास संबंधी समाधान उपलब्ध कराती रहीं हैं। Whatsapp ने WTI पुरस्कार 2019 के लिये WEP के साथ समझौता किया है और वह विजेताओं को 100,000 डॉलर के बराबर की सहायता प्रदान करेगा। यह अभियान पिछले तीन वर्षों के दौरान WTI पुरस्कारों की सफलता पर आधारित है। इसके वर्ष 2018 के संस्करण में 2300 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे और सख्त चयन प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वच्छता, कला एवं संस्कृति, सामाजिक नवोन्मेषण एवं प्रभाव जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरक कार्य करने वाली 15 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया था। WTI पुरस्कारों के पहले दो संस्करणों में असाधारण कार्य करने वाली 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया था, जिसमें से प्रत्येक महिला ने भारत के नगरों, शहरों एवं गाँवों में समाजों को रूपांतरित करने तथा स्वयं को एवं अपने समुदायों को अधिकार संपन्न बनाने के लिये उल्लेखनीय कार्य किया था।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान

हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) किरेन रिजीजू ने वर्ष 2016-17 के लिये विकास और स्वास्थ्य, मानवाधिकार संवर्द्धन, सक्रिय नागरिकता, समुदाय सेवा, समाज सेवा आदि के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य एवं योगदान के लिये एकल (15-29 वर्ष की आयु के बीच) एवं संगठनों को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किये। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग द्वारा दिये जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय विकास एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता अर्जित करने के लिये प्रेरित करना तथा युवाओं में समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहित कर अच्छे नागरिकों के रूप में उनकी स्वयं की व्यक्तिगत क्षमता में सुधार लाना और समाज सेवा सहित राष्ट्रीय विकास के लिये युवाओं के साथ काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किये गए असाधारण कार्य को सम्मानित करना भी इन पुरस्कारों का उद्देश्य है। एकल पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाणपत्र और 50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। युवा संगठन को दिये जाने वाले पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाणपत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि होती है।

नोट :

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों

वर्ष 2019 के लिये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिनका चयन पूर्व अर्जुन पुरस्कार विजेताओं, द्रोर्णाचार्य पुरस्कार विजेताओं, खेल पत्रकारों/विशेषज्ञों/ कमंटेटरों और खेल प्रशंसकों की चयन समितियों द्वारा किया गया है। खेल पुरस्कार 2019 के लिये गठित चयन समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकुंदकम शर्मा थे। विदित हो कि विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल दिये जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चार वर्ष की अवधि के दौरान खेलों के क्षेत्र में सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार कुश्ती में विश्व चैंपियन रहे बजरंग पूनिया तथा पैरा एथलीट दीपा मलिक को दिया जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों के दौरान लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिये दिया जाता है तथा इस वर्ष इसके लिये 19 खिलाडी चुने गए हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक विजेता तैयार करने वाले कोच को प्रदान किया जाता है। खेलों के विकास में जीवन पर्यन्त योगदान (लाइफ टाइम अचीवमेंट) देने के लिये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। कॉरपोरेट संस्थाओं (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में) और उन व्यक्तियों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने खेलों के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है।

- राष्ट्रपति भवन में 29 अगस्त, 2019 को विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को पदक, प्रशस्ति पत्र के अलावा साढ़े सात लाख रूपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को लघु प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 5-5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 में संस्था को एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिये जाएंगे। अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी, 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला और अनुभव पुरस्कार, 2019

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 23 अगस्त को नई दिल्ली में सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला और अनुभव पुरस्कार, 2019 प्रदान किये। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री के आह्वान पर अनुभव पोर्टल तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त अधिकारियों के समृद्ध अनुभवों को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। वर्ष 2016 में पुरस्कार योजना शुरू की गई, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष 2016 से ही हर वर्ष वार्षिक समारोहों का आयोजन भी होने लगा। यह इस श्रृंखला का चौथा वार्षिक पुरस्कार है।

पोषण अभियान पुरस्कार

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 2018-19 के लिये विभिन्न श्रेणियों में पोषण अभियान पुरस्कार प्रदान किये। यह पुरस्कार राज्यों, जिला, ब्लॉक स्तर पर तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदान किये गए। इनका चयन पोषण अभियान को बढ़ावा देकर देश के सभी परिवारों को लाभान्वित करने को सुनिश्चित बनाने में योगदान देने के लिये किया गया। पोषण अभियान कई मंत्रालयों के समन्वित प्रयास से चलाया जाता है और इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश से कुपोषण दूर करना है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 363 पुरस्कार और 22 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। इन पुरस्कारों का उद्देश्य सभी पक्षों की सहायता से कुपोषण की चुनौतियों से निपटना है। इसके अलावा 1 सितंबर से एक पोषण अभियान शुरू किया जा रहा है जो एक महीने चलेगा और इसमें सरकार ने 44 करोड़ लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में 22 करोड़ लोग शामिल हुए थे। समारोह में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये सभी जिला कलेक्टरों की भागीदारी ज़रूरी है क्योंकि पोषण और पोषण आधारित नीतियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें समझने के लिये जिला प्रशासन में क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है।

नोट :

होमलैंड सिक्योरिटी 2019 सम्मेलन में स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार

हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन,परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली आयोजित होमलैंड सिक्योरिटी 2019 सम्मेलन में स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार प्रदान किये। इसके तहत उग्रवाद रोधी, बाल सुरक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग, अपराध जाँच और अभियोजन, साइबर अपराध प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, मानव तस्करी, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन, स्मार्ट पुलिस स्टेशन, निगरानी और निगरानी, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, महिला सुरक्षा और अन्य पुलिस पहल के क्षेत्रों में काम करने के लिये अधिकारियों को 35 स्मार्ट पॉलिसिंग पुरस्कार दिये गए। इस अवसर पर पुलिसिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर एक सार- संग्रह भी जारी किया गया। विदित हो कि हालिया दो दशकों स्मार्ट पुलिसिंग निर्माण की प्रकृति और चुनौतियाँ बदल गई हैं। कुछ साल पहले तक कुछ बदलावों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। केंद्र सरकार विशेष रूप से, महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कानूनों के संबंध में स्मार्ट पुलिसिंग के निर्माण को अधिक प्रभावी बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार

29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जयंती के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2019 के लिये राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार प्रदान किये। इन पुरस्कारों के तहत राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य (नियमित और लाइफटाइम), अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद अवॉर्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई।

पुरस्कार विजेताओं की सूची

- राजीव गांधी खेल रत्न: बजरंग पूनिया (कुश्ती) और दीपा मलिक (पैरा एथलेटिक्स)
- द्रोणाचार्य अवॉर्ड (नियमित): विमल कुमार (बैडमिंटन), संदीप गुप्ता (टेबल टेनिस) और मोहिंदर सिंह ढिल्लों (एथलेटिक्स)
- द्रोणाचार्य अवॉर्ड (लाइफटाइम अचीवमेंट): मरजबान पटेल (हॉकी), रामबीर सिंह खोखर (कबड्डी) और संजय भारद्वाज (क्रिकेट)
- अर्जुन पुरस्कार: तजिंदर पाल सिंह तूर (एथलेटिक्स), मोहम्मद अनस यहिया (एथलेटिक्स), एस. भास्करन (बॉडी बिल्डिंग), सोनिया लाठर (मुक्केबाजी), रवींद्र जडेजा (क्रिकेट), पूनम यादव (क्रिकेट), चिंगलेनसाना सिंह कंगुजम (हॉकी), अजय ठाकुर (कबड्डी), गौरव सिंह गिल (मोटर स्पोर्ट्स), प्रमोद भगत (पैरा स्पोर्ट्स- बैडमिंटन), अंजुम मुद्गिल (निशानेबाजी), हरमीत राजुल देसाई (टेबल टेनिस), पूजा ढांडा (कुश्ती), फवाद मिर्जा (घुड़सवारी), गुरप्रीत सिंह संधू (फुटबॉल), स्वप्ना बर्मन (एथलेटिक्स), सुंदर सिंह गुर्जर (पैरा स्पोर्ट्स- एथलेटिक्स), बी. साई प्रणीत (बैडमिंटन) और सिमरन सिंह शेरगिल (पोलो)
- ध्यानचंद अवॉर्ड: मैनुअल फ्रेडरिक्स (हॉकी), अरूप बसाक (टेबल टेनिस), मनोज कुमार (कुश्ती), नितिन कीर्तने (टेनिस) और सी. लालरेमसांगा (तीरंदाजी)
- राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार: गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन और गो स्पोर्ट्स और रॉयलसीमा विकास ट्रस्ट
- मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी: पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़
- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार: अपर्णा कुमार (भू-साहस), स्वगीर्य दीपांकर घोष (भू- साहस), मणिकंदन के (भू-साहस), प्रभात राजू कोली (जल साहस), रामेश्वर जांगड़ा (वायु साहस), वांगचुक शेरपा (लाइफटाइम अचीवमेंट)

गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल दिये जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चार वर्ष की अवधि के दौरान खेलों के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों के दौरान लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक विजेता तैयार करने वाले कोच को प्रदान किया जाता है। खेलों के विकास में जीवनपर्यन्त योगदान देने के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। कॉरपोरेट संस्थाओं (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में) और उन व्यक्तियों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने खेलों के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को पदक, प्रशस्तिपत्र के अलावा साढ़े सात लाख रूपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को लघु प्रतिमा, प्रमाणपत्र और 5-5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल

नोट :

प्रोत्साहन पुरस्कार में संस्था को एक ट्रॉफी और प्रमाणपत्र दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाणपत्र दिया जाता है। अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और प्रमाणपत्र दिया जाता है।

वी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज़

वी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज़ के 14वें संस्करण में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म I,m Jeeja को अंडर-30 मिनट श्रेणी कें पुरस्कृत किया गया है। स्वाति चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में विकलांग लोगों के जीवन और संघर्ष का चित्रण किया गया है। इसकी कहानी विकलांगता से ग्रस्त कार्यकर्ता जीजा घोष पर आधारित है जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। 46 वर्षीय जीजा घोष पहली बार वर्ष 2012 में तब चर्चा में आई थीं जब उन्हें उनकी शारीरिक स्थिति के मद्देनज़र विमान से उतरने के लिये कहा गया था। ये पुरस्कार फिल्मों की अवधि के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में दिये जाते हैं- 5 मिनट, 30 मिनट और 90 मिनट। यूनेस्को, भारत और भूटान के लिये संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र और नई दिल्ली स्थित NGO ब्रदरहुड इस फिल्म समारोह के सह-संस्थापक हैं।

रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड 2019

भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

- वर्ष 2018 में यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों में सोनम वांगचुक (लद्दाख के एक शिक्षा सुधारक) और भरत वटवानी (एक मनोचिकित्सक जो मुंबई में मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये कार्य करते हैं) पुरस्कार के विजेताओं में शामिल थे।
- बीते 12 वर्षों में यह पहली बार है जब किसी भारतीय पत्रकार को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व अरविंद केजरीवाल, अरुणा रॉय और संजीव चतुर्वेदी सहित कई अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार मिल चुका है।
  - पुरुस्कार के अन्य विजेता:
  - पत्रकार को स्वे विन, म्यांमार
  - मानवाधिकार कार्यकर्त्ता अंगखाना नीलापाइजित, थाईलैंड
  - संगीतकार रैयमुंडो पुजंते, फिलीपीन
  - किम जोंग, दक्षिण कोरिया, युवाओं में हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्त्ता

रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड

- यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है जिसकी शुरुआत वर्ष 1957 में की गई थी।
- इसका नाम फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है।
- मुख्य रूप से यह पुरस्कार पाँच श्रेणियों, (1) सरकारी सेवा (2) सार्वजनिक सेवा (3) सामुदायिक नेतृत्व (4) पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला और (5) शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, में लोगों एवं संस्थाओं को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिये दिया जाता है।
- इस पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) ने अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने वाले पत्रकारों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करने के लिये 'विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार' की घोषणा की है।

- इस पुरस्कार की घोषणा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के शताब्दी वर्ष समारोह की गई।
- पुरस्कार विजेता का चयन पत्रकारिता का उत्कृष्ट अनुभव रखने वाले समस्त भारतीयों में से किया जाएगा।

नोट :

- पुरस्कारों की दो श्रेणियाँ हैं, जिनमें पहली श्रेणी के अंतर्गत दो पत्रकारों या प्रिंट मीडिया के स्वतंत्र पत्रकारों को 5,00,000 रुपए नकद, एक पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - नामांकित उम्मीदवारों का आकलन वर्ष 2019 से 2020 के दौरान भारत में हिंदी, अंग्रेज़ी या क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित लोकप्रिय पाक्षिक पत्रिकाओं, विज्ञान पत्रिकाओं या पत्रिकाओं में छपे लेखों या सफलता की कहानियों के आधार पर किया जाएगा।
- पुरस्कार की दूसरी श्रेणी के तहत पत्रकारों या प्रिंट मीडिया के स्वतंत्र पत्रकारों को 3,00,000; 2,00,000 और 1,00,000 रुपए के 3 नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिये जाएंगे।
  - लेख या सफलता की कहानियाँ भारत में एक वर्ष के दौरान लोकप्रिय समाचार पत्रों या समाचार पत्रिकाओं में हिंदी, अंग्रेज़ी, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होनी चाहिये, जैसा कि प्रस्ताव में सूचित किया गया है।
  - चुने गए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 1 अगस्त, 2020 को की जाएगी।

राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार, 2019 National Entrepreneurship Awards, 2019

हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार, 2019 (National Entrepreneurship Awards, 2019) के चौथे संस्करण की घोषणा की।

- इसके लिये प्रतिभाशाली उद्यमियों की नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है।
- राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार, 2019 का उद्देश्य पहली पीढ़ी के प्रतिभाशाली युवा उद्यमियों एवं उद्यमिता पारिस्थितिकी निर्माताओं को उद्यमिता विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये सम्मानित करना है।
- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार के ज़रिये सर्वाधिक अभिनव, प्रेरणादायक और निपुण छोटे उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिये पुरस्कृत किया जाएगा।
- इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 9 नवंबर, 2019 को किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत कुल 45 पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे, जिनमें उद्यमों के लिये 39 पुरस्कार और उद्यमिता पारिस्थितिकी निर्माताओं के लिये 6 पुरस्कार शामिल हैं।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित भव्य पुरस्कार समारोह में विजेताओं का अभिनन्दन किया जाएगा और उद्यम/व्यक्ति को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र तथा 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार एवं संगठन/संस्थान को 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

पुरस्कार की पात्रता के लिये शर्तें

- नामित उद्यमी की उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।
- उन्हें प्रथम पीढ़ी का उद्यमी होना चाहिये।
- नामित उद्यमी के पास अनिवार्य रूप से 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक इक्विटी के साथ-साथ व्यवसाय का स्वामित्व होना चाहिये।
- महिला उद्यमियों के पास संयुक्त रूप से उद्यम की 75 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी होनी चाहिये।

भारत रत्न 2019

8 अगस्त, 2019 को देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक व संगीतकार भूपेन हज़ारिका को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

- यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश के किसी भी क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हों, अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया हो।
- 'भारत रत्न' कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में तथा किसी राजनीतिज्ञ, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को असाधारण सेवा हेतु व उच्च लोक सेवा को मान्यता देने के लिये भारत सरकार की ओर से दिया जाता है।

नोट :

प्रणब मुखर्जी

- करीब पाँच दशकों तक देश की राजनीति में सक्रिय रहे प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। हालाँकि पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति रहे, इसलिये वे इस पद पर आसीन होने वाले 12वें व्यक्ति हैं।
- प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई, 2012 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वह इस पद पर 25 जुलाई, 2017 तक रहे। 1984 में प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री रह चुके हैं।

नानाजी देशमुख

- 11 अक्तूबर, 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली में जन्मे नानाजी देशमुख मुख्य रूप से समाजसेवी थे।
- वर्ष 1980 में सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया लेकिन दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना करके समाजसेवा से जुड़े रहे।
- वर्ष 1999 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और उसी साल समाज सेवा के लिये उन्हां पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख का निधन 27 फरवरी, 2010 को 95 वर्ष की उम्र में चित्रकूट में हुआ था।

भूपेन हज़ारिका

- भूपेन हज़ारिका गायक एवं संगीतकार होने के साथ ही एक कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति तथा संगीत के अच्छे जानकार थे।
- उनका निधन पाँच नवंबर, 2011 को हुआ था। उन्हें दक्षिण एशिया के सबसे नामचीन सांस्कृतिक कर्मियों में से एक माना जाता था।
- अपनी मूल भाषा असमी के अलावा भूपेन हज़ारिका ने हिंदी, बांग्ला समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने गाए। उन्हें पारंपरिक असमिया संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है।
- हज़ारिका को पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे पुरस्कारों से भी नवाज़ा गया था।

वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स

9 अगस्त, 2019 को दिल्ली में नीति आयोग ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स (Women Transforming India Awards) का चौथा संस्करण लॉन्च किया।

- WhatsApp ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2019 के लिये नीति आयोग के साथ सहयोग किया है।
- पुरस्कार विजेताओं को 100,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- यह पुरस्कार देश भर की महिला उद्यमियों को एक अलग पहचान देने के लिये संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आयोजित किये जा रहे हैं।
- इस वर्ष की थीम 'वुमन एंड एंटरप्रेन्योरशिप' (Women and Entrepreneurship) अर्थात् महिला एवं उद्यमिता है।
- महिला उद्यमिता मंच (Women Entrepreneurship Platform- WEP) नीति आयोग द्वारा चलाई जा रही भारत सरकार की पहल है।
- इस मंच को भारत में उद्यमी बनने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के साथ-साथ स्थापित महिला उद्यमियों को बढ़ावा एवं सहयोग देने, कार्य को आगे बढ़ाने तथा उनके उपक्रमों को विस्तार देने में मदद करने के लिये चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

12 अगस्त, 2019 को केंद्रीय खेल मामले एवं कार्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने एक समारोह के तहत एकल (15-29 वर्ष की आयु के बीच) एवं संगठनों को वर्ष 2016-17 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (National Youth Award) प्रदान किया।

- यह पुरस्कार विकास तथा स्वास्थ्य, मानवाधिकार संवर्द्धन, सक्रिय नागरिकता, समुदायिक सेवा इत्यादि जैसे समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य तथा योगदान के लिये प्रदान किया जाता है।
- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग द्वारा दिये गए पुरस्कारों का प्रमुख उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय विकास एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता अर्जित करने के लिये प्रेरित करना तथा युवाओं में समुदाय के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करना है।

नोट :

- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार समारोह के दौरान 'भारतीय युवाओं की दृष्टि से चीन-2019' पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। यह उन युवा प्रतिनिधियों द्वारा लिये गए चित्रों की प्रदर्शनी थी जिन्होंने हाल ही में चीन में युवा विनिमय कार्यक्रम में भाग लिया था।
- एकल पुरस्कार के तहत एक पदक, एक प्रमाणपत्र तथा 50 हज़ार रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है, जबकि युवा संगठन के तहत दिये जाने वाले पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाणपत्र एवं 2 लाख रुपए की नकद राशि शामिल होती है।
- 'भारतीय युवाओं की दृष्टि से चीन-2019' पर फोटो प्रदर्शनी के लिये भी तीन एकल पुरस्कार दिये गए।
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2016-17 निम्नलिखित 20 खिलाड़ियों एवं तीन संगठनों को प्रदान किया गया

एकल वर्ग में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2016-17 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी:

1. रोहित कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश)	11. केएच कृष्णा मोहन सिंघा (असम)
2. विनित देवीदास मालपुरे (महाराष्ट्र)	12. प्रुधवी गोल्ला (आंध्र प्रदेश)
3. मोमोता थाउनाओजाम (मणिपुर)	13. राजू गोरई (पश्चिम बंगाल)
4. नितेश कुमार शाहु (छत्तीसगढ़)	14. राहुल डाबर (हरियाणा)
5. ओद्विराजू वामशिकृष्णा (तेलंगाना)	15. हंसराज खाटावलिया (राजस्थान)
6. प्रिंस सिंघल (झारखंड)	16. प्रितीश कुमार (उत्तर प्रदेश)
7. अपूर्व ओम (दिल्ली)	17. मृत्युंजय द्विवेदी (उत्तर प्रदेश)
8. ए.जी. पद्मनाभन (तमिलनाडु)	18. मितेश गज्जर (गुजरात)
9. ओंकार राजीव नवलीहलकार (महाराष्ट्र)	19. सुब्रत कुमार दास (ओडिशा)
10. गेटेम वेंकटेश (आंध्र प्रदेश)	20. मन्नु काम्बोज (राजस्थान)

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2016-17 प्राप्तकर्त्ता संगठन वर्ग:

1. ईको-प्रो बहुउद्देशिय संस्था (महाराष्ट्र)
2. केयर एंड शेयर फाउंडेशन (मणिपुर)
3. समुत्कर्ष युवा विकास नवयुवक मंडल (राजस्थान)

महर्षि बादरायण व्यास सम्मान

राष्ट्रपति ने वर्ष 2019 के लिये चयनित विद्वानों को महर्षि बादरायण व्यास सम्मान से सम्मानित किया है।

- इस सम्मान की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- इस सम्मान का उद्देश्य 30-45 वर्ष की आयु वर्ग के विद्वानों को फारसी, अरबी, पाली, प्राकृत और शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान हेतु सम्मानित करना है।
  - वर्तमान में छह भाषाओं यानी तमिल, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जा चुका है।
  - किसी भाषा को शास्त्रीय भाषाका दर्जा दिये जाने के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड निम्नानुसार है:
    - उस भाषा का प्रारंभिक साहित्य अति-प्राचीन हो।
    - उस भाषा का अभिलिखित इतिहास 1500-2000 साल पुराना हो।
    - उस भाषा को बोलने वाली कई पीढ़ियाँ उसके प्राचीन साहित्य को मूल्यवान विरासत मानती हों।
    - उस भाषा की साहित्यिक परंपरा स्वयं उसी भाषा की हो, न कि किसी अन्य भाषा से उधार ली गई हो।
- किसी शास्त्रीय भाषा और साहित्य का रूप उस भाषा के आधुनिक रूप से अलग होते हैं, इसलिये शास्त्रीय भाषा और उसके परवर्ती रूप एवं प्रशाखाओं के बीच में अंतराल हो सकता है।

नोट :

ऑर्डर ऑफ ज़ायद

भारत के प्रधानमंत्री को UAE का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ज़ायद प्रदान किया जाएगा।

- इसकी घोषणा UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन ज़ायेद अल नहयान ने की।
- यह सम्मान दोनों देशों के बीच रिश्तों और रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने के लिये दिया जा रहा है।
- 'ज़ायद मेडल' UAE का सर्वोच्च सम्मान है जो बादशाहों, राष्ट्रपति और राष्ट्र प्रमुखों को दिया जाता है।
- वर्ष 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वर्ष 2010 में ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ, वर्ष 2016 में सऊदी के शाह सलमान बिन अब्दुल्लाअज़ीज़ अल सऊद और वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका हैं।
- प्रधानमंत्री मोदी 24 और 25 अगस्त को बहरीन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे जहाँ वे श्रीनाथजी के मंदिर के जीर्णोद्धार का शुभारंभ करेंगे।

100 ईयर्स ऑफ क्राइसोस्टम

एक जीवनी संबंधी डॉक्यूमेंट्री '100 ईयर्स ऑफ क्राइसोस्टम' (100 Years of Chrysostum) को सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में गिनीज़ अवार्ड प्रदान किया गया।

- यह डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार ब्लेसी (Blessy) द्वारा लिखित एवं निर्देशित फिलिपोज़ मार क्रिस्टोस्टम (Philipose Mar Chrysostum) के जीवन पर आधारित है।
- 48 घंटे और 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ने 21 घंटे की सऊदी अरब की डॉक्यूमेंट्री 'वर्ल्ड ऑफ स्नेक्स' (World of Snakes) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
- यह डॉक्यूमेंट्री लगभग चार वर्ष में पूरी की गई।
- इस डॉक्यूमेंट्री को देखने में भारत के सेंसर बोर्ड को सात दिन लग गए।

बेविन पुरस्कार

दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी संरक्षण संस्थान वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रमुख संरक्षण गैर-लाभ के प्रमुख, संरक्षणविद विवेक मेनन, को प्रतिष्ठित क्लार्क आर बेविन वन्यजीव कानून प्रवर्तन पुरस्कार (Clark R Bavin Wildlife Law Enforcement Award) से सम्मानित किया गया है।

- विवेक मेनन को यह पुरस्कार जेनेवा में चल रही CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) की 18वीं बैठक के दौरान दिया गया।
- बेविन पुरस्कार की स्थापना एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट (Animal Welfare Institute) द्वारा वन्यजीव कानून प्रवर्तन अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, एजेंसी प्रशासकों, आपराधिक जाँचकर्त्ताओं, फोरेंसिक वैज्ञानिकों, वकीलों, मुखबिरों और उन लोगों को पुरस्कृत/सम्मानित करने के लिये की गई है जिन्होंने अपने निर्धारित कर्त्तव्यों से आगे बढ़कर वन्यजीव अपराधों को रोकने का कार्य किया है।

तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2018

हाल ही में वर्ष 2018 के लिये तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कारों की घोषणा की गई।

- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार युवाओं में सहनशक्ति की भावना विकसित करने, जोखिम उठाने, टीमवर्क में सहयोग देने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया तथा साहसिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु संबंधित क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों को मान्यता देने के लिये दिये जाते हैं।
- ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिए जाते हैं-

1. भू साहसिक कार्य (Land Adventure)
2. जल साहसिक कार्य (Water Adventure)
3. वायु रोमांच (Air Adventure)
4. जीवन पर्यंत उपलब्धि (Life Time Achievement)

नोट :

- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कारों के लिये व्यक्तियों के चयन के लिये सचिव (युवा मामले) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चयन समिति का गठन किया गया था।
- इन पुरस्कारों के तहत प्रतिमा, प्रमाण-पत्र और पाँच-पाँच लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाएगी।
- समिति की सिफारिशों और उचित जाँच के बाद सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है-

क्र.सं.	नाम	श्रेणियाँ
1.	अपर्णा कुमार	भू साहसिक कार्य
2.	दीपांकर घोष	भू साहसिक कार्य
3.	मणिकंदन के.	भू साहसिक कार्य
4.	प्रभात राजू कोली	जल साहसिक कार्य
5.	रामेश्वर जांगड़ा	वायु साहसिक कार्य
6.	वांगचुक शेरपा	जीवन पर्यंत उपलब्धि

गवर्नेंस गोल्ड अवॉर्ड SKOCH

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के फ्लैगशिप अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) को प्रतिष्ठित 'गवर्नेंस गोल्ड अवॉर्ड SKOCH' से सम्मानित किया गया है।

- नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशनल क्लब में हुए एक कार्यक्रम के दौरान DAY-NULM हेतु सस्ता कर्ज़ एवं ब्याज अनुदान पहुँच यानी PAiSA [Portal for Affordable Credit and Interest Subvention Access] पोर्टल को यह पुरस्कार दिया गया है।
- नवंबर 2018 में शुरू हुआ PAiSA एक केंद्रीकृत आईटी प्लेटफॉर्म है। इस मिशन के तहत ब्याज अनुदान जारी करने को यह सरल एवं सुव्यवस्थित बनाता है।
- यह बैंकों द्वारा प्रक्रिया शुरू होने यानी प्रोसेसिंग, भुगतान, निगरानी और ब्याज अनुदान के दावों की ट्रैकिंग के लिये मासिक आधार पर शुरू से अंत तक ऑनलाइन समाधान उपलब्ध कराता है।
- स्वरोज़गार कार्यक्रम के लाभार्थियों से संबंधित अनुदान के दावों को बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग समाधान के ज़रिये अपलोड किया जाता है, जो संबंधित ULB और राज्यों द्वारा सत्यापित और मंज़ूर किये जाते हैं।
- स्वीकृत दावे की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के कर्ज़ खाते में चली जाती है। अनुदान राशि के खाते में पहुँचने की सूचना लाभार्थी को उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर भी दी जाती है।
- इलाहाबाद बैंक द्वारा इस पोर्टल को डिज़ाइन और विकसित किया गया है। अभी तक 28 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और 21 सरकारी बैंक, 18 प्राइवेट बैंक तथा 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत 74 बैंक इस पोर्टल में शामिल किये जा चुके हैं। PAiSA के ज़रिये अब तक लगभग 1.50 लाख लाभार्थियों को लगभग 27 करोड़ रुपए के ब्याज अनुदान का भुगतान किया गया है।

अगस्त क्रांति दिवस

हर साल देश में 8 अगस्त का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वर्ष अगस्त क्रांति की 77वीं वर्षगाँठ मनाई गई। 8 अगस्त, 1942 का दिन भारतीय इतिहास में आज़ादी की अंतिम लड़ाई के ऐलान के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन बंबई (अब मुंबई) के ग्वालिया टैंक मैदान पर अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस महासमिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) की नींव इसी दिन रखी गई थी, जिसके बाद सारा भारत अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट हो गया और ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। आज़ादी के बाद से ही इस दिन को क्रांति दिवस तथा बंबई (अब मुंबई) के जिस मैदान में झंडा फहराकर इसकी शुरुआत की गई थी, उसे क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है।

नोट :

विश्व मूल निवासी दिवस

विश्व मूल निवासी दिवस (World Indigenous People's Day) 9 अगस्त को दुनियाभर में मनाया जाता है। विश्व मूल निवासी दिवस सभी देशों के उन लोगों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा के लिये मनाया जाता है जो वहाँ के वास्तविक वासी यानी कि मूल निवासी हैं। मूल निवासियों के मानवाधिकारों को लागू करने और उनके संरक्षण के लिये 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्यदल United Nations Working Group on Indigenous Populations (UNWGIP) का गठन किया, जिसकी पहली बैठक 9 अगस्त, 1982 को हुई थी। इसलिये प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। UNWGIP कार्य दल के 11वें अधिवेशन में मूल निवासी घोषणा प्रारूप को मान्यता मिलने पर वर्ष 1994 को मूल निवासी वर्ष तथा 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस घोषित किया गया। मूल निवासियों को उनके अधिकार दिलाने और उनकी समस्याओं का निराकरण, भाषा, संस्कृति, इतिहास के संरक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अगस्त, 1994 को जिनेवा में विश्व के मूल निवासी प्रतिनिधियों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस सम्मेलन आयोजित किया।

विश्व फोटोग्राफी दिवस

19 अगस्त का दिन दुनियाभर में विश्व फोटोग्राफी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस जेक्स और मेंडे डाग्युरे ने सबसे पहले वर्ष 1839 में फोटो तत्व की खोज की थी। वर्ष 1839 में ही वैज्ञानिक सर जॉन एफ.डब्ल्यू. हश्रेल ने पहली बार 'फोटोग्राफी' शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हेनरी फॉक्सटेल बोट ने निगेटिव-पॉजीटिव प्रोसेस का आविष्कार किया और वर्ष 1834 में टेल बॉट ने लाइट सेंसेटिव पेपर की खोज करके खींची गई फोटो को स्थायी रूप में रखने में मदद की। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आर्गो की फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस के लिये लिखी गई एक रिपोर्ट को तत्कालीन फ्रांस सरकार ने खरीदकर 19 अगस्त, 1939 को आम लोगों के लिये फ्री घोषित कर दिया था। इसी उपलब्धि की याद में 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

7 अगस्त को देशभर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ। भुवनेश्वर को वहाँ की हथकरघा की समृद्धि संस्कृति के कारण मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के आयोजन का मुख्य लक्ष्य महिलाओं एवं लड़कियों का सशक्तीकरण करना था। भारत में बुनकरों की आधी से अधिक आबादी पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में रहती है, जिनमें से अधिकतर महिलाएँ हैं। ज्ञातव्य है कि यह पाँचवां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। 29 जुलाई, 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्त्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना और हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय को बढ़ाना उनके सामाजिक स्तर में वृद्धि करना था। 7 अगस्त की तारीख का चयन भारत की आज़ादी की लड़ाई में इसके विशेष महत्त्व को देखते हुए किया गया। वर्ष 1905 में इसी दिन कोलकाता के टाउनहॉल में एक जनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं का पुनरोत्थान शामिल था। भारत सरकार ने इसी की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया है। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था और चेन्नई में इसका मुख्य समारोह आयोजित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस

विश्वभर में 12 अगस्त का दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य युवाओं के मुद्दों पर समाज और सरकारों का ध्यान आकर्षित करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन (Transforming Education) रखी गई है। यह थीम युवाओं द्वारा स्वयं के प्रयासों सहित सभी युवाओं के लिये शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, न्यायसंगत और समावेशी बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसम्बर 1999 को युवा विश्व सम्मलेन के दौरान

नोट :

की गई सिफारिशों को मानते हुए पहली बार वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था। वर्ष 2015 में सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प को अपनाने के बाद से इस मान्यता को बल मिला कि परिवर्तन के एजेंट के रूप में युवा संघर्षों को रोकने और शांति बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, यहाँ 35 वर्ष की आयु तक के 65 करोड़ युवा हैं।

विश्व मानवतावादी दिवस

19 अगस्त को दुनियाभर में विश्व मानवतावादी दिवस या विश्व मानवता दिवस (World Humanitarian Day) का आयोजन किया जाता है। यह दिन उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट में अपनी जान गंवाई या मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता हेतु अपने प्राणों की बाज़ी लगा दी।16 वर्ष पूर्व वर्ष 2003 में इराक की राजधानी बगदाद में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हमला किया गया था, जिसमें 22 संयुक्त राष्ट्र कर्मी मारे गए थे। इसके बाद दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया था। यह दिन दुनियाभर में मानवीय ज़रूरतों पर ध्यान आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन्हें पूरा करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्त्व को दर्शाता है। वर्ष 2019 के लिये इस दिवस की थीम Women Humanitarians रखी गई है।

विश्व मच्छर दिवस

20 अगस्त का दिन दुनियाभर में विश्व मच्छर दिवस (World Mosquito Day) के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रास की स्मृति में इसे मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1897 में यह खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिये मादा मच्छर उत्तरदायी है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन ने विश्व मच्छर दिवस मनाने की शुरूआत वर्ष 1930 में की थी। गौरतलब है कि मच्छर विश्व के सबसे प्राणघाती कीटों में से एक हैं। इसमें मनुष्यों के भीतर रोग प्रसारित और रोग संचारित करने की क्षमता है। मच्छर कई प्रकार के होते हैं, जो कि कई प्रकार के रोगों के संवाहक हो सकते हैं। वेक्टर रोगों के लिये एडीज़, एनाफेलीज़, क्यूलेक्स मच्छर (जीवित जीव, जो कि मनुष्यों या कीटों से मनुष्यों के बीच संक्रामक रोग प्रसारित कर सकते हैं) माध्यम के रूप में कार्य करते है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में हर साल करीब 10 लाख लोगों की मौत मच्छरजनित रोगों से हो जाती है। मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया और ज़ीका मच्छरजनित रोगों में प्रमुख हैं। राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर भारत में लगभग 71% मलेरिया के मामले पाए जाते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं।

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस

21 अगस्त को दुनियाभर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन किया गया। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की पहली बार घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर, 1990 को की थी। वैसे विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का इतिहास वर्ष 1988 से शुरू होता है। इसे आधिकारिक तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने शुरू किया था। उन्होंने 19 अगस्त, 1988 को इस पर हस्ताक्षर किये थे, जिसे 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप सामने लाया गया था। रोनाल्ड रीगन पहले राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस को पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। विदित हो कि भारत सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों को कई सुविधाएँ देती है। 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक सभी सरकारी सुविधाओं के हकदार हैं। इन्हें रेलवे के किराए में 40 प्रतिशत छूट दी जाती है। सरकारी बसों में कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। एयरलाइन्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने की व्यवस्था रखी गई है। बैंकों तथा अस्पतालों में भी इन्हें कई सुविधाएँ प्राप्त हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है और उन्हें शिष्टाचार की प्रक्रिया के माध्यम से समर्थन देना है। इस दिन को वृद्ध लोगों के कल्याण के लिये भी मनाया जाता है ताकि उनकी क्षमता, ज्ञान उपलब्धियों और योग्यता की सराहना की जा सके। इस वर्ष इस दिवस की थीम The Journey to Age Equality रखी गई है।

नोट :

राष्ट्रीय खेल दिवस

29 अगस्त के दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 (एम्सटर्डम), 1932 (लॉस एंजेलस) और 1936 (बर्लिन) में लगातार तीन ओलंपिक खेलों में भारत भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों बार देश को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्हें 1956 में पद्मभूषण से समानित किया गया था। ज्ञातव्य है कि ध्यानचंद की जयंती के दिन ही खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा खेलों में विशेष योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इसके तहत भारतीय खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के अलावा अर्जुन पुरस्कार से नवाज़ा जाता है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

7 अगस्त, 2019 को 5वाँ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) मनाया गया।

- भारत के हथकरघा उद्योग पर रोशनी डालने के लिये प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है।
- प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त, 2015 को चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय की शताब्दी के अवसर पर किया था।
- इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसलिये चुना गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा किये जा रहे बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिये वर्ष 1905 में इसी दिन कलकत्ता टाऊन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघे का योगदान और बुनकरों की आमदनी में वृद्धि करना तथा घरेलू उत्पादों एवं उत्पादन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना है।
- केंद्रित वस्त्र तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
- इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। हथकरघे की समृद्ध परंपरा के कारण भुवनेश्वर को मुख्य आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है।
- भारत के बुनकरों की 50 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बसती है और इनमें से अधिकांश महिलाएँ हैं।
- भुवनेश्वर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना है।

विश्व जैव ईंधन दिवस

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum & Natural Gas) ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 10 अगस्त, 2019 को विश्व जैव ईंधन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया।

- प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस (World Biofuel Day) मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य पांरपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधनों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना है।
- इस वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम 'प्रयुक्त कुकिंग ऑयल से जैव डीज़ल का उत्पादन करना' [Production of Biodiesel from Used Cooking Oil (UCO)] है।
- वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा जारी जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति प्रयुक्त कुकिंग ऑयल (UCO) से जैव ईंधन के उत्पादन की परिकल्पना की गई थी।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा खाद्य मूल्य श्रृंखला से प्रयुक्त कुकिंग ऑयल को हटाने तथा वर्तमान में इसके अवैध उपयोग पर अंकुश लगाने की रणनीति को लागू किया जा रहा है।

नोट :

विश्व हाथी दिवस

दुनिया भर में हाथियों की रक्षा व सम्मान करने तथा उनके सामने आने वाले महत्त्वपूर्ण खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस (World Elephant Day) मनाया जाता है।

- इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य हाथियों का संरक्षण करना, जंगली हाथियों की संख्या, उनकी स्थिति एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी मुहैया कराना है।
- हाथियों का अवैध शिकार, आवास की हानि, मानव-हाथी संघर्ष तथा कैद में रखकर उनके साथ दुर्व्यवहार अफ्रीकी और एशियाई दोनों देशों में हाथियों के लिये सामान्य खतरों के तहत आते हैं।

हाथियों के संदर्भ में

- एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं: भारतीय, सुमात्रन तथा श्रीलंकन।
- IUCN के रेड लिस्ट में अफ्रीकी हाथियों को सुभेद्य (vulnerable) तथा एशियाई हाथियों को संकटापन्न (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत में हाथी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) की अनुसूची I में शामिल करते हुए भारतीय वन्यजीव कानून के तहत उच्चतम संभव संरक्षण प्रदान किया गया है।
- भारत सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिये कई पहलें शुरू की हैं।

एशेज़ टेस्ट क्रिकेट सीरीज़

1 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली एशेज़ टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ की शुरुआत हो गई है। दुनिया में इसे टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज़ माना जाता है। इसमें इंग्लैंड के बर्मिंघम में पाँच टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेली जानी है। इस बार खास बात यह है कि इसी पहले टेस्ट के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी शुरुआत हो रही है, जिसे क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट की लोकप्रियता बनाए रखने के लिये इस खेल की वैश्विक संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शुरू किया है। वैसे दोनों देशों के बीच अब तक 70 एशेज़ सीरीज़ खेली जा चुकी हैं, जिनमें से 33 बार ऑस्ट्रेलिया और 32 बार इंग्लैंड विजेता रहा है। दरअसल, वर्ष 1882 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पर आई थी, तब ओवल मैदान पर हुए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम आसानी से जीता हुआ मैच हार गई। इंग्लैंड पहली बार अपनी धरती पर कोई टेस्ट मैच हारा था। तब इंग्लिश मीडिया ने इंग्लिश क्रिकेट पर अफसोस जताया और इसे इंग्लिश क्रिकेट की मौत करार दे दिया। तब 'द स्पोर्ट्स टाइम्स' नामक अखबार ने एक शोक संदेश छापा, जिसमें लिखा था- 'इंग्लिश क्रिकेट का देहांत हो चुका है- 29 अगस्त, 1882, ओवल... और अब इसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी राख (Ashes) ऑस्ट्रेलिया ले जाई जाएगी। बाद में ऑस्ट्रेलिया में स्टंप्स पर रखी जाने वाली बेल्स (गिल्लियों) को जलाकर राख बनाई गई और उसको एक Urn (राख रखने वाले बर्तन) में डाल कर इंग्लैंड के कप्तान को दिया गया। वहीं से यह परंपरा चली आई और आज भी एशेज़ ट्रॉफी उसी राख वाले बर्तन को ही माना जाता है और उसी की एक बड़ी प्रतिकृति को ट्रॉफी बनाकर दिया जाता है।

डूरंड कप

देश के प्रतिष्ठित डूरंड कप फुटबॉल के फाइनल में पहली बार खेल रहे गोकुलम केरल ने मोहन बागान को 2-1 से पराजित कर दिया। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए डूरंड कप के 129वें संस्करण के फाइनल मैच में गोकुलम के लिये दोनों गोल त्रिनिदाद के फॉरवर्ड मार्कस जोसफ ने किये। केरल की किसी टीम ने 22 साल बाद एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता के खिताब को अपने नाम किया है। इससे पहले एफसी कोच्चि ने यह खिताब जीता था, जबकि मोहन बागान अब तक 16 बार यह खिताब जीत चुका है। कोलकाता के ही एक अन्य क्लब ईस्ट बंगाल को भी इस कप को 16 बार जीतने का गौरव हासिल है। आपको बता दें कि डूरंड कप एशिया और भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। वर्ष 1888 में शिमला में भारत में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित हुई थी। आज भी यह इस खेल की दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। इसका नाम इसके संस्थापक सर मोर्टीमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 1884 से वर्ष 1894 के बीच विदेश सचिव थे।

नोट :

(QR-SAM)

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के बालेश्वर जिले में चाँदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सीधा हवाई लक्ष्य के विरुद्ध अत्याधुनिक त्वरित प्रतिक्रिया ज़मीन-से-हवा (QR-SAM) में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO द्वारा विकसित दो मिसाइलों का परीक्षण दो सीधे लक्ष्यों के विरुद्ध किया गया और इन्होने सफलतापूर्वक लक्ष्यों को भेदा। कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ सुसज्जित QR-SAM ने विभिन्न रेंजों एवं ऊँचाइयों पर लक्ष्य को भेदा। इन प्रणालियों का परीक्षण एक वाहन पर लगे रडार एवं लॉन्चर पर मिसाइलों के साथ पूर्ण कन्फिगरेशन के साथ किया गया। ये प्रणालियाँ स्वदेशी रूप से निर्मित फेज्ड ऐरे रडार, इनर्सियल नेविगेशन सिस्टम, डेटा लिंक एवं RF सिकर से युक्त हैं। कम दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 30 किमी. है। इससे पहले 16 फरवरी, 2016 व 4 जून, 2017 को भी इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। DRDO ने इस मिसाइल को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की मदद से सेना वाहिनी के लिये विकसित किया है। यह दुश्मन के टैंक, युद्धक विमान को मार गिराने में सक्षम है।

स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये रक्षा खरीद परिषद (Defence Acquisition Council-DAC) ने हाल ही में अपनी बैठक में भारतीय नौसेना के लिये स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (SDR टेक्टिकल) तथा अगली पीढ़ी की मेरीटाइम मोबाइल तटीय बैटरी (NGMMCB लंबी दूरी) की खरीद की मंज़ूरी दी। SDR एक जटिल और अत्याधुनिक संचार प्रणाली है, जिसे देश में ही DRDO, BEL तथा वेपन इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग स्टैब्लिशमेंट (WESE) द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह प्रणाली सूचना साझा करने, सहयोग तथा उच्च गति डेटा के माध्यम से परिस्थितिजन्य जागरूकता में सहायक है और जैम-रोधी क्षमता के साथ वायस कम्युनिकेशन हासिल कर सकती है। अगली पीढ़ी की मेरीटाइम तटीय बैटरी को ज़मीन-से- ज़मीन पर मार करने वाली क्रूज़ मिसाइल सुपरसोनिक ब्रह्मोस के साथ लैस कर तटों पर तैनात किया जाएगा। NGMMCB भारत और रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित है। स्वदेश में विकसित ये दोनों उपकरण अगली पीढ़ी के हैं और सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहित करेंगे। विदित हो कि रक्षा खरीद में व्यावसायिक सुगम्यता पर फोकस को जारी रखते हुए DAC ने रक्षा खरीद प्रक्रिया में वर्ष 2016 में संशोधन को भी मंज़ूरी दी थी।

ओडिशा रसगुल्ला

ओडिशा को अपने 'रसगुल्ले' के लिये बहुप्रतीक्षित भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिल गया है। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रार ने वस्तु भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण), कानून 1999 के तहत इस मिठाई को 'ओडिशा रसगुल्ला' के तौर पर दर्ज करने का प्रमाणपत्र जारी किया। यह प्रमाणपत्र 22 फरवरी, 2028 तक वैध रहेगा। गौरतलब है कि GI टैग किसी वस्तु के किसी खास क्षेत्र या इलाके में विशिष्टता होने की मान्यता देता है। वर्ष 2015 से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच रसगुल्ले का मूल स्थान होने को लेकर विवाद चलता रहा है। पश्चिम बंगाल को वर्ष 2017 में उसके 'रसगुल्ले' के लिये GI टैग प्राप्त हुआ था। इसके अगले साल, ओडिशा लघु उद्योग निगम लिमिटेड (OAIC) ने रसगुल्ला कारोबारियों के समूह उत्कल मिष्ठान व्यवसायी समिति के साथ मिलकर 'ओडिशा रसगुल्ले' को GI टैग देने के लिये आवेदन किया था। ओडिशा में 'रसगुल्ला' भगवान जगन्नाथ के लिये निभाई जाने वाली राज्य की सदियों पुरानी परंपराओं का हिस्सा रहा है और इसका उल्लेख 15वीं सदी के उड़िया काव्य 'दांडी रामायण' में भी है।

विश्व स्तनपान सप्ताह (जननी पूर्ण स्नेह कार्यक्रम)

1 से 7 अगस्त, 2019 तक विश्व स्तनपान सप्ताह (World Breastfeeding Week) का आयोजन किया गया।

- इसके तहत कई गतिविधियों का आयोजन व स्तनपान के संरक्षण, प्रचार और समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इस बार विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम थी: 'माता-पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना (Empower Parents. Enable Breastfeeding)।

नोट :

विश्व स्तनपान सप्ताह के उद्देश्य:

- माता-पिता में स्तनपान को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- स्तनपान को अपनाने के लिये माता-पिता को प्रोत्साहित करना।
- आरंभिक स्तनपान के महत्त्व को लेकर जागरूकता पैदा करना और पर्याप्त एवं उचित पूरक आहार की जानकारी देना ।
- स्तनपान के महत्त्व से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना।

स्तनपान महत्वपूर्ण है क्योंकि:

- यह माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
- यह प्रारंभिक अवस्था में दस्त और तीव्र श्वसन संक्रमण जैसे रोगों को रोकता है और इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है।
- यह माँ में स्तन कैंसर, अंडाशय के कैंसर, टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग होने के खतरे को कम करता है।
- यह नवजात को मोटापे से संबंधित रोगों, मधुमेह/डायबिटीज से बचाता है और IQ बढ़ाता है ।

परिणाम

- ऐसे प्रयासों से कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने और सरकार को सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, स्तनपान को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने से प्रत्येक वर्ष 8,00,000 से ज़्यादा जीवन बचाने में मदद मिलेगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 से 30 जुलाई तक मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह की यह पहली विदेश यात्रा और भारत के किसी रक्षा मंत्री की पहली मोजाम्बिक यात्रा थी। भारत के रक्षा मंत्री ने मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो में प्रधानमंत्री कार्लोस अगोस्तिन्हो डो रोसैरियो से वार्ता की तथा अपने समकक्ष अटान्सिओ सल्वाडोर एम. तुमुके के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लिया। वार्ता के बाद भारत और मोजाम्बिक के बीच असैन्य पोत नौवहन से जुड़ी जानकारी साझा करने तथा जल सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफी) में सहयोग पर दो समझौते हुए। दोनों समझौतों से भारत-मोजाम्बिक के बीच जारी रक्षा सहयोग को और मज़बूती मिलेगी तथा साथ ही इस यात्रा से मोजाम्बिक और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा और ऐसी संभावित भागीदारियों से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने संचार उपकरण सहयोग का ऐलान किया तथा तस्करी, आतंकवाद, पायरेसी, अवैध शिकार आदि गैर पारंपरिक चुनौतियों से बचने के लिये मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में व्यापक सहयोग के महत्त्व का उल्लेख किया। भारत ने मोजाम्बिक को दो फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स भी प्रदान कीं।

द डायरी ऑफ मनु गांधी

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल ने हाल ही में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के सभागार में आयोजित एक समारोह में 'द डायरी ऑफ मनु गांधी' (1943-44) पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के सहयोग से प्रकाशित की गई है। 'द डायरी ऑफ मनु गांधी' मूल रूप से गुजराती में संपादित की गई है और इसका अनुवाद त्रिदीप सुहृद ने किया है। पहला खंड वर्ष 1943-1944 की अवधि को कवर करता है। मनु गांधी (मृदुला) महात्मा गांधी के भतीजे जयसुखलाल अमृतलाल गांधी की बेटी थीं जो गांधी जी की हत्या होने तक उनके साथ रहीं। वह वर्ष 1943 में आगा खान पैलेस में कारावास के दौरान कस्तूरबा गांधी की सहयोगी थीं। यह पुस्तक गांधीवादी अध्ययन और आधुनिक भारत के इतिहास में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिये बहुत लाभदायक होगी।

अध्यापक शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

अध्यापक शिक्षा पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन में भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों ने अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति, शिक्षण में नवाचार, शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का समावेश, अध्यापक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे विषयों पर चर्चा की। इस सम्मेलन की थीम जर्नी ऑफ टीचर एजुकेशन: लोकल टू ग्लोबल रखी गई थी। इसका आयोजन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के रजत जयंती समारोह के अंतर्गत किया गया। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 22 अगस्तको दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का नाम निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल टीचर्स हेड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट-NISHTHA) है। इस मिशन के तहत 42 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नोट :

आल वेदर रोड परियोजना

उत्तराखंड में चारों धाम को जोड़ने वाली केंद्र सरकार की आल वेदर रोड परियोजना को सर्वोच्च न्यायालय ने मंज़ूरी दे दी है। लेकिन इस योजना के तहत रोकी गई अन्य परियोजनाओं पर काम अगले आदेश तक रुका रहेगा। इसके लिये पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) समिति की मंज़ूरी लेनी होगी। बता दें कि चार धाम परियोजना का उद्देश्य सभी मौसम में इस पहाड़ी राज्य के चार पवित्र स्थलों- यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद हर मौसम में चारधाम यात्रा की जा सकेगी। इसे चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि यदि इस परियोजना को मंज़ूरी दी जाती है तो पर्यावरण को 10 पनबिजली परियोजनाओं द्वारा होने वाले नुकसान के बराबर क्षति होगी। NGT ने पिछले साल 26 सितंबर को परियोजना पर निगरानी रखने के लिये एक समिति का गठन किया था। यह समिति परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की देखरेख के लिये बनाई गई थी। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो रहा है। अभी तक 400 किमी. सड़कों का चौड़ीकरण किया जा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक इसके लिये अभी तक 25 हजार पेड़ों की कटाई हो चुकी है, जिससे पर्यावरणविद चिंतित हैं।

नए भौगोलिक संकेतक

- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में 4 नये भौगोलिक संकेतकों (GI) को पंजीकृत किया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पलानी शहर के पलानीपंचामिर्थम, मिज़ोरम के तल्लोहपुआन एवं मिजोपुआनचेई और केरल के तिरुर के पान के पत्ते को पंजीकृत GI की सूची में शामिल किया गया है। डिंडीगुल जिले के पलानी शहर की पलानी पहाड़ियों में अवस्थित अरुल्मिगु धान्दयुथापनी स्वामी मंदिर के पीठासीन देवता भगवानधान्दयुथापनी स्वामी के अभिषेक से जुड़े प्रसाद को पलानीपंचामिर्थम कहते हैं। इस प्रसाद को एक निश्चित अनुपात में पांच प्राकृतिक पदार्थों- केले, गुड़-चीनी, गाय के घी, शहद और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। पहली बार तमिलनाडु के किसी मंदिर के प्रसादम को GI टैग दिया गया है। तवलोहपुआन मिजोरम का एक भारी, अत्यंत मजबूत एवं उत्कृष्ट वस्त्र है जो तने हुए धागे, बुनाई और जटिल डिज़ाइन के लिये जाना जाता है। इसे हाथ से बुना जाता है। मिज़ो भाषा में तवलोह का मतलब एक ऐसी मज़बूत चीज़ होती है जिसे पीछे नहीं खींचा जा सकता है। मिज़ो समाज में तवलोहपुआन का विशेष महत्त्व है और इसे पूरे मिजोरम राज्य में तैयार किया जाता है। आइज़ोल और थेनज़ोल शहर इसके उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। मिज़ोपुआनचेई मिज़ोरम का एक रंगीन मिज़ो शॉल/वस्त्र है जिसे मिज़ो वस्त्रों में सबसे रंगीन माना जाता है। मिज़ोरम की प्रत्येक महिला का यह एक अनिवार्य वस्त्र है और यह इस राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली महत्त्वपूर्ण पोशाक है। मिज़ोरम में मनाए जाने वाले उत्सवों के दौरान होने वाले नृत्यों और औपचारिक समारोहों में प्राय: इस पोशाक का ही उपयोग किया जाता है। केरल के तिरुर के पान के पत्ते की खेती मुख्यत: तिरुर, तनूर, तिरुरांगडी, कुट्टिपुरम, मलप्पुरम और मलप्पुरम जिले के वेंगारा प्रखंड की पंचायतों में की जाती है। इसके सेवन से अच्छे स्वाद का एहसास होता है और इसके साथ ही इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। आमतौर पर इसका उपयोग पान मसाला बनाने में किया जाता है और इसके कई औषधीय, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक उपयोग भी हैं।

ई-शासन पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन

8 और 9 अगस्त को मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में भारत सरकार तथा मेघालय सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ई-शासन पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का विषय था– डिजिटल इंडिया: सफलता से उत्कृष्टता। सम्मेलन में व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात ई-शासन पर शिलॉन्ग घोषणापत्र को स्वीकार किया गया। सम्मेलन के दौरान 6 उपविषयों पर चर्चा हुई, जिनमें भारत उद्यम वास्तुशास्त्र, डिजिटल अवसंरचना, समावेश और क्षमता निर्माण, सचिवालय सुधार, उपयोगकर्त्ताओं के लिये उभरती तकनीक, राष्ट्रीय ई-शासन सेवा का आकलन करना शामिल था। इसके अलावा चार अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, जिनमें एक राष्ट्र एक प्लेटफार्म, नवोन्मेषियों तथा उद्योग जगत के साथ जुड़ना, राज्य सरकारों की आईटी पहल शामिल थे। इस दौरान ई-शासन के क्षेत्र में भारत के योगदान विषय पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

नोट :

मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गोवंश की रक्षा के लिये गौ कल्याण योजना की शुरुआत की है। इसका नाम मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना रखा गया है। विदित हो कि उत्तर प्रदेश में आवारा तथा छुट्टा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे किसान परेशान हैं क्योंकि ये उनकी फसल को नष्ट कर देते हैं। अब राज्य सरकार ने जो योजना पेश की है उससे आवारा पशुओं पर तो रोक लगेगी ही, साथ ही गाँव के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। सरकार ने इस नई योजना के पहले चरण के लिये 109 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इस योजना के पहले चरण में सरकार, सरकारी गोशालाओं की एक लाख गायों को उन किसानों या ऐसे लोगों को सौंपेगी, जो इनकी देखभाल करने के लिये तैयार हैं। जो व्यक्ति इन गौवंश की देखभाल करेगा, उसे एक गाय के लिये प्रतिदिन 30 रुपए दिये जाएंगे यानी प्रदेश सरकार हर महीने ऐसे व्यक्ति के बैंक खाते में 900 रुपए जमा करेगी। अभी तीन महीने का पैसा एक साथ दिया जाएगा तथा उसके बाद हर महीने 900 रुपए खाते में डाले जाएंगे। वर्ष 2012 की पशु गणना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 205.66 लाख पशु हैं, जिनमें से 10-12 लाख आवारा पशु हैं। राज्य में 523 पंजीकृत गौशालाएँ हैं तथा कई अन्य को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2019-20 के बजट में राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिये कुल 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें से गाँवों में पशु आश्रय स्थलों को तैयार करने और रखरखाव के लिये 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि शहरों में इसी काम के लिये 200 करोड़ रुपए दिये जाने हैं।

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना

10 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की। झारखंड सरकार ने प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसान, जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि है, उन्हें 5000 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से सहायता अनुदान दिया जाएगा, जिससे उनकी ऋण पर निर्भरता कम होगी। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी। इस योजना से सभी योग्य किसानों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 5000 तथा अधिकतम 25 हज़ार रुपए मिलेंगे। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस वर्ष राज्य के लगभग 35 लाख किसानों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके प्रथम चरण में लगभग 10 लाख किसानों के बैंक खातों में लगभग 380 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में सरकार ने 23 अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि की है तथा वनवासियों के लिये वन उत्पादों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार और नीदरलैंड्स विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग के लिये पूर्व में हुए समझौतों को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहयोग समझौते को 5 वर्ष के लिये बढ़ाने के पर भी हस्ताक्षर किये गए। अब यह समझौता वर्ष 2024 तक के लिये आगे बढ़ा दिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश को नीदरलैंड्स से नई तकनीकें प्राप्त होंगी, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। इस समझौते के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय विकास, परिवहन प्रबंधन व अवस्थापना के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ गन्ना, आलू, पुष्प उत्पादन एवं डेयरी उद्योग में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। नीदरलैंड्स सरकार गंगा नदी की सफाई तथा सीवेज ट्रीटमेंट में भी सहयोग प्रदान करेगी। इसके लिये नीदरलैंड्स और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौते के बाद गंगा बैराज के पास 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में मॉडल सिटी का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2015 में बैराज पर नीदरलैंड्स सरकार के सहयोग से मॉडल सिटी बनाने की रूपरेखा बनाई गई । इसमें बैराज के बाए मार्जिनल बंध के समानांतर सात किलोमीटर लंबा बंध बनाकर बीच में मिलने वाली जगह पर मॉडल सिटी का निर्माण किया जाना है।

2D सोना

यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे बारीक (पतला) सोना तैयार किया है जो केवल 2 अणुओं के बराबर पतला है। यह सोना सामान्य मनुष्य के नाखून से 10 लाख गुना पतला है। वैज्ञानिकों ने इस सोने की मोटाई 0.47 नैनोमीटर मापी है। इस पदार्थ को 2D बताया गया है क्योंकि इसमें एक के ऊपर एक अणुओं की 2 परतें हैं। इस सोने का चिकित्सकीय उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में व्यापक अनुप्रयोग हो सकता है। कुछ औद्योगिक कार्यों में रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरण में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रयोगशाला परीक्षणों में पता

नोट :

चला है कि यह सोना उत्प्रेरक के रूप में वर्तमान में इस्तेमाल किये जाने वाले स्वर्ण नैनो कणों की तुलना में अधिक प्रभावी है। इसका प्रयोग रोगों की जाँच करने वाले उपकरणों और पानी को साफ करने वाले वाटर प्यूरीफायर में भी किया जा सकेगा। सोने के नए प्रकार को एक विशेष रसायन की मदद से तैयार किया गया है। इसे तैयार करने में क्लोरिक एसिड का प्रयोग किया गया है, जिसके जलीय घोल में गोल्ड नैनोशीट को डुबाकर यह 2D सोना बनाया गया है।

Indian Air Force: A Cut Above

हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना वीडियो गेम लॉन्च किया है। इस गेम का नाम Indian Air Force: A Cut Above है और इसे गूगल प्ले-स्टोर के अलावा एपल स्टोर से भी फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ ने इस गेम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। इंडियन एयरफोर्स के इस गेम का उदेश्य युवाओं को भारतीय वायु सेना के बारे में जानकारी देना और उन्हें एयरफोर्स जॉइन करने के लिये प्रोत्साहित करना है। इस गेम के प्रमुख फीचर्स में ट्रेनिंग, सिंगल प्लेयर और फ्री फ्लाइट जैसे कई मोड्स दिये गए हैं। इसके अलावा इस गेम में भारतीय वायुसेना के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। इस गेम में प्लेयर्स को 10 मिशन मिलेंगे और इसे ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी खेला जा सकेगा। इसके अलावा एक टीम के रूप में भी कई लोगों के साथ यह गेम खेला जा सकता है और गेमिंग के दौरान ऑनलाइन ही लोगों से जुड़ने की भी सुविधा है। गेम के बेहतरीन अनुभव के लिये इसमें ऑग्युमेंट रियलिटी का भी सपोर्ट दिया गया है। गेम के दौरान प्लेयर्स को एयरक्राफ्ट को हैंडल करने और चलाने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी तथा इसके बाद ही प्लेयर्स को एयरक्राफ्ट चलाने का मौका मिलेगा।

सऊदी अरब की सरकार ने देश में चल रहे सुधारों के तहत सऊदी महिलाओं को अकेले विदेश जाने की अनुमति दे दी है। इस सुधारात्मक कदम के तहत अब 21 साल से अधिक आयु की महिलाओं को पासपोर्ट हासिल करने और अभिभावक की सहमति हासिल किये बिना देश छोड़ने की इजाज़त होगी। मौजूदा कानून के मुताबिक, सऊदी अरब में किसी भी उम्र की महिला बिना किसी पुरुष संरक्षक के विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती । यह नियम 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों के साथ भी लागू है। कई मानवाधिकारों से वंचित सऊदी महिलाओं की आज़ादी के मामले में यह दशक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 2012 में सऊदी महिलाओं को खेलों में हिस्सा लेने का हक मिला और पहली बार सऊदी महिलाएँ ओलिंपिक खेलों में शामिल हुईं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहली बार सऊदी का प्रतिनिधित्व देखने को मिला। दिसंबर 2015 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार हासिल हुआ, इसके पूर्व वे इस अधिकार से वंचित थीं। वर्ष 2017 में सऊदी महिलाओं को पासपोर्ट दिये जाने के सारे बंधन हटा दिये गए तथा उन्हें स्वतंत्र पासपोर्ट दिया जाने लगा। वर्ष 2018 में महिलाओं को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति हासिल हुई। इसी वर्ष महिलाओं को सेना में भर्ती की अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ ही उन्हें स्वतंत्र कारोबार की इजाज़त भी मिली।

एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस

विश्व संसाधन संस्थान के 'एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस' ने 189 देशों तथा उनके राज्यों में जल संकट, सूखे की आशंका और नदियों में बाढ़ की आशंका को लेकर रैंकिंग जारी की है। इस रिपोर्ट में अत्यंत गंभीर जल संकट वाले देशों की सूची में भारत को 13वें स्थान पर रखा गया है और इसकी जनसंख्या इस श्रेणी के अन्य 16 देशों की जनसंख्या से तीन गुना से अधिक है। गंभीर जल संकट का सामना कर रहे इन 17 देशों में से 12 देश पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के हैं। भारत के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर भारत में भूजल स्तर गंभीर रूप से नीचे चला गया है और इसे पहली बार जल संकट की गणना में शामिल किया गया है। चेन्नई में हालिया जल संकट ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी गंभीर जल संकट की स्थिति है। भारत वर्षा, सतह एवं भूजल से जुड़े विश्वसनीय एवं ठोस डेटा की मदद से रणनीतियाँ बनाकर जल संकट का प्रबंधन कर सकता है। इस रिपोर्ट में जल संकट की पहचान करने के लिये 13संकेतकों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें भूजल भंडार और उसमें लगातार आ रही कमी प्रमुख थी।

Resource Assistance for Colleges with Excellence (RACE)

राजस्थान सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा के नए मॉडल की शुरुआत की है। इसे Resource Assistance for Colleges with Excellence (RACE) नाम दिया गया है। इस मॉडल के तहत सरकारी कॉलेजों में फैकल्टी तथा चल संपत्ति के समान वितरण पर बल

दिया जाएगा तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो सकेगा। इसके तहत संसाधनों की उपलब्धता को तर्कसंगत बनाया जाएगा। इस मॉडल के तहत सुविधाओं के बँटवारे के लिये एक पूल बनाया जाएगा, जो अवसंरचना की कमी वाले कॉलेजों को लाभान्वित करेगा। RACE संसाधनों को चैनलाइज़ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। यह मॉडल छोटे कॉलेजों को स्वायत्तता देगा और स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा। देश में उच्च शिक्षा में राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, राज्य के 34 ज़िलों में से 29 में कुल नामांकन 12 प्रतिशत से भी कम है, जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा है।

ई-रोज़गार समाचार

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने 'रोज़गार समाचार' का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ई-रोज़गार समाचार शुरू किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों के बारे में जानकारी देना है। इसमें करियर पर केंद्रित विशेषज्ञों के लेखों के ज़रिये विभिन्न क्षेत्रों में दाखिले और रोज़गार के अवसरों के बारे में सूचना दी जाएगी। रोज़गार समाचार पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण युवाओं के सूचना के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की ओर बढ़ रहे रुझान की चुनौती को पूरा करेगा। इसका मूल्य प्रिंट संस्करण की लागत का 75% है और ई-संस्करण का वार्षिक शुल्क 400 रुपए है। आपको बता दें रोज़गार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ (अंग्रेज़ी) का हिंदी संस्करण है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फ्लैगशिप साप्ताहिक रोज़गार समाचार पत्र है। इसे वर्ष 1976 में देश के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये शुरू किया गया था। यह अंग्रेजी (एम्प्लॉयमेंट न्यूज़), हिंदी (रोज़गार समाचार) और उर्दू (रोज़गार समाचार) में प्रकाशित होता है। इसमें मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों/स्वायत्त इकाइयों/ सोसायटियों/केंद्रीय, राजकीय एवं केंद्रशासित प्रदेशों के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/आरआरबी/यूपीएससी/एसएससी/ संवैधानिक एवं वैधानिक निकायों और केंद्र/राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों अथवा यूजीसी/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों में होने वाली रिक्तियों की जानकारी दी जाती है।

बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जाँच एवं कार्रवाई के विषय में सिफारिश के लिये बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड (Advisory Board for Banking Frauds-ABBF) का गठन किया है। विदित हो कि पहले इस समिति को बैंक, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड कहा जाता था। CVC ने एक आदेश में कहा है कि रिज़र्व बैंक के परामर्श से गठित ABBF धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की प्राथमिक स्तर पर जाँच करेगा। चार सदस्यीय बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी में महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता वाले मामलों की जाँचकरेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 50 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड की सिफारिश या सुझाव के बाद संबंधित बैंक मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे। पूर्व सतर्कता आयुक्त टी.एम. भसीन की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड में पूर्व शहरी विकास सचिव मधुसूदन प्रसाद, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक डी.के. पाठक और आंध्र बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं CEO सुरेश एन. पटेल को सदस्य बनाया गया है।

भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-कोर्स

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने परिवर्तित प्रबंधन के लिये एक अभियान अंगीकार और भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस (Vulnerability Atlas of India) पर ई-कोर्स की शुरुआत की। 'अंगीकार' में पीएमएवाई(यू) के तहत बनाए गए घरों के लाभार्थियों के लिये जल एवं ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, सफाई एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों पर सामुदायिक जुटाव और IEEC गतिविधियों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 'अंगीकार' का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से मिशन के सभी लाभार्थियों तक पहुँचना है। सभी लक्षित शहरों में यह अभियान प्रारंभिक चरण के बाद महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को शुरू होगा तथा 10 दिसंबर, 2019 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इसका समापन होगा। इसके अलावा योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली और भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद के सहयोग से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-कोर्स की पेशकश की है। यह एक ऐसा कोर्स है, जो प्राकृतिक खतरों के बारे में जागरुकता एवं समझ प्रदान करता

नोट :

है। यह विभिन्न खतरों (भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ आदि) को देखते हुए अति संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद करता है और मौजूदा आवासीय भंडार को नुकसान के जोखिम के जिलेवार स्तर को स्पष्ट रूप से बताता है। यह ई-कोर्स वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग, शहरी एवं क्षेत्रीय योजना, आवास एवं बुनियादी ढांचा योजना, निर्माण इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन और भवन एवं सामग्री अनुसंधान के क्षेत्र में आपदा शमन एवं प्रबंधन के लिये एक प्रभावी एवं कुशल साधन होगा।

'समर्थ'

भारत के प्रमुख ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने भारतीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिये एक नई पहल 'समर्थ' (Samarth) लॉन्च की है।

- इसके लिये फ्लिपकार्ट ने गैर-सरकारी संगठनों (NGO) सरकारी निकायों और आजीविका मिशन के साथ भागीदारी की है।
- इस कदम से इन अनधिकृत समुदायों को पूरे भारतीय बाज़ार तक पहुँच बनाने तथा 150 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी।
- इसके तहत महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ अलग-अलग तरह के उद्यमी, कारीगर और बुनकर, (जो अक्सर कार्यशील पूंजी, गरीब बुनियादी ढाँचे तक पहुँच की कमी तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण जैसी समस्याओं का सामना करते हैं) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय ने भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रों का समर्थन करने तथा ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं।
- ई-कॉमर्स के ज़रिये अगले कुछ वर्षों में 1 मिलियन रोज़गार सृजित होने की साथ ही लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग जैसे उद्योगों में रोजगार बढ़ने की भी संभावना है।

जापानी ई-नीलामी प्रणाली

भारतीय चाय बोर्ड (Tea Board of India) थोक चाय की ई-नीलामी प्रणाली में सुधार के लिये जापानी ई-नीलामी प्रणाली को अपनाने पर विचार कर रहा है।

- जापानी ई-नीलामी प्रणाली एक आरोही प्रक्रिया है जो उत्तरोत्तर गतिशील रहती है।
- प्रस्तावित सुधार को IIM बंगलुरु द्वारा सुझाया गया है।
- भारतीय नीलामी में जापानी नीलामी प्रारूप अपनाने पर बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना है।
- इसके तहत खरीदारों के लिये समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को संदर्भित करते हुए छोटे खरीदारों के लिये एक अलग विपणन चैनल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये व्यापक दिशा-निर्देशों एवं मानकों के विकास पर जोर दिया गया है।

चाय बोर्ड (Tea Board)

- टी बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- बोर्ड के 31 सदस्यों में संसद सदस्य, चाय उत्पादक, चाय विक्रेता, चाय ब्रोकर, उपभोक्ता व मुख्य चाय उत्पादक राज्यों से सरकार के प्रतिनिधि एवं व्यावसायिक संघ के सदस्य (अध्यक्ष सहित) शामिल होते हैं।
- प्रत्येक तीन साल में बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है।

कार्य

- चाय के विपणन, उत्पादन के लिये तकनीकी व आर्थिक सहायता का प्रस्तुतीकरण करना।
- निर्यात संवर्द्धन करना।
- चाय की गुणवत्ता में सुधार व चाय उत्पादन के आवर्द्धन के लिये अनुसंधान व विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना।

नोट :

- श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से चाय बागान श्रमिकों और उनके वार्डों तक सीमित तरीके से आर्थिक सहायता पहुँचाना।
- लघु उत्पादकों के असंगठित क्षेत्र को आर्थिक व तकनीकी सहायता देना व उन्हें प्रेरित करना।
- सांख्यिकी डेटा व प्रकाशन का संग्रह व रख-रखाव करना।

वर्ल्डस्किल्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2019

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship-MSDE) ने एक 48 सदस्यीय दल की घोषणा की है जो विश्व में वर्ल्डस्किल्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2019 (WorldSkills International Competition 2019) के नाम से विख्यात कौशल उत्कृष्टता के सबसे बड़े प्रदर्शन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।

- भारत के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 48 प्रतिभागी 22 -27 अगस्त 2019 तक कज़ान, रूस में होने वाली 6 दिवसीय द्विवार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
- उम्मीदवारों को देशभर में 500 + जिला, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से चुना गया।
- प्रतियोगियों की औसत आयु 22 वर्ष है और सबसे कम उम्र 17 वर्ष है।
- इस प्रतियोगिता को 'ओलिंपिक फॉर स्किल्स' अर्थात् कुशलताओं का ओलंपिक भी कहा जाता है।
- लगभग 60 देशों के 1,500 से अधिक प्रतियोगी इस विशाल आयोजन में 55 कौशल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्द्धा करेंगे।
- भारत 44 प्रकार के कौशल क्षेत्रों में भाग ले रहा है, जिनमें मोबाइल रोबोटिक्स, प्रोटोटाइप मॉडलिंग, हेयर ड्रेसिंग, बेकिंग, वेल्डिंग, कार पेंटिंग, फ्लोरिस्ट्री आदि शामिल हैं।

वर्ल्डस्किल्स 2019 के लिये प्रतिभागियों का चुनाव

- वर्ल्डस्किल्स 2019 के लिये भारत की टीम का चुनाव जनवरी 2018 में इंडियास्किल्स कॉम्पीटीशन के तहत की गई थी।
- इसके अंतर्गत 22 से अधिक राज्यों ने मिलकर मार्च-अप्रैल 2018 में लगभग 500 ज़िला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था।
- विजेताओं के बीच पुन: चार क्षेत्रीय प्रतियोगिताएँ जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी।
- क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने पुन: 2- 6 अक्तूबर 2018 तक दिल्ली स्थित एरोसिटी ग्राउंड्स में आयोजित नेशनल कॉम्पीटीशन में परस्पर मुकाबला किया। इसके बाद इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था।

पहल में भागीदारी

- मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा, फेस्टो, VLCC, गोदरेज, ऐग्जाल्टा, अपोलो, बर्जर पेंट्स, सिस्को, कैप्ले, सेंट गोबैन, इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट (आइएचएम), श्नाईडर, पर्ल अकैडमी, एनटीटीएफ, दाईकिन, L&T आदि सहित 100 से अधिक कॉर्पोरेट कंपनियाँ एवं शैक्षणिक संस्थान इस पहल में सहयोग कर रहे हैं।
- इन कॉर्पोरेट संगठनों ने एक दक्ष प्रशिक्षक/विशेषज्ञ की पहचान करने में भी मदद की है जो प्रत्येक प्रतियोगी को प्रत्यक्ष व्यावहारिक प्रशिक्षण देते हैं और दैनिक आधार पर उनकी प्रगति पर नज़र रखते हैं।

होप प्रोब

हाल में संयुक्त अरब अमीरात ने जुलाई वर्ष 2020 में मंगल ग्रह पर अरब देशों के पहले अंतरिक्ष यान 'होप प्रोब' लॉन्च किये जाने की घोषणा की है।

- यह अंतरिक्ष कार्यक्रम एमिरेट्स मार्स मिशन (Emirates Mars Mission- EMM)) के नाम से जाना जाएगा।
- इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल की ऊपरी सतह की जानकारी एकत्र करना है।
- इसके तहत पानी के मुख्य घटक हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के घटते स्तर का अध्ययन किया जाएगा।
- संभवत: यह लाल ग्रह यानी मंगल की सतह की तस्वीर धरती पर भेजने वाला अंतरिक्ष में पहला खोजी अभियान हो सकता है।

नोट :

ई-कार

भारतीय सेना ने पर्यावरण पारिस्थितिकी में सहयोग के उद्देश्य से नई दिल्ली में अपने अधिकारियों के उपयोग के लिये ई-कार (E-Cars) पहल की शुरुआत की है।

- दिल्ली में सेना में ई-कार की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर हुई थी और 1 अगस्त, 2019 को भारतीय सेना के लिये पहली बार ई-कार को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया गया।
- पायलट परियोजना के रूप में 10 ई-कारें चलाई जाएंगी तथा विकास, दक्षता तथा न्यूनतम उत्सर्जन सुनिश्चित करने के बाद दिल्ली में ई-कारों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना हमेशा ही पर्यावरणीय पहल में सबसे आगे रही है। वर्तमान में भारतीय सेना के पास बड़ी संख्या में टेरिटोरियल आर्मी बटालियन (Territorial Army Battalions- ECO) हैं जिन्होंने वन संरक्षण जैसे पर्यावरण संरक्षण की पहल की है।
- कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूरदराज क्षेत्रों साथ ही पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सैन्य इकाइयाँ पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये स्थानीय लोगों के साथ निकट समन्वय बनाकर विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं।

वर्किंग हॉलिडे मेकर' वीज़ा कार्यक्रम

हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत सहित एक दर्जन से अधिक देशों में 'वर्किंग हॉलिडे मेकर' (Working Holiday Maker) वीज़ा कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

- इस वीज़ा का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्षेत्रों, मुख्यत: कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की भर्ती करना है ताकि श्रमिकों की कमी की समस्या को हल किया जा सके।
- 'वर्किंग हॉलिडे मेकर' कार्यक्रम एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य युवा यात्रियों को अपने अवकाश के दौरान अल्पकालिक रोज़गार के माध्यम से पैसा कमाने का अवसर प्रदान करना है।
- इसी के साथ यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में भी मदद करता है।
- इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले युवाओं को कुछ न्यूनतम अर्हताएँ पूरी करनी होंगी:
  - आवेदकों को अंग्रेजी का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिये
  - वे या तो स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हों या कर चुके हों

'क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग'

ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म क्यू एस क्वाक्वैरेली साइमंड्स (QS Quacquarelli Symonds) ने छात्रों के लिये सबसे बेहतर शहरों की लिस्ट 'क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग' ('QS Best Student Cities Ranking') जारी की है।

- छात्रों के लिये सबसे बेहतर शहरों की सूची में लंदन को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर जापान का टोक्यो तथा तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है।
- इस सूची में कुल 120 शहरों को शामिल किया गया था।
- भारत में छात्रों के लिये सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु (81) है, इसके बाद मुंबई (85), दिल्ली (113) तथा चेन्नई (115) का स्थान है।
- यह रैंकिंग किसी शहर में विश्वविद्यालयों की संख्या, उनके प्रदर्शन, रोज़गार अवसर, शहर में जीवन की गुणवत्ता एवं अनुकूलता के आधार पर निर्धारित की गई।
- लंदन में भारतीय छात्रों की संख्या में वर्ष 2017-18 में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2016-17 में 4,545 से बढ़कर 2017-18 में 5,455 हो गई। हालाँकि यह संख्या अभी भी बहुत कम है।
- 120 देशों की इस सूची में अमेरिका और UK के 14-14 शहर शामिल हैं।
- QS टॉप-120 रैंकिंग में एशिया के दो शहरों को टॉप-10 में जगह मिली है- टोक्यो दूसरे और सियोल 10वें स्थान पर है।
- हॉन्गकॉन्ग 14वें, बीजिंग 32वें और शंघाई लिस्ट में 33वें स्थान पर है। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों को जगह मिली है। इनमें मेलबर्न (3) और सिडनी (9) टॉप-10 में शामिल हैं।

नोट :

संकल्प योजना

हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) ने समन्वय के माध्यम से ज़िला-स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिये 'संकल्प योजना' का आह्वान किया है।

- ज़िला-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिये मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :
- **स्किल इंडिया पोर्टल:** इस प्रणाली का प्रयोग ज़िला स्तर पर भी कौशल संबंधी आंकडों को प्राप्त करने और उसे अभिसरित करने के लिये किया जाता है।
- **राज्यों को अनुदान:** आंध्र प्रदेश सहित असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश को मिलाकर कुल 9 राज्यों को मंत्रालय द्वारा अनुदान भी दिया गया है।
- ज़िलों को भी दिया गया अनुदान: इन राज्य के अलावा, मंत्रालय द्वारा आकांक्षात्मक कौशल अभियान के तहत 117 आकांक्षी जिलों को भी अनुदान जारी किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 'संकल्प' (SANKALP- Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion) तथा 'स्ट्राइव' (STRIVE -Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) नामक योजनाओं को मंज़ूरी दी है।
- 4,455 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना 'संकल्प' में विश्व बैंक द्वारा 3,300 करोड़ रुपए की ऋण सहायता शामिल है।
- संकल्प का उद्देश्य महिलाओं, अजा./अजजा. और दिव्यांगों सहित हाशिये पर जीवन जी रहे समुदायों को बड़े पैमाने पर दक्षता प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है।
- 'स्ट्राइव' परियोजना की समापन तिथि 30 नवम्बर, 2022 निर्धारित की गई है।
- 2,200 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना 'स्ट्राइव' के लिये विश्व बैंक द्वारा आधी राशि ऋण सहायता के रूप में दी जाएगी।
- 'स्ट्राइव' योजना में ITI के कार्य निष्पादन में संपूर्ण सुधार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।
- 'स्ट्राइव' का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एवं बाज़ार की मांग के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना है।

रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य

कर्नाटक स्थित यह अभयारण्य जहाँ सामान्यत: प्रत्येक वर्ष लगभग चार लाख आगंतुक आते हैं, खुद को मानसून के अनुरूप तैयार कर रहा है।

- उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों आई बाढ़ ने केरल तथा कर्नाटक के कई बड़े हिस्सों को नष्ट कर दिया था जिसमें रंगाथिटिटू पक्षी अभयारण्य में उपस्थित सैकड़ों घोंसले एवं द्वीप नष्ट हो गए थे।
- पिछले वर्ष कृष्णा राजा सागर बांध का अतिरिक्त पानी छोड़ दिये जाने के परिणामस्वरूप इस अभयारण्य में कई ऐसे द्वीप जलमग्न हो गए थे जहाँ पक्षी अपना बसेरा एवं घोंसला बनाते थे।
- यह अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है।
- यहाँ पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- इनमें से कई पक्षी जैसे- सफेद सारस, उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले चौड़ी चोंच वाले बत्तख, खंजन (Wagtails) और चहचहाने वाली चिड़िया आदि मध्य एशिया, साइबेरिया एवं हिमालय के प्रवासी पक्षी हैं।

सुपर-अर्थ': GJ 357d

नासा के ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS) ने एक वाह्य दुनिया की खोज की है जहाँ जीवन की सम्भावना जताई जा सकती है।

- यह ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर मिला है। जो हमारी धरती से करीब 31 प्रकाश वर्ष दूर है।

नोट :

- इस 'सुपर अर्थ' (Super Earth) ग्रह को जीजे 357-डी (GJ 357d) नाम दिया गया है।
- इस ग्रह की खोज इस साल की शुरूआत में नासा के सैटेलाइट से की गई है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एक उत्साहजनक खोज है कि पृथ्वी के समीप पहला सुपर अर्थ मिला है।

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये हैकथॉन

टेक्नोपार्क फर्म UST ग्लोबल (UST Global) द्वारा 'D3 Code' का पहला संस्करण लॉन्च किया जा रहा है, जो पूरे देश में कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये एक हैकथॉन है।

- हैकथॉन या स्मार्ट इंडिया हैकथॉन नई तकनीक, नई खोज एवं नवाचार का मंच है।
- इस दौरान देश भर में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी तथा विजेताओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा।
- शीर्ष 20 टीमों के प्रत्येक सदस्य, जो अंतिम 24-घंटों के दौरान हैकथॉन में भाग लेते हैं, को UST ग्लोबल, इंडस्ट्रीज़ में शामिल होने के लिये सशर्त नौकरी की पेशकश (नियम और शर्तों के अधीन) प्राप्त होगी।
- हैकथॉन का एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस D 3 कोड (Dream, Develop and Disrupt) दिसंबर में आयोजित किया जाएगा।
- 'D3 code' छात्रों के दैनिक जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को टेक्नोलॉजी संबंधी समस्याओं को हल करने के लिये एक मंच प्रदान करना है।
- इसके तहत देश भर के सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को D 3 सम्मेलन में भाग लेने का मौका दिया जाएगा।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन

- यह देश के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिये नवीन एवं परिवर्तनकारी डिजिटल टेक्नोलॉजी संबंधी नवाचारों की पहचान करने की एक अनूठी पहल है।
- यह एक नॉन-स्टॉप डिजिटल उत्पाद विकास प्रतिस्पर्द्धा है, जहाँ नवोन्मेषी समाधानों के लिये टेक्नोलॉजी के छात्रों के समक्ष समस्याएँ रखी जाती हैं।
- यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ।

UST ग्लोबल (UST Global)

- यह डिजिटल, IT सेवाओं एवं समाधानों के लिये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रदाता है
- इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के एलिसो वीजो में स्थित है।
- इसकी स्थापना स्टीफन रॉस (Stephen Ross) ने वर्ष 1998 में की थी।
- कंपनी के कार्यालय अमेरिका, भारत, मेक्सिको, यूके, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, स्पेन और पोलैंड में हैं।

मेघदूत मोबाइल एप

भू-विज्ञान एवं कृषि मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिये एक मोबाइल एप मेघदूत लॉन्च किया है।

- यह एप किसानों को उनके क्षेत्र के हिसाब से कृषि एवं मवेशियों के लिये मौसम आधारित सलाह उनकी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएगा जिसकी सहायता से किसान फसल और मवेशियों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकेंगे।
- मेघदूत एप की सहायता से किसान तापमान, वर्षा, नमी एवं वायु की तीव्रता तथा दिशा के बारे में जान सकते हैं।
- एप की सूचनाएँ सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को अपडेट की जाएंगी।
- शुरुआत में यह एप देश के 150 ज़िलों के स्थानीय मौसम के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तत्पश्चात् आने वाले एक साल में इसकी सेवा का विस्तार किया जाएगा।

नोट :

- मेघदूत एप को भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) ने मिलकर विकसित किया है।
- एप पर सूचनाओं को चित्र और मैप के रूप में दिया जाएगा है इसे व्हाट्सएप और फेसबुक से जोड़ा गया है। भविष्य में इसे यू-ट्यूब से भी जोड़ दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि देश में 44 फीसदी लोग कृषि क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त करते हैं।
- इससे पहले किसानों के लिये किसान सुविधा एप और पूसा कृषि मोबाइल एप लाया गया था। किसान सुविधा एप पर मौसम, बाज़ार मूल्य, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी के बारे में जानकारी मिलती है। पूसा कृषि मोबाइल एप भारतीय कृषि शोध संस्थान द्वारा लाई गई नई तकनीक के बारे में बताता है।

हेराक्लेस इनएक्सपेक्टेटस

जीवाश्म वैज्ञानिकों (Palaeontologists) की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने न्यूज़ीलैंड में एक विशालकाय तोते (जिसकी ऊँचाई मानव की सामान्य ऊँचाई की लगभग आधी थी) के अवशेष प्राप्त किये हैं।

- ये तोते संभवत: 19 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे।
- वैज्ञानिकों ने पक्षी के पैर की हड्डियों के आकार को देखते हुए इसकी लंबाई लगभग एक मीटर तथा वज़न सात किलोग्राम तक होने का अनुमान लगाया है।
- हालाँकि इसकी हड्डियों के अवशेष वर्ष 2008 में प्राप्त हुए थे लेकिन उस समय इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सका था।
- आकार, शक्ति एवं खोज की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण इस तोते को हेराक्लेस इनएक्सपेक्टेटस (Heracles inexpectatus) नाम दिया गया है।
- वैज्ञानिकों ने इसका आकार डोडो पक्षी के समान होने की संभावना व्यक्त की है।

अर्का सुप्रबाथ

बंगलूरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Horticulture Research- IIHR) ने आम की एक नवीनतम किस्म, अर्का सुप्रबाथ (Arka Suprabath) विकसित की है।

- आम की यह नवीनतम किस्म अलग-अलग किस्मों को क्रॉस कराके विकसित की गई है जिसका जीवन काल लगभग 60 वर्ष है।
- अर्का सुप्रबाथ 10 वर्षों के शोध के पश्चात् विकसित किया गया है।
- अर्का सुप्रबाथ आम्रपाली (दशहरी और नीलम का एक क्रॉस) और अर्का अनमोल (अल्फांसो और जनार्धन पसंद का एक क्रॉस) का उपयोग करके विकसित किया गया एक डबल-क्रॉस हाइब्रिड है।
- अर्का सुप्रबाथ एक दुर्लभ किस्म है क्योंकि इसमें आम्रपाली के गूदे के रंग के साथ अल्फांसो का आकार एवं एक अलग स्वाद पाया गया है।
- अन्य किस्मों की तुलना में इसमें कम रेशे पाए जाते हैं।
- अर्का सुप्रबाथ किस्म की इस फसल को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने में अभी लगभग चार साल लगेंगे।

जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार

चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 (Fourth National Family Health Surveys- NFHS 2015-16) के अनुसार, भारत में जन्म के समय का लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth- SRB) 914 से बढ़कर 919 हो गया है।

- लिंगानुपात को प्रति 1,000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, जन्म के समय का लिंगानुपात में उच्चतम सुधार पंजाब में (126 बिंदुओं पर) देखा गया था और इसका जन्म के समय का लिंगानुपात 860 (राज्यों में सबसे कम में से एक) पाया गया।
  - इस सफलता का श्रेय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao- BBBP) योजना को दिया जा सकता है।

नोट :

- उत्तर-पूर्वी भारत के पारंपरिक रूप से मातृसत्तात्मक होने के बावजूद सिक्किम में सबसे तेज़ गिरावट आई है जहाँ जन्म के समय का लिंगानुपात 175 अंकों की गिरावट के साथ 809 पर पहुँच गई, जो 2015-16 के मुकाबले सभी राज्यों में सबसे कम थी।
  - सिक्किम के बाद सबसे अधिक जन्म के समय का लिंगानुपात में गिरावट वाले पाँच राज्यों में पूर्वोत्तर से चार अन्य राज्य शामिल थे।

भारत का पहला इकोटॉक्सिकोलॉजी क्लिनिक

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institutes of Medical Sciences- AIIMS) ने पानी, भोजन एवं वायु को दूषित करने वाले पर्यावरण के विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से रोगों के बढ़ते मामलों की जाँच के लिये भारत में पहली बार एक क्लिनिक इकोटॉक्सिकोलॉजी फैसिलिटी (Clinical Ecotoxicology Facility) की शुरुआत की है।

- यह नई सुविधा क्लिनिकल परामर्श के साथ-साथ पारिस्थितिक विषाक्तता के कारण उत्पन्न बीमारियों से निपटने हेतु सभी क्लिनिकल विभागों को अनुसंधान सेवाएँ प्रदान करेगी।

इकोटॉक्सिकोलॉजी Ecotoxicology

- यह विज्ञान की एक शाखा है जो पर्यावरणीय संस्थाओं जैसे कि जनसंख्या, समुदायों या पारिस्थितिक तंत्र पर पर्यावरण के हानिकारक पदार्थों की प्रकृति, प्रभावों और परस्पर क्रियाओं से संबंधित है।
- उदाहरण के लिये: जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, उनमें भी कैंसर के मामलों की संख्या में एक निश्चित वृद्धि के अज्ञात कारकों की उत्पत्ति जानने में इकोटॉक्सिकोलॉजी सहायक होगी।
- प्रदूषण और स्वास्थ्य पर लैंसेट आयोग (Lancet Commission on Pollution and Health) के अनुसार, समय से पहले होने वाली मौतों में लगभग 9 मिलियन लोगों की मृत्यु दूषित पानी, हवा और मिट्टी के कारण होती है।
- पर्यावरणीय विषाक्तता के कारण होने वाली मौतों में लगभग 92% कम आय और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।

भारत का सबसे लंबा रोपवे

भारत की सबसे लंबी रोपवे परियोजना जो मुंबई को एलीफेंटा गुफाओं से जोड़ेगी, पर जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है।

- 8 किलोमीटर लंबी यह रोपवे मुंबई के पूर्वी तट के सेवरी से शुरू होगी और रायगढ़ ज़िले के एलीफेंटा द्वीप पर समाप्त होगी।
- समुद्र के ऊपर देश की यह पहली और सबसे लंबी रोपवे परियोजना है जिसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जहाज़रानी मंत्रालय के अधीन निष्पादित किया जाना है।
- मुंबई से दूर एलीफेंटा द्वीपों (Elephanta Islands) पर स्थित एलीफेंटा गुफाओं को वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) घोषित किया गया था, जिसकी वजह से भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI), भारतीय नौसेना के अलावा तटरक्षक और पर्यावरण मंत्रालय से भी मंज़ूरी लेनी अनिवार्य होती है।
- लगभग 700 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक शुरू होने की संभावना है जिसके पूरा होने में लगभग 42 महीने लगेंगे।
- 30-सीटर रोपवे द्वारा इस यात्रा को लगभग 14 मिनट में पूरा किया जा सकेगा जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- एलीफेंटा गुफा में लगभग सात लाख आगंतुक वर्ष भर में दर्शन करते हैं, यह मुंबई के आस-पास के दर्शनीय स्थलों में से एक हैं। वर्तमान में मुंबई से 10 किलोमीटर की क्रूज़ से इस दूरी के लिये लगभग एक घंटे का समय लगता है।

किसानों की सहायता के लिये मोबाइल एप

हाल ही में सरकार ने किसानों को अत्याधुनिक तकनीक तक सस्ती पहुँच उपलब्ध कराने के लिये देश में ट्रैक्टरों को उबर जैसी सुविधा देने हेतु एक एप लॉन्च करना सुनिश्चित किया है।

- इस एप के आधिकारिक रूप से लॉन्च हो जाने पर जो किसान उपकरण किराये पर लेना चाहते हैं, वे अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार उपकरण किराये पर ले सकते हैं।

नोट :

- किसानों को उनके आस-पास के 20 से 50 किलोमीटर के दायरे में उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- यह एप उसी प्रकार आधुनिक तकनीकों तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित करेगा जैसे उबर एप लोगों को कैब की सुविधा प्रदान करता है।
  - इसके तहत एक लेज़र गाइडेड तकनीकी/मशीन जो भूमि को समतल करती है को लिया गया है इसका उपयोग कर किसान कीमती भूजल को बचा सकते हैं तथा उत्पादकता में 10 से 15% की वृद्धि कर सकते हैं।
  - उल्लेखनीय है कि इस तरह के हाईटेक लेवलर्स (hitech levellers) की कीमत कम-से-कम 3 लाख रुपए है, जो औसत एवं लघु कृषकों की पहुँच से परे है।
- वर्तमान में देश भर में 38,000 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centres- CHC) हैं जो प्रत्येक वर्ष 2.5 लाख कृषि उपकरण किराये पर लेते हैं।
- किसानों, समाजों और उद्यमियों द्वारा पंजीकरण के लिये CHC एप पहले से ही खुला है जो इन केंद्रों को चलाते हैं।
- अब तक लगभग 26,800 CHC ने एक लाख से अधिक उपकरण किराये पर देने की पेशकश की है।

अंडमान का प्रायद्वीपीय भारत से संबंध

वैज्ञानिकों ने दुर्लभ पौधों की प्रजातियों की खोज की है जो प्रायद्वीपीय भारत (Peninsular India) तथा श्रीलंका के बंगाल की खाड़ी में उपस्थित द्वीपों से अतीत के महाद्वीपीय संबंधों को जोड़ने में मदद कर सकती है।

- वर्ष 2003 में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute- JNTBGRI) के वैज्ञानिकों ने अंडमान समूह के दक्षिणी द्वीपों में राइट मायो (Wright Myo) के अर्द्ध-सदाबहार जंगलों में यूजेनिया वंश (Eugenia genus) से संबंधित पौधे की एक प्रजाति की खोज की थी।
- ये पौधे एक जगह पर समुदाय में परिपक्व अवस्था में समूह में उपस्थित थे, इनमें से कुछ छोटे अर्थात् अंकुरित पौधों को इकठ्ठा कर वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया। इसके अंतर्गत पाया गया कि:
  - इनकी विकास दर बेहद धीमी थी।
  - एक पौधा लगभग 2 मीटर लंबा हो गया तथा वर्ष 2015 से इसमें फूल आने शुरू हुए अंतत: वर्ष 2019 में इसमें फल विकसित हुआ।
  - वैज्ञानिकों द्वारा किये गए विस्तृत वर्गिकी अध्ययनों (Taxonomical Studies) के पश्चात् इस प्रजाति को यूजेनिया मूनिआना (Eugenia mooniana) में रखा गया।
  - यह पौधा केवल असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और श्रीलंका में पाया जाता है।
- अंडमान में पाए गए इस पौधे की प्रजातियों के भारत, श्रीलंका में भी पाए जाने से बंगाल की खाड़ी के द्वीपों तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच निकटतम संबंध के बारे में भी पता भविष्य में लगाया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम, 2021

एक दशक से अधिक के अंतराल के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम, 2021 (Programme for International Student Assessment- PISA) में भाग लेने के लिये पूरी तरह से तैयार है।

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम में भारत की तरफ से केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित विद्यालय तथा केंद्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ के विद्यालय भाग लेंगे।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन हेतु किसी देश (बड़े देशों के मामले में विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र) के 15 वर्ष की आयु वाले छात्रों को सम्मिलित किया जाएगा जो स्कूली शिक्षा के सभी रूपों जैसे- सार्वजनिक, निजी, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (Programme for International Student Assessment- PISA) 73 देशों में शिक्षा प्रणाली का एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन कार्यक्रम है।
- पिछली बार भारत ने वर्ष 2009 में PISA में भाग लिया था उस समय 73 देशों में भारत को 72वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम Programme for International Student Assessment- PISA

- इस कार्यक्रम का पहली बार आयोजन वर्ष 2000 में किया गया था।
- यह कार्यक्रम आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा समन्वित एक त्रैवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है।
- इसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर छात्रों का मूल्यांकन दुनिया भर की शैक्षिक प्रणाली की गुणवत्ता, विज्ञान, गणित तथा पठन संबंधी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
- PISA गणित, विज्ञान एवं पढ़ने में 15 वर्षीय छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन को मापता है।

ऑपरेशन नंबर प्लेट

भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force- RPF) ने रेलवे परिसर में स्थित सभी वाहनों की पहचान करने तथा उनका सत्यापन करने के लिये एक विशेष अभियान 'ऑपरेशन नंबर प्लेट' लॉन्च किया है।

- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी रेलवे परिसरों में लावारिस वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करना है जो लंबी अवधि के लिये 'नो पार्किंग' क्षेत्रों में भी मौजूद रहते हैं।
- इसे स्थानीय पुलिस एवं रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के सक्रिय सहयोग से लॉन्च किया गया है।
- अज्ञात वाहनों को यात्रियों तथा रेलवे के अन्य हितधारकों की सुरक्षा के लिये एक गंभीर खतरा माना जाता है।
- यह अभियान ('ऑपरेशन नंबर प्लेट') विशेष रूप से 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनज़र आयोजित किया गया है।
- यह 9 अगस्त से 11 अगस्त तक भारतीय रेलवे के 466 रेलवे स्टेशनों पर एक विशेष अभियान के रूप में चलाया गया था जिसके दौरान चोरी हुए वाहन, 5 दिन से अधिक अवधि से खड़े वाहन, लावारिस वाहन, संदिग्ध वाहन आदि पाए गए।
- इस दौरान अनधिकृत पार्किंग के लिये लगभग 59,000 रुपए शुल्क के रूप में वसूल किये गए।

दिल्ली ड्रैगनफ्लाई उत्सव

18 अगस्त, 2019 से वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री (BNHS) के सहयोग से दिल्ली तथा उसके पड़ोसी क्षेत्रों में एक महीने तक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।

- यह उत्सव ड्रैगनफ्लाईज़ और डैम्सलफ्लाईज़ को समर्पित दूसरा ऐसा आयोजन है जिसका उद्देश्य इनकी जनगणना करना और इनके महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- ये कीट किसी क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के महत्त्वपूर्ण जैव-संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। ड्रैगनफ्लाईज़ मच्छरों और अन्य कीड़ों को खाते हैं जो कि मलेरिया और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों के वाहक हैं।
- इनकी पहली जनगणना पिछले साल की गई थी, जिसने NCR में इन कीड़ों की कुल 51 विभिन्न प्रजातियों का खुलासा किया था।
- ये मच्छरों की आबादी को कम करने के लिये सबसे अच्छे शिकारियों में से हैं। यह बड़ी संख्या में मच्छरों के लार्वा भी खाते हैं। ये दिल्ली के शहरी जंगल में मच्छरों की समस्या का समाधान हो सकते हैं।
- इस उत्सव में प्रतिभागियों को कई समूहों में विभाजित किया जाएगा और सर्वेक्षण के लिये दिल्ली-NCR में विभिन्न स्थानों का दौरा किया जाएगा। BNHS और WWF के विशेषज्ञ इस कार्य में उनका साथ देंगे और उन्हें कीड़ों और उनके आवास के बारे में प्रशिक्षित करेंगे।
- इस दौरान स्वयंसेवकों को कीड़ों के लिये कृत्रिम निवास स्थान बनाने के अलग-अलग तरीके सिखाए जाएंगे, जो उनके प्रजनन के लियेअनुकूल होंगे।
- ये प्रजातियाँ हमारे आसपास के वातावरण को स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि नागरिकों को उनके महत्त्व के बारे में बहुत कम जानकारी है।

नोट :

बया वीवर बर्ड

बया वीवर बर्ड (Baya Weaver Bird) भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, यह खासकर जंगलों और खेतों में निवास करती है। वर्तमान में कृषि पैटर्न में परिवर्तन तथा पर्यावरणीय ह्रास के कारण ये कम दिखाई पड़ते हैं।

- बया वीवर बर्ड का वैज्ञानिक नाम प्लोसस फिलिपिनस (Ploceus philippinus) है।
- यह एक सुंदर चिड़िया है जिसे बेहतरीन घोंसले बनाने के लिये जाना जाता है। घोंसला नर चिड़िया द्वारा बनाया जाता है।
- इनका घोंसला एक अच्छी कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना प्रदर्शित करता है।
- इनको बारिश का सटीक पूर्वानुमान लगा लेती है। बारिश का मौसम आने से पहले यह चिड़िया घोंसला बनाती है।
- ये खेतों के आसपास पेड़ों की डालियों पर घोंसला बुनती हैं।
- नर बया पीले और काले रंग की, जबकि मादा बया भूरे रंग की होती है। कुछ ऑरेंज रंग की भी होती हैं।
- इनका आकार 5 से 10 इंच के बीच होता है।

सरल सूचकांक (स्टेट रूफटॉप सोलर एट्रैक्टिवनेस इंडेक्स)

कर्नाटक ने सरल सूचकांक (State Rooftop Solar Attractiveness- SARAL Index) में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं तेलंगाना, गुजरात व आंध्र प्रदेश ने क्रमश: दूसरा, तीसरा व चौथा स्थान प्राप्त किया है।

- सरल सूचकांक को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन (SSEF), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) और अर्न्स्ट एंड यंग (EY) के सहयोग से तैयार किया गया है।
- यह सूचकांक निम्नलिखित 5 पहलुओं को समाहित करता है:
  - नीतिगत ढाँचे की मज़बूती
  - कार्यान्वयन का वातावरण
  - निवेश का माहौल
  - उपभोक्ता का अनुभव
  - व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र
- यह सूचकांक रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिये राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
- यह सूचकांक राज्यों को रूफटॉप सोलर (Solar Rooftop Ecosystem) के क्षेत्र में अब तक की गई पहलों का आकलन करने और सुधार के लिये प्रोत्साहित करेगा।

137 पर्वतीय चोटियों पर पर्वतारोहण और ट्रेकिंग की अनुमति

गृह मंत्रालय ने पर्वतारोहण (Mountaineering) और ट्रेकिंग (Trekking) के लिये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम में स्थित 137 पर्वत चोटियों को खोलने की घोषणा की।

प्रमुख चोटियों की सूची

जम्मू और कश्मीर- सेरो किथेश्वर, तानक और बरमल चोमचोर, एगर, कैलाश, अग्यसोल, गोलपंकरी, उमासी आदि ।
उत्तराखंड- भृगु पर्वत , चिरबस पर्वत, भृगुपंत, बालकुन, अवलंच, कालीधंग आदि राज्य में खोले गए कुछ शिखर हैं
सिक्किम- काबरू उत्तर, काबरू डोम, काँटेदार चोटी, जोपोनो, गोछा चोटी, काबरू साउथ और कंचनजंगा दक्षिण।
हिमाचल प्रदेश- कुल्लू पुमोरी, पार्वती दक्षिण, कुल्लू ईगर, कुल्लू मकालू, सुगंधित शिखर और पिरामिड पर्वत।

- यह निर्णय भारत में पर्यटन को बढ़ावा देगा तथा इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिलेगा।
- वर्तमान में, विदेशियों को इन चोटियों पर चढ़ने के लिये रक्षा और गृह मंत्रालयों से अनुमति लेनी होती है। सरकार द्वारा इन्हें खोलने के बाद, विदेशी अब परमिट के लिये सीधे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (Indian Mountaineering Department) पर आवेदन कर सकते हैं।

नोट :

- हाल ही में ई वीज़ा को एक साल से बढ़ाकर पाँच साल कर दिया है और पीक सीजन के दौरान वीज़ा की कीमत को 25 डॉलर से घटाकर 10 डॉलर करने का निर्णय लिया गया है।
- 137 चोटियों में से 51 उत्तराखंड में, 24 सिक्किम में, 47 हिमाचल प्रदेश में और 15 जम्मू-कश्मीर में हैं।

कच्छ का रेगिस्तान

भारतीय और फ्राँसीसी शोधकर्त्ताओं की एक टीम के अनुसार कच्छ का गर्म शुष्क रेगिस्तान कभी नम आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जंगल था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी, मीठे पानी की मछलियाँ और संभवत: ज़िराफ और गैंडे थे।

- उनके निष्कर्ष लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व की भूवैज्ञानिक समयावधि मिओसीन (Miocene) के दौरान कशेरुक जीवाश्मों की खोज पर आधारित हैं। खोज के बाद, विश्लेषण के लिये उन्हें लगभग 12 साल लगे।
- ज़्यादातर पसलियों तथा दांतों और हड्डियों के हिस्सों से युक्त जीवाश्म, गुजरात के कच्छ के रापर तालुक के पलासवा गाँव से पाए गए थे।
- जर्नल हिस्टोरिकल बायोलॉजी (Journal Historical Biology) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पलासवा से मिले जीवाश्म से पता चलता है कि मध्य मिओसीन (लगभग 14 म्या) के दौरान उष्ण, आर्द्र / नम तथा उष्ण कटिबंधीय से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवों और वनस्पतियों की एक समृद्ध विविधता बरकरार थी।
- अरब सागर से निकटता के कारण कच्छ में अब तक पाए गए जीवाश्मों में मुख्य रूप से समुद्री जीवों की संख्या अधिक है। भूगर्भीय परिवर्तनों ने अंतत: समुद्र से नमक के समतल मैदान के संपर्क को बंद कर दिया और यह क्षेत्र एक बड़ी झील में बदल गया तथा अंतत: नमकीन आर्द्रभूमि (Salt Flats) बन गया।
- निष्कर्ष बताते हैं कि 300 मिलियन वर्ष पहले जब भारत का कुछ हिस्सा गोंडवानालैंड में था तभी स्तनधारी जीव (Mammal) भारत और अफ्रीका के बीच तितर बितर हो गए।
- यह आश्चर्य की बात है कि कच्छ में मिओसिन युग में बंद बेसिन में जिराफ, गैंडे, हाथी और विशालकाय मगरमच्छ थे।

फ्लोक्सिनॉसिनिहिलिपिलिफिकेशन' (Floccinaucinihilipilification)

हाल ही में मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) के सदस्य चेतन घाटे द्वारा Floccinaucinihilipilification शब्द का प्रयोग किया गया जिसके बाद 29 अक्षरों का यह शब्द एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है।

- इससे पहले इस शब्द का प्रयोग वर्ष 2018 में किया गया था। तब शशि थरूर द्वारा अपनी पुस्तक "THE PARADOXICAL PRIME MINISTER" के प्रचार के दौरान ट्विटर पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
- ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस शब्द को "the action or habit of estimating something as worthless" अर्थात् "किसी भी बात पर आलोचना करने की आदत, चाहे वो गलत हो या सही" के रूप में परिभाषित किया है।
- चेतन घाटे ने इस शब्द का इस्तेमाल भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमानों की वैधता पर संदेह करने वाले कई अर्थशास्त्रियों के प्रयासों को चिह्नित करने के लिये किया।

केरल में महिलाएँ चला सकेंगी सरकारी वाहन

केरल सरकार ने सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में अब महिला ड्राइवरों की नियुक्ति करने फैसला किया है। यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी वाहन चलाने की अनुमति देने का फैसला किया है।
इससे पहले केरल सरकार ने राज्य में 'शी-टैक्सी' (She Taxi) की शुरूआत की थी, लेकिन यह योजना बहुत अधिक सफल नहीं हुई।

She Taxi

- महिलाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नवंबर 2013 में 'शी-टैक्सी' की शुरुआत केरल राज्य सरकार द्वारा की गई थी। यह महिला यात्रियों के लिये सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सुविधा सुनिश्चित करता है। इस पहल ने वर्ष 2014 में सार्वजनिक नीति में नवाचार के लिये मुख्यमंत्री पुरस्कार प्राप्त भी किया।

नोट :

- इसकी शुरुआत केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त संस्थान, जेंडर पार्क द्वारा शुरू की गई। इस पहल की शुरुआत पाँच कारों के एक बेड़े के साथ की गई थी।
- केरल सरकार के अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय
- केरल सरकार द्वारा लगातार महिलाओं संबंधित नए प्रावधान लागू किये जा रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने महिला और बाल विभाग का गठन किया है तथा 550 सदस्यों वाली पहली महिला बटालियन का गठन भी किया है। इस बटालियन का गठन पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।
- उपरोक्त के अलावा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जीतने वाले 83 खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त करने का भी निर्णय भी लिया है।

फेडर

रूस ने 22 अगस्त को मानवाभ (Humanoid) रोबोट ले जाने वाले एक मानव रहित रॉकेट को लॉन्च किया, यह रोबोट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 10 दिन बिताएगा तथा अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करना सीखेगा।

- इसका नाम फेडर (Final Experimental Demonstration Object Research) रखा गया है। इसे रूस के बेकनूर से सोयूज MS-14 अंतरिक्षयान द्वारा भेजा गया।
- फेडर के पास इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट हैं, जिसमें लिखा है कि यह पानी की बोतल खोलने जैसे नए कौशल सीख रहा है और स्टेशन में बहुत कम गुरुत्वाकर्षण में हस्त-कौशलों का परीक्षण करेगा।
- रोबोट ने कक्षा में पहुँचने के बाद ट्वीट किया, " इन-फ्लाइट प्रयोगों का पहला चरण उड़ान योजना के अनुसार हुआ।"
- फेडर मानव गतिविधियों को कॉपी करता है, एक प्रमुख कौशल जो इसे अंतरिक्ष यात्रियों या पृथ्वी पर भी लोगों के कार्यों को पूरा करने में मदद करने की अनुमति देता है, जबकि मनुष्य एक एक्सोस्केलेटन में बंधे होते हैं।
- उच्च विकिरण वाले वातावरण में काम करने, कार्यों के निस्तारण और मुश्किल समय में बचाव हेतु मिशन के लिये फेडर को पृथ्वी पर संभावित रूप से उपयोगी बताया गया है।

फ़ेडर अंतरिक्ष में जाने वाला पहला रोबोट नहीं

- वर्ष 2011 में नासा ने जनरल मोटर्स के सहयोग से विकसित एक ह्यूमनॉइड रोबोट रोबोनॉट 2 को अंतरिक्ष में भेजा, इसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाले वातावरण में काम करना था। इसे वर्ष 2018 में तकनीकी समस्याओं का सामना करने के बाद पृथ्वी पर वापस बुला लिया गया था।
- वर्ष 2013 में जापान ने ISS के पहले जापानी अंतरिक्ष कमांडर के साथ किरोबो (Kirobo) नामक एक छोटा रोबोट भेजा। यह टोयोटा की मदद से विकसित किया गया था जो केवल जापानी भाषा में वार्तालाप करने में सक्षम था।

नेपाल में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) पर प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेपाल सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

- नेपाल सरकार के इस कदम का उद्देश्य वर्ष 2020 तक एवरेस्ट क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाना है।
- एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने वाला यह नियम 1 जनवरी, 2020 से लागू होगा। इस नियम के तहत 30 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इनमें प्लास्टिक की थैलियाँ, स्ट्रॉ, सोडा और पानी की बोतलें तथा अधिकांशत: खाद्य पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक शामिल है।
- नेपाल के खंबु क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को पाँच अलग-अलग प्रकार और आकार के प्लास्टिक बैग प्रदान किये जाएंगे, जिन्हें वे दैनिक गतिविधियों के लिये उपयोग कर सकते हैं।

नोट :

- इसके अलावा नेपाल सरकार आने वाले साल के दौरान देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'विज़िट नेपाल' (Visit Nepal) नामक अभियान पर भी ध्यान दे रही है, जिसका लक्ष्य 20 लाख विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है।
- उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविदों द्वारा अक्सर यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि नेपाल ने दुनिया की सबसे ऊँची चोटी के संवेदनशील वातावरण की रक्षा करने हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किये हैं।

पल्लीकरनई आर्द्रभूमि

पल्लीकरनई आर्द्रभूमि तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में एक ताज़े पानी का दलदल है जो 80 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तारित है। यह शहर का एकमात्र जीवित आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है और दक्षिण भारत की अंतिम कुछ प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में से एक है।

- यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पक्षियों की 115 प्रजातियाँ, स्तनधारियों की 10 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 21 प्रजातियाँ, उभयचरों की 10 प्रजातियाँ, मछलियों की 46 प्रजातियाँ, तितलियों की 9 प्रजातियाँ और वनस्पतियों की 114 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह रसेल वाइपर जैसे सरीसृपों का घर भी है और चमकदार आइबिस (Ibis), ग्रे-हेडेड लैपविंग्स (Grey-headed lapwings) और तीतर-पूंछ वाले जेकाना (Pheasant-tailed jacana) जैसे पक्षी भी यहाँ मिलते हैं।
- 50 वर्षों में हमने विकास और शहर के विस्तार के कारण 5,000 हेक्टेयर में फैले, पारिस्थितिकी तंत्र का 90% हिस्सा खो दिया है। वर्ष 2007 में शेष आर्द्रभूमि को और सिकुड़ने से बचाने के प्रयास के रूप में इस क्षेत्र में अविकसित क्षेत्रों को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। मार्च 2018 में राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह आर्द्रभूमि की पर्यावरण-बहाली का कार्य शुरू करेगी।
- हालाँकि वेटलेंड को बहाल करने और उसे बचाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन इससे सीखे गए सबक देश भर के जल निकायों पर लागू हो सकते हैं जो कि अपने अस्तित्व के लिये समान खतरों का सामना कर रहे हैं।

दयालुता पर पहला विश्व युवा सम्मेलन

23 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में दयालुता पर पहले विश्व युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- उद्देश्य: इस सम्मेलन का उद्देश्य संवेदना, सद्भाव, करुणा जैसे गुणों के ज़रिये युवाओं को प्रेरित करना था, ताकि वे आत्मविकास कर सकें और अपने समुदायों में शांति स्थापित कर सकें।
- थीम: कार्यक्रम की विषयवस्तु/थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम् : समकालीन विश्व में गांधी: महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह' (Vasudhaiva Kutumbakam: Gandhi for the Contemporary World: Celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi) थी।
- आयोजनकर्त्ता: इसका आयोजन UNESCO के महात्मा गांधी शांति और विकास शिक्षा संस्थान (Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development-MGIEP) तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) ने किया।

अन्य प्रमुख बिंदु:

- इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया।
- सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और यूरोप के 27 से अधिक देशों के लगभग 1000 युवाओं ने हिस्सा लिया।
- इस अवसर पर UNESCO के MGIEP के प्रमुख प्रकाशन 'दि ब्लू डॉट' (The Blue Dot) का विमोचन भी किया गया। इस संस्करण में सामाजिक और भावनात्मक पक्षों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संस्थान द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

लाइम स्वॉलोटेल

तितली जो कि स्वॉलोटेल (Swallowtails) समूह से संबंधित है, यह साइट्रस (Citrus) पौधों पर अपने अंडे देती है। इसे प्राय: लाइम स्वॉलोटेल कहा जाता है। यह भारत में पाए जाने वाली बड़ी तितलियों में से एक है, इसके पंखों का लगभग 80-100 मिमी. तक होता है।

नोट :

- अधिकांश प्रजातियों में पश्च पंख होते हैं जिनमें एक कांटा दिखाई देता है। लाइम एक अपवाद है। इसके पंखों पर सफेद, काले, पीले, हरे और दो नारंगी-लाल के अनियमित धब्बे पाए जाते हैं।
- तितली एक मड-पुडलर है। मड-पुडलिंग तितलियों और कुछ अन्य कीटों द्वारा प्रदर्शित एक व्यवहार है, जहाँ वे नम मिट्टी और गोबर पर बैठते हैं और कुछ लवण और पोषक तत्त्वों को निकालने के लिये तरल पदार्थ चूसते हैं जो उनकी जीवन-प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आमतौर पर कम ऊँचाई पर उड़ती हैं।
- मादा तितली एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाती है और उन पर एक अंडा देती है। तत्पश्चात् लार्वा 5 चरणों में विकसित होता है: पहला, जब यह अंडे से निकलता है (रंग में काला) तथा दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में यह अपनी त्वचा को बाहर निकालता है और अपने आकार को समायोजित करता है।
- इन चरणों में शरीर पर यूरिक एसिड जैसा दिखने वाला सफेद निशान गहरा होता है। जो बर्ड ड्रॉपिंग (पक्षियों की बीट) की तरह दिखता है तथा यह उनकी शिकारियों से बचने में मदद करता है। अंतिम चरण में, कैटरपिलर एक बेलनाकार आकार ग्रहण करता है तथा इसका रंग कुछ मात्रा में सफ़ेद होने के साथ पीला- हरा हो जाता है।
- अधिकांश स्वॉलोटेल कैटरपिलर में एक कांटे के समान अंग होता है, यह सिर के पीछे के हिस्से में होता है और इसे मेटेरियम कहा जाता है। जब इन्हें डराया जाता है, तो मेटेरियम बाहर निकलता है और ब्यूटिरिक एसिड की तीखी गंध छोड़ता है, यह मुख्य रूप से चींटियों, परजीवी ततैया, और मक्खियों से बचने के लिये कारगर है।
- इस तितली की व्यापक उपलब्धता विभिन्न परिस्थितियों के लिये इसकी सहिष्णुता और अनुकूलता को इंगित करती है जैसा कि हम उन्हें बगीचों, खेतों और कभी-कभी जंगलों में देख सकते हैं। सितंबर को बटरफ्लाई मंथ के रूप में मनाया जाता है।

बहरीन टेम्पल प्रोजेक्ट

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने बहरीन में 200 साल पुराने श्रीकृष्ण मंदिर हेतु 4.2 मिलियन डॉलर की पुनर्विकास परियोजना का शुभारंभ किया।

- प्रमुख खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिर श्रीनाथजी (मनामा) के दर्शन किये और RuPay कार्ड लॉन्च करने के बाद इसी से प्रसाद भी खरीदा।
- मनामा में श्रीनाथजी (श्री कृष्ण) मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य इस साल के अंत में शुरू होगा।
- मंदिर के पुनर्विकास में इसकी 200 साल पुरानी विरासत को उजागर किया जाएगा और नए प्रतिष्ठित परिसर में गर्भगृह और प्रार्थना हॉल होंगे।
- पारंपरिक हिंदू विवाह समारोहों और अन्य अनुष्ठानों के लिये भी यहाँ सुविधाएँ होंगी, जिसका उद्देश्य बहरीन को शादी के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना तथा पर्यटन को विकसित करना है।

गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग

नासा के जेम्स वेब स्पेस (James Webb) टेलीस्कोप को मशीन के रूप में उपयोग करते हुए, शोधकर्त्ता यह जाँचने की योजना बना रहे हैं कि नए सितारे कैसे पैदा होते हैं। इसके लिये वे 'गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग' नामक एक प्राकृतिक घटना की मदद लेंगे।

- यह घटना तब घटित होती है जब भारी मात्रा में पदार्थ, जैसे कि एक विशाल आकाशगंगा या आकाशगंगाओं का समूह, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जो अपने पीछे की वस्तुओं के प्रकाश को बढ़ाता और विकृत करता है।
- ये प्राकृतिक ब्रह्मांडीय दूरबीन हैं; जिन्हें गुरुत्वाकर्षण लेंस कहा जाता है। ये विशाल आकाशीय पिंड होते हैं और दूर की ऐसी आकाशगंगाओं के प्रकाश का आवर्द्धन करते हैं जो कि तारे के निर्माण के चरम पर या उसके निकट हैं। यह प्रभाव शोधकर्त्ताओं को दूर स्थित आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में मदद करता है जिन्हें सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीनों से देखा जा सकता है।
- गुरुत्वीय लेंसिंग अंतरिक्ष में किसी बड़ी वस्तु के उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें वह वस्तु अपने पास से गुज़रती प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक लेंस जैसा काम करती है। भौतिकी के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की वजह से कोई भी वस्तु अपने आसपास के व्योम ('दिक्-काल' या स्पेस-टाइम) को मोड़ देती है और बड़ी वस्तुओं में यह झुकाव अधिक होता है।

नोट :

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope)

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (इसे JWST या वेब्ब भी कहा जाता है) 6.5 मीटर प्राथमिक प्रतिबिंब के साथ एक बड़ा अवरक्त दूरबीन है जिसे 2021 में फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
- यह हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में हुए हर चरण का अध्ययन करेगा, साथ ही बिग-बैंग के बाद पहली चमकदार उद्दीप्ति के विस्तार, सौरमंडल के गठन, पृथ्वी जैसे जीवन जीने में सक्षम ग्रहों और हमारे अपने सौर मंडल के विकास का विस्तृत अध्ययन करेगा।
- यह नासा (NASA), यूरोपियन स्पेस एजेंसी (European Space Agency-ESA) और कनाडाई स्पेस एजेंसी (Canadian Space Agency-CSA) के बीच एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है।

पानी में चलने वाले कीड़ों की 7 नई प्रजातियाँ

ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने पानी में चलने वाले, अर्द्ध-जलीय कीटों की सात प्रजातियों की खोज की है जो पानी की सतह पर चल या दौड़ सकते हैं।

- नई वर्णित प्रजातियाँ जीनस मेसोवेलिया (Genus Mesovelia) से संबंधित हैं, जिनका आकार 1.5 मिमी से 4.5 मिमी तक होता है और वे अपने पैरों पर हाइड्रोफोबिक शूक (Hydrofobic Setea) से लैस होती हैं। हाइड्रोफोबिक शूक और पानी की सतह के तनाव का संयोजन उन्हें डूबने से बचाता है।
- इन कीड़ों के पंखों का रंग चांदी के सामान सफेद होता है तथा यह हरे और पीले रंग के होते हैं। नई खोजों के बीच, मेसोवेलिया अंडमाना (Mesovelia andamana) अंडमान द्वीप समूह से हैं, एम. बिस्पिनोसा और एम. इसियासी (M. bispinosaand M. isiasi) मेघालय से हैं, एम. एक्वुलेटा और एम. तेनुया (M. occulta and M. tenuia) तमिलनाडु से और एम. ब्रेविया और एम. दिलाताता (M. brevia and M. dilatata) दोनों मेघालय और तमिलनाडु के हैं।
- ये कीड़े लार्वाबोलस कीड़े होते हैं जो लार्वा चरण के बिना बड़े होते हैं, अर्थात, ये अंडे से बहार आने तक वयस्क हो जाते हैं। वे ताज़े पानी के पिंडों जैसे तालाबों, झीलों, पूलों, नदियों, चट्टानों के साथ और कभी-कभी एश्चुअरी पर पाए जाते हैं।
- ये कीड़े शिकारियों और मैला ढोने वालों के रूप में काम करते हैं। मेसोवेलिया की मादाएँ नर से बड़ी होती हैं और पौधों पर कई छेद करती हैं तथा पौधों के ऊतकों में एक विशेष रूप से अनुकूलित लंबे दाँतेदार ओवीपोसिटर के साथ अंडे देती हैं।
- देश में जीनस मेसोवेलिया की 12 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जबकि बड़े जल स्ट्राइडर (लिमोनोगोनस, कुंभ राशि, सिलिंड्रोस्टेथस, गेरिस, पाइलोमेरा) को पानी की सतह पर आसानी से देखा जाता है जबकि छोटे मेसोवेलिया उतने प्रसिद्ध नहीं हैं।

SURE' परियोजना

हाल ही में कपडा मंत्री द्वारा मुंबई में प्रोजेक्ट SU.RE लॉन्च किया गया ।SURE का तात्पर्य 'सस्टेनेबल रिज़ॉल्यूशन' (Sustainable Resolution) से है जो भारतीय फैशन उद्योग हेतु स्वच्छ वातावरण के निर्माण में योगदान देगा।

- यह परियोजना क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (CMAI); यूनाइटेड नेशंस इंडिया, IMG Reliance तथा कपडा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
- यह फ्रेमवर्क उद्योगों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने, संसाधन दक्षता बढ़ाने, अपशिष्ट और जल प्रबंधन से निपटने और दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करने में मदद करेगा।
- SURE प्रोजेक्ट भारतीय परिधान उद्योग द्वारा भारतीय फैशन उद्योग के लिये एक स्थायी मार्ग निर्धारित करने के लिये एक प्रतिबद्धता है। प्रोजेक्ट SU.RE से संबंधित पाँच सूत्री संकल्प इस प्रकार हैं:
- ब्रांड द्वारा वर्तमान में उत्पादित किये जा रहे कपड़ों के पर्यावरणीय प्रभाव की पूरी समझ विकसित करना।
- पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले प्रमाणित कच्चे माल को लगातार प्राथमिकता देने और उपयोग करने के लिये एक स्थायी सोर्सिंग नीति विकसित करना।

नोट :

- स्थायी और नवीकरणीय सामग्री और प्रक्रियाओं का चयन करना।
- हमारे ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स, प्रोडक्ट टैग/लेबलिंग, सोशल मीडिया, विज्ञापन अभियानों और घटनाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं तथा मीडिया के लिये प्रभावी ढंग से सतत् विकास की पहल करना।
- इन कार्यों के माध्यम से, वर्ष 2025 तक हमारी आपूर्ति श्रृंखला सतत् विकास के अनुरूप हो सकेगी तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों में योगदान देते हुए भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य (SDG-12) को प्राप्त कर पायेगा।

एड्राटिक्लिट बोउल्फा

उत्तरी अफ्रीका में अब तक ज्ञात सबसे पुरानी स्टेगोसॉरस प्रजाति एड्राटिक्लिट बोउल्फा के अवशेषों की खोज की गई है।

- वैज्ञानिकों ने डायनासोर के एक उपसमूह स्टेगोसॉरस (Stegosaurus) की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसकी कालावधि लगभग 168 मिलियन वर्ष पूर्व अनुमानित की गई है।
- अड्रास (पहाड़), टिक्लिट (छिपकली) और उस क्षेत्र में बर्बर (उत्तरी अफ्रीका का एक स्थानिक जातीय समूह) आदि के शब्दों के प्रयोग करते हुए इसका नाम एड्राटिक्लिट बोउल्फा रखा है।
- एड्राटिक्लिट बोउल्फा के अवशेषों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इसकी सबसे निकटतम प्रजाति यूरोपीय स्टेगोसॉरस डैकेंटरस (European stegosaurus Dacentrurus) है।
- यह कवचधारी और शाकाहारी था जो प्राचीन गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट पर रहता था। गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट बाद में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया।
- अब तक अधिकांश स्टेगोसॉरस उत्तरी गोलार्द्ध में पाए गए हैं।

पीकॉक पैराशूट स्पाइडर

तमिलनाडु के विल्लुपुरम ज़िले के पक्कामलाई रिज़र्व फॉरेस्ट में Poecilotheria कुल से संबंधित पीकॉक पैराशूट स्पाइडर (Peacock Parachute Spider) या गूटी टारनटुलावस (Gooty Tarantulawas) के रूप में पहचानी जाने वाली मकड़ी पाई गई।

प्रमुख बिंदु

- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है।
- यह भारत की स्थानिक प्रजाति है।
- इस प्रजाति का ज्ञात निवास स्थान पूर्वी घाटों में है, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में नंद्याल के पास पवित्र वनों में।
- पैरों के नीचे के हिस्से पर बैंडिंग पैटर्न के आधार पर इस जीन की प्रजातियों की पहचान की जा सकती है।

टारनटुला जैविक कीट नियंत्रक हैं और पालतू व्यापार में संग्रहकों के बीच इनकी भारी मांग रहती है। अत: इनकी सुरक्षा के संबंध में जल्द से जल्द उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की क्लीयरिंग प्रणाली

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने छह राज्यों के 517 स्थानीय निकायों के लिये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority- NMA) के लिये एक एकीकृत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (NOPAS) लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- NOPAS को सितंबर 2015 में NMA द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन यह दिल्ली में केवल पाँच शहरी स्थानीय निकायों और मुंबई में एक नागरिक निकाय तक सीमित था। अब, इस सुविधा का विस्तार छह और राज्यों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड एवं तेलंगाना में किया गया है।
- यह सिस्टम ऑनलाइन तरीके से भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण-संबंधी कार्यों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है।

नोट :

- NMA निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में निर्माण से संबंधित गतिविधि के लिये आवेदकों को अनुमति देने पर विचार करता है।
- संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की स्थापना प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष AMASR (संशोधन एवं मान्यता) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- आवेदक को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित एजेंसियों को भेजे जाने वाले एक एकल फॉर्म को भरने की आवश्यकता है, जिसमें से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) आवश्यक है।
- पोर्टल का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के स्मार्ट 'स्मार्क' मोबाइल एप के साथ एकीकरण है, जिसके माध्यम से आवेदक अपने भूखंड का पता लगाता है और छवियों के साथ-साथ उसके भूखंड के भू-समन्वयकों को निकटता के साथ NIC पोर्टल में अपलोड किया जाता है।

ASI

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI), संस्कृति मंत्रालय के तहत पुरातात्विक शोध और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है ।
- इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, यह देश में सभी पुरातत्त्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है।
- यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

जनऔषधि सुगम

जैविक दवाओं और दुकानों की तलाश के लिये 'जन औषधि सुगम' मोबाइल एप की शुरुआत की गई तथा इस एप के लॉन्च के दौरान यह घोषणा भी की गई कि जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकीन अब 1 रुपए प्रति पैड की दर से बेचा जाएगी।

- औषधि विभाग देश भर में फैले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क के ज़रिये सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है। इस कदम से गरीबों के दवा खर्च में पर्याप्त कमी आई है।
- भारत सरकार ने 4 जून, 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर ढाई रुपए प्रति पैड की दर से 'जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडीग्रेडेबल सेनेटरी नैपकीन' की शुरुआत की थी।
- जन औषधि सुविधा की विशेष बात यह है कि जब यह इस्तेमाल के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह पैड बायोडीग्रेडेबल हो जाता है।
- 'जन औषधि सुगम' मोबाइल एप्लीकेशन में नज़दीक के जन औषधि केंद्रों, गूगल मैप के ज़रिये उन केंद्रों तक पहुँचने का मार्ग, जन औषधि जैविक दवाओं का पता लगाने, दवाओं के मूल्य के आधार पर जैविक तथा ब्रांडेड दवाओं की तुलना, खर्च में होने वाली बचत की जानकारी मिलेगी।
- औषधि विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम से सबके लिये 'सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा' दृष्टिकोण को हासिल करना सुनिश्चित हो जाएगा। इस कदम के ज़रिये 'स्वच्छ भारत, हरित भारत' का सपना भी पूरा होगा, क्योंकि ये पैड ऑक्सो-बायोडीग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल हैं। जन औषधि सुविधा को देश भर के 5500 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के ज़रिये बिक्री के लिये उपलब्ध कराया जा रहा है।

कोप्रोलाइट (खुदी हुई गोबर)

वैज्ञानिकों ने अर्जेंटीना के एक प्रागैतिहासिक प्यूमा के कोप्रोलाइट में सबसे पुराने परजीवी के DNA (Deoxyribonucleic Acid) की खोज की है।

- ऐसे जानवरों के जीवाश्म मल (Fossilised Faeces) को कोप्रोलाइट्स (Coprolites) कहा जाता है जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाते थे।

नोट :

- वैज्ञानिक कोप्रोलाइट्स के आकार और रूपरेखा का विश्लेषण तथा अध्ययन कर यह पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार के जानवर से उत्पन्न मल है और ये जानवर क्या खाते थे।
- उदाहरण के लिये, यदि मल में हड्डी के टुकड़े पाए जाते हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जानवर मांसाहारी रहा होगा।

'अंगीकार' अभियान और ई-कोर्स की शुरुआत

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 29 अगस्त, 2019 को प्रबंधन परिवर्तन के लिये एक अभियान 'अंगीकार' तथा भारत के अतिसंवेदनशीलता एटलस भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस यानी वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया (Vulnerability Atlas of India) पर ई-कोर्स की शुरुआत की है।

'अंगीकार' अभियान

- प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिये अंगीकार अभियान शुरू किया गया है।
- इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) [Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) PMAY (U)] के तहत बनाए गए घरों को प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिये जल एवं ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, सफाई एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों पर सामुदायिक लामबंदी और आयात निर्यात कोड (Import Export Code- IEC) गतिविधियों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह अभियान उपरोक्त विषयों को देखने वाले अन्य मंत्रालयों की योजनाओं एवं मिशनों के साथ मिलकर चलाया जाएगा।
- इसमें PMAY (U) के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने के लिये विशेष रूप से उज्ज्वला और स्वास्थ्य बीमा हेतु आयुष्मान भारत पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- अंगीकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से मिशन के सभी लाभार्थियों तक पहुँचना है। सभी लक्षित शहरों में यह अभियान प्रारंभिक चरण के बाद महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर, 2019 को शुरू होगा। 10 दिसंबर, 2019 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इसका समापन किया जाएगा।
- इस अभियान में डोर-टू-डोर गतिविधियों, वार्ड एवं शहर स्तर के कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।

ई-कोर्स

- स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (School of Planning & Architecture- SPA), नई दिल्ली तथा भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (Building Materials & Technology Promotion Council- BMTPC) के सहयोग से अतिसंवेदनशीलता एटलस यानी वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया पर ई-कोर्स की शुरुआत की गई है।
- यह एक अनूठा कोर्स है जो प्राकृतिक खतरों के बारे में जागरूकता एवं समझ प्रदान करता है।
- यह विभिन्न खतरों (भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ आदि) को देखते हुए अति संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है और मौजूदा आवासों के नुकसान के जोखिम को स्पष्ट रूप से (ज़िलेवार) बताता है।
- यह ई-कोर्स वास्तुकला अर्थात् आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, शहरी एवं क्षेत्रीय योजना, आवास एवं बुनियादी ढाँचा योजना, निर्माण इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन और भवन एवं सामग्री अनुसंधान के क्षेत्र में आपदा शमन तथा प्रबंधन के लिये एक प्रभावी व कुशल साधन हो सकता है।

पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना North-East Rural Livelihood Project (NERLP)

पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका मिशन (NERLP) के अंतर्गत चार राज्यों मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाकर उनकी आजीविका में सुधार किया गया है।

- इस परियोजना के तहत 11 ज़िलों में 58 विकास खंडों के अंतर्गत 1,645 गाँवों के लगभग 300,000 लोगों को शामिल किया गया।
- इस परियोजना के तहत कौशल विकास और नियोजन में 10462 युवक-युवतियों को विभिन्न नौकरियों हेतु प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से वर्तमान में लगभग 5,494 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है।
- NERLP विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विकास मंत्रालय के अंतर्गत 683 करोड़ रुपए (144.4 मिलियन अमरिकी डॉलर) की बहु-राज्यीय आजीविका परियोजना है।

नोट :

पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (NERLP)

- इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी।
- इस परियोजना को मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के 11 ज़िलों में लागू किया गया था।
- इसका उद्देश्य चार पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, बेरोज़गार युवकों और वंचितों की आजीविका में सुधार लाना है।
- इस परियोजना में सामाजिक सशक्तीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण, साझेदारी विकास परियोजना प्रबंधन तथा आजीविका एवं मूल्य श्रृंखला विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है।

डिंडीगुल लॉक एवं कंडांगी साड़ी को GI टैग

तमिलनाडु के दो प्रसिद्ध उत्पादों- डिंडीगुल लॉक और कंडांगी साड़ी को चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक (GI) टैग दिया गया है।

- कंडांगी साड़ी को इसके बड़े कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर की विशेषता तथा डिंडीगुल लॉक को इसकी बेहतर गुणवत्ता और स्थायित्व के लिये दुनिया भर में जाना जाता है।

डिंडीगुल लॉक

- डिंडीगुल और उसके आस-पास की 3,125 से अधिक ताला निर्माण इकाइयाँ लगभग 5 किमी क्षेत्र तक सीमित हैं जो नागेलनगर, नल्लमपट्टी, कोडईपरैलपट्टी, कमलापट्टी और यज्ञप्पनपट्टी में केंद्रित हैं।
- इन क्षेत्रों में लोहे की प्रचुरता इस उद्योग की वृद्धि का कारण है।
- कारीगरों द्वारा कच्चे माल का उपयोग करने वाले 50 से अधिक प्रकार के ताले बनाए गए हैं।

कंडांगी साड़ी

- कंडांगी साड़ियों का निर्माण शिवगंगा ज़िले में पूरे कराईकुडी तालुक में किया जाता है।
- इन साड़ियों का कॉन्ट्रास्ट बार्डर इनकी प्रमुख विशेषता है और कुछ साड़ियों को कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर से दो-तिहाई साड़ी कवर करने के लिये जाना जाता है जो आमतौर पर लगभग 5.10 मीटर 5.60 मीटर लंबी होती है।
- इसे प्राय: गर्मियों में पहना जाता है, इन सूती साड़ियों को आमतौर पर थोक में ग्राहकों द्वारा खरीदा जाता है।

माउंट कुन अभियान

माउंट कुन (Mount Kun) अभियान को भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के ज़ास्कर रेंज (Zaskar Range) में 30 जुलाई से 29 अगस्त, 2019 तक चलाया गया।

- इस अभियान में 22 सदस्यों का एक दल था जिसमें 10 महिला अधिकारी भी शामिल थीं।
- यह दल लेह से 30 जुलाई, 2019 को रवाना किया गया था जो अपना अभियान समय पर पूरा करके सुरक्षित वापस आ गया है।
- इस अभियान के दौरान दल को रास्ते में कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसने गहरी खाइयों, बर्फीले तूफानों और सीधी चढ़ाई वाली बर्फीली चट्टानों का सामना करते हुए माउंट कुन पर विजय प्राप्त की।

नून कुन मासिफ (Nun Kun Massif)

- नून कुन मासिफ (Nun Kun Massif) ऊपरी सुरू घाटी में क्षितिज पर स्थित दो चोटियाँ हैं। नून की ऊँचाई 7135 मी. तथा कुन की ऊँचाई 7077 मी. है जो लद्दाख के ज़ास्कर रेंज (Zaskar Range) में सबसे ऊँची हैं।
- दोनों चोटियों के बीच में लगभग 4 किमी. लंबा बर्फीला पठार पाया जाता है जो इन दोनों को अलग करता है। पिनेकल शिखर (Pinnacle Peak) इस समूह का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत है जिसकी ऊँचाई 6930 मी. है।
- पहली बार वर्ष 1913 में इतालवी पर्वतारोही मारियो पिआकेंज़ा द्वारा माउंट कुन पर चढ़ाई की गई थी। 58 वर्षों के पश्चात् एक भारतीय सैन्य अभियान द्वारा इस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी।

नोट :

ग्रेटा थनबर्ग

हाल ही में एक किशोर जलवायु प्रचारक ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण पर बात करने के लिये नाव से न्यूयार्क गईं तथा वहाँ पहुँचकर सभी लोगों से 'प्रकृति पर युद्ध' को समाप्त करने का आग्रह किया।

- थनबर्ग पर्यावरण के लिये काम करने वाले युवाओं के बीच एक बड़ा प्रतीक बन गई हैं।
- उन्होंने हर हफ्ते स्वीडन के स्कूल में पर्यावरण के लिये हड़ताल करने हेतु अभियान #FridaysForFuture का नेतृत्व किया जो अब काफी लोकप्रिय हो गया है।
- वह अगले महीने न्यूयॉर्क में होने जा रहे यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये आई हैं। साथ ही दुनिया भर के उन नेताओं से मिलेंगी जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने के लिये अपनी योजनाएँ प्रस्तुत करने वाले हैं।

- ग्रेटा थनबर्ग एक अभिनेता और ऑपेरा सिंगर की बेटी हैं।
- इनकी उम्र महज़ 16 साल है।
- स्वीडन के आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले इन्होंने स्कूल जाना छोड़कर जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों के बारे में प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया।
- चुनाव के बाद भी हर शुक्रवार को स्कूल नहीं जाने का सिलसिला जारी रखा कुछ समय पश्चात् ही इनके साथ हज़ारों छात्रों ने भी इसे अपना लिया।
- इसके बाद थनबर्ग पोप से मिलीं, दावोस में भाषण दिया तथा जर्मनी के कोयला विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुईं।
- अपने अभियान को जारी रखने के लिये इन्होंने स्कूल से एक साल की छुट्टी ले ली है।

#FridaysForFuture

- यह एक आंदोलन है जो जलवायु संकट पर की जाने वाली नाममात्र की कार्यवाही के विरोध में अगस्त 2018 में स्वीडन में शुरू किया गया।
- हैशटैग #FridaysForFuture और #Climatestrike इतने अधिक लोकप्रिय हो गए कि कई छात्रों एवं वयस्कों ने दुनिया भर में अपने संसदों तथा स्थानीय शहर के बाहर विरोध करना शुरू कर दिया।
- #Climatestrike जलवायु मुद्दे को हल करने के लिये युवा पीढ़ी द्वारा विश्व स्तर पर की जाने वाली एक समन्वित कार्रवाई है जिसे पुरानी पीढ़ी द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम नहीं किये जाने पर चलाया जा रहा है।
- #Climatestrike का उद्देश्य मानव इतिहास में सबसे बड़ी चुनौती को हल करने के लिये सबको सचेत करने हेतु प्रयास है।

स्टार्ट-अप सेल

CBDT ने स्टार्ट-अप से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिये पाँच सदस्यीय विशेष सेल स्टार्ट-अप सेल (Start-up Cell) का गठन किया है।

- 'स्टार्टअप सेल' का उद्देश्य सेल आयकर अधिनियम, 1961 के प्रशासन के संबंध में एंजेल कर (Angel Tax) तथा अन्य करों से संबंधित मुद्दों के साथ स्टार्टअप्स की शिकायतों का समाधान करना है।
- स्टार्टअप संस्थाएँ अपनी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिये इस सेल से संपर्क कर सकती हैं।
- 'स्टार्टअप सेल' की अध्यक्षता बोर्ड के सदस्य (आयकर और कंप्यूटरीकरण) करेंगे।
- स्टार्ट-अप सेल में शामिल हैं:
  - सदस्य (आयकर और कंप्यूटरीकरण): अध्यक्ष
  - संयुक्त सचिव (कर नीति और कानून- II): सदस्य
  - आई-टी (ITA) के आयुक्त: सदस्य
  - निदेशक (ITA-I): सदस्य सचिव
  - अवर सचिव (आईटीए- I): सदस्य

नोट :

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड Central Board of Direct Taxation

- वर्ष 1963 में 'केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963' (Central Board of Revenue Act, 1963) के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन दो संस्थाओं का गठन किया गया था, जो निम्नलिखित हैं-
  - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxation)।
  - केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Customs)।
- ये दोनों ही संस्थाएँ 'सांविधिक निकाय' (Statutory Body) हैं।
- CBDT प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों का प्रशासन करता है।
- CBEC भारत में सीमा शुल्क (Custom Duty), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty), सेवा कर (Service Tax) तथा नारकोटिक्स (Narcotics) के प्रशासन के लिये उत्तरदायी नोडल एजेंसी है।

नीला गुंबद

पाँच साल के व्यापक संरक्षण कार्य के बाद अद्वितीय स्मारक 'नीला गुंबद' (Nila Gumbad) जो हुमायूँ के मकबरे के परिसर में स्थित है, को अब जनता के लिये सुलभ बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है।

- 'नीला गुंबद' (Nila Gumbad) स्मारक के गुंबद का रंग नीला है।
- मकबरा (Mausoleum) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) के तहत सूचीबद्ध है तथा आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर (Aga Khan Trust for Culture- AKTC) द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है।
- नीला गुंबद दिल्ली में मुगल युग की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है जो संभवत: पूर्व-मुगल या शुरुआती मुगल काल में बनाया गया था।
- इस स्मारक का निर्माण कब और किसने किया इसकी प्रमाणित जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है।
- जब हुमायूँ का मकबरा बनाया गया था, तब परिसर में आस-पास की बहुत सारी संरचनाएँ शामिल थीं, नीले गुंबद वाला स्मारक भी इसका हिस्सा बन गया था।
- स्मारक एवं उसके आस-पास के बगीचों की भव्यता 19वीं शताब्दी से बिगड़ने लगी थी।
- नीला गुम्बद स्मारक के उत्तरी भाग में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था जो इस स्मारक को धीरे-धीरे समाप्त कर रहा था।

एक्वा एक्वारिया इंडिया 2019

हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority- MPEDA) द्वारा आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय एक्वा इंडिया 2019 के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया।

- फिट इंडिया के लिये प्रधानमंत्री द्वारा किये गए आह्वान का समर्थन करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक्वा इंडिया को समय की जरूरत बताया तथा इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की बात कही।
- जल में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के संकल्प में मत्स्य पालन से किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
- हालाँकि सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों के शोषण को सख्ती से रोका जाना वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है।
- वर्ष 2018-19a के दौरान भारत ने लगभग 7 बिलियन डॉलर के समुद्री उत्पादों का निर्यात अमेरिका, चीन, यूरोप और जापान को किया है।
- समुद्री उत्पाद निर्यात के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है।

नोट :